भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
हर भारतीय का बैंक
THE BANKER TO EVERY INDIAN

ऊँचे लक्ष्य और मजबूत बुनियाद
Aiming high on strong foundations

वार्षिक रिपोर्ट 2010-2011
ANNUAL REPORT 2010-2011

केंद्रीय निदेशक बोर्ड
Central Board of Directors

श्री प्रतीप चौधरी
Shri Pratip Chaudhuri

श्री आर. श्रीधरन
Shri R. Sridharan

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर
Shri Hemant G. Contractor

श्री ए. कृष्ण कुमार
Shri A. Krishna Kumar

श्री दिवाकर गुप्ता
Shri Diwakar Gupta

डॉ. अशोक झुनझुनवाला
Dr. Ashok Jhunjhunwala

श्री दिलीप सी. चौकसी
Shri Dileep C. Choksi

श्री एस. वैंकटाचलम
Shri S. Venkatachalam

श्री डी. सुंदरम
Shri D. Sundaram

श्री जी. डी. नडाफ
Shri G. D. Nadaf

डॉ. राजीव कुमार
Dr. Rajiv Kumar

श्री रशपाल मल्होत्रा
Shri Rashpal Malhotra

श्री शशि कांत शर्मा
Shri Shashi Kant Sharma

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
Smt. Shyamala Gopinath

भारतीय स्टेट बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400 021

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 56वीं वार्षिक महासभा **''यशवंतराव चव्हान केंद्र''**, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021 (महाराष्ट्र) में सोमवार, दिनांक 20 जून 2011 को अपराह्न 3.30 बजे निम्नलिखित कार्य-व्यवहार हेतु होगी:

''31 मार्च 2011 तक तैयार स्टेट बैंक के तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाते, उक्त लेखा अवधि के लिए स्टेट बैंक के निष्पादन एवं कार्यकलाप पर केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र और लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर चर्चा करना और उन्हें अपनाना''।

मुंबई. **(प्रतीप चौधरी)**
दिनांक: 29 अप्रैल, 2011 अध्यक्ष

STATE BANK OF INDIA
Central Office, Mumbai-400 021

Notice

The 56th Annual General Meeting of Shareholders of State Bank of India will be held at the **"Y. B. Chavan Centre"**, General Jagannath Bhosale Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021 (Maharashtra) on Monday, the 20th June, 2011 at 3.30 P.M. for transacting the following business:-

"to receive, discuss and adopt the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the State Bank made up to the 31st day of March, 2011, the report of the Central Board on the working and activities of the State Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts".

Mumbai. **(PRATIP CHAUDHURI)**
Date: 29th April, 2011 CHAIRMAN

विषय-सूची

केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों, बोर्ड की समितियों, स्थानीय बोर्डों के सदस्यों एवं केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्यों और बैंक के लेखापरीक्षकों की सूची 2
वित्तीय प्रदर्शन 8
निष्पादन संकेतक 10
उल्लेखनीय तथ्य 11
अध्यक्ष की कलम से 12
निदेशकों की रिपोर्ट
प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण
आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश 24
वित्तीय निष्पादन 26
निष्पादन के उल्लेखनीय तथ्य 30
क. विश्व बाजार परिचालन 30
ख. कारपोरेट बैंकिंग समूह 30
ग. मध्य कारपोरेट समूह 34
घ. राष्ट्रीय बैंकिंग समूह 36
ङ. ग्रामीण व्यवसाय समूह 44
च. परस्पर विक्रय 52
छ. कारपोरेट कार्यनीति एवं नव व्यवसाय 52
ज. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह (आईबीजी) 58
झ. आस्ति गुणवत्ता 62
ञ. सहयोगी एवं अनुषंगियां 62
ट. सूचना प्रौद्योगिकी 70
ठ. जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण 74
ड. ग्राहक सेवा एवं कारपोरेट सामाजिक दायित्व 84
ढ. कारपोरेट संप्रेषण एवं परिवर्तन 92
ण. सूचना का अधिकार अधिनियम 92
त. मानव संसाधन 92
थ. व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास 96
द. राजभाषा 96
ध. केवाईसी/एएमएल/सीएफटी उपाय 96
न. धोखाधड़ी रोकना एवं निगरानी रखना 98
प. सेवा में कमी के लिए क्षतिपूर्ति नीति 98
फ. बैंक की आउटसोर्सिंग नीति 100
ब. सुपर सर्कल ऑफ एक्सिलेंस 100
भ. ग्रीन बैंकिंग पहल 100
उत्तरदायित्व वक्तव्य, आभार 102
कारपोरेट अभिशासन 104
अनुलग्नक I से V 130
तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
— भारतीय स्टेट बैंक 148
— स्टेट बैंक समूह (समेकित) 202
नई पूंजी पर्याप्तता संरचना (बेसल-II) स्तंभ - III (बाजार अनुशासन) प्रकटीकरण 255
प्रॉक्सी फार्म, उपस्थिति पर्ची, एनईसीएस निर्देश फॉर्म 281

Contents

List of Directors of Central Board, Committees of the Board, Members of the Local Boards and Members of the Central Management Committee and the Bank's Auditors 2
Financial Highlights 8
Performance Indicators 10
Highlights 11
From the Chairman's Desk 13
Directors' Report
Management Discussion and Analysis
Economic Backdrop and Banking Environment 25
Financial Performance 27
Performance Highlights 31
A Global Markets Operations 31
B Corporate Banking Group 31
C Mid Corporate Group 35
D National Banking Group 37
E Rural Business Group 45
F Cross Selling 53
G Corporate Strategy and New Business 53
H International Banking Group (IBG) 59
I Asset Quality 63
J Associates & Subsidiaries 63
K Information Technology 71
L Risk Management & Internal Controls 75
M Customer Service & Corporate Social Responsibility 85
N Corporate Communication & Change 93
O Right to Information Act 93
P Human Resources 93
Q Business Process Re-engineering 97
R Official Language 97
S KYC/AML/CFT Measures 97
T Fraud Prevention & Monitoring 99
U Compensation Policy for Deficiency in Service 99
V Bank's Outsourcing Policy 101
W Super Circle of Excellence 101
X Green Banking Initiatives 101
Responsibility Statement, Acknowledgement 103
Corporate Governance 105
Annexures I to V 131
Balance Sheet, Profit & Loss Account, Cash Flow Statement and Report of the Auditors of
— State Bank of India 148
— State Bank Group (Consolidated) 202
New Capital Adequacy Framework (Basel-II) Pillar - III (Market Discipline) Disclosures 255
Proxy Form, Attendance Slip, NECS Mandate Form 282

केंद्रीय निदेशक बोर्ड

(17 मई 2011 को)

अध्यक्ष
श्री प्रतीप चौधरी

प्रबंध निदेशक
श्री आर. श्रीधरन

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर

श्री ए. कृष्ण कुमार

श्री दिवाकर गुप्ता

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक
डॉ. अशोक झुनझुनवाला

श्री दिलीप सी. चौकसी

श्री एस. वैंकटाचलम

श्री डी. सुंदरम

कार्यकाल : 3 वर्ष और फिर से 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र
अधिकतम कार्यकाल : लगातार 6 वर्ष

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(गख) के अंतर्गत निदेशक
श्री जी. डी. नडाफ

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(घ) के अंतर्गत निदेशक
डॉ. राजीव कुमार

श्री रशपाल मल्होत्रा

कार्यकाल : 3 वर्ष और पुनर्नियुक्ति / पुनर्नामांकन हेतु पात्र या जिस तरह से अधिसूचना में दर्शाया गया है।
अधिकतम कार्यकाल : लगातार 6 वर्ष

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ङ) के अंतर्गत निदेशक
श्री शशि कांत शर्मा

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(च) के अंतर्गत निदेशक
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ

Central Board of Directors

(As on 17th May 2011)

Chairman
Shri Pratip Chaudhuri

Managing Directors
Shri R. Sridharan

Shri Hemant G. Contractor

Shri A. Krishna Kumar

Shri Diwakar Gupta

Directors elected under Section 19(c) of SBI Act
Dr. Ashok Jhunjhunwala

Shri Dileep C. Choksi

Shri S. Venkatachalam

Shri D. Sundaram

Term: 3 years and eligible for re-election for further period of 3 years
Maximum tenure: 6 years continuously

Director under Section 19(cb) of SBI Act

Shri G. D. Nadaf

Directors under Section 19(d) of SBI Act
Dr. Rajiv Kumar

Shri Rashpal Malhotra

Term: 3 years and eligible for re-appointment / re-nomination, or as indicated in the Notification.
Maximum tenure: 6 years continuously

Director under Section 19(e) of SBI Act
Shri Shashi Kant Sharma

Director under Section 19(f) of SBI Act
Smt. Shyamala Gopinath

दिनांक 17 मई 2011 को बोर्ड की समितियां

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी)

अध्यक्ष, श्री प्रतीप चौधरी

प्रबंध निदेशक, श्री आर. श्रीधरन, श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, श्री ए. कृष्ण कुमार, श्री दिवाकर गुप्ता, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक की नामिती), श्रीमती श्यामला गोपीनाथ और भारत में हो रही बैठक-स्थल के निवासी या बैठक के समय उस स्थान पर उपस्थित सभी या अन्य कोई निदेशक।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी)- 7 निदेशक

श्री दिलीप सी. चौकसी, निदेशक - समिति के अध्यक्ष

श्री एस. वैंकटाचलम, निदेशक - सदस्य

डॉ. अशोक झुनझुनवाला, निदेशक - सदस्य

श्री शशि कांत शर्मा - भारत सरकार के नामिती - सदस्य (पदेन)

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, भारतीय रिज़र्व बैंक की नामिती - सदस्य (पदेन)

श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियां) - सदस्य (पदेन)

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) - 5 निदेशक

श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ) - सदस्य (पदेन) समिति के अध्यक्ष

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)

डॉ. अशोक झुनझुनवाला, निदेशक - सदस्य

श्री दिलीप सी. चौकसी, निदेशक - सदस्य

डॉ. राजीव कुमार, निदेशक - सदस्य

बोर्ड की शेयरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआईजीसीबी) - 5 निदेशक

श्री डी. सुंदरम, निदेशक - समिति के अध्यक्ष

श्री दिलीप सी. चौकसी, निदेशक - सदस्य

श्री एस. वैंकटाचलम, निदेशक - सदस्य

श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ) - सदस्य (पदेन)

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)

Committees of the Board as on 17th May 2011

Executive Committee of the Central Board (ECCB)

Chairman, Shri Pratip Chaudhuri

Managing Directors, Shri R. Sridharan, Shri Hemant G. Contractor, Shri A. Krishna Kumar, Shri Diwakar Gupta, Director nominated under Section 19(f) of the SBI Act (Reserve Bank of India nominee), Smt. Shyamala Gopinath, and all or any of the other Directors *who are normally residents* or may for the time being be present at any place within India where the meeting is held.

Audit Committee of the Board (ACB) – 7 directors

Shri Dileep C. Choksi, Director – Chairman of the Committee

Shri S. Venkatachalam, Director – Member

Dr. Ashok Jhunjhunwala, Director – Member

Shri Shashi Kant Sharma, GoI Nominee – Member (Ex-officio)

Smt. Shyamala Gopinath, RBI Nominee – Member (Ex-officio)

Shri R. Sridharan, MD & GE (A&S) – Member (Ex-officio)

Shri Hemant G. Contractor, MD&GE (IB) – Member (Ex-officio)

Risk Management Committee of the Board (RMCB) – 5 directors

Shri R. Sridharan, MD & GE (A&S) – Member (Ex-officio) Chairman of the Committee

Shri Hemant G. Contractor, MD&GE (IB) – Member (Ex-officio)

Dr. Ashok Jhunjhunwala, Director – Member

Shri Dileep C. Choksi, Director – Member

Dr. Rajiv Kumar, Director – Member

Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board (SIGCB) – 5 directors

Shri D. Sundaram, Director – Chairman of the Committee

Shri Dileep C. Choksi, Director – Member

Shri S. Venkatachalam, Director – Member

Shri R. Sridharan, MD & GE (A&S) – Member (Ex-officio)

Shri Hemant G. Contractor, MD&GE (IB) – Member (Ex-officio)

दिनांक 17 मई 2011 को बोर्ड की समितियां (जारी...)

बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए निदेशक बोर्ड की विशेष समिति - 6 निदेशक

श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ) सदस्य (पदेन) - समिति के अध्यक्ष

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)

श्री दिलीप सी. चौकसी, निदेशक - सदस्य

श्री एस. वैंकटाचलम, निदेशक - सदस्य

श्री डी. सुंदरम, निदेशक - सदस्य

डॉ. राजीव कुमार, निदेशक - सदस्य

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) - 5 निदेशक

श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ) सदस्य (पदेन) - समिति के अध्यक्ष

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)

श्री एस. वैंकटाचलम, निदेशक - सदस्य

श्री दिलीप सी. चौकसी, निदेशक - सदस्य

डॉ. राजीव कुमार, निदेशक - सदस्य

बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति (टीसीबी) - 5 निदेशक

डॉ. अशोक झुनझुनवाला, निदेशक - समिति के अध्यक्ष

डॉ. राजीव कुमार, निदेशक - सदस्य

श्री डी. सुंदरम, निदेशक - सदस्य

श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) - सदस्य (पदेन)

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - 4 निदेशक

श्री शशि कांत शर्मा - भारत सरकार के नामिती - सदस्य (पदेन)

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, भारतीय रिज़र्व बैंक की नामिती - सदस्य (पदेन)

डॉ. अशोक झुनझुनवाला, निदेशक - सदस्य

श्री एस. वैंकटाचलम, निदेशक - सदस्य

Committees of the Board as on 17th May 2011 (Contd...)

Special Committee of the Board of Directors for Monitoring of Large Value Frauds – 6 directors

Shri R. Sridharan, MD & GE (A&S) – Member (Ex-Officio) – Chairman of the Committee

Shri Hemant G. Contractor, MD&GE (IB) – Member (Ex-officio)

Shri Dileep C. Choksi, Director – Member

Shri S. Venkatachalam, Director – Member

Shri D. Sundaram, Director – Member

Dr. Rajiv Kumar, Director – Member

Customer Service Committee of the Board (CSCB) – 5 directors

Shri R. Sridharan, MD & GE (A&S) – Member (Ex-officio) Chairman of the Committee

Shri Hemant G. Contractor, MD&GE(IB) – Member (Ex-officio)

Shri S. Venkatachalam, Director – Member

Shri Dileep C. Choksi, Director – Member

Dr. Rajiv Kumar, Director – Member

Technology Committee of the Board (TCB) – 5 directors

Dr. Ashok Jhunjhunwala, Director – Chairman of the Committee

Dr. Rajiv Kumar, Director – Member

Shri D. Sundaram, Director – Member

Shri R. Sridharan, MD & GE (A&S) – Member (Ex-officio)

Shri Hemant G. Contractor, MD&GE (IB) – Member (Ex-officio)

Remuneration Committee of the Board - 4 Directors

Shri Shashi Kant Sharma, GoI Nominee – Member (Ex-officio)

Smt. Shyamala Gopinath, RBI Nominee – Member (Ex-officio)

Dr. Ashok Jhunjhunwala, Director – Member

Shri S. Venkatachalam, Director – Member

स्थानीय बोर्डों के सदस्य, अध्यक्ष को छोड़कर

(17 मई 2011 को)

अहमदाबाद
श्री पी. नंद कुमारन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

बंगलूर
श्रीमती सौंदरा कुमार
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
सुश्री एन. एस. रत्ना प्रभा
श्री एल. चंद्रशेखर
श्री आर. अशोक कुमार
श्री श्रीनिवास तिवारी

भोपाल
श्री एम. भगवंत राव
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

भुवनेश्वर
श्री सी. एच. नरसिम्हा राव
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री मुरलीधर जेना

चंडीगढ़
श्री सुशील कुमार सहगल
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री गुरजीत सिंह लीहाल
श्री त्रिलोकी नाथ सिंगला
श्री रशपाल मल्होत्रा*

चेन्नई
श्री जे. चंद्रशेखरन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री एस. वनममलई
डॉ. अशोक झुनझुनवाला*

दिल्ली
श्री सुनील पंत
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
डॉ. राजीव कुमार*

हैदराबाद
श्री राकेश शर्मा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री चिन्ता वैंकट कृष्णा
श्री जलदु कोटेश्वर राव

केरल
श्री बी. एस. भसीन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री सी. ए. बाबु अब्राहम कल्लिवायलिल

कोलकाता
श्री सुरेन्द्र कुमार
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री शंकर कुमार सान्याल
श्री सुखेन्दु शेखर रे
श्री सुब्रत घोष

लखनऊ
श्री अभय कुमार सिंह
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री मदन मोहन शुक्ला

मुंबई
श्री अतनु सेन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री दिलीप सी. चौकसी*
श्री एस. वेंकटाचलम*
श्री डी. सुंदरम*
श्री सैयद जावेद मुनीर हाशमी
श्री प्रदीप एस. जैन

उत्तर पूर्वी
श्री आर. के. गर्ग
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
सुश्री मीनाताई सैकिया
डॉ. कल्याण कुमार गोगोई
श्री अशोक कुमार दास

पटना
श्री जीवनदास नारायण
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

* भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 21 (1) (ख) के अनुसार स्थानीय बोर्डों में नामित केंद्रीय बोर्ड के निदेशक।

Members of Local Boards, other than Chairman

(As on 17th May 2011)

Ahmedabad
Shri P. Nanda Kumaran
Chief General Manager (Ex-Officio)

Bangalore
Smt. Soundara Kumar
Chief General Manager (Ex-Officio)
Ms. N.S. Rathna Prabha
Shri L. Chandrashekar
Shri R. Ashok Kumar
Shri Srinivas Tiwari

Bhopal
Shri M. Bhagavantha Rao
Chief General Manager (Ex-Officio)

Bhubaneswar
Shri C. H . Narasimha Rao
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Muralidhar Jena

Chandigarh
Shri Susheel Kumar Sehgal
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Gurjit Singh Lehal
Shri Tirloki Nath Singla
Shri Rashpal Malhotra*

Chennai
Shri J. Chandrashekaran
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri S. Vanamamalai
Dr. Ashok Jhunjhunwala*

Delhi
Shri Sunil Pant
Chief General Manager (Ex-Officio)
Dr. Rajiv Kumar*

Hyderabad
Shri Rakesh Sharma
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Chinta Venkat Krishna
Shri Jaldu Koteswara Rao

Kerala
Shri B. S. Bhasin
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri C.A. Babu Abraham Kallivayalil

Kolkata
Shri Suriender Kumar
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Sankar Kumar Sanyal
Shri Sukhendu Sekhar Ray
Shri Subrata Ghosh

Lucknow
Shri Abhay Kumar Singh
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Madan Mohan Shukla

Mumbai
Shri Atanu Sen
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Dileep C. Choksi*
Shri S. Venkatachalam*
Shri D. Sundaram*
Shri Syed Javed Munir Hashmi
Shri Pradeep S. Jain

North Eastern
Shri R. K. Garg
Chief General Manager (Ex-Officio)
Ms. Minati Saikia
Dr. Kalyan Kumar Gogoi
Shri Ashok Kumar Das

Patna
Shri Jeevandas Narayan
Chief General Manager (Ex-Officio)

* Directors on the Central Board nominated on the Local Boards as per Section 21(1)(b) of SBI Act.

केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य

(17 मई 2011 को)

श्री प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष

श्री आर. श्रीधरन
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियां)

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)

श्री ए. कृष्ण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)

श्री दिवाकर गुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी

श्री सी. नरसिम्हन
उप प्रबंध निदेशक
(कारपोरेट कार्यनीति एवं नव व्यवसाय)

श्री ए. पी. वर्मा
उप प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी

श्री एस. एस. रंजन
उप प्रबंध निदेशक
(निरीक्षण और प्रबंधन लेखापरीक्षा)

श्री अंजन बरुआ
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (ग्लोबल मार्केट्स)

श्री श्यामल आचार्य
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (मिड कारपोरेट)

श्री संतोष बी. नायर
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग)

श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य
उप प्रबंध निदेशक एवं कारपोरेट विकास अधिकारी

श्री आर. वैंकटाचलम
उप प्रबंध निदेशक (तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन)

Members of Central Management Committee

(As on 17th May 2011)

Shri Pratip Chaudhuri
Chairman

Shri R. Sridharan
Managing Director & Group Executive
(Associates & Subsidiaries)

Shri Hemant G. Contractor
Managing Director & Group Executive
(International Banking)

Shri A. Krishna Kumar
Managing Director & Group Executive
(National Banking)

Shri Diwakar Gupta
Managing Director & Chief Financial Officer

Shri C. Narasimhan
Deputy Managing Director
(Corporate Strategy & New Businesses)

Shri A. P. Verma
Deputy Managing Director & Chief Credit and Risk Officer

Shri S. S. Ranjan
Deputy Managing Director
(Inspection & Management Audit)

Shri Anjan Barua
Deputy Managing Director & Group Executive
(Global Markets)

Shri Shyamal Acharya
Deputy Managing Director & Group Executive
(Mid Corporate)

Shri Santosh B. Nayar
Deputy Managing Director & Group Executive
(Corporate Banking)

Smt. Arundhati Bhattacharya
Deputy Managing Director & Corporate Development Officer

Shri R. Venkatachalam
Deputy Managing Director
(Stressed Assets Management)

बैंक के लेखा परीक्षक

मेसर्स कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री, मुंबई
मुंबई मंडल

मेसर्स बी. एम. चतरथ एण्ड कंपनी, कोलकाता
कोलकता मंडल

मेसर्स के. के. सोनी एण्ड कंपनी, नई दिल्ली
दिल्ली मंडल

मेसर्स एसवियर, चेन्नई
चेन्नई मंडल

मेसर्स वेणुगोपाल एण्ड शिनॉय, हैदराबाद
हैदराबाद मंडल

मेसर्स के. जी. सोमानी एण्ड कंपनी, नई दिल्ली
लखनऊ मंडल

मेसर्स के. सी. मेहता एण्ड कंपनी, वडोदरा
अहमदाबाद मंडल

मेसर्स डागलिया एण्ड कंपनी, बेंगलूर
बेंगलूर मंडल

मेसर्स एम. वर्मा एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
चंडीगढ़ मंडल

मेसर्स कृष्णमूर्ति एण्ड कृष्णमूर्ति, कोच्चि
केरल मंडल

मेसर्स तोदी तुलसियान एण्ड कंपनी, पटना
पटना मंडल

मेसर्स आर. के. जे. के. खन्ना एण्ड कंपनी, नई दिल्ली
भुवनेश्वर मंडल

मेसर्स राज बोरडिया एण्ड कंपनी, मुंबई
उत्तर पूर्वी मंडल

मेसर्स एसबीए एण्ड कंपनी, इंदौर
भोपाल मंडल

The Bank's Auditors

M/s Kalyaniwalla & Mistry, Mumbai,
Mumbai Circle

M/s B. M. Chatrath & Co., Kolkata,
Kolkata Circle

M/s K. K. Soni & Co., New Delhi,
Delhi Circle

M/s Essveeyar, Chennai,
Chennai Circle

M/s Venugopal & Chenoy, Hyderabad,
Hyderabad Circle

M/s K. G. Somani & Co, New Delhi,
Lucknow Circle

M/s K. C. Mehta & Co., Vadodara,
Ahmedabad Circle

M/s Dagliya & Co., Bangalore,
Bangalore Circle

M/s M. Verma & Associates, New Delhi,
Chandigarh Circle

M/s Krishnamoorthy & Krishnamoorthy, Kochi,
Kerala Circle

M/s Todi Tulsyan & Co., Patna,
Patna Circle

M/s R. K. J. K. Khanna & Co., New Delhi,
Bhubaneswar Circle

M/s Raj Bordia & Co., Mumbai,
North Eastern Circle

M/s SBA & Company, Indore,
Bhopal Circle

पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन
FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR THE LAST 10 YEARS

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
ब्याज आय (₹ करोड़) Interest Income (₹ crores)	29810.08	31087.02	30460.49	32428.00	35979.58	37242.33	48950.31	63788.43	70993.92	81394.36
ब्याज व्यय (₹ करोड़) Interest Expenses (₹ crores)	20728.84	21109.46	19274.17	18483.38	20390.45	22184.13	31929.08	42915.29	47322.48	48867.96
निवल ब्याज आय (₹ करोड़) Net Interest income (₹ crores)	9081.24	9977.56	11186.32	13944.62	15589.13	15058.20	17021.23	20873.14	23671.44	32526.40
अन्य आय (₹ करोड़) Other Income (₹ crores)	4174.48	5740.26	7612.46	7119.90	7435.20	6765.26	8694.93	12690.79	14968.15	15824.59
आय की तुलना में व्यय (%) (कुल निवल आय की तुलना में परिचालन व्यय) Expenses to Income(%) (Operating Expenses to total Net Income)	54.40	50.53	49.18	47.83	58.70	54.18	49.03	46.62	52.59	47.60
परिचालन परिणाम (₹ करोड़) Operating Result (₹ crores)	6044.83	7775.40	9553.46	10990.36	11299.23	9999.94	13107.55	17915.23	18320.91	25335.57
कुल प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय (₹ करोड़) Total Provisions & Contingencies (₹ crores)	3613.21	4670.40	5872.46	6685.84	6892.55	5458.63	6378.43	8794.00	9154.86	17071.05
एनपीए के लिए प्रावधान (₹ करोड़) Provisions for NPA (₹ crores)	2186.69	2592.42	3702.75	1204.00	147.81	1429.50	2000.94	2474.97	5147.85	8792.09
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय (₹ करोड़) Others Provisions & Contingencies (₹ crores)	1426.52	2077.98	2169.71	5481.84	6744.74	4029.13	4377.49	6319.03	4007.01	8278.96
कर से पूर्व निवल लाभ (₹ करोड़) Net Profit Before Taxes (₹ crores)	3699.59	5267.50	4971.28	6521.60	6906.15	7625.08	10438.90	14180.64	13926.08	14954.23
निवल लाभ (₹ करोड़) Net Profit (₹ crores)	2432.00	3105.00	3681.00	4305.00	4407.00	4541.00	6729.00	9121.00	9166.00	8264.52
औसत आस्तियों से आय (%) Return on Average Assets (%)	0.73	0.86	0.94	0.99	0.89	0.84	1.01	1.04	0.88	0.71
ईक्विटी से आय (%) Return on Equity (%)	15.97	18.05	18.19	18.10	15.47	14.24	17.82	15.07	14.04	12.84
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ '000) Profit Per Employee (₹ '000)	115.82	147.83	176.61	207.50	216.76	236.81	372.57	473.77	446.03	384.63
प्रदत्त पूंजी, आरक्षितियाँ एवं अधिशेष (₹ करोड़) Paid -up Capital, Reserves & Surplus (₹ crores)	15224.00	17203.00	20231.00	24072.00	27644.00	31298.00	49033.00	57948.00	65949.00	64986.04

पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन (जारी)
FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR THE LAST 10 YEARS (Contd.)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
जमा (₹ करोड़) Deposits (₹ crores)	270560.00	296123.00	318619.00	367048.00	380046.00	435521.00	537404.00	742073.00	804116.00	933932.81
अग्रिम (₹ करोड़) Advances (₹ crores)	120806.00	137758.00	157934.00	202374.00	261801.00	337336.00	416768.00	542503.00	631914.00	756719.45
निवेश (₹ करोड़) Investments (₹ crores)	145142.03	172347.90	185676.48	197097.91	162534.24	149148.88	189501.27	275953.96	295785.20	295600.57
गौण ऋण (₹ करोड़) Subordinated Debt (₹ crores)	3457.66	3462.32	3463.20	3464.84	4985.81	14430.69	18781.84	27174.40	29174.40	36836.40
प्रति शेयर आय (₹) Earnings Per Share (₹)	63.72	59.00	69.94	81.79	83.73	86.10	126.62	143.77	144.37	130.16
प्रति शेयर लाभांश (₹) Dividend Per Share (₹)	6.00	8.50	11.00	12.50	14.00	14.00	21.50	29.00	30.00	30.00
लाभांश भुगतान अनुपात % Dividend Payout Ratio %	12.98	14.40	15.72	15.28	16.72	16.22	20.18	20.19	20.78	23.05
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) **Capital Adequacy Ratio (%)**										
बेसल- I Basel- I	13.35	13.50	13.53	12.45	11.88	12.34	13.54	12.97	12.00	10.69
टियर I Tier I	9.22	8.81	8.34	8.04	9.36	8.01	9.14	8.53	8.46	6.93
टियर II Tier II	4.13	4.69	5.19	4.41	2.52	4.33	4.40	4.44	3.54	3.76
बेसल-II Basel- II	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14.25	13.39	11.98
टियर I Tier I	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	9.38	9.45	7.77
टियर II Tier II	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	4.87	3.94	4.21
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%) Net NPA to Net Advances (%)	5.63	4.50	3.48	2.65	1.88	1.56	1.78	1.79	1.72	1.63
देश में स्थित शाखाओं की संख्या Number of Domestic Branches	9034	9033	9039	9102	9177	9231	10186	11448	12496	13542
विदेश में स्थित शाखाओं / कार्यालयों की संख्या Number of Foreign Branches/Offices	51	48	54	54	70	83	84	92	142	156

निष्पादन संकेतक
Performance Indicators

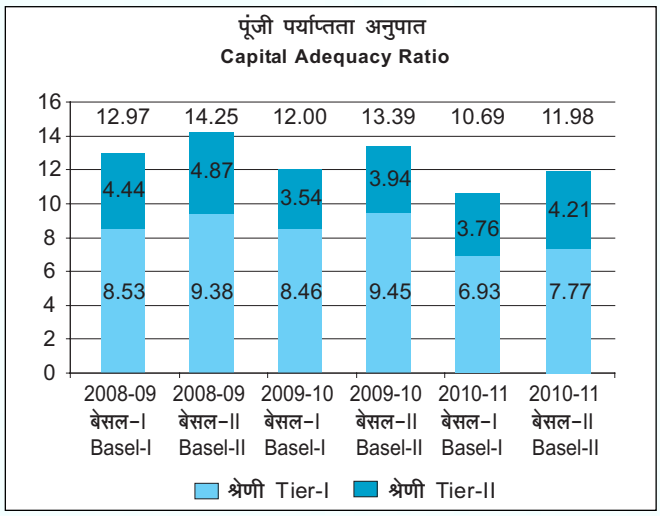

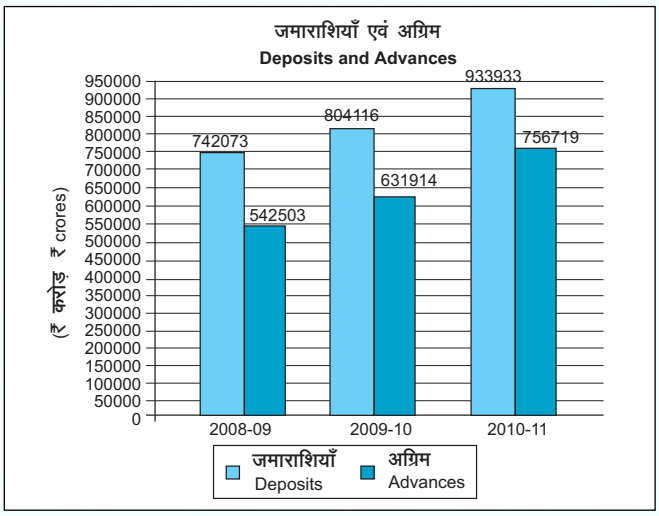

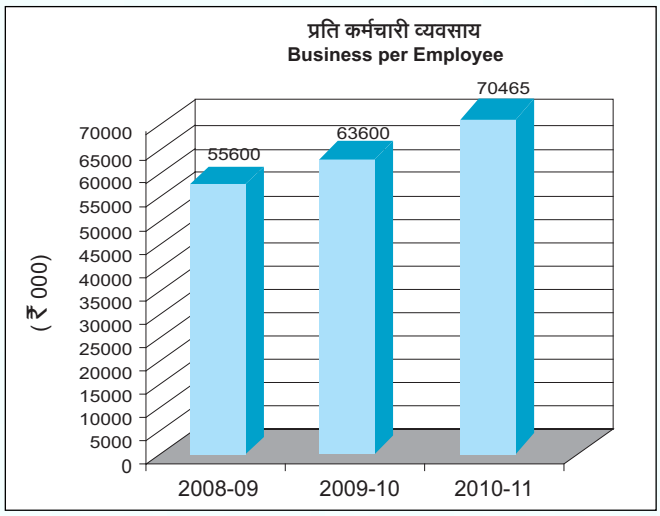

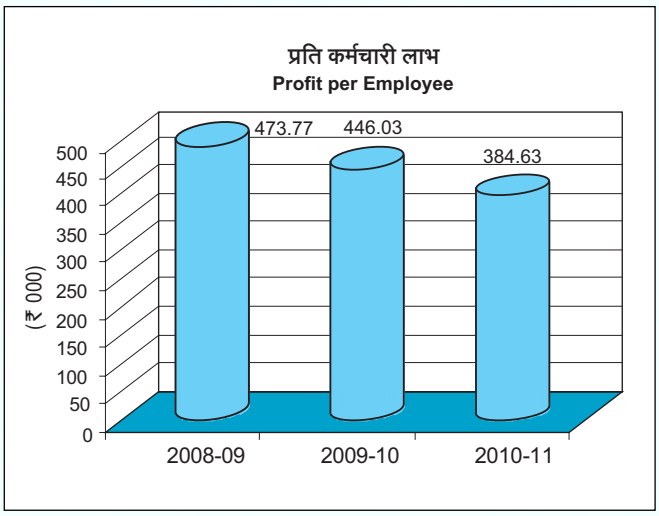

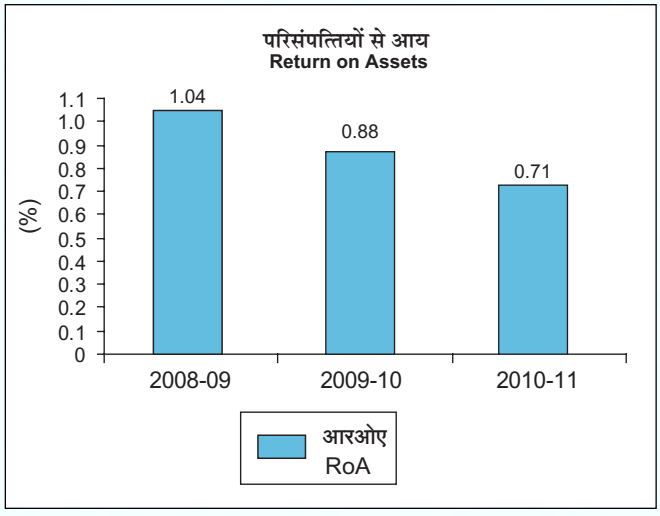

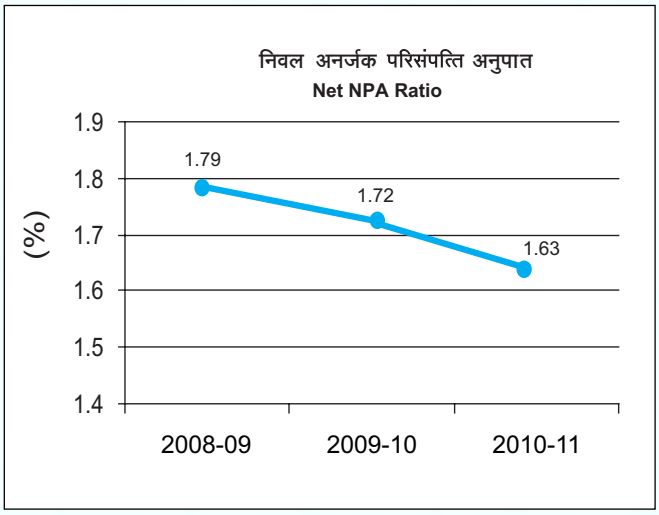

उल्लेखनीय तथ्य
Highlights

वर्ष के लिए FOR THE YEAR	2009-10	2010-11	परिवर्तन प्रतिशत में % change
कुल आय (₹ करोड़) Total Income (₹ crores)	85,962	97,219	13.10
कुल व्यय (₹ करोड़) Total Expenditure (₹ crores)	76,796	88,954	15.83
निवल लाभ (₹ करोड़) Net Profit (₹ crores)	9,166	8,265	(-) 9.83
प्रति शेयर अर्जन (₹) (मूल) Earnings per Share (₹) (Basic)	144.37	130.16	(-) 9.84
औसत परिसंपत्तियों से आय (%) Return on Average Assets (%)	0.88	0.71	(-) 19.32
ईक्विटी से आय (%) Return on Equity (%)	14.04	12.84	(-) 8.55
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार) Profit per Employee (₹ thousands)	446.03	384.63	(-) 13.77

वर्ष की समाप्ति पर AT THE END OF	मार्च March 2010	मार्च March 2011	परिवर्तन प्रतिशत में % change
संदत्त पूंजी और आरक्षितियां एवं अधिशेष (₹ करोड़) Paid-up Capital and Reserves & Surplus (₹ crores)	65,949	64,986	(-) 1.46
जमाराशियाँ (₹ करोड़) Deposits (₹ crores)	8,04,116	9,33,933	16.14
अग्रिम (₹ करोड़) Advances (₹ crores)	6,31,914	7,56,719	19.75
देश में स्थित शाखाओं की संख्या Number of Domestic Branches	12496	13542	8.37
विदेश में स्थित शाखाओं/कार्यालयों की संख्या Number of Foreign Branches/Offices	142	156	9.85
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) Capital Adequacy Ratio (%) (बेसल-I) (Basel-I)	12.00	10.69	(-) 10.92
(बेसल-II) (Basel-II)	13.39	11.98	(-) 10.53
निवल अनर्जक परिसंपत्तियाँ (%) Net NPA (%)	1.72	1.63	(-) 5.23

अध्यक्ष की कलम से

प्रिय शेयरधारको,

आपके बैंक के वित्त वर्ष 2010-11 के निष्पादन का ब्योरा प्रस्तुत करते हुए मैं गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। वर्ष 2010-11 की आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट भी भेज रहा हूँ जिसमें आपके बैंक की इस वर्ष की कुछ महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों एवं प्रयासों की जानकारी दी गई है।

वैश्विक विकास दर परिदृश्य में सुधार हुआ है, परंतु जोखिम अभी भी बना हुआ है। यद्यपि अमेरिका में विकास की दर धीरे-धीरे बढ़ने लगी है फिर भी यूरो क्षेत्र में विकास की दर अनियमित और कमजोर बनी हुई है। इसके विपरीत, अनेक उभर रही विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। तथापि, चिंता का प्रमुख कारण तेल और पण्य वस्तुओं की बढ़ रही कीमतें हैं, जो मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की संभावनाओं को बढ़ा रही हैं।

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में अपना ऊँचा स्थान बरकरार रखे हुए है। वर्ष 2010-11 में इसकी जीडीपी की विकास दर लगभग 8.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। विकास दर की परिधि का विस्तार हुआ है। इसका प्रभाव कृषि क्षेत्र में हुए सुधार और सेवा क्षेत्र के लाभ में हुई शानदार वृद्धि में परिलक्षित हुआ। हालांकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक लगातार घटता-बढ़ता रहा, अन्य संकेतक जैसे विस्तारशील क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई), उच्चतर कर उगाही, निर्यातों में तेजी और बैंक ऋणों के उठाव से परिलक्षित होता है कि विकास दर लगातार तेज बनी रहेगी। कम जोखिम, ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतों पर लगातार दबाव बनाए हुए है। इससे निवेश का परिवेश प्रभावित हो सकता है, जो वर्तमान विकास दर के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए मुद्रास्फीति को काबू में रखना अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है।

ऐसी स्थिति में, बीते वर्ष में स्टेट बैंक समूह का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2010 के ₹ 24,799 करोड़ के स्तर से 34.04% बढ़कर ₹ 33,240 करोड़ पर पहुँच गया। इससे पता चलता है कि समूह का प्रमुख कारोबार बढ़िया रहा।

From the Chairman's Desk

Dear Shareholders,

It is my privilege to place before you highlights of your Bank's performance during the financial year 2010-11. Details of the achievements and initiatives taken by your Bank are provided in the enclosed Annual Report for the year 2010-11.

Outlook for global growth has improved, but risks remain. While growth in the United States is gaining traction, recovery in the Euro Area is uneven and fragile. In contrast, many emerging and developing economies are seeing robust growth. The major concern, however, is rising global oil and commodity prices that are fanning inflation and inflation expectations.

India remains one of the fastest growing major economies in the world, with GDP growth at 8.5% in 2010-11. Growth has been broad based with a rebound in the agriculture sector and impressive gains in services. Even as the Index of Industrial Production continues to be volatile, other indicators such as expansionary Purchasing Managers' Index (PMI), higher tax collections, buoyant exports and bank credit suggest that the growth momentum persists. The downside risk is continuing pressure on energy and commodity prices that may undermine the investment climate, posing a threat to the current growth trajectory. Therefore, keeping a check on inflation remains a great challenge for the economy.

Against this background, in the year gone by, the State Bank Group's operating profit rose by 34.04% to ₹ 33,240 crores in FY'11 from ₹ 24,799 crores in FY'10, showing that core operations remain robust.

परंतु, आपके बैंक को वर्ष के दौरान पहले की तुलना में भारी भरकम प्रावधान करने पड़े। ये प्रावधान विशेष गृह ऋणों तथा ऋणों पर पहले से अधिक प्रावधान सुरक्षा अनुपात के संबंध में नियामकों की पहले की तुलना में अधिक प्रावधान करने की अपेक्षाओं के चलते करने पड़े। प्रावधान की ये अपेक्षाएँ विवेकसम्मत अपेक्षाओं से कहीं अधिक हैं। विशेष गृह ऋणों पर शुरुआती वर्षों में ब्याज दर कम रहती है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंकों से अपेक्षा रहती है कि वे इन ऋणों पर 0.4% की सामान्य दर से 2% अधिक प्रावधान करें क्योंकि इन ऋणों को अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाला माना जाता है। आपके बैंक ने इन ऋणों के संबंध में बहुत ही संतुलित हामीदारी नीतियों को अपनाया है। ये सभी ऋण मानक श्रेणी के हैं। इसलिए प्रावधान की यह अतिरिक्त राशि उस समय बैंक की बहियों में वापस डाल दी जाएगी जब इन ऋणों पर फिर से सामान्य ब्याज दरें लागू होने लगेंगी। इसी तरह, प्रावधान सुरक्षा अनुपात बढ़ाने के लिए एसबीआई की करीब 59% की आस्तिवार प्रावधान सुरक्षा के स्थान पर 70% प्रावधान सुरक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ाया गया प्रावधान सुरक्षा अनुपात भी बैलेंस शीट में अतिरिक्त प्रावधान के रूप में है। इन ऋणों में निहित जोखिमों के कम होते ही इन अतिरिक्त प्रावधानों को बैंक की बहियों में वापस डाल दिए जाने की उम्मीद है।

आपके बैंक को वेतन संशोधन और ग्रेच्युटी की उच्चतम सीमा में वृद्धि किए जाने के कारण बढ़ने वाली सेवानिवृत्ति हितलाभों संबंधी अतिरिक्त देयता के लिए भी भारी भरकम प्रावधान करने पड़े। इस कारण और पहले की तुलना में अधिक कर प्रावधान करने के चलते शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2009-10 के स्तर ₹ 9,166 करोड़ से 9.84% कम होकर ₹ 8,265 करोड़ रह गया।

वेतन संशोधन के कारण पूर्ववर्ती वर्षों (2007-10) की अतिरिक्त पेंशन लागत के चलते रिज़र्व्स में से सीधे सीधे ₹ 7,927 करोड़ की राशि का प्रावधान भी करना पड़ा। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि रिज़र्व्स में से ये प्रावधान करने के बावजूद आपके बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% के मानदंड से बहुत ऊपर है। बेसल II के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2011 के अंत में 11.98% (टियर I : 7.77%) है जबकि मार्च 2010 के अंत में यह 13.39% था।

सहयोगी बैंकों के शुद्ध लाभ में 21.62% की वृद्धि हुई और यह वित्त वर्ष 2010 के ₹ 2,959 करोड़ के मुकाबले ₹ 3,598 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया।

उत्तरोत्तर प्रतिस्पर्धा बढ़ने से आपके बैंक द्वारा नीची ब्याज दरें रखे जाने का अच्छा फल मिला। शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्त वर्ष 2011 में 66 आधार अंक बढ़कर 3.32% रहा जबकि वित्त वर्ष 2010 में यह 2.66% रहा था। ऐसा दिए ब्याज (3.27%) की तुलना में ब्याज आय में (14.65%) की तेज वृद्धि के कारण हुआ। ऋणों में 20.32% की वृद्धि होने से अग्रिमों पर ब्याज आय में वित्त वर्ष 2011 में वर्ष-दर-वर्ष 18.45% की वृद्धि हुई जबकि वित्त वर्ष 2010 में 9.11% की वृद्धि हुई थी। दिए गए ब्याज में वृद्धि मुख्यतया कासा जमाराशियों में हुई 22.14% की वृद्धि के कारण थम गई। इस कारण, शुद्ध ब्याज आय में 37.41% वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹ 32,526 करोड़ पर पहुँच गई जबकि वित्त वर्ष 2010 में 13.41% की वृद्धि हुई थी। शुल्क आय में भी वित्त वर्ष 2011 में 20% की खासी वृद्धि दर्ज की गई। गैर-ब्याज आय में 5.72% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ के बढ़ती ब्याज दरों के नीचे गिरकर ₹ 1,196 करोड़ पर आ जाने के बावजूद हुई। निवेशों की बिक्री पर हुए लाभ को छोड़कर गैर-ब्याज आय में 15.97% की वृद्धि हुई।

However, your Bank had to make substantially higher provisions during the year, on account of higher regulatory requirements in respect of special home loans as well as for higher provision coverage ratio on loans, in excess of prudential requirements. In regard to special home loans, which carry lower interest in the initial years, RBI required banks to provide higher provision of 2% (as against the usual rate of 0.4%), as these loans are considered riskier. Your Bank has adhered to very conservative underwriting policies in respect of such loans, which are all Standard. As such, the additional provision would, therefore, be written back in the Bank's books, when these loans revert to the usual card rates of interest. Similarly, the additional provision for enhancing the provision coverage ratio (so as to reach a coverage of 70%, as against the specific asset-wise coverage of around 59% for SBI) is also in the nature of additional comfort in the balance sheet and is expected to be written back when the underlying exposures are resolved.

Your Bank has also been required to make substantial provisions towards additional liability for enhanced superannuation benefits, arising out of wage revision and increase in the ceiling of gratuity. These, along with higher tax provisions, have led to a decrease of 9.84% in net profit, at ₹ 8,265 crores, compared to ₹ 9,166 crores in 2009-10.

Provision for an amount of ₹ 7,927 crores was also made by directly charging to reserves, on account of the additional pension cost in respect of earlier years (2007-10), due to wage revision. I am happy to share with you that despite this drawdown from reserves, your Bank's capital adequacy remains well above the 9% norm stipulated by RBI. As per Basel II, the capital adequacy ratio of the Bank was 11.98% (Tier I : 7.77%) at the end of March'11 (against 13.39% at the end of March'10).

Net profit of Associate Banks increased by 21.62% to reach a level of ₹ 3,598 crores in FY'11 from ₹ 2,959 crores in FY'10.

In an increasingly competitive scenario, your Bank's focus on efficiency has paid off. Net Interest Margin (NIM) rose by 66 bps to 3.32% in FY'11 from 2.66% in FY'10, due to faster increase in interest income (14.65%) than interest expenses (3.27%). Driven by loan growth of 20.32%, interest income on advances has increased by 18.45% yoy in FY'11 against a growth of 9.11% in FY'10. Growth in interest expenses was contained mainly due to CASA deposits growth of 22.14%. Consequently, net interest income increased by 37.41% to ₹ 32,526 crores against 13.41% rise recorded in FY'10. Fee income also recorded a handsome rise of 20% in FY'11. Non interest income rose by 5.72% despite profit on sale of investments declining by ₹ 1,196 crores in a rising interest rate scenario. Excluding profit on sale of investments, non interest income is up by 15.97%.

परिचालन खर्च में वित्त वर्ष 2010 की 29.84% वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2011 में 13.27% की कम वृद्धि हुई। इस कारण आपके बैंक का खर्च-आय अनुपात वित्त वर्ष 2011 में 50% के मनोवैज्ञानिक स्तर से गिरकर 47.60% पर आ गया जो वित्त वर्ष 2010 में 52.59% पर था। जमाराशियों की औसत लागत मार्च 2010 के स्तर 5.80% से 54 आधार अंक गिरकर मार्च 2011 में 5.26% पर आ गई, तथापि यह दिसंबर 2010 के स्तर से क्रमिक रूप से 5.20% से अधिक है। इसी अवधि में अग्रिमों पर प्रतिफल 9.66% के स्तर से 10 आधार अंक कम 9.56% और दिसंबर 2010 में 2 आधार अंक कम 9.58% पर रहा।

आपके बैंक की जमाराशियों में मार्च 2010 के स्तर ₹ 8,04,116 करोड़ से वर्ष-दर-वर्ष 16.14% की वृद्धि हुई और कासा जमाराशियों में 22.14% की वृद्धि के कारण मार्च 2011 में यह ₹ 9,33,933 करोड़ रहीं। बचत बैंक जमाराशियों में 26.20% की खासी वृद्धि होने से कासा जमाराशियों का अनुपात मार्च 2010 के 46.67% से 199 आधार अंक बढ़कर मार्च 2011 मे 48.66% हो गया। आपको यह देखकर प्रसन्नता होगी कि उत्तरोत्तर बढ़ती प्रतिस्पर्धा वाले परिवेश में कुल जमाराशियों के मामले में आपके बैंक की बाजार में हिस्सेदारी मार्च 2010 के 16.29% के मुकाबले 11 आधार अंक बढ़कर मार्च 2011 में 16.40% हो गई। इसी अवधि में कम लागत वाली मांग जमाराशियों में बैंक का बाजार अंश 17.33% से 90 आधार अंक ऊपर 18.23% रहा।

आपके बैंक के कुल अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष 20.32% की वृद्धि दर्ज की गई और ये मार्च 2010 के स्तर ₹ 6,41,480 करोड़ से मार्च 2011 में ₹ 7,71,802 करोड़ पर पहुँच गए। मार्च 2011 के अंत में देश में ऋण जमा अनुपात 76.32% रहा जो मार्च 2010 के अंत के 73.56% से 276 आधार अंक अधिक था। बीच में, दिसंबर 2010 के अंत में इसमें 77.22% के स्तर से गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट वित्त वर्ष 2011 की चौथी तिमाही में जमाराशियों में पहले से अधिक वृद्धि होने के कारण आई।

आपके बैंक के अग्रिम सभी खंडों में अच्छी मात्रा में उपलब्ध कराए गए। बड़े कारपोरेट अग्रिम मार्च 2010 के स्तर ₹ 88,137 करोड़ से 23.38% बढ़कर मार्च 2011 में ₹ 1,08,741 करोड़ पर पहुँच गए। मध्य कारपोरेट अग्रिम ₹ 1,31,939 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,57,565 करोड़ पर पहुँच गए और इस प्रकार इनमें वर्ष-दर-वर्ष 19.42% की वृद्धि दर्ज की गई। खुदरा अग्रिमों में 22.04% की वृद्धि हुई। ये मार्च 2010 के स्तर ₹ 1,34,849 करोड़ से बढ़कर मार्च 2011 में ₹ 1,64,576 करोड़ के हो गए। यह वृद्धि मुख्यतया गृह ऋणों में 21.88%, वाहन ऋणों में 48.01% और शिक्षा ऋणों में 23.27% वृद्धि होने के कारण हुई।

बैंक के एसएमई अग्रिमों में 22.80% की वृद्धि हुई। ये मार्च 2010 में ₹ 97,459 करोड़ थे जो मार्च 2011 के अंत में ₹ 1,19,676 करोड़ पर पहुँच गए। कृषि अग्रिमों में 21.18% की बढ़ोतरी हुई और ये ₹ 94,826 करोड़ के हो गए। अंतरराष्ट्रीय अग्रिम मार्च 2010 के स्तर ₹ 97,072 करोड़ से 12.66% बढ़कर मार्च 2011 में ₹ 1,09,358 करोड़ पर पहुँच गए।

ऋणों में बढ़ोतरी के साथ साथ आपका बैंक आस्ति गुणवत्ता के प्रति भी सजग रहा। हालांकि मार्च 2011 में एनपीए 3.28% पर थे जो मार्च 2010 के 3.05% के मुकाबले अधिक है, पर अधिक मात्रा में प्रावधान करने के कारण शुद्ध एनपीए इसी अवधि में 1.72% से कम होकर 1.63% पर आ गए। सितंबर 2010 में 70 प्रतिशत प्रावधान करने की शर्त को पूरा करने के लिए एसबीआई को ₹ 3,430 करोड़ की प्रति चक्रीय राशि सुरक्षित रखनी पड़ी थी। इसमें से बैंक ने मार्च 2011 में ₹ 2,330 करोड़ की राशि अलग रखी।

With lower growth in operating expenses at 13.27% in FY'11 against growth of 29.84% in FY'10, your Bank's cost–income ratio fell below the psychological threshold of 50% to 47.60% in FY'11 from 52.59% in FY'10. Average cost of deposits has come down by 54 bps to 5.26% in March'11 from 5.80% in March'10, though sequentially it is up from 5.20% in December'10. In the same period, the yield on advances at 9.56% was 10 bps lower than 9.66% and 2 bps lower than 9.58% in December'10.

Deposits of your Bank rose to 16.14% yoy from ₹ 8,04,116 crores in March'10 to ₹ 9,33,933 crores in March'11, driven by CASA growth of 22.14%. With sustained 26.20% rise in Savings Bank deposits, CASA ratio improved from 46.67% in March'10 to 48.66% in March'11, an increase of 199 bps. You will be happy to see that in an increasingly competitive environment, your Bank's market share in total deposits at 16.40% in March'11 was 11 bps higher than 16.29% in March'10. In the same period, your Bank's market share in low cost demand deposits at 18.23% was 90 bps higher than 17.33%.

Gross Advances of your Bank recorded a yoy growth of 20.32% from ₹ 6,41,480 crores in March'10 to ₹ 7,71, 802 crores in March'11. Credit Deposit Ratio (Domestic) at 76.32% as at the end of March'11 was 276 bps higher than 73.56% at the end of March'10; sequentially, however, it has declined from 77.22% at the end of December'10 due to higher growth in deposits in Q4FY'11.

Your Bank's advances remain well distributed across all verticals. Large Corporate advances have grown from ₹ 88,137 crores in March'10 to ₹ 1,08,741 crores in March'11, registering a growth of 23.38%. Mid-Corporate Advances increased from ₹ 1,31,939 crores to ₹ 1,57,565 crores thereby registering a yoy growth of 19.42%. Retail advances grew 22.04% from ₹ 1,34,849 crores in March'10 to ₹ 1,64,576 crores in March'11, mainly driven by 21.88% rise in Home loans, 48.01% in Auto Loans and 23.27% in Education Loans.

SME Advances of the Bank rose by 22.80% from ₹ 97,459 crores in March'10 to ₹ 1,19,676 crores as at the end of March'11, while Agri advances rose 21.18% from ₹ 78,250 crores to ₹ 94,826 crores. International advances went up by 12.66% from ₹ 97,072 crores in March'10 to ₹ 1,09,358 crores in March'11.

Along with increase in credit, your Bank is conscious about asset quality. Though gross NPAs stood at 3.28% in March'11 against 3.05% in March'10, increased provisioning saw net NPAs move down from 1.72% to 1.63% in the same period. To comply with the 70 per cent provision coverage as of September 2010, SBI had to create a ₹ 3,430 crores of counter cyclical buffer. Of this, the Bank has set aside ₹ 2,330 crores by March 2011.

ग्राहक के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराते हुए आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने के लिए अनेक नवोन्मेषी प्रयास किए। अनेक प्रकार की मोबाइल बैंकिंग सेवाएँ जैसे पैसा ट्रांस्फर करने के लिए अनुरोध, पूछताछ सेवाएं, डीमैट खाता संबंधी पूछताछ, चैक बुक के लिए अनुरोध, बिल भुगतान, मोबाइल टॉप अप, डी टी एच रीचार्ज, एसबीआई लाइफ प्रीमियम भुगतान, टोल टैक्स अदा करने के लिए ई-टैग रीचार्ज, मर्चेंट भुगतान और अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवाएँ (आईएमपीएस) वर्तमान में उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान एसएमएस बैंकिंग प्रारंभ की गई। मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने वालों की संख्या वर्ष के अंत तक दस लाख को पार कर गई।

दो नए व्यवसाय अर्थात कस्टोडियल सेवाएँ और साधारण बीमा सफलतापूर्वक प्रारंभ किए गए और इन्हें सुस्थापित किए जाने की प्रक्रिया जारी है। सात प्रमुख क्षेत्रों अर्थात मोबाइल बैंकिंग, मर्चेंट अधिग्रहण व्यवसाय, एसएमई चालू खाता और सप्लाई चेन वित्तपोषण, बचत बैंक, नकदी प्रबंध उत्पाद, अनिवासी भारतीय धनप्रेषण और सरकारी व्यवसाय का चयन किया गया है जिससे आक्रामक कारोबारी योजनाओं के लिए रणनीतियाँ तैयार की जा सकें, प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया जा सके और संगठनात्मक स्तर पर उनके अनुरूप संरचनाएँ स्थापित की जा सकें।

आपका बैंक कम से कम लागत पर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एसबीआई टाइनी कार्ड, इंटरनेट समर्थित पीसी (कियो) पर कियो बैंकिंग का संचालन किया जा रहा है। कुछ केंद्रों पर बायोमेट्रिक पहचान की भी व्यवस्था की गई है। व्यवसाय प्रतिनिधियों / व्यवसाय सुलभकर्ताओं आदि की नियुक्ति की गई है। स्वयं सहायता समूह बैंक ऋण जुड़ाव कार्यक्रम में बैंक बाजार में सबसे आगे है (31.03.2010 को बाजार अंश लगभग 29.88% था)। इसके अंतर्गत अब तक 18.90 लाख स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराए गए हैं (वित्त वर्ष 2011 के दौरान 1.78 लाख स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराए गए) और 31.03.2011 तक कुल मिलाकर ₹ 14,500 करोड़ की राशि के ऋण संवितरित किए गए। स्वयं सहायता समूह क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह सहयोग निवास और स्वयं सहायता समूह स्वर्ण कार्ड प्रारंभ किए गए हैं। व्यष्टि बीमा उत्पाद-ग्रामीण शक्ति की परिधि बढ़ाई गई है और अब तक 1.14 मिलियन लोगों के जीवन बीमा किए जा चुके हैं। बाह्य माध्यमों से सेवा प्रदान करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए आपके बैंक ने 31 मार्च 2011 को 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 6,599 बैंक रहित आबंटित गांवों में अपनी सेवाएँ मुहैया कराईं जबकि वर्ष के लिए 5261 गाँवों का लक्ष्य था। आपका बैंक सरकारी प्रसुविधाओं के भुगतान की परियोजना इलेक्ट्रानिक प्रसुविधा अंतरण (ईबीटी) के क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी है और छह राज्यों में इसकी भागीदारी है। लगभग 24 लाख लाभार्थियों को बीसी चैनल के माध्यम से सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एसबीआई पहला ऐसा बैंक है जिसने रजिस्ट्रार बनने के लिए यूआईडीएआई के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। पंजीकरण सूचना का उपयोग 'यूआईडी समर्थित' खाते खोलने में किया जाएगा। राज्य सरकारों के बाद एसबीआई ने 31.03.2011 तक सर्वाधिक 9.50 लाख से अधिक पंजीकरण किए हैं।

आपका बैंक विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ाता जा रहा है। विदेश स्थित कार्यालयों की संख्या 31 मार्च 2010 को 142 थी जो 31 मार्च 2011 को बढ़कर 156 हो गई। ये कार्यालय 32 देशों में फैले हैं। विदेश स्थित शाखाओं (अनुषंगियों को छोड़कर) का आस्ति स्तर मार्च 2010 में 27.78 बिलियन अमरीकी डॉलर से 15% बढ़कर मार्च 2011 में 31.87 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुँच गया। वित्त वर्ष 2011 के दौरान ग्राहक ऋणों में 13% की वृद्धि हुई और ये 21,561 मिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से बढ़कर 24,371 मिलियन

Reaffirming its commitment to the customer, your Bank has taken several new initiatives to expand the bouquet of choices for its customers. A host of Mobile Banking services such as Fund Transfers, Enquiry Services, Demat Account Enquiry, Cheque book request, Bill payment, Mobile top up, DTH recharge, SBI Life Premium Payment, E-tag recharge to pay toll tax, Merchant payments and Inter Bank Mobile Payment Services (IMPS) are currently being offered. SMS Banking was introduced during the last quarter of the year. The Mobile Banking user base has crossed one million by the end of the year.

Two new lines of business viz. Custodial Services and General Insurance have been successfully set up and are in the process of stabilization. Seven niche areas viz. Mobile Banking, Merchant Acquisition Business, SME Current account and Supply Chain Finance, Savings Bank, Cash Management Product, NRI remittances and Government business have been identified for strategising aggressive business plans, improving processes and matching organizational structures.

Your Bank has leveraged technology to expand financial inclusion with minimal costs and offers SBI Tiny Card, Kiosk Banking operated at internet enabled PC (Kiosk) with bio-metric validation at select centres, appointing Business Correspondents / Business Facilitators, etc. The Bank is the market leader (market share around 29.88% as on 31.03.2010) in SHG-Bank Credit Linkage programme having credit linked so far 18.90 lac SHGs (1.78 lac SHGs credit linked during FY'11) and disbursed loans to the extent of ₹ 14,500 crores (cumulative) up to 31.03.2011. Several unique products like SHG Credit Card, SHG Sahayog Niwas and SHG Gold Card have been rolled out. Coverage of Micro Insurance product - Grameen Shakti has been extended and so far 1.14 million lives have been covered. To expand its outreach, your Bank has covered 6,599 allocated unbanked villages with population more than 2000 as at 31st March 2011 as against the target of 5,261 villages for the year. Your Bank is a major player in Electronic Benefit Transfer (EBT) project of Government benefit payments, with participation in six States and about 24 lac beneficiaries have been serviced through the BC channel.

I am happy to place on record that SBI is the first Bank to sign MoU with UIDAI to become a Registrar. The enrolment data will be used for opening 'UID enabled' accounts. After State Governments, SBI is the top enroller with more than 9.50 lac enrollments done up to 31.03.2011.

Your Bank has been steadily expanding its global footprints. The number of foreign offices increased from 142 as on 31st March 2010 to 156 as on 31st March 2011 spread across 32 countries. The asset level of foreign branches (excluding subsidiaries) rose by 15%, from USD 27.78 billion in March 2010 to USD 31.87 billion in March 2011. During FY'11, net customer credit grew by 13% from USD 21,561 million to USD 24,371 million, customer deposits grew by

अमरीकी डॉलर पर पहुँच गए। ग्राहक जमाराशियों में भी 15% की वृद्धि हुई और ये 9,568 मिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से बढ़कर 11,030 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गईं। शुद्ध लाभ भी 50% बढ़कर 330 मिलियन अमरीकी डॉलर पर जा पहुँचा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 31 मार्च 2008 से बेसल 2 संरचना को अपना लिया है। बैंक ऋण जोखिमों का आकलन मानकीकृत पद्धति और परिचालन जोखिम का आकलन मूल संकेतक पद्धति के आधार पर करता है। बैंक बाजार जोखिम के आकलन के लिए 31 मार्च 2006 से मानकीकृत अवधि पद्धति कार्यान्वित कर चुका है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपके बैंक द्वारा एक सुरक्षित, ठोस, बृहद वैन नेटवर्क अपने स्वयं के उपकरणों द्वारा निर्मित किया गया है। यह नेटवर्क लीज लाइनों, वी सैट और सीडीएमए टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टेट बैंक समूह की 19,347 शाखाओं/कार्यालयों और 25,005 एटीएमों को जोड़ता है। स्टेट बैंक समूह ने वर्ष के दौरान 25,000 वां एटीएम शुरू करके एक बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है। देश में स्थित शाखाओं में सीबीएस की शुरुआत आधुनिकतम केंद्रीकृत आधारभूत संरचना के आधार पर की गई है। इससे बैंक का कारोबार निर्बाध संचालित हो रहा है। इससे भविष्य में बड़े पैमाने पर बढ़ने वाले कारोबार का संचालन किया जा सकेगा। यह बहुविध वैकल्पिक माध्यमों से जुड़ा है, इससे लेन-देन की लागत में भी कमी आई है, कारोबार पहले की तुलना में कम खर्च में संचालित हो रहा है। एक दिन में सर्वाधिक 52 मिलियन लेन-देन प्रविष्टियाँ संपन्न हुईं अर्थात एक सेकंड में 1861 लेन-देन प्रविष्टियाँ निष्पादित हो जाती हैं। हालिया महीनों में 258 मिलियन खातों का संचालन हो रहा है। परिचालन स्तर पर बैंककर्मियों को लेन-देन प्रविष्टि की आन लाइन साथ साथ जांच करने की भी इसमें व्यवस्था उपलब्ध है। ई-ट्रेड इंटरनेट आधारित फ्रंट एंड अप्लीकेशन कारपोरेट ग्राहकों के लिए शुरू की गई है जिससे वे अपने विभिन्न प्रकार के व्यापार वित्त लेन-देन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

आपका बैंक अपने ग्रीन बैंकिंग अभियान के माध्यम से निरंतर विकास की प्रक्रिया को बल प्रदान कर रहा है। आपके बैंक ने देश भर में चुनिंदा शाखाओं में 1 जुलाई 2010 को अपने ग्रीन चैनल काउंटर की शुरुआत की जिससे कागज का उपयोग कम करने और लेन-देन में लगने वाले समय की बचत करने में सहायता मिल रही है। पवनचक्कियाँ महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में सफलतापूर्वक स्थापित की गई हैं और इससे उत्पन्न बिजली से हमारी शाखाओं / कार्यालयों में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। ऊर्जा बचत के अन्य उपायों में सौर एटीएमों की स्थापना करना भी शामिल है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए ग्राहकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें रियायती ब्याज दरों पर परियोजना ऋण दिए जा रहे हैं। उन्हें नवीनतम प्रौद्योगिकी अंगीकृत करके किफायती निर्माण प्रणालियाँ अपनाने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। आपके बैंक द्वारा कार्बन उत्सर्जन स्तर के मापन के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है जिससे कम खर्च में निरंतर ऊर्जा का उपयोग करने में सहायता मिलेगी।

आपके बैंक के सहयोगी और अनुषंगी लगातार बढ़िया विकास दर दर्ज कर रहे हैं। वर्ष के दौरान एसबीआई लाइफ का कुल प्रीमियम ₹ 12,000 करोड़ के स्तर को पार कर गया और कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2011 में ₹ 366 करोड़ का लाभ दर्ज किया गया। वर्ष-दर-वर्ष शानदार विकास दर अर्जित करके इसने अपना बाजार अंश वित्त वर्ष 2010 के स्तर 18% से बढ़ाकर 19.22% कर लिया। एसबीआई को संगठनात्मक उत्कर्ष के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप 2010-11 अवार्ड प्राप्त हुआ। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. ने वित्त वर्ष 2011 के दौरान ₹ 374.72 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया जबकि वित्त वर्ष 2010 में यह ₹ 137.12 करोड़ रहा था। इस प्रकार इसमें 172% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि शुल्क आय में हुई 81% की और

15%, from USD 9,568 million to USD 11,030 million and net profit rose by 50%, to USD 330 million.

In accordance with RBI guidelines, the Bank has migrated to the Basel II framework, with the Standardised Approach for Credit Risk and Basic Indicator approach for Operational Risk w.e.f. March 31, 2008, having already implemented the Standardised Duration Method for Market Risk w.e.f. March 31, 2006.

In the realm of Information Technology, your Bank has implemented a secure, robust scalable WAN architecture network built with equipments owned by SBI, connecting 19,347 Branches/Offices and 25,005 ATMs of State Bank Group through leased lines, VSATs and CDMA technology. The State Bank Group crossed an important milestone of rolling out 25,000th ATM during the year. CBS roll out across the domestic branches is supported with a state-of-the-art centralized infrastructural setup, providing uninterrupted continuity of the Bank's operations. It facilitates the scalability for future growth, interfacing with multiple alternate channels, reduction in transaction costs, improved operating efficiency. Milestones of 52 million peak transactions in a day, 1,861 transactions per second and managing 258 million accounts have been achieved in recent months. Operatives have been provided with tools for on-line real time transaction verification. E-Trade – internet based front end application have been rolled out for corporate customers for processing various trade finance transactions.

Your Bank has been supporting sustainable growth through its Green Banking initiatives. Your Bank launched its 'Green Channel Counter' on the 1st July 2010, at select branches across the country, for reduction in paper usage as well as saving of transaction time. Windmills have been successfully commissioned in Maharashtra, Tamil Nadu and Gujarat and power thus generated is being wheeled to our branches/offices. Other energy efficient measures include installation of Solar ATMs. To encourage customers to reduce emission of Green House Gases your Bank has been extending project loans on concessionary interest rates, encouraging them to adopt efficient manufacturing practices through acquisition of latest technology. A pilot project to map its Carbon footprint levels has been launched by your Bank which will help in sustainable usage of energy in a cost effective way.

Your Bank's Associates and Subsidiaries continued to show robust growth. During the year, gross premium of SBI Life crossed the ₹ 12,000 crores mark and the company recorded a profit of ₹ 366 crores in FY'11, clocking an impressive yoy growth of 33% and raising its market share to 19.22% from 18% in FY'10. SBI Life received the NDTV Profit Business Leadership 2010-11 award for organisational excellence. SBI Capital Markets Ltd. posted a PAT of ₹ 374.72 crores during FY'11 against ₹ 137.12 crores in FY'10, a yoy growth of

इन्फ्रास्ट्रक्चर समूह की आय में 85% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के कारण हुई। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एसबीआई कैप्स को थॉमसन रॉयटर्स द्वारा लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल पीएफ लोन के लिए नंबर वन मैंडेटिड लीड अरेंजर, डीलॉजिक द्वारा लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल पीएफ लोन के लिए सर्वश्रेष्ठ मैंडेटिड लीड अरेंजर, थॉमसन रायटर्स द्वारा लगातार तीसरे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बैंक और आईएफआर एशिया द्वारा लगातार दूसरे वर्ष लोन हाउस आफ द इयर अवार्ड प्राप्त हुए।

पिछले तीन वर्षों में लगातार हानियाँ दर्ज करने के पश्चात एसबीआई कार्ड्स ने शानदार वापसी की और वित्त वर्ष 2011 में ₹ 7.10 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी सर्वाधिक विश्वसनीय क्रेडिट कार्ड ब्रांड रही। इसे रीडर्स डाइजेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स सर्वे 2010 में निर्विवादित गोल्ड अवार्ड विजेता चुना गया। एसबीआई पेंशन फंड ने 31 मार्च 2011 को ₹ 3,764 करोड़ की प्रबंध अधीन आस्तियाँ (एयूएम) दर्ज की गईं और यह सरकारी और असंगठित क्षेत्र दोनों में क्रमश: 44% और 64% हिस्सेदारी के साथ प्रबंध अधीन आस्तियों के मामले में सबसे आगे रहा।

आपके बैंक ने अनेक अवार्ड हासिल किए। इनमें कुछ इस प्रकार हैं - एसबीआई होम लोन ने भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लोन में अपना अग्रणी स्थान बरकरार रखा और सीएनबीसी आवाज कंज्यूमर अवार्ड्स में वर्ष 2006 के बाद लगातार पांच वर्षों से इसे यह स्थान हासिल है । मोबाइल बैंकिंग क्षेत्र में आपके बैंक को जून 2010 में मोबाइल बैंकिंग और भुगतान समाधान में सूचना प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रतिष्ठित आईडीआरबीटी अवार्ड प्राप्त हुआ। अन्य अवार्डों में ग्रीन एटीएम की स्थापना करने के लिए दि बैंकर पत्रिका द्वारा बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2010, नेसकॉम सीएनबीसी आईटी यूजर अवार्ड 2010, वीज़ा 2009 ग्लोबल सर्विस अवार्ड बैंक के एटीएम सह-डेबिट कार्ड लेन-देन को पूरा करने में सबसे कम समय लेने के लिए, आईबीए टेक्नोलॉजी अवार्डों के अंतर्गत बेस्ट कस्टमर इनिशिएटिव और बेस्ट ऑनलाइन बैंकिंग अवार्ड दिया गया।

मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक के निदेशक बोर्ड ने 31मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भी ₹ 30 प्रति शेयर (300%) की दर से लाभांश की घोषणा की है।

भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर विकास दर में ऊर्जा का संचार कर नव जीवन प्रदान करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। आपका बैंक भारत और विदेश दोनों में इस विकास के चलते उत्पन्न होने वाले वित्तपोषण के नए अवसरों के प्रति सजग रहेगा। इसके साथ साथ अपनी प्रमुख शक्तियों को लगातार बढ़ाने और नई से नई ऊँचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत रहेगा।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,

आपका,

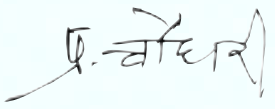

(प्रतीप चौधरी)

172%, driven by an increase of 81% in fee income, and 85% yoy growth in revenue for infrastructure Group. I am happy to announce that SBI Caps was ranked No. 1 Mandated Lead Arranger for Global PF Loan for the second successive year by Thomson Reuters, Mandated Lead Arranger Global PF Loans for second consecutive year by Dealogic, Bank of the Year award for Asia Pacific for third consecutive year by Thomson Reuters and Loan House of the Year Award for the second consecutive year by IFR Asia.

After recording continuous losses for preceding three years, SBI Cards has scripted an impressive turnaround and posted a net profit of ₹ 7.10 crores in FY'11. The company remained the most trusted credit card brand by being the undisputed Gold Award winner in the Reader's Digest Trusted Brands Survey 2010. SBI Pension Fund recorded AUM of ₹ 3,764 crores as on 31st March 2011 and remained the leader in both Government and unorganised sector in respect of AUM with a share of 44% and 64% respectively.

Your Bank has received several awards. To name a few, SBI Home Loan has maintained its position as India's "Most Preferred Home Loan" brand in CNBC-Awaaz consumer awards continuously for five years since 2006. In the Mobile Banking space, in June 2010 your Bank received the Prestigious IDRBT award for 'Best use of technology for mobile banking and payment application.' Other awards include The Banker - Innovation in Banking Technology Award 2010 for GREEN ATM installation, the NASSCOM CNBC IT User Award 2010, VISA 2009 Global Service Award under which the Bank's ATM cum debit card was declared to have the lowest transaction response time, and IBA Technology Award: Best Customer Initiative and Best Online Banking.

I am happy to announce that the Board of Directors of your Bank has declared a dividend @ ₹ 30 per share (300%) for the year ended 31st March 2011 also.

Going forward, the Indian economy is seen as one of the engines powering growth and reshaping the global landscape. Your Bank will remain alert to the new opportunities for financing this growth both in India and abroad, while at the same time continuing to consolidate and build on its core competencies.

With warm regards,

Yours sincerely,

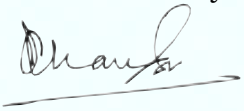

(PRATIP CHAUDHURI)

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रबंधन विवेचन और विश्लेषण

आर्थिक पृष्ठभूमि और बैंकिंग परिवेश

भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है और सूझबूझ से किए गए प्रयासों के कारण वर्ष 2007-09 के वैश्विक संकट के बुरे प्रभाव से उबर चुकी है। जीडीपी में वित्त वर्ष 2009 में 6.8% और वित्त वर्ष 2010 में 8.0% की वृद्धि के मुकाबले वित्त वर्ष 2011 में 8.5% की वृद्धि हुई । कृषि क्षेत्र में जबरदस्त सुधार दिखाई दिया और इसमें वित्त वर्ष 2011 में 6.6% की वृद्धि हुई जबकि वित्त वर्ष 2010 में 0.4% की मामूली सी वृद्धि हुई थी। जीडीपी की ऊंची विकास दर में भी कृषि क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा।

औद्योगिक विकास भी कुल मिलाकर संतोषजनक रहा पर इसमें उतार-चढ़ाव होता रहा। वर्ष 2010-11 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7.8% की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 10.5% की वृद्धि हुई थी, हालांकि वृद्धि दर अप्रैल 2010 में 16.6% से दिसंबर 2010 की 2.6% के बीच घटती-बढ़ती रही। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 12 महीनों में से चार महीनों के दौरान 10% से अधिक, पांच महीनों में 5% से कम और तीन महीनों में लगभग 7% रहा। उपभोक्ता वस्तुओं (20.9%), मध्यवर्ती वस्तुओं (8.8%) और पूँजीगत वस्तुओं (9.3%) में वित्त वर्ष 2011 में कुल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई परंतु विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर वित्त वर्ष 2010 की 8.8% की तुलना में वित्त वर्ष 2011 में 8.3% रह गई। जीडीपी में सेवा क्षेत्र का पांच में से लगभग तीसरा हिस्सा रहता है। इसकी वित्त वर्ष 2010 की 9.7% वृद्धि दर की तुलना में वित्त वर्ष 2011 में 9.2% वृद्धि दर रही। ऐसा मुख्यतया 'सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं' की वृद्धि दर नरम रहने के कारण हुआ। इसकी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2011 में 7.0% रही जबकि वित्त वर्ष 2010 में 11.8% रही थी। फिर भी, 'व्यापार, होटल, परिवहन और संचार' तथा 'वित्त, बीमा, रियल इस्टेट और व्यवसाय सेवा क्षेत्र' में वित्त वर्ष 2011 में उच्चतर वृद्धि क्रमश: 10.3% (वित्त वर्ष 2010 में 9.7%) और 9.9% (वित्त वर्ष 2010 में 9.2%) दर्ज हुई ।

विकसित देशों में वाणिज्यिक निर्यातों की विकास दर तेज रहने के चलते इनमें वित्त वर्ष 2011 में 37.6% की वृद्धि हुई जबकि आयातों में 21.6% की वृद्धि हुई जिससे व्यापार घाटा घटकर 104.8 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर आ गया जो वित्त वर्ष 2010 के 109.6 बिलियन अमरीकी डॉलर स्तर से थोड़ा नीचे है। विदेशी विनिमय बाजार में क्रमिक उतार-चढ़ाव देखा गया और रुपया वित्त वर्ष 2011 के दौरान उछलकर ₹ 45.57 प्रति अमरीकी डॉलर पर आ गया जबकि वर्ष 2009-10 में औसतन ₹ 47.46 प्रति अमरीकी डॉलर पर रहा था। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा वित्त वर्ष 2010 के 29.0 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2011 में 29.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि का निवेश किया गया जो देश की अर्थव्यवस्था में सुधार का परिचायक है। वर्ष के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 26.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि हुई और यह 305.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया।

हालांकि विकास दर अच्छी रही पर खाद्यान्नों, ईंधन और पण्य वस्तुओं की ऊंची कीमतों के कारण मुद्रास्फीति चिंता का एक प्रमुख विषय बनी रही। अप्रैल से जून 2010 के दौरान मुद्रास्फीति के दो अंकों में सुर्खियों में बने रहने के बाद अगस्त 2010 में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति घटकर 8.9% और नवंबर 2010 में फिर से घटकर 8.2% पर आ गई किंतु दिसंबर 2010 में यह स्थिति पलट गई और जरूरी खाद्य वस्तुओं तथा ईंधन की कीमतों के अचानक बढ़ जाने के कारण मुद्रास्फीति बढ़कर 9.4% तक पहुंच गई। अंत में, मार्च 2011 तक, वर्ष-दर-वर्ष थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 9.02% पर आ गई जो मार्च 2010 के स्तर 10.36% से कम थी।

मुद्रास्फीति की चिंताजनक स्थिति के चलते भारतीय रिजर्व बैंक को 20 अप्रैल 2010 और 17 मार्च 2011 के बीच कठोर मौद्रिक नीति अपनानी पड़ी। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो और रिवर्स रेपो दर में सात बार वृद्धि की। वर्ष के दौरान रेपो दर 175 आधार अंकों की वृद्धि करके 5.0% से 6.75%, रिवर्स रेपो दर 225 आधार अंकों की वृद्धि करके 3.50% से 5.75% कर दी गई और आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 25 आधार अंकों की वृद्धि करके इसे 5.75% से 6.0% कर दिया गया। अक्तूबर 2010 में व्यस्ततम अवधि से कठोर मौद्रिक नीति अपनाने और ऋणों में अचानक वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में नकदी की स्थिति कठोर रही। नकदी पर दबाव कम करने और सभी क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई उपाय किए जैसे दूसरी नकदी समायोजन सुविधा शुरू करना, खुले बाजाार में प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय जिसमें ₹ 48,000 करोड़ मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद शामिल है और एसएलआर में कटौती करना, शुरू में 200 आधार अंकों की अस्थायी कटौती करके इसे 25% से 23% करना और बाद में दिसंबर 2010 में 100 आधार अंकों की स्थायी कटौती करके इसे 24% पर लाना।

इन सभी उपायों से बैंकिंग क्षेत्र में ऋण देने में सहायता मिली जो अखिल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋणों में 21.5% की वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुई। यह वृद्धि जमाराशियों में 15.9% की धीमी वृद्धि के बावजूद हुई। नीतिगत प्रभाव के चलते वर्ष के दौरान जमाराशियों और ऋणों दोनों की ब्याज दरों में वृद्धि हुई। बड़े बैंकों का पीएलआर

Directors' Report

Management Discussion And Analysis

Economic Backdrop and Banking Environment

The Indian economy is back on track and has recovered smartly from the aftermath of the global crisis of 2007-09. GDP grew by 8.5% in FY'11 from 6.8% in FY'09 and 8.0% in FY'10. Strong recovery in the agriculture sector, which rose by 6.6% in FY'11 against negligible growth (0.4%) in FY'10, has been the key underlying driver of higher GDP growth.

Industrial growth has been generally satisfactory but volatile. During 2010-11, the Index of Industrial Production (IIP) grew by 7.8% against 10.5% in the previous year though growth has ranged from 16.6% in April 2010 to 2.6% in December 2010. The growth rate of IIP remained above 10% in four out of twelve months, below 5% in five months, and around 7% in three months. However, consumer durables (20.9%), intermediate goods (8.8%) and capital goods (9.3%) recorded higher growth than overall IIP growth in FY'11, taking manufacturing sector growth to 8.3% in FY'11 against 8.8% in FY'10. The services sector, accounting for around three-fifth of GDP, grew by 9.2% in FY'11 against 9.7% in FY'10 largely due to moderation in 'Community, Social and Personal Services', which rose by 7.0% in FY'11 against 11.8% in FY'10. Nevertheless, 'Trade, Hotels, Transport & Communication' and 'Financing, Insurance, Real Estate & Business Services' registered higher growth of 10.3% (9.7% in FY'10) and 9.9% (9.2% in FY'10) respectively in FY'11.

With pickup in the growth momentum in developed countries, merchandise exports rose smartly by 37.6% in FY'11, while imports rose by 21.6%, shrinking the trade deficit to US $104.8 bn, slightly lower than US $109.6 bn in FY'10. The forex market experienced orderly movements and saw the Rupee move up from average ₹ 47.46 per US dollar in 2009-10 to ₹ 45.57 per US dollar during FY'11. Revival in the domestic economy was reflected in rise in net FII inflows of US $29.4 bn in FY'11 against US $29.0 bn in FY'10. During the year, India's foreign exchange reserves rose by US $26.4 bn to US $305.5 bn.

While the growth outlook remained robust, the year saw inflation emerge as a major concern driven by high food, fuel and commodity prices. After remaining in double digits from April to June 2010, headline WPI inflation came down to 8.9% in August 2010 and softened further to 8.2% in November 2010 but the trend reversed in December 2010 and inflation rose to 9.4% led by sudden spurt in prices of primary food articles and fuels. By end-March 2011, yoy WPI inflation stood at 9.02%, lower than 10.36% in March 2010.

Inflation concerns prompted RBI's tight monetary policy stance; between 20 April 2010 and 17 March 2011, RBI increased the Repo and Reverse Repo rate seven times. During the year, the Repo Rate was raised by 175 bps from 5.0% to 6.75%, Reverse Repo rate by 225 bps from 3.50% to 5.75% and the Cash Reserve Ratio was hiked by 25 bps from 5.75% to 6.0%. Monetary tightening and sharp credit growth beginning from the busy season in October 2010 saw liquidity conditions in the system remain tight. To ease pressure on liquidity and ensure adequate credit availability for all sectors, RBI introduced several measures including opening second LAF window, open market operations including buyback of government securities worth ₹ 48,000 crores and cut in SLR, initially temporary cut by 200 bps from 25% to 23% followed by a permanent reduction of 100 bps to 24% in December 2010.

All these measures supported bank lending which is reflected in the 21.5% rise in ASCB credit despite muted growth of 15.9% in deposits. Reflecting policy transmission, interest rates on both deposits and credit hardened during the year. While PLR of

वित्त वर्ष 2010 में 11.0-12.0% था जो 200 आधार अंक बढ़कर वित्त वर्ष 2011 में 13.0%-14.0% हो गया, इसी अवधि में 1-3 वर्ष वाली जमाराशियों की ब्याज दरें 6.0-7.50% से बढ़कर 7.75-9.50% हो गईं। वर्ष के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण घटना यह रही कि जुलाई 2010 से आधार दर व्यवस्था शुरू कर दी गई जिससे ब्याज दरें और अधिक पारदर्शी हो गईं। प्रारंभ में बड़े बैंकों की आधार दर 7.5-8.25% के बीच रही किंतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कठोर मौद्रिक नीति अपनाए जाने के कारण यह मार्च 2011 तक बढ़कर 8.25%-9.50% पहुँच गई।

आईएमएफ के नवीन अनुमानों के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था में वर्ष 2010 में 5% की वृद्धि होने की संभावना है जो हाल के वर्षों में उच्चतम होगी। यद्यपि उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की विकास दर दमदार रही और अमरीका और यूरो क्षेत्र वाले देशों में विकास दर तेज हो रही है, तथापि मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में संकट के कारण विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार की गति अनिश्चित होती जा रही है। इसके अलावा, पहले से ऊंची खाद्यान्न और अन्य पण्य वस्तुओं की कीमतों पर तेल की कीमतों की वृद्धि की मार से मुद्रास्फीति की स्थिति और अधिक चिंताजनक हो गई है। विकास की चिंता दूर हुई तो मुद्रास्फीति और कठोर मौद्रिक नीति की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक हो गया। ऐसी स्थिति में देश कीमतों और वित्तीय स्थिरता से समझौता किए बिना उच्चतर विकास दर का लक्ष्य रखेंगे जिससे मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंकाओं के बीच संतुलन बनाए रखते हुए विकास दर भी बढ़ती रहे।

वित्तीय निष्पादन

लाभ

वर्ष 2010-11 के लिए बैंक का परिचालन लाभ ₹ 25,335.57 करोड़ रहा जबकि वर्ष 2009-10 में यह ₹ 18,320.91 करोड़ था । इस प्रकार इसमें 38.29 प्रतिशत की उत्कृष्ट वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2010-11 के लिए बैंक को ₹ 8,264.52 करोड़ का निवल लाभ हुआ जबकि वर्ष 2009-10 में यह ₹ 9,166.05 करोड़ रहा था। इस प्रकार इसमें 9.84 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई।

यद्यपि निवल ब्याज आय में 37.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अन्य आय में 5.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उच्चतर स्टाफ लागत और अन्य व्ययों के कारण परिचालन व्ययों में 13.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

लाभांश

बैंक ने पिछले वर्ष की तरह लाभांश ₹ 30/- प्रति शेयर (300%) की दर पर बरकरार रखा है।

निवल ब्याज आय

बैंक की निवल ब्याज आय में 37.41% की वृद्धि हुई और वर्ष 2010-11 में यह बढ़कर ₹ 32,526.41 करोड़ हो गई जबकि वर्ष 2009-10 में यह ₹ 23,671.44 करोड़ रही थी।

वर्ष के दौरान वैश्विक परिचालनों से सकल ब्याज आय ₹ 70,993.92 करोड़ से बढ़कर ₹ 81,394.36 करोड़ हो गई और इसमें 14.65% की वृद्धि दर्ज हुई। ऐसा मुख्यत: अग्रिमों एवं विनिधानों पर उच्चतर ब्याज आय होने के कारण हुआ।

अग्रिमों की राशि अधिक रहने से भारत में अग्रिमों पर ब्याज आय वर्ष 2010-11 में बढ़कर ₹ 56,960.97 करोड़ हो गई, जबकि वर्ष 2009-10 में यह ₹ 47,633.47 करोड़ थी। भारत में अग्रिमों पर औसत आय वर्ष 2009-10 के 9.66% से गिरकर वर्ष 2010-11 में 9.56% हुई। विदेश स्थित कार्यालयों के अग्रिमों पर ब्याज आय में 0.53% की मामूली सी वृद्धि हुई।

भारत में कोषीय परिचालनों में नियोजित संसाधनों से आय में 3.67% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण नियोजित औसत संसाधनों की मात्रा और औसत आय में वृद्धि होना था। यह औसत आय, जो वर्ष 2009-10 में 6.52% थी, वर्ष 2010-11 में बढ़कर 7.02% तक हो गई।

वैश्विक परिचालनों का कुल ब्याज व्यय वर्ष 2009-10 में ₹ 47,322.48 करोड़ था, जो वर्ष 2010-11 में बढ़कर ₹ 48,867.96 करोड़ हो गया। भारत में जमाराशियों पर ब्याज व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान 0.21% की कमी आई, जबकि भारत में जमाराशियों के औसत स्तर में 9.99% की वृद्धि हुई थी। जमाराशियों की औसत लागत वर्ष 2009-10 के स्तर 5.80% से घटकर वर्ष 2010-11 में 5.26% रह गई।

गैर-ब्याज आय

वर्ष 2010-11 में गैर-ब्याज आय की राशि ₹ 15,824.59 करोड़ रही, जबकि वर्ष 2009-10 में यह ₹ 14,968.15 करोड़ थी। इस प्रकार इसमें 5.72% की वृद्धि दर्ज हुई।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत और विदेश में स्थित अपने सहयोगी बैंकों/ अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों से लाभांश के रूप में ₹ 827.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 573.48 करोड़) प्राप्त किए।

परिचालन व्यय

ग्रेच्युटी एवं पेंशन के लिए उच्च प्रावधान करने और स्टाफ संख्या में वृद्धि होने से स्टाफ लागत में 13.53% की वृद्धि हुई और वर्ष

major banks rose by 200 bps from 11.0-12.0% in FY'10 to 13.0-14.0% in FY'11, rates for 1-3 year deposits rose from 6.0-7.50% to 7.75-9.50% in the same period. Another important development during the year was introduction of the Base Rate system from July 2010, bringing greater transparency in interest rates. Initially, base rate of major banks was in the range of 7.5-8.25% but following monetary tightening by RBI, this rose to 8.25-9.50% by March 2011.

Latest projections by IMF show that the global economy has grown by 5% in 2010, one of the highest in recent years. However, while growth in emerging market economies remains strong and growth in the US and the Euro area is gaining momentum, the sharp increase in oil prices as a result of the turmoil in the Middle East and North Africa is adding uncertainty to the pace of global recovery. Further, coming on top of already elevated food and other commodity prices, the spike in oil prices has engendered inflation concerns. With growth worries fading, the focus has shifted to inflation and policy tightening. So going forward, countries will aim to achieve higher growth without compromising on price and financial stability thus balancing inflation expectations and maintaining growth momentum.

Financial Performance

Profit

The Operating Profit of the Bank for 2010-11 stood at ₹ 25,335.57 crores as compared to ₹ 18,320.91 crores in 2009-10 registering an excellent growth of 38.29%. The Bank has posted a Net Profit of ₹ 8,264.52 crores for 2010-11 as compared to ₹ 9,166.05 crores in 2009-10 registering a decline of 9.84%.

While Net Interest Income recorded a growth of 37.41%, the Other Income increased by 5.72%, Operating Expenses increased by 13.27% attributable to higher staff cost and other expenses.

Dividend

The Bank has maintained dividend @ ₹ 30.00 per share (300%) as paid in the last year.

Net Interest Income

The Net Interest Income of the Bank registered a growth of 37.41% from ₹ 23,671.44 crores in 2009-10 to ₹ 32,526.41 crores in 2010-11. This was due to growth in interest income on advances and investments.

The gross interest income from global operations rose from ₹ 70,993.92 crores to ₹ 81,394.36 crores during the year registering a growth of 14.65%. This was mainly due to higher interest income on advances and investments.

Interest income on advances in India registered an increase from ₹ 47,633.47 crores in 2009-10 to ₹ 56,960.97 crores in 2010-11 due to higher volumes. The average yield on advances in India decreased from 9.66% in 2009-10 to 9.56% in 2010-11. Interest income on advances at foreign offices has grown moderately by 0.53%.

Income from resources deployed in Treasury operations in India increased by 3.67% mainly due to higher average resources deployed and increase in average yield. The average yield, which was 6.52% in 2009-10, has increased to 7.02% in 2010-11.

Total interest expenses of global operations increased from ₹ 47,322.48 crores in 2009-10 to ₹ 48,867.96 crores in 2010-11. Interest expenses on deposits in India during 2010-11 recorded a decrease of 0.21% compared to the previous year, whereas the average level of deposits in India grew by 9.99%. The average cost of deposits has declined from 5.80% in 2009-10 to 5.26% in 2010-11.

Non-Interest Income

Non-interest income stood at ₹ 15,824.59 crores in 2010-11 as against ₹ 14,968.15 crores in 2009-10 registering a growth of 5.72%.

During the year, the Bank received an income of ₹ 827.73 crores (₹ 573.48 crores in the previous year) by way of dividends from Associate Banks/ subsidiaries and joint ventures in India and abroad.

Operating Expenses

There was an increase of 13.53% in the Staff Cost from ₹ 12,754.65 crores in 2009-10 to ₹ 14,480.17 crores in 2010-11 attributable to higher gratuity and pension

2010-11 में इसकी राशि ₹ 14,480.17 करोड़ रही जबकि 2009-10 में यह ₹ 12,754.65 करोड़ रही थी। स्टाफ लागत में अतिरिक्त पेंशन प्रावधान से संबंधित ₹ 2,473.00 करोड़ की राशि और ग्रेच्युटी निधि में किए गए अतिरिक्त अंशदान से संबंधित ₹ 1,565.00 करोड़ की राशि शामिल है जबकि पिछले वर्ष में यह राशि क्रमश: ₹ 1,997.64 करोड़ और ₹ 46.41 करोड़ रही थी। पूर्ववर्ती वर्षों की देयताओं के संबंध में ₹ 7,927.41 करोड़ की अतिरिक्त पेंशन लागत को भारतीय रिज़र्व बैंक की विशेष अनुमति के अनुसार 'रिज़र्व अकाउंट' से वहन किया गया है।

अन्य परिचालन व्ययों में भी 12.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण भाड़े, करों और बिजली, विज्ञापन एवं प्रचार, बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास, कानूनी शुल्क, डाक, तार एवं टेलीफोन, मरम्मत और अनुरक्षण, बीमा और विविध व्ययों में वृद्धि होना था।

परिचालन व्यय जिसमें स्टाफ लागत और अन्य परिचालन व्यय शामिल हैं, में पिछले वर्ष की तुलना में 13.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

प्रावधान और आकस्मिकताएं

वर्ष 2010-11 के दौरान किए गए प्रावधानों की प्रमुख राशियां निम्नानुसार रहीं :

- विनिधानों पर मूल्यह्रास के संबंध में ₹ 646.75 करोड़ का प्रावधान किया गया। (जबकि वर्ष 2009-10 में विनिधानों पर मूल्यह्रास से संबंधित प्रतिलेखन की राशि ₹ 968.59 करोड़ रही थी)। इसमें परिपक्वता के लिए रोककर रखे गए' श्रेणी पर प्रीमियम के परिशोधन को शामिल नहीं किया गया।
- ₹ 976.82 करोड़ के आस्थगित कर रिवर्सल को छोड़कर कर प्रावधान के लिए ₹ 5,709.54 करोड़ (वर्ष 2009-10 में ₹ 1,407.75 करोड़ रुपए के आस्थगित कर जमा को छोड़कर ₹ 6,166.63 करोड़ था)।
- ₹ 8,792.09 करोड़ (राइट बैक को छोड़कर) अनर्जक आस्तियों के लिए (वर्ष 2009-10 में ₹ 5,147.85 करोड़ था)।
- मानक आस्तियों के लिए ₹ 976.60 करोड़ (वर्ष 2009-10 में ₹ 80.06 करोड़)। वर्तमान वर्ष के प्रावधानों सहित मानक आस्तियों (देशी कार्यालय) पर किए गए कुल प्रावधान की राशि ₹ 3,336.08 करोड़ थी।

आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष

- ₹ 2,479.36 करोड़ (वर्ष 2009-10 में ₹ 6,381.09 करोड़) की राशि सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरित की गई।
- ₹ 9.61 करोड़ (वर्ष 2009-10 में ₹ 114.05 करोड़) की राशि पूंजी आरक्षित निधि में अंतरित की गई।
- ₹ 2,729.87 करोड़ (वर्ष 2009-10 में ₹ 529.51 करोड़) की राशि अन्य आरक्षित निधियों में अंतरित की गई।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की विशेष अनुमति से पूर्ववर्ती वर्षों की देयताओं के संबंध में अतिरिक्त पेंशन लागत से संबंधित ₹ 7,927.41 करोड़ की राशि को सांविधिक आरक्षित खाते से अंतिरित किया गया है।

तालिका : प्रमुख निष्पादन संकेतक

संकेतक	भारतीय स्टेट बैंक		एसबीआई समूह	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
औसत आस्तियों पर आय (%)	0.71	0.88	0.70	0.88
ईक्विटी पर आय (%)	12.84	14.04	12.92	14.24
आय की तुलना में व्यय (%)				
(कुल निवल आय की तुलना में परिचालन व्यय)	47.60	52.59	58.32	63.10
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹)	130.16	144.37	168.28	184.82
प्रति शेयर न्यूनीकृत आय (₹)	130.16	144.37	168.28	184.82
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल-I)	10.69	12.00	11.02	11.89
श्रेणी-I	6.93	8.46	7.20	8.08
श्रेणी-II	3.76	3.54	3.82	3.81
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल-II)	11.98	13.39	12.26	13.49
श्रेणी-I	7.77	9.45	8.02	9.28
श्रेणी-II	4.21	3.94	4.24	4.21
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	1.63	1.72	1.56	1.57

provisioning and increased staff strength. Staff Cost included an amount of ₹ 2,473.00 crores towards additional pension provision and ₹ 1,565.00 crores towards additional contribution to Gratuity Fund as compared to ₹ 1,997.64 crores and ₹ 46.41 crores respectively in the previous year. The additional pension cost in respect of the liabilities of the earlier years amounting to ₹ 7,927.41 crores have been charged to 'Reserves Account' in accordance with RBI special dispensation.

Other Operating Expenses have also registered an increase of 12.84% mainly due to increase in expenses on rent, taxes and lighting, advertisement & publicity, depreciation on bank's properties, law charges, postage, telegrams and telephones, repairs & maintenance to the Bank's properties, insurance and miscellaneous expenditure.

Operating Expenses, comprising both staff cost and other operating expenses, have registered an increase of 13.27% over the previous year.

Provisions and Contingencies

Major amounts of provisions made in 2010-11 were as under:

- ₹ 646.75 crores towards provision for depreciation on investments, **excluding** amortization of premium on 'Held to Maturity' category (as against ₹ 968.59 crores towards write-back for depreciation on investments in 2009-10).
- ₹ 5,709.54 crores towards Provision for Tax, excluding deferred tax reversal of ₹ 976.82 crores (as against ₹ 6,166.63 crores in 2009-10 excluding deferred tax credit of ₹ 1,407.75 crores).
- ₹ 8,792.09 crores (net of write-back) for non-performing assets (as against ₹ 5,147.85 crores in 2009-10).
- ₹ 976.60 crores towards Standard Assets (as against ₹ 80.06 crores in 2009-10). Including the current year's provision, the total provision held on Standard Assets (domestic offices) amounts to ₹ 3,336.08 crores.

Reserves and Surplus

- An amount of ₹ 2,479.36 crores (as against ₹ 6,381.09 crores in 2009-10) was transferred to Statutory Reserves.
- An amount of ₹ 9.61 crores (as against ₹ 114.05 crores in 2009-10) was transferred to Capital Reserve Fund.
- An amount of ₹ 2,729.87 crores (as against ₹ 529.51 crores in 2009-10) was transferred to Other Reserve Funds.
- An amount of ₹ 7,927.41 crores has been transferred from Statutory Reserves on account of additional pension cost in respect of the liabilities of the earlier years in accordance with RBI special dispensation.

Table : Key Performance Indicators

Indicators	SBI		SBI Group	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Return on Average Assets (%)	0.71	0.88	0.70	0.88
Return on Equity (%)	12.84	14.04	12.92	14.24
Expenses to Income (%)(Operating Expenses to Total Net Income)	47.60	52.59	58.32	63.10
Basic Earnings Per Share (₹)	130.16	144.37	168.28	184.82
Diluted Earnings Per Share (₹)	130.16	144.37	168.28	184.82
Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-I)	10.69	12.00	11.02	11.89
Tier I	6.93	8.46	7.20	8.08
Tier II	3.76	3.54	3.82	3.81
Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	11.98	13.39	12.26	13.49
Tier I	7.77	9.45	8.02	9.28
Tier II	4.21	3.94	4.24	4.21
Net NPAs to Net Advances (%)	1.63	1.72	1.56	1.57

परिसंपत्तियाँ

बैंक की कुल परिसंपत्तियों में 16.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये मार्च 2011 के अंत तक बढ़कर ₹ 12,23,736.20 करोड़ हो गई, जबकि मार्च 2010 के अंत में ये ₹ 10,53,413.73 करोड़ थीं। इसी अवधि के दौरान, ऋण संविभाग में 19.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इनकी राशि ₹ 6,31,914.15 करोड़ से बढ़कर ₹ 7,56,719.45 करोड़ हो गई। मार्च 2011 के अंत में निवेशों में 0.06 प्रतिशत की मामूली सी कमी हुई और मार्च 2011 के अंत में इनकी राशि घटकर ₹ 2,95,600.57 करोड़ रही जबकि पहले यह ₹ 2,95,785.20 करोड़ रही थी। अधिकांश निवेश घरेलू बाजार में सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किया गया। देशीय अग्रिमों में बैंक का बाजार अंश मार्च 201। को 16.40 प्रतिशत रहा।

देयताएँ

बैंक की कुल देयताएँ (पूँजी एवं आरक्षितियों को छोड़कर) 17.35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च 201। को ₹ 11,58,750.16 करोड़ हो गईं, जबकि 31 मार्च 2010 को ये ₹ 9,87,464.53 करोड़ थीं। देयताओं में यह वृद्धि प्रमुख रूप से जमाराशियों और उधार राशियों में वृद्धि के कारण हुई। 31 मार्च 2011 को वैश्विक जमाराशियों में 31 मार्च 2010 की तुलना में 16.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2011 को ये ₹ 9,33,932.81 करोड़ के स्तर तक पहुँच गई जबकि 31 मार्च 2010 को ये ₹ 8,04,116.23 करोड़ रही थी। जमाराशियों में बैंक का बाजार अंश मार्च 2011 को 16.40 प्रतिशत रहा।

निष्पादन के उल्लेखनीय तथ्य

मुख्य परिचालन	
क	विश्व बाजार परिचालन
ख	कारपोरेट बैंकिंग समूह
ग	मध्य कारपोरेट समूह
घ	राष्ट्रीय बैंकिंग समूह
ङ	ग्रामीण व्यवसाय समूह
च	परस्पर विक्रय
छ	कारपोरेट कार्यनीतियाँ और नव व्यवसाय
ज	अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह
झ	आस्ति गुणवत्ता
ञ	सहयोगी एवं अनुषंगियाँ

क. विश्व बाजार परिचालन

कारपोरेट केंद्र स्थित ग्लोबल मार्केट्स विभाग सभी समय क्षेत्रों में बैंक के ट्रेजरी कारोबार का संचालन करता है। इसमें सात प्रभाग हैं, जैसे ब्याज दर बाजार अनुभाग, ईक्विटी और म्यूचुअल फंड, विदेशी मुद्रा कोष, वित्तीय निर्माण और नव उत्पाद अनुभाग, वैकल्पिक आस्ति अनुभाग, कोष विपणन समूह, संविभाग प्रबंधन सेवा अनुभाग ।

वर्ष के दौरान बैंक ने निवेशों पर ब्याज/छूट के रूप में ₹ 18,799 करोड़ अर्जित किए और निवेशों की बिक्री एवं विदेशी मुद्रा/स्वर्ण व्यापार आय से ₹ 1,422 करोड़ का लाभ कमाया।

ख. कारपोरेट बैंकिंग समूह

बैंक के कारपोरेट बैंकिंग समूह में चार कार्यनीतिक व्यवसाय इकाइयाँ हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

ख.1 कारपोरेट लेखा समूह (कैग) की मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे केंद्रों पर छह शाखाएँ है।

- कारपोरेट लेखा समूह का ₹ 1,08,744 करोड़ का अग्रिम संविभाग बैंक के सीएंडआई (गैर-खाद्य) ऋणों का 31 प्रतिशत है और बैंक के कुल देशीय ऋण संविभाग का 16 प्रतिशत है।

तालिका : कारपोरेट लेखा समूह (कैग) -
वर्ष-दर-वर्ष उल्लेखनीय तथ्य

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2010 को	31.03.2011 को	वृद्धि (%)
अग्रिम	88,144	1,08,774	23
विदेशी मुद्रा टर्नओवर	6,76,286	7,94,844	18
शुल्क आय	1,659	1,816	10
परिचालन लाभ	7,337	9,808	34
व्यवसाय प्रति कर्मचारी	156	168	8
औसत ब्याज कीमत-लागत अंतर	4.04	5.41	34
एनपीए/कुल अग्रिमों का प्रतिशत	0.18	0.08	-56

Assets

The total assets of the Bank increased by 16.17% from ₹ 10,53,413.73 crores at the end of March 2010 to ₹ 12,23,736.20 crores as at end March 2011. During the period, the loan portfolio increased by 19.75% from ₹ 6,31,914.15 crores to ₹ 7,56,719.45 crores. Investments decreased marginally by 0.06% from ₹ 2,95,785.20 crores to ₹ 2,95,600.57 crores as at the end of March 2011. A major portion of the investment was in the domestic market in government and other approved securities. The Bank's market share in domestic advances was 16.40% as of March 2011.

Liabilities

The Bank's aggregate liabilities (excluding capital and reserves) rose by 17.35% from ₹ 9,87,464.53 crores on 31st March 2010 to ₹ 11,58,750.16 crores on 31st March 2011. The increase in liabilities was mainly contributed by increase in deposits and borrowings. The Global deposits stood at ₹ 9,33,932.81 crores as on 31st March 2011 against ₹ 8,04,116.23 crores as on 31st March 2010, representing an increase of 16.14 % over the level on 31st March 2010. The Bank's market share in deposits was 16.40% as of March 2011.

Performance Highlights

	Core Operations
A	Global Markets Operations
B	Corporate Banking Group
C	Mid Corporate Group
D	National Banking Group
E	Rural Business Group
F	Cross Selling
G	Corporate Strategies & New Business
H	International Banking Group
I	Asset Quality
J	Associates & Subsidiaries

A. GLOBAL MARKETS OPERATIONS

Global Markets Department at the Corporate Centre handles the Bank's Domestic Treasury Operations across all time zones. It consists of seven divisions viz : Interest Rate Market desk, Equity & Mutual Fund desk, Forex treasury, Financial Engineering & New Products desk, Alternate Assets desk, Treasury Marketing Group and Portfolio Management Service section.

During the year, the Bank earned ₹ 18,799 crores by way of Interest/Discount on investments and made ₹ 1,422 crores of profit on sale of Investments and Forex/Gold Trading income.

B. CORPORATE BANKING GROUP

The Bank's Corporate Banking Group consists of four Strategic Business Units, as detailed below:

B.1. Corporate Accounts Group (CAG), has six branches at the following centers; Mumbai, New Delhi, Chennai, Kolkata, Ahmedabad and Hyderabad.

- CAG's advances portfolio of ₹ 1,08,774 crores is 31% of the C&I (Non-food) credit of the Bank and constitutes 16% of the total domestic credit portfolio of the Bank.

Table : CAG – YoY Highlights

(₹ in Crs)

Particulars	As on 31.03.2010	As on 31.03.2011	Growth %
Advances	88,144	1,08,774	23
FOREX Turnover	6,76,286	7,94,844	18
Fee Income	1,659	1,816	10
Operating Profit	7,337	9,808	34
Business per Employee	156	168	8
Avg. Interest Spread	4.04	5.41	34
NPA/Total Advances (%)	0.18	0.08	-56

- कारपोरेट लेखा समूह के विदेशी मुद्रा कारोबार का बैंक द्वारा देश में किए गए कुल विदेशी मुद्रा कारोबार में 57 प्रतिशत हिस्सा रहा।
- लेखा आयोजना कारोबार से शुल्क आधारित सेवाओं पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित किया जा सका। साख पत्रों से आय ₹ 271 करोड़ से बढ़कर ₹ 359 करोड़ पर पहुँच गई। बैंक गारंटियों से आय ₹ 285 करोड़ से बढ़कर ₹ 359 करोड़ के स्तर पर जा पहुँची।
- समूहन और हामीदारी व्यवसाय में वृद्धि हुई। इस खंड में शुल्क आय ₹ 295 करोड़ से बढ़कर ₹ 458 करोड़ (55 प्रतिशत) हो गई।

लेनदेन बैंकिंग इकाई

लेनदेन बैंकिंग इकाई, जिसने नकदी प्रबंध उत्पाद, व्यापार वित्तपोषण एवं माध्यम (व्यापारी/विक्रेता) वित्तपोषण पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए वर्ष 2009-10 के दौरान स्वयंपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करना शुरू किया है, ने वर्ष 2010-11में अपनी गतिविधियों में विस्तार किया।

(1) नकदी प्रबंध उत्पाद

एसबीआई फास्ट नामक अपने नकदी प्रबंध उत्पाद के द्वारा देश भर में 683 केंद्रों पर 1020 शाखाओं में चैक / नकदी उगाही के कारोबार के लिए अपनी पहुँच में विस्तार किया। यह बैंक की शाखाओं में इलेक्ट्रानिक भुगतान / उगाही का कार्य भी कर रही है। सीएमपी का लाभांश वारंट कारोबार भी वर्ष के दौरान लगभग दुगुना हो गया। नकदी संग्रहण सुविधा को स्थायित्व प्राप्त हुआ। बैंक ने ग्राहकों को घर बैठे संपर्क की सुविधा प्रदान करनी शुरू की जिससे वे अपेक्षानुसार अपनी उगाहियों / भुगतानों की बिना किसी मानवीय सहायता के ऑन लाइन जानकारी प्राप्त कर सकें।

(2) व्यापार वित्तपोषण

बैंक ने ई-ट्रेड नाम से एक ग्राहक अनुकूल प्रारंभिक स्तर का उत्पाद शुरू किया है जिससे ग्राहक साख पत्र (एलसी) और बैंक गारंटी संबंधी अपनी मांग ऑन लाइन बता सकेंगे।

(3) सप्लाई चेन वित्तपोषण

ई-वीएफएस (इलेक्ट्रानिक वेंडर फाइनेंसिंग स्कीम)

यह योजना जो पूर्णतया इलेक्ट्रानिक माध्यम पर आधारित है, बड़े उद्योगों और विक्रेताओं दोनों को कंप्यूटरीकृत भुगतान और लेनदेन प्रविष्टियों के समाधान और तत्काल एमआईएस की सुविधा भी उपलब्ध कराती है।

ई-डीएफएस (इलेक्ट्रानिक डीलर फाइनेंसिंग योजना)

ई-डीएफएस योजना के अंतर्गत बड़े उद्योगों के अनुमोदित डीलरों को वैब आधारित इलेक्ट्रानिक माध्यम से बड़े उद्योगों से की जाने वाली उनकी खरीदारियों के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाता है।

ख.2 परियोजना वित्तपोषण और पट्टा कार्यनीतिक व्यवसाय इकाई

परियोजना वित्तपोषण - कार्यनीतिक व्यवसाय इकाई बिजली, दूरसंचार, सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, माल-ढुलाई आदि आधारभूत क्षेत्रों में तथा अन्य गैर-आधारभूत परियोजनाओं के वित्तपोषण पर केंद्रित इकाई है। ये परियोजनाएं न्यूनतम परियोजना लागत पर कतिपय सीमाओं में वित्तपोषित की जाती हैं। मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान परियोजना ऋणों के समूहन और हामीदारी (अंडरराइटिंग) पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया।

कुल मिलाकर, परियोजना वित्तपोषण कार्यनीतिक इकाई ने वर्ष के दौरान ₹ 3,33,054 करोड़ (₹ 3,00,016 करोड़)* की कुल ऋण आवश्यकता वाली परियोजनाओं के निधीयन में ₹ 2,36,607 करोड़ (₹ 1,84,728 करोड़)* की सहभागिता की। परियोजना वित्तपोषण - कार्यनीतिक व्यवसाय इकाई ने इस अवधि के दौरान ₹ 59,209 करोड़ (₹ 41,048 करोड़)* की संस्वीकृतियाँ प्रदान की और अन्य बैंकों के साथ ऋण समूहन में ₹ 73,082 करोड़ (₹ 69,901 करोड़)* की हिस्सेदारी की।

* (कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के हैं)

ख.3 तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (एसएएमजी)

वर्ष 2010-11 के दौरान तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (एसएएमजी) का निष्पादन निम्नानुसार है। :

तालिका

(₹ करोड़ में)

1	अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की नकद वसूली	919
2	मानक आस्तियों के रूप में कोटि उन्नयन	141
3	बट्टे खाते डाले गए	1,787
4	अनर्जक आस्तियों (1+2+3) में आई कुल कमी	2,847
5	बट्टे खाते डाले गए ऋणों की वसूली	218

- CAG's forex business constituted 57% of the total domestic forex turnover of the Bank.
- Account Planning initiative has resulted in increased focus on fee-based services. Income from LCs increased from ₹ 271 crores to ₹ 359 crores. Income from BGs increased from ₹ 285 crores to ₹ 359 crores.
- Syndication and Underwriting Business improved contributing to a growth in Fee Income in this segment from ₹ 295 crores to ₹ 458 crores (55%).

Transaction Banking Unit

Transaction Banking Unit, with special focus on Cash Management Product, Trade Finance and Channel (Dealer/Vendor) Finance, which started working in a full-fledged manner during the year 2009-10, expanded its activity during 2010-11.

(1) Cash Management Product

Cash Management Product (CMP) with its brand name SBIFAST extended its reach for cheque/cash collection to 1020 branches at 683 centres across the country, apart from electronic payment/ collection from branches of the Bank. CMP's Dividend Warrant business nearly doubled during the course of the year. While Cash pick-up facility has stabilized, the Bank started offering Host-to-Host connectivity to clients to enable them to track online their collections/payments and get customized MIS without any human intervention.

(2) Trade Finance

The Bank has launched a more customized front-end tool called e-trade which will enable clients to lodge their Letter of Credit and Bank Guarantee requirements online.

(3) Supply Chain Finance

e-VFS (Electronic Vendor Financing Scheme)

This scheme, which is fully on electronic platform, provides automated payment and settlement of transactions as also real time MIS to both Industrial Majors and vendors.

e-DFS (Electronic Dealer Financing Scheme)

Under the e-DFS scheme, approved dealers of Industry Majors (IM) are financed for their purchases from IMs, again on a web-based electronic platform.

B.2. Project Finance & Leasing SBU

The Project finance-SBU focuses on funding projects in infrastructure sectors like power, telecom, roads, ports, airports, logistics and other non-infrastructure projects with certain threshhold on minimum project cost. During the year ended March 2011, the focus was on syndication and underwriting of project loans.

As a whole, Project Finance-SBU participated in funding of projects having a total cost outlay of ₹ 3,33,054 crores (₹ 3,00,016 crores)* and involving total debt requirement of ₹ 2,36,607 crores (₹ 1,84,728 crores)* during the year. Project Finance-SBU accorded sanctions of ₹ 59,209 crores (₹ 41,048 crores)*, while it took up syndication of debt of ₹ 73,082 crores (₹ 69,901 crores)*, with other banks during this period.

* (Figures in brackets represent previous FY numbers for the corresponding period.)

B.3. Stressed Assets Management Group (SAMG)

The performance of SAMG for the period 2010-11 is given below:

Table

(₹ in Crs)

1	Cash Recovery in NPA	919
2	Upgradations in Standard Assets	141
3	Write – Offs	1,787
4	Gross reduction in NPAs (1+2+3)	2,847
5	Recovery in written off accounts	218

- 106 तनावग्रस्त आस्ति समाधान शाखाओं की देश भर में स्थापना की गई है जिससे एसएमई और वैयक्तिक खंडों में ₹ 1 करोड़ तक की बकाया राशि वाली अनर्जक आस्तियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

ख.4 वित्तीय संस्थान व्यवसाय इकाई (एफआईबीयू)

वित्तीय संस्थान व्यवसाय इकाई (एफआईबीयू) का सृजन वर्ष 2009 में कारपोरेट बैंकिंग समूह के अंतर्गत बैंकों, दलाली फर्मों, एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंडों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बीमा कंपनियों जैसी वित्तीय संस्थाओं से संभाव्य व्यवसाय जुटाने के लिए किया गया था।

एफआईबीयू पूंजी बाजार संबंधी व्यवसाय में भी बड़ा हिस्सा पाने का लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। एफआईबीयू के अंतर्गत पूंजी बाजार शाखा (सीएमबी) एक विशेषीकृत शाखा है जो इस खंड के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। यह शाखा एएसबीए और एस्क्रो कलेक्शन / रिफंड बैंकर के लिए एक नोडल शाखा भी है । वर्ष के दौरान इसने कोल इंडिया, एमओआईएल, पावर ग्रिड और भारतीय नौवहन निगम सहित बड़ी संख्या में आईपीओ / एफपीओ / एनएफओ / बांड इश्यू का कार्य किया। सीएमबी 14 प्रमुख एक्सचेंजों और सीसीआईएल के लिए एक समाधान बैंक का कार्य भी करती है और यह बाजार में कारोबार करने वाली और मध्यवर्ती संस्थाओं की समाधान बैंकिंग और लेनदेन बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है।

ग. मध्य कारपोरेट समूह (एमसीजी)

उल्लेखनीय तथ्य

- मध्य कारपोरेट समूह के अग्रिम (गैर-खाद्यान्न) ₹ 1,62,031 करोड़ (वर्ष-दर-वर्ष 21.15% वृद्धि) के स्तर पर पहुँच गए।
- परिचालन लाभ ₹ 15,355 करोड़ (वर्ष-दर-वर्ष 34.60% वृद्धि)।
- अन्य आय ₹ 2,369 करोड़ (वर्ष-दर-वर्ष 35.44% वृद्धि)।
- ब्याज आय ₹ 14,275 करोड़ (वर्ष-दर-वर्ष 30.84% वृद्धि)।
- 587 नए ग्राहकों को मार्च 2011 तक ₹ 20,849 करोड़ की कुल राशि की ऋण सीमाएँ (निधि आधारित) संस्वीकृत की गईं।
- खंडीय जमाराशि स्तर ₹ 27,408 करोड़ (वर्ष-दर-वर्ष 48.14% वृद्धि)।
- अग्रिमों से औसत प्रतिफल 9.88%।
- औसत ब्याज अंतर मार्च 2010 के स्तर से 21 आधार अंक बढ़कर 4.58% पर पहुँच गया।
- मध्य कारपोरेट समूह शाखाओं की कुल संख्या 64 (वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान 56 से बढ़कर)।

नए प्रयास

- इंदौर में नया मध्य कारपोरेट क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया जिससे मध्य प्रदेश में मध्य कारपोरेट समूह के ग्राहकों की आवश्यकताओं और व्यवसाय वृद्धि पर बेहतर ढंग से ध्यान दिया जा सके।

स्वर्ण बैंकिंग

- सोने के सिक्कों की खुदरा बिक्री के लिए प्राधिकृत शाखाओं की संख्या जो मार्च 2010 में 1122 थी, 31.03.2011 को बढ़कर 1187 हो गई। वित्त वर्ष 2010-11 में 2,610 किलो ग्राम सोने की बिक्री की गई। इस प्रकार इसमें वर्ष-दर-वर्ष 130% की वृद्धि दर्ज की गई।
- स्वर्ण जमा योजना 54 शाखाओं में चल रही है जिसका उद्देश्य घर-परिवारों, मंदिरों और ट्रस्टों से बेकार पड़ा सोना जुटाना है। बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 में इस योजना के तहत 3,420 किलोग्राम सोना जुटाया गया।
- वर्ष के दौरान बैंक द्वारा स्वर्ण (थोक) बिक्री योजना के अंतर्गत 60.306 मैट्रिक टन सोने की बिक्री की गई। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 77% की वृद्धि दर्ज की गई।
- बैंक के स्वर्ण धातु ऋण संविभाग में 41% की वृद्धि हुई। 31.03.2011 को 7,195 कि.ग्रा. (लगभग ₹ 1,467 करोड़) बकाया था।
- स्टेट बैंक आफ मैसूर और स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर की शाखाओं के माध्यम से गठजोड़ व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान सोने के सिक्कों की बिक्री की एक नई शुरुआत की गई।

- 106 Stressed Assets Resolution Branches were established across the country for focussed resolution of NPAs with outstanding upto ₹ 1 crore in SME and Personal segments.

B.4. Financial Institutions Business Unit (FIBU)

FIBU was created in the year 2009 under Corporate Banking Group to tap the potential business from Financial Institutions, which include Banks, Brokerage Firms, Exchanges, Mutual Funds, NBFCs and Insurance Companies.

FIBU is also targeting a larger share in the capital market related business. Capital Market Branch (CMB) at Mumbai under FIBU is a specialized branch catering to this segment and is also a nodal branch for ASBA and Escrow Collection/Refund Banker. It has handled large number of IPO/FPO/NFO/Bond Issues including Coal India, MOIL, Power Grid and Shipping Corporation of India during the year. CMB is a settlement Bank for 14 major Exchanges and CCIL and is well equipped to meet the Settlement Banking and transaction banking requirements of the market participants and intermediaries.

C. MID-CORPORATE GROUP (MCG)

Highlights

- MCG Level of Advances (Non-Food) stood at ₹ 1,62,031 crores (Y-o-Y Growth 21.15%).
- Operating Profit ₹ 15,355 crores (Y-o-Y Growth 34.60%).
- Other Income ₹ 2,369 crores (Y-o-Y Growth 35.44%).
- Interest income ₹ 14,275 crores (Y-o-Y growth 30.84%).
- 587 New Connections sanctioned Credit Limits (Fund based) aggregating to ₹ 20,849 crores upto March 2011.
- Segmental Deposits Level ₹ 27,408 crores (Y-o-Y Growth 48.14%).
- Average Yield on Advances is 9.88%.
- Average Interest Spread is 4.58 % up by 21 bps from March 2010.
- Total number of MCG branches- 64 (up from 56 during the FY 2009-10).

Initiatives taken

- New Mid Corporate Regional Office has been opened at Indore for better focus on MCG customers' needs and business growth in Madhya Pradesh.

Gold Banking

- The number of branches authorized for retail sale of Gold Coins has increased from 1,122 in March 2010 to 1,187 as on 31.03.2011. In the year 2010-11, retail sale of Gold coins was at 2,610 Kgs registering YoY growth of 130%.
- The Gold Deposit Scheme, which aims at mobilization of idle Gold from domestic households, temples and trusts, is operational at 54 branches. The Bank has mobilized 3,420 Kgs of gold under this scheme in financial year 2010-11.
- During the year, the Bank has sold 60.306 MTs of gold under Sale of Gold (Wholesale) scheme registering a growth of 77% over previous year.
- The Bank's Metal Gold Loan portfolio has increased by 41 % with outstanding of 7,195 Kgs as on 31.03.2011 (approx. ₹ 1,467 crores).
- Sale of Gold coins through branches of SBM and SBT under tie-up arrangement, a new initiative during the year 2010-11.

घ. राष्ट्रीय बैंकिंग समूह (एनबीजी)

बैंक के राष्ट्रीय बैंकिंग समूह में 14 मंडलों की महानगरीय और शहरी शाखाएं आती हैं। तीन कार्यनीतिक व्यवसाय इकाइयां, अर्थात एसएमईबीयू, पीबीबीयू और सरकारी व्यवसाय इकाई (जीबीयू) 31 मार्च 2011 को बैंक की देशीय जमाराशियों में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह का 57.96% और बैंक के देशीय अग्रिमों में 31.89% हिस्सा था।

पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की 470 शाखाओं के विलय के अलावा, वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान 576 नई शाखाएं खोली गईं। मार्च 2011 के अंत में बैंक की 13,542 शाखाएँ और 25,005 समूह एटीएम थे।

तालिका : राष्ट्रीय बैंकिंग समूह - निष्पादन के उल्लेखनीय तथ्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2010	31.03.2011	वर्ष-प्रति-वर्ष वृद्धि	
	स्तर	स्तर	सम्पूर्ण	(%)
जमाराशियाँ (अंतर- बैंक को छोड़कर)	4,24,228	4,90,728	66,500	15.68
अग्रिम (खाद्यान्न और अंतर-बैंक को छोड़कर)	1,75,043	2,07,588	32,545	18.59

घ.1 वैयक्तिक बैंकिंग व्यवसाय इकाई (पीबीबीयू)

(पीबीबीयू के आंकड़े एनबीजी+आरबीजी से संबंधित हैं)

तालिका (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2010	31.03.2011	वृद्धि (%)
जमाराशियाँ	4,24,734	5,05,019	18.90%
अग्रिम	1,34,849	1,64,576	22.04%
कासा	2,07,113	2,53,758	22.52%

31 मार्च 2011 को पीबीबीयू का बैंक की कुल जमाराशियों में 60.64% और कुल अग्रिमों में 24.78% हिस्सा था।

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान पीबीबीयू द्वारा 196 लाख नए बचत बैंक खाते खोले गए।

कासा अनुपात में 149 आधार बिन्दुओं की वृद्धि हुई और 31.03.2011 को यह बढ़कर 50.25% हो गया जबकि 31 मार्च 2010 को यह 48.76% था।

बैंक को नई पेंशन व्यवस्था (भारत सरकार की एक नई पहल) के अंतर्गत संपर्क बिंदु के रूप में व्यवसाय करने के लिए नामित किया गया है। बैंक के सभी मंडलों में 3,800 शाखाओं को नई पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत कारोबार करने के लिए पंजीकृत किया गया है। संपर्क बिंदु के रूप में व्यवसाय करने वाले सभी बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक शाखाओं की संख्या और श्रेणी 1 पंजीकरणों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है।

बैंक सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार शेयरों में निवेश के लिए राशि अलग रखकर किए जानेवाले आवेदनों एएसबीए के लिए स्व प्रमाणित समूह सदस्य है। यह सेवा भारत में 1,061 शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

कारपोरेट और संस्थागत गठजोड़

एक विशेष रक्षा वेतन सुविधा (डीएसपी) तैयार करने और थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के 13,35,000 कार्मिकों के वेतन खाते सफलतापूर्वक खुलवाने के बाद अन्य विशेष वेतन सुविधाएँ केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, भारतीय तट रक्षक और जीआईएफ के लिए तैयार की गई। भारतीय रेल के 14 लाख कर्मचारियों के लिए एक विशेष वेतन सुविधा शुरू की गई। इसके अलावा राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के लिए तथा राज्य पुलिस और केंद्रीय पुलिस संगठनों के कर्मचारियों के लिए भी विशेष सुविधाएँ शुरू की गईं।

विभिन्न वेतन सुविधाओं से कुल वेतन खाता ग्राहक आधार 46,07,000 तक पहुँच गया जिसमें डीएसपी के 13,35,000 खाते और कारपोरेट सेलरी पैकेज (सीएसपी) के 32,72,000 खाते शामिल हैं।

'रक्षा वेतन पैकेज' को हांगकांग में मास्टर कार्ड हॉल आफ फेम द्वारा वर्ष 2010 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिग्रहण अभियान का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

D. NATIONAL BANKING GROUP (NBG)

National Banking Group of the Bank comprising of Metro & Urban branches of the 14 Circles of the Bank has three Strategic Business Units, SMEBU, PBBU and Government Business Unit (GBU). NBG share was 57.96% of the Bank's domestic deposits and 31.89% of the Bank's domestic advances as on 31st March 2011.

576 new branches were opened during the financial year 2010-11 besides merger of 470 branches of erstwhile State Bank of Indore. As at the end of March 2011, the Bank had 13,542 branches and 25,005 Group ATMs.

Table : NBG – Highlights

(₹ in Crs)

As on	31.03.2010	31.03.2011	YoY Growth	
	Level	Level	Absolute	(%)
Deposits (excl. Inter-bank)	4,24,228	4,90,728	66,500	15.68
Advances (excl. Food & Inter-Bank)	1,75,043	2,07,588	32,545	18.59

D.1 Personal Banking Business Unit (PBBU)

(PBBU figures for NBG + RBG)

Table (₹ in Crs)

Particulars	31.03.2010	31.03.2011	Growth (%)
Deposits	4,24,734	5,05,019	18.90%
Advances	1,34,849	1,64,576	22.04%
CASA	2,07,113	2,53,758	22.52%

PBBU had a share of 60.64% of the Aggregate Deposits and 24.78% of the Aggregate Advances of the Bank as on 31st March 2011.

PBBU opened 196 lac new Savings Bank accounts during the year ended 31st March 2011.

The CASA Ratio as on 31.03.2011 has gone up to 50.25% from 48.76% as on 31st March 2010 i.e. an increase of 149 basis points.

The Bank has been designated as the Point of Presence (PoP) for conducting business under the New Pension System (an initiative of the Government of India) and 3,800 branches across all Circles have been registered for conducting business under the New Pension System. Amongst all Banks acting as Points of Presence, SBI is at the 1st position in terms of number of branches as well as in terms of number of Tier I registrations.

The Bank is Self Certified Syndicate Member for ASBA (Application Supported by Blocked Amount) as per SEBI guidelines, which is being offered through 1,061 branches in India.

Corporate & Institutional Tie-Ups

After designing a special Defence Salary Package (DSP) and successfully acquiring Salary Accounts of 13,35,000 personnel of Army, Navy and Air Force, other special Salary Packages were designed for Central Para Military Forces viz. BSF, CISF, CRPF, NSG, ITBP, Assam Rifles and Indian Coast Guard. A Salary Package has also been offered to the 14 lac employees of Indian Railways, while special packages have also been rolled out for employees of State Governments and Union territories as well as employees of State Police and Central Police Organisations.

The various Salary packages together have resulted in taking the total salary account Customer base to 46,07,000, comprising of 13,35,000 accounts under DSP and 32,72,000 accounts under Corporate Salary Package (CSP).

"Defence Salary Package" was awarded Best Acquisition Campaign by Master Card Hall of Fame, Marketing Awards, 2010 at Hong Kong.

गृह ऋण

भारतीय स्टेट बैंक गृह ऋणों ने वर्ष 2006 के बाद लगातार पांच वर्षों से **सीएनबीसी-आवाज कंज्यूमर अवार्डों में भारत के ''सबसे पसंदीदा गृह ऋण''** के अपने स्थान को बरकरार रखा। भारतीय स्टेट बैंक को वर्ष 2010 के लिए गृह ऋण बैंकिंग में उत्कृष्टता के लिए ''माई एफएम स्टार्स आफ द इंडस्ट्री अवार्ड'' भी प्राप्त हुआ है। वर्ष 2010 के लिए ''खुदरा गृह ऋणों में वृद्धि के माध्यम से रियल इस्टेट सेक्टर में उत्कृष्ट योगदान'' के लिए सीएनबीसी आवाज का प्रतिष्ठित अवार्ड भी मिला है। गृह ऋणों की बैंक की खुदरा व्यवसाय रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एसबीआई ने गृह ऋणों में 31 मार्च 2011 तक ₹ 15,576 करोड़ (21.88%) की वृद्धि दर्ज की और यह सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में गृह ऋण संविभाग के आकार के मामले में लगातार अव्वल गृह ऋण प्रदाता बना रहा। इसी तरह, बैंक के अधिकांश गृह ऋण लेने वाले ऋणी वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिन्होंने पहली बार गृह ऋण लिया है। इससे पता चलता है कि बैंक के गृह ऋण उत्पाद वास्तव में आवास की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं न कि मात्र निवेश मांग की पूर्ति कर रहे हैं।

बैंक द्वारा सस्ते आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भी एक नई पहल की गई है। इस संबंध में एक प्रायोगिक कक्ष वसई रोड, मुंबई में शुरू किया गया है। युवाओं में निहित संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक नया उत्पाद एसबीआई युवा शुरू किया गया है। इसके द्वारा 35 वर्ष से कम आयु वाले युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायता की जा सकेगी। इसी तरह एसबीआई पाल जो एक पूर्व अनुमोदित ऋण है, जिसे एक ग्राहक अनुकूल उपाय के रूप में शुरू किया गया है जिससे नए शहरों के ग्राहक अपनी पसंद का मकान चुनने के पहले अपना बजट तय कर पाएँगे। इसके अलावा, बिल्डर से जुड़े हुए ऋण कार्यों को कम समय में पूरा करने वाले ''त्वरित कार्य कक्ष की'' अवधारणा शुरू की गई है जिससे ऋण संस्वीकृति पहले से कम समय में हो जाएगी।

आवास खंड पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए रियल इस्टेट हैबिटेट एंड हाउसिंग डेवलपमेंट इकाई का निर्माण किया गया है।

शिक्षा ऋण

भारत और विदेश में उच्चतर शिक्षा के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि होने से शिक्षा ऋणों में वर्ष-दर-वर्ष मार्च 2011 तक 23.26% की वृद्धि हुई। एसबीआई द्वारा 31 मार्च 2011 तक ₹ 10,980 करोड़ की कुल राशि के शिक्षा ऋण दिए गए। एसबीआई शिक्षा ऋणों के मामले में सबसे आगे है। सरकारी क्षेत्र कें बैंकों में इसका बाजार अंश लगभग 25% है।

उच्चतर शिक्षा चुनने वाले अधिकाधिक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से एसबीआई स्कॉलर लोन स्कीम के तहत आईआईएम/आईआईटी/एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला लेने के लिए रियायती दरों और शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु ऐसे संस्थानों की संख्या को बढ़ाकर 109 कर दिया गया है।

वैयक्तिक ऋण

हमारी **एक्सप्रेस क्रेडिट योजना** में उच्चतम ऋण राशि ₹ 10.00 लाख से बढ़ाकर ₹ 15.00 लाख और चुकौती की अवधि 48 ईएमआई से बढ़ाकर 60 ईएमआई कर दी गई। **स्वर्णाभूषण गिरवी रखकर लिए जाने वाले ऋणों** के लिए उच्चतम ऋण राशि ₹ 3.00 लाख से बढ़ाकर ₹ 10.00 लाख कर दी गई।

'अस्थिर दर वाली सावधि जमा' नामक एक नए सावधि जमा उत्पाद की शुरुआत के साथ अक्तूबर 2010 में इसकी प्रतिभूति पर ऋण लेने के लिए एक नई ऋण योजना तैयार की गई।

स्वर्ण एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की प्रतिभूति पर ऋण मांग बढ़ने से मार्च 2011 में एक नया उत्पाद 'लोन्स अगेंस्ट एसबीआई गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड' शुरू किया गया था।

वाहन ऋण

भारतीय स्टेट बैंक के वाहन ऋण खुदरा बाजार में अपना वर्चस्व कायम रखे हुए हैं और 31 मार्च 2011 को वाहन ऋण बाजार में इसकी हिस्सेदारी 18.20% हो गई जबकि 31 मार्च 2010 को यह 16.80% पर थी। बैंक लगातार तीन वर्षों से देश भर में व्यक्तियों को कार के वित्तपोषण में अव्वल और मारुति कारों का एक प्रमुख वित्तपोषक बना हुआ है। एसबीआई ने शेवरले, हुंडई, टाटा मोटर्स और होंडा सिएल तथा टोयटा कारों के अधिकाधिक खरीदारों के वित्तपोषण से बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है।

वर्ष के दौरान शुरू की गई मर्सडीज कार खरीद की एक अलग योजना के तहत महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में वर्ष के दौरान 117 मर्सडीज कारें वित्तपोषित की गईं। कार वित्तपोषण क्षेत्र के अंतर्गत वैयक्तिक खंड व्यवसाय करने वाली सभी शाखाओं को कार वित्तपोषण के क्षेत्र में शामिल करने के लिए 'एक शाखा एक कार' नामक एक नया

Home Loans

SBI Home Loan has maintained its position as **India's "Most Preferred Home Loan" brand in CNBC-Awaaz consumer awards** continuously for five years since 2006. SBI is also the recipient of the "My FM Stars of the Industry Award" for Excellence in Home Loan Banking for the year 2010 and the prestigious CNBC Awaaz award for the year 2010 for 'Outstanding contribution to the real estate sector through growth of retail home loans'. Home Loans play a pivotal role in the Bank's retail business strategy. SBI Home Loans registered a growth of ₹ 15,576 crores (21.88%) up to 31st March 2011 and continued to be the No.1 Home Loan player - in terms of the size of the Individual Home Loan portfolio - amongst all Scheduled Commercial Banks. Also, a majority of Bank's Home Loan borrowers are salaried employees and first time Home Loan buyers, which shows that the Bank's Home Loan products have been successful in satisfying genuine housing need and not mere investment demand.

The Bank has also started an initiative to tap the growing affordable housing segment. A pilot cell in this regard has been launched at Vasai Road, Mumbai. In order to tap the youth segment, a new product SBI Yuva was launched to help young persons below the age of 35, to achieve their aspirations. Similarly, SBI-PAL, a pre-approved loan was introduced as a customer friendly measure to enable customers in large cities to firm up their budget before finalising the choice of home. In addition, the concept of Builder focussed Lean Work Cells has been introduced to reduce the turnaround time.

Real Estate Habitat & Housing Development Unit has been created for focussed attention on the housing segment.

Education Loans

With an increase in the number of students opting for higher studies in India and abroad, SBI Education Loan has grown at 23.26% YoY as on March 2011. SBI has extended educational loans to a total extent of ₹ 10,980 crores up to 31st March 2011. SBI is the market leader in Education Loans with a market share of approx 25% amongst PSU banks.

In order to provide financial assistance to fulfill aspirations of greater number of students opting for higher education, the number of institutes under SBI Scholar Loan scheme was increased to 109 for taking admissions in the elite institutes like IIMs/IITs/NITs and other reputed institutes at concessional rates and terms.

Personal Loans

The cap on maximum loan amount was raised from ₹ 10.00 lac to ₹ 15.00 lac and repayment period was also increased from 48 EMIs to 60 EMIs in our **Xpress Credit Scheme.** The cap on maximum loan amount for **Loans against Pledge of Gold Ornaments** was raised from ₹ 3.00 lac to ₹ 10.00 lac.

With the launch of a new term deposit product 'Floating Rate Term Deposit', a new loan scheme against the same was developed in October 2010.

With an increase in demand for loans against Gold Exchange Traded Fund, a new product – 'Loans against SBI Gold Exchange Traded Fund' was launched in March 2011.

Auto Loans

SBI Auto Loans maintains its retail market leadership by increasing the market share from 16.80% as on 31st March 2010 to 18.20% as on 31st March 2011. The Bank continues to be number one in financing cars to individuals across the country and number one financer of Maruti cars for three consecutive years in a row. SBI has increased its presence in the market with higher penetration in financing buyers of Chevrolet, Hyundai, Tata Motors, Honda Siel and Toyota.

During the year, 117 Mercedez Cars have been financed in Aurangabad city of Maharashtra under a separate scheme for purchase of Mercedez cars which was launched during the year. A new campaign "Car-A-Branch" was

अभियान शुरू किया गया। कार ऋण को पहले से कम समय में संस्वीकृति करने के लिए शाखाओं को चुनिंदा स्थानों पर कार ऋण प्रक्रिया पूरी करने, संस्वीकृति प्रदान करने और संवितरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। 'प्रमाणित पूर्व स्वामित्त्व कार ऋण' नामक एक नई योजना वर्ष के दौरान शुरू की गई जिससे प्रमाणित प्रयुक्त कारों का वित्तपोषण किया जा सके। वर्ष के दौरान मारुति, हुंडई, फोर्ड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मर्सडीज, टोयटा और टाटा मोटर्स के साथ संयुक्त रूप से प्रचार-प्रसार अभियान चलाए गए।

ऋण वितरण प्रणालियाँ

i. ऋण संबंधी प्रारंभिक प्रक्रिया सॉफ्टवेयर (एलओएस)

ऋण संबंधी प्रारंभिक प्रक्रिया सॉफ्टवेयर वैयक्तिक खंड ऋणों के लिए प्रारंभ किया गया है। यह एक वैब समर्थित सॉफ्टवेयर है जो वाहन ऋण, गृह ऋण, शिक्षा ऋण और वैयक्तिक ऋण प्रस्तावों की प्रक्रिया पूरी करने और संस्वीकृति प्रदान करने का कार्य करने के साथ साथ दोहरी संस्वीकृति के जोखिम को कम करता है। इस सॉफ्टवेयर में वर्तमान ग्राहकों की पहले से उपलब्ध जानकारी का पता लगाने, सिबिल में उपलब्ध जानकारी की जाँच करने और ऐसी ही अनेक विशेषताएँ विद्यमान हैं जो ऋण की दोहरी संस्वीकृति को रोकती हैं।

ii. रिटेल स्कोरिंग मॉडल

पीबीबीयू उत्पादों के लिए रिटेल स्कोरिंग मॉडल विकसित करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। विशेष रूप से लोन ओरिजिनेशन सॉफ्टवेयर (एलओएस) के माध्यम से स्कोरिंग मॉडल को पूरे बैंक में लागू कर दिया गया है।

iii. आरएसीपीसी में सुधार

ऋण वितरण में सुधार लाने के लिए आरएसीपीसी में अल्पावधि कार्य निष्पादन कक्ष खोले गए हैं। इससे बिल्डरों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और उच्च मूल्य वाले प्रस्तावों के लिए ऋण वितरण प्रक्रिया को तेज करने पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा।

अनर्जक आस्ति प्रबंधन के लिए प्रयास

मानकीकृत और उद्देश्यपरक साख आकलन के लिए वैयक्तिक खंड संविभाग में जोखिम स्कोरिंग मॉडल शुरू किया गया है।

एक ठोस उगाही तंत्र स्थापित होना आस्ति गुणवता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है। अनर्जक आस्ति श्रेणी वाले ऋणियों के साथ केंद्रीकृत अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों में खाता आकलन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। ऋण चुकौती में चूक के सातवें दिन से ऐसे ऋणियों का पता लगाने के लिए खाते में ही एक नया कोड लगाया गया है।

ऑपरेशन संपर्क अभियान शुरू किया गया है जो सभी ऋणियों से संपर्क संबंधी जानकारी को अद्यतन करने के ऐसे विशेष अभियान का ही एक हिस्सा है। ऋण चुकौती में चूक वाले खातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रत्येक स्टाफ सदस्य को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। एनपीए डैश बोर्ड भी शुरू किया गया है जो अनर्जक आस्तियों पर साथ-साथ नजर रखने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा।

घ2. एसएमई व्यवसाय इकाई (एसएमईबीयू)

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान एसएमई व्यवसाय इकाई के अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष 25.95% की वृद्धि दर्ज की गई जबकि गत वर्ष इसमें 15.56% की वृद्धि हुई थी। एसएमई जमाराशियों के संबंध में बैंक की उच्च लागत वाली थोक जमाराशियों से दूरी बनाए रखने की विवेकपूर्ण नीति इस वर्ष भी जारी रही। 31.03.2011 को जमाराशियों की लागत 5.80% के स्तर से घटकर 5.30% पर आ गई जिससे देय और प्राप्त ब्याज के बीच बेहतर संतुलन बनाए रखा जा सका।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2010 को	31.03.2011 को	वृद्धि %
अग्रिम	1,10,175	1,38,760 (*)	25.95 (*)

(*) इसमें पूर्ववर्ती स्टेट बैंक आफ इंदौर से अंतरित ₹ 3,456 करोड़ की राशि शामिल है।

विनिर्माण, व्यापार और सेवा, देयता और लेनदेन उत्पाद, सप्लाई चेन वित्तपोषण और परिचालन नामक पांच व्यवसाय खंड एसएमई व्यवसाय इकाई के अधीन कार्य कर रहे हैं। एसएमई व्यवसाय में अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुविध कार्यनीतियों का कार्यान्वयन करने हेतु ये व्यवसाय खंड जवाबदार हैं।

व्यवसाय इकाई द्वारा किए गए प्रयास :

- एसएमई ऋणों के लिए समर्पित शाखाएं तैयार करने के लिए देश भर में स्थित 579 एसएमई सघन व्यवसाय वाली शाखाओं पर

launched to bring all the branches doing personal segment business under the gamut of car financing. To improve the Turn Around Time (TAT), branches were authorized to process, sanction and disburse car loans at select centres. A new scheme "Certified Pre-owned Car Loan" scheme was launched during the year to finance certified used cars. During the year, joint promotion activities with Maruti, Hyundai, Ford, Mahindra & Mahindra, Mercedez, Toyota and Tata Motors were taken up.

Delivery Systems

i. Loan Origination Software (LOS)

Loan Origination Software (LOS) has been introduced for Personal Segment loans. This is a web enabled online software for processing and sanctioning of Auto Loan, Home Loan, Education Loan and Personal Loan proposals and helps in risk mitigation through de-dupe functionality, which would avoid duplication as it is capable of identifying similar customers' details in the LOS database of existing customers, automatic CIBIL checking, and such other features.

ii. Retail Scoring Model

Development of Retail Scoring Models for PBBU Products has been completed. Scoring Models have also been launched throughout the Bank especially through Loan Originating Software (LOS).

iii. Improvements in RACPC

To improve delivery, Lean Work Cells have been launched in RACPCs. This would focus on closer co-ordination with builders and speeding up the delivery process for high value proposals.

Initiatives for NPA Management

Risk Scoring Model has been introduced in the Personal Segment portfolio for standardized and objective credit assessment.

A strong collection mechanism in place is the vital link towards asset quality. Account Tracking Centres have also been set up at all Local Head Offices for centralised follow up of borrowers in the NPA category. New Code has been set up at the account level for identifying borrowers right from the 7th day of default.

Campaign Operation Sampark has been launched as a part of a special drive for updating contact details of all borrowers. Delinquent accounts have also been mapped to individual staff for focused monitoring, and NPA Dashboard has been launched as a data tool for real time monitoring of NPAs.

D2. SME Business Unit (SMEBU)

During the financial year 2010-11, the advances under SME business unit has registered year-on-year growth of 25.95% against a growth of 15.56% in the previous year. As regards SME deposits, the Bank's prudent policy to shed high cost bulk deposits continued this year also. The cost of deposit has come down from 5.80% to 5.30% as on 31.03.2011 resulting in better spread.

(₹ in Crs)

Particulars	As on 31.03.2010	As on 31.03.2011	Growth %
Advances	1,10,175	1,38,760 (*)	25.95 (*)

(*) Including ₹ 3,456 crores migrated from e-SBIN

Five verticals namely, Manufacturing, Trade & Services, Liability & Transaction Products, Supply Chain Finance and Operations are functional under the SME Business Unit. These verticals are responsible for implementation of multiple strategies to maintain the flagship position in SME business.

Initiatives taken by the Business unit :

- 579 SME intensive branches across the country have been kept under special focus to develop

विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इन शाखाओं में संबंध प्रबंधकों और एसएमई समूहों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं जिससे इस क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो।

- कारोबारी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समूह वित्तपोषण का मार्ग चुना गया है। आठ स्थानीय प्रधान कार्यालयों में अलग से समूह वित्तपोषण केंद्र शुरू किए गए हैं जिससे मंडलों द्वारा चुने गए व्यवसाय समूहों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कार्य योजनाएँ लागू की जा सकें।

- व्यष्टि और लघु उद्यम क्षेत्र में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजनाएँ जैसे एसएमई-सीएफएल शुरू की गई हैं। इससे व्यष्टि और लघु उद्यमों को झंझटरहित ऋण देने के एक उपाय के रूप में सीजीटीएमएसई की गारंटी सुरक्षा के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण प्रदान किए गए। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक द्वारा सीजीटीएमएसई की गारंटी योजना के अंतर्गत ₹ 2,184 करोड़ की ऋण राशि के 50,911 खातों में संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण दिए गए।

- प्रोजेक्ट अपटेक बैंक की एक प्रमुख पहल रही है। इसके अंतर्गत रांची और त्रिची में दो नई परियोजनाएं क्रमश: रीफैक्ट्रीज और फैब्रिकेशन बॉयलर कंपोनेंट क्लस्टर्स इकाइयां कार्यान्वित की गई हैं।

- प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक योग्यतावाले उद्यमियों की सहायता करने के लिए प्रायोगिक आधार पर 'एसबीआई स्माइल' नाम से एक नई योजना शुरू की गई है जिसमें ईक्विटी सहायता के रूप में मार्जिन आवश्यकता कम रखी गई है और ब्याज मुक्त ऋण दिए जाते हैं।

- सप्लाई चेन वित्तपोषण के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वैंडर फाइनेंसिंग योजना (ई-वीएफएस) और इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंसिंग योजना (ई-डीएफएस) शुरू की गई हैं। वाहन, तेल, स्टील, सीमेंट, उर्वरक और कपड़ा क्षेत्र के प्रमुख उद्योग ई-वीएफएस और ई-डीएफएस का लाभ उठा रहे हैं।

- व्यापार और सेवा क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने के परिणाम स्वरूप पिछले पांच वर्षों में इस क्षेत्र को उपलब्ध कराए गए अग्रिमों की राशि ₹ 23,957 करोड़ के स्तर से बढ़कर ₹ 91,277 करोड़ पर पहुँच गई।

- नेशनल बल्क हैंडलिंग कारपोरेशन (एनबीएचसी)/नेशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज लि. (एनसीएनएसएल) के साथ किए गए गठजोड़ के तहत मालगोदाम रसीदों की प्रतिभूति पर व्यापारियों को ऋण प्रदान करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया।

- निर्माण कार्य इन्फ्रास्ट्रक्चर और रियल इस्टेट क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण गतिविधि रही है। निर्माण उपकरण वित्तपोषण के लिए उद्योग की प्रमुख कंपनियों के साथ बैंक द्वारा तालमेल व्यवस्था कायम की गई।

- मुंबई क्षेत्र के टैक्सी चालकों के लिए पुरानी टैक्सियों को बदलने और स्कूल के बच्चों को लाने व ले जानेवाले बस ऑपरेटरों के वित्तपोषण के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई।

- डॉक्टर प्लस योजना को नया रूप दिया गया है और समग्र ऋण सीमा बढ़ाकर ₹ 10 करोड़ कर दी गई है। स्वास्थ्य देखभाल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसमें वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएँ हैं।

- ब्याज की प्रतिस्पर्धी दरें प्रस्तावित करते हुए एसएमई ऋणियों के लिए, सितंबर 2010 में एक विशेष एसएमई कार ऋण अभियान शुरू किया गया।

- तंगी का सामना कर रहे छोटे एसएमई ऋणियों का भार वहन करने के लिए एसबीआई ओटीएस-एसएमई, 2010 नाम से एक ओटीएस स्कीम समाधान हेतु प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत 31.07.2010 तक आवेदन प्राप्त करने और 31.03.2011 तक चुकौती करने का अवसर दिया गया। अधिकांशत: 29,066 मामलों में समझौतों द्वारा समाधान अनुमोदित किए गए जिनकी कुल राशि ₹ 363.39 करोड़ रही।

- एसएमई अग्रिमों से जुड़े अधिकारियों को ऋण प्रस्ताव मूल्यांकन आदि के कार्य में दक्ष बनाने के लिए 'एसएमई ज्ञानशाला' के नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत 8000 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया।

- कासा जमाराशियों पर विशेष ध्यान दिया गया और इसके लिए विशेष रूप से तैयार एसएमई पॉवर उत्पाद शुरू किया गया। इसमें ग्राहक को आठ प्रकार की अलग अलग सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं जिसके लिए खातों में ₹ 20,000 से ₹ 5.00 लाख के बीच तिमाही औसत शेष रहना चाहिए। इसके अलावा, अनेक एसएमई ग्राहकों को एटीएम और आईएनबी के माध्यम से वैकल्पिक चैनल उत्पाद भी उपलब्ध कराए गए हैं।

घ.3 सरकारी व्यवसाय इकाई (जीबीयू)

- रेल भाड़े के इलेक्ट्रानिक भुगतान की सुविधा बैंक द्वारा 477 कारपोरेटों को प्रदान की गई। इन कारपोरेटों में प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर शामिल थे। कारपोरेटों में इस नई सुविधाजनक व्यवस्था को अपनाने के प्रति खासा उत्साह देखा गया। वर्तमान में, 56% रेल भाड़े का इलेक्ट्रानिक माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

dedicated platform for SME lending. Relationship Managers and SME clusters have been mapped to these branches for accelerated growth.

- Cluster financing initiative through dedicated Cluster Hubs at eight LHOs has been rolled out to implement action plans for improving our stake in business clusters identified by the Circles.

- For inclusive growth in Micro and Small Enterprises sector, special scheme viz. SME-CFL has been floated to extend collateral free loans under the guarantee cover of CGTMSE as a measure of hassle free lending to Micro and Small enterprises. During the FY 2010-11, the Bank has made collateral free lending in 50911 accounts with credit exposure of ₹ 2,184 crores under the guarantee scheme of CGTMSE.

- Under Project Uptech, two new projects at Ranchi and Trichy are under implementation for refractories and fabrication / boiler component clusters respectively.

- To help technically and professionally qualified entrepreneurs, a new scheme called SBI SMILE was introduced on a pilot scale, where the margin requirements are less and interest-free loans component as equity support is provided.

- Supply Chain Finance offers two schemes Electronic Vendor Financing Scheme (e-VFS) and Electronic Dealer Financing Scheme (e-DFS). Industry Majors of Auto, Oil, Steel, Cement, Fertilizers, and Textiles sectors are availing e-VFS and e-DFS.

- As a result of special thrust on trade and services sector, advances to this sector have increased from ₹ 23,957 crores to ₹ 91,277 crores in the last five years.

- Special drive was launched to provide loans to traders against the warehouse receipts under tie-up with National Bulk Handling Corporation (NBHC) / National Collateral Management Services Ltd. (NCNSL).

- Construction activity being one of the key drivers for infrastructure and real estate, the Bank has entered into tie-ups with Industry Majors for construction equipment finance.

- A special scheme has been launched to finance taxi drivers of Mumbai Region to replace old taxies and for bus operators plying school children.

- Doctor plus scheme has been revamped and overall loan amount has been enhanced to ₹ 10 crores, as healthcare is a critical area and growth potential is immense.

- For SME borrowers, a special SME Car loan campaign offering competitive rates of interest was launched in Sept' 2010.

- To alleviate the burden of small SME borrowers facing crunch, an OTS Scheme, namely, SBI OTS–SME, 2010 was launched for resolution. The scheme was open for receipt of application upto 31.07.2010 and for repayment upto 31.03.2011. Compromise settlements have been approved in as many as 29,066 cases aggregating ₹ 363.39 crores.

- To strengthen the credit skills of officers handling SME advances, a special programme named "SME Gyanshala" was launched. The target for imparting training to 8,000 officials under the programme was achieved.

- Focus remained on CASA deposits and for this purpose, a specially designed SME Power product with eight variants based on the quarterly average balances in the accounts ranging from ₹ 20,000 to ₹ 5.00 lac has been put in place. Further, alternate channel products, both through ATM & INB, have also been offered to a large number of SME customers.

D.3 Government Business Unit (GBU)

- The facility for e-payment of Railway Freight has been provided to 477 Corporates including Private Container operators by the Bank and more and more Corporates are keen to adopt this new convenient system. At present, 56% of the Railway Freight is being collected through this e-route.

- भारतीय स्टेट बैंक को आयकर रिफंडों के लिए एकमात्र रिफंड बैंकर नियुक्त किया गया है। प्रारंभ में यह कार्य 6 केंद्रों पर शुरू किया गया था जो वर्ष के दौरान सीबीडीटी के सभी 24 आंचलिक लेखा कार्यालयों में किया जाने लगा।

- राज्य सरकार के करों की उगाही के लिए साइबर ट्रेजरी सेवा इस समय 23 राज्यों, अर्थात मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, बिहार, गोवा, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मेघालय में शुरू की गई है। अन्य राज्यों में ई-रूट से राज्य सरकार के करों की उगाही के लिए साइबर ट्रेजरी सेवा लागू करने का कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है।

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जैसी सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं के लिए निधि के साथ साथ अधिकार देने के मापदंडों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और बैंक के बीच राष्ट्रीय साक्षरता मिशन परियोजना के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन योजना कार्यान्वित करने के लिए चयनित 26 राज्यों में से 22 राज्यों में भारतीय स्टेट बैंक भागीदार है।

- यूपीएससी द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं के लिए दिए जाने वाले यूपीएससी के परीक्षा शुल्क का भुगतान दिनांक 06.02.2010 से एसबीआई की सभी शाखाओं में नकद जमा करके, इंटरनेट बैंकिंग और सभी बैंकों के वीजा/मास्टर कार्ड को-ब्रांडेड कार्डों के माध्यम से शुरू किया गया। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के आनलाइन भर्ती आवेदन शुल्क की उगाही 14.08.2010 से शुरू कर दी गई।

- एमईए की पासपोर्ट सेवा परियोजना, जिसके अंतर्गत 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जाने हैं, शुरू हो गई है। यह परियोजना बेंगलूर और चंडीगढ़ मंडलों में 7 केंद्रों पर प्रारंभ की गई है। पासपोर्ट सेवा परियोजना का उद्घाटन माननीय विदेश मंत्री द्वारा 23.05.2010 को किया गया था। विदेश मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में और 12 केंद्रों का चयन किया गया है जिनके जून/जुलाई 2011 तक कार्य शुरू करने की संभावना है।

- सड़क परिवहन और महामार्ग मंत्रालय द्वारा नेशनल परमिट (एनपी) के सम्मिश्र शुल्क के भुगतान की संशोधित प्रक्रिया 15.09.2010 से लागू की गई है। यह शुल्क देश भर में एसबीआई की सभी शाखाओं द्वारा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से और नकद जमा के रूप में प्राप्त किया जाएगा।

- 'रेल शक्ति' नामक एक नया उत्पाद उत्तर मध्य रेल, इलाहाबाद के लिए प्रायोगिक आधार पर 01.03.2011 से शुरू किया गया है। यह प्रयोग सफल रहा और यह अन्य रेलवे स्टेशनों के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा जिसके अंतर्गत उनकी आमदनी की कम खर्च में उगाही की जाएगी।

- भारतीय स्टेट बैंक की सरकारी बैंकिंग इकाई को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में की गई पहल के लिए पुरस्कृत किया गया। 'माई एफएम स्टार्स आफ द इंडस्ट्री ज्यूरी स्पेशल अवार्ड' नामक यह पुरस्कार 9 फरवरी 2011 को मुंबई में प्रदान किया गया।

ङ. ग्रामीण व्यवसाय समूह (आरबीजी)

ग्रामीण व्यवसाय समूह सभी ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों पर बैंक का कारोबार संभालता है। वर्तमान में यह ₹ 3,06,366 करोड़ की जमाराशियों और ₹ 1,65,230 करोड़ के ऋणों की देखरेख कर रहा है जिसका 31.03.2011 को बैंक की कुल जमा राशियों और ऋण राशियों में क्रमश: 37 प्रतिशत और 25 प्रतिशत हिस्सा है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2010 को*	31.03.2011 को	वृद्धि %
जमाराशियाँ	2,60,721	3,06,366	17.51%
अग्रिम	1,48,201	1,65,230	11.49%

** (पूर्ववर्ती स्टेट बैंक आफ इंदौर के व्यवसाय आंकड़े मार्च 2010 के आधार आंकड़ों में शामिल किए गए हैं)*

वर्ष के दौरान निष्पादन के उल्लेखनीय तथ्य/नए प्रयास

- 3। दिसंबर 2010 को ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केंद्रों में एसबीआई का जमाराशियों में 24.53% और अग्रिमों में 23.58% बाजार अंश रहा।

- SBI is the Sole Refund Banker for Income Tax Refunds, which was initially operational at 6 centres and has since been extended during the year to all the 24 Zonal Account Offices (ZAO) of CBDT.

- Cyber Treasury for collection of State Govt. Taxes through e-route is now operational in 23 States viz. MP, Rajasthan, UP, Chattisgarh, Haryana, Gujarat, Bihar, Goa, Assam, Punjab, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, West Bengal, Uttrakhand, Delhi, Orissa, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand and Meghalaya. In other States, implementation of Cyber Treasury for collection of State Govt. Taxes through e-route is at various stages of progress.

- Fund cum Authorization Model for Social Sector Flagship Schemes like National Literacy Mission (NLM) of the Ministry of HRD is at the implementation stage. MoU has been signed between Ministry of HRD and the Bank for the NLM Project. Out of the 26 States identified for implementation of the NLM Scheme, SBI is the partner in 22 States.

- Payment of UPSC examination fees started w.e.f. 06.02.2010 through Cash Deposit at all SBI branches, Internet Banking, VISA/Master Card co-branded cards of all banks for all examinations conducted by UPSC. Collection of Online Recruitment Application (ORA) Fees of Union Public Service Commission was launched on 14.08.2010.

- Passport Seva Project (PSP) of Ministry of External Affairs (MEA), wherein 77 Passport Seva Kendras (PSKs) are to be set up has been launched and started at 7 centres at Bangaluru and Chandigarh Circles. The PSP was inaugurated on 23.05.2010 by the Hon'ble Minister for External Affairs. 12 more centres have been identified by the MEA in Tamilnadu and Andhra Pradesh, which are likely to be functional by June/July 2011.

- Revised procedure for payment of Composite Fee for National Permit (NP) through INB and through Cash Deposit at all SBI Branches across the country for Ministry of Road Transport and Highways was launched on 15.09.2010.

- A new Product "Rail Shakti" has been launched on 01.03.2011 on Pilot basis for North Central Railway, Allahabad. The pilot is successful and will be extended to cover other Railway Stations to collect their earnings in an efficient manner.

- Govt. Banking Unit of State Bank of India was felicitated for the e-governance initiatives undertaken and awarded "MY FM Stars of the Industry Jury Special Award" on 9th February 2011 at Mumbai.

E. RURAL BUSINESS GROUP (RBG)

Rural Business Group, which deals with the business of the Bank at all rural and semi urban centres (RUSU), now handles a deposit portfolio of ₹ 3,06,366 crores and credit portfolio of ₹ 1,65,230 crores, which is 37% and 25% of the Bank's total domestic deposit and credit portfolio respectively as on 31.03.2011:

(₹ in Crs)

Particulars	As on 31.03.2010*	As on 31.03.2011	Growth %
Deposits	2,60,721	3,06,366	17.51%
Advances	1,48,201	1,65,230	11.49%

**(Erstwhile SBIN business treated in base figures for March 2010)*

Highlights/Initiatives during the year

- SBI commands market share of 24.53% in deposits and 23.58% in advances in Rural and Semi Urban Centres as on 31st December 2010.

- समूह में कासा जमाराशियों के ऊंचे अनुपात (कुल जमाराशियों का 60.41 प्रतिशत) के कारण जमाराशियों की लागत 5.32 प्रतिशत पर नीची रही।
- व्यवसाय कार्यनीति के अंतर्गत बहु-स्तरीय व्यवसाय संग्रहण एजेंटों की नियुक्ति करने के साथ साथ कार्यालय स्तर पर प्रक्रिया क्षमता बढ़ाने पर बल दिया गया।
- बैंक ने 35,000 से अधिक ग्राहक सेवा केन्द्र (सीएसपी) स्थापित किए हैं (व्यवसाय प्रतिनिधि - सीएसपी - 20,700 और व्यवसाय सुलभकर्ता सीएसपी - 14,000)। राष्ट्रीय स्तर के कुछ बीसी/बीएफ-भारतीय डाक और आईटीसी, नेशनल बल्क हैंडलिंग कारपोरेशन, रिलायंस डेयरी, हिन्दुस्तान यूनीलीवर लि. हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक यूआईडीएआई के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला बैंक है जिसे रजिस्ट्रार बनाया गया है। पंजीकरण आंकड़ों का उपयोग यूआईडी वाले खाते खोलने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकारों के बाद, भारतीय स्टेट बैंक 31.03.2011 तक 9.50 लाख से अधिक पंजीकरणों के साथ शीर्ष पंजीकरण कर्ता बन गया है।
- व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) की सहायता करने के लिए वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान पूरे देश में 65 वित्तीय समावेशन केंद्र (एफआईसी) स्थापित किए गए हैं।
- आरयूएसयू भौगोलिक क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, परिवीक्षा अधिकारी (ग्रामीण व्यवसाय)-पीओ (आरबी) के नाम से स्थायी अधिकारियों का एक नया संवर्ग सृजित किया गया है। इस वर्ष इस प्रकार के 1,527 अधिकारी बैंक की सेवा में शामिल हुए हैं।
- अपनी पहुँच को दूर तक बढ़ाने के लिए, बैंक ने वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान 281 ग्रामीण और 112 अर्ध-शहरी शाखाओं की शुरुआत की है जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी भौगोलिक क्षेत्रों में शाखाओं की कुल संख्या क्रमश: 5,138 और 3,909 हो गई। बैंक की कुल शाखाओं में 67 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी हैं।

व्यष्टि वित्त एवं वित्तीय समावेशन

- बैंक एसएचजी-बैंक ऋण जुड़ाव कार्यक्रम में (31.03.2010 को लगभग 29.88 प्रतिशत बाजार अंश के साथ) बाजार में सबसे आगे है। बैंक इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 18.90 लाख एसएचजी से जुड़ चुका है (वित्त वर्ष 10-11 के दौरान ऋण संबद्धता वाले एसएचजी की संख्या 1.78 लाख रही)। बैंक ने दिनांक 31.03.2011 तक कुल मिलाकर ₹ 14,500 करोड़ के ऋण संवितरित किए।
- बैंक ने एसएचजी क्रेडिट कार्ड, एसएचजी सहयोग निवास और एसएचजी गोल्ड कार्ड जैसे अनेक अद्वितीय उत्पाद शुरू किए हैं।
- एसएचजी को आगे ऋण प्रदान करने के लिए एनजीओ/एमएफआई का वित्तपोषण करने की योजना के अंतर्गत, बैंक ने 31 मार्च 2011 को 188 इकाइयों का वित्तपोषण किया जिनकी बकाया राशि ₹ 946 करोड़ है।
- व्यष्टि बीमा उत्पाद-ग्रामीण शक्ति के क्षेत्र में विस्तार किया गया और अब तक 1.14 मिलियन लोगों का जीवन बीमा किया जा चुका है।
- बैंक ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 6,599 बैंक रहित गाँवों में बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध करा दीं। बैंक को इस वर्ष के लिए 5,261 गांवों में बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया था।
- बैंक की सरकारी हितलाभ भुगतानों से संबंधित इलेक्ट्रानिक हितलाभ अंतरण (ईबीटी) परियोजनाओं में प्रमुख भूमिका रही है और यह 6 राज्यों में इन परियोजनाओं में सहभागी है। लगभग 24 लाख लाभार्थियों को बीसी चैनल की सेवाएं उपलब्ध करायी गई हैं।

वित्तीय समावेशन के लिए बहुविध-आईटी आधारित माध्यम

बैंकिंग सेवा से वंचित आम नागरिकों को न्यूनतम लागत के साथ बैंकिंग सेवा प्रदान करने में प्लेटफार्म, समाधान, परिचालन संबंधी जानकारी और सेवा की गुणवत्ता के मामले में बैंक सामान्य से कहीं अधिक आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। इनमें से कुछ प्रौद्योगिकी आधारित माध्यम निम्नानुसार हैं:

एसबीआई टाइनी कार्ड - टाइनी स्मार्ट कार्ड बायोमेट्रिक पहचान आधारित खाता है जो लेनदेन केंद्र / बिक्री केंद्र डिवाइस मशीन पर संपर्क रहित/संपर्क सहित/प्रयोग में लाए जाने वाले चिप युक्त/चिप रहित कार्डों का इस्तेमाल करके संचालित किया जाता है। बिना चिप वाले कार्डों की भी शुरुआत की गई है जिससे परिचालन लागत में कमी लाई जा सके। लेनदेन केंद्र / बिक्री केंद्र पर ऑफलाइन और ऑनलाइन / ग्राहक खाते में साथ साथ लेनदेन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान लगभग 9 लाख (कुल मिलाकर 50 लाख से अधिक) ग्राहकों का पंजीकरण किया गया है। टाइनी कार्डों का उपयोग अब बचत बैंक, आवर्ती जमा,

- High proportion (60.41% of total deposits) of CASA deposits in the group contributed to its lower cost of deposits at 5.32%.

- The business strategy envisaged setting up of multi pronged sourcing agents coupled with improved back end processing capacity.

- The Bank has appointed more than 35,000 Customer Service Point (CSP) (Business Correspondents CSP-20,700 & Business Facilitators CSP-14,400). Some of the national levels BC/BFs are India Post and ITC, National Bulk Handling Corporation, Reliance Dairy, Hindustan Unilever Ltd.

- SBI is the first Bank to sign MoU with UIDAI to become a Registrar. The enrolment data will be used for opening 'UID enabled' accounts. After State Governments, SBI is the top enroller with more than 9.50 lac enrollments done up to 31.03.2011.

- 65 Financial Inclusion Centres to support the Business Correspondent (BCs) have been set up across the country during the FY 2010-11.

- In order to further strengthen the manpower in RUSU geography, a new cadre of permanent officer has been created, named as Probationary Officer (Rural Business) – PO (RB). 1,527 such officers have joined the Bank in the year.

- To increase its outreach, Bank has opened 281 rural and 112 Semi Urban branches during the FY 2010-11, taking the total number of branches to 5,138 in rural and 3,909 in semi urban geography. Rural and Semi Urban Branches constitute 67% of total branches of the Bank.

Micro Finance and Financial Inclusion:

- The Bank is the market leader (market share around 29.88% as on 31.03.2010) in SHG-Bank Credit Linkage programme having credit linked so far 18.90 lac SHGs (1.78 lac SHGs credit linked during FY'10-11) and disbursed loans to the extent of ₹ 14,500 crores (cumulative) up to 31.03.2011.

- Bank has rolled out several unique products like SHG Credit Card, SHG Sahayog Niwas and SHG Gold Card.

- Under the scheme for financing NGOs / MFIs for on-lending to SHGs, the Bank has covered 188 units with outstanding of ₹ 946 crores as on 31st March 2011.

- Coverage of Micro Insurance product - Grameen Shakti has been extended. 1.14 million lives have been covered so far.

- Covered 6,599 allocated unbanked villages with population more than 2,000 as at 31st March 2011 as against the target of 5,261 villages for the year.

- The Bank is a major player in Electronic Benefit Transfer (EBT) project of Government benefit payments, with participation in six States. About 24 lac beneficiaries are serviced by BC channel.

Multiple IT enabled channels for Financial Inclusion:

The Bank has gone beyond the usual domains of technology in terms of platform, solution, operational details and service contents in a very aggressive manner to serve the excluded common citizen with minimal costs. Some of these channels are:

SBI Tiny Card – Tiny Smart Card is biometrically enabled Contact-less / Contact Cards / Chip / chipless operable at PoT/PoS device machine. Chipless Cards have been introduced to cut down the cost of operations. The operations through the PoS/PoT device support both offline & online / real time transactions in customers' account. About 9 lac customers have been enrolled during the Financial Year (cumulative

बचत बैंक-सह-ओवरड्राफ्ट और धन-प्रेषण उत्पादों के लिए भी किया जा सकता है। एसएचजी ग्राहकों के लिए टाइनी कार्ड का प्रयोग प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और अंगुली के निशान वैधीकरण के जरिये निवास स्थान के निकट स्थापित व्यवसाय प्रतिनिधि/ ग्राहक सेवा केंद्र जैसे बिक्री केंद्र पर किया जा सकता है। दिनांक 31.03.2011 तक लगभग 28,000 एसएचजी और 1,54,000 एसएचजी सदस्यों को टाइनी कार्ड दिए जा चुके हैं।

कियो बैंकिंग - यह बैंक का अपना प्रौद्योगिकी प्रयास है और इसके अंतर्गत बायोमेट्रिक पहचान करने के पश्चात इंटरनेट आधारित बैंकिंग केन्द्र पर लेनदेन किया जा सकता है। व्यक्तियों के अलावा, ई-गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत स्थापित कंपनियाँ और सामान्य सेवा केन्द्र भी इस चैनल का उपयोग करके बीसी/सीएसपी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

- 26 राज्यों और 3120 जिलों में शुरू की गई।
- कुल 3,373 ग्राहक सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
- 2.34 लाख से अधिक ग्राहक पंजीकृत किए जा चुके हैं।
- राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) द्वारा इस प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

सैल फोन मेसेजिंग चैनल - यह एक किफायती मॉडल है जो कम लागत वाले आम मोबाइल फोन पर काम करता है। पिन सिग्नेचर द्वारा सुरक्षित होने के कारण लेनदेन भी सुरक्षित रहता है।

- इसे 7 राज्यों और 14 जिलों में शुरू किया जा चुका है।
- कुल 876 सीएसपी केन्द्रों को इससे जोड़ दिया गया है।
- लगभग 1.85 लाख ग्राहक पंजीकृत किए जा चुके हैं।

शहरी वित्तीय समावेशन

- बैंकिंग सुविधा से वंचित शहरी लोगों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरी/महानगरीय केन्द्रों में 2,300 से अधिक बीसी केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

एसीबीआई तत्काल

- ग्राहकों, विशेष रूप से शहरी प्रवासी श्रमिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर सभी चैनलों पर एक नया उत्पाद शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत किसी भी शाखा के सीबीएस खाते में राशि तुरंत प्राप्त /नकद जमा की जा सकती है।

ङ 1 कृषि व्यवसाय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2010 को	31.03.2011 को	वृद्धि का प्रतिशत
कृषि संस्थागत जमा राशियाँ	14,981	19,724	32%
कृषि प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम			
क) आरआईडीएफ सहित (ग्रामीण आधारभूत विकास निधि)	84,151	94,826	13%
ख) आरआईडीएफ रहित	78,250	94,826	21%

बैंक ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कृषि प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों में 13% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि वास्तविक वृद्धि (आरआईडीएफ को छोड़कर) 21% रही, क्योंकि दिनांक 01.04.2010 से अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों में आरआईडीएईफ अग्रिमों को शामिल करने की अनुमति नहीं है। यह वृद्धि एडीडब्ल्यू एण्ड डीआर स्कीम, 2008 के अंतर्गत ऋण माफी एवं ऋण राहत दावे के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 3,064 करोड़ और ऋण राहत योजना के अंतर्गत 'अन्य किसानों' से वसूल की गई लगभग ₹ 1,000 करोड़ की राशि से अलग है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां / पहल

- बैंक ने 'कृषि क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता' के अंतर्गत वित्त वर्ष 2011 में ₹ 34,179 करोड़ (वार्षिक लक्ष्य ₹ 33,500 करोड़) की तुलना में ₹ 41,208 करोड़ संवितरित किए (कृषि ऋण संवितरण के ₹ 40,000 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य का 103 प्रतिशत) और वर्ष के दौरान 8.40 लाख किसानों के लक्ष्य की तुलना में 10.85 लाख नए किसानों का वित्तपोषण किया।

- **विशेष रियायती ब्याज दर योजना**

  यह योजना ₹ 25 लाख तक के लघु सिंचाई ऋण और ₹ 3 लाख से अधिक एवं ₹ 25 लाख तक के फसल ऋण देने के लिए शुरू की गई (₹ 3 लाख तक के फसल ऋणों के लिए भारत सरकार की ब्याज आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत रियायत दी गई)।

more than 50 lac customers). Tiny Cards now support Savings Bank, Recurring Deposit, SB-Cum-Overdraft and Remittance products. Tiny Card for SHG customers with authorized signatories & finger print validation operable at BC / CSP PoS near to their place of residence has been introduced. Approximately, 28,000 SHG groups and 1,54,000 SHG members with tiny cards for individuals have been covered up to 31.03.2011.

Kiosk banking – It is Bank's own Technology Initiative, operated at internet enabled PC (Kiosk) with bio-metric validation. Supports online / real-time transactions. Besides individuals, Companies and Common Service Centers set-up under e-governance project are also working as BC / CSP using this channel.

- Rolled out in 26 states and 3,120 districts.
- Total of 3,373 CSPs.
- Over 2.34 lac customer enrollments.
- The technology is widely accepted by the BCs both at national and state level.

Cell Phone Messaging Channel – Cost effective model, works on low – cost simple mobile phones. Transactions are well secured through PIN / signature based security.

- Rolled out in 7 states across 14 districts.
- Total no of CSP outlets 876.
- Approximately 1.85 lac customers enrolled.

Urban Financial Inclusion

- To cater to Urban excluded, more than 2,300 BC outlets have been set up in Urban/Metro centers.

SBI Tatkal

- New product of instant credit / cash deposit to CBS account of any branch has been launched on all channels for benefit of Customers, especially urban migrant labour.

E.1 Agri Business

(₹ in Crs)

Particulars	As on 31.03.2010	As on 31.03.2011	Growth %
Agri Institutional Deposits	14,981	19,724	32%
Agri Priority Advances			
a) with RIDF (Rural Infrastructure Development Fund)	84,151	94,826	13%
b) without RIDF	78,250	94,826	21%

The Bank has recorded a 13% growth in Agri priority sector advances on YoY basis, the actual growth works out to 21% (excluding RIDF), as the RIDF is not allowed to be reckoned as part of Indirect Agri Advances w.e.f. 01.04.2010. The growth is despite an amount of ₹ 3,064 crores received from Govt. of India on account of Debt Waiver & Debt Relief Claim of ADW&DR Scheme, 2008 and around ₹ 1,000 crores recovered from 'Other Farmers' eligible under Debt Relief Scheme.

Achievements / initiatives during the year

- The Bank has recorded ₹ 41,208 crores disbursement (103% of annual target of ₹ 40,000 crores of Agri disbursements) under 'Flow of Credit to Agriculture' as against ₹ 34,179 crores (against annual target ₹ 33,500 crores) in FY'11 and financed 10.85 lac new farmers against the target of 8.40 lac during the year.
- **Special interest rates Concessionary Scheme** launched for minor irrigation loans upto ₹ 25 lac and crop loans above ₹ 3 lac and upto ₹ 25 lac (crop loans upto ₹ 3 lac are covered under Interest subvention scheme of GoI).

- **उत्पाद विपणन ऋण**

  किसानों को रियायती ब्याज दर पर ऋण देने हेतु यह योजना विशेष रूप से शुरू की गई।

- **बैंक ने डेयरी, मुर्गीपालन, बागवानी के लिए तथा शीत गृह / गोदामों / ग्रामीण गोदामों का निर्माण करने एवं उन्हें चलाने के लिए रियायती ब्याज दर ऋण प्रदान करने भी शुरू किए हैं।**

- कारपोरेट गठजोड़ों के माध्यम से संयुक्त देयता समूहों का निर्माण करने पर भी बल दिया गया है।

- फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान से बचने में किसानों की मदद करने विशेषकर शीत गृह क्षमता बढ़ाने की भारत सरकार की नीति के अनुसार फलों एवं तरकारियों की फसलों की कटाई के बाद होनेवाले नुकसान से बचाने के लिए ब्याज दरों में छूट उपलब्ध कराते हुए सस्ते शीत गृहों एवं गोदामों का निर्माण करने पर विशेष बल दिया गया ।

- **कृषि ज्ञान कार्यक्रम** ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं में कार्यरत परिचालन स्टाफ के मध्य कृषि उत्पादों और प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु शुरू किया गया।

- रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हुए उच्च प्रौद्योगिकी आधारित डेयरी / मुर्गीपालन और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड अनुमोदित कार्यकलाप पर बल दिया गया जिससे उच्च मूल्यवाले कृषि में सहायक कार्यकलाप में प्रौद्योगिकी के मामले में बाजार में हिस्सा बढ़ाया जा सके।

कृषि वाणिज्यिक शाखाएं (एसीबी)

- एक नई पहल के रूप में, भारतीय स्टेट बैंक ने सभी संभाव्य केन्द्रों पर 11 कृषि वाणिज्यिक शाखाएं खोली हैं जिससे कृषि प्रसंस्करण इकाइयों सहित उभर रहे उच्च मूल्य वाले कृषि एवं कृषि संबद्ध एसएमई क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अवसरों से लाभ उठाया जा सके ।

नए उत्पाद

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने प्रायोगिक आधार पर 2 नए उत्पाद पुष्प उल्लास तथा आढ़तिया प्लस शुरू किए।

किसानों के साथ बेहतर संबंध - ग्राहक जागरूकता बढ़ाने और कृषक समुदाय के साथ दूरगामी संबंध सुनिश्चित करने के लिए, किसानों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने संबंधी योजना के अंतर्गत विभिन्न पहलों को जारी रखा गया।

वित्त वर्ष 2011 की उपलब्धियाँ नीचे प्रस्तुत की गई हैं :

पहल	उपलब्धि
गोद लिए गए गांव (एसबीआई का अपना गांव)	218
गठित किए गए कृषक क्लब	297
आयोजित की गई कृषक सभाएं	57,912

ङ.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्लेटफार्म अपनाना

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सितंबर 2011 तक सीबीएस प्रणाली अपनानी होगी। बैंक ने 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं। 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से, 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सीबीएस प्रणाली को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। शेष 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सीबीएस प्रणाली लागू करने का कार्य लगभग पूरा होने वाला है।

ऋण जमा अनुपात

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ ऋण जमा अनुपात में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की (मार्च 2010 में 61.08 प्रतिशत से मार्च 2011 में 61.83 प्रतिशत तक)।

ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान मुफ्त भोजन व आवास की सुविधा के साथ नि:शुल्क, अलग प्रकार के और अल्पकालीन आवासीय स्व-रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं जो विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं के लिए तैयार किए गए हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में, बैंक ने सम्पूर्ण देश में मार्गदर्शी जिलों में 31.03.2011 तक 93 आरएसईटीआई स्थापित किए हैं, 2,798 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, 72,011 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है और 19,115 लाभार्थियों के लिए ऋण उपलब्धता का प्रबंध किया है।

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी)

एफएलसीसी का व्यापक उद्देश्य चरणबद्ध ढंग से समाज के सभी खण्डों के लिए मुफ्त वित्तीय साक्षरता / शिक्षा और ऋण परामर्श सेवा उपलब्ध कराना है। एफएलसीसी से यह भी अपेक्षा

- **Produce Marketing loans -** launched exclusively for farmers at concessionary interest rate.

- **The Bank has also given interest rate concessions for Dairy, Poultry, Horticulture Loans and for Construction & Running of Cold storages / Warehouses / Rural Godowns**.

- Thrust was also given for formation of Joint Liability Groups through Corporate Tie-ups.

- Special focus was given for creation of efficient Cold Storages and Warehouses by providing discounts in interest rates and for making them sustainable to help farming community save losses on post harvest, particularly crops of fruit & vegetables in line with GoI's policy for augmenting storage capacity.

- **Krishi Gyan** was launched to enhance awareness of the agri products and processes among the operating staff working at rural and semi-urban branches.

- High tech dairy/poultry farming & National Horticulture Board approved activities were given thrust by extending loans at concessional interest rate to increase technological market share in high value allied agricultural activities.

Agriculture Commercial Branches (ACBs):

- As a new initiative, SBI has opened 11 ACBs in all potential centres to capture emerging High value Agri and Agri related SME opportunity, including Agro processing units.

New Products:

During the current year, the Bank has introduced 2 new products "Pushpa Ullas" and "Arthias Plus" on pilot basis.

Bonding with Farmers: To enhance customer awareness and ensure continued relationship with the farming community, various initiatives have been continued under 'Bonding with Farmers'.

Achievements during FY' 11 are given as under:

Initiative	Achievement
Villages adopted *(SBI ka Apna Gaon)*	218
Farmers' Clubs formed	297
Farmers' Meets conducted	57,912

E.2. REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

Migration to Core Banking Solutions (CBS) Platform

As per GoI guidelines, all RRBs have to be migrated to CBS by Sept' 2011. The Bank has sponsored 18 RRBs. Out of 18 RRBs, 10 RRBs are 100% compliant. In remaining 8 RRBs, the migration to CBS is at an advanced stage.

Credit Deposit Ratio

The Bank has ensured continuous growth in the CD ratio of RRBs (from 61.08% in March 2010 to 61.83% in March 2011) for the development of rural economy.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

RSETI's offer free, unique and intensive short-term residential **self-employment training programmes** with free food and accommodation, designed specifically for rural youth. Under the guidance of Ministry of Rural Development (MoRD), GoI, the Bank has set up 93 RSETIs as on 31.03.2011 in the lead districts across the country; conducted 2,798 training programmes, trained 72,011 candidates and arranged credit linkage to 19,115 beneficiaries.

Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCCs)

The broad objective of FLCCs is to provide free financial literacy / education and credit counseling to all segments of society in a phased manner. FLCCs are also expected to assist and

की गई है कि वे विपत्तिग्रस्त व्यक्तिगत ऋणियों की सहायता एवं मार्गदर्शन करें और ऐसे सभी कार्यकलाप शुरू करें जिनसे व्यक्ति की वित्तीय साक्षरता बढ़े, बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय आयोजना की जानकारी बढ़े। दिनांक 31.03.2011 तक बैंक ने 11 एफएलसीसी स्थापित किए हैं।

कमजोर वर्गों को अग्रिम

बैंक ने 31.03.2011 तक कमजोर वर्गों को ₹ 59,213 करोड़ की राशि के अग्रिम प्रदान किए जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 10.42 प्रतिशत है जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एएनबीसी सीमा 10 प्रतिशत है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम और सच्चर समिति की सिफारशों का कार्यान्वयन

बैंक ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित किया है जिसका प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों का एक उचित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए रखा जाए और सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लाभ अल्पसुविधा प्राप्त लोगों, विशेष रूप से वंचित लोगों तक पहुंचें।

अल्पसंख्यक बहुल चयनित जिलों (एमसीडी) में अल्पसंख्यक समुदायों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के संबंध में वर्षवार स्थिति नीचे प्रस्तुत की गई है :

अवधि	भारत सरकार द्वारा चयनित (एमसीडी) जिलों की संख्या	खातों की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)
मार्च-2009	121	9.91 लाख	5,091
मार्च-2010	121	8.29 लाख	9,434
मार्च-2011	121	8.41 लाख	10,536

- भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कुल प्राथमिकता प्राप्त ऋणों के निर्धारित 15 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में बैंक ने दिनांक 31.03.2011 को कुल प्राथमिकता प्राप्त ऋणों का 15.86 प्रतिशत हासिल किया है।
- बैंक ने सच्चर समिति की सिफारिशों के अनुसार अल्पसंख्यक बहुल चयनित जिलों (एमसीडी) के अल्प बैंकिंग सुविधावाले/ बैंकिंग सुविधा विहीन क्षेत्रों में 132 नई शाखाएं खोलीं जिससे 31.03.2011 को ऐसी शाखाओं की कुल संख्या बढ़कर 3,133 तक पहुँच गई।

च. परस्पर विक्रय

स्टेट बैंक समूह के शाखा नेटवर्क का उपयोग एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं., एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई कार्ड, एसबीआई जनरल तथा भारतीय स्टेट बैंक के साथ गठजोड़ व्यवस्था वाली अन्य एएमसी कंपनियों के अर्ध-बैंकिंग उत्पाद वितरित करने हेतु किया जा रहा है जिससे हमारे ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं की व्यापक श्रृंखला उपलब्ध हो सके।

वर्ष के दौरान बैंक ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 7.50 लाख जीवन बीमा किए। 'क्रिटी-9' नामक स्वास्थ्य उत्पाद जिसे बेंगलूर में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया था, की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसे पूरे देश में शुरू किया गया है। इसी तरह, छोटे निवेशकों के निवेश प्रोत्साहित करने हेतु बैंक ने सिप (नियमित निवेश योजना) उत्पाद वितरित किए जिससे मध्यम आय वर्ग के ग्राहक म्यूचुअल फण्ड में नियमित निवेश कर सकें। वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल 3.46 लाख ग्राहक शामिल किए गए। एसबीआई कार्ड ग्राहकों को काउंटर पर भुगतान का विकल्प प्रदान किया गया और इस प्रकार कंपनी भुगतान के विकल्पों में उद्योग में सबसे आगे हो गई है। गैर-जीवन बीमा उत्पादों का संवितरण करने के लिए बैंक ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के लिए कारपोरेट संवितरक के रूप में गठजोड़ भी किया है।

छ. कारपोरेट कार्यनीति एवं नव व्यवसाय

नव व्यवसाय विभाग की स्थापना जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु की गई थी उसकी प्राप्ति में वह सफल रहा है। अभिरक्षा सेवाएं और साधारण बीमा जैसे उत्पादों की दो नई श्रृंखलाएँ सफलतापूर्वक शुरू की गईं और अब स्थायित्व की प्रक्रिया में हैं। शुरू किए गए अन्य प्रयासों में निजी ईक्विटी, वित्तीय आयोजना एवं परामर्शी सेवाएं, मर्चेण्ट अधिग्रहण और मोबाइल बैंकिंग हैं। व्यापक कार्यनीतिक आक्रामक व्यवसाय योजना तैयार करने हेतु, उन्नत प्रक्रियाएं कार्यान्वित करने हेतु

guide the distressed individual borrowers and undertake all activities that promote financial literacy, awareness of the banking services, financial planning of an individual. As on 31.03.2011, the Bank has set up 11 FLCCs.

Advances to weaker section

The Bank has extended advances to the tune of ₹ 59,213 crores as on 31.03.2011 to the weaker sections, which is 10.42% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the benchmark of 10 % of the ANBC set by the Reserve Bank of India.

Prime Minister's New 15 Point Programme for the welfare of Minorities and Implementation of Sachar Committee recommendations

The Bank has implemented Prime Minister's New 15 Point Programme for the welfare of Minorities, whose important objective is to ensure that an appropriate percentage of the Priority Sector Lending is targeted for the Minority Communities and that the benefits of various Government sponsored schemes reach the under-privileged, particularly the disadvantaged section.

The year-wise position in respect of financial assistance to Minority Communities in the identified Minority Concentration Districts (MCDs) is given below:

Period as on	No. of districts identified by GoI (MCDs)	No. of A/cs	Amount (₹ in crores)
March 2009	121	9.91 lac	5,091
March 2010	121	8.29 lac	9,434
March 2011	121	8.41 lac	10,536

- Against GoI stipulated target of 15% of the total Priority Sector Lending (PSL) to Minority Communities, the Bank has achieved a level of 15.86% of the total PSL as on 31.03.2011.
- As per Sachar Committee recommendations, the Bank has opened 132 new branches in under-banked/unbanked areas in MCDs taking the total number of such branches to 3,133 as on 31.3.2011.

F. CROSS SELLING

The large network of branches of the State Bank Group is being leveraged to deliver para banking products of SBI Life Insurance Co., SBI Mutual Fund, SBI Card, SBI General and other third party AMC companies having tie-up arrangement with SBI, thereby offering wider range of financial products to our customers.

During the year, the Bank covered 7.50 lac lives under various schemes of SBI Life Insurance. Looking at the popularity, the Health Insurance product covering nine critical illnesses named 'Criti 9' is extended across the country. Also, for encouraging investment among small investors, the Bank popularised SIP (Systematic Investment Plan) product by which middle income group customers can invest regularly in the Mutual Fund. A total of 3.46 lac customers were covered during the year under the scheme. "Over the Counter" payment option is extended to SBI Card customers for payment of credit card dues, thus transforming the company into the industry leader in payment options. The Bank has also tied up as Corporate Distributor for SBI General Insurance Co. Ltd. for distribution of non-life insurance products.

G. CORPORATE STRATEGY AND NEW BUSINESS

The New Businesses Department has been successful in achieving the objectives with which it was set up. Two new lines of business viz. Custodial Services and General Insurance have been successfully set up and are in the process of stabilization. Other initiatives being pursued are Private Equity, Financial Planning & Advisory Services (FP&AS), Merchant Acquisition and Mobile Banking. Seven niche areas viz. Mobile Banking,

तथा संगठनात्मक संरचना में मेल स्थापित करने हेतु मोबाइल बैंकिंग, मर्चेण्ट अधिग्रहण व्यवसाय, एसएमई चालू खाता एवं आपूर्ति शृंखला वित्तपोषण, बचत बैंक, नकदी प्रबंधन उत्पाद, अनिवासी भारतीय धन-प्रेषण तथा सरकारी व्यवसाय जैसे सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन किया गया है।

वित्तीय आयोजना एवं परामर्शी सेवाएं (एफपी एंड एएस)

वित्तीय आयोजना एवं परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एक नया व्यवसाय मॉडल तैयार किया गया है। इस मॉडल में महत्वपूर्ण शाखाओं (दि स्पोक्स) के समृद्ध एवं उच्च निवल हैसियत वाले ग्राहकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने हेतु एक अलग एफपीएएस टीम (दि हब) शामिल की गई है। देश भर में 44 नगरों में 55 हब बनाए जा रहे हैं। इनमें 200 ग्राहक संबंध अधिकारियों की समर्पित टीम ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करेगी।

बैंक का वित्त वर्ष 11-12 के दौरान धन-संपदा प्रबंधन सेवाएँ शुरू करने का प्रस्ताव है।

डीमैट एवं ऑनलाइन शेयर खरीद-फरोख्त

बैंक सम्पूर्ण देश में 2800 शाखाओं के माध्यम से डीमैट सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। 31 मार्च 2011 को बैंक के पास अपनी बहियों में 2,94,146 डीमैट खाते थे, जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत खाताधारकों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा का विकल्प भी अपनाया है। बैंक एक संशोधित व्यवसाय मॉडल भी कार्यान्वित कर रहा है जिससे 3-इन-1 ऑनलाइन ट्रेडिंग उत्पाद में डीमैट खाता एसबीआई के स्थान पर हमारी अनुषंगी एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड (एसएसएल) में रखा जाएगा।

भुगतान समाधान

ग्रीन चैनल काउंटर

बैंक ने देश भर में चयनित शाखाओं में दिनांक **1 जुलाई 2010** से अपने **'ग्रीन चैनल काउंटर'** की शुरुआत की है। कागज के उपयोग में कमी लाने के साथ साथ लेनदेन समय की बचत करने पर विशेष ध्यान देते हुए परम्परागत कागज आधारित बैंकिंग को कार्ड आधारित 'ग्रीन बैंकिंग' के रूप में बदलते हुए बैंक द्वारा उठाया गया यह एक नवोन्मेषी कदम है। ग्राहक के व्यवहार को वाउचर आधारित बैंकिंग से कार्ड आधारित लेनदेन की ओर बदलने का बैंक प्रयास कर रहा है।

मोबाइल बैंकिंग सेवा (एमबीएस)

'कभी भी, कहीं भी बैंकिंग' उपलब्ध कराने वाले एक सुविधाजनक वैकल्पिक चैनल के रूप में हमारे ग्राहकों के बीच 'स्टेट बैंक फ्रीडम' नामक हमारी मोबाइल बैंकिंग सेवा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इस सेवा का उपयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या 10 लाख से भी अधिक है। इस वैकल्पिक चैनल के माध्यम से प्रतिदिन, औसतन, कुल 57,000 लेनदेन किए जाते हैं।

मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए बैंक को निम्नलिखित दो अवार्ड प्राप्त हुए हैं:

- 'मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट अप्लिकेशन के लिए प्रौद्योगिकी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग' हेतु प्रतिष्ठित आईडीआरबीटी अवार्ड (अवार्ड दिनांक 18 जून 2010 को प्रदान किया गया)।
- वर्ष में ई-गव. के अंतर्गत वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पहल के लिए ''यूएसएसडी शॉर्ट कोड *595#'' के माध्यम से प्रदान की जा रही भारतीय स्टेट बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवा को ई-इंडिया की सिटीजन चॉईस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का स्थान प्राप्त हुआ है (अवार्ड दिनांक 5 अगस्त 2010 को प्रदान किया गया) ।

एनईएफटी/आरटीजीएस

आरटीजीएस और एनईएफटी सेवाएं धन-प्रेषण की सबसे कम लागतवाली और दक्ष सेवाओं के रूप में उभर कर सामने आई हैं। 31 मार्च 2011 तक आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से जावक धन-प्रेषण लेनदेनों की संख्या में वर्ष-प्रति-वर्ष क्रमश: 44.08 प्रतिशत और 252.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2011 तक बैंक ने 13.84 प्रतिशत के बाजार अंश के साथ अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी । एनईएफटी लेनदेन में मार्च 2011 के अंत तक 12.17 प्रतिशत बाजार अंश के साथ बैंक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है (मार्च 2010 में चौथा स्थान था)। इसके अतिरिक्त, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी धनप्रेषण लेनदेन की संख्या भी बढ़ रही है।

डेबिट कार्ड्स

स्टेट बैंक समूह ने भुगतान के लिए नकदी के प्रयोग को कम करने के अपने प्रयासों के रूप में दो नए डेबिट कार्डों अर्थात स्टेट बैंक

Merchant Acquisition Business, SME Current account and Supply Chain Finance, Savings Bank, Cash Management Product, NRI remittances and Govt. business have been identified for strategising aggressive business plans, improving processes and matching organizational structures.

Financial Planning and Advisory Services (FP & AS)

A new business model for delivery of Financial Planning and Advisory Services (FPAS) has been put in place. The model envisages an exclusive FPAS team (the Hub) to cater to the requirements of Affluent and HNI customers of important branches (the Spokes). 55 Hubs are being formed in 44 cities across the country. A dedicated cadre of 200 Customer Relationship Officers would deliver the services to clients.

The Bank is proposing to launch Wealth Management services during FY 11-12.

Demat & Online Trading

The Bank is offering Demat services from 2,800 branches across India. As on 31st March 2011, the Bank has 2,94,146 Demat Accounts in its books, out of which approximately 70 % account holders have also opted for Online Trading facility. The Bank is also putting in place a revised business model whereby the Demat Account in the 3-in-1 online trading product will be maintained with our subsidiary SBI Caps Securities Limited (SSL) instead of with SBI.

Payment Solutions

The Green Channel Counter

The Bank launched its '**Green Channel Counter**' on the **1st July 2010**, at select branches across the country. This is an innovative step taken by the Bank towards changing the traditional paper based banking to the card based 'Green Banking' focusing on reduction in paper usage as well as saving of transaction time. The Bank is attempting to change the behaviour of customers from voucher based banking to card based transactions.

Mobile Banking Service (MBS)

'State Bank Freedom', our Mobile Banking Service, is gaining popularity among our customers as a very convenient alternate channel offering 'Anytime Anywhere' banking. There are more than 10 lac customers using the Service. There are, on an average, 57,000 total transactions conducted per day over this alternate channel.

The Bank has won two Awards for Mobile Banking Service:

- The Prestigious IDRBT award for 'Best use of technology for mobile banking and payment application.' (awarded on 18th June 2010)
- "Mobile Banking - State Bank of India through USSD Short Code *595#" has been voted as one of the best projects in the Citizen's Choice category of eINDIA Awards 2010 for eGov Financial Inclusion Initiative of the Year (awarded on 5th August 2010).

NEFT/RTGS

RTGS and NEFT have emerged as the most cost-effective and efficient modes of Remittance. The number of outward remittances through RTGS and NEFT have registered a Y-o-Y growth of 44.08% and 252.00% respectively till 31st March 2011. The Bank has maintained its leadership position in RTGS with a market share of 13.84% as on 31st March 2011. In NEFT, the Bank was ranked 2nd with a 12.17% market share as at end of March 2011 (4th position in March 2010). Further, NEFT remittance through Mobile Banking is gaining popularity.

Debit Cards

State Bank Group in its efforts to reduce cash usage in the payments space launched two new variants of Debit Cards, viz State Bank Classic

क्लासिक डेबिट कार्ड और स्टेट बैंक सिल्वर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की शुरुआत की है जिससे अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रयोग को कम करने के राष्ट्र के प्रयास में सहयोग किया जा सके। 31 मार्च 2011 को स्टेट बैंक समूह 90 मिलियन से भी अधिक डेबिट कार्डों के साथ डेबिट कार्ड बाजार में अग्रणी बना हुआ है जो कुल बाजार अंश का लगभग 40 प्रतिशत है। इसके अलावा, बिक्री केन्द्रों पर बैंक के दैनिक औसत लेनदेन की संख्या मार्च 2011 में बढ़कर 1.53 लाख तक हो गई जबकि मार्च 2010 में इनकी संख्या 0.89 लाख रही थी। बिक्री केन्द्रों पर खर्च की जाने वाली औसत दैनिक राशि मार्च 2011 में बढ़कर ₹ 24.19 करोड़ हो गई जबकि मार्च 2010 में यह राशि प्रतिदिन ₹ 14.92 करोड़ रही थी।

प्रीपेड कार्ड

भुगतान संबंधी विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एसबीआई विश्व यात्रा कार्ड, ईजी पे कार्ड और गिफ्ट कार्ड जैसे बैंक के विभिन्न प्रकार के प्रीपेड कार्ड विदेशों की यात्रा करने वालों को सुरक्षा एवं सुविधा प्रदान करते हैं। ईजी-पे कार्ड सभी प्रकार की घरेलू भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक लाभों के संवितरण हेतु पसंदीदा कार्ड साबित हो रहे हैं। ग्राहकों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक ने ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड खरीदने की सुविधा भी शुरू की है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान एसबीआई विश्व यात्रा फॉरेन ट्रैवल कार्ड, ईजी पे कार्ड और गिफ्ट कार्ड की बिक्री राशि क्रमश: 74.24 मिलियन अमरीकी डॉलर, ₹ 550.60 करोड़ और ₹ 103.94 करोड़ रही।

साधारण बीमा

अपने ग्राहकों को लाभ पहुंचाने और आंतरिक व्यवसाय के महत्व को बढ़ाने के लिए तथा वित्तीय सेवा क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी के रूप में स्टेट बैंक समूह को स्थापित करने के लिए, बैंक ने एक अनुषंगी के रूप में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई जनरल) की स्थापना की है जिसकी प्राधिकृत संदत्त पूंजी 150 करोड़ रुपए है। हमारे बैंक ने ईक्विटी पूंजी में जहां 74 प्रतिशत (₹ 111 करोड़) शेयरों में निवेश किया है वहीं आईएजी इंटरनेशनल पीटीवाई लि. ने शेष 26 प्रतिशत(₹ 39 करोड़ + प्रीमियम के रूप में ₹ 503.10 करोड़ - कुल ₹ 542.10 करोड़) शेयरों में निवेश किया है।

पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने अपने व्यवसाय परिचालन शुरू किए। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान जुटाए गए कुल व्यवसाय (सकल प्राप्त प्रीमियम) की राशि ₹ 43.02 करोड़ रही। बैंकएश्योरेंस, ब्रोकरों, एजेंटों, प्रत्यक्ष बिक्री आदि विभिन्न चैनलों के माध्यम से व्यवसाय प्राप्त किया गया।

अप्रैल 2010 में कंपनी ने मुंबई आधारित कारपोरेट और मिड कारपोरेट ग्राहकों के लिए सीमित परिचालन शुरू किया, और जुलाई 2010 में इसे छह अन्य प्रमुख केन्द्रों पर शुरू किया गया । चालू वित्त वर्ष के दौरान चरणबद्ध ढंग से इसे अन्य प्रमुख केन्द्रों पर शुरू किया जाएगा।

फरवरी 2011 में मुंबई और चेन्नई में प्रायोगिक आधार पर एसएमई व्यवसाय शुरू किया गया, और चरणबद्ध ढंग से अन्य केन्द्रों पर भी इसे शुरू करने की कंपनी की योजना है।

अक्तूबर 2010 में, रिटेल खण्ड में कंपनी ने मुंबई में अपना दीर्घकालीन आवास बीमा व्यवसाय शुरू किया जिसे धीरे-धीरे 56 आरएसीपीसी और आरएएसएमईसीसी केन्द्रों में विस्तारित किया गया है। काफी मात्रा में आवास ऋण संवितरित करने वाली 60 प्रमुख एसबीआई शाखाओं में भी दीर्घकालीन आवास बीमा व्यवसाय शुरू किया गया है।

इन केन्द्रों पर व्यवसाय संभावना को देखते हुए, कंपनी ने भारत में 17 शाखाओं की शुरुआत की है।

अभिरक्षा सेवाएं (एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.)

बैंक और सोसायटी जनरल के बीच उपर्युक्त संयुक्त उद्यम वर्ष 2008 में स्थापित किया गया जिससे भारतीय वित्तीय बाजारों में कार्यरत देशीय संस्थाओं तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों, दोनों ही को सेवाओं की संपूर्ण शृंखला प्रदान की जा सके। विश्व के नामी खिलाड़ी एसजी के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करके बैंक, पूरे विश्व के इस उद्योग में श्रेष्ठ प्रथाओं और प्रौद्योगिकी का समावेश करना चाहता है। साथ ही विश्वव्यापी अभिरक्षी माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष रूप से सभी भौगोलिक सीमाओं में फैले ऐसे विदेशी संस्थागत

Debit Card & State Bank Silver International Debit Card to supplement the nation's effort to move towards a near cashless economy. The State Bank Group is the leader in the Debit Card market with over 90 million Debit Cards as on 31st March 2011, which constitute about 40% market share. Besides, the Bank's average number of daily transactions at PoS have gone up to 1.53 lac in March 2011 against 0.89 lac in March 2010. The average daily PoS spend went up to ₹ 24.19 crores per day in March 2011 against ₹ 14.92 crores per day in March 2010.

Prepaid Cards

Bank's range of Prepaid Cards viz. SBI Vishwa Yatra Foreign Travel Card (VYFTC), eZ-Pay Card and Gift Cards cater to the various payment needs provide safety and convenience to overseas travellers. eZ-Pay Card caters to all kinds of domestic payment needs and is proving to be the preferred mode for disbursement of social benefits by various State Governments. The Bank has also introduced the online purchase facility for Gift cards for greater convenience to customers. The sale of SBI Vishwa Yatra Foreign Travel Cards (VYFTC), eZ-Pay Cards and Gift Cards was USD 74.24 million, ₹ 550.60 crores and ₹ 103.94 crores respectively during the FY 2010-11.

General Insurance

As part of its strategy to enhance its value proposition to its customers and with a view to leveraging the value of in-house business and establish State Bank Group as a leading player in the financial services sector, the Bank has set up SBI General Insurance Co. Ltd. (SBI General) as a Subsidiary with an authorised and paid-up capital of ₹ 150 crores. While the Bank invested 74% (₹ 111 crores) in the equity capital, the Joint Venture Partner IAG International Pty. Ltd. (IAG) has invested the remaining 26% (₹ 39 crores + ₹ 503.10 crores as premium – Total ₹ 542.10 crores).

The Company launched its business operations in the last financial year. Total business (Gross Written Premium) booked during the year 2010-11 was ₹ 43.02 crores. The business has been written through various channels like Bancassurance, brokers, agents, direct sale etc.

The Company launched limited operations in April 2010 for the Corporate and Mid Corporate customers based at Mumbai, and it was expanded to six other major locations in July 2010. It will be extended to other major locations in a phased manner during the current financial year.

General Insurance SME business has been launched on a pilot basis in Mumbai and Chennai in February 2011, and the Company proposes to extend it to other locations in a phased manner.

In the Retail segment, the Company launched its Long Term Home Insurance business at Mumbai in October 2010, which was gradually extended to cover 56 RACPCs and RASMECCs. Long Term Home business has also been launched from 60 key SBI Branches with high levels of Home Loan disbursals.

The Company has since opened 17 branches across India, keeping in view the business potential at these centres.

Custodial Services (SBI-SG Global Securities Services Pvt. Ltd.)

The above JV between the Bank and Société Générale (SG) was incorporated in 2008 to complete the bouquet of services on offer to both Domestic Institutions and FIIs operating in the Financial Markets in India. By forming a JV with a leading global player, SG, the Bank proposes

निवेशकों के व्यवसाय में हिस्सा प्राप्त करना चाहता है जो भारतीय बाजार में वैश्विक अभिरक्षा माध्यम से अथवा सीधे प्रवेश करना चाहते हैं और देशीय संस्थाओं की भी पहली पसंद बनना चाहता है।

कंपनी ने कस्टोडियन के रूप में सेबी और सीडीएसएल और एनएसडीएल के साथ एक डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में पंजीकरण कराया है। यह देशीय संस्थाओं और विदेशी संस्थागत निवेशकों दोनों तथा उनके उप-लेखों को अभिरक्षा सेवाएं और निधि संचालन सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी ने मई 2010 से अपना अभिरक्षा सेवा व्यवसाय करना शुरू कर दिया है, सितंबर 2010 से निधि लेखा सेवाएँ प्रदान करना शुरू कर दिया है तथा दिसंबर 2010 से एफआईआई ग्राहक जुटाए हैं।

कंपनी ने जनवरी 2011 से माह-प्रति-माह आधार पर लाभ-अलाभ स्थिति प्राप्त कर ली है और कंपनी को मार्च 2011 को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष के लिए ₹ 1.37 करोड़ (संचित हानि ₹ 7.43 करोड़) की निवल हानि हुई जबकि वित्त वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 4.29 करोड़ की निवल हानि हुई थी।

प्राइवेट ईक्विटी

वर्ष के दौरान, बैंक ने देश की एक अग्रणी प्राइवेट ईक्विटी कंपनी के रूप में स्वयं को स्थापित करने में अच्छी प्रगति की है।

मैक्वेरी आस्ट्रेलिया और आईएफसी वाशिंगटन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से स्थापित इस इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड ने देश-विदेश में अपनी पहुंच को बढ़ाते हुए कुल 1.19 बिलियन अमरीकी डालर की निवेश राशि जुटायी। फंड द्वारा जुटाए गए कुछ बड़े सौदे वित्त वर्ष के दौरान संपन्न हुए। अनेक प्रमुख उद्योग प्रकाशनों ने भारत में प्राइवेट ईक्विटी फंड को सर्वोच्च दर्जा दिया।

बैंक ने सल्तनत आफ ओमान के स्टेट जनरल रिज़र्व फंड (एसजीआरएफ), जो एक सरकारी कंपनी है, के साथ 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की प्रारंभिक आधारभूत निधि (जिसे और बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर किया जा सकता है) वाले एक जनरल परपज प्राइवेट ईक्विटी फंड की स्थापना करने के लिए एक संयुक्त उद्यम करार पर भी हस्ताक्षर किए।

इसके लिए सभी आवश्यक नियामक अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए और वित्त वर्ष के दौरान फंड ने कार्य करना शुरू कर दिया। फंड सेक्टर में अनिश्चितता के चलते फंड द्वारा वृद्धि वाले विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए अवसरों की तलाश शुरू कर दी गई है।

मर्चेंट अधिग्रहण व्यवसाय

भारतीय बाजार में आज 1.5 करोड़ से भी अधिक मर्चेंट संस्थापनाएं हैं जिनमें से केवल 3.5 लाख मर्चेंट संस्थापनाओं में विक्रय केंद्र (पीओएस) टर्मिनल खोले गए हैं। भारत में मर्चेंट अधिग्रहण व्यवसाय में वर्ष-दर-वर्ष पर्याप्त वृद्धि, बढ़ रहे संगठित रिटेल व्यवसाय के साथ-साथ उपलब्ध अनेकानेक संभावनाओं, इलेक्ट्रानिक चैनलों को अपनाने के सरकारी अभियान, बैंक व्यवसाय को पूरी तरह से कोर बैंकिंग से करने और एसबीआई में प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए उपयोग को देखते हुए, बैंक ने मर्चेंट अधिग्रहण व्यवसाय में प्रवेश करने और इस प्रयोजन हेतु एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा.लिमिटेड के नाम से एक पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी स्थापित करने का निर्णय लिया है । इसने संयुक्त भागीदारों के रूप में वीजा इंटरनेशनल और इलैवान इनकॉ., जो विश्व बाजार में सबसे आगे है, का भी चयन किया है। इस बीच बैंक अपने स्तर पर यह व्यवसाय कर रहा है और इस समय शाखाओं के बड़े नेटवर्क का उपयोग करते हुए टियर-1, टियर-2 और टियर-3 में रिटेल खण्ड में व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों से संबंधित वर्तमान एसबीआई ऋणियों और चालू खाता ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह कारपोरेट गठजोड़ों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसने फ्यूचर ग्रुप, नेशनल हैण्डलूम, लीवरपूल जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ गठजोड़ भी किए हैं।

ज. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह

ज.1 विदेश स्थित कार्यालयों का परिचालन

विदेशी शाखाओं (अनुषंगियों को छोड़कर) के आस्ति स्तर, जो मार्च 2010 में 27.78 बिलियन अमरीकी डालर था, में 16 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई और मार्च 2011 में यह बढ़कर 32.04 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। वित्त वर्ष 2011 के दौरान निवल ग्राहक ऋण 21,561 मिलियन अमरीकी डालर से 13 प्रतिशत बढ़कर 24,525 मिलियन अमरीकी डालर, ग्राहक जमाराशियां 8,775 मिलियन अमरीकी डालर से 20 प्रतिशत बढ़कर 10,490 मिलियन अमरीकी डालर और निवल लाभ 38 प्रतिशत बढ़कर 326 मिलियन अमरीकी डालर हो गया।

to bring in the best practices and technology in this industry worldwide, and gain a share of the business of FIIs spread in all geographies that enter the Indian market through the Global Custodian route or directly besides becoming the preferred choice of Domestic Institutions as well.

The Company, registered as a Custodian with SEBI and Depository Participant with CDSL and NSDL offers Custodial Services and Fund Administration Services to both Domestic Institutions and FIIs and its sub-accounts. The Company commenced its custody operations in May 2010, started delivering Fund Accounting services from September 2010 and acquired FII clients from December 2010.

The company has broken even on a month to month basis from January 2011 and posted a net loss of ₹ 1.37 crores for FY ended 31st March 2011 (Accumulated Loss ₹ 7.43 crores) compared to a net loss of ₹ 4.29 crores in 2009-10.

Private Equity (PE)

During the year, the Bank made substantial progress in establishing itself as a leading PE fund player of the country.

The infrastructure fund JV with Macquarie Australia and IFC, Washington closed fund raising for its Domestic and Overseas legs mobilizing an aggregate investment commitment of USD 1.19 bn. The fund booked some of the largest deals concluded during the financial year and was acknowledged as one of the top ranked PE fund in India by many leading industry publications.

The Bank also signed a Joint Venture agreement with State General Reserve Fund (SGRF) of Sultanate of Oman, a sovereign entity, to set up a general purpose private equity fund with an initial corpus of USD 100 mn, expandable further to USD 1.5 bn. All necessary regulatory approvals were obtained and the fund was operationalized during the financial year. As the Fund sector agnostic, the fund has started looking at investment opportunities in various growth sectors for investments.

Merchant Acquiring Business (MAB)

Today in the Indian Market, there are more than 1.5 crores Merchant Establishments, out of which only 3.5 lac have been equipped with Point of Sales (PoS) terminals. In view of the huge untapped potential coupled with growing organized retail business, the Govt.'s drive to migrate to electronic channels, migration of 100% of the Bank's business to Core Banking platform and the increased use of technology in SBI, the Bank decided to foray into MAB and floated a wholly owned subsidiary namely SBI Payment Services Pvt. Ltd. (SBIPSPL) for this purpose. It also identified VISA International and Elavon Inc., who are the global market leaders, as joint venture partners. In the intervening period, the Bank on its own is conducting the business and is presently focussing on existing SBI borrowers and Current Account customers belonging to the Trade and Services sectors in the Retail segment in Tier 1, Tier 2 and Tier 3 centres by leveraging the large network of branches. It is also focussing on corporate tie-ups and has already entered into tie-ups with prominent players like Future Group, National Handloom, Liver Pool etc.

H. INTERNATIONAL BANKING GROUP

H-1. Operation of Foreign Offices

The asset level of foreign branches (excluding subsidiaries) rose by 16%, from USD 27.78 bn in March 2010 to USD 32.04 bn in March 2011. During FY'11, net customer credit grew by 13% from USD 21,561 mn to USD 24,525 mn, customer deposits grew by 20%, from USD 8,775 mn to USD 10,490 mn and net profit rose by 38%, to USD 326 mn.

समुद्रपारीय विस्तार

31 मार्च 2010 को 142 विदेशी कार्यालयों की तुलना में 31 मार्च 2011 तक इनकी संख्या बढ़कर 156 हो गई। ये कार्यालय 32 देशों में फैले हैं।

इन कार्यालयों में 45 शाखाएं, 8 प्रतिनिधि कार्यालय, छह विदेशी बैंकिंग अनुषंगियों के 93 कार्यालय और अन्य 10 कार्यालय शामिल हैं।

संसाधन प्रबंधन

विश्व स्तर पर वित्तीय बाजार में हलचल के बावजूद बैंक के विदेशी कार्यालयों ने चलनिधि स्थिति को संतोषजनक बनाए रखा। जुलाई 2010 में, बैंक ने 5 वर्ष के बड़े ऋण के रूप में स्टैंडअलोन नियम 144ए/आरईजी-एस इश्यू के अंतर्गत 1 बिलियन अमरीकी डालर (लगभग ₹ 4,460 करोड़) की राशि जुटायी। इससे पहले यूरो में एक बाण्ड निर्गम जारी किया जिसमें बैंक ने एमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों हेतु 750 मिलियन यूरो (लगभग ₹ 4,754 करोड़) जुटाए थे। जनवरी 2011 में प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप में 100 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग ₹ 446 करोड़) की राशि जुटाई। वित्त वर्ष 2011 के दौरान, बैंक ने स्विस बाण्ड मार्केट में पहली बार एक निर्गम भी जारी किया और एमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों हेतु 325 मिलियन सीएचएफ (लगभग ₹ 1,582 करोड़) जुटाए।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न परिपक्वता वाले द्विपक्षीय ऋणों के रूप में 893 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग ₹ 3,982 करोड़) की राशि जुटायी।

अनिवासी भारतीय व्यवसाय

वर्ष के दौरान, बैंक की अनिवासी भारतीय जमाराशियों में ₹ 1,760 करोड़ की वृद्धि हुई और मार्च 2011 में यह राशि ₹ 51,777 करोड़ के स्तर तक पहुंच गई। अनिवासी भारतीयों के अग्रिमों में ₹ 162 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई जिसकी 31 मार्च 2011 को बकाया राशियां ₹1380 करोड़ थीं।

धन-प्रेषणों में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इनकी राशि वित्त वर्ष 2010 के ₹ 37,319 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2011 में ₹ 46,396 करोड़ तक पहुंच गई। भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से धन-प्रेषण करने हेतु बैंक ने 24 विनिमय कंपनियों और मध्य-पूर्व देशों के चार बैंकों के साथ गठजोड़ किया।

वर्ष के दौरान 20 नई एनआरआई शाखाओं के खुल जाने से एनआरआई शाखाओं की कुल संख्या 40 हो गई। एनआरआई शाखाओं को अलग से सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंध प्रबंधकों को पदस्थ किया गया है।

डालर प्रीमियम खाते के अतिरिक्त जीबीपी, ईयूआर, एयूडी, सीएडी और जेपीवाई में नामित 'एफसीएनआर (बी) प्रीमियम खाते' की शुरुआत की गई। आरएफसी खाता सुविधा, जो इस समय अमरीकी डालर में उपलब्ध है, जीबीपी और ईयूआर में भी शुरू कर दी गई।

ज-2 देश में कारोबार

मर्चेंट बैंकिंग

बैंक ने मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र (जापान को छोड़कर परंतु आस्ट्रेलिया सहित) में समूहन ऋणों के लिए अधिदेशित प्रमुख व्यवस्थापक और बुक रनर के रूप में अग्रणी स्थिति बनाए रखी।

वर्ष के दौरान कुल 18,548 मिलियन अमरीकी डालर के उच्च राशि वाले 11 समूहन सौदे सफलतापूर्वक संपन्न किए गए जिसमें हमारा हिस्सा 3,683 मिलियन अमरीकी डालर था। 479 मिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि के अनेक द्विपक्षीय सौदे भी किए गए।

वर्ष के दौरान किए गए समूहन एवं द्विपक्षीय सौदों में से 116 मिलियन अमरीकी डालर की शुल्क आय अर्जित की गई।

वैश्विक संपर्क सेवाएं (जीएलएस)

वर्ष 2010-11 में, घरेलू शाखाओं की ओर से जीएलएस ने कुल 15.92 बिलियन अमरीकी डालर के 1,32,540 निर्यात बिलों और 1,28,485 विदेशी मुद्रा चैक उगाहियों का कार्य संपन्न किया । इसके अतिरिक्त, इसने मिडिल ईस्ट, यूके और यूएसए के विभिन्न केन्द्रों से 4.26 बिलियन अमरीकी डालर राशि के 40,58,830 आवक धन-प्रेषण लेनदेन का कार्य भी निष्पादित किया।

संपर्की संबंध

विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को तार रहित सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने 491 प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बैंकों के साथ संपर्की बैंकिंग करार किए। ये संपर्की बैंक 121 देशों में स्थित हैं। वित्तीय संदेशों का स्विफ्ट के माध्यम से शीघ्र

Overseas Expansion

The number of foreign offices increased from 142 as on 31st March 2010 to 156 as on 31st March 2011 spread across 32 countries.

The offices comprised 45 branches, 8 Representative Offices, 93 offices of the six foreign banking subsidiaries and 10 other offices.

Resource Management

Despite volatile global market conditions, the Bank's foreign offices maintained comfortable liquidity position. In July 2010, the Bank raised a sum of USD 1 bn (₹ 4,460 crores approx) under a Standalone Rule 144A / Reg-S issue as senior debt of 5 years. This was followed by a bond issue in Euro wherein Bank raised EUR 750 mn (₹ 4,754 crores approx.) for 5 years, under the Bank's MTN Programme. In January 2011, USD 100 mn (₹ 446 crores approx) was raised by way of private placement. During FY'11, the Bank also made a debut issue in Swiss bond market and raised CHF 325 mn (₹ 1,582 crores approx.) for 5 years, under MTN programme.

During the year ended 31st March 2011, the Bank raised a sum of USD 893 mn (₹ 3,982 crores approx.) by way of bilateral loans of different maturities.

NRI Business

NRI Deposits grew by ₹ 1,760 crores during the year and reached a level of ₹ 51,777 crores in March 2011. Advances to NRIs recorded a growth of ₹ 162 crores with outstandings of ₹ 1,380 crores as on 31st March 2011.

Remittances grew from ₹ 37,319 crores in FY'10 to ₹ 46,396 crores in FY'11, clocking a growth of 24%. The Bank had a tie-up with 24 exchange companies and four banks in Middle-East countries for routing remittances through SBI.

During the year, twenty new NRI branches were opened taking the number of NRI branches to 40. Relationship Managers have been posted at these branches to render focused services to NRIs.

"FCNR (B) Premium Account" designated in GBP, EUR, AUD, CAD and JPY was launched in addition to the Dollar Premium Account. RFC Account facility, presently available in USD, was extended for GBP and EUR as well.

H-2. Domestic Operations

Merchant Banking

The Bank retained the leadership as Mandated Lead Arranger and Book Runner for syndicated loans in Asia Pacific (excluding Japan but including Australia) for the year ended March 2011.

During the year, eleven high value deals aggregating USD 18,548 mn with our take and hold of USD 3,683 mn were syndicated successfully. A large number of bilateral deals aggregating USD 479 mn were also concluded.

A fee income of USD 116 mn was earned from syndications and bilateral deals concluded during the year.

Global Link Services (GLS)

In the year 2010-11, GLS on behalf of domestic branches, handled 1,32,540 export bills and 1,28,485 foreign currency cheque collections aggregating USD 15.92 billion. In addition, it handled 40,58,830 inward remittance transactions amounting to USD 4.26 billion from various centres in the Middle East, UK and USA.

Correspondent Relations

The Bank maintains correspondent banking arrangement with 491 reputed International Banks to extend seamless services to varied clients. These correspondent Banks are located in 121 countries. The Bank also has 2,261 Relationship Management Application (RMA)

धन प्रेषण करने के लिए बैंक के पास 2261 रिलेशनशिप मैनेजमेंट अप्लीकेशन (आरएमए) व्यवस्थाएं भी हैं।

देश जोखिम एवं बैंक ऋण जोखिम

बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक देश जोखिम प्रबंधन नीति लागू है। इस नीति में देश, बैंक, उत्पाद एवं प्रतिपक्ष ऋण जोखिम सीमाओं के न्यूनीकरण के कारगर जोखिम प्रबंधन मॉडल निर्धारित किए गए हैं। देशवार और बैंकवार ऋण जोखिम सीमाओं की नियमित आधार पर निगरानी एवं समीक्षा की जाती है। ऋण जोखिमों के स्वरूप में उतार-चढ़ाव के अनुरूप ऋण जोखिम की उच्चतम सीमाओं और वर्गीकरणों को घटाया-बढ़ाया जाता है। बैंक के हितों की रक्षा करने के लिए आवधिक सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं।

झ. आस्ति गुणवत्ता

अनर्जक आस्ति प्रबंधन

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार अनर्जक आस्तियों में कमी लाए जाने की स्थिति यहां नीचे प्रस्तुत की गई है :

तालिका : आस्ति गुणवत्ता (₹ करोड़ में)

1	सकल अनर्जक आस्तियां	25,326
	सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	3.28%
2	निवल अनर्जक आस्तियां	12,347
	निवल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	1.63%
3	अनर्जक आस्तियों की नकद वसूली	3,848
4	मानक आस्तियों के रूप में कोटि उन्नयन	4,499
5	बट्टे खाते	4,007
6	अनर्जक आस्तियों में सकल कमी (3+4+5)	12,354
7	मानक आस्तियों से अनर्जक आस्तियों के रूप में हालिया गिरावट	18,145
8	बट्टे खाते डाले गए ऋणों में वसूली	966

- कंपनी ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) व्यवस्था और बैंक की अपनी योजना दोनों के अंतर्गत ह्रासित मानक आस्तियों तथा व्यवहार्य अनर्जक आस्तियों के पुनर्गठन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई जिससे अनर्जक आस्तियों में नए परिवर्धन को रोका जा सके तथा अनर्जक आस्तियों के वर्तमान स्तर को भी कम किया जा सके।
- अनर्जक आस्तियों को रोकने के लिए समय रहते कदम भी उठाए गए ।
- भारतीय स्टेट बैंक सहित सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली द्वारा कंपनी ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) व्यवस्था को वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान संदर्भित 49 मामलों में से बैंक ने सीडीआर के अंतर्गत ₹ 1,378.93 करोड़ के ऋण के 10 मामले संदर्भित किए। इन 49 मामलों में से बैंक की ₹ 2,250.24 करोड़ की कुल राशि के 25 मामलों में हिस्सेदारी है।

ञ. सहयोगी एवं अनुषंगियाँ

ञ.1 अपने पांच सहयोगी बैंकों की 4,724 शाखाओं सहित 18,266 शाखाओं के विशाल नेटवर्क वाला स्टेट बैंक समूह भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रमुख स्थान रखता है। बैंकिंग के अतिरिक्त यह समूह अपनी विभिन्न अनुषंगियों के माध्यम से सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें जीवन बीमा, साधारण बीमा, मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फण्ड, क्रेडिट कार्ड, फैक्टरिंग, प्रतिभूति ट्रेडिंग, पेंशन निधि प्रबंधन और मुद्रा बाजार में प्राथमिक डीलरशिप शामिल है।

ञ.2 सहयोगी बैंक

भारतीय स्टेट बैंक के पांच सहयोगी बैंकों का बाजार अंश मार्च 2011 के अंतिम शुक्रवार को जमाराशियों में 5.88 प्रतिशत और अग्रिमों में 6.00 प्रतिशत था।

तालिका : सहयोगी बैंकों के निष्पादन के उल्लेखनीय तथ्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2010 को	31.03.2011 को	परिवर्तन (%)
कुल आस्तियाँ	3,18,580	3,68,283	15.60
कुल जमाराशियां	2,72,790	3,11,645	14.24
कुल अग्रिम	2,04,573	2,40,423	17.52
परिचालन लाभ	5,841.90	7,568.68	29.56
निवल लाभ	2,958.80	3,598.43	21.62
ऋण जमा अनुपात	74.15%	77.29%	4.23
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	13.66	13.25	-0.41
सकल अनर्जक आस्तियां	3,504.68	5,066.50	44.56
निवल अनर्जक आस्तियां	1,692.96	2,443.69	44.34
ईक्विटी पर आय	18.97%	19.08%	0.11

arrangements with SWIFT, facilitating speedier flow of financial messages.

Country Risk and Bank Exposures

The Bank has in place Country Risk Management Policy in tune with RBI guidelines. The policy outlines robust risk management model with prescriptions for Country, Bank, Product and Counterparty exposure limits. Both Country-wise and Bank-wise exposure limits are monitored and reviewed on a regular basis. The exposure ceilings and classifications are moderated in line with the dynamics of their risk profiles. Periodical corrective steps are initiated to safeguard the Bank's interests.

I. ASSET QUALITY

NPA MANAGEMENT

The position of NPA reduction as on 31.03.2011 is given hereunder:

Table : Asset Quality (₹ in Crs)

1	Gross NPAs	25,326
	Gross NPA percentage	3.28%
2	Net NPAs	12,347
	Net NPA percentage	1.63%
3	Cash Recovery in NPA	3,848
4	Up gradation to Standard Assets	4,499
5	Write offs	4,007
6	Gross reduction in NPAs (3+4+5)	12,354
7	Fresh Slippages of Standard Assets to NPA category	18,145
8	Recovery in written off accounts	966

- Restructuring of impaired Standard Assets as well as viable non-performing assets, both under CDR mechanism as well as under the Bank's own scheme, has been given top priority for arresting new additions and for reducing the existing level of NPAs.
- Proactive steps have also been taken for prevention of NPAs.
- The Bank referred 10 cases with aggregate exposure of ₹ 1,378.93 crores to CDR mechanism during 2010-11, out of a total of 49 cases referred to CDR by the Whole Banking system including SBI. Out of these 49 cases, the Bank has exposure on 25 cases aggregating ₹ 2,250.24 crores.

J. ASSOCIATES AND SUBSIDIARIES

J.1 The State Bank Group with a network of 18,266 branches including 4,724 branches of its five Associate Banks dominates the banking industry in India. In addition to banking, the Group, through its various subsidiaries, provides a whole range of financial services, which include Life Insurance, Merchant Banking, Mutual Funds, Credit Card, Factoring, Security trading, Pension Fund Management and Primary Dealership in the Money Market.

J.2 Associate Banks

SBI's five Associate Banks had a market share of 5.88% in deposits and 6.00% in advances as on last Friday of March 2011.

Table : Performance Highlights of Associate Banks (ABs)

(₹ in Crs)

	As on 31.03.2010	As on 31.03.2011	Change (%)
Total Assets	3,18,580	3,68,283	15.60
Agg. Deposits	2,72,790	3,11,645	14.24
Total Advances	2,04,573	2,40,423	17.52
Operating Profit	5,841.90	7,568.68	29.56
Net Profit	2,958.80	3,598.43	21.62
Credit Deposit Ratio	74.15%	77.29%	4.23
Capital Adequacy Ratio	13.66	13.25	-0.41
Gross NPA	3,504.68	5,066.50	44.56
Net NPA	1,692.96	2,443.69	44.34
Return on Equity	18.97%	19.08%	0.11

अ.3 एसबीआई कमर्शियल एण्ड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड (एसबीआईसीआई)

मार्च 2011 के अंत तक, एसबीआईसीआई की कुल जमाराशियां एवं कुल अग्रिम क्रमश: ₹ 453.27 करोड़ और ₹ 271.43 करोड़ थे। बैंक ने क्रमश: ₹ 5.25 करोड़ और ₹ 4.21 करोड़ का परिचालन लाभ एवं निवल लाभ दर्ज किया। मार्च 2011 के अंत तक निवल अनर्जक आस्तियों की राशि निरंक थी।

अ.4 एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआई कैप)

एसबीआई कैप परियोजना सलाहकार सेवाएं, संरचनात्मक वित्त की व्यवस्था, पूंजी बाजार सेवाएं जैसे ईक्विटी निर्गमन, विलय और अधिग्रहण, प्राइवेट ईक्विटी आदि की व्यवस्था करने वाली एक पूर्ण सेवा निवेश बैंकिंग इकाई है। एसबीआई कैप 40 प्रतिशत से अधिक बाजार अंश के साथ परियोजना वित्त में भारत में एक अग्रणी कंपनी है।

वर्ष के दौरान कंपनी को अनेक अवार्ड एवं सम्मान प्राप्त हुए जिनमें से कुछ निम्नवत हैं:

- लगातार तीसरे वर्ष थॉमसन रायटर्स द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में वर्ष - 2010 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक अवार्ड ।
- आईएफआर एशिया द्वारा लगातार दूसरे वर्ष 'लोन हाउस ऑफ दि ईयर' अवार्ड।
- यूरोमनी प्रोजेक्ट फाइनैंस इंडियन डील्स अवार्ड्स -
  - o इंडियन पेट्रोकेमिकल डील ऑफ दि ईयर 2010 - ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स
  - o इंडियन इंडस्ट्रियल डील ऑफ दि ईयर 2010 - डुनसम सीमेंट
  - o इंडियन ऑयल एण्ड गैस डील ऑफ दि ईयर 2010 - जीएसपीसी के जी ऑफसोर
- लगातार दूसरे वर्ष पीएफआई (थॉमसन रायटर्स) द्वारा वर्ष 2010 के लिए नम्बर - 1 वैश्विक अधिदेशक प्रमुख व्यवस्थापक।
- लगातार दूसरे वर्ष डीलोजिक द्वारा नम्बर - 1 वैश्विक प्रमुख व्यवस्थापक।
- ब्लूमबर्ग के अनुसार एशियन एक्स-जापान समूहन ऋणों में कैलेंडर वर्ष 2011 की प्रथम तिमाही के लिए 13.3 प्रतिशत प्रभावशाली बाजार अंश के साथ प्रमुख व्यवस्थापक।
- वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान जुटाई गई राशि के अनुसार तीसरे स्थान पर तथा संपन्न किए गए इश्यू की संख्या के अनुसार दूसरे स्थान पर।
- इश्यू की संख्या और जुटाई गई राशि दोनों के अनुसार राइट इश्यू में प्रथम स्थान।
- पीएसयू विनिवेश इश्यू की संख्या के अनुसार प्रथम स्थान।

कंपनी ने 31 मार्च 2011 को 173 प्रतिशत की वर्ष-प्रति-वर्ष वृद्धि दर्ज करके ₹ 374.72 करोड़ का कर पश्चात लाभ कमाया है जबकि 31.03.2010 को यह ₹ 137.12 करोड़ रहा था। इसने 400 प्रतिशत का अंतरिम लाभांश भी घोषित किया।

अ.4.1 एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि. (एसएसएल)

एसएसएल रिटेल एवं संस्थागत ग्राहकों को नकद एवं वायदा और विकल्प सौदों में ईक्विटी ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करने के अलावा, म्यूचुअल फंड जैसे अन्य वित्तीय उत्पादों के विक्रय और वितरण का कार्य भी करती है। एसएसएल की 100 शाखाएं हैं और यह रिटेल एवं संस्थागत दोनों प्रकार के ग्राहकों को डीमैट, ई-ब्रोकिंग, ई-आईपीओ और ई-एमएफ सेवाएं प्रदान करती है। एसएसएल की बहियों में वर्तमान में 1.89 लाख से भी अधिक ग्राहक हैं। चालू वर्ष के दौरान कंपनी ने 31.03.2011 को ₹ 4.59 करोड़ का लाभ कमाया।

अ.4.2 एसबीआई कैप्स वैंचर्स लिमिटेड (एसवीएल)

एसवीएल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी है। एसवीएल ने वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 0.59 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है।

एसवीएल ने एसएस वैंचर्स सर्विसेज लि. जो एक वैंचर कैपिटल फण्ड है और एसवीएल और एसबीआई होल्डिंग इनका. (साफ्टबैंक), जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है, में लगाए हुए अपने अंश को और इंडिया जापान फण्ड में लगाए हुए अपने अंश को एसबीआई होल्डिंग इनका. और नॉलेज इन्वेस्टमेंट (मारीशस) लि. को क्रमश: ₹ 3.47 करोड़ और ₹ 2.60 करोड़ की राशि में बेच दिया है।

J.3 SBI Commercial & International Bank Ltd. (SBICI)

As at the end of March 2011, the aggregate Deposits and total Advances of SBICI stood at ₹ 453.27 crores and ₹ 271.43 crores respectively. The Bank recorded an operating and net profit of ₹ 5.25 crores and ₹ 4.21 crores respectively. The net NPA as at the end of March 2011 was NIL.

J.4 SBI Capital Markets Limited (SBICAP)

SBICAP is a full service investment banking outfit offering Project Advisory Services, arrangement of Structured Finance, Capital Market Services like Equity Issuances, Mergers & Acquisitions and arrangement of Private Equity, etc. SBICAP is a leader in India in Project Finance with over 40% market share.

The following are some of the many awards / recognitions won by the Company during the year:

- Bank of the year award 2010 for Asia Pacific Region for the 3rd consecutive year by Thomson Reuters.
- Loan House of the Year Award for the 2nd consecutive year by IFR Asia.
- Euromoney Project Finance Indian Deals awards –
  - o Indian Petrochemical Deal of the Year 2010- ONGC Mangalore Petrochemicals
  - o Indian Industrial Deal of the Year 2010 – Dungsam Cement
  - o Indian Oil & Gas Deal of the Year 2010- GSPC KG Offshore
- Ranked No 1 Global Mandated Lead Arrangers for 2010 by PFI (Thomson Reuters) for the second successive year.
- Ranked No 1 Global Lead Arrangers for the second successive year by Dealogic.
- Ranked 1st with an impressive market share of 13.3% for the 1st quarter of calendar 2011 on the Asia Ex-Japan Syndicated Loans Table as per Bloomberg.
- Ranked 2nd in terms of issues handled and 3rd in terms of amount raised during the financial year 2010-11.
- Ranked 1st in Rights Issues- both in terms of number of issues and amount raised
- Ranked 1st in number of PSU Divestment Issues.

The company has posted PAT of ₹ 374.72 crores as on 31.03.2011 as against ₹ 137.12 crores as on 31.03.2010 thus recording YoY growth of 173%. Also declared an interim dividend of 400%.

J.4.1 SBICAP Securities Limited (SSL)

SSL, a wholly owned subsidiary of SBI Capital Markets Ltd., besides offering equity broking services to retail and institutional clients both in cash as well as in Futures and Options segments, is also engaged in Sales & Distribution of other financial products like Mutual Funds, etc. SSL has 100 branches and offers Demat, e-broking, e-IPO and e-MF services to both retail and institutional clients. SSL currently has more than 1.89 lac customers in their books. The Company has posted a profit of ₹ 4.59 crores as on 31.03.2011 during the current year.

J.4.2 SBICAPS Ventures Limited (SVL)

SVL is a wholly owned subsidiary of SBI Capital Markets Ltd. SVL earned a net profit of ₹ 0.59 crore during 2010-11.

SVL sold its stake in SS Ventures Services Ltd., a venture capital fund set up jointly by SVL and SBI Holdings Inc (Softbank), Japan and its stake in India Japan Fund to SBI Holdings Inc and Knowledge Investments (Mauritius) Ltd at a total consideration of ₹ 3.47 crores and ₹ 2.60 lac respectively.

ञ.4.3 एसबीआई कैप (यूके) लि. (एसयूएल)

एसयूएल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. की पूर्ण स्वामित्ववाली एक अनुषंगी है। वर्ष के दौरान एसयूएल ने वैश्विक मंदी परिदृश्य के बावजूद ₹ 2.16 करोड़ की आय अर्जित की और ₹ 0.20 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया।

एसयूएल यूके और यूरोप में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के लिए एक संबंध इकाई के रूप में अपनी स्थिति बना रही है। एसबीआई कैप के व्यवसाय उत्पादों का विपणन करने के लिए विदेशी संस्थात्मक निवेशकों, वित्तीय संस्थाओं, विधि फर्मों, लेखा फर्मों आदि के साथ संबंध बनाए जा रहे हैं।

ञ.4.4 एसबीआई कैप ट्रस्टी कं. लि. (एसटीसीएल)

एसबीआई कैप ट्रस्टी कं. लि.(एसटीसीएल), जिसने 01 अगस्त 2008 से प्रतिभूति न्यासी व्यवसाय शुरू किया था, वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 8.31 करोड़ की सकल आय और ₹ 4.43 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान इसने ₹ 3.78 करोड़ की सकल आय अर्जित की थी और इसे ₹ 1.94 करोड़ का निवल लाभ हुआ था।

ञ.5 एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड (एसबीआई डीएफएचआई)

- वर्ष के दौरान एसबीआई ने एसबीआई डीएफएचआई में लगे हुए एशियन विकास बैंक के और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया के क्रमश: 4.69 प्रतिशत और 0.47 प्रतिशत अंश अधिगृहीत किए हैं।
- एसबीआई समूह के पास इस प्राथमिक डीलर कंपनी के 72.17 प्रतिशत शेयर हैं।
- 31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का कर पश्चात लाभ ₹ 56.94 करोड़ रहा जबकि मार्च 2010 में यह ₹ 89.23 करोड़ था। मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दरों में की गई बढ़ोतरी और निवेशों पर आय स्थिर रहने के कारण लाभ में कमी आई।
- 31.03.2010 को एसबीआई डीएफएचआई का बाजार अंश 2.71 प्रतिशत था, जो 31.03.2011 को बढ़कर 3.41 प्रतिशत हो गया।
- वर्ष के दौरान द्वितीयक बाजार टर्नओवर की राशि ₹ 97,885 करोड़ रही जबकि वर्ष 2010 की इसी अवधि के दौरान यह ₹ 78,911 करोड़ रही थी (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर 24 प्रतिशत रही)।

ञ.6 एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज लि. (एसबीआई सीएसपीएल)

- एसबीआई कार्ड्स जो भारत में एकमात्र अकेली क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी है, भारतीय स्टेट बैंक और जीई कैपिटल सर्विसेज का संयुक्त उद्यम है जिसमें भारतीय स्टेट बैंक की 60 प्रतिशत अंशधारिता है।
- मार्च 2011 के अंत तक कंपनी के सक्रिय कार्डों की संख्या 23 लाख और प्राप्य राशियां ₹ 1,795 करोड़ रहीं।
- मार्च 2011 को कंपनी को ₹ 7.10 करोड़ का निवल लाभ हुआ जबकि 31.03.2010 को इसे ₹ 152.4 करोड़ की हानि हुई थी।
- एसबीआई कार्ड, रीडर्स डाइजेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड सर्वेक्षण 2010 में लगातार तीसरे वर्ष निर्विवाद रूप से स्वर्ण पुरस्कार विजेता बनकर सर्वाधिक विश्वस्त ब्रांड बनकर उभरा है।

तालिका : 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार सहयोगी बैंकों के निष्पादन संबंधी उल्लेखनीय तथ्य

(₹ करोड़ में)

बैंक का नाम	पूंजी में भारतीय स्टेट बैंक का हिस्सा (%)	जमाराशियां	अग्रिम	परिचालन लाभ	निवल लाभ
स्टेट बैंक आफ					
बीकानेर एण्ड जयपुर	75.00	53319	41744	1140.25	550.88
हैदराबाद	100.00	90178	65437	2319.47	1166.24
मैसूर	92.33	42779	34440	1173.75	500.62
पटियाला	100.00	67771	52331	1759.24	652.96
त्रावणकोर	75.00	57598	46471	1175.97	727.73
सभी 5 बैंक		**311645**	**240423**	**7568.68**	**3598.43**

J.4.3 SBICAP (UK) Ltd. (SUL)

SUL is a wholly owned subsidiary of SBI Capital Markets Ltd. During the year SUL has booked a revenue of ₹ 2.16 crores and has posted a net profit of ₹ 0.20 crore despite the global recessionary scenario.

SUL is positioning itself as a Relationship outfit for SBI Capital Markets in UK and Europe. Relationships are being built with FIIs, Financial Institutions, Law Firms, Accounting Firms, etc to market the business products of SBICAP.

J.4.4 SBICAP TRUSTEE Co. Ltd. (STCL)

SBICAP TRUSTEE Co Ltd (STCL), a wholly owned subsidiary of SBI Capital Markets Ltd., which has commenced security trustee business with effect from 1st August 2008 has earned a gross income of ₹ 8.31 crores and a Net Profit of ₹ 4.43 crores during 2010-11 as against Gross Income of ₹ 3.78 crores and Net Profit of ₹ 1.94 crores during 2009-10.

J.5 SBI DFHI Ltd. (SBI DFHI)

- SBI acquired Asian Development Bank's and Industrial Investment Bank of India's stake (4.69% and 0.47% respectively) in SBI DFHI during the course of the year.
- SBI group holds 72.17 % share in the Company, which is a primary dealer.
- For the period ended 31st March 2011, the Company's PAT was ₹ 56.94 crores as against ₹ 89.23 crores during March 2010. The lower profit is mainly attributed to the impact of hikes in Repo rates by RBI and yield on investments remaining stagnant.
- The market share of SBIDFHI has increased from 2.71% as on 31.03.2010 to 3.41% as on 31.03.2011.
- The secondary market turnover during the year was ₹ 97,885 crores as against ₹ 78,911 crores during the corresponding period in 2010 (YoY growth of 24%).

J.6 SBI Cards & Payments Services Pvt. Ltd. (SBICSPL)

- SBI Cards, the only stand-alone credit card issuing company in India, is a joint venture between State Bank of India and GE Capital Corporation, wherein SBI holds 60% stake.
- The "Cards in Force" (CIF) of the Company stands at 23 lac and the receivables are at ₹ 1,795 crores at the end of March 2011.
- The Company has posted a net profit of ₹ 7.10 crores as on March 2011 as against a loss of ₹ 152.4 crores as on 31.03.2010.
- SBI Card has emerged as the most trusted brand by being the undisputed Gold Award winner in Reader's Digest Trusted Brands Survey 2010 for the third year in a row.

Table : The Performance Highlights of the Associate Banks as on 31.03.2011 are as under:

(₹ in Crs)

Name of the Bank	SBI's share in the capital (%)	Deposits	Advances	Operating Profit	Net Profit
State Bank of					
Bikaner & Jaipur	75.00	53319	41744	1140.25	550.88
Hyderabad	100.00	90178	65437	2319.47	1166.24
Mysore	92.33	42779	34440	1173.75	500.62
Patiala	100.00	67771	52331	1759.24	652.96
Travancore	75.00	57598	46471	1175.97	727.73
All 5 Banks		**311645**	**240423**	**7568.68**	**3598.43**

- एसबीआई कार्ड को सीएनबीसी आवाज कंज्यूमर अवार्ड 2010 प्राप्त हुआ।

अ.7 एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ)

- एसबीआई लाइफ एसबीआई और बीएनपी पारीबास दोनों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है और इसमें एसबीआई की 74 प्रतिशत अंशधारिता है।
- एसबीआई लाइफ के पास एक अनूठी बहु-वितरण प्रणाली है जिसमें बैंकअश्योरेंस, रिटेल एजेंसी एवं संस्थागत गठजोड़ों एवं ग्रुप कारपोरेट चैनलों के जरिए बीमा उत्पादों का वितरण किया जाता है।
- कंपनी का सकल प्रीमियम वर्ष-दर-वर्ष 28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹12,000 करोड़ को पार कर गया।
- 31.03.2011 को निजी बीमाकर्ता कंपनियों का कुल बाजार अंश 31.30 प्रतिशत रहा और एसबीआई लाइफ के पास उक्त बाजार अंश का 19.22 प्रतिशत अंश है। समग्र बाजार अंश (भारतीय जीवन बीमा निगम सहित) में एसबीआई लाइफ का बाजार अंश 31 मार्च 2011 को 6.02 प्रतिशत रहा।
- 31.03.2011 को इसने ₹ 366.30 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया जबकि 31.03.2010 को इसे ₹ 276.46 करोड़ का लाभ हुआ था।
- एसबीआई लाइफ की 'प्रबंध अधीन आस्तियों' में वर्ष-दर-वर्ष 40% की वृद्धि दर्ज हुई और 31 मार्च 2011 को इनकी राशि ₹ 40,162 करोड़ तक पहुंच गई।
- वर्ष के दौरान एसबीआई लाइफ ने 135 शाखाओं की शुरुआत करके अपने शाखा नेटवर्क में विस्तार किया और इस प्रकार इसकी शाखाओं की कुल संख्या 629 हो गई।
- आईसीआरए ने फिर से इस कंपनी को iAAA रेटिंग प्रदान की है।
- क्रिसिल ने फिर से अपनी उच्चतम वित्तीय रेटिंग AAA/स्टेबल प्रदान की है।

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए कुछ पुरस्कार / सम्मान निम्नानुसार हैं :

- संगठनात्मक उत्कर्ष के लिए एनडीटीवी प्रोफिट बिजनेस लीडरशिप 2010-11 अवार्ड।
- वित्तीय उत्कृष्टता 2010-11 के लिए ब्लूमबर्ग यूटीवी अवार्ड।
- श्रेष्ठ जीवन बीमा कंपनी 2010-11 के लिए आउटलुक मनी अवार्ड रनर अप।
- आईसीएस क्वालिटी चैम्पियन अवार्ड 2010-11।
- श्रेष्ठतम दावा प्रक्रिया के लिए आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाणन।

अ.8 एसबीआई फंडस मैनेजमेंट (प्रा.) लि. (एसबीआईएफएमपीएल)

- एसबीआईएफएमपीएल, जो भारतीय स्टेट बैंक की म्यूचुअल फंड अनुषंगी है, "प्रबंध अधीन आस्तियों" के अनुसार छठा सबसे बड़ा फंड हाउस है और 6 मिलियन निवेशकों के साथ बाजार की एक प्रमुख म्यूचुअल फंड कंपनी है।
- पिछले वर्षों में इस फंड हाउस की योजनाओं का निष्पादन उत्कृष्ट बना हुआ है और निवेशकों के लिए यह पसंदीदा निवेश रहा है।
- कंपनी ने 31.03.2011 को ₹ 78.85 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 4% की वृद्धि हुई है।
- कंपनी की औसत "प्रबंध अधीन आस्तियां" ₹ 41,672 करोड़ रहीं जबकि मार्च 2010 को ये ₹ 37,417 करोड़ रही थीं। कंपनी ने म्यूचुअल फण्ड उद्योग की 6 प्रतिशत वृद्धि के सामने 11 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हासिल की ।

अ.9 एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड (एसबीआईजीएफएल)

- एसबीआईजीएफएल भारत की प्रमुख फैक्टरिंग कंपनियों में से एक है जिसका निर्यात एवं आयात फैक्टरिंग में सबसे अधिक बाजार अंश (90 प्रतिशत से अधिक) है।
- वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में आई मंद संवृद्धि के कारण, 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, कंपनी की टर्नओवर राशि घटकर ₹ 7,605 करोड़ हो गई जबकि 31 मार्च 2010 को यह राशि ₹ 12,978 करोड़ रही थी। इसका प्रभाव प्रमुख संवृद्धियों पर भी पड़ा।
- मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में आई मंदी और अनर्जक आस्तियों के लिए उच्चतर प्रावधान करने तथा डूबत ऋणों को अपलिखित करने के कारण 31.03.2011 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कंपनी को ₹ 125.62 करोड़ की हानि हुई जबकि 31.03.2010 को इसने ₹ 6.58 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

अ.10 एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा.लि. (एसबीआईपीएफ)

एसबीआईपीएफ केंद्र सरकार (सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर) और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन निधियों का प्रबंध करने के लिए पेंशन निधि विनियमन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त तीन निधि

- SBI Card has won the CNBC Awaaz Consumer Awards 2010.

J.7 SBI Life Insurance Company Limited (SBILIFE)

- SBI Life is Joint Venture Company between SBI and BNP Paribas in which SBI holds 74% stake.
- SBI Life has a unique multi-distribution model comprising Bancassurance, Retail Agency & Institutional Alliances and Group Corporate Channels for distribution of insurance products.
- Gross Premium of the Company Crossed ₹ 12,000 crores with YoY growth of 28%.
- SBI Life has a market share of 19.22% of the total market share of private insurers which stood at 31.30% as on 31.03.2011. Overall market share (including Life Insurance Corporation of India) of SBI Life stood at 6.02% as at 31st March 2011.
- Recorded a PAT of ₹ 366.30 crores as on 31.03.2011 as against ₹ 276.46 crores as on 31.03.2010.
- The 'Assets under Management' of SBI Life recorded a growth of 40% YoY to reach ₹ 40,162 crores as on 31st March 2011.
- SBI Life expanded its branch network by adding 135 branches during the year bringing the total number of branches to 629.
- ICRA has reaffirmed iAAA rating to the company indicating highest claim paying ability.
- CRISIL has reaffirmed its highest financial rating AAA/ Stable.

The following are some of the awards / recognitions achieved by the Company during 2010-11:

- NDTV Profit business leadership 2010-11 award for organizational excellence.
- Bloomberg UTV Award for Financial Excellence 2010-11.
- Outlook Money Award Runner Up for the Best Life Insurance Company 2010-11.
- ICS Quality Champion Award 2010-11.
- IS0 9001:2000 certification for superior claim process.

J.8 SBI Funds Management (P) Ltd. (SBIFMPL)

- SBIFMPL, the Mutual Fund arm of SBI, is the 6th largest Fund House in terms of "Assets Under Management" and a leading player in the market with 6 million investors.
- The schemes of the Fund House have performed consistently over the years and have emerged as the preferred investment for investors.
- The company has posted a PAT of ₹ 78.85 crores as on 31.03.2011 registering a YoY growth of 4%.
- The average "Assets Under Management" (AUM) of the company stood at ₹ 41,672 crores as against ₹ 37,417 crores as on March 2010 achieving a YoY growth of 11% as against the growth of 6% for the Mutual Fund Industry.

J.9 SBI Global Factors Ltd. (SBIGFL)

- SBIGFL is one of the leading factoring companies in India which has the highest market share (over 90%) in export & import factoring.
- During the year ended 31st March 2011, the turnover of the company decreased to ₹ 7,605 crores from ₹ 12,978 crores as on 31st March 2010 due to the sluggish growth in industrial production during the year impacting the top line growth.
- The company incurred a loss of ₹ 125.62 crores during the year ended 31.03.2011 as against a profit of ₹ 6.58 crores earned on 31.03.2010 mainly on account of slow down in economy and due to higher provisioning for NPAs and Write-offs.

J.10 SBI Pension Funds Pvt. Ltd. (SBIPF)

SBIPF is one of the three Fund Managers appointed by Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA) for management of Pension Funds under the New Pension System for Central Government (except

व्यवस्थापकों में से एक है। एसबीआईपीएफ, जो स्टेट बैंक समूह की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी है, ने अप्रैल 2008 से अपना कार्य प्रारंभ किया है। कंपनी की 31 मार्च 2011 को कुल ''प्रबंध अधीन आस्तियां'' ₹ 3,764.11 करोड़ (वर्ष-दर-वर्ष 65% की वृद्धि) रहीं। 31 मार्च 2011 को कंपनी केंद्र सरकार की योजना के अधीन आधारिक निधि का 44%, राज्य सरकार की योजना के अधीन 39% और अनौपचारिक क्षेत्र के अधीन 64% का प्रबंध कर रही थी। कंपनी ने ₹ 0.32 लाख का निवल लाभ अर्जित किया।

सहयोगी एवं अनुषंगियों की वर्ष के दौरान महत्त्वपूर्ण गतिविधियां:

- भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार से अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात 26 अगस्त 2010 को सहयोगी बैंकों में से एक स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर का अधिग्रहण किया गया।
- वर्ष के दौरान स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने राइट निर्गम के द्वारा ₹ 583.20 करोड़ की ईक्विटी जुटाई।
- ₹ 780 करोड़ जुटाने हेतु स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का राइट निर्गम 28 मार्च से 11 अप्रैल 2011 तक खुला रहा।

सहायक एवं नियंत्रण परिचालन	
ट	सूचना प्रौद्योगिकी
ठ	जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण
ड	ग्राहक सेवा एवं कारपोरेट सामाजिक दायित्व
ढ	कारपोरेट संप्रेषण एवं परिवर्तन
ण	सूचना का अधिकार अधिनियम
त	मानव संसाधन
थ	व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास
द	राजभाषा
ध	केवाईसी/एएमएल/सीएफटी उपाय
न	धोखाधड़ी रोकना एवं निगरानी
प	सेवा में कमी के लिए क्षतिपूर्ति नीति
फ	बैंक की आउटसोर्सिंग नीति
ब	सुपर सर्कल ऑफ एक्सिलेंस
भ	ग्रीन बैंकिंग पहल

ट. सूचना प्रौद्योगिकी

नेटवर्किंग : बैंक ने पट्टे पर ली गई लाइनों, वीसैटों तथा सीडीएमए प्रौद्योगिकी के माध्यम से और अपने स्वयं के उपकरणों की सहायता से स्टेट बैंक समूह की 19,347 शाखाओं/कार्यालयों तथा 25,005 एटीएमों को जोड़ने वाली एक सुरक्षित और वृहद वैन (WAN) संरचना को कार्यान्वित किया है।

कोर बैंकिंग : देश भर की शाखाओं में स्थापित सीबीएस को केंद्रीकृत बुनियादी सेटअप तथा एक मजबूत प्राइमरी/डीआर सेटअप की शक्ति प्राप्त है जो बैंक के परिचालनों को निर्बाध निरंतरता प्रदान करती है। यह भविष्य में होने वाले भारी विकास, विविध वैकल्पिक माध्यमों को इंटरफेस प्रदान करने, लेनदेन लागतों में कमी लाने, परिचालनात्मक दक्षता में सुधार लाने में सहायक होगी। पिछले कुछ माह में प्रतिदिन 52 मिलियन लेनदेनों, प्रति सेकिंड 1,861 लेनदेनों तथा 258 मिलियन खातों के प्रबंधन का विशाल लक्ष्य प्राप्त किया गया है। प्रयोक्ताओं को अपने द्वारा किए गए लेनदेनों का ऑनलाइन सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। विभिन्न ट्रेड वित्त लेनदेनों की प्रक्रिया करने हेतु कारपोरेट ग्राहकों के लिए ई-ट्रेड इंटरनेट आधारित प्रारंभिक अप्लिकेशन तैयार किया गया है।

एटीएम : स्टेट बैंक समूह ने वर्ष के दौरान 25,000वां एटीएम स्थापित करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। स्टेट बैंक समूह के 25,005 एटीएमों पर नकदी आहरण, बकाया राशि की जानकारी, संक्षिप्त खाता विवरण तथा कार्ड से कार्ड राशि अंतरण के साथ-साथ कुछ अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं जैसे उपभोक्ता बिल भुगतान, मंदिर/न्यास को दान देने, फीस भुगतान, मोबाइल टॉप-अप, नकदी/चेक जमा (चुने हुए एटीएमों पर), चेक बुक आवेदन, बीमा प्रीमियम का भुगतान, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान आदि भी प्रदान की जा रही हैं। बिक्री केंद्र टर्मिनलों पर डेबिट कार्डों के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नोटों का बंडल स्वीकार करने की मशीन (सीधे नकदी स्वीकार करने के लिए), विविध कार्य करने वाले किओ (नकदी रहित एटीएम लेनदेन, इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन, पासबुक प्रिंटिंग आदि के लिए), न्यून

Armed Forces) and State Government Employees. SBIPF, a wholly owned subsidiary of the State Bank Group, commenced its operations from April 2008. The total "Assets Under Management" of the company as on 31st March 2011 were ₹ 3,764.11 crores (YoY growth of 65%). As at 31st March 2011, SBIPF was managing 44% of the corpus under the Central Govt Scheme, 39 % under State Govt scheme and 64% under the informal sector. The Company recorded a net profit of ₹ 0.32 lac.

Important Developments during the year in Associates & Subsidiaries:

- State Bank of Indore, one of the Associate Banks, was acquired on 26th August 2010 after the final approval from RBI and GoI.
- State Bank of Mysore raised ₹ 583.20 crores equity through a Rights Issue during the year.
- State Bank of Bikaner & Jaipur's Rights Issue for raising ₹ 780 crores was open from 28th March to 11th April 2011.

Support & Control Operations	
K	Information Technology
L	Risk Management & Internal Controls
M	Customer Service & Corporate Social Responsibility
N	Corporate Communication & Change
O	Right to Information Act
P	Human Resources
Q	Business Process Re-engineering
R	Official Language
S	KYC/AML/CFT Measures
T	Fraud Prevention & Monitoring
U	Compensation Policy for deficiency in Service
V	Bank's Outsourcing Policy
W	Super Circle of Excellence
X	Green Banking Initiatives

K. INFORMATION TECHNOLOGY

Networking: The Bank has implemented a secure, robust scalable WAN architecture network built with equipments owned by SBI, connecting 19,347 Branches/Offices and 25,005 ATMs of State Bank Group through leased lines, VSATs and CDMA technology.

Core Banking: CBS roll out across the domestic branches is supported with a state-of-the-art centralized infrastructural setup and a robust Primary / DR setup, providing uninterrupted continuity of Bank's operations. It facilitates the scalability for future growth, interfacing with multiple alternate channels, reduction in transaction costs, improved operating efficiency. Milestones of 52 millions peak transactions in a day, 1,861 Transactions per second and managing 258 million accounts have been achieved in recent months. Operatives have been provided with tools for on-line real time transaction verification. E-Trade – internet based front end application has been rolled out for corporate customers for processing various trade finance transactions.

ATM: State Bank Group crossed an important milestone of rolling out 25,000th ATM during the year. Apart from Cash Withdrawal, Balance enquiry, Mini statement and Card to Card transfer, several value added services such as Utility Bill Payment, Temple/Trust Donations, Fee Payment, Mobile top up, Cash/ Cheque deposit (at select ATMs), Cheque book request, Payment of Insurance premium, SBI Credit Card Bill Payment etc. are also being offered at 25,005 ATMs of the State Bank Group. Usage of debit cards at PoS terminal has increased significantly. Bunch Note Acceptor (for direct acceptance of cash), Multifunction kiosks (for offering non-cash ATM transactions, Internet Banking transaction, passbook printing etc.),

लागत ग्रामीण एटीएमों तथा सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम स्थापित किए गए हैं।

इंटरनेट बैंकिंग : बैंक का इंटरनेट बैंकिंग सॉल्यूशन रिटेल तथा कारपोरेट दोनों प्रकार के प्रयोक्ताओं के लिए उत्पादों की व्यापक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। वर्ष के दौरान इसमें ऑनलाइन नामांकन तथा ई-टीडीआर / एसटीडीआर बंद करना, ई-आरडी को शुरू व बंद करना, फार्म 26 (आयकर जमाओं के लिए वार्षिक विवरणी 26) देखना, चैकों का भुगतान रुकवाना, बहुनगरीय चैकबुक हेतु आवेदन, कोर बैंकिंग खातों में लेनदेनों की एसएमएस अलर्ट सुविधा हेतु मोबाइल नंबर का पंजीकरण, गिफ्ट कार्डस तथा टॉप-अप को ऑनलाइन जारी करना, कर का भुगतान करते समय स्थायी खाता संख्या का ऑनलाइन वैधीकरण, आवास ऋण खाते आदि में आनुमानिक ब्याज देखने जैसी नई सुविधाएं सम्मिलित की गईं।

भुगतान प्रणाली समूह : आरटीजीएस तथा एनईएफटी लेनदेनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

बेंगलूर तथा वडोदरा दो स्थानों पर संपर्क केंद्र 24X7 आधार पर कार्य कर रहे हैं। संपर्क केंद्र अभी निम्नलिखित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं : शिकायत प्रबंधन प्रणाली, पेंशन प्रबंधन प्रणाली, अग्रणी प्रबंधन प्रणाली, खाते संबंधी पूछताछ सेवा, पेमेंट ट्रैकिंग प्रणाली, कार्ड ट्रैकिंग सेवाएं, कार्डों को हॉटलिस्ट करना, एटीएम पिन रजिस्ट्रेशन, आईएमपीएस (इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सर्विसेज़) के अंतर्गत एमएमआईडी (मोबाइल मनी आईडेंटिफाइर) सूचना, मोबाइल पर शेष तथा खाते के विवरण भेजना।

पूर्व-भुगतान कार्डों के संबंध में गिफ्ट कार्ड के लिए आवेदन करने तथा कार्ड लेने हेतु फंड की व्यवस्था करने की सुविधा इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल (www.onlinesbi.com) के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है।

मोबाइल बैंकिंग : इस समय निधि अंतरण, पूछताछ सेवाएं, डीमैट खाता संबंधी पूछताछ, चैक बुक संबंधी आवेदन, बिल भुगतान, मोबाइल टॉप-अप, डीटीएच सेवाओं की रिचार्जिंग, एसबीआई लाइफ के प्रीमियम का भुगतान, टोल टैक्स के भुगतान के लिए ई-टैग रिचार्ज, मर्चेन्ट भुगतान तथा इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सर्विसेज़ (आईएमपीएस) जैसी अनेक मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आईएमपीएस को इस वर्ष के दौरान जोड़ा गया है।

मोबाइल बैंकिंग सेवाएं इस समय पांच चैनलों, अर्थात् एसएमएस, जीपीआरएस, डब्ल्यूएपी, यूएसएसडी तथा एसएमएस बैंकिंग के अंतर्गत प्रदान की जा रही हैं। एसएमएस बैंकिंग को वर्ष की अंतिम तिमाही में शुरू किया गया हैं। वर्ष के अंत तक मोबाइल बैंकिंग प्रयोक्ताओं की संख्या एक मिलियन को पार कर गई है।

एन्टरप्राइज डाटा वेयरहाउस : एन्टरप्राइज डाटा वेयरहाउस परियोजना (ईडीडब्ल्यूपी) का दूसरा चरण शुरू किया गया। यद्यपि कुछ व्यवसाय महत्वपूर्ण रिपोर्टें ईडीडब्ल्यूपी द्वारा पहले से ही उपलब्ध करायी जा रही हैं, फिर भी अंतिम प्रयोक्ताओं को एक वेब पोर्टल के माध्यम से परिचालन एवं निर्णय लेने संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक सभी नियमित एवं तदर्थ रिपोर्टें चरणबद्ध ढंग से प्राप्त हो सकेंगी।

सूचना सुरक्षा : बैंक ने एक सशक्त आईटी नीति और सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति का कार्यान्वयन किया है जो अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं से सुसज्जित है। इन नीतियों की समय समय पर समीक्षा की जाती है और उन्हें समुचित रूप से कारगर बनाया जाता है जिससे उभरती हुई चुनौतियों पर ध्यान दिया जा सके। सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्टाफ में जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित सुरक्षा अभ्यास और कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, बेलापुर में व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) लागू की गई।

विदेश स्थित कार्यालय : भारत स्थित 2 विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) सहित, 23 देशों में 131 शाखाएं अपने परिचालन सामान्य बैंकिंग अप्लिकेशन सॉफ्टवेयर फिनैक्ल पर कर रही हैं। इनका डाटाबेस केंद्रीय आंकड़ा केंद्र से जुड़ा हुआ है तथा इसके लिए एकीकृत आपदा निराकरण साइट भी उपलब्ध करवाई गई है। स्टेट बैंक

low cost rural ATMs and solar powered ATMs have also been rolled out.

Internet Banking: The Bank's Internet Banking solution is a comprehensive suite of products for both Retail and Corporate users. Some of the new features enabled during the year include online nomination and closure of e-TDR/STDR, opening closing of e-RD, viewing of Form 26 (Annual statement 26 for income tax credits), stop payment of cheques, request for multicity cheque book, registration of mobile number in Core Banking account for SMS alerts of core transactions, online issuance of gift cards and top up, online validation of PAN while making tax payment, display of notional interest in housing loan account etc.

Payment Systems Group: The volume of RTGS and NEFT transactions has increased significantly.

Contact Centre operates on 24x7 basis from two locations Bengaluru and Vadodara. Contact Centre is currently providing the following services: Complaint Management System, Pension Management System, Lead Management System, Account Enquiry Services, Payment Tracking System, Card Tracking Services, Hotlisting of Cards, ATM PIN Regeneration, Providing MMID (Mobile Money Identifier) information under IMPS (Interbank Mobile Payment Services), Balance and Statement on mobile.

In respect of Prepaid Cards, the facility of placing request and funding for procurement of Gift Card has been enabled through Internet Banking portal (www.onlinesbi.com).

Mobile Banking: A host of Mobile Banking services, such as Fund Transfers, Enquiry Services, Demat Account Enquiry, Cheque book request, Bill payment, Mobile top up, DTH recharge, SBI Life Premium Payment, E-tag recharge to pay toll tax, Merchant payments and Inter Bank Mobile Payment Services (IMPS) are currently being offered. IMPS has been added during the year.

Mobile Banking Services are currently offered under five channels viz. SMS, GPRS, WAP, USSD and SMS banking. SMS Banking has been introduced during the last quarter of the year. The Mobile Banking user base has crossed one million by the end of the year.

Enterprise Data Warehouse: The Phase II of the Enterprise Data Warehouse Project (EDWP) has commenced. While a few business critical reports are already provided by EDWP, the end users will have access to all regular and ad hoc reports required for operational and decision making requirements through a web portal in a phased manner.

Information Security: Bank has implemented a robust IT Policy and Information System Security Policy which is in line with the international best practices. These policies are reviewed periodically and suitably strengthened in order to address emerging threats. Regular security drills and employee awareness programs are conducted to ensure security and increase awareness among staff. Business Continuity Management System (BCMS) has been implemented at Global IT centre, Belapur.

Foreign Offices: 131 branches in 23 countries, including 2 OBUs in India, run their operations on common banking application software Finacle, with their databases connected to a central Data Centre backed up by a

समूह में चल रहे खातों में जमा के लिए विदेशी केंद्रों द्वारा रुपया प्रेषण केंद्रीय भुगतान केंद्र के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) तंत्र का प्रयोग दूसरे बैंकों के खातों में राशि जमा करने के लिए किया जाता है। विदेशी कार्यालय अपने वित्तीय संदेशों के प्रेषण के लिए केंद्रीकृत विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार समिति (स्विफट) की बुनियादी सुविधा का उपयोग करते हैं। सभी विदेश स्थित कार्यालय इंटरनेट बैंकिंग चैनल का प्रयोग करते हैं तथा अधिकांश एटीएमों के भारत स्थित केंद्रीकृत एटीएम स्विच से जुड़े होने से विदेशों में विभिन्न स्थानों पर स्थित 113 एटीएम बैंक के विदेश स्थित ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) कंप्यूटरीकरण

बैंक द्वारा प्रायोजित 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 10 बैंकों का सीबीएस प्लेटफार्म पर कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है तथा ये एएसपी मॉडल के माध्यम से BaNCS अप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं।

पुरस्कार एवं सम्मान

वर्ष के दौरान, बैंक को प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन के फलस्वरूप निम्नलिखित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए :

- दि बैंकर - बैंकिंग प्रौद्योगिकी में नवोन्मेष अवार्ड्स 2010 - भारतीय स्टेट बैंक को ग्रीन एटीएम स्थापित करने के लिए 'ईको-आईटी में नवोन्मेष' श्रेणी में विजेता घोषित किया गया।
- दि नासकॉम सीएनबीसी आईटी यूज़र अवार्ड 2010 - बैंकिंग उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहल के लिए।
- आईडीआरबीटी बैंकिंग प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता अवार्ड्स 2009 - बैंक ने 'वित्तीय समावेशन में प्रौद्योगिकी का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग' तथा 'मोबाइल बैंकिंग तथा भुगतान अप्लिकेशन' में 2 पुरस्कार प्राप्त किए।
- पीसी क्वेसट की ओर से सर्वोत्कृष्ट सूचना प्रौद्योगिकी अवार्ड्स 2010 : भारतीय स्टेट बैंक की 'Green IT @SBI' परियोजना को ग्रीन एटीएम स्थापना के लिए सर्वोत्कृष्ट ग्रीन आईटी परियोजना की श्रेणी में रखा गया।
- स्कॉच अवार्ड 2010 - बैंक की 'ई-पेमेंट सॉल्यूशन'को 'वर्चुअल कारपोरेशन अवार्ड' श्रेणी में रखा गया जिसमें कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफार्म पर ई-गर्वनेंस में हमारे द्वारा की गई सभी प्रकार की पहल सम्मिलित है।
- सिल्वर एज अवार्ड - विदेशी कार्यालय विभाग की 'आंकड़ा केंद्र समेकन परियोजना' के लिए दिया गया।
- एमरॉन क्वांटा एक्सप्रेस अपटाइम चैंपियन अवार्ड्स 2010 (बैंकिंग एवं वित्त श्रेणी) - यह पुरस्कार उन संगठनों को पुरस्कृत करता है जिन्होंने समय-आधारित इष्टतम आधारभूत संरचना 24X7 की गारंटी देने वाले सॉल्यूशन अपनाए हैं।
- वीज़ा 2009 ग्लोबल सर्विस अवार्ड - बैंक के एटीएम-सह-डेबिट कार्ड को लेनदेन में न्यूनतम समय लेने वाला घोषित किया गया।
- आईबीए प्रौद्योगिकी अवार्ड : सर्वश्रेष्ठ ग्राहक पहल, काउंटर, सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन बैंकिंग, सर्वश्रेष्ठ आपदा प्रबंधन (रनर अप)।

ठ. जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण

भारतीय स्टेट बैंक में जोखिम प्रबंधन

ठ.1 जोखिम प्रबंधन संरचना

- ऋण, बाजार, परिचालन और समूह जोखिमों को शामिल करते हुए सम्पूर्ण जोखिम प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र जोखिम अभिशासन संरचना लागू की गई है। इस संरचना में प्रौद्योगिकी के साथ, परिचालन स्तर पर व्यवसाय इकाइयों के सशक्तीकरण का प्रयास किया जाता है जिससे उद्गम स्थल पर जोखिम की पहचान करके उसका नियंत्रण किया जा सके।

synchronized Disaster Recovery site. The Rupee remittances from foreign centres are routed through the central Payment Hub for credit to accounts maintained with State Bank Group. The NEFT mechanism is used for credits to accounts with other banks. The foreign offices also use the centralized SWIFT infrastructure for their financial messages. All foreign offices use Internet Banking channel, and 113 ATMs at various locations abroad cater to the Bank's overseas customers with most of the ATMs connected to centralized ATM Switch in India.

RRB Computerisation:

Out of 18 RRBs sponsored by the Bank, 10 RRBs have been computerised on CBS platform using BaNCS application software through the ASP model.

Awards & Accolades:

During the year, The Bank has received the following national and international awards in recognition of its technology implementation:

- The Banker – Innovation in Banking Technology Awards 2010 – State Bank of India was declared Winner in 'Innovation in Eco-IT' category for its GREEN ATM installation.
- The NASSCOM CNBC IT User Award 2010 – in the Banking Vertical for its various IT initiatives.
- IDRBT Banking Technology Excellence Awards 2009: The Bank won two awards in 'Best Use of Technology for Financial Inclusion' and 'Mobile Banking and Payment Applications'.
- Best IT Implementation Awards 2010 by PC Quest: SBI's Project 'Green IT @ SBI' was rated as the Best Green IT Project for its GREEN ATM installation.
- Skoch Award 2010- in the "Virtual Corporation Award" category for its project – 'E-Payment Solution' which covers all our E-Governance initiatives on Corporate Internet Banking Platform.
- Silver EDGE Award – for its "Data Centre Consolidation Project" of Foreign Offices Department.
- Amaron Quanta Express Uptime Champion Awards 2010 (Banking and Finance Category) – the award recognizes organizations who have implemented solutions that guarantee an optimal infrastructure uptime 24x7.
- VISA 2009 Global Service Award-the Bank's ATM cum debit card was declared to have the lowest transaction response time.
- IBA Technology Award: Best Customer Initiative, Counter, Best Online Banking, Best Risk Management (Runner up).

L. RISK MANAGEMENT & INTERNAL CONTROLS

Risk Management in SBI

L.1 Risk Management Structure

- An independent Risk Governance Structure is in place for Integrated Risk Management covering Credit, Market, Operational and Group Risks. This framework visualises empowerment of Business Units at the operating level, with technology being the key driver, enabling identification and management of risk at the place of origination.

- **बैंक में लागू जोखिम अभिशासन संरचना निम्नानुसार है:**

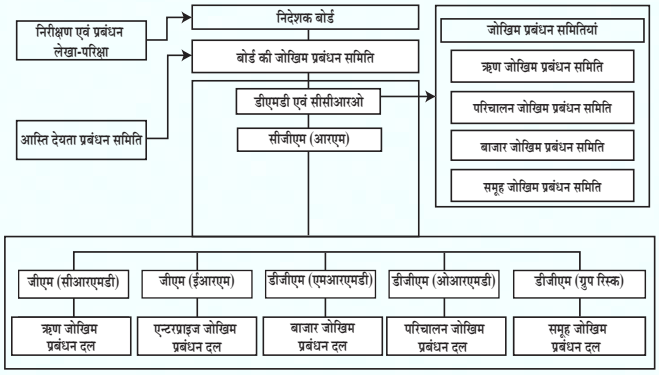

- उद्यमव्यापी जोखिम की निगरानी एवं नियंत्रण करने की संपूर्ण जिम्मेदारी बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) की है। ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), समूह जोखिम प्रबंधन समिति (जीआरएमसी) और आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) इस समिति (आरएमसीबी) की सहायता के लिए उपलब्ध रहती हैं।

- प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियां) और प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) के सदस्य होते हैं जबकि प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी को समिति की सभी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उप प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी सीआरएमसी, एमआरएमसी, ओआरएमसी तथा जीआरएमसी की अध्यक्षता करते हैं। एएलसीओ की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा की जाती है।

- जोखिम प्रबंधन की व्यवसाय वृद्धि और कार्यनीतिक व्यवसाय आयोजना में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यवसाय रणनीति तैयार करते समय आधारभूत जोखिमों का आकलन किया जाता है। जोखिम की प्रत्येक संभावना एवं व्यवसाय कार्यों के बीच परस्पर निर्भरताएं/संबंध का निरंतर फिर से आकलन किया जाता है।

- बैंक एन्टरप्राइज़ जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) के कार्यान्वयन पर कार्य कर रहा है जिससे बैंक के जोखिम प्रबंधन के सभी कार्य एकीकृत हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार के जोखिमों के मध्य परस्पर निर्भरताओं का पता लगाया जा सकेगा तथा जो कार्यनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करेगा।

ठ.2 बेसल-II का कार्यान्वयन

- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण तथा 31 मार्च 2008 से परिचालन जोखिम के लिए मूलभूत सूचक दृष्टिकोण अपनाते हुए बेसल-II संरचना लागू की है, जबकि बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति को 31 मार्च 2006 से पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया था।

- इसके साथ ही बैंक अपनी प्रणालियों एवं कार्यविधियों, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षमताओं, जोखिम निर्धारण तथा जोखिम अभिशासन संरचना के अद्यतन तथा परस्पर सामंजस्य का कार्य कर रहा है ताकि बेसल-II के अंतर्गत विकसित दृष्टिकोणों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

- नए ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल, आंतरिक रेटिंगों की स्वतंत्र एजेंसियों से पुष्टि कराने, गुम आंकड़ों की प्राप्ति तथा जोखिम मूल्य के बाजार मूल्य की गणना और ऋण आंकड़ा गुणवत्ता में सुधार करने जैसी विभिन्न पहलों से पूंजी का कारगर उपयोग और विकसित दृष्टिकोणों का अंगीकरण आसान हो जाएगा।

- बेहतर जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, बेसल-II अपेक्षाओं और पूंजी को सुरक्षित रखने तथा उसका इष्टतम उपयोग करने के उद्देश्य के साथ साथ परिचालन स्तर पर जागरूकता को बढ़ाने के लिए पूरे बैंक में जोखिम जागरूकता का कार्य किया जा रहा है।

- इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए कि बैंक के संविभागों पर दबाववाली स्थितियां आ सकती हैं, बैंक में एक ऐसी नीति लागू है, जिसमें समय समय पर दबाव परीक्षण संचालित करने और जहां कहीं आवश्यक हो, सुधारात्मक

- **The Risk Governance Structure in place in the Bank is as under:**

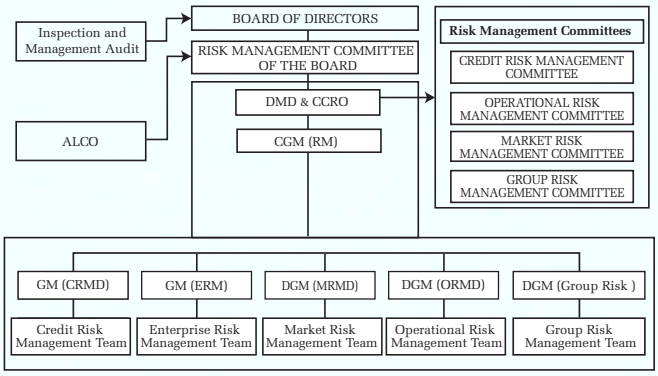

- **The Risk Management Committee** of the Board (RMCB) has the overall responsibility to monitor and manage Enterprise Wide Risk. The Credit Risk Management Committee (CRMC), Market Risk Management Committee (MRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC), Group Risk Management Committee (GRMC) and Asset Liability Management Committee (ALCO) support RMCB.

- MD & Group Executive (Associates & Subsidiaries) and MD & Group Executive (International Banking) are the members of RMCB, while MD & Group Executive (National Banking) and MD & Chief Financial Officer are invited to attend all the meetings of the Committee. The Deputy Managing Director & Chief Credit and Risk Officer head CRMC, MRMC, ORMC and GRMC. ALCO is headed by the Managing Director & Chief Financial Officer.

- Risk Management is perceived as an enabler for business growth and in strategic business planning, by aligning business strategy to the underlying risks. This is achieved by constantly re-assessing the inter-dependencies / interfaces amongst each silo of Risk and business functions.

- Bank is in the process of implementing Enterprise Risk Management (ERM) that will integrate all the Risk Management functions of the Bank, explore inter-dependencies amongst various risk types and act as a support system to strategic decision-making process.

L.2 Basel II Implementation

- In accordance with RBI guidelines, the Bank has migrated to the Basel II framework, with the Standardised Approach for Credit Risk and Basic Indicator approach for Operational Risk w.e.f. March 31, 2008, having already implemented the Standardised Duration Method for Market Risk w.e.f. March 31, 2006.

- Simultaneously, the Bank is updating and fine-tuning its Systems and Procedures, Information Technology (IT) capabilities, Risk Assessment and Risk Governance structure to meet the requirements of the Advanced Approaches under Basel II.

- Various initiatives such as new Credit Risk Assessment Models, independent validation of Internal Ratings, loss data collection and computation of market risk Value at Risk (VaR) and improvement in Loan Data Quality would facilitate efficient use of Capital as well as smooth transition to Advanced Approaches.

- Risk Awareness exercises are being conducted across the Bank to enhance the degree of awareness at the Operating levels, in alignment with better risk management practices, Basel II requirements and over-arching aim of conservation and optimum use of capital.

- Keeping in view the changes that the Bank's portfolios may undergo in stressed situations, the Bank has in place a policy, which provides a

उपाय शुरू करने के लिए एक संरचना उपलब्ध कराई गई है। अधिक जोखिमपूर्ण स्थितियों तथा नए परिदृश्यों को शामिल करने के लिए इन परीक्षणों के कार्यक्षेत्र की निरंतर समीक्षा की जाती है।

ठ.3 ऋण जोखिम प्रबंधन

- ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में ऋण जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, मापन, निगरानी और नियंत्रण शामिल होते हैं। सीआरए मॉडल्स, उद्योग ऋण जोखिम मानदण्ड, प्रतिपक्ष ऋण, जोखिम ऋण सीमाएं, बड़ी ऋण सीमाओं आदि जैसे सुपरिभाषित मूलभूत जोखिम उपाय लागू किए गए हैं।
- ऋण जोखिम घटकों जैसे चूक की संभाव्यता (पीडी), हानि पहुंचानेवाली चूक (एलजीडी) तथा चूक के प्रकटन (ईएडी) की गणना की जा रही है।
- शुरू में ही ऋण जोखिम का पता लगाने और ऋण जोखिम को नियंत्रित / कम करने के उपयुक्त उपाय करने के लिए ऋण जोखिम के संबंध में दबाव परीक्षण वार्षिक के स्थान पर अब अर्ध-वार्षिक अंतरालों पर किए जाते हैं।

ठ.4 बाजार जोखिम प्रबंधन

- बाजार जोखिम का प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश, प्राइवेट ईक्विटी एवं उद्यम पूंजी, बॉण्डों, ईक्विटियों, विदेशी मुद्रा की ट्रेडिंग और डेरीवेटिव्स संबंधी नीतियों द्वारा किया जाता है।
- जोखिम, हानि रोकने, आशोधित अवधि, पीवी01 और जोखिम ऋण सीमाएं निर्धारित की गई हैं। बाजार जोखिम को अनुमोदित सीमाओं के अंदर रखने के लिए अन्य प्रबंधन कार्य शुरू करने के साथ साथ इन सीमाओं की नियमित जांच की जाती है और आवश्यकता होने पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाती है।

ठ.5 परिचालन जोखिम प्रबंधन

- बैंक आंतरिक नियंत्रणों की एक व्यापक प्रणाली और नीतियों को कार्यान्वित करते हुए परिचालन जोखिमों पर नियंत्रण रखता है।
- बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति का मुख्य उद्देश्य प्रणालियों एवं नियंत्रण तंत्र की निरंतर समीक्षा करना, सम्पूर्ण बैंक में परिचालन जोखिम के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जोखिम दायित्व का निर्धारण करना, व्यवसाय कार्यनीति में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों को शामिल करना और नियामक अपेक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित करना है।
- बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में परिचालन जोखिम की प्रणालीगत एवं कारगर पहचान, मूल्यांकन, मापन, निगरानी और जोखिम कम करने संबंधी एक स्थायी संरचना स्थापित की गई है। बैंक के अंदर यह नीति सभी व्यवसाय एवं कार्य क्षेत्रों के लिए लागू होती है और इसमें परिचालन प्रणालियों, कार्यविधियों और दिशा-निर्देशों को समय-समय पर अद्यतन करके जोड़ा जाता है।

ठ.6 समूह जोखिम प्रबंधन

- स्टेट बैंक समूह को विभिन्न वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण उपस्थिति के साथ एक प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थ के रूप में और एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में जाना जाता है।
- तदनुसार, नियामक दृष्टि से तथा समूह के अपने आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन की दृष्टि, दोनों प्रकार से, यह अत्यावश्यक है कि समूह की प्रत्येक इकाई के कार्यों पर नजर रखी जाए और समूह में जोखिम के सम्पूर्ण स्तर का समय-समय पर आकलन किया जाए। इससे पूंजीगत संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सकेगा और समूह की इकाइयों में एक समान जोखिम प्रथाओं को लागू किया जा सकेगा।
- जहां भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन पर नियंत्रण है और ईक्विटी शेयरों में निवेश 30% और उससे अधिक है, वहां विशिष्ट नियामकों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत और संबंधित लेखा मानकों का अनुपालन करते हुए समूह जोखिम प्रबंधन नीति स्टेट बैंक समूह के सभी सहयोगी बैंकों, बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों पर लागू होती है।

framework for conducting the Stress Tests at periodic intervals and initiating remedial measures wherever warranted. The scope of the tests is constantly reviewed to include more stringent and new scenarios.

L.3 Credit Risk Management

- Credit Risk Management process encompasses identification, assessment, measurement, monitoring and control of the Credit Exposures. Well-defined basic risk measures such as CRA (Credit Risk Assessment) models, Industry Exposure norms, Counter-party Exposure limits, Substantial Exposure limits, etc., have been put in place.

- Credit Risk components such as Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default (EAD) are being computed.

- Frequency of Stress Tests in respect of Credit Risk has been increased from Annual to Half-yearly, to identify Credit Risk at an early stage and to initiate appropriate measures to contain/ mitigate Credit Risk.

L.4 Market Risk Management

- Market Risk Management is governed by the Board approved policies for investment, Private Equity & Venture Capital, trading in Bonds, Equities, Foreign Exchange and Derivatives.

- Exposure, Stop Loss, Modified Duration, PV01 and Value at Risk (VaR) limits have been prescribed. These limits, along with other Management Action Triggers, are tracked daily and necessary action initiated, as required, to keep Market Risk within approved limits.

L.5 Operational Risk Management

- The Bank manages operational risks by having in place and maintaining a comprehensive system of internal controls and policies.

- The main objectives of the Bank's Operational Risk Management are to continuously review systems and control mechanisms, create awareness of operational risk throughout the Bank, assign risk ownership, alignment of risk management activities with business strategy and ensuring compliance with regulatory requirements.

- The Operational Risk Management policy of the Bank establishes a consistent framework for systematic and pro-active identification, assessment, measurement, monitoring and mitigation of operational risk. The Policy applies to all business and functional areas within the Bank, and is supplemented by operational systems, procedures and guidelines which are periodically updated.

L.6 Group Risk Management

- The State Bank Group is recognised as a major Financial Conglomerate and as a systemically important financial intermediary, with significant presence in various financial markets.

- Accordingly, it is imperative, both from the regulatory point of view as well as from the Group's own internal control and risk management point of view, to oversee the functioning of individual entities in the Group and periodically assess the overall level of risk in the Group. This facilitates optimal utilization of capital resources and adoption of a uniform set of risk practices across the Group Entities.

- The Group Risk Management Policy applies to all Associate Banks, Banking and Non-banking Subsidiaries and Joint Ventures of the State Bank Group under the jurisdiction of specified regulators and complying with the relevant Accounting Standards, where the SBI has

- समूह की इकाइयों को अपने प्रमुख जोखिमों एवं जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं तथा पूंजी का निर्धारण करने योग्य बनाने की दृष्टि से, गैर-बैंकिंग अनुषंगियों सहित समूह के सभी सदस्यों को अपनी नीतियों एवं परिचालनों को बेसल अवधारणाओं और अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं के अनुरूप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ठ.7 आस्ति देयता प्रबंधन

- बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति को तुलन-पत्र जोखिमों का पता लगाने एवं उनका विश्लेषण करने और इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन के लिए न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियां एवं कार्यविधियां तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।
- आस्ति देयता प्रबंधन विभाग, जो आस्ति-देयता प्रबंधन समिति का एक सहायक समूह है, विभिन्न आस्ति देयता प्रबंधन रिपोर्टों/विवरणियों का विश्लेषण करके बैंक के बाजार जोखिमों जैसे चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम आदि पर निगरानी रखता है। आस्ति देयता प्रबंधन विभाग बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति की समीक्षा करता है और सतत आधार पर बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करता है।
- बैंक की शाखाओं के व्यवसाय निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए बाजार संबंधी निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण प्रणाली व्यवस्था का कार्यान्वयन किया गया है।

ठ.8 आंतरिक नियंत्रण

बैंक में अन्तर्निहित नियंत्रण प्रणाली मौजूद है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर सुस्पष्ट जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। आंतरिक लेखा-परीक्षा की आवश्यकता के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए बैंक मुख्य रूप से दो प्रकार की लेखा-परीक्षा अर्थात् निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा और प्रबंधन लेखा-परीक्षा संचालित करता है। इनके अलावा, बड़ी ऋण सीमाओं वाली इकाइयों के लिए ऋण लेखा-परीक्षा संचालित की जाती है और बड़ी जमा राशियों, अग्रिमों और अन्य जोखिमों वाली शाखाओं और चयनित बीपीआर इकाइयों में संगामी लेखा-परीक्षा की जाती है। कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं, स्थानीय प्रधान कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों, स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालयों, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों, मार्गदर्शी बैंक कार्यालयों आदि में खर्च संबंधी लेखा-परीक्षा की जाती है जिसमें खातों और किए गए खर्च की सत्यता की जांच करना शामिल है। शाखाओं द्वारा अनियमितताओं के सुधार के स्तर की जांच करने के लिए, चयनित शाखाओं में अनुपालन की लेखा-परीक्षा भी शुरू की गई है। केंद्रीकृत सूचना प्रौद्योगिकी संस्थापनाओं की सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा की जा रही है।

ठ.8.1 जोखिम केन्द्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरएफआईए)

निरीक्षण विभाग आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य जिसे कारपोरेट अभिशासन का एक संवेदनशील घटक समझा जाता है, में श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को प्रवर्तित करने में निरीक्षण प्रणाली एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील भूमिका अदा करती है। निरीक्षण लेखा-परीक्षा में लेखा-परीक्षा की गई इकाइयों की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली की एक विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। बैंक की लेखा-परीक्षा प्रणाली में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित पर्यवेक्षण में सहायक जोखिम केन्द्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रचलन में है।

ठ.8.2 शाखाओं का निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा

व्यवसाय संविभाग और जोखिम सम्बद्धताओं के आधार पर देश भर में सभी शाखाओं को 3 समूहों में बांटा गया है। यद्यपि समूह-1 की शाखाओं और ऋण उन्मुख बीपीआर इकाइयों (एसएआरसी के छोड़कर) के लेखा-परीक्षा कार्य की देखरेख महाप्रबंधक (सीएयू) के नेतृत्व में निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा विभाग में केंद्रीय लेखा-परीक्षा इकाई (सीयू) द्वारा की जाती है, समूह-2 एवं समूह-3 की शाखाओं और अन्य बीपीआर इकाइयों की लेखा-परीक्षा महाप्रबंधक (निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा) के नेतृत्व में विभिन्न केन्द्रों में स्थित दस आंचलिक निरीक्षण कार्यालयों द्वारा संचालित की जाती है। शाखाओं और बीपीआर इकाइयों की लेखा-परीक्षा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

investment in equity shares of 30% and more with control over management.

- With a view to enabling the Group Entities to assess their material risks and adequacy of the risk management processes and capital, all Group members, including Non-banking Subsidiaries are encouraged to align their policies and practices with the Group, follow Basel prescriptions and international best practices.

L.7 Asset Liability Management

- The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is entrusted with the evolvement of appropriate systems and procedures in order to identify and analyse balance sheet risks and setting of benchmark parameters for efficient management of these risks.

- ALM Department, being the support group to ALCO, monitors the Bank's market risk such as liquidity risk, interest rate risk etc., by analysing various ALM reports / returns. The ALM department reviews the ALM Policy and complies with the Bank's / RBI's policy guidelines on an ongoing basis.

- The Market Related Fund Transfer Pricing Mechanism has been implemented for evaluating the business performance of the branches of the Bank.

L.8 Internal Controls

The Bank has in-built internal control systems with well-defined responsibilities at each level. The Bank carries out mainly two streams of audits - Inspection & Audit and Management Audit covering different facets of Internal Audit requirement. Apart from these, Credit Audit is conducted for units with large credit limits and Concurrent Audit is carried out at branches having large deposits, advances and other risk exposures and selected BPR Outfits. Expenditure Audit, involving scrutiny of accounts and correctness of expenditure incurred, is conducted at Corporate Centre Establishments, Local Head Offices, Zonal Offices, On Locale Regional Offices, Regional Business Offices, Lead Bank Offices, etc. To verify the level of rectification of irregularities by branches, audit of compliance at select branches is also undertaken. The Information System Audit (IS Audit) of the centralised IT establishments is being conducted.

L.8.1 Risk Focussed Internal Audit (RFIA)

The inspection system plays an important and critical role of introducing international best practices in the internal audit function which is regarded as a critical component of Corporate Governance. Inspection & Management Audit Department undertakes a critical review of the entire working of auditee units. Risk Focussed Internal Audit, an adjunct to risk based supervision as per RBI directives, is in vogue in the Bank's audit system.

L.8.2 Inspection & Audit of branches

All domestic branches have been segregated into 3 groups on the basis of business profile and risk exposures. While audit of Group I branches and credit oriented BPR entities (excepting SARC) is administered by Central Audit Unit (CAU) at Inspection & Management Audit Department headed by a General Manager (CAU), audit of branches in Group II & Group III category and other BPR entities are conducted by ten Zonal Inspection Offices, located at various Centres, each of which is headed by a General Manager (I&A). The audit of branches and BPR entities is conducted as per the periodicity approved by Audit Committee of the Board (ACB) which is well within RBI norms. During the period from

द्वारा अनुमोदित आवधिकता के अनुसार संचालित की जाती है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि के दौरान, **7,871** देशीय शाखाओं (समूह-I : **86**, समूह-II : 1421 एवं समूह III : **6,364**) की लेखा-परीक्षा की गई।

ठ.8.3 बीपीआर इकाइयों की लेखा-परीक्षा

विभिन्न बीपीआर पहलों को शुरू किए जाने के परिणामस्वरूप, बीपीआर इकाइयों के लिए लेखा-परीक्षा प्रक्रिया तैयार करके शुरू की गई। प्रत्येक इकाई से संबद्ध प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, उचित लेखा-परीक्षा प्रश्नावलियों के साथ विशिष्ट लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रारूप तैयार किए गए हैं। इन इकाइयों का मूल्यांकन जोखिम मापदण्डों के आधार पर किया जा रहा है। दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि के दौरान, **323** बीपीआर इकाइयों (समूह-I : **138** एवं समूह-II : **185**) की लेखा-परीक्षा की गई।

ठ.8.4 समूह लेखा-परीक्षा

अनेक केन्द्रों को बीपीआर की परिधि के अंतर्गत लाया गया है और अनेक शाखाओं को बीपीआर इकाइयों से जोड़ा गया है। ऐसी शाखाओं में जहां जोखिम का पता लगाने और उसे कम करने में समर्थ बनाने की प्रक्रिया अभी जारी है, इस विभाग ने ''समूह लेखा-परीक्षा'' के नाम से एक पहल शुरू की है, जिसमें एक केंद्र विशेष में बीपीआर इकाइयों और निर्धारित शाखाओं की एक साथ लेखा-परीक्षा शुरू की जाती है। दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि के दौरान, **46** केंद्रों की **1188** शाखाओं तथा **125** बीपीआर इकाइयों की लेखा-परीक्षा की गई। इससे इन केन्द्रों की लेखा-परीक्षा की सही स्थिति सामने आई।

ठ.8.5 प्रबंधन लेखा-परीक्षा

जोखिम केन्द्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा की शुरुआत होने से, बैंक में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रियाओं एवं कार्यविधियों में जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता पर ध्यान देने के लिए प्रबंधन लेखा-परीक्षा को नया रूप दिया गया है। प्रबंधन लेखा-परीक्षा की परिधि में कारपोरेट केन्द्र की संस्थापनाएं; मण्डल/शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान, सहयोगी बैंक; अनुषंगियां (देशी/विदेशी); संयुक्त उद्यम (देशी/विदेशी), बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), आदि शामिल होते हैं। दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि के दौरान, 45 देशी कार्यालयों/संस्थापनाओं की प्रबंधन लेखा-परीक्षा की गई।

ठ.8.6 ऋण लेखा-परीक्षा

ऋण लेखा-परीक्षा का उद्देश्य ₹ 5 करोड़ और उससे अधिक के जोखिम वाले बड़े वाणिज्यिक ऋणों की अलग-अलग समीक्षात्मक जांच करते हुए बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता में लगातार सुधार करना है। ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली (सीएएस), जिसे जोखिम केन्द्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा में शामिल किया है, इस बात का निर्धारण करती है कि क्या ऋण मूल्यांकन, ऋणों की संस्वीकृति और ऋण प्रशासन के क्षेत्र में बैंक की निर्धारित नीतियों का पूरी तरह से पालन किया जाता है। सीएएस इकाई के अग्रिम संविभाग की गुणवत्ता के बारे में चेतावनी संकेतों के रूप में व्यवसाय इकाई को प्रतिसूचना उपलब्ध कराती है और सुधारात्मक उपाय भी सुझाती है। यह प्रदान की गई जोखिम श्रेणी-निर्धारण पर भी टिप्पणियां करती है कि क्या यह सही है। शाखा इतर ऋण लेखा-परीक्षा द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक के सभी व्यक्तिगत अग्रिमों की संस्वीकृति/ संवर्धन/नवीकरण के 6 महीनों के अंदर समीक्षा की जाती है और संस्वीकृति के पश्चात कार्य स्थल ऋण लेखा-परीक्षा 12 महीने में एक बार की जाती है। दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि के दौरान, ₹ 5,72,958 करोड़ की कुल राशि वाले 5733 खातों की 456 शाखाओं में ऋण लेखा-परीक्षा (कार्य स्थल पर) की गई। इसी अवधि के दौरान, 14 मंडलों (संबंधित मण्डलों के भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करने वाले एमसीआरओ/सीएजी सहित) में ₹ 8,43,864 करोड़ की राशि के 6,875 प्रस्तावों (देशी) में ऋण लेखा-परीक्षा (शाखा से इतर) संचालित की गई।

ठ.8.7 सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा

अप्रैल 2006 से, शाखा की लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध जोखिमों का निर्धारण करने

01.04.2010 to 31.03.2011, **7,871** domestic branches (Group I: **86** Group II: **1,421**; & Group III: **6,364**) were audited.

L.8.3 Audit of BPR entities

In the wake of introducing various BPR initiatives, audit process for the BPR entities has been developed and introduced. Taking into account the processes involved in each of the entities, exclusive Audit Report Formats, with appropriate audit queries, have been introduced. These entities are being evaluated on risk parameters. During the period from 01.04.2010 to 31.03.2011, **323** BPR entities (Group I: **138** & Group II: **185**) were audited.

L.8.4 Cluster Audit

A number of Centres have been brought under the gamut of BPR and several branches are linked with BPR entities. To be able to identify and mitigate the risk at such branches, where the process is still underway, the department has introduced an initiative called 'Cluster Audit' wherein a simultaneous audit of BPR entities and identified branches linked to the BPR in a particular centre is taken up . During the period from 01.04.2010 to 31.03.2011, Cluster Audit was conducted in **46** Centres covering **1,188** Branches & **125** BPR entities. This brought to light the audit health of the centre.

L.8.5 Management Audit

With the introduction of Risk Focussed Internal Audit, Management Audit has been reoriented to focus on the effectiveness of risk management in the processes and the procedures followed in the Bank. Management Audit universe comprises of Corporate Centre Establishments; Circles / Apex Training Institutions, Associate Banks; Subsidiaries (Domestic / Foreign); Joint Ventures (Domestic / Foreign), Regional Rural Banks sponsored by the Bank (RRBs). During the period from 01.04.2010 to 31.03.2011, Management Audit of **45** domestic offices/establishments was carried out.

L.8.6 Credit Audit

Credit Audit aims at achieving continuous improvement in the quality of Commercial Credit portfolio of the Bank through critically examining individual large commercial loans with exposures of ₹ 5 crores and above. Credit Audit System (CAS), which has been aligned with Risk Focussed Internal Audit, assesses whether the Bank's laid down policies in the area of credit appraisal, sanction of loans and credit administration are meticulously complied with. CAS also provides feedback to the business unit by way of warning signals about the quality of advance portfolio in the unit and suggests remedial measures. It also comments on the risk rating awarded and whether it is in order. Credit Audit carries out a review of all individual advances above the cut off limit within 6 months of sanction/enhancement/ renewal as off-site audit and a post sanction audit once in 12 months as on-site. During the period 01.04.2010 to 31.03.2011, Credit Audit (on-site) was conducted in **456** Branches, covering **5,733** accounts with aggregate exposures of ₹ **5,72,958** crores. Credit Audit (Off-site) was conducted in 14 Circles (including MCROs/CAG functioning in the geographical area of the respective Circles) during the same period, covering 6,875 proposals (domestic) with aggregate exposure of ₹ **8,43,864** crores.

L.8.7 Information System Audit:

Since April 2006, all the Branches are being subjected to Information Systems (IS) audit to

के लिए सभी शाखाओं को सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा के अधीन लाया जा रहा है। शाखाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के दक्षता स्तर का मूल्यांकन करना आसान बनाने के लिए सूचना प्रणालियों की स्वयं लेखा-परीक्षा संबंधी एक हैण्डबुक तैयार की गई है। केन्द्रीयकृत सूचना प्रौद्योगिकी संस्थापनाओं की सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा जनवरी-2007 में शुरू की गई है। दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि के दौरान, **40** केन्द्रीकृत सूचना प्रौद्योगिकी संस्थापनाओं की सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा पूर्ण की गई।

ठ.8.8 विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा-परीक्षा

दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि के दौरान, **40** शाखाओं/कार्यालयों में मूल कार्यालय लेखा-परीक्षा शुरू की गई, जिसमें **31** शाखाओं की निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा, **4** प्रतिनिधि कार्यालयों, **1** अनुषंगी तथा **4** क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रबंधन लेखा-परीक्षा शामिल है।

ठ.8.9 संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली

सुदृढ़ आंतरिक कार्यों, प्रभावी नियंत्रणों की स्थापना करने और परिचालनों का निरीक्षण करने के लिए संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली अनिवार्यत: नियंत्रण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। दैनिक परिचालनों की जांच करने हेतु परिचालनों के नियंत्रकों के लिए यह एक साधन के रूप में कार्य करती है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है जिससे बैंक जमाओं का 30-40% और बैंक के अग्रिमों एवं अन्य जोखिम सम्बद्धताओं के 60-70% भाग को इसमें शामिल किया जा सके। शाखाओं और बीपीआर इकाइयों में संगामी लेखा-परीक्षा का संचालन करने के लिए निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा विभाग प्रक्रियाओं, दिशा-निर्देशों और प्रारूपों का निर्धारण करता है। दिनांक 31.03.2011 को, इस प्रणाली में बैंक की **30.15**% जमाराशियों और **75.21**% अग्रिमों तथा बैंक की अन्य जोखिम सम्बद्धताओं की संगामी लेखा-परीक्षा की गई।

ठ.9 सतर्कता

बैंक में सतर्कता कार्यकलाप का उद्देश्य संगठन में प्रबंधकीय कार्य-कुशलता एवं प्रभावशीलता के स्तर को घटाना नहीं अपितु बढ़ाना है। जोखिम उठाना बैंकिंग व्यवसाय का अभिन्न अंग है। इसलिए, प्रत्येक नुकसान आवश्यक रूप से सतर्कता जांच का विषयगत मामला नहीं बनता है। निर्णयों की अनिवार्यत: सतर्कता दृष्टिकोण से जांच की जाती है, जिनसे बैंक को क्षति पहुंचती है। जहां एक ओर सतर्कता का उद्देश्य दोषी कर्मचारियों को दंडित करना है वहीं दूसरी ओर यह उनके तर्कसंगत तथा सद्भावपूर्वक लिए गए व्यावसायिक निर्णयों तथा किसी कपटरहित कार्य को संरक्षण भी प्रदान करती है। बैंक में सतर्कता विभाग इन सिद्धान्तों पर कार्य करता है।

'उपचार से बेहतर बचाव' सिद्धान्त पर आधारित सतर्कता विभाग निवारक उपायों में सक्रिय रूप से संबद्ध है जिनका उद्देश्य बैंक में एक जैसी प्रकृति वाले धोखाधड़ी के मामलों को बार-बार घटित होने से रोकना है। इसके साथ ही सतर्कता विभाग सीबीएस परिवेश में धोखाधड़ी की घटनाओं के निवारण के लिए कार्यक्षम उपाय कर रहा है।

संगठन के आकार को देखते हुए, हमने सभी 14 मंडलों में सतर्कता विभाग स्थापित किए हैं जिनकी अध्यक्षता उप महाप्रबंधक द्वारा की जाती है। कारपोरेट केंद्र में, सतर्कता संरचना में नेतृत्व मुख्य महाप्रबंधक की श्रेणी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह विभाग सीधे अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है तथा अपने कार्यों का निष्पक्ष रूप से संचालन करता है। इसकी कार्य प्रणाली में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाता है।

ड. ग्राहक सेवा एवं कारपोरेट सामाजिक दायित्व

ड.1. ग्राहक सेवा

- विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों में पारस्परिक संबंधों मुख्यत: ग्राहकों के साथ संबंधों की बेहतर समझ बनाने के उद्देश्य से बदलाव लाने वाले कुछ कार्यक्रम जैसे- 'परिवर्तन', 'एसबीआई सिटीजन', 'उड़ान', 'जागृति' आदि चलाए गए।
- बैंक की शिकायत निवारण नीति भारतीय बैंक संघ द्वारा तैयार की गई आदर्श नीति के आधार पर और

assess the IT related risks as part of audit of the branch. A 'Handbook on Self Audit of Information Systems' was introduced to facilitate branches for evaluating the efficiency level of IT systems. IS Audit of centralised IT establishments has commenced in January 2007. During the period from 01.04.2010 to 31.03.2011, IS Audit of **40** centralised IT establishments was completed.

L.8.8 Foreign Offices Audit:

Home Office Audit was carried out at **40** Branches / offices during 01.04.2010 to 31.03.2011, which included Inspection and Audit of **31** Branches, Management Audit of **4** Representative offices, **1** Subsidiary and **4** Regional Offices.

L.8.9 CONCURRENT AUDIT SYSTEM:

Concurrent Audit system is essentially a control process integral to the establishment of sound internal accounting functions, effective controls and overseeing of operations. It works as a tool for the Controllers of operations for scrutiny of day-to-day operations. Concurrent Audit System is reviewed on an on-going basis as per the RBI directives so as to cover 30-40% of the Bank's Deposits and 60-70% of the Bank's Advances and other risk exposures. Inspection & Audit department prescribes the processes, guidelines and formats for the conduct of concurrent audit at branches and BPR entities. As on 31.03.2011, the system covers **30.15** % of deposits and **75.21** % of advances and other risk exposures of the Bank.

L.9 Vigilance

The main objective of vigilance activity in the Bank is not to reduce but enhance the level of managerial efficiency and effectiveness in the organization. Risk taking is integral part of the banking business. Therefore, every loss does not necessarily become subject matter of vigilance enquiry. Motivated or reckless decisions that cause damage to the Bank are essentially dealt as vigilance ones. While vigilance aims at punishing the delinquent employees, it also protects the legitimate and bonafide business decisions taken by them and any other action devoid of malafides. The Vigilance Department in the Bank functions on these principles.

Based on the principle "Prevention is Better Than Cure", the Vigilance Department is actively involved in the preventive measures, which aim at taking steps, which are essential for avoiding recurrence of similar nature of frauds in the Bank. At the same time, Vigilance department is taking proactive measures to prevent the incidences of frauds arising in CBS environment.

Considering the size of the Organization, we have set up vigilance departments at each of the 14 Circles, headed by Deputy General Managers. At Corporate Centre, Vigilance set up is headed by Chief Vigilance Officer of the rank of Chief General Manager. The department reports to the Chairman directly and conducts its affairs independently. The guidelines of the Central Vigilance Commission (CVC) are followed in letter and spirit in its functioning.

M. CUSTOMER SERVICE & CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

M.1. CUSTOMER SERVICE

- Several transformation exercises for different categories of employees were conducted such as 'Parivartan', 'SBI Citizen', 'Udan', 'Jagruti' etc. towards better understanding of interpersonal relationships mainly with the customers.

- The Grievance Redressal Policy of the Bank is formulated on the basis of the Model Policy

अगस्त 2009 में भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड द्वारा जारी ग्राहकों के प्रति बचनबद्धता संबंधी संशोधित संहिता के आधार पर तैयार की गई है। शाखाओं को संहिता में निर्धारित 30 दिनों की समय-सीमा के सामने शिकायत प्राप्त होने के 3 सप्ताह के अंदर ग्राहक की शिकायत का निवारण करना आवश्यक है।

- स्थानीय प्रधान कार्यालयों में ग्राहक सेवा पर एक स्थायी समिति गठित की गई हैं जिनमें वरिष्ठ नागरिकों सहित ग्राहकों के प्रतिनिधि होते हैं। यह समिति मंडल में ग्राहक सेवा की समग्र स्थिति की समीक्षा करती है। सभी मंडलों के ग्राहकों की शिकायतों के समेकित आंकड़ों का विश्लेषण हर तिमाही में केंद्रीय बोर्ड के समक्ष रखा जा रहा है ताकि निराकरण योग्य सामान्य प्रणालीगत त्रुटियों की पहचान की जा सके तथा साथ ही ग्राहक सेवा में सुधार के लिए बैंक द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों की समीक्षा की जा सके।
- बैंक के संपर्क केंद्रों में वृद्धि की गई है ताकि ये ग्राहकों को उपयोगी सहायता प्रदान कर सकें, इसमें सम्मिलित हैं ;
- उत्पादों और सेवाओं संबंधी जानकारी
- खाते से संबंधित सूचना, बकाया शेष की पूछताछ
- एटीएम कार्ड संबंधी सूचना जिसमें कार्डों को ब्लॉक करना भी सम्मिलित है
- आयकर वापसी संबंधी पूछताछ
- डी-मैट खाते की सूचना
- पेंशनरों को पेंशन संबंधी सूचना देना
- ग्राहकों की एटीएम संबंधी शिकायतों को शिकायत केंद्र के टोल फ्री नंबर पर रजिस्टर कराने में सहायता देने के उद्देश्य से दिसंबर 2009 में एक वेब आधारित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) शुरू की गई थी। एटीएम स्विच सेंटर तथा शाखाएं शिकायतों का निपटान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 12 दिन की समयावधि के भीतर करती हैं। शिकायतों का एक बड़ा भाग पेंशन से संबंधित होने के कारण अब पेंशन, दिवंगत ग्राहकों के खातों, लॉकर्स तथा अनिवासी भारतीय खातों के लिए भी सीएमएस की सुविधा प्रदान कर दी गई है।
- ग्राहकों की शिकायतों के निपटान के लिए बैंक ने मोबाइल तथा वेब आधारित सेवा - 'एसएमएस अनहैपी सर्विस' शुरू की है। शिकायत करने का इच्छुक, कोई भी ग्राहक एक निर्धारित नंबर पर 'UNHAPPY' एसएमएस भेजता है। बैंक ग्राहक को उसी मोबाइल नंबर पर जवाब देते हुए शिकायत का विवरण रिकार्ड करता है और इसे संबंधित शाखाओं को भेजता है जिन्हें शिकायत के समाधान की सूचना 48 घंटों के भीतर भेजनी होती है।

ड.2. कारपोरेट सामाजिक दायित्व

सामाजिक सेवा बैंकिंग के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक, पर्यावरण और कल्याणकारी गतिविधियां चलाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक सामाजिक सेवा बैंकिंग के नाम से वर्ष 1973 से ही कारपोरेट सामाजिक दायित्व वहन करता आ रहा है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व अवधारणा निम्नानुसार है :

- बैंक एक कारपोरेट सिटीजन है जिसके पास अपने संसाधन हैं और आम लोगों के बीच कारोबार करके उसे अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए समाज के वंचित और अल्प सुविधा प्राप्त सदस्यों के प्रति उसका एक महत्त्वपूर्ण दायित्व बनता है।
- स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने आस-पास रहने वाले लोगों की भावनाओं को समझते हुए निर्विवाद रूप से सामाजिक एवं विकास संबंधी कमियों को दूर करने के उपाय करके अपना योगदान दें। इससे समुदाय के साथ साथ स्टाफ सदस्यों के स्वयं के विकास और बैंक की छवि में सुधार होगा।

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान, समाज में विशेष रूप से शाखाओं के परिचालन क्षेत्र में और उसके आस-पास जीवन

Framed by Indian Banks' Association and provisions of the revised Code of Commitments to Customers released by Banking Codes and Standards Board of India in August 2009. Branches are required to redress customer grievances within three weeks of receipt against the time limit of 30 days prescribed in the Code.

- The Standing Committee on Customer Service constituted at the Local Head Offices with representatives from customers including Senior Citizens review the overall position of Customer Service in the Circle. Analysis of the consolidated data for Customer Grievances for all Circles is being put up to the Customer Service Committee of the Central Board every quarter to identify common systemic issues that require rectification, and also review the remedial measures taken by the Bank for improving the Customer Service.
- The Contact Centre of the Bank has been enhanced to provide wholesome help to customers including
    - Enquiries on products and services,
    - Account related information, balance enquiry,
    - ATM card related information including blocking of cards,
    - Income tax refund related queries,
    - Demat account information,
    - Pension related information to pensioners.
- A web based Complaint Management System (CMS) launched in December 2009 helps customers to register their ATM related complaints at the Toll Free number of Contact Centre. The complaints are resolved by the ATM Switch Centre and branches within RBI stipulated time limit of 12 days. As pension related complaints continue to be the major area of complaints, CMS facility has now also been extended for acceptance of complaints relating to pensions, deceased accounts, Lockers and NRI accounts.
- The Bank has launched a mobile and web based service for customer grievance redressal - 'SMS Unhappy Service'. Any customer, who wants to lodge a complaint, sends an SMS "UNHAPPY" to a specified number. The Bank responds to the SMS by calling back to the customer on the same mobile number and records the details of the complaint and sends to respective Branches who are required to advise resolution within 48 hours.

M.2. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Corporate Social Responsibility has been a part of the State Bank of India since 1973 under the name of Community Service Banking covering various social, environmental and welfare activities.

The stated CSR Philosophy is as follows:

- The Bank is a corporate citizen, with resources at its command and benefits which it derives from operating in society in general. It, therefore, owes a solemn duty to the less fortunate and under-privileged members of the same society.
- Staff members are encouraged to make their contribution by understanding the aspirations of the public around them and by endeavouring to evolve measures to remove indisputable social and developmental lacunae. This will lead to their self-development and improvement of the Bank's image besides development of the Community.

During the financial year 2010-2011, numerous welfare and social activities were implemented

स्तर को ऊपर उठाने के मूलभूत उद्देश्य के साथ बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग दोनों क्षेत्रों में अनेक कल्याणकारी तथा सामाजिक गतिविधियां चलाई गईं। वंचित और अल्प-सुविधा प्राप्त आम आदमी की स्थिति में सुधार लाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

इस समय, सामाजिक सेवा बैंकिंग के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है :

- स्वास्थ्य
- शिक्षा
- बालिकाओं को गोद लेना
- महिला सशक्तीकरण
- बाल विकास
- गरीब एवं विकलांगों का कल्याण एवं पुनर्वास
- गरीब एवं अल्प-सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को सहायता
- उद्यमी विकास कार्यक्रम
- व्यावसायिक मार्गदर्शन
- ग्रामीण/जनजातीय/अब तक अछूते रहे क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की शिक्षा के लिए सहायता हेतु बल देना
- पर्यावरण संरक्षण
- प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान शुरू की गई परियोजनाएं

क) प्राकृतिक आपदाएं

प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराने और उनका पुनर्वास करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ 2 करोड़ की राशि का दान दिया गया।

ख) सामाजिक सेवा बैंकिंग

स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद, विकलांगों, पर्यावरण के लिए सहायता और जनजातियों एवं समाज के अन्य अल्प-सुविधा प्राप्त सदस्यों के लिए सहायता के क्षेत्रों को शामिल करते हुए 2547 परियोजनाओं के लिए ₹ 25.95 करोड़ की सहायता प्रदान की गई।

ग) बालिकाओं को गोद लेना

समाज में लड़कों को वरीयता दिए जाने के कारण अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जिनमें बालिकाओं को पारिवारिक देखभाल, शिक्षा, स्नेह, स्वास्थ्य रक्षा, कई मामलों में तो भोजन आदि से भी वंचित रखा गया है। इस अवधारणा को बदलने के सरकारी प्रयासों में अपना योगदान देने के लिए शाखाएं 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की ऐसी बालिकाओं को गोद लेती हैं जो अनाथ / निस्सहाय / शारीरिक रूप से विकलांग / गरीब परिवारों से हैं।

वर्ष 2008 में 8,338 बालिकाओं को गोद लेने के साथ यह पहल शुरू की गई। इस समय इनकी संख्या 17627 है जिन्हें सामाजिक सेवा बैंकिंग के अंतर्गत वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 3.49 करोड़ की सहायता प्रदान की गई।

वित्तीय सहायता के अलावा, बैंक के अलग-अलग कर्मचारियों/कर्मचारियों की पत्नियों/पतियों द्वारा एक या दो बालिकाओं को गोद लिया गया है और वे बालिकाओं का ध्यान रखने, देखरेख करने तथा उन्हें परामर्श देने के साथ-साथ एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते रहे हैं। स्टाफ सदस्य बालिकाओं की शैक्षिक या अन्य प्रकार की कठिनाइयों को समझने और समाधान सुझाने के साथ-साथ उनसे बातचीत करने, समय-समय पर उनसे स्कूलों में मिलने भी जाते हैं। शिक्षकों के साथ निकट संपर्क भी रखा जाता है और बालिका की शैक्षिक प्रगति पर निगरानी रखी जाती है। आवश्यक होने पर समय पर सुधार के उपाय भी सुझाए जाते हैं।

धीरे-धीरे अधिकाधिक बालिकाओं को गोद लेते हुए बैंक ने इस बात पर बल दिया है कि गोद ली गई बालिका की व्यक्तिगत देखभाल करने और उस पर ध्यान देने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस योजना की मूल भावना भी यही है।

घ. अनुसंधान एवं विकास निधि

बैंक ने 1977 में अनुसंधान एवं विकास निधि की स्थापना की है जिसका प्राथमिक उद्देश्य बैंक की गतिविधियों से व्यापक रूप से संबद्ध अनुसंधान कार्य को सहायता देना है।

वर्ष 2010 में ₹ 50 लाख की लागत से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में ऊर्जा एवं पर्यावरण पर भारतीय स्टेट

both in Banking and Non-Banking areas with the basic aim of raising the quality of life in the community, especially in and around the area of operation of the branches. Particular attention was given to ameliorating the condition of the downtrodden and under-privileged common man.

Currently, the focus areas under Community Service Banking are:

- Health
- Education
- Adoption of the Girl Child
- Women's empowerment
- Child development
- Welfare and rehabilitation of poor and handicapped
- Assistance to poor and under privileged
- Entrepreneur development programmes
- Vocational guidance
- Thrust for assistance to IT education in Rural/Tribal/unreached areas
- Environment Protection
- Assistance during natural calamities

Projects during 2010-11

a) Natural Calamities

Donations amounting to ₹ 2 crores were made to UP Chief Minister's Relief Fund for providing relief and rehabilitation to victims of Natural Calamities.

b) Community Service Banking

2,547 projects have been assisted with ₹ 25.95 crores covering the areas of Health, Education, Assistance for Sports, Handicapped, Environment and Assistance to tribals & other underprivileged members of society.

c) Adoption of the Girl Child

Society's preference for the boy child has resulted in a large number of instances when the girl child is deprived of familial attention, education, affection, healthcare and in extreme cases, even food. In order to supplement the efforts of the Govt., to change this concept, branches adopt Girl Children in the age group of 6 to 14 years, who are orphans / destitute / physically handicapped / belong to poor families.

This initiative started in 2008 with 8,338 children has in its role 17,627 girl children at present with an assistance of ₹ 3.49 crores extended during the year 2010-11 under Community Service Banking.

Apart from financial assistance, individual employees from the Bank / spouses of employees adopt one or two children for care, mentoring, counselling, to try and fulfil the role of a guide. This includes periodic visits to the schools by Staff Members, talking to the girl child to understand her difficulties, academic or otherwise, and offering solutions. A close liaison is also maintained with the teachers and the academic progress of the girl child is monitored. If felt necessary, timely corrective action is suggested.

While gradually increasing the coverage, the Bank has emphasised that individual care and attention to the adopted children as originally envisaged, should not be diluted.

d) Research & Development Fund

The Bank set up the Research & Development Fund in 1977 with the primary objective of supporting research work relevant broadly to the activities of the Bank.

In the year 2010, State Bank of India Chair on Energy and Environment has been instituted for

बैंक पीठ की स्थापना की गई, जिसमें विशेष रूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नवोन्मेषी उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह कदम ऊर्जा एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बैंक की चिंता का द्योतक है।

इसके अलावा, बैंक ने लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स के एशिया रिसर्च सेंटर में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ संयुक्त रूप से स्थापित एक पीठ के लिए 100,000 जीबी पाउंड का वार्षिक अंशदान किया है। इंडियन स्कूल आफ बिजनेस, हैदराबाद में स्थापित 'एसबीआई चेयर फार पब्लिक लीडरशिप' के लिए ₹ 2 करोड़ की राशि रखी गई है।

ड.3. एसबीआई बाल कल्याण कोष

अल्प सुविधा प्राप्त और गरीब बच्चों को उनके समग्र विकास में सहायता करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों से प्राप्त हुई दान राशि और उतनी ही राशि बैंक से प्राप्त करके इस कोष की स्थापना की गई थी। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान 6 परियोजनाओं को ₹ 5.62 लाख की सहायता प्रदान की गई।

ड.4. बृहन् मुंबई महानगर पालिका के साथ शैक्षणिक भागीदारी

बृहन् मुंबई महानगर पालिका ने नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में शिक्षा में सुधार करने और उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक परियोजना शुरू की है। बैंक ने 2 वर्ष की अवधि के लिए एक भागीदार के रूप में इस परियोजना में सहायता करने हेतु सहमति प्रदान की है। यह परियोजना सम्पूर्ण देश के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करेगी। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान इस परियोजना में बैंक द्वारा कुल ₹ 3.97 करोड़ का अंशदान किया गया है।

ड.5. एसबीआई यूथ फार इंडिया

(ग्रामीण विकास में युवा शक्ति को लगाना)

एसबीआई यूथ फार इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी में शुरू किया गया, वित्तपोषित और व्यवस्थित एक शिक्षावृत्ति कार्यक्रम है। कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नांकित के माध्यम से भारत के न्यायसंगत एवं स्थायी विकास में सहायता पहुंचाना है :

- शिक्षित भारतीय युवाओं को ग्रामीण भारत को समझने तथा बुनियादी स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर उपलब्ध करवाना।
- ग्रामीण भारत की विकास योजनाओं पर कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को शिक्षित मानव शक्ति प्रदान करना जिनके कौशल का उपयोग ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने हेतु किया जा सकता है।
- भूतपूर्व छात्रों के ऐसे कार्यक्रम को मंच प्रदान करना जहां वे अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकें और अपने व्यावसायिक जीवन काल के दौरान ग्रामीण विकास में योगदान कर सकें।

परियोजना कार्य

- चुने गए उम्मीदवारों को उनकी रुचि/कौशल तथा संबंधित गैर-सरकारी संगठन की आवश्यकतानुसार परियोजना सौंपी जाती है।
- पूरी परियोजना के दौरान उन्हें सहभागी गैर-सरकारी संगठन द्वारा एक बुद्धिमान परामर्शदाता प्रदान किया जाएगा जो परियोजना में आनेवाली चुनौतियों का सामना करने में उनकी सहायता करेगा।
- अपने परामर्शदाता की सलाह से वे परियोजना से प्राप्त होने वाले परिणामों का आकलन करेंगे और फिर उसी दिशा में उन्हें कार्य करना होगा।

इस कार्यक्रम में उम्मीदवारों के लिए कई परियोजनाएं उपलब्ध हैं। परियोजना में समूह विकास, जलभराव विकास, पर्यावरण संरक्षण, बायो-प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साक्षरता, महिला सशक्तीकरण, डेयरी उत्पादन, बायो-विविधता, इको-प्रौद्योगिकी, बीमा, तटीय अनुसंधान प्रणाली आदि क्षेत्रों की व्यापक शृंखला शामिल है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से बैंक ग्रामीण परिदृश्य में एक स्थायी बदलाव लाना चाहता है।

₹ 50 lac in IIT Kanpur with particular emphasis towards innovations in the field of solar energy. This step demonstrates Bank's concern for energy and environmental issues.

Besides, the Bank has also made an annual contribution of GBP 100,000 towards a Chair set up by the Bank jointly with RBI at the Asia Research Centre at London School of Economics. An amount of ₹ 2 crores has been earmarked for 'SBI Chair for Public Leadership' set up in Indian School of Business, Hyderabad.

M.3. SBI CHILDREN'S WELFARE FUND

The Fund was set up with donations from the employees of SBI with matching contributions from the Bank to assist underprivileged and poor children in their overall development. During the year 2010-11, 6 projects were assisted with ₹ 5.62 lac.

M.4. EDUCATION PARTNERING WITH MCGM

The Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) has launched a project to transform and upgrade the outcome of education in schools run by the Municipal Corporation. The Bank has agreed to support this project as a partner for a period of 2 years as this project may evolve as a model for replication across the country. Contribution to the tune of ₹ 3.97 crores has been made by the Bank towards this project in 2010-11.

M.5. SBI YOUTH FOR INDIA

(Harnessing Youth Power for Rural Development)

SBI Youth for India is a fellowship programme initiated, funded and managed by the State Bank of India in partnership with reputed NGOs.

The Programme seeks to help India secure an equitable and sustainable growth path by:

- Providing educated Indian youth with an opportunity to touch lives and create positive change at the grass root level in rural India.
- Providing NGOs working on development projects in rural India with educated manpower whose skill sets can be used to catalyze rural development.
- Promoting a forum for the Programme alumni to share ideas and contribute to rural development throughout their professional life.

Project Work

- The selected candidates are assigned a project according to their interest/skill and as per the need of the respective NGO.
- Throughout the project, they will be provided a mentor from the partner NGO who will help them to address the challenges in the project assigned.
- In consultation with their mentor, they will have to define an outcome that they intend to achieve at the end of the project and will then have to work towards it.

The programme offers the candidates a wide variety of projects to choose from. The project will cover a whole gamut of areas like Cluster Development, Watershed Development, Environment Protection, Biotechnology, Computer Literacy, Women's Empowerment, Dairy Husbandry, Bio-Diversity, Eco-Technology, Insurance, Coastal Research Systems etc.

The Bank seeks to make a lasting impact in the rural scenario through this program.

ढ. कारपोरेट संप्रेषण एवं परिवर्तन

- वर्ष के दौरान सिटीजन एसबीआई के अंतर्गत, द्वितीय एवं तृतीय चरण के कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए। द्वितीय चरण के कार्यक्रम में जहां सामूहिक पूर्णता पर बल दिया गया वहीं तृतीय चरण, इको प्रणाली के विकास में योगदान एवं भागीदारी करने हेतु अवसरों की खोज करने से संबंधित था। इसके द्वारा व्यवसाय का विकास करने और दूरगामी संबंध बनाने में सहायता मिलेगी।
- चौथा चरण सीनियर मैनेजमेंट सिटीजन विज़न प्रोग्राम के रूप में आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य भारतीय स्टेट बैंक में नीतियों/प्रक्रियाओं के रूप में अपेक्षित महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना था।

ण. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम 2005)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदनों एवं अपीलों का निपटान करने के लिए शाखाओं/प्रशासनिक कार्यालयों/ क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों/स्थानीय प्रधान कार्यालयों में एक उपयुक्त संरचना लागू की गई। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विषयों का निपटान करने और उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए कारपोरेट केंद्र में अलग से ''सूचना का अधिकार विभाग'' बनाया गया है। जनता की सुविधा के लिए बैंक ने अपनी वेबसाइट http://www.statebankofindia.com और http://www.sbi.co.in में एक आरटीआई लिंक भी दिया है।

त. मानव संसाधन (एचआर)

मानव संसाधन विभाग के नए प्रयास

बेहतर निष्पादन हेतु बैंक के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए चालू वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए गए जिससे बैंक की विकास योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

कार्मिक प्रबंधन

- दिनांक 01.08.2010 से भर्ती किए गए सभी वर्गों के कर्मचारियों हेतु नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की गई।
- दिनांक 27.04.2010 के उद्योगवार समझौते/संयुक्त नोट के अनुसरण में ई-एसबीएस और ई-एसबीआईएन के जो कर्मचारी द्वितीय विकल्प के रूप में पेंशन के इच्छुक होंगे उन्हें पेंशन संबंधी लाभ प्रदान किया जाएगा।
- प्रबंधन प्रशिक्षुओं, सनदी लेखाकारों, ऋण विश्लेषकों (थोक बैंकिंग/ कारपोरेट लेखा समूह) और ग्राहक संबंध कार्यपालकों (थोक बैंकिंग/ कारपोरेट लेखा समूह) जैसे संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के निबंधनों एवं शर्तों में संशोधन किया गया।

संवर्ग प्रबंधन

- परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती-नीति की समीक्षा की गई तथा भारतीय स्टेट बैंक एवं सहयोगी बैंकों के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए एक ही श्रेणी की लिखित परीक्षा पद्धति लागू की गई जिससे भर्ती प्रक्रिया के समय में कमी लाई जा सके।
- वर्ष के दौरान 3746 परिवीक्षाधीन अधिकारी भर्ती किए गए जिनमें से 31.03.2011 तक 2294 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने बैंक में कार्यग्रहण किया।
- ग्राहक संबंध कार्यपालक (वैयक्तिक बैंकिंग), ग्राहक संबंध कार्यपालक (प्रबंधन कार्यपालक), विपणन एवं वसूली अधिकारी जैसे संविदा पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को एकबारगी उपाय के रूप में बैंक में कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी में स्थायी अधिकारियों के रूप में शामिल कर लिया गया।
- बैंक की विशेष आवश्यकताएं पूरी करने हेतु 487 प्रबंधन कार्यपालकों की मध्यम प्रबंधन श्रेणी-2 में सीधी भर्ती की गई।

भर्ती

- वर्ष के दौरान 25,327 लिपिकीय कर्मचारियों की भर्ती की गई जिनमें से 18628 कर्मचारियों ने 31.03.2011 तक बैंक में कार्य ग्रहण किया। यह बैंकिंग क्षेत्र में किया गया सबसे बड़ा भर्ती अभियान है। इससे बैंक के शाखा विस्तार अभियान और पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति आदि के कारण कमी-वृद्धि के अनुरूप स्टाफ संख्या में फिर से भारी वृद्धि होगी। इससे न केवल कम आयु वाले स्टाफ की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी अपितु बैंक की अपनी विकास योजनाओं की सफलता के लिए पूरे बैंक में गतिशीलता बढ़ेगी एवं विपणन अवसर भी उपलब्ध होंगे।

औद्योगिक संबंध

- वर्ष के दौरान स्वस्थ वार्ता/चर्चा के माध्यम से, स्टाफ और अधिकारी फेडरेशन के साथ उत्कृष्ट औद्योगिक संबंध बना रहा। फेडरेशन द्वारा उठाए गए मुद्दों की समुचित समीक्षा की गई और उनका पर्याप्त प्रतिसाद दिया गया।

एचआरएमएस

- समूचे एसबीआई के 2.05 लाख कर्मचारियों की वेतन प्रक्रिया और 1.12 लाख आईबीआई/एसबीआई पेंशनरों की पेंशन प्रक्रिया केंद्रीकृत कर दी गई।

N. CORPORATE COMMUNICATION & CHANGE

- Following the earlier Parivaritan initiatives, Intervention II & III under Citizen SBI, were implemented during the year. While Intervention II emphasized on the collective fulfillment, Intervention III was about identifying opportunities, thereby paving the way for business development and lasting relationships.
- The Intervention IV was conceived as a Senior Management Citizenship Vision Programme to bring about recognition of the critical changes required in SBI by way of policies/processes.

O. RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 (RTI ACT 2005)

Suitable structure has been put in place at Branches/ Administrative Offices/ Regional Business Offices/Local Head Offices for handling requests and appeals under RTI Act 2005. Further, an exclusive 'RTI Department' has been created in Corporate Centre to handle and co-ordinate various issues under the Act. For convenience of the public, the Bank has also created an RTI link on its website http://www.statebankofindia.com and http://www.sbi.co.in.

P. HUMAN RESOURCES (HR)

HR INITIATIVES

A number of key initiatives have been taken by the Bank during the current year to motivate the employees to perform better so as to achieve the Bank's growth plans.

PERSONNEL MANAGEMENT

- Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) was introduced for all categories of employees recruited w.e.f 01.08.2010.
- Pursuant to Industry-wise settlement / Joint Note dated 27.04.2010, pension benefits will be extended to the Retirees of e-SBS and e-SBIN, who opt for pension as the second option.
- Revision made in Terms & Conditions of Contractual officers-Management Trainees, Chartered Accountants, Credit Analysts (WB/CAG) and Customer Relationship Executives (WB/MCG).

CADRE MANAGEMENT

- Policy for recruitment of Probationary Officers (POs) reviewed and methodology of one-tier written examination in respect of POs for SBI & Associate Banks was made applicable to reduce the cycle of recruitment.
- 3,746 Probationary Officers were recruited during the year, out of which 2,294 POs have joined the Bank till 31.03.2011.
- Contractual employees viz. CRE(PB), CRE(ME), OMRs etc. were absorbed in the Bank as permanent officers in Junior Management Grade as one time measure.
- 487 Management Executives recruited directly in MMGS-II grade to meet the specialized needs of the Bank.

Recruitment

- 25,327 clerical staff were recruited during the year out of which 18,628 have joined the Bank till 31.03.2011. This is the largest recruitment exercise undertaken in the Banking sector and will further augment the staff strength in tandem with the Bank's branch expansion drive and manpower requirement on account of promotion and retirement etc. This will not only help in reducing the age profile of staff but will also provide an opportunity for greater mobility and marketing thrust across the Bank to achieve its growth plans.

Industrial Relations

- Excellence in Industrial Relations was maintained with both the Officers' and Staff Federations by maintaining healthy dialogue / discussions with them during the year. Issues raised by the Federations were properly examined and adequately responded to.

HRMS

- Salary processing for 2.05 lac employees across SBI and pension processing of 1.12 lac IBI/SBI Pensioners have been centralised.

- प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली, केंद्रीकृत भविष्य निधि लेखा एवं प्रक्रिया, अवकाश एवं उपस्थिति प्रबंधन, अचल आस्ति प्रबंधन आदि में सुधार होगा और मानव संसाधन प्रक्रिया और अधिक कारगर बनेगी।

कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई

5 अप्रैल 2010 से कार्यरत कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई (एसटीयू) ने बैंक के प्रशिक्षण दर्शन को नया आयाम प्रदान करने हेतु कई कदम उठाए हैं। इस संबंध में किए गए कुछ प्रमुख उपाय निम्नवत हैं :-

- कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई की एक वेबसाइट शुरू की गई है जिससे पूरी प्रशिक्षण प्रणाली को जोड़ दिया गया है।
- नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत जागृति कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें दो वर्ष से अधिक की शेष सेवा अवधि वाले सभी सहायक महाप्रबंधकों को शामिल किया गया।
- एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ई-प्रशिक्षण का वर्तमान में 158 से भी अधिक पाठ्यक्रमों तक विस्तार किया गया है।
- स्टेट बैंक स्टाफ कालेज द्वारा मोबाइल शिक्षण की शुरुआत करके दूरस्थ शिक्षण में एक नई पहल की गई है।

तालिका : 31.03.2011 को स्टाफ संख्या

श्रेणी	कुल संख्या	%
अधिकारी	79,728	35.77
लिपिकीय	1,02,701	46.07
अधीनस्थ	40,504	18.16
कुल	2,22,933	100.00

अशक्त व्यक्ति अधिनियम (पीडब्ल्यूडी) 1995 का कार्यान्वयन

हमारा बैंक अशक्त व्यक्तियों के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों तथा अशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 33 के तहत आरक्षण उपलब्ध कराता है। 31.03.2011 को नियोजित अशक्त व्यक्तियों की कुल संख्या 2525 थी जिसमें 530 अधिकारी, 1754 लिपिकीय स्टाफ तथा 241 अधीनस्थ स्टाफ शामिल हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च 2011 को बैंक की कुल स्टाफ संख्या में अनुसूचित जाति के स्टाफ की संख्या 43,657 (19.58%) और अनुसूचित जनजाति के स्टाफ की संख्या 15,812 (7.09%) रही।

आरक्षण नीति से संबंधित विषयों पर चर्चा करने और अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों का प्रभावी ढंग से निवारण करने के लिए, सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों और कारपोरेट केन्द्र, मुंबई में भी संपर्क अधिकारी नामित किए गए हैं।

बैंक के वरिष्ठ अधिकारी कारपोरेट केन्द्र स्तर पर भारतीय स्टेट बैंक के अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ के प्रतिनिधियों के साथ और स्थानीय प्रधान कार्यालय एवं प्रशासनिक कार्यालय स्तरों पर, जहां आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों एवं अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की जाती है, मण्डल के अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण एसोसिएशनों के साथ भी समय समय पर नियमित बैठकें करते हैं। इससे काफी हद तक इन समुदायों की शिकायतों का निवारण करना सुनिश्चित हो गया।

भारत सरकार के प्रतिनिधि ने सभी 14 मण्डलों में एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी से संबंधित आरक्षण रोस्टर का निरीक्षण किया और इसे संतोषजनक ढंग से रखा हुआ पाया।

आरक्षण नीति और संबंधित क्षेत्रों के बारे में अद्यतन जानकारी/ नवीनतम निर्देशों से अवगत कराने के लिए बैंक अनु. जातियों एवं अनु. जनजातियों के कक्षों के अधिकारियों, अनु. जातियों एवं अनु. जनजातियों के कल्याण संघों के प्रतिनिधियों और संपर्क अधिकारियों हेतु कार्यशालाएं आयोजित करता रहा है।

- The Training Management System, Centralised PF accounting & processing, leave and attendance management, fixed assets management etc. will improve the employee management and also make the HR processes more efficient.

STRATEGIC TRAINING UNIT

The Strategic Training Unit (STU), operationalized on 5th April 2010, has taken a number of initiatives towards giving a new dimension to the training philosophy of the Bank. Some of the major initiatives in this regard are as follows:

- A website of STU has been launched to which the entire training system has been linked.
- Under the leadership Pipeline, Jagriti Programme was launched covering all AGMs having more than 2 years of residual service.
- E-learning through HRMS portal has been expanded over 158 courses currently.
- A new initiative in Distance Learning has been taken by SBSC by introducing Mobile Learning.

STAFF STRENGTH AS ON 31.03.2011

Category	Total	%
Officers	79,728	35.77
Clerical	1,02,701	46.07
Sub-staff	40,504	18.16
TOTAL	2,22,933	100.00

IMPLEMENTATION OF PERSONS WITH DISABILITIES (PWD) ACT 1995

Our Bank provides reservation to persons with disabilities (PWDs) as per the guidelines of the Government of India and section 33 of the PWD Act 1995. The total number of persons with disabilities who were employed as on 31.03.2011 was 2,525, consisting of 530 officers, 1,754 clerical and 241 sub-staff.

REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

As on the 31st March 2011, 43,657 (19.58%) of the Bank's total staff strength, belonged to Scheduled Caste and 15,812 (7.09%) belonged to Scheduled Tribes.

In order to discuss issues relating to reservation policy and effectively redress the grievances of the SC/ST employees, Liaison Officers have been designated at all Local Head Offices of the Bank as also at the Corporate Centre at Mumbai.

Senior officials of the Bank hold regular meetings at periodic intervals with the representatives of National Federation of SBI SC/ST Employees at Corporate Centre as also with the representatives of Circle level SC/ST Welfare Associations at the Local Head Offices and Administrative Offices where issues pertaining to implementation of reservation policies are discussed. This has ensured redressal of grievances to a large extent.

Government of India representative inspected the reservation roasters for SCs/STs/OBCs/ PWDs at all the 14 Circles and found this maintained satisfactorily.

The Bank has been conducting workshops on reservation policy for SCs/STs/OBCs to impart up-to-date knowledge/ latest operatives about the reservation policy and related areas to the SC/ST cell officers, representatives of SC/ST welfare Association and the Liaison officers.

अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे वे निर्धारित मानदण्ड प्राप्त कर सकें और प्रभावी रूप से अन्य अभ्यर्थियों के साथ मुकाबला कर सकें।

थ. व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर)

पिछले कुछ वर्षों के दौरान लागू किए गए व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास के विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप बैंक प्रमुख व्यवसाय क्षेत्रों का निष्पादन और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने में सक्षम बन सका। विशेष खंड वाले ग्राहकों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने हेतु बड़े आकार की कई शाखाओं को छोटी-छोटी शाखाओं में बाँट दिया गया।

बैंक में व्यवसाय पुनर्विन्यास पहलों का प्रयास निरंतर होने वाले परिवर्तनों/समरूप व्यवसाय प्रक्रियाओं को अपनाना है ताकि ग्राहकों को उत्पाद एवं सेवाएं तत्परता और कुशलतापूर्वक प्रदान की जा सकें। इन सभी पहलों से बैंक को एक ऐसा नया परिचालनात्मक ढाँचा सृजित करने में सहायता मिली है जो विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम है।

द. राजभाषा

बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन न केवल सांविधिक अनिवार्यता है बल्कि व्यावसायिक आवश्यकता भी है। बैंक ने वर्ष के दौरान, भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित सभी सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन हेतु हर संभव प्रयास किए। साथ ही हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से बैंक की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए कई उपाय किए।

नये भर्ती किए गए लिपिकीय स्टाफ और परिवीक्षाधीन अधिकारियों को राजभाषा हिंदी का प्रयोजनमूलक ज्ञान प्रदान करने हेतु कई विशेष कार्यशालाएं आयोजित की गईं। स्टाफ को अपने दैनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष के दौरान तिमाही शब्दावली स्मरण तथा कई अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

बैंक ने विभिन्न हिंदी परीक्षाएं पास करने पर स्टाफ को दिए जानेवाले मानदेय की राशि में वृद्धि कर दी। इन प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ कई स्टाफ सदस्यों ने उठाया जो बैंक में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा।

बैंक ने वर्ष के दौरान वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक की तिमाही बैठकों तथा सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के एक वार्षिक सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसकी व्यापक सराहना इन दोनों नियामक संस्थाओं द्वारा की गई।

दूसरी तरफ बैंक ने अपने उत्पाद और सेवाओं को लोगों तक हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में पहुँचाने के प्रयासों के तहत कई पहलें कीं। इनमें हिंदी तथा भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों/पत्रिकाओं/ पैम्फलेट (प्रिंट माध्यम), इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (टी.वी./ फिल्म आदि) तथा प्रदर्शनी (बैनर, होर्डिंग आदि) के माध्यम से हिंदी एवं भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन देना शामिल है।

संसदीय राजभाषा समिति ने भी बैंक द्वारा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने हेतु किए जाने वाले प्रयासों की सराहना की।

बैंक की हिंदी गृह पत्रिका 'प्रयास' को एक बार फिर वर्ष 2009-10 का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बैंक की गृह पत्रिका 'प्रयास' को हाल के वर्षों में प्रतियोगिता में पाँचवीं बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

ध. केवाईसी/एएमएल/सीएफटी उपाय

- बैंक ने इस विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारक (एएमएल) / आतंकवाद का वित्तपोषण करने का विरोध (सीएफटी) करने के उपायों से संबंधित नीति का कार्यान्यवन किया है जिसे

Pre-recruitment and pre-promotion training programmes are being conducted to enable SC/ST candidates to achieve the prescribed standards to effectively compete with other candidates.

Q. BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR)

Following various BPR initiatives carried out during the last few years, the Bank was able to improve performance in key business areas and quality of customer service. Many of the large sized branches have been split into smaller branches to enable them to offer focused service to specific segment of customers.

The endeavour of BPR initiatives in the Bank is to continuously usher in changes / uniform business processes to ensure prompt, efficient delivery of products and services to our customers. All these initiatives have helped the Bank in creating a new operating architecture capable of meeting global competition.

R. OFFICIAL LANGUAGE

The implementation of official language policy in the Bank is not only a statutory requirement but also a business need. The Bank made all possible efforts to comply with the statutory provisions relating to the official language policy of the Govt. of India during the year and took several initiatives to provide benefit of Bank's different schemes to the masses through Hindi and other Indian languages.

Many special workshops were conducted for newly recruited clerical staff and Probationary Officers to equip them with functional knowledge of the official language Hindi. In order to encourage the staff to use Hindi in their day to day work, Quarterly Shabdavali Smaran and many more competitions were organised during the year.

Bank has enhanced the amount of honorarium paid to staff members on passing different Hindi exams. Many staff members have taken advantage of these incentive schemes which will help in encouraging the use of Hindi in the Bank.

Bank hosted quarterly meetings of the Ministry of Finance and Reserve Bank of India and an Annual Conference of all the public sector banks and financial institutions successfully during the year which received lavish appreciation from these two regulatory authorities.

On the other hand, the Bank took various initiatives in its endeavour to deliver its products and services to the masses in Hindi and other Indian languages. These include advertisements through Newspapers/ Magazines, pamphlets (Print Media) through Electronic Medium (TV/Films etc.) and also by way of Exhibition (Banner, Hoardings etc.) in Hindi and other Indian regional languages.

The Committee of Parliament on Official Language also appreciated the efforts being made by the Bank for promoting the use of Hindi.

Bank's In-House Hindi magazine 'Prayas' has once again bagged first prize for the year 2009-10. Bank's Hindi House Journal 'Prayas' has bagged first prize in this competition for the fifth time in recent years.

S. KYC/AML/CFT MEASURES

- The Bank has put in place the Board approved revised policy on Know Your Customer (KYC) / Anti Money Laundering (AML) / Combating Financing of the Terrorism (CFT) measures in line with Master Circular issued by Reserve

बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस नीति के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

- ग्राहक स्वीकृति
- ग्राहक पहचान
- लेनदेनों की निगरानी
- कार्मिकों को प्रशिक्षण
- रिकार्ड का रखरखाव
- केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन के बाद इस नीति के सुगम कार्यान्वयन से संबंधित नीतिगत दिशा-निर्देश भी परिचालित किए गए हैं।
- धन शोधन निवारक अधिनियम, 2002 के नियमों द्वारा अधिदेशित वित्तीय आसूचना इकाई-भारत को निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत करने की दृष्टि से, लेनदेन पर निगरानी रखी जाती है।
- नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)
- जाली करेंसी रिपोर्ट (सीसीआर)
- संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)
- बैंक में केवाईसी/एएमएल पर प्रशिक्षण नियमित आधार पर प्रदान किया जा रहा है। केवाईसी/एएमएल के विशिष्ट कार्यक्रमों के अतिरिक्त, सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों/ कार्यशालाओं में केवाईसी/एएमएल संबंधी एक सत्र रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने प्रतिवर्ष 1 अगस्त को 'केवाईसी अनुपालन और धोखाधड़ी रोकिए दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय किया है जिससे सम्पूर्ण बैंक में उपयुक्त जागरूकता और सम्बद्धता स्तरों को बनाए रखा जा सके और जन-समुदाय के बीच केवाईसी मुद्दों की उचित समझ भी बढ़ायी जा सके।

न. धोखाधड़ी रोकना एवं निगरानी रखना

धोखाधड़ियाँ रोकने के लिए किए गए उपाय निम्नवत् हैं:

- पहली अगस्त को रविवार होने के कारण 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) अनुपालन और धोखाधड़ी निवारण दिवस 2 अगस्त 2010 को मनाया गया।
- बैंक ने एटीएम की वास्तविक बकाया नकद राशि के साथ प्रशासित बकाया नकद राशि का मिलान करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया आरंभ की है।
- एसबीआईएमएफ वारंटों का भुगतान माँग ड्राफ्ट खरीद के रूप में न करके सीबीएस पर डिविडेंट वारंट पेमेंट मॉड्यूल के माध्यम से किया जा रहा है।
- कारपोरेट केंद्र स्थित सतर्कता विभाग द्वारा अनुमोदित संशोधित योजना के अनुसार 10 अथवा उससे अधिक संख्या के स्टाफ सदस्यों वाली शाखाओं (तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाओं सहित) तथा केंद्रीय प्रक्रिया केंद्रों/कक्षों में स्टाफ सदस्यों की संख्या पर ध्यान दिए बिना, निवारक सतर्कता समितियाँ गठित की जा रही हैं।
- 'विसल ब्लोअर' अवधारणा को प्रोत्साहित करना/लोकप्रिय बनाना।
- नियंत्रकों को सलाह देना कि वे पासवर्ड की गोपनीयता से समझौता ना करें।
- साफ्टवेअर द्वारा प्रदर्शित एलर्ट्स के आधार पर लेनदेनों की निगरानी करने के लिए जयपुर में धोखाधड़ी विश्लेषण कक्ष (एफएसी) स्थापित किया गया है।
- स्टाफ की जवाबदेही, विशेषकर आंतरिक संबद्धता वाले मामलों में, का शीघ्र निर्धारण सुनिश्चित करना।

प. सेवा में कमी के लिए क्षतिपूर्ति नीति

देश के एक प्रमुख बैंक के रूप में, भारतीय स्टेट बैंक हमेशा ग्राहक सेवा के उच्चतम मानकों का सृजन करने और उन्हें बनाए रखने का प्रयास करता है तथा ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार की गलती की किसी अनजानी घटना में, ऐसी गलतियों के लिए क्षतिपूर्ति करने हेतु बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक क्षतिपूर्ति नीति का कार्यान्वयन किया है। इस नीति से यह सुनिश्चित होगा कि इन सेवाओं के प्राप्तकर्ताओं को उनसे इसके लिए अनुरोध प्राप्त किए बिना उचित वित्तीय मुआवजा उपलब्ध करा दिया जाए।

Bank of India on the subject. The main components of the Policy are as follows:

- Customer Acceptance
- Customer Identification
- Monitoring of Transactions
- Training of personnel
- Preservation of Records
- Procedural Guidelines to facilitate implementation of the Policy have also been circulated after approval of the Central Board.

- Monitoring of Transactions is done with a view to submit undernoted reports to Financial Intelligence Unit-India mandated by rules of Prevention of Money Laundering Act, 2002.
  - Cash Transaction Reports (CTRs)
  - Counterfeit Currency Reports (CCRs)
  - Suspicious Transaction Reports (STRs)
- Training on KYC/AML is being imparted on an ongoing basis in the Bank. In addition to exclusive KYC/AML programmes, all training programmes/seminars/workshops, have a KYC/AML session included in the programme. Further, the Bank has decided to observe 1st August every year as "KYC Compliance and Fraud Prevention day" to maintain appropriate awareness and involvement levels across the Bank as also to create proper understanding of KYC issues among the members of public.

T. FRAUD PREVENTION AND MONITORING

The measures taken for prevention of frauds are as under :

- The KYC Compliance and Fraud Prevention day was observed on 2nd August 2010, as 1st August was Sunday.
- The Bank has introduced detailed process of tallying Admin Cash Balance with Physical Cash balance in ATM.
- SBIMF Warrants are being paid through 'Dividend Warrant Payment Module' on CBS and not by purchasing Warrants as DDP.
- The Preventive Vigilance Committees are formed at the branches having staff strength of 10 or more (including SAM branches) and at CPCs/Cells irrespective of their staff strength, as per the revised scheme approved by the Vigilance Department at Corporate Centre.
- Encourage/popularize 'Whistle Blower' concept.
- Advise Controllers to ensure that secrecy of passwords is not compromised.
- Fraud Analysis Cell (FAC) has been created at Jaipur to monitor transactions through alerts being thrown by the software.
- Ensure swift conclusion of staff accountability exercise, especially in cases with insider involvement.

U. COMPENSATION POLICY FOR DEFICIENCY IN SERVICE

As a premier Bank of the nation, SBI always strives to create and maintain highest standards of customer service and in any unlikely event of any slippage in services extended to customers, the Bank has put in place a Board approved Compensation Policy to compensate for such slippages. The policy ensures that appropriate financial compensation is provided to the recipients to these services, without requesting for it.

फ. बैंक की आउटसोर्सिंग नीति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नॉन-कोर कार्यों की आउटसोर्सिंग करने के लिए बैंकों को अनुमति प्रदान कर दी है और तदनुसार बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आउटसोर्सिंग नीति का कार्यान्वयन किया है।

ब. सुपर सर्कल ऑफ एक्सिलेंस

उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने, कार्य-क्षमता में सुधार करने, ग्राहक सेवा की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा श्रेष्ठ प्रथाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने हेतु भी शाखाओं के एक उप समूह पर विशेष ध्यान देने के लिए सुपर सर्कल ऑफ एक्सिलेंस की परिकल्पना की गई है।

दिनांक 31.03.2011 को सुपर सर्कल आफ एक्सिलेंस में 703 शाखाएं थीं, जिनमें 592 राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएं (339 महानगरीय शाखाएं + 253 शहरी शाखाएं) और 111 ग्रामीण बैंकिंग समूह की शाखाएं (27 ग्रामीण + 84 अर्ध शहरी) शामिल हैं।

एससीई शाखाएं मुख्य रूप से खुदरा व्यवसाय पर ध्यान देती हैं तथा बैंक की गैर-एससीई शाखाओं के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी बैंकों के निष्पादन की तुलना सभी प्रमुख क्षेत्रों में अपने निष्पादन के साथ करती हैं। इस समूह की शाखाएं विपणन तथा प्रौद्योगिकी उत्पादों के संवर्धन, परस्पर विक्रय तथा अन्य आय में वृद्धि, उपरिव्यय तथा अनर्जक आस्तियों पर नियंत्रण, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने, उच्च मालयित वाले व्यक्तिगत ग्राहक आधार को मजबूत बनाने, वित्तीय आयोजना और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने तथा बैंक के मार्केट शेयर में सुधार लाने पर ध्यान दे रही हैं। एससीई शाखाओं के निष्पादन का आकलन प्रति माह बहुआयामी दक्षता मैट्रिक्स के आधार पर किया जाता है।

शाखाओं की संख्या के अनुसार एससीई शाखाओं का अंश मार्च 2010 के 5.64% से घटकर मार्च 2011 में 5.22% रह गया जबकि समग्र बैंक व्यवसाय में इनका अंशदान, वैयक्तिक देशी जमाराशियों में 12.34% से बढ़कर 12.41%, वैयक्तिक अग्रिमों में 16.44% से बढ़कर 17.98% तथा परस्पर विक्रय आय में 13.11% से बढ़कर 16.11% हो गया।

भ. ग्रीन बैंकिंग पहल

- ग्रीन बैंकिंग के संबंध में बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों के रूप में विंडमिल परियोजना की सफलतापूर्वक शुरुआत की गई और इस प्रकार इससे उत्पन्न की गई बिजली को महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के हमारे कार्यालयों/शाखाओं द्वारा काम में लिया जा रहा है। इससे बैंक की विंडमिलों द्वारा उत्पन्न की गई नवीन बिजली की मात्रा तक प्रदूषण फैलानेवाली थर्मल बिजली की निर्भरता में कमी आएगी।

- बिजली बचानेवाले उपायों को लागू करके, कागज़ एवं पानी का सही ढंग से उपयोग करके, सोलर एटीएमों की स्थापना करके और ग्रीन चैनल बैंकिंग (कागज़रहित बैंकिंग) की शुरुआत करने के रूप में ऊर्जा एवं अपशिष्ट पदार्थों का सही तरीके से निपटान करने सहित संसाधनों का उपयोग बनाए रखने की अति आवश्यकता के बारे में हितधारकों के बीच प्रभावशाली ढंग से प्रचार-प्रसार किया गया।

- नवीनतम प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के माध्यम से सक्षम विनिर्माण प्रथाओं को अपनाते हुए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों को कम करने के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करके बैंक ग्राहकों को प्रोत्साहित करता रहा है। बैंक सीडीएम (क्लीन डवल्पमेंट मैकेनिजम) पंजीकरण प्रक्रिया में सूचीबद्ध सीडीएम परामर्शकों की सेवाएं प्राप्त करके परामर्शी सेवाओं की भी व्यवस्था करता है। सीईआर प्राप्यों के प्रतिभूतिकरण के रूप में प्रोजेक्ट डेवल्परों को अपफ्रंट वित्त उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने एक ऋण उत्पाद भी शुरू किया है।

- बैंक ने अपने कार्बन फुटप्रिंट स्तरों का निर्धारण करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की है जिससे बैंक के संसाधन उपयोग के तरीके का निर्धारण करने में मदद मिलेगी और इससे बैंक एक लागत प्रभावी ढंग से संसाधनों का उपयोग बनाए रखने के लिए प्रभावी उपाय शुरू कर सकेगा।

- मानसून के दौरान फलवाले पेड़ों के पौधे लगाने के लिए सभी मण्डलों में विशेष अभियान शुरू किए गए हैं, जो बहुत सफल रहे हैं। इन पौधों की देखरेख सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

V. BANK'S OUTSOURCING POLICY

RBI have permitted banks to outsource non-core functions and the Bank has accordingly put in place a Board approved Outsourcing Policy.

W. SUPER CIRCLE OF EXCELLENCE (SCE)

The concept of Super Circle of Excellence (SCE) has been conceived to impart focus on a subset of branches to deliver high growth, improve efficiency, ensure high quality of customer service and also act as a forum for sharing of best practices.

As on 31.03.2011, there were 703 branches in Super Circle of Excellence, which include 592 NBG branches (339 Metro branches + 253 Urban branches) and 111 RBG branches (27 Rural + 84 Semi Urban).

The SCE branches focus mainly on Retail business and the performance in all focus areas is benchmarked with the performance of non-SCE branches of the Bank as well as competitor banks. The focus of this subset is also on marketing and promotion of technological products, increasing cross selling and other income, containment of overheads & NPAs, providing customer service of the highest order, strengthening HNI customer base, pushing for Financial Planning & Advisory Services and devising strategies to improve the Bank's Market Share. The performance of SCE branches is measured every month on a multi dimensional efficiency matrix.

While the share of SCE branches in terms of number of branches has come down from 5.64% in March 2010 to 5.22% in March 2011, the contribution to overall Bank business has increased from 12.34% to 12.41% in PER Domestic deposits, 16.44% to 17.98% in PER advances and 13.11% to 16.11% in cross selling income.

X. GREEN BANKING INITIATIVES

- As part of the Bank's on going 'Green Banking' initiatives, windmill project has been successfully commissioned and power thus generated is being consumed by our branches/offices in the States of Maharashtra, Gujarat and Tamilnadu. This reduces dependence on polluting thermal power to the extent of renewable power generated by the Bank's windmills.

- The imperatives of sustainable usage of resources, including energy and efficient disposal of wastes have been effectively propagated amongst the stakeholders, in the form of adopting energy efficiency measures, efficient usage of paper and water, installation of Solar ATMs, introduction of Green Channel Banking (Paperless Banking).

- The Bank has been encouraging customers by extending project loans on concessionary interest rates to reduce Green House gases (GHGs) emissions; by adopting efficient manufacturing practices through acquisition of latest technology. The Bank also arranges consultancy services by roping in the services of empanelled CDM consultants in CDM (Clean Development Mechanism) registration process. The Bank has also launched a loan product to facilitate upfront finance to the project developers by way of securitisation of Carbon Emission Reduction (CER) receivables.

- The Bank has initiated a pilot project to determine its Carbon footprint levels, which will help in determining the Bank's resource consumption pattern and enable the Bank to take effective steps to implement various measures for sustainable usage in a cost effective way.

- Special drive for fruit bearing tree plantation during monsoons was taken up across all Circles, which has been very successful and sustained efforts are being made to ensure the survival of the plants as well.

उत्तरदायित्व वक्तव्य

निदेशक बोर्ड एतदद्वारा उल्लेख करता है कि:

i. वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू लेखा मानकों का समुचित अनुपालन किया गया है और उससे विचलन की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ii. उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं तथा प्राक्कलन किए हैं, जो 31 मार्च 2011 को बैंक के कार्यकलाप और उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ एवं हानि की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए पर्याप्त एवं विवेक सम्मत हैं;

iii. उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है; और

iv उन्होंने वार्षिक लेखों को वर्तमान और भावी सतत अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है।

आभार

वर्ष के दौरान श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक (धारा 19 (ख)) के अंतर्गत 31 अक्तूबर 2010 को सेवानिवृत्त होने के कारण बैंक के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 20 (3क) में संशोधन करके, भारत सरकार द्वारा धारा 19 (घ) के अंतर्गत नामित निदेशकों का कार्यकाल तीन वर्ष तक सीमित करने का नियम 15 सितंबर 2010 से लागू करने के कारण डॉ. देवा नंद बालोधी और प्रो. मो. सलाहुद्दीन अंसारी उस दिनांक से केंद्रीय बोर्ड के निदेशक नहीं रहे। भारत सरकार के नामिती श्री अशोक चावला 31 जनवरी 2011 को सेवानिवृत्त होने के कारण केंद्रीय बोर्ड के निदेशक नहीं रहे। डॉ. (श्रीमती) वसंता भरुचा का केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल 24 फरवरी 2011 को समाप्त हो गया। श्री ओ. पी. भट्ट, अध्यक्ष अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने के कारण 31.03.2011 को कार्य दिवस की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो गए।

श्री जी. डी. नडाफ दिनांक 4 नवंबर 2010 से बोर्ड में धारा 19 (गख) के अंतर्गत अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नामित किए गए। श्री शशिकांत शर्मा दिनांक 18 फरवरी 2011 की अधिसूचना के द्वारा धारा 19 (ङ) के अंतर्गत श्री अशोक चावला के स्थान पर सरकार द्वारा नामिती निदेशक के रूप में नामित किए गए। श्री रशपाल मल्होत्रा दिनांक 10 मई 2011 से बोर्ड में धारा 19 (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित किए गए।

निदेशक, बोर्ड की चर्चाओं में श्री ओ. पी. भट्ट, श्री एस. के. भट्टाचार्य, डॉ. देवा नंद बालोधी, प्रो. मो. सलाहुद्दीन अंसारी, श्री अशोक चावला तथा डॉ. (श्रीमती) वसंता भरुचा द्वारा दिए गए योगदान की सराहना करते हैं। साथ ही बोर्ड में श्री जी. डी. नडाफ, श्री शशिकांत शर्मा तथा श्री रशपाल मल्होत्रा का स्वागत करते हैं।

निदेशकों ने भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए और अन्य सरकारी एवं नियामक एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए भी अपनी कृतज्ञता प्रकट की है।

निदेशकों ने सभी महत्वपूर्ण ग्राहकों, शेयरधारकों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं, शेयर बाजारों, रेटिंग एजेंसियों और अन्य हितधारकों को भी उनके संरक्षण एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है और बैंक के कर्मचारियों की समर्पित एवं प्रतिबद्ध टीम की उन्होंने सराहना की है।

केन्द्रीय निदेशक बोर्ड के लिए
और उनकी ओर से,
प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष

दिनांक : 17 मई, 2011

RESPONSIBILITY STATEMENT

The Board of Directors hereby states :

i. that in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;

ii. that they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates as are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as on the 31st March 2011, and of the profit and loss of the Bank for the year ended on that date;

iii. that they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and State Bank of India Act, 1955 for safeguarding the assets of the Bank and preventing and detecting frauds and other irregularities; and

iv. that they have prepared the annual accounts on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENT

During the year, Shri S.K. Bhattacharyya, Managing Director, (under section 19(b)) ceased to be a director on the Bank's Board consequent to his superannuation on 31st October 2010. Further, consequent to the amendment to Section 20(3A) of SBI Act, 1955 restricting the term of office of Directors nominated under section 19(d) by Govt. of India to three years coming into force with effect from 15th September 2010, Dr. Deva Nand Balodhi and Prof. Md. Salahuddin Ansari ceased to be directors from the Central Board as on that date. Shri Ashok Chawla, Govt. Nominee, ceased to be a director on the Bank's Central Board consequent to his superannuation on 31st January 2011. Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha's term of three years, as Director on the Central Board, ended on 24th February 2011. Shri O.P. Bhatt, Chairman, retired on attaining superannuation, as at the close of business on 31.03.2011.

Shri G.D. Nadaf was nominated to the Board under Section 19 (cb) with effect from 4th November 2010 as Officer Employee Director. Shri Shashi Kant Sharma was nominated as Govt. Nominee Director, under Section 19(e), vide Notification dated 18th February 2011 vice Shri Ashok Chawla. Shri Rashpal Malhotra was nominated to the Board under Section 19(d) with effect from 10th May 2011 by Central Govt.

The Directors place on record their appreciation of the contribution made by Shri O.P. Bhatt, Shri S.K. Bhattacharyya, Dr. Deva Nand Balodhi, Prof. Md. Salahuddin Ansari, Shri Ashok Chawla & Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha to the deliberations of the Board and welcome Shri G.D. Nadaf, Shri Shashi Kant Sharma and Shri Rashpal Malhotra on the Board.

The Directors also express their gratitude for the guidance and cooperation received from the Government of India, RBI, SEBI, IRDA and other government and regulatory agencies.

The Directors also thank all the valued clients, shareholders, banks and financial institutions, stock exchanges, rating agencies and other stakeholders for their patronage and support, and take this opportunity to express their appreciation of the dedicated and committed team of employees of the Bank.

For and on behalf of the
Central Board of Directors

Pratip Chaudhuri
Chairman

Date : 17th May, 2011

कारपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय स्टेट बैंक कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरश: अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक का मानना है कि उपयुक्त कारपोरेट अभिशासन का महत्व विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन से अधिक होता है। उपयुक्त अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है । इसके अनुपालन से बैंक कारोबारी सदाचार का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने सभी हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- शेयरधारकों की पूंजी की सुरक्षा और उसमें वृद्धि करना।
- ग्राहकों, कर्मचारियों तथा समग्र समाज के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को संपूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- ग्राहक सेवा तथा निष्पादन संबंधी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता हासिल करना।
- ऐसा सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण कारपोरेट नेतृत्व प्रदान करना, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित बातों के लिए प्रतिबद्ध है :

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय तथा कार्यों के मामले में प्रभावी नेतृत्व तथा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करे तथा बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए सुस्पष्ट रूप से लिखित एवं पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि अध्यक्ष, कार्यपालक प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदार हों। अध्यक्ष की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य विनियामकों एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हो तो उसकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

शेयर बाजारों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार बैंक ने उन मामलों को छोड़कर जहाँ खंड 49 के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं, कारपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कारपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है।

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम 2010

वर्ष (2010-11) के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। यह संशोधन भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम 2010 के अंतर्गत दिनांक 15 सितंबर 2010 से प्रभावी हुआ ।

बैंक की प्राधिकृत पूँजी ₹ 1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 5,000 करोड़ कर दी गई जिसमें भारत सरकार की न्यूनतम धारिता संदत्त पूँजी के 55 प्रतिशत से घटाकर 51 प्रतिशत कर दी गई।

धारा 19 (क) के अंतर्गत उपाध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया जबकि धारा 19 (ख) के अंतर्गत निदेशकों की संख्या दो से बढ़ाकर चार कर दी गई है। स्थानीय बोर्डों के अध्यक्षों को केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों का पद प्रदान करनेवाली धारा 19 (खख) समाप्त कर दी गई।

वैयक्तिक शेयरधारकों को नामांकन सुविधा प्रदान की गई है।

सात वर्षों से अधिक के असंदत्त अथवा दावारहित लाभांश को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

वार्षिक महासभा में उपस्थित शेयरधारकों को तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता, बैंक की कार्यप्रणाली एवं कार्यकलापों पर केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करने और उनपर चर्चा करने का अधिकार है।

केंद्रीय बोर्ड : भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम अर्थात भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (अधिनियम) से हुआ। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड अपने अधिकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों से प्राप्त करता है और उन्हीं के अनुपालन में अपने कार्य करता है। अन्य बातों के साथ इसकी प्रमुख भूमिका में निम्नांकित शामिल हैं।

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल का निरीक्षण;
- बैंक के व्यवसाय और नियंत्रण प्रणाली की सम्पूर्ण निगरानी;
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- बैंक के हितधारकों के लाभों में वृद्धि करना।

बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ख) के अंतर्गत चार प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड

CORPORATE GOVERNANCE

The Bank's Philosophy on Code of Governance

State Bank of India is committed to the best practices in the area of corporate governance, in letter and in spirit. The Bank believes that good corporate governance is much more than complying with legal and regulatory requirements. Good governance facilitates effective management and control of business, enables the Bank to maintain a high level of business ethics and to optimise the value for all its stakeholders. The objectives can be summarised as:

- To protect and enhance shareholder value.
- To protect the interest of all other stakeholders such as customers, employees and society at large.
- To ensure transparency and integrity in communication and to make available full, accurate and clear information to all concerned.
- To ensure accountability for performance and customer service and to achieve excellence at all levels.
- To provide corporate leadership of highest standard for others to emulate.

The Bank is committed to:

- Ensuring that the Bank's Board of Directors meets regularly, provides effective leadership and insights in business and functional matters and monitors Bank's performance.
- Establishing a framework of strategic control and continuously reviewing its efficacy.
- Establishing clearly documented and transparent management processes for policy development, implementation and review, decision-making, monitoring, control and reporting.
- Providing free access to the Board to all relevant information, advices and resources as are necessary to enable it to carry out its role effectively.
- Ensuring that the Chairman has the responsibility for all aspects of executive management and is accountable to the Board for the ultimate performance of the Bank and implementation of the policies laid down by the Board. The role of the Chairman and the Board of Directors are also guided by the SBI Act, 1955, with all relevant amendments.
- Ensuring that a senior executive is made responsible in respect of compliance issues with all applicable statutes, regulations and other procedures, policies as laid down by the GOI/RBI and other regulators and the Board, and reports deviations, if any.

The Bank has complied with the provisions of Corporate Governance as per Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchange except where the provisions of Clause 49 are not in conformity with SBI Act, 1955 and the directives issued by RBI/GOI. A report on the implementation of these provisions of Corporate Governance in the Bank is furnished below.

State Bank of India (Amendment) Act 2010

State Bank of India Act 1955 was amended during the year (2010-11), vide State Bank of India (Amendment) Act, 2010, with effect from 15th September 2010. The salient Amendments with a bearing on Corporate Governance are as follows :

Bank's authorised Capital was increased from ₹ 1,000 crores to ₹ 5,000 crores with minimum shareholding of Govt. of India reduced from 55% to 51% of issued Capital.

While the post of Vice-Chairman, under section 19(a), was abolished, the number of Managing Directors, under section 19(b), was increased from two to four. Section 19(bb) providing for Presidents of Local Boards as Directors on the Central Board was deleted.

Nomination facility has been provided to Individual shareholders.

Transfer of unpaid or unclaimed dividend, beyond seven years, to Investor Education and Protection Fund has been provided for.

Shareholders present at an Annual General Meeting are entitled to discuss and adopt the Balance Sheet, P&L account, Report of the Central Board on the working and activities of the Bank and the auditors' report on the balance sheet and accounts.

Central Board : Role and Composition

State Bank of India was formed in 1955 by an Act of the Parliament, i.e., The State Bank of India Act, 1955 (Act). A Central Board of Directors was constituted according to the Act.

The Bank's Central Board draws its powers from and carries out its functions in compliance with the provisions of SBI Act & Regulations 1955. Its major roles include, among others,

- Overseeing the risk profile of the Bank;
- Monitoring the integrity of its business and control mechanisms;
- Ensuring expert management, and
- Maximising the interests of its stakeholders.

The Board is headed by the Chairman, appointed under section 19(a) of the SBI Act; four Managing Directors are also appointed members of the Board under section 19(b) of the SBI Act. The Chairman and Managing Directors are whole time Directors. As on 31st March 2011, apart from Whole time Directors, there were eight other directors on the Board

के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक होते हैं। 31 मार्च 2011 को बोर्ड में प्रौद्योगिकी, लेखाविधि, वित्त तथा अर्थशास्त्र जगत की शख्सियतों सहित कुल आठ अन्य निदेशक थे। अध्यक्ष और एक प्रबंध निदेशक के अलावा 31 मार्च 2011 को बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार था :

- धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित चार निदेशक,
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (ग ख) के अंतर्गत नामित एक निदेशक,
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (घ) के अंतर्गत नामित एक निदेशक,
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (ङ) के अंतर्गत नामित एक निदेशक, तथा
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित एक निदेशक।

निदेशक मंडल का गठन सूचीबद्धता व्यवस्था के खंड 49 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक I में दिया गया है, विभिन्न बोर्डों/समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है तथा बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक III में दिया गया है।

केन्द्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक के केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की 10 बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की तिथियाँ और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

तालिका : वर्ष 2010-11 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तिथियाँ और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 10 **बैठकों की तिथियाँ : 14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 16.03.2011, 31.03.2011**			
श्री ओ.पी.भट्ट, अध्यक्ष, श्री आर.श्रीधरन, प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) और श्री एस. वेंकटाचलम, निदेशक सभी दस बैठकों में उपस्थित रहे। अन्य निदेशकों की उपस्थिति की तिथियाँ निम्नानुसार हैं :			
निदेशक का नाम	**नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या**	**उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे**	**तिथियाँ**
श्री एस.के. भट्टाचार्य (31.10.2010 तक)	5	4	14.05.2010, 05.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010
डॉ. अशोक झुनझुनवाला	10	8	05.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 16.3.2011, 31.3.2011
श्री दिलीप सी. चौकसी	10	8	14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 22.01.2011, 16.3.2011, 31.3.2011
श्री डी. सुंदरम	10	8	14.05.2010, 05.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 31.3.2011
डॉ. देवा नन्द बलोधी (15.9.2010 तक)*	5	5	14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010
प्रो. मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी (15.9.2010 तक)*	5	5	14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010
डॉ. (श्रीमती) वसंता भरुचा (24.2.2011 तक)	8	8	14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011
डॉ. राजीव कुमार	10	7	14.05.2010, 05.06.2010, 12.08.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 16.3.2011
श्री अशोक चावला (31.1.2011 तक)	8	4	16.06.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011,
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ	10	8	14.5.2010, 05.06.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.1.2011, 16.3.2011,31.3.2011
श्री जी. डी. नडाफ (4.11.2010 से)	5	5	08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 16.3.2011, 31.3.2011
श्री शशि कान्त शर्मा (18.2.2011 से)	2	1	16.3.2011

* भारत सरकार से 21.9.2010 को सूचना प्राप्त हुई।

including eminent professionals representing Technology, Accountancy, Finance and Economics.

The composition of the Board as on 31st March 2011, apart from Chairman and one Managing Director, was as under :

- four directors, elected by the shareholders under Section 19(c),
- one director, nominated by the Central Government under Section 19(cb),
- one director, nominated by the Central Government under Section 19(d),
- one director, nominated by the Central Government under Section 19(e), and
- one director, nominated by the Reserve Bank of India under Section 19(f).

The composition of the Board complies with provisions laid down in Clause 49 of the Listing Agreement.

A brief resume of each of the non-executive Directors is presented in Annexure I. Particulars of the directorships/memberships held by all the Directors in various Boards/Committees are presented in Annexure II and the details of their shareholding in the Bank are mentioned in Annexure III.

Meetings of the Central Board

The Bank's Central Board meets a minimum of six times a year. During the year 2010-11, **ten** Central Board Meetings were held. The dates of the meetings and attendance of the directors are as under :

Table : Dates & Attendance of Directors at Board Meetings during 2010-11

No. of Meetings held : 10 **Dates of the Meetings : 14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 16.03.2011, 31.03.2011**			
Shri O.P. Bhatt, Chairman, Shri R. Sridharan, Managing Director & GE (A&S) & Shri S. Venkatachalam, Director attended all the ten Meetings. Dates of attendance of other Directors are as below :			
Name of the Director	**No. of Meetings held after nomination/ election/ during incumbency**	**No. of Meetings attended**	**Dates**
Shri S. K. Bhattacharyya (upto 31.10.2010)	**5**	**4**	**14.05.2010, 05.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010**
Dr. Ashok Jhunjhunwala	**10**	**8**	**05.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 16.3.2011, 31.3.2011**
Shri Dileep C. Choksi	**10**	**8**	**14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 22.01.2011, 16.3.2011, 31.3.2011**
Shri D. Sundaram	**10**	**8**	**14.05.2010, 05.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 31.3.2011**
Dr. Deva Nand Balodhi (upto 15.9.2010)*	**5**	**5**	**14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010**
Prof. Md. Salahuddin Ansari (upto 15.9.2010)*	**5**	**5**	**14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010**
Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha (upto 24.2.2011)	**8**	**8**	**14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011**
Dr. Rajiv Kumar	**10**	**7**	**14.05.2010, 05.06.2010, 12.08.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 16.3.2011**
Shri Ashok Chawla (upto 31.1.2011)	**8**	**4**	**16.06.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011,**
Smt. Shyamala Gopinath	**10**	**8**	**14.5.2010, 05.06.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.1.2011, 16.3.2011,31.3.2011**
Shri G.D. Nadaf (w.e.f. 4.11.2010)	**5**	**5**	**08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 16.3.2011, 31.3.2011**
Shri Shashi Kant Sharma (w.e.f. 18.2.2011)	**2**	**1**	**16.3.2011**

*** Communication received from Govt. of India on 21.9.2010.**

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की क्षमता में आने वाले किसी भी मामले पर कार्य कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 के खंड (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2010-11 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है-

तालिका : वर्ष 2010-11 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति

आयोजित बैठकों की कुल संख्या 54	
निदेशक	**केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों की संख्या**
1. श्री ओ. पी. भट्ट, अध्यक्ष	52
2. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक (31.10.2010 तक)	27
3. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ)	51
4. डॉ. अशोक झुनझुनवाला	18
5. श्री दिलीप सी. चौकसी	29
6. श्री एस. वैंकटाचलम	45
7. श्री डी. सुंदरम	24
8. डॉ. देवा नंद बलोधी (15.9.2010 तक)	19
9. प्रो. मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी (15.9.2010 तक)	15
10. डॉ. (श्रीमती) वसंता भरूचा (24.2.2011 तक)	23
11. डॉ. राजीव कुमार	10
12. श्री अशोक चावला (31.1.2011 तक)	02
13. श्रीमती श्यामला गोपीनाथ	12
14. श्री जी. डी. नडाफ (4.11.2010 से)	13
15. श्री शशि कान्त शर्मा (18.2.2011 से)	–

अन्य बोर्ड स्तरीय समितियाँ :

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 के प्रावधानों और भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय बोर्ड ने सात समितियाँ गठित की हैं जैसे लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति, बड़ी राशि (₹ 1 करोड़ तथा उससे अधिक) की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए निदेशकों की विशेष समिति, ग्राहक सेवा समिति, प्रौद्योगिकी समिति और बोर्ड की पारिश्रमिक समिति। यह समितियाँ बोर्ड स्तरीय व्यवसाय करने में प्रभावी व्यवसायगत सहयोग प्रदान करती हैं जिनमें से प्रमुख क्षेत्र हैं- लेखा-परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा एवं ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन और कार्यपालक निदेशकों को मानदेय का भुगतान। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों को मानदेय के भुगतान का अनुमोदन देने हेतु पारिश्रमिक समिति की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित होती है। अन्य समितियों की बैठकें केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षा के कैलेन्डर के आधार पर आवधिक रूप में सामान्यत: तिमाही अंतराल पर आयोजित होती हैं ताकि नीतिगत मामलों और/या प्रमुख निष्पादन की समीक्षा की जा सके। इन समितियों द्वारा बैंक के उच्च कार्यपालकों की सेवाओं के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाती हैं। इन समितियों की बैठकों में हुई चर्चा के कार्यवृत्त और कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन 27 जुलाई 1994 को और पिछली बार इसका पुनर्गठन 9 मई 2009 को किया गया था। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य करती है और सूचीकरण करार के खंड 49 के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक करती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होने पाए।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के कार्य

(क) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उन पर नजर भी रखती है। समस्त लेखा परीक्षा कार्य से आशय बैंक के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण की व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करने से है।यह समिति बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भी करती है और समय-समय पर उनके निष्पादन की समीक्षा की जाती है।

(ख) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा नीति और लेखांकन नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा करती है ताकि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

Executive Committee of the Central Board

The Executive Committee of the Central Board (ECCB) is constituted in terms of Section 30 of the SBI Act, 1955. The State Bank of India General Regulations (46 & 47) provide that, subject to the general or special directions of the Central Board, ECCB may deal with any matter within the competence of the Central Board. ECCB consists of the Chairman, the Managing Directors, the Director nominated under Section 19(f) of the SBI Act (Reserve Bank of India nominee), and all or any of the other Directors *who are normally residents* or may for the time being be present *at any place within India where the meeting is held*. The ECCB meetings are held once every week. The details of attendance of ECCB Meetings during the year 2010-11 are as under :

Table : Attendance of ECCB Meetings during 2010-11

Total No. of Meetings : 54	
Directors	**No. of ECCB meetings**
1. Shri O.P. Bhatt, Chairman	52
2. Shri S.K. Bhattacharyya, M.D. (upto 31.10.2010)	27
3. Shri R. Sridharan, MD & GE (A&S)	51
4. Dr. Ashok Jhunjhunwala	18
5. Shri Dileep C. Choksi	29
6. Shri S. Venkatachalam	45
7. Shri D. Sundaram	24
8. Dr. Deva Nand Balodhi (upto 15.9.2010)	19
9. Prof. Md. Salahuddin Ansari (upto 15.9.2010)	15
10. Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha (upto 24.2.2011)	23
11. Dr. Rajiv Kumar	10
12. Shri Ashok Chawla (upto 31.1.2011)	02
13. Smt. Shyamala Gopinath	12
14. Shri G.D.Nadaf (w.e.f. 4.11.2010)	13
15. Shri Shashi Kant Sharma (w.e.f. 18.2.2011)	–

Other Board Level Committees:

In terms of the provisions of SBI Act and General Regulations, 1955 and Govt./RBI/SEBI guidelines, the Central Board has constituted seven Board Level Committees viz. Audit Committee, Risk Management Committee, Shareholders'/Investors' Grievance Committee, Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds (₹ 1 crore and above), Customer Service Committee, Technology Committee & Remuneration Committee of the Board. These Committees provide effective professional support in the conduct of Board level business in key areas like Audit & Accounts, Risk Management, resolution of Shareholders'/Investors' grievances, Fraud Review and Control, Review of Customer Service and redressal of customer grievances, Technology Management and Payment of Incentives to Executive Directors. While the Remuneration Committee approves, once in a year, payment of incentives to wholetime Directors, based on Govt. of India guidelines, the other Committees meet periodically, once in a quarter generally, to deliberate on policy issues and/or review domain performance, as per the calendar of reviews approved by the Central Board. The Committees also call external specialists, besides drawing upon the services of top executives from the Bank, as and when needed. The minutes and proceedings containing brief reports on the discussions held at the meetings of the Committees are placed before the Central Board.

Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) was constituted on 27th July 1994 and last re-constituted on the 9th May 2009. The ACB functions as per RBI guidelines and complies with the provisions of Clause 49 of the Listing Agreement to the extent that they do not violate the directives/guidelines issued by RBI.

Functions of ACB

(a) ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank, and follow-up on the statutory/external audit, compliance of RBI inspection. It also appoints Statutory Auditors of the Bank and review their performance from time to time.

(b) ACB reviews the Bank's financial, Risk Management, IS Audit Policies and Accounting

(ग) यह समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एवं अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति विशेषीकृत एवं अत्यधिक बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक श्रेणी प्राप्त सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर विशेष ध्यान भी देती है :

- अपने ग्राहक को जानिए - धन-शोधन निवारण (केवाईसी-एएमएल) दिशानिर्देश।
- लेखांकन के प्रमुख क्षेत्र ।
- खंड 49 और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन।
- घोष और जिलानी समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(घ) यह बैंक के अनुपालन विभाग से मासिक रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।

(ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट और विस्तृत (लांग फार्म) लेखा परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी विषयों पर बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाह्य लेखा परीक्षकों से विचार विमर्श करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आनेवाली अपेक्षाओं के अतिरिक्त केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट एक औपचारिक 'ऑडिट चार्टर' अथवा 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' निर्धारित किया गया है।

गठन एवं वर्ष 2010-11 के दौरान उपस्थिति :

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में सात सदस्य होते हैं, इनमें दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) तथा तीन गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार संविधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा करने के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की ग्यारह बैठकें आयोजित की गईं।

तालिका : वर्ष 2010-11 के दौरान आयोजित बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की तिथियाँ और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 11 **बैठकों की तिथियाँ : 16.04.2010, 13.05.2010, 29.06.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010, 30.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**			
निदेशकों की उपस्थिति की तिथियाँ निम्नानुसार हैं :			
निदेशक का नाम	**नामांकन/चयन के बाद अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या**	**उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे**	**तिथियाँ**
श्री एस. के. भट्टाचार्य (31.10.2010 तक)	**6**	**6**	**16.04.2010, 13.05.2010, 29.06.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010**
श्री आर. श्रीधरन	**11**	**10**	**16.04.2010, 13.05.2010, 29.06.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**
श्री दिलीप सी. चौकसी	**11**	**10**	**16.04.2010, 13.05.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010, 30.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**
श्री एस. वैंकटाचलम	**11**	**10**	**13.05.2010, 29.06.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010, 30.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**
डॉ. अशोक झुनझुनवाला	**11**	**7**	**16.4.2010, 29.06.2010, 16.09.2010, 30.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**
श्री अशोक चावला (31.1.2011 तक)	**10**	**—**	**—**
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ	**10**	**8**	**16.04.2010, 13.05.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010,13.01.2011, 21.01.2011**
श्री शशि कान्त शर्मा (18.2.2011से)	**1**	**—**	**—**

Policies/systems of the Bank to ensure greater transparency.

(c) ACB reviews the internal inspection/audit plan and functions in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also, especially, focuses on the follow up of :

- KYC-AML Guidelines;
- Major areas of housekeeping;
- Compliance of Clause 49 and other guidelines issued by SEBI from time to time;
- Status of implementation of Ghosh and Jilani Committee recommendations.

(d) It obtains and reviews monthly reports from the Compliance Department in the Bank.

(e) ACB follows up on all the issues raised in RBI's Annual Financial Inspection Reports under Section 35 of Banking Regulation Act, 1949 and Long Form Audit Reports of the Statutory Auditors and other Internal Audit Reports. It interacts with the external auditors before the finalisation of the annual/quarterly financial accounts and reports.

A formal 'Audit Charter' or 'Terms of Reference' laid down by the Central Board, in addition to those under RBI guidelines, is in place.

Composition & Attendance during 2010-11

The ACB has seven members of the Board of Directors, including two whole time Directors, two official Directors (nominees of GOI and RBI), and three non-official, non-executive Directors. Meetings of the ACB are chaired by a non-executive Director. The constitution and quorum requirements, as per RBI guidelines, are complied with meticulously. During the year, eleven meetings of ACB were held to review the various matters connected with the internal control, systems and procedures and other aspects as required in terms of RBI guidelines.

Table : Dates of the Meetings of ACB held & Attendance of Directors during 2010-11

Meetings held : 11 **Dates of the Meetings : 16.04.2010, 13.05.2010, 29.06.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010, 30.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**			
Dates of attendance of Directors are as below :			
Name of the Director	**No. of Meetings held after nomination/ election/ during tenure**	**No. of Meetings attended**	**Dates**
Shri S. K. Bhattacharyya (upto 31.10.2010)	**6**	**6**	**16.04.2010, 13.05.2010, 29.06.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010**
Shri R. Sridharan	**11**	**10**	**16.04.2010, 13.05.2010, 29.06.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**
Shri Dileep C. Choksi	**11**	**10**	**16.04.2010, 13.05.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010, 30.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**
Shri S. Venkatachalam	**11**	**10**	**13.05.2010, 29.06.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010, 30.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**
Dr. Ashok Jhunjhunwala	**11**	**7**	**16.4.2010, 29.06.2010, 16.09.2010, 30.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**
Shri Ashok Chawla (upto 31.1.2011)	**10**	**—**	**—**
Smt. Shyamala Gopinath	**10**	**8**	**16.04.2010, 13.05.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010,13.01.2011, 21.01.2011**
Shri Shashi Kant Sharma (w.e.f. 18.2.2011)	**1**	**—**	**—**

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। यह समिति ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम संबंधी समन्वित जोखिम प्रबंधन संबंधी नीति और कार्यनीति की निगरानी करने हेतु गठित की गई है। यह समिति पिछली बार 9 मई 2009 को पुनर्गठित की गई जिसमें 6 सदस्य थे। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की प्रत्येक तिमाही में एक और वर्ष में न्यूनतम चार बैठकें होती हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

तालिका : वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4 बैठकों की तिथियाँ : 29.4.2010, 26.8.2010,28.10.2010, 24.2.2011			
निदेशक का नाम	**नामांकन/चयन के बाद अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या**	**उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे**	**तिथियाँ**
श्री एस. के. भट्टाचार्य (31.10.2010 तक)	3	3	29.4.2010, 26.8.2010, 28.10.2010
श्री आर. श्रीधरन	4	3	29.4.2010, 26.8.2010, 24.2.2011
डॉ. अशोक झुनझुनवाला	4	4	29.4.2010, 26.8.2010, 28.10.2010, 24.2.2011
श्री दिलीप सी. चौकसी	4	2	28.10.2010, 24.2.2011
डॉ. (श्रीमती) वसंता भरूचा (24.2.2011 तक)	4	4	29.4.2010, 26.8.2010, 28.10.2010, 24.2.2011
डॉ. राजीव कुमार	3	1	28.10.2010

बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति

शेयर बाजारों के सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों से शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बांडों पर ब्याज/घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (**एसआइजीसीबी**) का 30 जनवरी 2001 को गठन किया गया था। यह समिति पिछली बार 19 दिसम्बर 2010 को पुनर्गठित की गई थी जिसमें पाँच सदस्य उपस्थिति हुए थे और बैठक की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की गई। समिति की वर्ष 2010-11 के दौरान चार बैठकें हुईं जिनमें शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई।

तालिका : वर्ष 2010-11 के दौरान शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति की बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4 बैठकों की तिथियाँ : 29.4.2010, 27.8.2010, 24.12.2010, 24.2.2011			
निदेशक का नाम	**नामांकन/चयन के बाद अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या**	**उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे**	**तिथियाँ**
श्री एस. के. भट्टाचार्य (31.10.2010 तक)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010,
श्री आर. श्रीधरन	4	4	29.4.2010, 27.8.2010, 24.12.2010, 24.2.2011
डॉ. देवा नंद बलोधी (15.9.2010 तक)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010
श्री डी. सुंदरम	4	4	29.4.2010, 27.8.2010, 24.12.2010, 24.2.2011
प्रो.मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी (15.9.2010 तक)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010
श्री एस. वैंकटाचलम (19.12.2010 से)	2	2	24.12.2010, 24.2.2011
श्री दिलीप सी. चौकसी (19.12.2010 से)	2	1	24.12.2010

Risk Management Committee of the Board

The Risk Management Committee of the Board (RMCB) was constituted on the 23rd March 2004, to oversee the policy and strategy for integrated risk management relating to credit risk, market risk and operational risk. The Committee was last reconstituted on the 9th May 2009 with six members. The Senior Managing Director is the Chairman of the Committee. RMCB meets a minimum of four times a year, once in each quarter. During 2010-11, four meetings of the RMCB were held.

Table : Dates of the Meetings of RMCB held & Attendance of Directors during 2010-11

Meetings held : 4 Dates of the Meetings : 29.4.2010, 26.8.2010, 28.10.2010, 24.2.2011			
Name of the Director	**No. of Meetings held after nomination/election/ during tenure**	**No. of Meetings attended**	**Dates**
Shri S K Bhattacharyya (upto 31.10.2010)	3	3	29.4.2010, 26.8.2010, 28.10.2010
Shri R. Sridharan	4	3	29.4.2010, 26.8.2010, 24.2.2011
Dr. Ashok Jhunjhunwala	4	4	29.4.2010, 26.8.2010, 28.10.2010, 24.2.2011
Shri Dileep C. Choksi	4	2	28.10.2010, 24.2.2011
Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha (upto 24.2.2011)	4	4	29.4.2010, 26.8.2010, 28.10.2010, 24.2.2011
Dr. Rajiv Kumar	3	1	28.10.2010

Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board

In pursuance of Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchange, Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board (**SIGCB**) was formed on the 30th January 2001, to look into the redressal of shareholders' and investors' complaints regarding transfer of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of interest on bonds/declared dividends, etc. The Committee was last reconstituted on the 19th December 2010 with five members and is chaired by a non-executive Director. The Committee met four times during 2010-11 and reviewed the position of complaints.

Table : Dates of the Meetings of SIGCB held & Attendance of Directors during 2010-11

Meetings held : 4 Dates of the Meetings : 29.4.2010, 27.8.2010, 24.12.2010, 24.2.2011			
Name of the Director	**No. of Meetings held after nomination/election/ during tenure**	**No. of Meetings attended**	**Dates**
Shri S. K. Bhattacharyya (upto 31.10.2010)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010,
Shri R. Sridharan	4	4	29.4.2010, 27.8.2010, 24.12.2010, 24.2.2011
Dr. Deva Nand Balodhi (upto 15.9.2010)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010
Shri D. Sundaram	4	4	29.4.2010, 27.8.2010, 24.12.2010, 24.2.2011
Prof. Md. Salahuddin Ansari (upto 15.9.2010)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010
Shri S. Venkatachalam (w.e.f. 19.12.2010)	2	2	24.12.2010, 24.2.2011
Shri Dileep C. Choksi (w.e.f. 19.12.2010)	2	1	24.12.2010

अब तक प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान) 331

उन शिकायतों की संख्या, जिनका समाधान शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप नहीं किया गया - निरंक

लंबित शिकायतों की संख्या : निरंक

अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम :

श्री श्यामल सिन्हा, महाप्रबंधक (अनुपालन)

बड़ी राशि (₹ 1 करोड़ तथा अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति:

बड़ी राशियों वाली धोखाधड़ियों (₹ 1 करोड़ तथा अधिक) की निगरानी के लिए विशेष समिति (**एससीबीएमएफ**) का 29 मार्च 2004 को गठन किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है जिससे यह समिति प्रणालीगत खामियों, धोखाधड़ी मामलों का पता लगाने एवं सूचित करने में देरी के कारणों का पता लगा सकेगी और सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रख सकेगी तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निराकरण उपाय भी शुरू कर सकेगी। इस समिति को पिछली बार 19 दिसम्बर 2010 को पुनर्गठित किया गया जिसमें छह सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

तालिका : वर्ष 2010-11 के दौरान बड़ी राशि (₹ 1 करोड़ तथा अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए गठित विशेष समिति की बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4 बैठकों की तिथियाँ : 04.06.2010, 30.09.2010, 11.12.2010, 16.3.2011			
निदेशक का नाम	**नामांकन/चयन के बाद अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या**	**उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे**	**तिथियाँ**
श्री एस. के. भट्टाचार्य (31.10.2010 तक)	2	2	04.06.2010, 30.09.2010
श्री आर. श्रीधरन	4	3	04.06.2010, 11.12.2010, 16.3.2011
श्री दिलीप सी. चौकसी	4	3	30.09.2010, 11.12.2010, 16.3.2011
श्री एस. वैंकटाचलम	4	4	04.06.2010, 30.09.2010, 11.12.2010, 16.3.2011
डॉ. देवा नन्द बलोधी (15.9.2010 तक)	1	1	04.06.2010
प्रो. मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी (15.9.2010 तक)	1	—	—
श्री डी. सुंदरम	4	2	30.9.2010, 11.12.2010
डॉ. राजीव कुमार (19.12.2010 से)	1	1	16.3.2011

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर एवं उत्तरोत्तर सुधार लाने के उद्देश्य से 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन किया गया था । यह समिति पिछली बार 19 दिसम्बर 2010 को पुनर्गठित की गई। समिंति के छह सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

Number of shareholders' complaints received so far (during the year): **331**

Number not solved to the satisfaction of shareholders: **NIL**

Number of Pending Complaints: **NIL**

Name and designation of Compliance officer:

Shri Shyamal Sinha, General Manager (Compliance)

Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds (₹ 1 crore and above)

The Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds (₹ 1 crore and above) (**SCBMF**) was constituted on the 29th March 2004. The major functions of the Committee are to monitor and review all large value frauds with a view to identifying systemic lacunae, if any, reasons for delay in detection and reporting, if any, monitoring progress of CBI/Police investigation, recovery position, ensuring that staff accountability exercise is completed quickly, reviewing the efficacy of remedial action taken to prevent recurrence of frauds and putting in place suitable preventive measures. The Committee was last reconstituted on the 19th December 2010 with six members. The Senior Managing Director is the Chairman of the Committee. The Committee met four times during 2010-11.

Table : Dates of the Meetings of SCBMF held & Attendance of Directors during 2010-11

Meetings held : 4 **Dates of the Meetings : 04.06.2010, 30.09.2010, 11.12.2010, 16.3.2011**			
Name of the Director	**No. of Meetings held after nomination/election/ during tenure**	**No. of Meetings attended**	**Dates**
Shri S. K. Bhattacharyya (upto 31.10.2010)	**2**	**2**	**04.06.2010, 30.09.2010**
Shri R. Sridharan	**4**	**3**	**04.06.2010, 11.12.2010, 16.3.2011**
Shri Dileep C. Choksi	**4**	**3**	**30.09.2010, 11.12.2010, 16.3.2011**
Shri S. Venkatachalam	**4**	**4**	**04.06.2010, 30.09.2010, 11.12.2010, 16.3.2011**
Dr. Deva Nand Balodhi (upto 15.9.2010)	**1**	**1**	**04.06.2010**
Prof. Md. Salahuddin Ansari (upto 15.9.2010)	**1**	**—**	**—**
Shri D. Sundaram	**4**	**2**	**30.9.2010, 11.12.2010**
Dr. Rajiv Kumar (w.e.f. 19.12.2010)	**1**	**1**	**16.3.2011**

Customer Service Committee of the Board

The Customer Service Committee of the Board (CSCB) was constituted on the 26th August 2004, to bring about ongoing improvements on a continuous basis in the quality of customer service provided by the Bank. The Committee was last reconstituted on the 19th December 2010 with six members. The Senior Managing Director is the Chairman of the Committee. During the year 2010-11, four meetings of the Committee were held.

तालिका : वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4 बैठकों की तिथियाँ : 29.4.2010, 27.8.2010, 27.10.2010, 7.2.2011			
निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे	तिथियाँ
श्री एस. के. भट्टाचार्य (31.10.2010 तक)	3	3	29.4.2010, 27.8.2010, 27.10.2010
श्री आर. श्रीधरन	4	4	29.4.2010, 27.8.2010, 27.10.2010, 7.2.2011
डॉ. देवा नन्द बलोधी (15.9.2010 तक)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010,
प्रो. मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी (15.9.2010 तक)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010,
डॉ. (श्रीमती) वसंता भरूचा (24.2.2011 तक)	4	4	29.4.2010, 27.8.2010, 27.10.2010, 7.2.2011
श्री एस. वैंकटाचलम	4	3	29.4.2010, 27.10.2010, 7.2.2011
श्री दिलीप सी. चौकसी (19.12.2010 से)	1	1	7.2.2011
डॉ. राजीव कुमार (19.12.2010 से)	1	—	—

बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति

बैंक की सूचना-प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति (टीसीबी) गठित की गई। यह समिति सूचना प्रौद्योगिकी पूंजी खर्च (आइटी केपेक्स) हेतु सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान करती है और उसके उपयोग की तिमाही अंतराल पर समीक्षा करती है जिसमें प्रमुख आइटी परियोजनाएं, सूचना सुरक्षा और व्यवसाय निरंतरता योजना के कार्यान्वयन की स्थिति भी शामिल है। वार्षिक रूप से प्रौद्योगिकी लैन्डस्केप और आइटी योजना का अनुमोदन भी करती है। पिछली बार यह समिति 9 मई 2009 को पुनर्गठित की गई। समिति के छह सदस्य हैं तथा एक गैर

तालिका : वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 5 बैठकों की तिथियाँ : 16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010, 23.12.2010 & 7.3.2011			
निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे	तिथियाँ
श्री एस. के. भट्टाचार्य (upto 31.10.2010)	3	3	16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010
श्री आर. श्रीधरन	5	5	16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010, 23.12.2010, 7.3.2011
डॉ. अशोक झुनझुनवाला	5	5	16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010, 23.12.2010, 7.3.2011
डॉ. (श्रीमती) वसंता भरूचा (24.2.2011 तक)	4	4	16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010, 23.12.2010
श्री डी. सुंदरम	5	2	16.4.2010, 26.8.2010
डॉ. राजीव कुमार	5	1	7.3.2011

Table : Dates of the Meetings of CSCB held & Attendance of Directors during 2010-11

Meetings held : 4 Dates of the Meetings : 29.4.2010, 27.8.2010, 27.10.2010, 7.2.2011			
Name of the Director	**No. of Meetings held after nomination/election/ during tenure**	**No. of Meetings attended**	**Dates**
Shri S. K. Bhattacharyya (upto. 31.10.2010)	3	3	29.4.2010, 27.8.2010, 27.10.2010
Shri R. Sridharan	4	4	29.4.2010, 27.8.2010, 27.10.2010, 7.2.2011
Dr. Deva Nand Balodhi (upto 15.9.2010)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010,
Prof. Md. Salahuddin Ansari (upto 15.9.2010)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010,
Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha (upto 24.2.2011)	4	4	29.4.2010, 27.8.2010, 27.10.2010, 7.2.2011
Shri S. Venkatachalam	4	3	29.4.2010, 27.10.2010, 7.2.2011
Shri Dileep C. Choksi (w.e.f. 19.12.2010)	1	1	7.2.2011
Dr. Rajiv Kumar (w.e.f. 19.12.2010)	1	—	—

Technology Committee of the Board

The Technology Committee of the Board (TCB) was constituted on 26th August 2004, for tracking the progress of the Bank's IT initiatives. The Committee accords 'in principle' sanction for IT Capital Expenditure (IT Capex) and review its utilisation on quarterly basis together with status of implementation of major IT projects, information security and Business Continuity plan. It also approves Technology Landscape and IT plan annually. The Committee was last reconstituted on the 9th May 2009 with six members and is chaired by a non-executive Director. The Committee met five times during 2010-11.

Table : Dates of the Meetings of TCB held & Attendance of Directors during 2010-11

Meetings held : 5 Dates of the Meetings : 16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010, 23.12.2010 & 7.3.2011			
Name of the Director	**No. of Meetings held after nomination/election/ during tenure**	**No. of Meetings attended**	**Dates**
Shri S. K. Bhattacharyya (upto 31.10.2010)	3	3	16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010
Shri R. Sridharan	5	5	16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010, 23.12.2010, 7.3.2011
Dr. Ashok Jhunjhunwala	5	5	16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010, 23.12.2010, 7.3.2011
Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha (upto 24.2.2011)	4	4	16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010, 23.12.2010
Shri D. Sundaram	5	2	16.4.2010, 26.8.2010
Dr. Rajiv Kumar	5	1	7.3.2011

कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की पांच बैठकें हुई।

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

पारिश्रमिक समिति का गठन भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में सूचित योजना के अनुसार प्रोत्साहन राशियों के भुगतान के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 22 मार्च 2007 को किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन पिछली बार 9 मई 2009 को किया गया था। इस समिति के चार सदस्य हैं जिसमें (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक (2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (3) दो अन्य निदेशक - डॉ. अशोक झुनझुनवाला एवं श्री एस. वेंकटचलम सम्मिलित हैं। इस समिति द्वारा 31.3.2010 को समाप्त वर्ष हेतु पूर्णकालिक निदेशकों की प्रोत्साहन राशियों की जांच-पड़ताल तथा उन का भुगतान करने की संस्तुति की गई।

स्थानीय बोर्ड

प्रत्येक केन्द्र में जहाँ पर बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय है, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्य कर रही हैं। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कार्य और विवेकाधिकारों का उपयोग स्थानीय बोर्ड द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2011 को ग्यारह स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड और अन्य तीन स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्यरत थीं। स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त और कार्यवाही केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

वार्षिक महासभा में उपस्थिति:

वर्ष 2009-10 की वार्षिक महासभा 16 जून 2010 को आयोजित की गई जिसमें 7 निदेशक उपस्थित थे। इनके नाम हैं - श्री ओ. पी. भट्ट, श्री आर. श्रीधरन, डॉ. देवा नन्द बलोधी, डॉ. (श्रीमती) वसंत भरूचा, श्री दिलीप सी. चौकसी, श्री एस. वैंकटाचलम और प्रो. मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी।

वार्षिक महासभाएँ

बैंक के शेयरधारकों की वर्ष 2009-10 की वार्षिक महासभा 16 जून 2010 को, वर्ष 2008-09 की 19 जून 2009 को, वर्ष 2007-08 की 11 जून 2008 को, वर्ष 2006-07 की 25 जून 2007 को, वर्ष 2005-06 की 30 जून 2006 को, वर्ष 2004-05 की 30 जून 2005 को तथा वर्ष 2003-04 की 9 जुलाई 2004 को आयोजित की गई । ये सभी सभाएं, मुंबई में आयोजित की गईं।

बोर्ड के नए पूर्णकालिक निदेशकों का बायोडाटा

श्री प्रतीप चौधरी ने 7 अप्रैल 2011 का बैंक के अध्यक्ष के रूप में बोर्ड की सदस्यता ग्रहण की। इस नियुक्ति से पूर्व वे उप प्रबंध निदेशक तथा समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) के पद पर कार्यरत थे। उन्हें अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, ऋण, कारपोरेट बैंकिंग, कोष तथा परिचालनों के अलावा कनाडा में कार्य करने का प्रचुर एवं विविध प्रकार का अनुभव प्राप्त है। इससे पहले उन्होंने मुख्य महाप्रबंधक (विदेश स्थित कार्यालय), पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और चेन्नई मंडल के मुख्य महाप्रबंधक के पदों पर कार्य किया।

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर ने 7 अप्रैल 2011 को बोर्ड की सदस्यता ग्रहण की तथा इस समय प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) हैं। इस नियुक्ति से पूर्व वे उप प्रबंध निदेशक तथा मुख्य वित्त अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उन्हें कोष, ऋण तथा कारपोरेट बैंकिंग के अलावा बहरीन में कार्य करने का प्रचुर अनुभव प्राप्त है। इसके पूर्व वे उप प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग) तथा चन्डीगढ़ मंडल में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्य कर चुके हैं।

श्री ए. कृष्ण कुमार ने 7 अप्रैल 2011 को बोर्ड की सदस्यता ग्रहण की तथा इस समय प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) हैं। इस नियुक्ति से पूर्व वे उप प्रबंध निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर कार्यरत थे। उन्हें ऋण, परिचालन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विशेषज्ञता के अलावा शिकागो, अमरीका में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। इससे पहले वे मुख्य महाप्रबंधक, मध्य कारपोरेट समूह तथा पटना मंडल में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्य कर चुके हैं।

श्री दिवाकर गुप्ता ने 7 अप्रैल 2011 को बोर्ड की सदस्यता ग्रहण की तथा इस समय प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी हैं। इस नियुक्ति से पूर्व वे उप प्रबंध निदेशक तथा समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) के पद पर कार्यरत थे। उन्हें परिचालन, ऋण तथा प्रणाली में कार्य का प्रचुर अनुभव होने के साथ-साथ पेरिस में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। इससे पूर्व वे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एसबीआई कार्ड एंड पेमेन्टस सर्विसेज लिमि., मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, मुंबई मंडल तथा मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्य कर चुके हैं।

Remuneration Committee of the Board

The Remuneration Committee was constituted on 22nd March 2007, for evaluating the performance of Whole Time Directors of the Bank in connection with the payment of incentives, as per the scheme advised by Government of India in March 2007. The Committee was last reconstituted on 9th May 2009. The Committee has four members consisting of (i) the Government Nominee Director, (ii) the RBI Nominee Director and (iii) two other Directors – Dr Ashok Jhunjhunwala and Shri S. Venkatachalam. The Committee scrutinised and recommended payment of incentives to whole time Directors for the year ended 31.03.2010.

Local Boards

In terms of the provisions of SBI Act and General Regulations 1955, at every centre where the Bank has a Local Head Office (LHO), Local Boards / Committees of Local Boards are functional. The Local Boards exercise such powers and perform such other functions and duties delegated to them by the Central Board. As on 31st March 2011, Local Boards at eleven LHOs and Committees of the Local Boards at the remaining three LHOs were functional. The minutes and proceedings of the meetings of Local Boards/ Committees of Local Boards are placed before the Central Board.

Attendance of the Annual General Meeting

The Annual General Meeting for the year 2009-10, held on the 16th June 2010, was attended by 7 directors, viz., Shri O.P. Bhatt, Shri R, Sridharan, Dr. Deva Nand Balodhi, Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha, Shri Dileep C. Choksi, Shri S. Venkatachalam and Prof. Md. Salahuddin Ansari.

Annual General Meetings

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank for 2009-10 was held on the 16th June 2010, for 2008-09 on the 19th June 2009, for 2007-08 on the 11th June 2008, for 2006-07 on the 25th June 2007, for 2005-06 on the 30th June 2006, for 2004-05 on the 30th June 2005 and for 2003-04 on the 9th July 2004. All these meetings were held at Mumbai.

Bio-data of the New Whole-time Directors on the Board

Shri Pratip Chaudhuri joined the Board as **Chairman** of the Bank on the 7th April 2011. Prior to this appointment, he was Deputy Managing Director & Group Executive (International Banking). He has rich and varied experience covering International Banking, Credit, Corporate Banking, Treasury and Operations, besides overseas experience in Canada. He was earlier posted as Chief General Manager (Foreign Offices), Managing Director, erstwhile State Bank of Saurashtra and Chief General Manager, Chennai Circle.

Shri Hemant G. Contractor joined the Board on the 7th April 2011 and is currently the **Managing Director & Group Executive (International Banking).** Prior to this appointment, he was Deputy Managing Director & Chief Financial Officer. He has rich background in Treasury, Credit and Corporate Banking, besides overseas experience in Bahrain. He was earlier posted as Dy. Managing Director & Group Executive (Corporate Banking) and Chief General Manager, Chandigarh Circle.

Shri A Krishna Kumar joined the Board on the 7th April 2011 and is currently the **Managing Director & Group Executive (National Banking)**. Prior to this appointment, he was Deputy Managing Director (Information Technology). He has rich domain expertise in the areas of Credit, Operations and IT, besides overseas experience at Chicago, USA. He has earlier worked as Chief General Manager, Mid Corporate Group and Chief General Manager, Patna Circle.

Shri Diwakar Gupta joined the Board on the 7th April 2011 and is currently the **Managing Director & Chief Financial Officer**. Prior to this appointment, he was Deputy Managing Director & Group Executive (National Banking). He has rich exposure in Operations, Credit and Systems, besides overseas experience at Paris. He has earlier worked as CEO, SBI Cards & Payment Services Ltd., Chief General Manager, State Bank of Patiala and Chief General Manager, Mumbai Circle.

बैठक शुल्क

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार बैठक शुल्क अदा किया जाता है। निदेशकों को केंद्रीय बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए ₹ 5000 तथा बोर्ड स्तरीय समिति की एक बैठक के लिए ₹ 2500 बैठक शुल्क प्रदान किया जाता है। तथापि बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नामित निदेशकों को बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है। वर्ष 2010-11 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को वर्ष 2010-11 में संदत्त वेतन व भत्ते

	मूल वेतन ₹	महंगाई भत्ता ₹	प्रोत्साहन ₹	अन्य/बकाया ₹	कुल पारिश्रमिक ₹
अध्यक्ष					
श्री ओ. पी. भट्ट (01.04.2010-31.03.2011)	9,60,000.00	4,27,200.00	6,00,000.00	1,54,906.00	21,42,106.00
प्रबंध निदेशक					
श्री एस. के. भट्टाचार्य (01.04.2010-31.10.2010)	5,60,000.00	2,46,842.40	5,00,000.00	2,13,409.33	15,20,251.73
श्री आर. श्रीधरन (01.04.2010-31.03.2011)	9,60,000.00	4,26,480.00	5,00,000.00	2,20,621.00	21,07,101.00

प्रकटीकरण

बैंक अपने प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों, आदि के साथ किसी भी ऐसे महत्त्वपूर्ण भौतिक लेनदेन से असंबद्ध रहा है जो बृहत्तर स्तर पर बैंक के हितों के प्रतिकूल हो सकते थे।

बैंक द्वारा स्टाक एक्सचेंजों, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रयोज्य नियमों और विनियमों का विगत तीन वर्षों के दौरान पालन किया गया है। इनके द्वारा बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की 'सचेतक (व्हिसलब्लोयर)' योजना को अंगीकार किया है जिसमें किसी कर्मचारी द्वारा अपने कार्य स्थल पर या कहीं अन्य किए गए दुर्भावपूर्ण कार्य या अनैतिक बैंकिंग व्यवहार की सूचना उच्च प्राधिकारियों को देते हुए 'मुखबिर' के रूप में कार्य करने वाले स्टाफ सदस्य को संरक्षण प्रदान किया जाता है।

बैंक ने स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 की सभी शर्तों को पूरा किया है - बशर्ते की खंड की अपेक्षाएं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों, उन प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों या निदेशों का अतिक्रमण नहीं कर रहीं हों।

निदेशक बोर्ड का गठन, लेखा परीक्षा समिति का गठन और उसका कोरम, गैर कार्यपालक निदेशकों को प्रतिपूर्ति, सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और उनकी फीस के निर्धारण के संबंध में खण्ड 49 की सांविधिक अपेक्षाएँ बैंक पर बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमावली और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में इनके लिए अलग से प्रावधान है।

शेयरधारकों के आवास पर अर्ध-वार्षिक वित्तीय निष्पादन तथा महत्वपूर्ण घटनाएं संक्षेप में प्रेषित करने को छोड़कर बैंक ने खण्ड 49 की सभी गैर-सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत सूचना बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

Sitting Fees

The remuneration of the whole-time Directors and the sitting fees paid to the non-executive Directors for attending the meetings of the Board / Committees of the Board are as prescribed by GoI from time to time. The Directors are given a sitting fee of ₹ 5,000/- for attending every Central Board meeting and ₹ 2,500/- for attending a meeting of a Board-level Committee. Sitting fees are, however, not paid to the Chairman and Managing Directors of the Bank and GoI Nominee / RBI Nominee Directors. Details of sitting fees paid during the year 2010-11 are placed in Annexure-IV.

Salary and Allowances paid to the Chairman and Managing Directors in 2010-11.

	Basic ₹	DA ₹	Incentives ₹	Others/ Arrears ₹	Total Remuneration ₹
Chairman Shri. O. P. Bhatt (01.04.2010-31.03.2011)	9,60,000.00	4,27,200.00	6,00,000.00	1,54,906.00	21,42,106.00
Managing Directors Shri. S. K. Bhattacharyya (01.04.2010-31.10.2010)	5,60,000.00	2,46,842.40	5,00,000.00	2,13,409.33	15,20,251.73
Shri R. Sridharan (01.04.2010-31.03.2011)	9,60,000.00	4,26,480.00	5,00,000.00	2,20,621.00	21,07,101.00

Disclosure :

The Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters, Directors, or Management, their subsidiaries or relatives, etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by stock exchanges, SEBI, RBI or any other statutory authority relating to the capital markets during the last three years. No penalties or strictures have been imposed by them on the Bank.

The Bank has adopted the "Whistleblower" scheme of the CVC, which protects any staff acting as "informer" by bringing to the notice of the higher authorities of the Bank any acts of malafides or unethical banking practices adopted by an employee in his work place or elsewhere.

The Bank has complied in all respects with the requirements of Clause 49 of the Listing/Agreement with the Stock Exchanges, to the extent that the requirements of the Clause do not violate the provisions of State Bank of India Act 1955, the Rules and Regulations made thereunder, and guidelines or directives issued by the Reserve Bank of India.

Mandatory requirements of Clause 49 as to the composition of the Board of Directors, composition and quorum of the Audit Committee, Non-executive directors' compensation, the appointment, re-appointment of the Statutory Auditors and fixation of their fees are not binding on the Bank, as separate provisions in the State Bank of India Act, SBI General Regulations and the Reserve Bank of India guidelines deal with the same.

The Bank has complied with all applicable non-mandatory requirements of Clause 49, except for sending half-yearly declaration of financial performance and summary of significant events to the households of shareholders, since detailed information on the same is posted on the website of the Bank.

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने, वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक-V में हैं। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान गतिविधियाँ

बैंक में सेबी/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कारपोरेट अभिशासन के कार्यान्वयन की समीक्षा निदेशकों की आंतरिक समिति द्वारा की गई । समिति ने इस संबंध में विस्तृत सिफारिशें की जिनका अनुमोदन केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किया गया। सुधार के उपायों जिसमें बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी-वार निदेशकों का प्रकटीकरण करना और बैंक के मुख्य महाप्रबंधकों से आचार संहिता प्राप्त करने जैसी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा चुका है।

निदेशकों को सामयिक गतिविधियों से अद्यतन रखने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल की हैं :

(i) दिसम्बर 2010 के दौरान दिल्ली में इन्स्टिट्युट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टन्ट्स ऑफ इन्डिया द्वारा आयोजित वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकों के स्वतंत्र निदेशकों की इंटरेक्टिव बैठक में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के दो निदेशकों को प्रतिनियुक्त किया गया जो चार्टर्ड अकाउन्टन्ट हैं। इस बैठक में संगामी लेखा-परीक्षा, लांग फॉर्म लेखा परीक्षा समीक्षा और चार्टर्ड अकाउन्टन्टों की भूमिका जैसे पहलुओं पर चर्चा की गई।

(ii) जयपुर में 18 दिसम्बर 2010 को यूरोमनी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में युनाइटेड किंगडम के एक स्वतंत्र परामर्शदाता श्री रिचर्ड फ्लावेल द्वारा निदेशकों को जोखिम प्रबंधन पर प्रेजन्टेशन दिया गया।

(iii) सम्मिश्रित स्वामित्व संरचना वाली बड़ी इकाइयों का वित्तपोषण करते समय कानूनी पहलुओं संबंधी एक प्रेजन्टेशन 31 मार्च 2011 को केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष एक अग्रणी कानूनी फर्म द्वारा दिया गया।

संचार माध्यम

बैंक की यह दृढ़ मान्यता है कि सभी हितधारकों को बैंक के कार्यकलाप, निष्पादन और नए उत्पादों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। वर्ष 2010-11 के लिए बैंक के वार्षिक, अर्ध-वार्षिक और तिमाही परिणाम देश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए। इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट (www.sbi.co.in और www.statebankofindia.com) पर भी प्रदर्शित किया गया। वार्षिक रिपोर्ट बैंक के सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है। बैंक की वेबसाइट पर अन्य सामग्री के साथ-साथ बैंक द्वारा जारी समाचार, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट तथा विभिन्न उत्पाद-प्रस्तावों का ब्योरा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष बैंक के वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकारों के साथ एक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें बेंक के अध्यक्ष द्वारा एक प्रस्तुति तथा मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक और बैठक आयोजित की जाती है जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है और उनसे बैंक के कार्यनिष्पादन पर विस्तृत चर्चा की जाती है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचनाएँ जारी की जाती हैं।

Compliance with Bank's Code of Conduct

The Directors on the Bank's Central Board and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2010-11. Declaration to this effect signed by the Chairman is placed in Annexure-V. The Code is posted on the Bank's website.

Developments during the year

An in-house Committee of Directors reviewed the implementation of Corporate Governance principles in the Bank and made comprehensive recommendations which have been approved by the Central Board. Measures for improvement including disclosures of company-wise directorships of the Directors in the Bank's Annual Report and obtaining the Code of Conduct from Chief General Managers of the Bank recommended by the Committee have since been implemented.

In an effort to keep the Directors contemporised, the Bank took the following initiatives during the year :

(i) Two directors on the Audit Committee of the Board, Chartered Accountants by profession, were deputed to an Interactive Meeting of Officials of Ministry of Finance, Reserve Bank of India & Independent Directors on the Boards of Banks covering aspects like Concurrent Audit, LFAR and Role of Chartered Accountants in Banking Industry, organised by the Institute of Chartered Accountants of India at Delhi during December 2010.

(ii) A presentation on Risk Management, organised by Euromoney, was made by Mr. Richard Flavell, an independent UK based Consultant, to the Directors at Jaipur on 18th December 2010.

(iii) A presentation covering legal aspects of financing large conglomerates with complex ownership structures was made to the Central Board by a leading law firm on 31st March 2011.

Means of Communication

The Bank strongly believes that all stakeholders should have access to complete information on its activities, performance and product initiatives. Annual, half-yearly and quarterly results of the Bank for the year 2010-11 were published in the leading newspapers of the country. The results were also displayed on the Bank's website (www.sbi.co.in and www.statebankofindia.com). The Annual Report is sent to all shareholders of the Bank. The Bank's website displays, interalia, official news releases of the Bank, the Bank's Annual Report and Half-yearly report, and details of various product offerings. Every year, after the annual and half-yearly results are declared, a Press-meet is held on the same day, in which the Chairman makes a presentation and answers the queries of the media. This is followed by another meeting to which a number of investment analysts are invited. Details of the Bank's performance are discussed with the analysts in the meeting. After declaring quarterly results, press notifications are issued.

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना :

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा दिनांक 20.06.2011, समय अपराह्न 3.30 बजे, स्थान : "वाई.बी.चह्वान सेंटर", जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग; नरीमन पॉइंट मुंबई-400 021.

वित्तीय कैलेंडर	:	1.4.2010 से 31.3.2011
बहीबंदी की तिथि	:	24.05.2011 से 28.05.2011
₹ 30/- प्रति शेयर की दर से लाभांश का भुगतान करने की तिथि	:	13.6.2011
इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	:	भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों के लाभांशों का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भी किया जा रहा है।
शेयर बाजार जिनमें सूचीकरण किया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज	:	मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई (जीडीआर लंदन शेयर बाजार (एलएसई) में सूचीकृत हैं) लंदन शेयरबाजार (एलएसई) सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।
स्टाक कोड	:	500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई)
शेयर-अंतरण प्रणाली	:	शेयर अंतरण की कार्रवाई कागज़ के रूप में की जाती है तथा निर्धारित समयावधि में इसे शेयरधारक को लौटा दिया जाता है। एक स्वतंत्र निजी कंपनी सचिव द्वारा अर्ध-वार्षिक अंतरण लेखा परीक्षा तथा सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार तिमाही सचिव लेखा परीक्षा नियमित रूप से की जाती है।
पंजीयक और अंतरण एजेंट तथा उनका पता	:	मेसर्स डाटामैटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड, यूनिट : भारतीय स्टेट बैंक, प्लॉट बी-5 एमआईडीसी, पार्ट बी, क्रॉस लेन, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093
बोर्ड फोन नं.	:	022-6671 2151 से 2156 तक (पूर्वाहन 10.00 बजे अपराहन 1.00 बजे तथा अवराहन 2.00 बजे से 4.30 बजे तक)
डायरेक्ट नं.	:	022-6671 2198/99 022-6671 2201 से 6671 2203 तक
ई-मेल पता	:	sbi_eq@dfssl.com
फैक्स	:	(022) 6671 2204
पत्र व्यवहार के लिए पता	:	भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बांड विभाग, केंद्रीय कार्यालय, तीसरी मंजिल, वर्मा चेंबर्स, 11 होम्जी स्ट्रीट, हॉर्निमन सर्कल, फोर्ट, मुंबई-400 001
टेलीफोन	:	(022) 2263 3462 से 2263 3468 तक
फैक्स	:	(022) 2263 3470 और 2263 3471
ई-मेल पता	:	gm.snb@sbi.co.in

बकाया जीडीआर

31.03.2011 को 90,52,680 (जीडीआर) से संबंधित 1,81,05,360 शेयर

शेयरों को कागज़रहित बनाना और चलनिधि

रूप	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की %	फोलियो संख्या	कुल फोलियो का %
कागज़ रूप में	11608358	1.83%	227524	31.22%
कागज़ रहित	623390633	98.17%	501205	68.78%
कुल	634998991	100.00%	728729	100.00%

General Shareholder Information:

The Annual General Meeting of the Shareholders: Date: 20.06.2011, Time 3.30 p.m. Venue: "Y. B. Chavan Centre", General Jagannath Bhosale Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021.

Financial Calendar	:	01.4.2010 to 31.03.2011
Period of Book Closure	:	24.05.2011 to 28.05.2011
Dividend @ ₹ 30/- per Share		
Payment Date	:	13.06.2011
Electronic Clearing	:	Dividend on SBI shares is also being paid through various electronic modes
Listing on Stock Exchanges	:	Mumbai, Ahmedabad, Kolkata, New Delhi, Chennai and National Stock Exchange, Mumbai. [GDRs listed on London Stock Exchange (LSE)] Listing fees have been paid upto date to all Stock Exchanges including LSE.
Stock Code	:	500112 (BSE) SBIN (NSE)
Share Transfer System	:	Share transfers in Physical form are processed and returned to the shareholders within stipulated time. Half yearly Transfer Audit and Quarterly Secretarial Audit in terms of the Listing Agreements are regularly carried out by an independent private Company Secretary.
Registrar and Transfer Agent and their Address	:	M/s Datamatics Financial Services Limited, Unit : State Bank of India, Plot B-5, MIDC, Part B, Cross Lane, Marol, Andheri (E), Mumbai 400 093.
Board Phone Numbers	:	022-6671 2151 to 56 (between 10 a.m. to 1.00 p.m. and 2 p.m. to 4.30 p.m.)
Direct Numbers	:	022-6671 2198 / 99 022-6671 2201 to 6671 2203
E-mail address	:	sbi_eq@dfssl.com
Fax	:	(022) 6671 2204
Address for Correspondence	:	State Bank of India Shares & Bonds Department, Central Office, 3rd Floor, Varma Chambers, 11 Homji Street, Horniman Circle, Fort, Mumbai 400 001.
Telephones	:	(022) 2263 3462 To 2263 3468
Fax	:	(022) 2263 3470 & 2263 3471
E-mail address	:	gm.snb@sbi.co.in

Outstanding Global Depository Receipts (GDR)

The Bank had 90,52,680 GDRs as on 31.03.2011 representing 1,81,05,360 shares.

Dematerialization of Shares and Liquidity

Mode	No. of Shares	% of Total Shares	Folio Nos.	% of Total Folios
Physical	11608358	1.83%	227524	31.22%
Demat	623390633	98.17%	501205	68.78%
Total	634998991	100.00%	728729	100.00%

शेयर-कीमत में उतार-चढ़ाव

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स / एनएसई निफ्टी निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। बैंक के शेयरों का 31.03.2011 को बीएसई सेंसेक्स में बाजार पूंजीकरण 5.09% और एनएसई निफ्टी में 4.06% था।

तालिका : बाजार भाव आंकड़े (बंद भाव)

मास	बीएसई में भारतीय स्टेट बैंक के शेयर का भाव (₹)		बीएसई सेंसेक्स	
	उच्चतम	न्यूनतम	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल-10	2318.80	2015.00	18047.86	17276.80
मई-10	2348.80	2138.00	17536.86	15960.15
जून-10	2402.50	2201.00	17919.62	16318.39
जुलाई-10	2519.90	2254.40	18237.56	17395.58
अगस्त-10	2884.00	2511.00	18475.27	17819.99
सितंबर-10	3268.00	2738.75	20267.98	18027.12
अक्तूबर-10	3322.00	3077.00	20854.55	19768.96
नवम्बर-10	3515.00	2777.00	21108.64	18954.82
दिसंबर-10	3172.00	2655.70	20552.03	19074.57
जनवरी-11	2852.45	2468.80	20664.80	18038.48
फरवरी-11	2813.40	2478.60	18690.97	17295.62
मार्च-11	2888.00	2523.55	19575.16	17792.17

बीएसई सेंसेक्स/एसबीआई शेयर के बाजार भाव आंकड़े

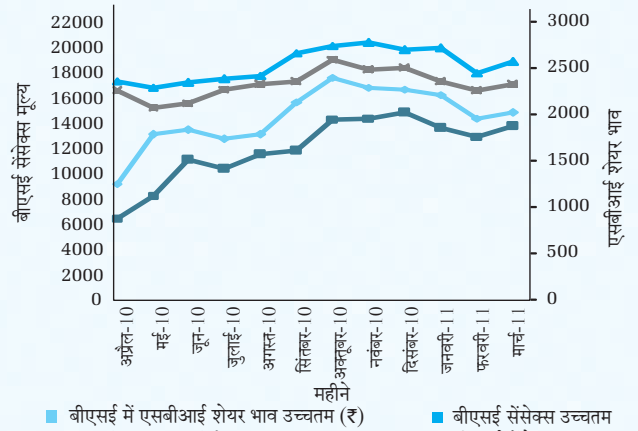

तालिका : बाजार भाव आंकड़े (बंद भाव)

मास	एनएसई में भारतीय स्टेट बैंक के शेयर का भाव (₹)		एनएसई निफ्टी	
	उच्चतम	न्यूनतम	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल-10	2318.90	2012.00	5399.65	5160.90
मई-10	2349.00	2138.00	5278.70	4786.45
जून-10	2630.10	2202.10	5366.75	4961.05
जुलाई-10	2522.00	2253.55	5477.50	5225.60
अगस्त-10	2884.80	2512.00	5549.80	5348.90
सितंबर-10	3274.70	2737.25	6073.50	5403.05
अक्तूबर-10	3324.85	3076.00	6284.10	5937.10
नवम्बर-10	3515.00	2775.00	6338.50	5690.35
दिसंबर-10	3173.60	2655.50	6147.30	5721.15
जनवरी-11	2852.00	2463.10	6181.05	5416.65
फरवरी-11	2814.75	2476.30	5599.25	5177.70
मार्च-11	2888.50	2520.45	5872.00	5348.20

एनएसई निफ्टी/एसबीआई शेयर के बाजार भाव आंकड़े

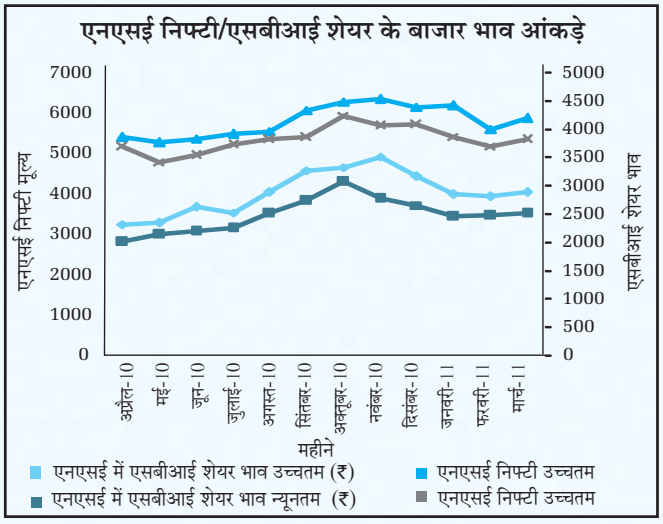

Share Price Movement:

The movement of the share price and the BSE Sensex / NSE Nifty is presented in the following Tables. The market capitalisation of the Bank's shares had a weightage of 5.09% in BSE Sensex and 4.06% in NSE Nifty as on 31.03.2011.

Table : Market Price Data
(Closing Values)

Months	SBI's Share Price at BSE (₹)		BSE Sensex	
	High	Low	High	Low
Apr-10	2318.80	2015.00	18047.86	17276.80
May-10	2348.80	2138.00	17536.86	15960.15
Jun-10	2402.50	2201.00	17919.62	16318.39
Jul-10	2519.90	2254.40	18237.56	17395.58
Aug-10	2884.00	2511.00	18475.27	17819.99
Sep-10	3268.00	2738.75	20267.98	18027.12
Oct-10	3322.00	3077.00	20854.55	19768.96
Nov-10	3515.00	2777.00	21108.64	18954.82
Dec-10	3172.00	2655.70	20552.03	19074.57
Jan-11	2852.45	2468.80	20664.80	18038.48
Feb-11	2813.40	2478.60	18690.97	17295.62
Mar-11	2888.00	2523.55	19575.16	17792.17

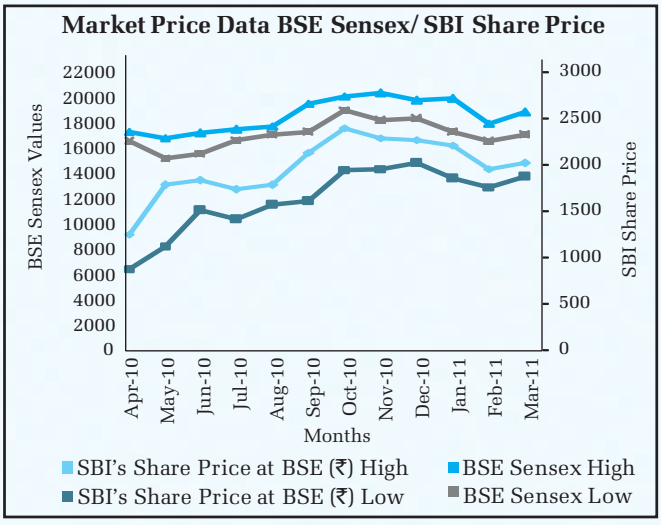

Table : Market Price Data
(Closing Values)

Months	SBI's Share Price at NSE (₹)		NSE NIFTY	
	High	Low	High	Low
Apr-10	2318.90	2012.00	5399.65	5160.90
May-10	2349.00	2138.00	5278.70	4786.45
Jun-10	2630.10	2202.10	5366.75	4961.05
Jul-10	2522.00	2253.55	5477.50	5225.60
Aug-10	2884.80	2512.00	5549.80	5348.90
Sep-10	3274.70	2737.25	6073.50	5403.05
Oct-10	3324.85	3076.00	6284.10	5937.10
Nov-10	3515.00	2775.00	6338.50	5690.35
Dec-10	3173.60	2655.50	6147.30	5721.15
Jan-11	2852.00	2463.10	6181.05	5416.65
Feb-11	2814.75	2476.30	5599.25	5177.70
Mar-11	2888.50	2520.45	5872.00	5348.20

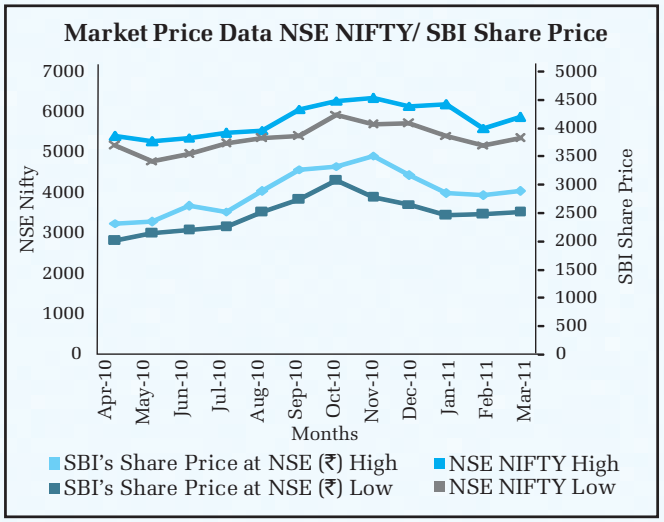

निवेशकों की आवश्यकताएं

निवेशकों की शेयरधारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुंबई में बैंक के कारपोरेट केंद्र में एक पूर्ण व्यवस्थित विभाग - शेयर एवं बांड विभाग - और 14 स्थानीय प्रधान कार्यालयों में शेयर एवं बांड कक्ष हैं। निवेशकों की शिकायतें, चाहे बैंक कार्यालयों को या पंजीयक और अंतरण-एजेंटों को मिली हों, तुरंत ध्यान देकर उनका निवारण किया जाता है। इस कार्य की निगरानी शीर्ष प्रबंधन स्तर पर की जाती है।

तालिका : शेयरधारिता का वितरण
(31.03.2011 की स्थिति के अनुसार)

शेयरधारक	धारित शेयरों का प्रतिशत
भारत की राष्ट्रपति	59.40%
अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक / विदेशी कारपोरेट निकाय) अनिवासी भारतीय / जीडीआर)	15.77%
राज्य सरकारें / बीमा कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाएं / बैंक	12.20%
म्यूचुअल फंड / सरकारी कंपनियाँ / भारतीय यूनिट ट्रस्ट	4.22%
देश की कंपनियाँ / निजी कारपोरेट निकाय / न्यास	2.69%
निवासी व्यक्तियों सहित अन्य	5.72%
शेयरधारकों की संख्या	728729
कागज़ रहित शेयरों की संख्या (62,33,90,633)	98.17%

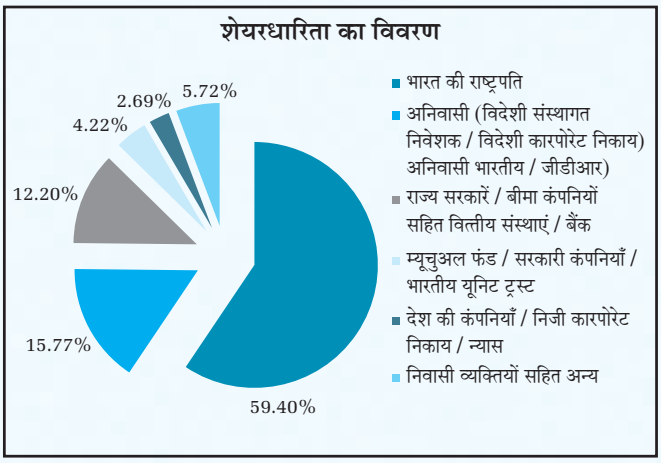

तालिका : बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक
(31.03.2011 की स्थिति के अनुसार)

धारक का नाम	शेयर धारिता (%)
1. भारत की राष्ट्रपति	59.40
2. भारतीय जीवन बीमा निगम एवं समूह	11.26
3. दि बैंक आफ न्यूयार्क मेलॉन (जीडीआर)	2.85
4. एचएसबीसी बैंक (मॉरिशस) लि. खाता सिनामन कैपिटल लि.	2.13
5. गोल्डमैन एसएसीएचएस इन्वेस्टमेंट्स (मॉरिशस) लि.	0.84
6. एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड खाता एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड मॉरिशस लि.	0.69
7. यूरोपेसिफिक ग्रोथ फंड	0.51
8. भारतीय साधारण बीमा निगम	0.49
9. कॉफथेल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट. लि.	0.48
10. द हार्टफोर्ड कैपिटल अप्रीसिएशन फंड	0.45

Investors' Needs:

To meet various requirements of the investors regarding their holdings, the Bank has a full-fledged Department - Shares & Bonds Department - at Mumbai and Shares & Bonds Cells at the 14 Local Head Offices. The investors' grievances, whether received at the Banks offices or at the office of the Registrar and Transfer Agents, are redressed expeditiously and monitored at the Top Management level.

Table : Distribution of Shareholdings (As on 31-03-2011)

Shareholders	% of shares held
President of India	59.40%
Non-residents (FIIs / OCBs / NRIs / GDRs)	15.77%
State Govt.(s) / Financial Institutions including Insurance Companies / Banks	12.20%
Mutual Funds/ Government Companies / UTI	4.22%
Domestic companies / Pvt. Corporate Bodies / Trusts	2.69%
Others including Resident individuals	5.72%
No. of Shareholders	728729
No. of Shares in dematerialised form (62,33,90,633)	98.17%

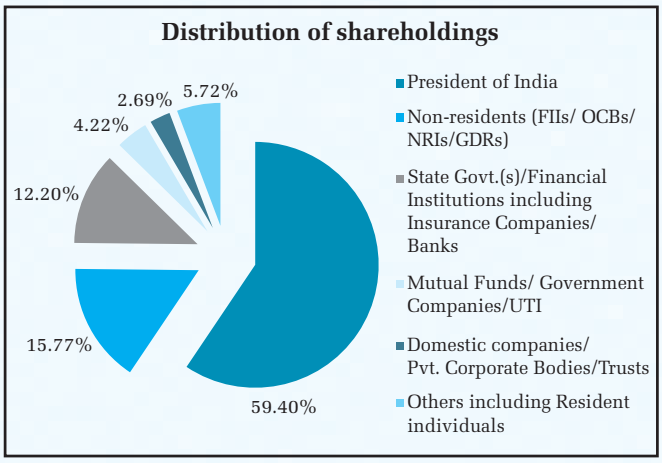

Table : Top Ten Shareholders of the Bank (As on 31-03-2011)

Name of the Holder	Equity held (%)
1. President of India	59.40
2. Life Insurance Corp. of India & Group	11.26
3. The Bank of New York Mellon (GDRs)	2.85
4. HSBC Bank (Mauritius) Limited A/C Cinnamon Capital Limited	2.13
5. Goldman SACHS Investments (Mauritius) Ltd.	0.84
6. HSBC Global Investment Funds A/c HSBC Global Investment Funds Mauritius Limited	0.69
7. Europacific Growth Fund	0.51
8. General Insurance Corporation of India	0.49
9. Copthall Mauritius Investment Ltd.	0.48
10. The Hartford Capital Appreciation Fund	0.45

अनुलग्नक I

दिनांक 17 मई 2011 को गैर-कार्यपालक निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

डॉ. अशोक झुनझुनवाला

(जन्मतिथि : 22 जून 1953)

डॉ. अशोक झुनझुनवाला भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत 24 जून 2008 से तीन वर्ष के लिए शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक हैं। डॉ. झुनझुनवाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हैं तथा संस्थान के दूर संचार और कंप्यूटर नेटवर्क समूह (टेलीनेट) के प्रमुख हैं। यह विभाग दूर संचार और कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली के विकास से जुड़े उद्योग के साथ अच्छे तालेमल के साथ कार्य कर रहा है।

श्री दिलीप सी. चौकसी

(जन्मतिथि : 26 दिसम्बर 1949)

श्री दिलीप सी. चौकसी भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत 24 जून 2008 से तीन वर्ष के लिए शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक हैं। वे पिछले 35 वर्षों से सक्रिय सनदी लेखाकार हैं और सी3 एडवाइज़र्स प्रा. लि. के मुख्य परामर्शदाता हैं। वे यूनिवर्सल ट्रस्टीज़ प्रा. लि. के प्रवर्तक तथा वर्ल्ड टैक्स सर्विसेज़ इंडिया प्रा. लि. सहित कुछ कंपनियों में निदेशक हैं। वे योग्यता प्राप्त लागत लेखाकार एवं अधिवक्ता है तथा ड़ेलोइट कंपनी की स्थापित करने में उनका प्रमुख योगदान था और वे इस कंपनी के संयुक्त प्रबंध भागीदार थे। वे बैंकर्स प्रशिक्षण कालेज, भारतीय रिजर्व बैंक एवं जमनालाल बजाज प्रबंध अध्ययन संस्थान, मुंबई के अतिथि वक्ता रहे हैं।

श्री एस. वैंकटाचलम

(जन्मतिथि : 8 नवम्बर 1944)

श्री एस. वैंकटाचलम भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत 24 जून 2008 से तीन वर्ष के लिए शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक हैं। वे सक्रिय सनदी लेखाकार हैं और सिटी ग्रुप एवं सिटी बैंक एनए इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में 30 वर्षों से वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी के विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं।

श्री डी. सुंदरम

(जन्मतिथि : 16 अप्रैल 1953)

श्री डी. सुंदरम भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत 13 जनवरी 2009 से श्री सुमन कुमार बेरी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण उत्पन्न रिक्ति की शेष अवधि हेतु अर्थात् 23 जून 2011 तक शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक हैं। वे टीवीएस कैपिटल फंड्स लिमिटेड के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। वे पेशेवर योग्यताप्राप्त अकाउंटेंट (एफआईसीडब्ल्यूए) हैं और वित्त तथा लेखा के क्षेत्र में वृहद् अनुभव रखते हैं। वे हिंदुस्तान यूनीलीवर लि. (एचयूएल) के उपाध्यक्ष एवं मुख्य वित्त अधिकारी, कारपोरेट अकाउंटेंट वाणिज्यिक प्रबंधक एवं कोषपाल, वित्त सदस्य, टॉमको इंटीग्रेशन टीम एवं वित्त निदेशक, ब्रुक बॉण्ड लिप्टन इंडिया लि. जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। वे यूनीलीवर लि., लंदन में अफ्रीका एवं मध्य पूर्व हेतु वाणिज्यिक अधिकारी तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वित्त, केंद्रीय एवं मध्यपूर्व समूह जैसे विभिन्न पदों पर भी कार्यरत रहे हैं।

डॉ. राजीव कुमार

(जन्मतिथि : 6 जुलाई 1951)

डॉ. राजीव कुमार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(घ) के अंतर्गत 08 सितंबर 2008 से केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वे एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने न्यू कॉलेज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल किया है। वे वर्तमान में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) के महासचिव हैं। इससे पहले वे आईसीआरआईईआर के निदेशक एवं प्रमुख कार्यपालक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य, भारतीय उद्योग महासंघ के प्रमुख अर्थशास्त्री और एशिया विकास बैंक के साथ थे।

श्री रशपाल मल्होत्रा

(जन्मतिथि : 10 नवम्बर 1936)

श्री रशपाल मल्होत्रा, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 10 मई 2011 से 1 वर्ष तथा 3 माह के लिए भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वे ग्रामीण तथा औद्योगिक विकास अनुसंधान केंद्र (सीआरआरआईडी) चण्डीगढ़ के संस्थापक निदेशक रहे हैं तथा वर्तमान में वे इसके कार्यपालक उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले श्री मल्होत्रा इलाहाबाद बैंक तथा बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में निदेशक रहे हैं।

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ

(जन्मतिथि : 20 जून 1949)

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(च) के अंतर्गत 28 सितंबर 2004 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक हैं। श्रीमती गोपीनाथ भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर हैं।

श्री. जी. डी. नडाफ

(जन्मतिथि : 1 जून 1952)

श्री. जी. डी. नडाफ, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (गख) के अंतर्गत 4 नवम्बर 2010 से भारत सरकार द्वारा नामित अधिकारी कर्मचारी निदेशक हैं।

श्री शशिकांत शर्मा

(जन्मतिथि : 25 सितम्बर 1952)

श्री शशिकांत शर्मा, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ड.) के अंतर्गत 18 फरवरी 2011 से भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री शशिकांत शर्मा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में सचिव (वित्तीय सेवाएं) हैं।

Annexure I

Brief Resumes of the Non-Executive Directors on the Board as on 17th May 2011

Dr. Ashok Jhunjhunwala
(Date of Birth: 22nd June 1953)

Dr. Ashok Jhunjhunwala is a Director elected by the Shareholders u/s 19(c) of SBI Act, w.e.f. 24th June 2008, for three years. He is a Professor of the Department of Electrical Engineering, and leads the Telecommunications and Computer Network Group (TeNeT) at IIT, Chennai, that is working closely with industry in the development of a number of Telecom and Computer Network Systems.

Shri Dileep C. Choksi
(Date of Birth: 26th December 1949)

Shri Dileep C. Choksi is a Director elected by the Shareholders u/s 19(c) of SBI Act, w.e.f. 24th June 2008, for three years. He is a practising Chartered Accountant since 35 years and is the Chief Mentor of C3 Advisors P. Ltd. and promotor of Universal Trustees P. Ltd. and director in several companies including World Tax Service India P. Ltd. He is also a qualified Cost Accountant and Lawyer and was a leader in establishing Deloitte, of which he was the Joint Managing Partner. He has been a visiting faculty at Bankers Training College, Reserve Bank of India and Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, Mumbai.

Shri S. Venkatachalam
(Date of Birth: 8th November 1944)

Shri S. Venkatachalam is a Director elected by the Shareholders u/s 19(c) of SBI Act, w.e.f. 24th June 2008, for three years. He is a practising Chartered Accountant and was employed with Citigroup and Citibank NA India Organisation in the Senior Management Cadre for a period of 30 years in various capacities.

Shri D. Sundaram
(Date of Birth: 16th April 1953)

Shri D. Sundaram is a Director elected by the Shareholders u/s 19(c) of SBI Act, w.e.f. 13th January 2009, for the residual period of the vacancy caused by Shri Suman Kumar Bery's resignation, i.e upto 23rd June 2011. He is Vice Chairman and Managing Director of TVS Capital Funds Limited. He is a professionally qualified Accountant (FICWA) and carries a rich experience in the area of Finance and Accounting. He held many important positions in Hindustan Unilever Ltd. (HUL) group as Vice-Chairman & CFO, Corporate Accountant, Commercial Manager and Treasurer, Finance Member, TOMCO Integration Team, and Finance Director, Brooke Bond Lipton India Ltd. He had also held various positions in Unilever Ltd., London as Commercial Officer for Africa and Middle East and Senior Vice President – Finance, Central and Middle East Group.

Dr. Rajiv Kumar
(Date of Birth: 6th July 1951)

Dr. Rajiv Kumar is a Director nominated by the Central Government u/s 19(d) of the SBI Act, w.e.f. 8th September 2008. He is an eminent economist having completed his D.Phil from New College, Oxford University. He is presently the Secretary General of FICCI. Earlier, he was the Director and Chief Executive, ICRIER and member of National Security Advisory Board, Chief Economist of Confederation of Indian Industry (CII) and with the Asian Development Bank.

Shri Rashpal Malhotra
(Date of Birth: 10th November 1936)

Shri Rashpal Malhotra is a Director nominated by the Central Government u/s 19(d) of the SBI Act, w.e.f. 10th May 2011 for one year and three months. He is the Founder Director of Centre for Research in Rural and Industrial Development (CRRID), Chandigarh and presently its Executive Vice-Chairman. Earlier, Shri Malhotra was a Director on the Boards of Allahabad Bank and Bank of India.

Smt. Shyamala Gopinath
(Date of Birth: 20th June 1949)

Smt. Shyamala Gopinath is a Director u/s 19(f) of SBI Act (nominated by Reserve Bank of India), w.e.f. 28th September 2004. Smt. Gopinath is Deputy Governor, Reserve Bank of India.

Shri G. D. Nadaf
(Date of Birth : 1st June 1952)

Shri G.D. Nadaf is an Officer Employee director u/s 19(cb) of SBI Act (nominated by Govt. of India) w.e.f. 4th November 2010.

Shri Shashi Kant Sharma
(Date of Birth : 25th September 1952)

Shri Shashi Kant Sharma is a Director u/s 19(e) of SBI Act (nominated by Govt. of India) w.e.f. 18th February 2011. Shri Shashi Kant Sharma is Secretary, Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India.

अनुलग्नक II

31.03.2011 को निदेशक बोर्ड/बैंक/अन्य कंपनियों की बोर्ड स्तरीय समितियों@ की कुल संख्या जिनमें निदेशक बोर्ड के निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं

निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	बैंक सहित कंपनियों की संख्या	
1. श्री ओ. पी. भट्ट	अध्यक्ष नंबर 5, डुनेडीन जे. एम. मेहता रोड मुंबई 400 006.	26.04.2006 (01.07.2006 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त तथा 31.03.2011 को कारोबार की समाप्ति पर सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष निदेशक	20 2
2. श्री आर. श्रीधरन	प्रबंध निदेशक एम-1, किन्नेलन टॉवर्स 100 ए, नेपियन सी रोड मुंबई 400 006.	05.12.2008	निदेशक समिति अध्यक्ष समिति सदस्य	13 1 9
गैर-कार्यपालक निदेशक				
3. डॉ. अशोक झुनझुनवाला	प्रोफेसर टेलिकॉम एवं नेटवर्क (टेलीनेट) ग्रुप, डिपार्टमेंट आफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी, मद्रास चेन्नई 600 036.	24.06.2008	निदेशक समिति अध्यक्ष समिति सदस्य	8 1 5
4. श्री दिलीप सी. चौकसी	सनदी लेखाकार सी 3 एडवाइजर्स प्रा.लि. मफतलाल हाउस, बैकबे रिक्लेमेशन, मुंबई 400 020.	24.06.2008	निदेशक समिति अध्यक्ष समिति सदस्य	11 4 5
5. श्री एस. वैंकटाचलम	सेवानिवृत्त बैंक कार्यपालक बिल्डिंग बी-1, फ्लैट 1-डी (पहली मंजिल) हार्बर हाइट्स एन. ए. सावंत मार्ग, कोलाबा मुंबई 400 005.	24.06.2008	निदेशक समिति सदस्य	3 5

@ शेयर बाजार में सूचीकरण करार के खंड 49 के पैरा I (सी) (ii) का विधिवत अनुपालन करते हुए केवल लेखा-परीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को दर्शाया गया है।

Annexure II

Total Number of Memberships/Chairmanships held by the Directors on the Boards/ Board-level Committees of the Bank@/Other Companies as on 31.03.2011

Name of Director	Occupation & Address	Appointed to Board since	Number of Companies including Bank (Details given in Annexure II A)
1. Shri O. P. Bhatt	Chairman No.5, Dunedin, J.M. Mehta Road, Mumbai 400 006.	26.04.2006 (Appointed as Chairman w.e.f. 01.07.2006 retired as at the close of business on 31.03.2011)	Chairman 20 Director 2
2. Shri R. Sridharan	Managing Director M-1, Kinnellan Towers, 100A, Napean Sea Road, Mumbai 400 006.	05.12.2008	Director 13 Chairman of Committee 1 Committee Member 9
Non-Executive Directors			
3. Dr. Ashok Jhunjhunwala	Professor, Telecom & Networks (TeNeT) Group Department of Electrical Engineering, IIT Madras, Chennai - 600 036.	24.06.2008	Director 8 Chairman of Committee 1 Committee Member 5
4. Shri Dileep C. Choksi	Chartered Accountant C3 Advisors Pvt. Ltd. Mafatlal House Backbay Reclamation Mumbai - 400 020.	24.06.2008	Director 11 Chairman of Committee 4 Committee Member 5
5. Shri S. Venkatachalam	Retired Bank Executive Building B-1, Flat 1-D (First Floor) Harbour Heights, NA Sawant Marg, Colaba, Mumbai - 400 005.	24.06.2008	Director : 3 Committee Member : 5

@ Only Memberships/Chairmanships of Audit Committee and Shareholders'/Investors' Grievance Committee are reckoned in due compliance with para I (C) (ii) Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchange.

अनुलग्नक II (जारी)

निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	बैंक सहित कंपनियों की संख्या	
6. श्री डी. सुंदरम	उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक टीवीएस कैपिटल फंड्स लि. आईएल एंड एफएस फाइनैंशियल सेंटर क्वाड्रेंट बी, दूसरी मंजिल, बीकेसी बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051.	13.01.2009	निदेशक अध्यक्ष	7 4
7. डॉ. राजीव कुमार	महासचिव एफआईसीसीआई फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली - 110 001.	08.09.2008	निदेशक	1
8. श्री जी. डी. नडाफ अधिकारी कर्मचारी निदेशक	उप प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय प्रधान कार्यालय, बंगलूर - 560 001.	04.11.2010	निदेशक	1
9. श्री शशि कांत शर्मा (भारत सरकार द्वारा नामित)	सचिव (वित्तीय सेवाएं) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (बैंकिंग प्रभाग) जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001.	18.02.2011	निदेशक समिति सदस्य	3 1
10. श्रीमती श्यामला गोपीनाथ (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित)	उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई 400 001.	28.09.2004	निदेशक समिति सदस्य	4 1

@ शेयर बाजार में सूचीकरण करार के खंड 49 के पैरा I (सी) (ii) का विधिवत अनुपालन करते हुए केवल लेखा-परीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को दर्शाया गया है।

Annexure II (contd.)

Name of Director	Occupation & Address	Appointed to Board since	Number of Companies including Bank (Details given in Annexure II A)	
6. Shri D. Sundaram	Vice Chairman & Managing Director, TVS Capital Funds Ltd. IL&FS Financial Centre, Quadrant B, 2nd floor, BKC, Bandra (E), Mumbai 400 051.	13.01.2009	Director Chairman	7 4
7. Dr. Rajiv Kumar	Secretary General FICCI, Federation House, Tansen Marg, New Delhi 110 001.	08.09.2008	Director	1
8. Shri G. D. Nadaf Officer Employee Director	Dy.Manager State Bank of India, Local Head Office, Bangalore - 560 001.	4.11.2010	Director	1
9. Shri Shashi Kant Sharma (GOI Nominee)	Secretary (Financial Services), Ministry of Finance Government of India (Banking Division), Jeevan Deep Bldg., Parliament Street, New Delhi - 110 001.	18.02.2011	Director Committee Member	3 1
10. Smt. Shyamala Gopinath (Reserve Bank of India Nominee)	Deputy Governor RBI, Central Office, Shaheed Bhagat Singh Road, Mumbai - 400 001.	28.09.2004	Director Committee Member	4 1

@ Only Memberships/Chairmanships of Audit Committee and Shareholders'/Investors' Grievance Committee are reckoned in due compliance with para I (C) (ii) Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchange.

अनुलग्नक II क

31.03.2011 को निदेशक बोर्ड / बैंक@ / अन्य कंपनियों की बोर्ड स्तरीय समितियों की कुल संख्या जिनमें निदेशक बोर्ड के निदेशक सदस्य/ अध्यक्ष हैं।

(@केवल लेखापरीक्षा समिति एवं शेयधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति की सदस्यता / अध्यक्षता की गणना की गई है)

1. श्री. ओ. पी. भट्ट

क्र. संख्या	कंपनी की नाम/संस्था/सोसायटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष
1	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	अध्यक्ष
3	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	अध्यक्ष
4	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	अध्यक्ष
5	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	अध्यक्ष
6	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	अध्यक्ष
7	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	अध्यक्ष
8	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	अध्यक्ष
9	एसबीआई (मॉरिशस) लि.	अध्यक्ष
10	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	अध्यक्ष
11	एसबीआई फैक्टर्स एण्ड कॉमर्शियल सर्विसेस प्रा. लि.	अध्यक्ष
12	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	अध्यक्ष
13	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	अध्यक्ष
14	एसबीआईकैप्स वैंचर्स लि.	अध्यक्ष
15	एसबीआई डीएफएचआई लि.	अध्यक्ष
16	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	अध्यक्ष
17	ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लि.	अध्यक्ष
18	एसबीआई कस्टोडियल सर्विसेस प्रा. लि.	अध्यक्ष
19	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	अध्यक्ष
20	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	अध्यक्ष
21	एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया	निदेशक
22	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	निदेशक

Annexure II A

Total Number of Memberships/Chairmanships held by the Directors on the Boards/ Board-level Committees of the Bank@/Other Companies as on 31.03.2011

(@ Only Memberships/Chairmanships of Audit Committee and Shareholders'/Investors' Grievance Committee are reckoned)

1. Shri O. P. Bhatt:

S. No.	Name of the Company/Name of the Concern/Society	Member/Director/Chairman
1	State Bank of India	Chairman
2	State Bank of Patiala	Chairman
3	State Bank of Bikaner & Jaipur	Chairman
4	State Bank of Hyderabad	Chairman
5	State Bank of Mysore	Chairman
6	State Bank of Travancore	Chairman
7	State Bank of India (California)	Chairman
8	State Bank of India (Canada)	Chairman
9	SBI (Mauritius) Ltd.	Chairman
10	SBI Funds Management P. Ltd.	Chairman
11	SBI Factors & Commercial Services P. Ltd.	Chairman
12	SBI Life Insurance Company Ltd.	Chairman
13	SBI Capital Markets Ltd.	Chairman
14	SBICAPS Ventures Ltd.	Chairman
15	SBIDFHI Ltd.	Chairman
16	SBI Cards & Payment Services P. Ltd.	Chairman
17	Global Trade Finance Ltd.	Chairman
18	SBI Custodial Services P. Ltd.	Chairman
19	SBI Pension Funds P. Ltd.	Chairman
20	SBI General Insurance Company Ltd.	Chairman
21	Export Import Bank of India	Director
22	GE Capital Business Process Management Services P. Ltd.	Director

अनुलग्नक II क (जारी)

2. श्री आर. श्रीधरन

क्रम संख्या	कंपनी का नाम / संस्था / सोसायटी का नाम	सदस्य/निदेशक/ अध्यक्ष	समिति(यों)@ का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिती-सदस्य, बोर्ड की शेयर धारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-सदस्य
2	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य
3	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य
4	एसबीआई डीएफएचआई लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य
5	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य
6	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य
7	एसबीआई कैप वेंचर्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-**अध्यक्ष**
8	एसबीआई कैप (यूके) लि.	निदेशक	---
9	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य
11	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य
12	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	निदेशक	—
13	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	निदेशक	—

3. डॉ. अशोक झुनझुनवाल

क्रम संख्या	कंपनी का नाम / संस्था / सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति(यों)@का नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	पोलैरिस सॉफ्टवेयर लैब लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य, बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-सदस्य
2	तेजस नेटवर्क लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य
3	सासकेन कम्युनिकेशन्स टेक्नोलॉजीस लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य
4	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य
5	टाटा टेलिसर्विसेस (महाराष्ट्र) लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-अध्यक्ष
6	श्री आई इन्फोटेक लि.	निदेशक	—
7	टाटा कम्युनिकेशन्स लि.	निदेशक	—
8	एक्जिकॉम टेलि-सिस्टम्स् लि.	निदेशक	—

Annexure II A (contd.)

2. Shri R. Sridharan

S. No.	Name of the Company/ Name of the Concern/Society	Member/Director/ Chairman	Name(s) of the Committee(s)@
1	State Bank of India	Managing Director	Audit Committee of the Board-Member Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board-Member
2	SBI Capital Markets Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
3	SBICAP Securities Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
4	SBI DFHI Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
5	SBI Life Insurance Company Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
6	SBI Global Factors Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
7	SBICAPS Ventures Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-**Chairman**
8	SBICAP (UK) Ltd.	Director	—
9	SBI Pension Funds P. Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
11	SBI General Insurance Company Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
12	State Bank of Patiala	Director	—
13	State Bank of Hyderabad	Director	—

3. Dr. Ashok Jhunjhunwala

S. No.	Name of the Company/ Name of the Concern/Society	Director	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member@
1	Polaris Software Lab Limited	Director	Audit Committee of the Board-Member Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board-Member
2	Tejas Networks Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
3	Sasken Communications Technologies Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
4	State Bank of India	Director	Audit Committee of the Board-Member
5	Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-**Chairman**
6	3i Infotech Ltd.	Director	—
7	Tata Communications Ltd.	Director	—
8	Exicom Tele-Systems Ltd.	Director	—

अनुलग्नक II क (जारी)

क्रम संख्या	कंपनी का नाम / संस्था / सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का नाम अध्यक्ष/सदस्य @
4. श्री दिलीप सी. चौकसी			
1	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य
2	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल असेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य
3	एनएसई आईटी लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-**अध्यक्ष**
4	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-**अध्यक्ष** बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-सदस्य
5	रिलायन्स जीनी मेडिक्स पीएलसी	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-**अध्यक्ष**
6	श्री आई इन्फोटेक लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-**अध्यक्ष**
7	आईसीआईसीआई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य
8	अहमदाबाद कमोडिटो एक्सचेंज लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य
9	वर्ल्ड टैक्स सर्विस इंडिया प्रा. लि.	निदेशक	—
10	यूनिवर्सल ट्रस्टीज़ प्रा. लि.	निदेशक	—
11	डाटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेस लि.	निदेशक	—
5. श्री एस. वैंकटाचलम			
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य, बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-सदस्य
2	भारती एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य
3	ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेस सॉफ्टवेयर लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य, बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-समिति
6. श्री डी. सुंदरम			
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-**अध्यक्ष**
2	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-**अध्यक्ष**
3	टीवीएस कैपिटल फंड्स लि.	प्रबंध निदेशक	—
4	टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-**अध्यक्ष**
5	ग्लैक्सो स्मिथ क्लिन फार्मा	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-**अध्यक्ष**
6	नाइन डॉट नाइन मीडियावर्क्स प्रा. लि.	निदेशक	—
7	मेडप्लस हेल्थ सर्विसेस प्रा. लि.	निदेशक	—

Annexure II A (contd.)

S. No.	Name of the Company/ Name of the Concern/Society	Director	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member@
4. Shri Dileep C. Choksi			
1	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
2	ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
3	NSE. IT Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-**Chairman**
4	State Bank of India	Director	Audit Committee of the Board-**Chairman** Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board-Member
5	Reliance Gene Medix Plc	Director	Audit Committee of the Board- **Chairman**
6	3i Infotech Ltd.	Director	Audit Committee of the Board- **Chairman**
7	ICICI Housing Finance Company Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
8	Ahmedabad Commodity Exchange Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
9	World Tax Service India P. Ltd.	Director	—
10	Universal Trustees Private Ltd.	Director	—
11	Datamatics Global Services Ltd.	Director	—
5. Shri S.Venkatachalam			
1	State Bank of India	Director	Audit Committee of the Board-Member Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board - Member
2	Bharati Axa Trustee Services P. Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member
3	Oracle Financial Services Software Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Member Shareholders'/Investors' Grievance Committee - Member
6. Shri D. Sundaram			
1	SBI Capital Markets Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-**Chairman**
2	State Bank of India	Director	Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board - **Chairman**
3	TVS Capital Funds Ltd.	Managing Director	—
4	TVS Electronics Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-**Chairman**
5	Glaxo Smith Kline Pharma	Director	Audit Committee of the Board-**Chairman**
6	Nine Dot Nine Mediaworx P. Ltd.	Director	—
7	Medplus Health Services P. Ltd.	Director	—

अनुलग्नक II क (जारी)

क्रम संख्या	कंपनी का नाम / संस्था / सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का नाम अध्यक्ष/सदस्य
7. डॉ. राजीव कुमार			
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	—
8. श्री जी. डी. नडाफ			
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	—
9. श्री शशि कांत शर्मा			
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य
2	भारतीय जीवन बिमा निगम	निदेशक	—
3	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि.	निदेशक	—
10. श्रीमती श्यामला गोपीनाथ			
1	भारतीय रिजर्व बैंक	निदेशक	—
2	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य
3	एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया	निदेशक	—
4	नेशनल हाउसिंग बैंक	निदेशक	—

अनुलग्नक III

31.03.2011 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का ब्योरा

क्र.सं.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या	क्र.सं.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1.	श्री ओ. पी. भट्ट	1300	6.	श्री डी. सुंदरम	2640
2.	श्री आर. श्रीधरन	300	7.	डॉ राजीव कुमार	निरंक
3.	डॉ. अशोक झुनझुनवाला	630	8.	श्री शशि कांत शर्मा	निरंक
4.	श्री दिलीप सी. चौकसी	500	9.	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ	निरंक
5.	श्री एस. वैंकटाचलम	500	10.	श्री जी. डी. नडाफ	230

Annexure II A (contd.)

S. No.	Name of the Company/ Name of the Concern/Society	Director	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member
7. Dr. Rajiv Kumar			
1	State Bank of India	Director	—
8. Shri G. D. Nadaf			
1	State Bank of India	Director	—
9. Shri Shashi Kant Sharma			
1	State Bank of India	Director	Audit Committee of the Board-Member
2	Life Insurance Corporation of India	Director	—
3	India Infrastructure Finance Company Ltd.	Director	—
10. Smt. Shyamala Gopinath			
1	Reserve Bank of India	Director	—
2	State Bank of India	Director	Audit Committee of the Board-Member
3	Export Import Bank of India	Director	—
4	National Housing Bank	Director	—

Annexure III

Details of shareholding of Directors on the Bank's Central Board as on 31.03.2011

Sl. No.	Name of Director	No. of Shares	Sl. No.	Name of Director	No. of Shares
1.	Shri O.P. Bhatt	1300	6.	Shri D. Sundaram	2640
2.	Shri R. Sridharan	300	7.	Dr. Rajiv Kumar	NIL
3.	Dr. Ashok Jhunjhunwala	630	8.	Shri Shashi Kant Sharma	NIL
4.	Shri Dileep C. Choksi	500	9.	Smt. Shyamala Gopinath	NIL
5.	Shri S. Venkatachalam	500	10.	Shri G.D. Nadaf	230

अनुलग्नक IV

वर्ष 2010-11 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क का ब्योरा

क्र.सं.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड @ ₹ 5,000/-	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति @ ₹ 2,500/-	अन्य समितियाँ @ ₹ 2,500/-	कुल
1.	डॉ. अशोक झुनझुनवाला	40,000/-	45,000/-	40,000/-	1,25,000/-
2.	श्री दिलीप सी. चौकसी	40,000/-	72,500/-	42,500/-	1,55,000/-
3.	श्री एस. वैंकटाचलम	50,000/-	1,12,500/-	50,000/-	2,12,500/-
4.	श्री डी. सुंदरम	40,000/-	60,000/-	22,500/-	1,22,500/-
5.	डॉ. देवा नंद बलोधी	25,000/-	47,500/-	12,500/-	85,000/-
6.	प्रो. मो. सलाहुद्दीन अंसारी	25,000/-	37,500/-	10,000/-	72,500/-
7.	डॉ. (श्रीमती) वसंता भरुचा	40,000/-	57,500/-	30,000/-	1,27,500/-
8.	डॉ. राजीव कुमार	35,000/-	25,000/-	7,500/-	67,500/-
9.	श्री जी. डी. नडाफ	25,000/-	32,500/-	—	57,500/-

अनुलग्नक V

भारतीय स्टेट बैंक

घोषणा

बैंक की आचार संहिता (2010-11) के अनुपालन की पुष्टि (2010-11)

मैं घोषणा करता हूँ कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष
दिनांक: 17 मई 2011

Annexure IV

Details of Sitting Fees paid to Directors for attending Meetings of the Central Board and Board-level Committees during 2010-11

Sl. No.	Name of Director	Central Board @ ₹ 5,000/-	ECCB @ ₹ 2,500/-	Other Committees @ ₹ 2,500/-	Total
1.	Dr. Ashok Jhunjhunwala	40,000/-	45,000/-	40,000/-	1,25,000/-
2.	Shri Dileep C. Choksi	40,000/-	72,500/-	42,500/-	1,55,000/-
3.	Shri S. Venkatachalam	50,000/-	1,12,500/-	50,000/-	2,12,500/-
4.	Shri D. Sundaram	40,000/-	60,000/-	22,500/-	1,22,500/-
5.	Dr. Deva Nand Balodhi	25,000/-	47,500/-	12,500/-	85,000/-
6.	Prof. Md. Salahuddin Ansari	25,000/-	37,500/-	10,000/-	72,500/-
7.	Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha	40,000/-	57,500/-	30,000/-	1,27,500/-
8.	Dr. Rajiv Kumar	35,000/-	25,000/-	7,500/-	67,500/-
9.	Shri G.D. Nadaf	25,000/-	32,500/-	—	57,500/-

ANNEXURE V

STATE BANK OF INDIA

DECLARATION

AFFIRMATION OF COMPLIANCE WITH THE BANK'S CODE OF CONDUCT (2010-11)

I declare that all Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the Financial Year 2010-11.

PRATIP CHAUDHURI
CHAIRMAN
Date: 17th May 2011

मैसर्स वेणुगोपाल एंड शिनॉय

सनदी लेखाकार

कारपोरेट अभिशासन संबंधी लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों के लिए

हमने 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कारपोरेट अभिशासन की उन शर्तों के अनुपालन की जाँच की है, जो भारत में शेयर-बाजारों के साथ भारतीय स्टेट बैंक के सूचीकरण-करार के खंड 49 में निर्धारित की गई हैं।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन के प्रमाणन संबंधी निर्देशक नोट के अनुसार की गई है और यह कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही भारतीय स्टेट बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और जहाँ तक हमें जानकारी है, उसके अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण-करार में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का, सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करते हुए अनुपालन किया है।

हम सूचित करते हैं कि शेयरधारक / निवेशक शिकायत-निवारण समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक माह से अधिक अवधि के लिए लंबित नहीं है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन भारतीय स्टेट बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न तो आश्वासन है, न ही उस कुशलता अथवा प्रभावकारिता से संबंधित है, जिसके द्वारा प्रबंधन वर्ग ने भारतीय स्टेट बैंक के कारोबार का संचालन किया है।

मैसर्स वेणुगोपाल एंड शिनॉय
सनदी लेखाकार,
एफआरएन : 004671एस

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 17 मई 2011

(डी. वी. जानकीनाथ)
भागीदार
सदस्यता सं.: 29505

M/s VENUGOPAL & CHENOY,
Chartered Accountants

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To the Shareholders of
State Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by State Bank of India, for the year ended on 31st March 2011, as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of State Bank of India with Stock Exchanges in India.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance, issued by the Institute of Chartered Accountants of India and was limited to procedures and implementation thereof, adopted by State Bank of India for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of State Bank of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that State Bank of India has, in all material respects, complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievances are pending for a period exceeding one month against State Bank of India as per records maintained by the Shareholders/Investors Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of State Bank of India nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the State Bank of India.

For M/s Venugopal & Chenoy,
Chartered Accountants,
FRN: 004671S

(D. V. Jankinath)
Partner
Membership No.29505

Place : Kolkata
Date : May 17, 2011

भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(000 को छोड़ दिया गया है)

BALANCE SHEET OF STATE BANK OF INDIA AS ON 31ST MARCH 2011

(000s omitted)

पूंजी और देयताएँ CAPITAL AND LIABILITIES	अनुसूची सं. Schedule No.	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous year)
		₹	₹
पूंजी Capital	1	634,99,90	634,88,26
आरक्षितियाँ और अधिशेष Reserves & Surplus	2	64351,04,42	65314,31,60
जमाराशियाँ Deposits	3	933932,81,30	804116,22,68
उधार-राशियाँ Borrowings	4	119568,95,50	103011,60,11
अन्य देयताएँ और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	105248,38,93	80336,70,40
योग TOTAL		1223736,20,05	1053413,73,05

आस्तियाँ ASSETS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous year)
		₹	₹
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	94395,50,20	61290,86,52
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with Banks and money at call and short notice	7	28478,64,57	24897,84,83
विनिधान Investments	8	295600,56,90	295785,19,87
अग्रिम Advances	9	756719,44,80	631914,15,20
अचल आस्तियाँ Fixed Assets	10	4764,18,93	4412,90,67
अन्य आस्तियाँ Other Assets	11	43777,84,65	35112,75,96
योग TOTAL		1223736,20,05	1053413,73,05
आकस्मिक देयताएँ / Contingent Liabilities	12	₹ 730484,60,45	₹ 548446,88,53
उगाही के लिए बिल / Bills for collection	—	₹ 59904,98,25	₹ 47922,32,81
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies	17		
लेखा -टिप्पणियाँ / Notes to Accounts	18		

अनुसूची 1 — पूंजी
SCHEDULE 1 — CAPITAL

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous year)
	₹	₹
प्राधिकृत पूंजी - ₹ 10/- प्रति शेयर दर वाले 500,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 100,00,00,000) Authorised Capital - 500,00,00,000 (Previous Year 100,00,00,000) shares of ₹ 10/- each	5000,00,00	1000,00,00
निर्गमित पूंजी - 63,50,83,106 (पिछले वर्ष 63,49,68,500) प्रत्येक ईक्विटी शेयर ₹ 10/- का Issued Capital 63,50,83,106 (Previous Year 63,49,68,500) Equity Shares of ₹ 10/- each	635,08,31	634,96,85
अभिदत्त और संदत पूंजी - 63,49,98,991 शेयर (पिछले वर्ष 63,48,82,644) प्रत्येक शेयर ₹ 10/- का [इसमें 1,81,05,360 (पिछले वर्ष 2,24,86,090) ईक्विटी शेयर सम्मिलित हैं जो 90,52,680 (पिछले वर्ष 1,12,43,045) वैश्विक जमा रसीदों के रूप में हैं]. Subscribed and Paid-up Capital 63,49,98,991 (Previous year 63,48,82,644) Equity Shares of ₹ 10/- each [includes 1,81,05,360 (Previous Year 2,24,86,090) Equity Shares represented by 90,52,680 (Previous Year 1,12,43,045) Global Depository Receipts]	634,99,90	634,88,26
सतत असंचयी प्राथमिकता प्राप्त शेयर (पीएनसीपीएस) Perpetual Non-Cumulative Preference Share (PNCPS)	—	—
योग TOTAL	634,99,90	634,88,26

अनुसूची 2 — आरक्षितियाँ और अधिशेष
SCHEDULE 2 — RESERVES & SURPLUS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current year)		31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous year)	
		₹	₹	₹	₹
I.	**कानूनी आरक्षितियाँ** **Statutory Reserves** अथशेष				
	Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन	37107,77,71		30726,68,86	
	Additions during the year वर्ष के दौरान कटौतियाँ	3331,85,57		6381,08,85	
	Deductions during the year	7927,41,00		—	
			32512,22,28		37107,77,71
II.	**पूंजी आरक्षितियाँ** **Capital Reserves** अथशेष				
	Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन	1381,36,16		1267,30,69	
	Additions during the year वर्ष के दौरान कटौतियाँ	112,34,94		114,05,47	
	Deductions during the year	—		—	
			1493,71,10		1381,36,16
III.	**शेयर प्रीमियम** **Share Premium** अथशेष				
	Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन	20658,30,78		20657,92,52	
	Additions during the year वर्ष के दौरान कटौतियाँ	27,51		38,26	
	Deductions during the year	—		—	
			20658,58,29		20658,30,78
IV.	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती** **Foreign Currency Translation Reserve** अथशेष				
	Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन	644,95,63		1574,84,29	
	Additions during the year वर्ष के दौरान कटौतियाँ	—		—	
	Deductions during the year	36,22,44		929,88,66	
			608,73,19		644,95,63
V.	**राजस्व एवं अन्य आरक्षतियां** **Revenue and Other Reserves*** अथशेष				
	Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन	5521,57,39		3085,71,33	
	Additions during the year वर्ष के दौरान कटौतियाँ	3555,88,24		2435,86,06	
	Deductions during the year	—		—	
			9077,45,63		5521,57,39
VI.	लाभ और हानि खाते की शेष राशि Balance of Profit and Loss Account		33,93		33,93
	योग TOTAL		64351,04,42		65314,31,60

* इसमें एकीकरण और विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹ 5,00,00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 5,00,00 हजार) एवं विनिधान आरक्षिति खाते की ₹ 467,73,54 हजार (पिछले वर्ष ₹ 62,17,87 हजार) की राशि शामिल हैं

* Includes: ₹ 5,00,00 thousand (Previous Year ₹ 5,00,00 thousand) of Integration and Development Fund (maintained under Section 36 of the State Bank of India Act, 1955) and ₹ 467,73,54 thousand (Previous year ₹ 62,17,87 thousand) of Investment Reserve Account

अनुसूची 3 — जमाराशियाँ
SCHEDULE 3 — DEPOSITS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

			31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous year)
			₹	₹
क. A.	I.	**माँग जमाराशियाँ Demand Deposits**		
		(i) बैंकों से From Banks	8700,33,65	8904,46,95
		(ii) अन्य से From Others	122494,98,27	113674,96,27
	II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ Savings Bank Deposits**	330326,06,46	257460,29,77
	III.	**सावधि जमाराशियाँ Term Deposits**		
		(i) बैंकों से From Banks	13539,66,97	14337,83,10
		(ii) अन्य से From Others	458871,75,95	409738,66,59
		योग TOTAL	933932,81,30	804116,22,68
ख. B.	I.	भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ Deposits of Branches in India	887151,77,32	764717,48,45
	II.	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ Deposits of Branches outside India	46781,03,98	39398,74,23
		योग TOTAL	933932,81,30	804116,22,68

अनुसूची 4 — उधार-राशियाँ
SCHEDULE 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

			31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current year)		31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous year)	
			₹	₹	₹	₹
I.		**भारत में उधार-राशियाँ Borrowings in India**				
	(i)	**भारतीय रिज़र्व बैंक** Reserve Bank of India		1100,00,00		—
	(ii)	**अन्य बैंक** Other Banks		9032,64,26		8178,33,58
	(iii)	**अन्य संस्थाएँ और अभिकरण** Other Institutions and Agencies		2368,29,33		1292,29,56
	(iv)	**पूंजीगत लिखत** Capital Instruments				
		(क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	2165,00,00		2000,00,00	
		ख) बांडस / डिबेंचरों के रूप में जारी सम्मिश्र पूंजीगत लिखत (b) Hybrid debt capital instruments issued as bonds/debentures	—		—	
		(ग) सतत संचयी प्राथमिकता प्राप्त शेयर (c) Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) ...	—		—	
		(घ) मोचन योग्य असंचयी प्राथमिकता प्राप्त शेयर (d) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)	—		—	

अनुसूची 4 — उधार-राशियाँ (जारी)
SCHEDULE 4 — BORROWINGS (Contd...)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current year)		31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous year)	
	₹	₹	₹	₹
(च) मोचन योग्य संचयी प्राथमिकता प्राप्त शेयर				
(e) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS) ...	—		—	
(छ) गौण ऋण				
(f) Subordinated Debt	34671,39,60		27174,40,00	
		36836,39,60		29174,40,00
योग TOTAL		49337,33,19		38645,03,14
II. भारत के बाहर से उधार-राशियाँ Borrowings outside India				
(i) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित Borrowings and Refinance outside India		67444,20,11		61560,61,11
(ii) पूंजीगत लिखत Capital Instruments				
(क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत				
(a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	2787,42,20		2805,95,86	
(ख) बांडस / डिबेंचरों के रूप में जारी सम्मिश्र पूंजीगत लिखत				
(b) Hybrid debt capital instruments issued as bonds/debentures	—		—	
(ग) सतत संचयी प्राथमिकता प्राप्त शेयर				
(c) Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) ...	—		—	
(घ) मोचन योग्य असंचयी प्राथमिकता प्राप्त शेयर				
(d) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)	—		—	
(च) मोचन योग्य संचयी प्राथमिकता प्राप्त शेयर				
(e) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS) ...	—		—	
(छ) गौण ऋण				
(f) Subordinated Debt	—		—	
		2787,42,20		2805,95,86
योग TOTAL		70231,62,31		64366,56,97
कुल योग GRAND TOTAL		119568,95,50		103011,60,11
ऊपर I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ / Secured Borrowings included in I & II above		5294,47,86		8333,66,30

अनुसूची 5 — अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE 5 — OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous year)
	₹	₹
I. संदेय बिल Bills payable	21703,49,78	21098,25,83
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (Net)	20455,68,73	11474,83,02
III. प्रोद्भूत - ब्याज Interest accrued	8236,49,71	6605,19,35
IV. आस्थगित कर देयताएँ (निवल) Deferred Tax Liabilities (Net)	—	—
V. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं) Others (including provisions)	54852,70,71	41158,42,20
योग TOTAL	105248,38,93	80336,70,40

अनुसूची 6 — नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ
SCHEDULE 6 — CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous year)
		₹	₹
I.	हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	7476,55,39	6841,01,27
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Balance with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खाते में In Current Account	86916,41,66	54447,33,22
	(ii) अन्य खातों में In Other Accounts	2,53,15	2,52,03
	योग TOTAL	94395,50,20	61290,86,52

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि
SCHEDULE 7 — BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous year)
		₹	₹
I.	**भारत में In India**		
	(i) बैंकों में जमाराशियाँ Balances with banks		
	(क) चालू खातों में		
	(a) In Current Accounts	1205,18,63	975,94,08
	(ख) अन्य जमा खातों में		
	(b) In Other Deposit Accounts	64,100	—
	(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Money at call and short notice		
	(क) बैंकों में		
	(a) With banks	2769,00,00	1180,00,00
	(ख) अन्य संस्थाओं में		
	(b) With other institutions	—	—
	योग TOTAL	3980,59,63	2155,94,08
II.	**भारत के बाहर Outside India**		
	(i) चालू खातों में In Current Accounts	11669,09,70	16209,21,17
	(ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	1123,88,29	653,10,51
	(iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Money at call and short notice	11705,06,95	5879,59,07
	योग TOTAL	24498,04,94	22741,90,75
	कुल योग GRAND TOTAL	28478,64,57	24897,84,83

अनुसूची 8 — विनिधान
SCHEDULE 8 — INVESTMENTS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous year)
	₹	₹
I. भारत में विनिधान Investments in India in :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	230741,44,69	226706,01,63
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other approved securities	423,71,13	1035,12,55
(iii) शेयर Shares	8864,64,59	7199,37,26
(iv) डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	15134,10,52	16127,43,16
(v) अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम (सहयोगियों सहित) Subsidiaries and / or Joint Ventures (including Associates)	4855,42,87	4285,60,64
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंडों की यूनिटें, वाणिज्यिक पत्र, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की जमाराशियाँ आदि) Others (Units of mutual funds, Commercial Papers, priority sector deposits etc.)	25567,65,78	32210,03,68
योग TOTAL	285586,99,58	287563,58,92
II. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India in :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियों में (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं) Government Securities (including local authorities)	2239,07,88	2009,51,52
(ii) विदेशों में स्थापित अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम Subsidiaries and / or Joint Ventures abroad	1603,03,15	1403,69,14
(iii) अन्य विनिधान (शेयर, डिबेंचर आदि) Other Investments (Shares, Debentures etc.)	6171,46,29	4808,40,29
योग TOTAL	10013,57,32	8221,60,95
कुल योग GRAND TOTAL (I & II)	295600,56,90	295785,19,87
III. भारत में विनिधान Investments in India :		
(i) विनिधानों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	286732,71,79	288076,72,80
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास Less: Aggregate of Provisions / Depreciation	1145,72,21	513,13,88
(iii) निवल विनिधान (ऊपर I से) Net Investments (vide I above) योग TOTAL	285586,99,58	287563,58,92
IV. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India :		
(i) विनिधानों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	10221,32,43	8409,18,88
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास Less: Aggregate of Provisions / Depreciation	207,75,11	187,57,93
(iii) निवल विनिधान (ऊपर II से) Net Investments (vide II above) योग TOTAL	10013,57,32	8221,60,95
कुल योग GRAND TOTAL	295600,56,90	295785,19,87

अनुसूची 9 — अग्रिम
SCHEDULE 9 — ADVANCES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous year)
		₹	₹
क. A.	(i) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल Bills purchased and discounted	51715,78,19	42774,73,18
	(ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand ...	339825,33,41	275150,49,64
	(iii) सावधि ऋण Term loans	365178,33,20	313988,92,38
	योग TOTAL	756719,44,80	631914,15,20
ख. B.	(i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	494604,06,61	410659,89,28
	(ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	109096,80,03	85368,66,82
	(iii) अप्रतिभूत Unsecured	153018,58,16	135885,59,10
	योग TOTAL	756719,44,80	631914,15,20
ग. C.	(I) भारत में अग्रिम Advances in India		
	(i) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र Priority Sector	231597,86,67	170568,20,80
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	48924,41,93	48955,92,33
	(iii) बैंक Banks	454,92,47	265,69,38
	(iv) अन्य Others	367698,25,17	315964,13,69
	योग TOTAL	648675,46,24	535753,96,20
	(II) भारत के बाहर अग्रिम Advances outside India		
	(i) बैंकों से शोध्य Due from banks	22423,64,94	15657,17,29
	(ii) अन्यों से शोध्य Due from others		
	(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल (a) Bills purchased and discounted	14796,19,10	25294,02,88
	(ख) अभिषद ऋण (b) Syndicated loans	36737,68,12	26475,21,13
	(ग) अन्य (c) Others	34086,46,40	28733,77,70
	योग TOTAL	108043,98,56	96160,19,00
	कुल योग (ग-I एवं ग-II) GRAND TOTAL (C-I & C-II)	756719,44,80	631914,15,20

अनुसूची 10 — अचल आस्तियाँ
SCHEDULE 10 — FIXED ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current year)		31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous year)	
		₹	₹	₹	₹
क. I. A. I.	**परिसर Premises**				
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1687,67,20		1591,04,02	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	149,42,02		107,49,29	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	45,48,59		10,86,11	
	अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	781,96,86	1009,63,77	698,36,04	989,31,16
II.	अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	9233,45,58		7886,53,52	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	2044,11,71		1430,31,51	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	682,02,79		83,39,45	
	अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	7173,42,66	3422,11,84	6105,24,74	3128,20,84
III.	पट्टाकृत आस्तियाँ Leased Assets				
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	852,85,15		925,48,26	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	—		—	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	50,71,81		72,63,11	
	प्रावधानों सहित अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date including provision	802,13,34		852,85,15	
		—		—	
	घटाएँ : पट्टा समायोजन और प्रावधान Less : Lease Adjustment and Provisions ...	(20,27)	20,27	(20,27)	20,27
IV.	निर्माणाधीन आस्तियाँ (परिसर सहित) Assets under Construction (Including Premises)		332,23,05		295,18,40
	योग TOTAL (I, II, III & IV)		4764,18,93		4412,90,67

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 — OTHER ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous year)
		₹	₹
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	—	—
II.	प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued	9132,02,77	7685,00,86
III.	अग्रिम रूप से प्रदत कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	5848,00,60	4391,07,67
IV.	आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) Deferred Tax Assets (Net)	1167,28,24	2512,08,92
V.	लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and stamps	98,83,00	102,45,17
VI.	दावों के निपटान से प्राप्त की गईं गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	34,91	34,91
VII.	अन्य Others	27531,35,13	20421,78,43
	योग TOTAL	43777,84,65	35112,75,96

अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous year)
		₹	₹
I.	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	773,89,36	655,45,08
II.	अंशत: प्रदत्त विनिधानों के लिए देयता Liability for partly paid investments	2,80,00	2,80,00
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	339683,99,79	245031,45,01
IV.	संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) भारत में (a) In India	82657,98,54	64479,72,56
	(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	60827,95,78	36521,88,50
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	145187,30,78	118526,71,14
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the bank is contingently liable	101350,66,20	83228,86,24
	योग TOTAL	730484,60,45	548446,88,53

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक का लाभ और हानि खाता

PROFIT AND LOSS ACCOUNT OF STATE BANK OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		अनुसूची सं. Schedule No.	31.3.2011 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2011 (Current year)	31.3.2010 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2010 (Previous year)
			₹	₹
I.	**आय INCOME**			
	अर्जित ब्याज Interest earned	13	81394,36,38	70993,91,75
	अन्य आय Other Income	14	15824,59,42	14968,15,27
	योग TOTAL		97218,95,80	85962,07,02
II.	**व्यय EXPENDITURE**			
	व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	48867,95,61	47322,47,80
	परिचालन व्यय Operating expenses	16	23015,43,26	20318,68,00
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय Provisions and contingencies		17071,05,03	9154,85,92
	योग TOTAL		88954,43,90	76796,01,72
III.	**लाभ PROFIT**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		8264,51,90	9166,05,30
	अग्रनीत लाभ Profit brought forward		33,93	33,93
	योग TOTAL		8264,85,83	9166,39,23
	विनियोजन APPROPRIATIONS			
	कानूनी आरक्षितियों में अंतरण Transfer to Statutory Reserves		2479,35,57	6381,08,85
	पूंजी आरक्षिती में अंतरण Transfer to Capital Reserves		9,60,89	114,05,47
	राजस्व और अन्य आरक्षिती में अंतरण Transfer to Revenue and other Reserves (विनिधान आरक्षित खाते में वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 4,05,56 हजार के अंतरण सहित) (including transfer to Investment Reserve Account for 2009-10 ₹ 4,05,56 thousand)...		2729,86,59	529,50,65
	लाभांश Dividend			
	(i) अंतरिम लाभांश (i) Interim Dividend		—	634,88,02
	(ii) प्रस्तावित अंतिम लाभांश (ii) Final Dividend Proposed		1904,99,70	1269,76,77
	लाभांश पर कर Tax on dividend		246,52,02	236,75,54
	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से हानि Loss on Amalgamation of State Bank of Indore ...		894,17,13	—
	तुलनपत्र से आगे ले जाई गई शेषराशि Balance carried over to Balance Sheet		33,93	33,93
	योग TOTAL		8264,85,83	9166,39,23
	प्रति शेयर मूल आय Basic Earnings per Share		₹ 130.16	₹ 144.37
	प्रति शेयर कम की गई आय Diluted Earnings per Share		₹ 130.16	₹ 144.37
	महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies		17	
	लेखा-टिप्पणियाँ / Notes to Accounts	18		

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज
SCHEDULE 13 — INTEREST EARNED

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2011 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2011 (Current year)	31.3.2010 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2010 (Previous year)
		₹	₹
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/discount on advances/bills	59976,00,50	50632,63,88
II.	विनिधानों पर आय Income on investments	19651,37,50	17736,29,62
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	410,65,75	1511,92,18
IV.	अन्य Others	1356,32,63	1113,06,07
	योग TOTAL	81394,36,38	70993,91,75

अनुसूची 14 — अन्य आय
SCHEDULE 14 — OTHER INCOME

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2011 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2011 (Current year)	31.3.2010 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2010 (Previous year)
		₹	₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	11563,27,50	9640,85,95
II.	विनिधानों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on sale of investments (Net)	925,69,54	2116,79,23
III.	विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on revaluation of investments (Net)...	(4,67,20)	—
IV.	पट्टाकृत आस्तियों सहित भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on sale of land, buildings and other assets (Net)	(18,51,07)	(10,45,62)
V.	विनिमय लेनदेन पर लाभ / (हानि) Profit / (Loss) on exchange transactions	1464,04,87	1587,13,55
VI.	विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends, etc., from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/in India	827,73,02	573,48,34
VII.	वित्तीय पटटे से आय Income from financial lease	1,88,65	9,18,55
VIII.	प्रकीर्ण आय Miscellaneous Income	1065,14,11	1051,15,27
	योग TOTAL	15824,59,42	14968,15,27

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE 15 — INTEREST EXPENDED

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2011 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2011 (Current year)	31.3.2010 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2010 (Previous year)
		₹	₹
I.	जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	43234,75,48	43334,28,52
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक /अंतर बैंक उधार-राशियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings	2561,73,80	1228,04,84
III.	अन्य Others	3071,46,33	2760,14,44
	योग TOTAL	48867,95,61	47322,47,80

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय
SCHEDULE 16 — OPERATING EXPENSES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2011 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2011 (Current year)	31.3.2010 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2010 (Previous year)
		₹	₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	14480,16,78	12754,64,57
II.	भाटक, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	1794,48,79	1589,57,49
III.	मुद्रण और लेखन-सामग्री Printing and stationery	255,40,03	242,32,41
IV.	विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	257,87,61	224,04,52
V.	(क) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त) (a) Depreciation on Bank's Property (Other than Leased Assets)	990,49,52	929,15,51
	(ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास (b) Depreciation on Leased Assets	—	3,50,86
VI.	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	74,28	61,13
VII.	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	124,28,30	111,59,77
VIII.	विधि प्रभार Law charges	118,54,59	96,61,93
IX.	डाक महसूल, तार और टेलीफोन आदि Postages, Telegrams, Telephones etc.	363,36,05	321,58,10
X.	मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	374,24,72	327,90,67
XI.	बीमा Insurance	800,91,24	683,83,37
XII.	अन्य व्यय Other expenditure	3454,91,35	3033,27,67
	योग TOTAL	23015,43,26	20318,68,00

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, ऐतिहासिक लागत परिपाटी / परंपरा के तहत लेखा की प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी), जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों के दिशा-निर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती है, के अनुरूप हैं.

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं पर्याप्त हैं. भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं.

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. आय निर्धारण

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है. बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है.

1.2 ब्याज आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भूत आधार पर निर्धारण (i) अग्रिमों, पट्टों और विनिधानों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसका निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक / *विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में* संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) विनिधानों की आवेदन-राशि पर ब्याज (iii) विनिधानों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज के अलावा किया गया है, (iv) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय को ''ट्रेडिंग'' नाम दिया गया है.

1.3 विनिधानों की बिक्री पर होने वाले लाभ / हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया गया है यद्यपि ''परिपक्वता के लिए रखे गए'' श्रेणी के विनिधानों की बिक्री पर होने वाले लाभ का (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षिति अपेक्षाओं को घटाने के बाद) पूंजी आरक्षिति में विनियोग किया गया है.

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे पर बकाया निवल विनिधान के पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर का उपयोग करके किया गया है. 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल विनिधान के समान राशि के अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है. पट्टा किरायों का मूल राशि और वित्त आय में प्रभाजन वित्त पट्टों से सम्बद्ध बकाया निवल प्रावधानों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती स्वरूप के आधार पर किया गया है. मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल विनिधान राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है.

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

A. Basis of Preparation

The Bank's financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting, unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the practices prevalent in the banking industry in India.

B. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

C. Significant Accounting Policies

1. Revenue recognition

1.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated. In respect of Bank's foreign offices, income is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

1.2 Interest income is recognised in the Profit and Loss Account as it accrues except (i) income from non-performing assets (NPAs), comprising of advances, leases and investments, which is recognised upon realisation, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators in case of foreign offices (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities), (ii) interest on application money on investments (iii) overdue interest on investments and bills discounted, (iv) Income on Rupee Derivatives designated as "Trading".

1.3 Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account, however, the profit on sale of investments in the 'Held to Maturity' category is appropriated net of applicable taxes and amount required to be transferred to statutory reserve to 'Capital Reserve Account'.

1.4 Income from finance leases is calculated by applying the interest rate implicit in the lease to the net investment outstanding in the lease, over the primary lease period. Leases effective from April 1, 2001 are accounted as advances at an amount equal to the net investment in the lease. The lease rentals are apportioned between principal and finance income based on a pattern reflecting a constant periodic return on the net investment outstanding in respect of finance leases. The principal amount is utilized for reduction in balance of net investment in lease and finance income is reported as interest income.

1.5 ''परिपक्वता के लिए रखे गए'' श्रेणी में विनिधान पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत अभिज्ञान में लिया गया है :

क) ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों के संदर्भ में इसे बिक्री / शोधन के समय अभिज्ञान में लिया गया है.

ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है.

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध होता है वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है.

1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन का आकलन गारंटी की पूरी अवधि के लिए किया गया है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया गया है, इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय का निर्धारण वसूली के बाद किया गया है.

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत संदत्त एकल बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है.

2 विनिधान

दिनांक 31.12.2010 तक सरकारी प्रतिभूतियों को सौदे की तिथि (ट्रेड - डेट) के अनुसार और 01.01.2011 के बाद इन्हें निपटान तिथि (सेटलमेंट डेट) के अनुसार रिकार्ड किया गया है । सरकारी प्रतिभूतियों से इतर विनिधानों को सौदे की तिथि (ट्रेड - डेट) के अनुसार ही रिकार्ड किया गया है।

2.1 वर्गीकरण

विनिधानों का 3 श्रेणियों अर्थात् ''परिपक्वता के लिए रखे गए'', ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' और ''व्यवसाय के लिए रखे गए'' के रूप में वर्गीकरण किया गया है.

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. उन विनिधानों को ''परिपक्वता के लिए रखे गए'' श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखा जाता है.

ii. उन विनिधानों को ''व्यवसाय के लिए रखे गए'' श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांतत: पुनर्विक्रय हेतु रखा जाता है.

iii. जिन विनिधानों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

iv. किसी विनिधान को इसके क्रय के समय ''परिपक्वता के लिए रखे गए'', ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' या ''व्यवसाय के लिए रखे गए'' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परस्पर परिवर्तन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है.

v. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए विनिधानों को ''परिपक्वता के लिए रखे गए'' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

2.3 मूल्यांकन :

i. किसी विनिधान की अभिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में;

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है.

(ख) विनिधानों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है.

1.5 Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows :

a. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

b. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

1.6 Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.

1.7 All other commission and fee incomes are recognised on their realisation except for (i) Guarantee commission on deferred payment guarantees, which is spread over the period of the guarantee and (ii) Commission on Government Business, which is recognised as it accrues.

1.8 One time Insurance Premium paid under Special Home Loan Scheme (December 2008 to June 2009) is amortised over average loan period of 15 years.

2. Investments

The transactions in Government Securities are recorded on "Trade Date" up to 31.12.2010 and on "Settlement Date" with effect from 01.01.2011. Investments other than Government Securities are recorded on "Trade Date".

2.1 Classification

Investments are classified into three categories, viz. Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Held for Trading (HFT).

2.2 Basis of classification:

i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.

ii. Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.

iii. Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.

iv. An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

v. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as Held to Maturity.

2.3 Valuation:

i. In determining the acquisition cost of an investment:

(a) Brokerage/commission received on subscriptions is reduced from the cost.

(b) Brokerage, commission, securities transaction tax etc. paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

(ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय माना गया है और इन्हें लागत / विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है.

(घ) लागत का निर्धारण, ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' एवं ''व्यवसाय के लिए रखे गए'' के अधीन विनिधानों के मामले में भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं ''परिपक्वता के लिए रखे गए'' श्रेणी के लिए फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) प्रणाली के अनुसार किया गया है.

ii. उपरोक्त तीन श्रेणियों में प्रतिभूति के अंतरण को अंतरण की तिथि पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य के अनुसार लेखे में लिया गया है, और ऐसे अंतरण पर हुए मूल्यह्रास, यदि हो तो, का पूर्णतया प्रावधान किया गया है.

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यन अग्रानीत लागत आधार पर किया गया है.

iv. **''परिपक्वता के लिए रखे गए'' श्रेणी :** ''परिपक्वता के लिए रखे गए'' श्रेणी में रखे गए विनिधानों को यदि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, तो अभिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है । ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को ''विनिधानों पर ब्याज'' शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में विनिधान को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विनिधान को अग्रानीत लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया गया है.अस्थायी से इतर प्रत्येक विनिधान के लिए अलग - अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखे गए श्रेणियाँ :** उपरोक्त दोनों श्रेणियों के प्रत्येक स्क्रिप का पुनर्मूल्यन **विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित** बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है. मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात अपरिवर्तित रहा है.

vi. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) लिखतों पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है. तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे विनिधानों के मूल्यन के लिए की गई है.

vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर विनिधानों को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है. देशी कार्यालयों के विनिधान निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है.

(c) Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/ sale consideration.

(d) Cost is determined on the weighted average cost method for investments under AFS and HFT category and on FIFO basis (first in first out) for investments under HTM category.

ii. The transfer of a security amongst the above three categories is accounted for at the least of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

iii. Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

iv. **Held to Maturity category:** Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortised over the period remaining maturity on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments". Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e book value). A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.

v. **Available for Sale and Held for Trading categories:** Investments held under AFS and HFT categories are individually revalued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines, and only the net depreciation of each group for each category is provided for and net appreciation, is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

vi. Security receipts issued by an asset reconstruction company (ARC) are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the security receipts issued by the ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the ARC, is reckoned for valuation of such investments.

vii. Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices. Investments of domestic offices become non-performing where:

(a) Interest/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

ख) ईक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को रु. 1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक विनिधान माना जाएगा.

ग) यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई है - ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में विनिधान को और जारीकर्ता द्वारा विनिधान को अनर्जक विनिधान माना जाएगा.

घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन प्रिफरेन्स शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है.

ङ) ऐसे डिबेंचरों / बांडों में विनिधान जो अग्रिम की प्रकृति के माने गए हैं उन पर अनर्जक विनिधान के वही मानदंड लगेंगे जो विनिधानों पर लागू होते हैं.

च) विदेश स्थित कार्यालयों के अनर्जक विनिधानों के संबंध में प्रावधान-स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक था उसके अनुसार किया गया है.

viii. **रेपो तथा रिवर्स रेपो लेनदेन [भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा] का लेखाकरण:**

क) रेपो / रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेनदेन के रूप में लेखांकित किया गया है। यद्यपि एकमुश्त विक्रय / क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है और इस तरह के अंतरणों को रेपो/ रिवर्स रेपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। इस प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रत्यावर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार लेना) एवं रिवर्स रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में जमा तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय / विक्रय की गई प्रतिभूतियों को विनिधान खाते में नामे / जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रत्यावर्तित किया गया है. उन पर व्यय / अर्जित ब्याज को व्यय / आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

3 ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

3.1 ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है. ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता ''असंगत'' (''आउट ऑफ आर्डर'') रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेषराशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या कोई भी राशि तुलनपत्र की

(b) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re. 1 per company on account of the non availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.

(c) If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa.

(d) The above would apply mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.

(e) The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.

(f) In respect of foreign offices, provisions for non performing investments are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.

viii. **Accounting for Repo/ reverse repo transactions (other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI)**

(a) The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo A/c is classified under schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo A/c is classified under schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).

(b) Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

3. Loans /Advances and Provisions thereon

3.1 Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by RBI. Loan assets become non-performing assets (NPAs) where:

i. In respect of term loans, interest and/or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;

ii. In respect of Overdraft or Cash Credit advances, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously

तिथि को निरन्तर 90 दिनों के लिए जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज 2 फसल -ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं;

v. दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल - ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं.

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अव-मानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अव-मानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई हैं.

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अव-मानक वर्ग में रह गई हैं.

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि का अभिज्ञान हो गया है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है.

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा -निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अव-मानक आस्तियाँ :	i. 10% का सामान्य प्रावधान ii. ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
संदिग्ध आस्तियाँ :	
-प्रतिभूत भाग :	i. एक वर्ष तक - 20% ii. एक से तीन वर्ष तक - 30% iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%
-अप्रतिभूत भाग	100%
हानिप्रद आस्तियाँ :	100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के अनर्जक अग्रिमों के संबंध में प्रावधान-स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक था उसके अनुसार किया गया है.

3.5 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है, यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से कम है तो इस कमी को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया गया है और यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त राशि को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय पर होने वाली कमी / हानि को पूरा करने के लिए रख लिया गया है. विशिष्ट प्रावधानों तथा भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावों को घटाने पर शेष राशि को निवल बही मूल्य कहा गया है.

3.6 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है.

3.7 पुनर्संरचनागत / पुन: निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप दिए गए

for 90 days as on the date of balance-sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period;

iii. In respect of bills purchased/discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;

iv. In respect of agricultural advances for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons;

v. In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

3.2 NPAs are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

i. Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.

ii. Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.

iii. Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

3.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

Substandard Assets:	i. A general provision of 10% ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio)
Doubtful Assets:	
- Secured portion:	i. Upto one year – 20% ii. One to three years – 30% iii. More than three years – 100%
- Unsecured portion	100%
Loss Assets:	100%

3.4 In respect of foreign offices, provisions for non performing advances are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.

3.5 The sale of NPAs is accounted as per guidelines prescribed by RBI. If the sale is at a price below net book value, the shortfall is debited to the profit and loss account, and in case of sale for a value higher than net book value, the excess provision is retained and utilised to meet the shortfall / loss on sale of other financial assets. Net book value is outstandings as reduced by specific provisions held and ECGC claims received.

3.6 Advances are net of specific loan loss provisions, unrealised interest, ECGC claims received and bills rediscounted.

3.7 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require that the difference between the

पुनर्संचित के पहले एवं बाद के उचित मूल्य की राशि अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा. उपरोक्त आस्तियों से उद्भूत उत्सर्जित ब्याज एवं उचित मूल्य में कमी के प्रावधान को अग्रिम से घटाया गया है.

3.8 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है.

3.9 पूर्ववर्ती वर्षो में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण आय के रूप में किया गया है.

3.10 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं. ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के ''अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य'' शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया गया है.

4. अस्थायी प्रावधान

बैंक में अग्रिमों, विनिधानों तथा सामान्य प्रयोजनों के लिए पृथक रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है. सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है. इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा.

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं. इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है, तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है. यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है. यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के ''अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य'' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है.

6. डेरीवेटिव्स :

6.1 बैंक तुलनपत्र की / तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर विनिमय, मुद्रा विनिमय, परस्पर मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार निष्पादित करता है. तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो. इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है.

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है. बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों.

6.3 सिवा उपर्युक्त के, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई हैं. बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि

fair value of the loan before and after restructuring is provided for, in addition to provision for NPAs. The provision for diminution in fair value and interest sacrifice, arising out of the above, is reduced from advances.

3.8 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.

3.9 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue.

3.10 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets. These provisions are reflected in Schedule 5 of the balance sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at Net NPAs.

4. Floating Provisions

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purpose. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

5. Provision for Country Exposure

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are held for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit, and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in schedule 5 of the balance sheet under the "Other liabilities & Provisions – Others".

6. Derivatives:

6.1 The Bank enters into derivative contracts, such as foreign currency options, interest rate swaps, currency swaps, and cross currency interest rate swaps and forward rate agreements in order to hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items. The impact of such derivative instruments is correlated with the movement of the underlying assets and accounted in accordance with the principles of hedge accounting.

6.2 Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying Assets / Liabilities are also marked to market.

6.3 Except as mentioned above, all other derivative contracts are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry. In respect of derivative contracts that are marked to market, changes in the market value are recognised

खाते में शामिल किए गए हैं. डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया गया है.

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम ऑप्शन की अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है. विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है.

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए विनिधान को बाजार द्वारा दी गई प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है.

7. अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रासः

7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास से कम लागत पर अंकन किया गया है.

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई व्यवसाय फीस शामिल हैं. उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं.

7.3 इन देशी परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर एवं एटीएम	सीधी कटौती पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	ह्रासित मूल्य पद्धति	60%
3	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में न शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	सीधी कटौती पद्धति	अभिग्रहण वर्ष में 100%
4	31 मार्च 2001 तक वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ	सीधी कटौती पद्धति	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित दर पर
5	अन्य अचल आस्तियाँ	ह्रासित मूल्य पद्धति	आयकर नियम 1962 के अधीन निर्धारित दर पर

7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों के लिए प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास 180 दिनों तक प्रयुक्त आस्तियों पर अर्धवर्ष के लिए तथा 180 दिनों से अधिक प्रयुक्त आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है, जबकि कंप्यूटरों और साफ्टवेयर पर मूल्यह्रास - इस आस्ति का उपयोग करने की अवधि से निरपेक्ष पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है.

7.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹ 1,000/- से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है.

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो, तो को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है.

in the profit and loss account in the period of change. Any receivable under derivatives contracts, which remain overdue for more than 90 days, are reversed through profit and loss account.

6.4 Option premium paid or received is recorded in profit and loss account at the expiry of the option. The Balance in the premium received on options sold and premium paid on options bought have been considered to arrive at Mark to Market value for forex Over the Counter options.

6.5 Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

7. Fixed Assets and Depreciation

7.1 Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation.

7.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

7.3 The rates of depreciation and method of charging depreciation in respect of domestic operations are as under:

Sr. No.	Description of fixed assets	Method of charging depreciation	Depreciation/ amortisation rate
1	Computers & ATM	Straight Line Method	33.33% every year
2	Computer software forming an integral part of hardware	Written Down Value Method	60%
3	Computer Software which does not form an integral part of hardware	–	100% depreciated in the year of acquisition
4	Assets given on financial lease upto 31st March 2001	Straight Line Method	At the rate prescribed under the Companies Act, 1956
5	Other fixed assets	Written down value method	At the rate prescribed under the Income-tax Rules, 1962

7.4 In respect of assets acquired during the year for domestic operations, depreciation is charged for half a year in respect of assets used for upto 180 days and for the full year in respect of assets used for more than 180 days, except depreciation on computers and software, which is charged for the full year irrespective of the period for which the asset was put to use.

7.5 Items costing less than ₹ 1,000 each are charged off in the year of purchase.

7.6 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year.

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है.

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है.

8. पट्टे

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंडों का उपरोक्त पैरा 3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय पट्टों में भी प्रयोग किया गया है.

9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की अग्रानीत राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है. धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के अग्रानीत मूल्य की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है. यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के अग्रानीत मूल्य और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है.

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है.

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की अंतिम तत्काल / वायदा दरों का प्रयोग करके दी गई है.

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है.

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है.

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है.

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है. ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है.

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है.

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन

7.7 In respect of assets given on lease by the Bank on or before 31st March 2001, the value of the assets given on lease is disclosed as Leased Assets under fixed assets, and the difference between the annual lease charge (capital recovery) and the depreciation is taken to Lease Equalisation Account.

7.8 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries.

8. Leases

The asset classification and provisioning norms applicable to advances, as laid down in Para 3 above, are applied to financial leases also.

9. Impairment of Assets

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

10. Effect of changes in the foreign exchange rate

10.1 Foreign Currency Transactions

i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii. Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot/forward rates.

iii. Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv. Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v. Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi. Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are valued at the closing spot rate. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii. Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii. Gains / Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades

गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है.

10.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

क. असमाकलित परिचालन :

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है.

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत अंतिम दर पर रूपांतरित किया गया है.

iii. निवल विनिधान का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्‌भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है.

iv. विदेश स्थित कार्यालयों की आस्तियों और देयताओं की विदेशी मुद्रा (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) को उस देश में प्रयोज्य तत्काल दरों का प्रयोग करके स्थानीय मुद्रा में रूपांतरित किया गया है.

ख. समाकलित परिचालन :

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है.

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है.

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रानीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है.

11. कर्मचारी हितलाभ

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ :

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, आकस्मिक अवकाश आदि की बट्‌टारहित राशि को, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है.

11.2 नौकरी उपरांत हितलाभ :

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है, बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं. बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है. इन अंशदान को, इस उद्‌देश्य के लिए

are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains / losses are recognised in the profit and loss account.

10.2 Foreign Operations

Foreign Branches of the Bank and Offshore Banking Units have been classified as Non-integral Operations and Representative Offices have been classified as Integral Operations.

a. Non-integral Operations:

i. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

ii. Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

iii. Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

iv. The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

b. Integral Operations:

i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii. Monetary foreign currency assets and liabilities of integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date and the resulting profit/loss is included in the profit and loss account.

iii. Foreign currency non-monetary items which are carried in terms of historical cost are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

11. Employee Benefits

11.1 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

11.2 Post Employment Benefits:

i. Defined Benefit Plan

a. The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These

स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया गया है तथा लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है. न्यास-निधियों को बैंक में जमाराशि के रूप में धारित किया गया है. बैंक, वार्षिक अंशदान और बैंक द्वारा धारित जमाराशियों पर ब्याज देने के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी होता है. यह ब्याज - दर भविष्य निधि की बकाया राशियों पर देय निर्दिष्ट न्यूनतम ब्याज दर के बराबर होती है. बैंक - इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है.

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है.

ग. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है. यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है. यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि या रु. दस लाख की अधिकतम राशि होती है. यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है. बैंक इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है.

घ. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है.यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर विभिन्न चरणों में किया जाता है. पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है. बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का वार्षिक अंशदान करता है. निर्धारण के समय उपयोग में लाए जाने के लिए शेष राशि विशेष प्रावधान खाते में रखी गई है.

ङ. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रानीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है. बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है.

ii. नियत अंशदान योजनाएँ :

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना को लागू किया है, जो एक नियत अंशदान योजना है और नये कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं है। योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक, इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 % की राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा गया है और इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया गया है. बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को सम्बंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है.

contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The trust funds are retained as deposits in the bank. The bank is liable for annual contributions and interest on deposits held by the bank, which is payable at Government specified minimum rate of interest on provident fund balances. The bank recognises such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate.

b. The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

c. The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of ₹ 10 lac. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

d. The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually. The Bank makes annual contribution to the pension fund at 10% of salary in terms of SBI Pension Fund Rules. The balance is retained in the special provision account to be utilised at the time of settlement.

e. The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/losses are immediately recognised in the statement of profit and loss and are not deferred.

ii. Defined Contribution Plans

The bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st August, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing SBI Pension Scheme. Pending finalisation of the detailed scheme, the employees covered under the scheme contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. These contributions are retained as deposits in the bank and earn interest at the same rate as that of the current account of Provident Fund balance. The bank recognises such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate.

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ

क. बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वास भत्ते का पात्र होता है. इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई गई है.

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है. पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है.

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बंधित देशों के स्थानीय विधियों / विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया गया है।

12. आय पर कर :

12.1 वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय है. चालू वर्ष के करों का निर्धारण लेखा मानक 22 और भारत में प्रचलित कर नियमों के अनुसार विदेश स्थित कार्यालयों के संबंधित देशों के कर नियमों का समायोजन करके किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में उस अवधि के दौरान हुए उतार-चढ़ाव आस्थगित कर समायोजनों में समाविष्ट हैं.

12.2 आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन अधिनियमित कर - दरों और कर - कानूनों अथवा तुलनपत्र - तिथि के काफी पूर्व अधिनियमित दरों और कानून के आधार पर किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का अभिज्ञान विवेकपूर्ण आधार पर आस्तियों और देयताओं के अग्रानीत मूल्य और उनके क्रमश: कर-आधार और अग्रानीत क्षतियों के बीच अवधिगत विभेद को ध्यान में रखकर किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है.

12.3 आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली की निश्चितता होने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, प्रत्येक सूचित तिथि को रेखांकित और पुनर्निर्धारित किया गया है. जब यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया है कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली भावी लाभ से की जा सकती है, तब आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान अनवशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों के अग्रेषण पर किया गया है.

13. प्रति शेयर आय

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है.

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी. कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है.

iii. Other Long Term Employee benefits

a. All eligible employees of the bank are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.

b. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognised in the statement of profit and loss and is not deferred.

11.3 Employee benefits relating to employees employed at foreign offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

12. Taxes on income

12.1 Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax. Current taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.

12.2 Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantially enacted prior to the balance sheet date. Deferred tax assets and liabilities are recognised on a prudent basis for the future tax consequences of timing differences arising between the carrying values of assets and liabilities and their respective tax bases, and carry forward losses. The impact of changes in the deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

12.3 Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realisation is considered reasonably certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

13. Earnings per Share

13.1 The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 -'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic earnings per share are computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

13.2 Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियां

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ'' में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, यह संभव है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है.

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का अभिज्ञान नहीं किया गया है

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है. इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है.

14.3 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है.

15. शेयर जारी करने का व्यय

शेयर जारी करने के व्यय को शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किया गया है.

14. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

14.1 In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

14.2 No provision is recognised for

i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or

ii. any present obligation that arises from past events but is not recognised because

a. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or

b. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

14.3 Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

15. Share Issue Expenses

Share issue expenses are charged to the Share Premium Account.

अनुसूची - 18

लेखा-टिप्पणियाँ

(राशि करोड़ रुपयों में)

18.1 **पूंजी :**

1. पूंजी-पर्याप्ता अनुपात :

	मदें	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
(i)	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - (%) (बेसल - I)	10.69	12.00
(ii)	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात-श्रेणी - I पूंजी (%) (बेसल -I)	6.93	8.46
(iii)	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात-श्रेणी - II पूंजी (%) (बेसल - I)	3.76	3.54
(iv)	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात-(%) (बेसल - II)	11.98	13.39
(v)	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात-श्रेणी - I पूंजी (%) (बेसल - II)	7.77	9.45
(vi)	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात-श्रेणी - II पूंजी (%) (बेसल - II)	4.21	3.94
(vii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	59.40	59.41
(viii)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या	37,72,07,200	37,72,07,200
(ix)	गौण ऋणों श्रेणी -ii पूंजी की राशि	₹ 34,671.40	₹ 27,174.40
(x)	श्रेणी - II पूंजी के रूप में उगाही गई गौण ऋणों की राशि	₹ 7,497.00*	निरंक
(xi)	इनमें (उपरोक्त, ix) के उच्च श्रेणी - II पूंजी के लिए उपयुक्त राशि	₹ 20,016.40	₹ 19,466.40
(xii)	आईपीडीआई के निर्गम द्वारा उगाही गई राशि (बाण्डों की राशि सहित जिस प्रकार नीचे वर्णन किया गया है)#	₹ 4952.42**	₹ 4,805.96

* क) ₹ 1,000 करोड़ की राशि, जो पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, जिसे भारतीय स्टेट बैंक ने 26 अगस्त 2010 को अधिग्रहित किया था, के द्वारा जारी बाँडों के माध्यम से उगाही गई राशि सहित.

ख) ₹ 6,497 करोड़ की राशि जो अक्टूबर 2010 एवं फरवरी 2011 में जारी सार्वजनिक निर्गम बांडों के माध्यम से संग्रह की गई राशि सहित.

** पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, जिसे भारतीय स्टेट बैंक ने 26 अगस्त 2010 को अधिग्रहित किया था, के द्वारा जारी बाँडों की राशि ₹ 165 करोड़ सहित.

\# पिछले वर्ष उगाही गई ₹ 2,000 करोड़ की राशि की गणना, जिसमें से ₹ 550 करोड़ की राशि एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि द्वारा निवेश की गई है, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार श्रेणा-I पूंजी के लिए नहीं की गई है.

2. शेयर पूंजी

क) वर्ष के दौरान बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 1,000 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,000 करोड़ हो गई है. और ₹ 10/- प्रति शेयर दर वाले पांच सौ करोड़ शेयरों में विभाजित है.

ख) राइटस इश्यू - 2008 के अंतर्गत रोके रखे गये 85,856 शेयरों में से वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 10 प्रति नकदी मूल्य के 1,741 ईक्विटी शेयरों को ₹ 1,580/- प्रीमियम पर प्रति ईक्विटी शेयर की दर से कुल ₹ 27,68,190 के शेयर आवंटित किए है। ₹ 27,68,190/- के कुल प्राप्त अशंदान में से ₹ 17,410/- की राशि शेयर पूंजी खाते में और ₹ 27,50,780 की राशि शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित की गई थी. इसके अतिरिक्त, पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय होने के बाद इसके शेयरधारकों को 1,14,606 ईक्विटी शेयर आबंटित किए गए और ₹ 11,46,060 की राशि को शेयर पूंजी खाते में अंतरित किया गया है.

ग) बैंक ने राइटस इश्यू के अंतर्गत ₹ 10 प्रति शेयर की दर से जारी किए गए 84,115 (पिछले वर्ष 85,856) ईक्विटी शेयरों के आवंटन को रोके रखा क्योंकि या तो वे विवादग्रस्त थे अथवा न्यायिक प्रक्रिया के अधीन थे.

Schedule - 18

NOTES TO ACCOUNTS

(Amount in Rupees in crores)

18.1 **Capital:**

1. Capital Adequacy Ratio:

	Items	As at 31 Mar 2011	As at 31 Mar 2010
(i)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio (%) (Basel-I)	10.69	12.00
(ii)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier I capital (%) (Basel-I)	6.93	8.46
(iii)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier II capital (%)(Basel-I)	3.76	3.54
(iv)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio (%) (Basel-II)	11.98	13.39
(v)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier I capital (%) (Basel-II)	7.77	9.45
(vi)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier II capital (%)(Basel-II)	4.21	3.94
(vii)	Percentage of the Shareholding of Government of India	59.40	59.41
(viii)	Number of Shares held by Government of India	37,72,07,200	37,72,07,200
(ix)	Amount of Subordinated Debt Tier-II capital	₹ 34,671.40	₹ 27,174.40
(x)	Amount raised by issue of Subordinated Debt Tier-II capital during the year	₹ 7,497.00*	Nil
(xi)	Out of which ((ix), above) amount eligible for Upper Tier –II capital	₹ 20,016.40	₹ 19,466.40
(xii)	Amount raised by issue of IPDI (inclusive of Hybrid Bonds as detailed below)#	₹ 4952.42**	₹ 4,805.96

* a. Includes ₹ 1,000 crores of bonds raised by erstwhile State Bank of Indore (SBIN) merged with SBI on 26th August 2010.

b. Incudes ₹ 6,497 crores raised vide Public Issue of Bonds in October 2010 and February 2011.

** Includes ₹ 165 crores of Bonds raised by erstwhile State Bank of Indore (e SBIN) merged with SBI on 26th August 2010.

\# Includes ₹ 2,000 crores raised during the year 2009-10, of which ₹ 550 crores invested by SBI employee Pension Fund, not reckoned for the purpose of Tier I Capital as per RBI instructions.

2. Share capital:

a) During the year, the authorised share capital of the Bank is increased from ₹ 1,000 crores to ₹ 5,000 crores divided into five hundred crores shares of ₹ 10/- each.

b) During the year, the Bank has allotted 1,741 equity shares of ₹ 10/- each for cash at a premium of ₹ 1,580 per equity share aggregating to ₹ 27,68,190 out of 85,856 shares kept in abeyance under Right Issue - 2008. Out of the total subscription of ₹ 27,68,190 received, ₹ 17,410 was transferred to Share Capital Account and ₹ 27,50,780/- to Share Premium Account. Further, 1,14,606 shares of ₹ 10 each were allotted to the share holders of erstwhile State Bank of Indore upon its merger with State Bank of India and ₹ 11,46,060 was transferred to Share Capital Account.

c) The Bank has kept in abeyance the allotment of 84,115 (Previous Year 85,856) Equity Shares of ₹ 10 each issued as a part of Rights issue, since they are subject to title disputes or are subjudice.

3. **संमिश्र बांड**

विदेशी मुद्रा में जारी तथा संमिश्र श्रेणी I पूंजी के अंतर्गत आने वाले बांडों एवं बकाया ऐसे बांडों का विवरण निम्नवत है :

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.11 तक समतुल्य	31.03.10 तक समतुल्य
एमटीएन कार्यक्रम-12वीं शृंखला* के अंतर्गत जारी बांड	15.02.2007	बेमियादी नॉन कॉल 10-25 वर्ष	अमरीकी डालर-400 मिलियन	₹ 1,783.80	₹ 1,795.71
एमटीएन कार्यक्रम-14वीं शृंखला# के अंतर्गत जारी बांड	25.06.2007	बेमियादी नॉन कॉल-10 वर्ष 1दिन	अमरीकी डालर 225 मिलियन	₹ 1,003.62	₹ 1,010.25
योग			**अमेरिकी डालर 625 मिलियन**	**₹ 2,787.42**	**₹ 2,805.96**

* यदि बैंक 15.05.2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा.

\# यदि बैंक 27.06.2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा.

ये बांड सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हैं.

18.2 **विनिधान :**

1. बैंक के विनिधानों तथा विनिधानों पर हुए मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का ब्योरा निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
1. विनिधानों का मूल्य		
i) विनिधानों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	2,86,732.72	2,88,076.73
(ख) भारत से बाहर	10,221.32	8,409.19
ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	1,145.72	513.14
(ख) भारत से बाहर	207.75	187.58
III) विनिधानों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	2,85,587.00	2,87,563.59
(ख) भारत से बाहर	10,013.57	8,221.61
2. विनिधानों के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i) अथशेष	700.72	1,727.63
ii) जोड़ें: पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के अभिग्रहण के कारण वृद्धि	3.77	—
iii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	670.76	359.37
iv) घटाएँ : वर्ष के दौरान व्यवहृत प्रावधान	(2.23)	38.92
v) घटाएँ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन	24.01	1,347.36
vi) इति शेष	1,353.47	700.72

टिप्पणी :

क. विनिधानों में रिजर्व बैंक के तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत उपयोग में ली गई ₹ 27,000 करोड़ की प्रतिभूतियाँ सम्मिलित नहीं है (पिछले वर्ष निरंक).

ख. ₹ 11,117 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11,000 करोड़) का विनिधान भारतीय रिज़र्व बैंक/ क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के पास साथ-साथ सकल भुगतान/प्रतिभूति समाधान (आरटीजीएस/एनडीएस) के अंतर्गत मार्जिन स्वरूप रखा गया है.

ग. बैंक ने एसबीआई डीएफएचआई के अपने अंश जिसका बही मूल्य ₹ 88.53 करोड़ था, को ₹ 176.96 करोड़ में बेच दिया है.

घ. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 04.11.2011 परिपत्र क्रमांक डीबीओडी सं. बीपीबीसी/ 21.04.141/2010-11 के अनुसरण में बैंक ने दिनांक 1 जनवरी 2011 से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित लेखांकण पद्धति को ''सौदे की तारीख की लेखा'' से बदल कर ''निपटान की तारीख लेखा'' में कर लिया गया है. परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2010-11 में सरकारी क्षेत्र से लाभ ₹ 1,60,000 कम हुआ है.

च. 1 अप्रैल 2010 से भारतीय रिजर्व बैंक के तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत किए गए लेनदेन को छोड़कर पुनर्खरीद करार (रेपो) पर बेची गई प्रतिभूतियाँ एवं पुनर्विक्रय करार (रिवर्स रेपो) पर खरीदी गई प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक द्वारा रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए समान लेखांकन पद्धति पर जारी 23 मार्च 2010 के परिपत्र क्रमांक आरबीआइ/2009-10/ 356/आईडीएमडी/4135/11.08.43/2009-2010 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार क्रमश: ऋण प्राप्ति एवं ऋण प्रदान लेनदेन के रूप में दिखाया गया है.

3. **Hybrid Bonds:**

The details of bonds issued in foreign currency, which qualify for Hybrid Tier I Capital and outstanding are as under:

Particulars	Date of Issue	Tenor	Amount	Equivalent as on 31-03-11	Equivalent as on 31-03-10
Bonds issued under the MTN Programme-12th Series*	15.02.2007	Perpetual Non Call 10-25 years	USD 400 million	₹ 1,783.80	₹ 1,795.71
Bonds issued under the MTN Programme-14th Series#	25.06.2007	Perpetual Non Call 10 years 1 day	USD 225 million	₹ 1,003.62	₹ 1,010.25
Total			**USD 625 million**	**₹ 2,787.42**	**₹ 2,805.96**

* If the Bank does not exercise call option by 15th May 2017, the interest rate will be raised and fixed rate will be converted to floating rate.

\# If the Bank does not exercise call option by 27th June 2017, the interest rate will be raised and fixed rate will be converted to floating rate.

These bonds are listed in Singapore stock exchange.

18.2 **Investments**

1. The Details of investments and the movement of provisions held towards depreciation on investments of the Bank are given below:

Particulars	As at 31-Mar-2011	As at 31-Mar-2010
1. Value of Investments		
i) Gross value of Investments		
(a) In India	2,86,732.72	2,88,076.73
(b) Outside India	10,221.32	8,409.19
ii) Provisions for Depreciation		
(a) In India	1,145.72	513.14
(b) Outside India	207.75	187.58
iii) Net value of Investments		
(a) In India	2,85,587.00	2,87,563.59
(b) Outside India	10,013.57	8,221.61
2. Movement of provisions held towards depreciation on investments		
i) Opening Balance	700.72	1,727.63
ii) Add: Addition on account of acquisition of e-SBS	3.77	—
iii) Add: Provisions made during the year	670.76	359.37
iv) Less: Provisions utilised during the year	(2.23)	38.92
v) Less: Write back of excess provision during the year.	24.01	1,347.36
vi) Closing balance	1,353.47	700.72

Notes:

a. Investments exclude securities utilised under Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI ₹ 27,000 crores (Previous Year Nil).

b. Investments amounting to ₹ 11,117 crores (Previous Year ₹ 11,000 crores) are kept as margin with RBI/Clearing Corporation of India Limited towards Real Time Gross Settlement / Securities Settlement (RTGS/NDS).

c. Bank sold it's stake in SBI DFHI Limited having book value of ₹ 88.53 crores for a sale price of ₹ 176.96 crores.

d. As per RBI Circular Numbered DBOD No. BP.BC.58/21.04.141/2010-11 dated 4/11/2010, the Bank with effect from 1st January 2011, changed the method of accounting for investments in Government Securities (Gsec) to "Settlement Date Accounting" as against "Trade Date Accounting" previously. As a result the profits from Gsec is less by ₹ 1,60,000 in Financial Year 2010-11.

e. Effective, 1st April 2010, securities sold under agreements to repurchase (Repos) and securities purchased under agreements to resell (Reverse Repos), excluding transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility with RBI, are reflected as borrowing and lending transactions respectively in accordance with RBI guidelines under reference RBI/2009-10/356 IDMD/4135/11.08.43/2009-10 dated 23rd March 2010 on Uniform Accounting for Repo/ Reverse Repo Transactions. In the previous period, these transactions were recorded under investments as sale and purchase transactions respectively. This change in accounting has no impact on the profitability of the Bank.

छ. वर्ष के दौरान बैंक ने अपने अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में ₹ 612.19 अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया।

संयुक्त उद्यम / अनुषंगी के नाम	राशि
एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	57.00
एसबीआई मैसूर (राइट इश्यू)	538.49
एसबीआई मैक्वैरी इंफ्रास्ट्रकवर मैनजमेंट प्रा. लि.	16.68
एसबीआई मैक्वैरी इंफरा. न्यासी	0.02
कुल	**612.19**

घ. वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित कंपनियों में नया विनिधान किया है.

संयुक्त उद्यम / अनुषंगी / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम	राशि
एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	2.00
ओमान इंडिया संयुक्त विनिधान फंड मैनजमेंट क. प्रा. लि.	2.30
ओमान इंडिया संयुक्त विनिधान फंड न्यासी क. प्रा. लि.	0.01
कुल	**4.31**

f. During the year, the Bank has infused additional capital of ₹ 612.19 crores in following Subsidiaries/Joint Ventures/Associates:-

Name of the JV/Associate	Amount
SBI Cards and Payment Services Pvt. Ltd.	57.00
State Bank of Mysore (Rights Issue)	538.49
SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.	16.68
SBI Macquarie Infra. Trustee	0.02
Total	**612.19**

g. During the year, the Bank has infused fresh investment in the following companies :-

Name of the JV/Associate	Amount
SBI Payment Services Pvt. Ltd.	2.00
Oman India Joint Investment Fund Management Co. Pvt. Ltd.	2.30
Oman India Joint Investment Fund Trustee Co. Pvt. Ltd.	0.01
Total	**4.31**

2. **रेपो लेनदेन / Repo Transactions**

वर्ष के दौरान रेपो और प्रत्यावर्तित रेपो के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का ब्योरा निम्नानुसार है:

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year are given below:

विवरण / Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि Daily Average outstanding during the year	वर्ष के अंत में शेष राशि Balance as on year end
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under repos	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
i) सरकारी प्रतिभूतियां i) Government securities	— (—)	43,500.00 (7249.37)	7,015.62 (241.63)	27,000.00 (—)
ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियां ii) Corporate debt securities	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
प्रत्यावर्तित रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse repos	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
i) सरकारी प्रतिभूतियां i) Government securities	— (—)	12,000.00 (74,295.69)	126.03 (25,253.38)	0.00 (0.00)
ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियां ii) Corporate debt securities	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं) / (Figures in brackets are for Previous Year)

3. **गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) विनिधान संविभाग**
Non-SLR Investment Portfolio

क) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) विनिधानों की निर्गमकर्ता-संरचना :

(a) Issuer composition of Non SLR Investments :

बैंक के गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) विनिधानों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है :

The issuer composition of Non-SLR investments of the Bank is given below:

सं. No.	निर्गमकर्ता / Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of Private Placement	'विनिधान श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा * Extent of `Below Investment Grade' Securities *	'बिना रेटिंग वाली' प्रतिभूतियों की मात्रा * Extent of `Unrated' Securities *	'असूचीगत' प्रतिभूतियों की मात्रा * Extent of `Unlisted' Securities *
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / PSUs	13,513.06 (16,024.10)	979.87 (3,699.26)	50.00 (176.61)	— (—)	50.25 (27.56)
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ / FIs	4,610.16 (2,957.68)	3,540.41 (2,204.78)	— (592.59)	0.40 (22.61)	0.41 (874.50)
(iii)	बैंक / Banks	8,952.92 (14,299.17)	4,833.61 (11,892.98)	66.80 (30.25)	44.37 (56.10)	126.41 (146.14)
(iv)	गैर सरकारी कारपोरेट Private Corporates	8,160.26 (6,483.08)	2,744.83 (1,050.11)	22.30 (23.17)	400.81 (377.31)	596.06 (1,023.60)
(v)	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम** Subsidiaries / Joint ventures **	6,461.33 (5,692.16)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
(vi)	अन्य / Others	23,542.88 (23,026.93)	— (392.88)	139.47 (81.94)	19,099.25 (1,079.50)	18,276.04 (561.61)
(vii)	मूल्यह्रास के लिए रखा गया प्रावधान Provision held towards depreciation	805.20 (439.07)	— (—)	28.40 (25.99)	109.80 (79.13)	67.20 (57.47)
	योग / Total	64,435.41	12,098.72	250.17	19,435.03	18,982.15
	पिछला वर्ष/ Previous Year	(68,044.05)	(19,240.01)	(878.57)	(1,456.39)	(2,575.94)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं / Figures in brackets are for Previous Year)

* ईक्विटी, ईक्विटी-सम्बद्ध लिखतों, आस्ति समर्थित प्रतिभूतिकृत लिखत, सरकारी प्रतिभूतियों और पास -थ्रू-सर्टिफिकेट में विनिधान को इन श्रेणियों के अंतर्गत इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं.

** अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों में विनिधानों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं. अन्य विनिधान आरआईडीएफ जमा योजना के तहत नाबार्ड में जमा राशि ₹ 18,230.00 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 17,833.89 करोड़).

* Investment in Equity, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets Backed Securities, Central Government Securities and pass through certificates have not been segregated under these categories, as these are not covered under relevant RBI Guidelines.

** Investments in Subsidiaries/Joint Ventures have not been segregated into various categories as these are not covered under relevant RBI Guidelines. Other investments include deposits with NABARD under RIDF Deposit Scheme amounting to ₹ 18,230.00 crores (Previous Year ₹ 17,833.89 crores).

ख) **अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) विनिधान**

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	332.80	598.22
वर्ष के दौरान वृद्धि	8.24	25.02
वर्ष के दौरान कमी	12.64	290.44
इति शेष	328.40	332.80
रखे गए कुल प्रावधान	304.10	323.50

18.3 **डेरीवेटिव्स :**

क) वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

विवरण		31मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
i)	विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि	105,850.77	93,984.43
ii)	प्रतिपक्षों द्वारा करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियाँ	1,330.75	1,355.92
iii)	विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	निरंक	निरंक
iv)	विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का केन्द्रीकरण	नगण्य	नगण्य
v)	विनिमय - बही का उचित मूल्य	671.95	266.49

ख) बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की वर्ष के दौरान आनुमानिक मूल राशि		
	क ब्याज दर वायदे	1,26,409.89	56,935.76
	ख 10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	2.00	431.57
2	31 मार्च 2011 को बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि		
	क ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
	ख 10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	निरंक	निरंक
3	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि जो बकाया है और ''अत्यधिक प्रभावी'' नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और ''अत्यधिक प्रभावी'' नहीं है.	लागू नहीं	लागू नहीं

ग) डेरीवेटिव्स में जोखिम वाले निवेश का प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

i. बैंक वर्तमान में काउंटर पर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरीवेटिव्स तथा ब्याज दर और मुद्रा वायदों का लेनदेन करता है. बैंक द्वारा जिन ब्याज दर डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, रुपया ब्याज दर विनिमय, विदेशी मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार शामिल हैं. बैंक द्वारा जिन मुद्रा डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, मुद्रा विनिमय, रुपया डालर विकल्प और परस्पर-मुद्रा विकल्प शामिल हैं. चालू वर्ष में बैंक ने एक्सचेंज ट्रेडेट ऑप्सन्स में लेनदेन भी शुरू किया है. बैंक के ग्राहकों को उत्पादों के विक्रय - प्रस्ताव, उनके निवेशों की बचाव - व्यवस्था करने के लिए दिए जाते हैं और बैंक ऐसे निवेशों हेतु बचाव-व्यवस्था करने के लिए डेरीवेटिव्स संविदाएँ निष्पादित करता है. बैंक द्वारा डेरीवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलनपत्र की मदों के लिए बचाव-व्यवस्था करने हेतु भी किया जाता है. बैंक इस प्रकार के सामान्य लिखतों का भी लेनदेन करता है. बैंक ने ग्राहकों से विकल्प सौदे और संरचनागत उत्पाद - विक्रय का लेनदेन किया है, किन्तु उनके लिए अंतर-बैंक बाजार में परस्पर मुद्रा आधारित वायदा - करार किए गए हैं.

ii. डेरीवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होती हैं, अर्थात् ब्याज दरों/विनिमय दरों / ईक्विटी दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही ऋण जोखिम, अर्थात् यदि प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया गया, तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है. बोर्ड द्वारा यथाविधि अनुमोदित बैंक की ''डेरीवेटिव्स नीति'' में बाजार जोखिम (हानि कम करने के लिए सतर्कता बिन्दु, आंरभिक राशि सीमा, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01, आदि) के मानदंड निर्धारित किए गए हैं. इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, ऋण अवधि आदि) भी निर्धारित किए गए हैं. केवल इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरें उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरीवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया गया है। बाध्यताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए समुचित ऋण - सीमा निर्धारित की जाती है और बैंक ऐसे प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आईएसडीए करार भी करता है.

iii. उपरोक्त जोखिमों के कुशल प्रबंधन पर बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) निगरानी रखती है. ट्रेजरी स्थित बैंक का मिड - ऑफिस एवं जोखिम नियंत्रण विभाग (एम ओ आर सी) जो कि अब बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) कहलाता है, डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम का स्वतंत्र रूप से अभिनिर्धारण, आकलन तथा अनुवर्तन करता है और इन

b) Non Performing Non-SLR Investments

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	332.80	598.22
Additions during the year	8.24	25.02
Reductions during the year	12.64	290.44
Closing balance	328.40	332.80
Total provisions held	304.10	323.50

18.3 **Derivatives**

a) Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps

Particulars		As at 31-Mar-2011	As at 31-Mar-2010
i)	The notional principal of swap agreements	105,850.77	93,984.43
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	1,330.75	1,355.92
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	Not significant	Not significant
v)	The fair value of the swap book	671.95	266.49

b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year		
	A Interest Rate Futures	1,26,409.89	56,935.76
	B 10 Year Government of India Security	2.00	431.57
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2011		
	A Interest Rate Futures	Nil	Nil
	B 10 Year Government of India Security	Nil	Nil
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	N.A.	N.A.
4	Marked-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective".	N.A.	N.A.

c) Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

(A) Qualitative Disclosure

i. The Bank currently deals in over-the-counter (OTC) interest rate and currency derivatives as also in Interest Rate and Currency Futures. Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are rupee interest rate swaps, foreign currency interest rate swaps and forward rate agreements. Currency derivatives dealt with by the Bank are currency swaps, rupee dollar options and cross-currency options. The Bank has also started dealing in Exchange traded options in the current year. The products are offered to the Bank's customers to hedge their exposures and the Bank enters into derivatives contracts to cover such exposures. Derivatives are used by the Bank both for trading as well as hedging on balance sheet items. The Bank also deals in a mix of these generic instruments. The Bank has done Option deals and Structured Products with customers, but they have been covered on a back to back basis in inter-bank market.

ii. Derivative transactions carry market risk i.e. the probable loss the Bank may incur as a result of adverse movements in interest rates/exchange rates/equity prices and credit risk i.e. the probable loss the Bank may incur if the counterparties fail to meet their obligations. The Bank's "Policy for Derivatives" approved by the Board prescribes the market risk parameters (cut-loss triggers, open position limits, duration, modified duration, PV01 etc.) as well as customer eligibility criteria (credit rating, tenure of relationship etc.) for entering into derivative transactions. Credit risk is controlled by entering into derivative transactions only with counterparties satisfying the criteria prescribed in the Policy. Appropriate limits are set for the counterparties taking into account their ability to honour obligations and the Bank enters into ISDA agreement with each counterparty.

iii. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank oversees efficient management of these risks. The Bank's Mid-Office and Risk Control (MORC) Department at Treasury,

जोखिमों को नियंत्रित एवं न्यूनीकृत करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है । साथ ही बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीतिगत उपाय सुझाने के साथ-साथ नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है.

iv. डेरीवेटिव्स के लिए लेखा नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2010-11 की महत्वपूर्ण लेखा नीति (एसएपी) : अनुसूची 17 में दिया गया है.

v. विदेशी कार्यालयों में ब्याज दर विनिमय का उपयोग मुख्यत: आस्ति और देयताओं की बचाव-व्यवस्था हेतु किया जाता है.

vi. बचाव-व्यवस्था विनिमय के अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों के विनिमयों में, हमारे विदेशी कार्यालयों में किए जाने वाले परस्पर मुद्रा-विनिमय, जो ग्लोबल मार्केट्स, कोलकाता में मुख्यत: विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) जमाराशियों की बचाव-व्यवस्था हेतु निष्पादित होते हैं, शामिल हैं.

vii. हमारे अधिकांश विनिमय प्रथम श्रेणी के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ निष्पादित होते थे.

now Market Risk Management Department (MRMD) independently identifies, measures, monitors market risk associated with derivative transactions, assists ALCO in controlling and managing these risks and reports compliance with policy prescriptions to the Risk Management Committee of the Board (RMCB) at regular intervals.

iv. The accounting policy for derivatives has been drawn-up in accordance with RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17: Significant Accounting Policies (SAP) for the financial year 2010-11.

v. Interest Rate Swaps are mainly used at Foreign Offices for hedging of the assets and liabilities.

vi. Apart from hedging swaps, swaps at Foreign Offices consist of back to back swaps done at our Foreign Offices which are done mainly for hedging of FCNR deposits at Global Markets, Kolkata.

vii. Majority of the swaps were done with First class counterparty banks.

ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण : B) Quantitative Disclosures :

विवरण Particulars		मुद्रा डेरीवेटिव्स Currency Derivatives		ब्याज दर डेरीवेटिव्स Interest Rate Derivatives	
		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	डेरीवेटिव्स (आनुमानिक मूल राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
	क/a) बचाव-व्यवस्था के लिए / For hedging	5,902.99	4,134.16	32,263.98	18,116.55
	ख/b) क्रय-विक्रय के लिए / For trading**	3,63,233.01$	52,802.42	73,586.79#	75,867.88
(ii)	बाजार के बही- मूल्य के अनुसार स्थिति Marked to Market Positions				
	क/a) आस्ति / Asset	271.66	89.91	33.74	59.52
	ख/b) देयता / Liability	—	—	3.58	8.95
(iii)	ऋण जोखिम / Credit Exposure	17,143.23	6,030.89	2,393.00	2,510.40
(iv)	ब्याज दर (100* पीवी 01) में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभाव्य प्रभाव Likely impact of one percentage change in interest rate (100* PV01)				
	क/a) बचाव-व्यवस्था डेरीवेटिव्स पर / on hedging derivatives	114.90	12.45	740.32	2,104.37
	ख/b) क्रय-विक्रय डेरीवेटिव्स पर / on trading derivatives	30.44	171.19	(8.44)	(37.35)
(v)	वर्ष के दौरान 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम Maximum and Minimum of 100* PV 01 observed during the year				
	क/a) बचाव-व्यवस्था पर / on hedging				
	Maximum अधिकतम	109.35	13.39	751.04	2,107.30
	Minimum न्यूनतम	35.94	0.07	187.44	2,704.05
	ख/b) क्रय-विक्रय पर / on trading				
	Maximum अधिकतम	24.49	187.00	15.71	24.80
	Minimum न्यूनतम	(17.16)	(0.10)	(46.86)	(83.24)

\# ₹ 5,035.67 करोड़ की आईआरएस/एफआरए राशि बैंक के अपने कार्यालयों के प्रविष्ट की गई है परंतु यहां नहीं दर्शायी गई है. क्योंकि वे एफसीएनबी निधि की प्रतिरक्षा के लिए है और इसलिए बाजार के लिए चिह्नित नहीं की गई है.

$ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों के साथ प्रविष्ट स्वेप्स की ₹ 6,865.62 करोड़ की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिह्नित भी नहीं की गई है.

** बैंक के अपने कार्यालयों के साथ किए गए वायदा करार लेनदेनों को यहाँ सम्मिलित नहीं किया गया है.

1. 31.03.2011 तक ग्लोबल मार्केटस् डिपार्टमेंट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप डिपार्टमेंट डेरीवेटिव्स व्यापार की बकाया अनुमानित राशि ₹ 11,901.29 करोड़ है और 31 मार्च 2011 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी कार्यालयों के बीच किए गए डेरीवेटिव्स व्यापर की राशि ₹ 29,379.83 करोड़ है.
2. वायदा दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च 2011 तक विचाराधीन आस्ति /देयताओं, जिनका बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹ 45,525.15 करोड़ है.
3. ऋण चूक स्वेप सौदा : इस सौदे में दिनांक 31 मार्च 2011 तक कुल बकाया राशि ₹ 983.30 करोड़ है.
4. सभी ऋण डेरीवेटिव्स (सीडीएस, सीएलएन एवं सीडीओ) को अब तक ''परिपक्वता के लिए रखी गई श्रेणी'' के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है. 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान संपूर्ण ऋण डेरीवेटिव्स पोर्टफोलियो को 'विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणी' के पुन: श्रेणीबद्ध कर उन्हें बाजार के लिए चिह्नित किया गया है. 31.03.2011 तक एमटीएम पर ₹ 184.14 करोड़ की हानि हुई, जिसके लिए पूर्ण प्रावधान कर दिया गया है.

\# IRS/FRA amounting to ₹ 5,035.67 crores entered with the Bank's own offices are not shown here as they are for hedging of FCNB corpus and hence not marked to market.

$ The swaps amounting to ₹ 6,865.62 crores entered with the Bank's own foreign offices are not shown here as they are for hedging of FCNB corpus and hence not marked to market.

** The forward contract deals with the Bank's own offices are not included.

1. The outstanding notional amount of derivatives done between Global Markets department and International Banking Group department as on 31st March 2011 amounted to ₹ 11,901.29 crores and the derivatives done between SBI Foreign Offices as on 31st March 2011 amounted to ₹ 29,379.83 crores.
2. The outstanding notional amount of interest rate derivatives which are not marked to market where the underlying Assets/Liabilities are not marked to market as on 31st March 2011 amounted to ₹ 45,525.15 crores
3. Credit Default Swap : Outstanding as on 31st March 2011 amounted to ₹ 983.30 crores.
4. All Credit Derivatives (CDS, CLN and CDO) were hitherto categorized under Held to Maturity (HTM) category. During the financial year ended 31st March 2011, the entire Credit Derivative portfolio has been re- categorised under Available for Sale (AFS) category and has been marked to market (MTM). MTM loss as on 31st March 2011 amounts to ₹ 184.14 crores which has been fully provided for.

18.4 **आस्ति - गुणवत्ता**

क) अनर्जक आस्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
i) कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	1.63%	1.72%
ii) अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (कुल)		
(क) अथशेष	19,534.89	15,714.00
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि (नई अनर्जक आस्तियाँ)	18,145.70	11,842.84
उप-योग (i)	37,680.59	27,556.84
(ग) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	4,499.10	3,972.37
(घ) वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	3,848.35	2,059.10
(ङ) वर्ष के दौरान अपलेखन के कारण कमी	4,006.85	1,990.48
उप - योग (II)	12,354.30	8,021.95
(च) इति शेष (I - II)	25,326.29	19,534.89
iii) निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
(क) अथ शेष	10,870.17	9,677.42
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	6,815.83	6,135.24
(ग) वर्ष के दौरान कमी	5,339.10	4,942.49
(घ.) इति शेष	12,346.90	10,870.17
iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
(क) अथ शेष	8,664.72	6,036.58
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	11,329.87	5,707.61
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	7,015.20	3,079.47
(घ) अंतिम शेष	12,979.39	8,664.72

अथशेष एवं इतिशेष में डीआईसीजीसी/ईसीजीसी दावों संबंधी प्राप्त और क्रमश: ₹ 21.53 करोड़ एवं ₹ 25.38 करोड़ को समायोजन होने तक रोककर रखी गई राशि शामिल है.

ख) प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात :

31 मार्च 2011 तक बैंक के सकल अनर्जक आस्ति अनुपात की तुलना में 64.95% प्रावधान किया गया है (पिछला वर्ष 59.23%).

18.4 **Asset Quality**

a) Non-Performing Asset

Particulars	As at 31-Mar-2011	As at 31-Mar-2010
i) Net NPAs to Net Advances (%)	1.63%	1.72%
ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening balance	19,534.89	15,714.00
(b) Additions (Fresh NPAs) during the year	18,145.70	11,842.84
Sub-total (I)	37,680.59	27,556.84
(c) Reductions due to upgradations during the year	4,499.10	3,972.37
(d) Reductions due to recoveries (Excluding recoveries made from upgraded accounts)	3,848.35	2,059.10
(e) Reductions due to Write-offs during the year	4,006.85	1,990.48
Sub-total (II)	12,354.30	8,021.95
(f) Closing balance (I-II)	25,326.29	19,534.89
iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening balance	10,870.17	9,677.42
(b) Additions during the year	6,815.83	6,135.24
(c) Reductions during the year	5,339.10	4,942.49
(d) Closing balance	12,346.90	10,870.17
iv) Movement of provisions for NPAs		
(a) Opening balance	8,664.72	6,036.58
(b) Provisions made during the year	11,329.87	5,707.61
(c) Write-off / write-back of excess provisions	7,015.20	3,079.47
(d) Closing balance	12,979.39	8,664.72

Opening and closing balances include DICGC / ECGC claims received and held pending adjustment of ₹ 21.53 crores and ₹ 25.38 crores respectively.

b) Provisioning Coverage Ratio:

The Provisioning to Gross Non-Performing Assets ratio of the Bank as on 31st March 2011 is 64.95% (Previous Year 59.23%).

ग) 01.04.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि के दौरान पुनर्संरचना के अधीन ऋण आस्तियों का ब्योरा

c) Details of Loan Assets subjected to Restructuring during the period from 1st April 2010 to 31st March 2011

विवरण Particulars	विवरण Particulars	सीडीआर व्यवस्था CDR Mechanism	एसएमई ऋण पुनर्संरचना SME Debt Restructuring	अन्य Others	योग Total
पुनर्संरचनागत मानक अग्रिम Standard advances restructured	उधारकर्त्ताओं की सं. No. of Borrowers	25 (30)	133 (602)	10,277 (3,035)	10,435 (3,667)
	बकाया राशि Amount outstanding	752.37 (2,793.14)	369.42 (1,020.53)	3,578.37 (13,043.42)	4,700.16 (16,857.09)
	बकाया राशि (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	183.70 (340.66)	5.14 (11.71)	272.23 (156.55)	461.07 (508.92)
पुनर्संरचनागत अवमानक अग्रिम Sub standard advances restructured	उधारकर्त्ताओं की सं. No. of Borrowers	4 (1)	33 (76)	285 (90)	322 (167)
	बकाया राशि Amount outstanding	223.21 (72.49)	14.60 (10.47)	567.75 (1,755.44)	805.56 (1,838.40)
	उत्सर्जन (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	29.03 (7.56)	1.29 (0.15)	13.57 (146.05)	43.89 (153.76)
पुनर्संरचनागत संदिग्ध अग्रिम Doubtful advances restructured	उधारकर्त्ताओं की सं. No. of Borrowers	- (-)	17 (15)	20 (21)	37 (36)
	बकाया राशि Amount outstanding	- (-)	30.05 (9.44)	122.28 (294.30)	152.33 (303.74)
	उत्सर्जन (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	- (-)	0.57 (0.03)	1.08 (12.54)	1.65 (12.57)
योग TOTAL	उधारकर्त्ताओं की सं. No. of Borrowers	29 (31)	183 (693)	10,582 (3,146)	10,794 (3,870)
	बकाया राशि Amount outstanding	975.58 (2,865.63)	414.07 (1,040.44)	4,268.40 (15,093.16)	5,658.05 (18,999.23)
	उत्सर्जन (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	212.73 (348.22)	7.00 (11.89)	286.88 (315.14)	506.61 (675.25)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं) / (Figures in brackets are for Previous Year)

घ) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	खातों की संख्या	3	3
ii)	प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	निरंक	10.40
iii)	समग्र प्रतिफल	26.82	14.00
iv)	पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	निरंक	निरंक
v)	निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ / (हानि)	26.82	3.60

ङ) क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	(क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की सं.	निरंक	निरंक
	(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2)	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक

च) बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	बिक्री किए गए खातों की सं.	4	3
2)	कुल बकाया राशि	103.23	23.84
3)	कुल प्राप्त प्रतिफल	47.98	14.00

छ) मानक आस्तियों पर प्रावधान :

बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों पर किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	3,336.08*	2,292.72

* पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से अंतरित राशि ₹ 106.12 करोड़ सहित

ज) व्यवसाय अनुपात :

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i.	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	6.96%	6.80%
ii.	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	1.35%	1.43%
iii.	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	2.17%	1.75%
iv.	आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.71%	0.88%
v.	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹ हजार में)	70,465	63600
vi.	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार में)	384.63	446.03

d) Details of financial assets sold to Securitisation Company (SC) / Reconstruction Company (RC) for Asset Reconstruction

Particulars		Current Year	Previous Year
i)	No. of Accounts	3	3
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	10.40
iii)	Aggregate consideration	26.82	14.00
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
v)	Aggregate gain / (loss) over net book value	26.82	3.60

e) Details of non-performing financial assets purchased

Particulars			Current Year	Previous Year
1)	(a)	No. of Accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil
2)	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil

f) Details of non-performing financial assets sold

Particulars		Current Year	Previous Year
1)	No. of Accounts sold	4	3
2)	Aggregate outstanding	103.23	23.84
3)	Aggregate consideration received	47.98	14.00

g) Provision on Standard Assets

The Provision on Standard Assets held by the Bank in accordance with RBI guidelines is as under:

Particulars	As at 31-Mar-2011	As at 31-Mar-2010
Provision towards Standard Assets	3,336.08*	2,292.72

*includes ₹ 106.12 crores transferred from eSBIN

h) Business Ratios

Particulars		Current Year	Previous Year
i.	Interest Income as a percentage to Working Funds	6.96%	6.80%
ii.	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.35%	1.43%
iii.	Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.17%	1.75%
iv.	Return on Assets	0.71%	0.88%
v.	Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in thousands)	70,465	63,600
vi.	Profit per employee (₹ in thousands)	384.63	446.03

झ) आस्ति देयता प्रबंधन : 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

i) Asset Liability Management: Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at 31st March 2011

	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days	8 से 14 दिन तक 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 मास तक 29 days to 3 months	3 मास से अधिक किंतु 6 मास तक Over 3 months & upto 6 months	6 मास से अधिक किंतु 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	योग TOTAL
जमाराशियाँ Deposits	24,992.66 *(19,136.97)*	21,696.53 *(23,515.23)*	20,849.71 *(27,061.73)*	15,202.16 *(20,483.98)*	45,801.60 *(43,403.06)*	88,669.77 *(64,260.77)*	1,20,303.13 *(90,342.06)*	2,77,716.71 *(2,62,985.18)*	1,61,534.99 *(1,35,539.12)*	1,57,165.55 *(1,17,388.13)*	9,33,932.81 *(8,04,116.23)*
अग्रिम Advances	46,944.31 *(43,973.66)*	7,543.86 *(12,572.36)*	25,432.64 *(39,713.35)*	8,835.11 *(8,888.53)*	48,819.28 *(33,914.61)*	31,407.67 *(35,494.45)*	27,303.96 *(27,616.38)*	3,54,683.76 *(2,75,367.66)*	69,728.43 *(59,944.08)*	1,36,020.43 *(94,429.07)*	7,56,719.45 *(6,31,914.15)*
विनिधान Investments	0.00 *(135.56)*	1,189.00 *(245.22)*	739.57 *(219.57)*	2,289.27 *(2,420.39)*	4,201.94 *(11,445.52)*	11,196.27 *(11,438.82)*	6,540.61 *(10,995.02)*	56,742.58 *(51,770.22)*	52,689.05 *(59,533.46)*	1,60,012.28 *(1,47,581.42)*	2,95,600.57 *(2,95,785.20)*
उधार-राशियाँ Borrowings	2,763.15 *(3,569.92)*	10,484.15 *(12,079.20)*	2,953.07 *(2,786.39)*	4,903.26 *(4,802.38)*	17,474.77 *(19,350.31)*	8,776.92 *(10,058.28)*	10,349.74 *(5,485.78)*	5,690.22 *(6,793.20)*	15,204.41 *(5,535.16)*	40,969.26 *(32,550.98)*	1,19,568.95 *(1,03,011.60)*
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	32,391.28 *(30,336.67)*	1,405.38 *(1,154.84)*	2,594.40 *(3,140.20)*	6,150.93 *(6,536.37)*	27,064.10 *(25,802.73)*	16,092.55 *(24,648.61)*	10,475.55 *(9,814.20)*	17,608.64 *(15,229.77)*	20,757.39 *(14,071.49)*	20,783.93 *(11,433.65)*	1,55,324.15 *(1,42,168.53)*
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	20,911.86 *(18,796.82)*	7,223.70 *(5,661.65)*	4,167.90 *(3,980.66)*	7,406.10 *(6,970.08)*	23,216.44 *(27,311.98)*	15,506.06 *(20,193.38)*	22,613.11 *(20,468.81)*	15,046.29 *(15,065.98)*	20,065.97 *(9,552.04)*	5,527.71 *(946.74)*	1,41,685.14 *(1,28,948.14)*

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2010 के हैं)

(Figures in brackets are as at 31st March 2010)

ञ) **जमाराशियों का केंद्रीकरण**

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	40,267.48	42,087.72
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस वृहतम जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	4.31%	5.24%

ट) **अग्रिमों का केंद्रीकरण**

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिम	65,236.21	1,89,991.50
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस वृहतम उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	8.45%	29.68%

ठ) **ऋण - जोखिमों का केंद्रीकरण**

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल ऋण-जोखिम	2,07,277.40	1,91,017.34
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल ऋण-जोखिम में बीस वृहतम उधारकर्ताओं/ग्राहकों के ऋण-जोखिम का प्रतिशत	17.10%	20.81%

ड) **अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण**

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष चार अनर्जक आस्ति खातों के कुल ऋण - जोखिम	730.27	940.61

ढ) **क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियाँ**

क्रम सं.	क्षेत्र	कथित क्षेत्र के कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	6.74%	2.60%
2	उद्योग (व्यष्टि एवं लघु, मध्यम तथा वृहद्)	2.80%	3.89%
3	सेवाएं	2.93%	3.91%
4	वैयक्तिक ऋण	2.54%	2.90%

ण) **विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व**

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	1,41,348.97	1,23,263.30
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ	2,265.91	1,698.59
3	कुल राजस्व	5,576.48	4,717.57

त) **तुलनपत्र में शामिल न होने वाली प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी)**

प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) का नाम		
	देशी	विदेशी
चालू वर्ष	निरंक	निरंक
पिछला वर्ष	निरंक	निरंक

18.5 **ऋण-जोखिम**

बैंक उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर रहा है, जिनके आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है.

क) **स्थावर संपदा क्षेत्र**

	विवरण	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
क)	प्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
i)	आवासीय बंधक	1,14,199.40	72,983.57
	जिनमें से ₹ 20 लाख तक के व्यक्तिगत आवास ऋण	73,628.78	47,406.27
ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा	14,011.31	13,440.36
iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूतिकृत		
	ऋण-जोखिमों में विनिधान :	186.73	108.91
	क) आवासीय	164.86	96.43
	ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	21.87	12.48
	अप्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण-जोखिम	6,226.05	592.32
	योग	**1,34,623.49**	**87125.16**

j) **Concentration of Deposits**

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Deposits of twenty largest depositors	40,267.48	42,087.72
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	4.31 %	5.24%

k) **Concentration of Advances**

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Advances to twenty largest barrowers	65,236.21	1,89,991.50
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	8.45 %	29.68%

l) **Concentration of Exposures**

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	2,07,277.40	1,91,017.34
Percentage of Exposures to twenty largest barrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/customers	17.10%	20.81%

m) **Concentration of NPAs**

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Exposure to top four NPA accounts	730.27	940.61

n) **Sector –wise NPAs**

Sr. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
Particulars		Current Year	Previous Year
1	Agriculture & allied activities	6.74%	2.60%
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	2.80%	3.89%
3	Services	2.93%	3.91%
4	Personal Loans	2.54%	2.90%

o) **Overseas Assets, NPAs and Revenue**

Sr. No.	Particulars	Amount	
		Current Year	Previous Year
1	Total Assets	1,41,348.97	1,23,263.30
2	Total NPAs (Gross)	2,265.91	1,698.59
3	Total Revenue	5,576.48	4,717.57

p) **Off-balance Sheet SPVs sponsored**

Name of the SPV Sponsored		
	Domestic	Overseas
Current Year	NIL	NIL
Previous Year	NIL	NIL

18.5 **Exposures**

The Bank is lending to sectors which are sensitive to asset price fluctuations.

a) Real Estate Sector

Particulars		As at 31-Mar-2011	As at 31-Mar-2010
Direct exposure			
i)	Residential Mortgages	1,14,199.40	72,983.57
	- Of which individual housing loans up to ₹ 20 lac	73,628.78	47,406.27
ii)	Commercial Real Estate	14,011.31	13,440.36
iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures:	186.73	108.91
	a) Residential	164.86	96.43
	b) Commercial Real Estate	21.87	12.48
	Indirect Exposure		
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	6,226.05	592.32
	Total	**1,34,623.49**	**87,125.16**

ख) पूंजी बाजार

विवरण	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
1) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा ईक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में - ऐसे प्रत्यक्ष विनिधान जिनकी राशि का सिर्फ कारपोरेट - ऋण में विनिधान नहीं किया गया है,	8,868.34	6,771.29
2) शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर दिए गए ऋण अथवा शेयरों (आईपीओ/इएसओपी सहित) परिवर्तनशील बाडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा ईक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में विनिधान के लिए बेजमानती (क्लीन) आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	10.22	20.67
3) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों को अथवा ईक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	0.39	1.66
4) किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा ईक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है अर्थात् जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/ईक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण - प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है.	33.67	199.07
5) शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों एवं बाजार - नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ	773.95	442.21
6) संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा से नई कंपनी की ईक्विटी में प्रमोटर के अंशदान का हिस्सा पूरा करने के लिए कारपोरेटों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों अथवा बेजमानती आधार पर संस्वीकृत ऋण	40.11	14.70
7) अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के सापेक्ष कम्पनियों को दिए गए पूरक ऋण	0.01	70.00
8) शेयरों या परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों के प्राथमिक शेयर निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार.	—	—
9) शेयर दलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	—	—
10) उद्यम - पूंजी निधियों से संबंधित ऋण-जोखिम (पंजीकृत तथा गैर -पंजीकृत दोनों)	608.61	375.73
पूंजी बाजार में कुल ऋण-जोखिम	**10,335.30**	**7,895.33**

b) Capital Market

Particulars	As at 31-Mar-2011	As at 31-Mar-2010
1) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	8,868.34	6,771.29
2) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds.	10.22	20.67
3) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	0.39	1.66
4) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	33.67	199.07
5) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	773.95	442.21
6) Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	40.11	14.70
7) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues.	0.01	70.00
8) Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	—	—
9) Financing to stockbrokers for margin trading.	—	—
10) Exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	608.61	375.73
Total Exposure to Capital Market	**10,335.30**	**7,895.33**

ग) वर्गवार-देशवार जोखिम

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के देशवार ऋण-जोखिम का वर्गीकरण निम्न तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है. यूएसए को छोड़कर किसी भी देश के लिए बैंक की देशगत जोखिम (कुल निधिक) इसकी कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है और यूएसए हेतु देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है.

c) Country-Risk Categorywise

As per the extant RBI guidelines, the country where exposure of the Bank is categorised into various risk categories listed in the following table. The country exposure (net funded) of the Bank for any country does not exceed 1% of its total assets except on USA and hence provision for the country exposure on USA has been made.

जोखिम वर्ग Risk Category	ऋण-जोखिम (निवल) Exposure (net)		किया गया प्रावधान Provision held	
	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2011	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2010	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2011	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2010
नगण्य / Insignificant	901.43	871.65	निरंक / Nil	निरंक / Nil
कम / Low	53,241.04	47,689.14	23.68	39.12
सामान्य / Moderate	11,252.64	7,286.76	निरंक / Nil	निरंक / Nil
अधिक / HIgh	1,773.20	4,158.92	निरंक / Nil	निरंक / Nil
अत्यधिक / Very HIgh	2,206.31	2,512.50	निरंक / Nil	निरंक / Nil
प्रतिबंधित/ऋण में शामिल न होने वाले Restricted / Off-Credit	4,098.94	11.19	निरंक / Nil	निरंक / Nil
योग / Total	73,473.56	62,530.16	23.68	39.12

घ) बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्त्ता तथा समूह उधारकर्त्ता ऋण - जोखिम सीमा का ब्योरा :

d) Single Borrower and Group Borrower exposure limits exceeded by the Bank :

बैंक ने निम्नलिखित मामलों में यथोचित सीमा के अतिक्रमण में एकल उधारकर्त्ता ऋण-जोखिम लिए :

The Bank had taken single borrower exposure in excess of the prudential limit in the cases given below :

उधारकर्त्ता का नाम Name of the Borrower	ऋण-जोखिम की उच्चतम सीमा Exposure ceiling	संस्वीकृत सीमा (चरम स्तर) Limit Sanctioned (Peak Level)	सीमा के अतिक्रमण की अवधि Period during which limit exceeded	31.03.11 की स्थिति के अनुसार बकाया Outstanding as on 31.03.11
रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	13,646.26	15,815.48	अप्रैल 2010 से जुलाई 2010 April 2010 to July 2010	
Reliance Industries Limited	14,072.02	15,819.86	अगस्त 2010 से अक्टूबर 2010 August 2010 to October 2010	
	14,222.02	15,455.80	नवंबर 2010 से फरवरी 2011 November 2010 to February 2011	5,645.44
			31 मार्च 2011 को उच्चतम सीमा के भीतर) (within the ceiliing on 31st March 2011)	
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.	22,743.77	25,295.90	अप्रैल 2010 से जुलाई 2010 April 2010 to July 2010	
Indian Oil Corporation Ltd.	23,453.37	25,003.97	अगस्त 2010 से अक्टूबर 2010 August 2010 to October 2010	
	23,703.37	25,629.76	नवंबर 2010 से मार्च 2011 November 2010 to March 2011	21,433.80
भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि.	13,646.26	16,544.75	अप्रैल 2010 से जुलाई 2010 April 2010 to July 2010	
Bharat Heavy	14,072.02	16,570.90	अगस्त 2010 से अक्टूबर 2010 August 2010 to October 2010	
Electricals Limited	14,222.02	16,593.51	नवंबर 2010 से मार्च 2011 November 2010 to March 2011	12,046.24

ङ) **अप्रतिभूत अग्रिम**

विवरण	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
क) बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	1,53,018.58	1,35,885.59
i) इनमें से अग्रिमों की राशि, जो शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार आदि के रूप में मूर्त प्रतिभूतियों के प्रभार पर बकाया है.	795.72	-
ii) इन मूर्त प्रतिभूतियों का प्राक्कलित मूल्य (ऊपर (i) के अनुसार)	4,114.30	-

च) **अनुषंगियों को जारी चुकौती आश्वासन पत्र:**

बैंक ने अपने सहयोगियों की ओर से चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं. 31 मार्च 2011 को चुकौती आश्वासन पत्रों की कुल बकाया राशि ₹ 1411.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 199.16 करोड़) थी. बैंक के आकलन के अनुसार कोई वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं.

18.6 **विविध**

क) **आरक्षितियों से आहरण :**

वर्ष के दौरान बैंक ने आरक्षितियों से निम्नलिखित राशि आहरित की है:

विवरण	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
आरबीआई के विशेष प्रबंध के अनुसार पेंशन देयता आरक्षित हेतु प्रभारित	7,927.41	निरंक

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

₹ 0.13 करोड़ - (पिछले वर्ष - ₹ 1.45 करोड़)

ग) ग्राहक - शिकायतों की स्थिति :

विवरण	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	1,275	1,150
पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के अभिग्रहण के कारण वृद्धि	70	-
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	30,904	30,735
वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	31,425	30,610
वर्ष के अंत में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	824	1275

घ) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	4	1
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	86	19
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	83	16
वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	7	4

e) Unsecured Advances

Particulars	As at 31 Mar 2011	As at 31 Mar 2010
a) Total Unsecured Advances of the bank	1,53,018.58	1,35,885.59
i) Of which amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licences, authority etc.	795.72	—
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above).	4,114.30	—

f) Letter of Comfort issued for Subsidiaries:

The Bank has issued letters of comfort on behalf of its subsidiaries. Outstanding letters of comfort as on 31st March 2011 aggregate to ₹ 1,411.20 crores (Previous Year: ₹ 199.16 crores). In the Bank's assessment no financial impact is likely to arise.

18.6 **Miscellaneous**

a) **Withdrawal from Reserves**

During the year, the bank has withdrawn following amount from the Reserves:

Particulars	As at 31-Mar-2011	As at 31-Mar-2010
Pension Liability charged to Reserves as per special dispensation from RBI	7,927.41	Nil

b) **Disclosure of Penalties imposed by RBI**

₹ 0.13 crore (Previous year - ₹ 1.45 crores)

c) **Status of customer complaints**

Particulars	As at 31-Mar-2011	As at 31-Mar-2010
No. of complaints pending at the beginning of the year	1,275	1,150
Addition on account of aqusition of eSBIN	70	—
No. of complaints received during the year	30,904	30,735
No. of complaints redressed during the year	31,425	30,610
No. of complaints pending at the end of the year	824	1275

d) **Awards passed by the Banking Ombudsman**

Particulars	Current Year	Previous Year
No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	4	1
No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	86	19
No. of Awards implemented during the year	83	16
No. of unimplemented Awards at the end of the year	7	4

ङ) व्यष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यमों से सम्बद्ध प्रकटीकरणों के संदर्भ में व्यष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विलम्बित भुगतानों या ब्याज भुगतान में हुए विलम्ब के कारण ऐसे भुगतान मामलों की कोई सूचना नहीं है.

च) **वर्ष 2010 - 11 में बैंक - बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राप्त फीस / पारिश्रमिक**

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	210.04	212.28
दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	7.24	11.58
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	1.14	--
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	0.06	--
मनु लाइफ फाइनेंसियल लि.	1.74	--
एनटीयूसी	0.84	--
योग	**221.06**	**223.86**

छ) एसजीएल फार्मों के बाउंस होने पर जुर्माना
एसजीएल फार्मों के लिए बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है.

18.7 **लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकता**

क) कर्मचारी - हितलाभ

i. नियत हितलाभ योजनाएँ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी की स्थिति को निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2010 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	21,715.61	19,328.72	3,889.14	3778.18
स्टेट बैंक इंदौर के अभिग्रहण पर देयताएं अंतरित	484.00	-	120.47	-
वर्तमान सेवा लागत	892.28	869.21	144.38	145.25
ब्याज लागत	1,890.02	1,564.00	303.80	298.82
पूर्व सेवा लागत (परिशोधित)		-	425.00	-
पूर्व सेवा लागत (आरक्षितियों में निहित लाभ मान्य)	7,927.41			
पूर्व सेवा लागत (प्रावधानों सें निहित लाभ समायोजित)	1,306.70	-	675.00	-
एक्चुरियल हानि (लाभ)	1,188.70	1,242.37	731.32	(99.38)
संदत्त लाभ	(744.75)	(1,288.69)	(471.92)	(233.73)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(780.67)			
31 मार्च 2011 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	33,879.30	21,715.61	5817.19	3,889.14
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2010 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	14,714.83	13,710.13	3,811.28	3,746.73
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के अभिग्रहण पर अर्जित आस्ति		1,096.81	-	-
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के अभिग्रहण पर अर्जित आस्ति	484.00	-	120.47	-
बैंक द्वारा संदत्त मंहगाई सहायता		615.48		-
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1,215.25	-	312.28	290.39
नियोक्ता द्वारा अंशदान	848.12	347.98	328.20	-
प्रदत्त हितलाभ	(744.75)	(1288.69)	(471.92)	(233.73)
बीमांकिक लाभ	282.65	233.12	1.94	7.89
31 मार्च 2011 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	16,800.10	14,714.83	4,102.25	3,811.28
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2011 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	33,879.30	21,715.61	5817.19	3,889.14
31 मार्च 2011 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	16,800.10	14,714.83	4,102.25	3,811.28
कमी/ (अधिशेष)	17,079.20	7,000.78	1,714.94	77.86
लेखे मे नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	400.00	-
लेखे मे नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता / (आस्ति)	17,079.20	7,000.78	1,314.94	77.86
तुलनपत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	33,879.30	21,715.61	5817.19	3,889.14

e) With regard to disclosures relating to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006, there have been no reported cases of delayed payments or of interest payments due to delay in such payments to Micro, Small & Medium Enterprises.

f) **Fees/remuneration received in respect of the bancassurance business in 2010-11**

Name of Company	Current Year	Previous Year
SBI Life Insurance Co. Ltd.	210.04	212.28
The New India Assurance Co. Ltd.	7.24	11.58
SBI General Insurance Co. Ltd.	1.14	—
United India Insurance Co Ltd.	0.06	—
Manu Life Financial Limited	1.74	—
NTUC	0.84	
TOTAL	221.06	223.86

g) Penalty for Bouncing of SGL forms
No penalty has been levied on the Bank for bouncing of SGL Forms.

18.7 **Employee Benefits**

i. Defined Benefit Plans

The following table sets out the status of the defined benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank:-

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Change in the present value of the defined benefit obligation				
Opening defined benefit obligation at 1st April 2010	21,715.61	19,328.72	3,889.14	3,778.18
Liability transferred in on acquisition of State Bank of Indore	484.00	-	120.47	-
Current Service Cost	892.28	869.21	144.38	145.25
Interest Cost	1,890.02	1,564.00	303.80	298.82
Past Service Cost (Amortised)	-	-	425.00	-
Past Service Cost (Vested Benefit recognised in Reserves)	7,927.41	-	-	-
Past Service Cost (Vested Benefit adjusted from Provisions)	1,306.70	-	675.00	-
Actuarial losses (gains)	1,188.70	1,242.37	731.32	(99.38)
Benefits paid	(744.75)	(1,288.69)	(471.92)	(233.73)
Direct Payment by Bank	(780.67)	-	-	-
Closing defined benefit obligation at 31st March 2011	33,879.30	21,715.61	5,817.19	3,889.14
Change in Plan Assets				
Opening fair value of Plan Assets as at 1st April 2010	14,714.83	13,710.13	3,811.28	3,746.73
Asset acquired on acquisition of State Bank of Saurashtra		1,096.81	-	-
Asset acquired on acquisition of State Bank of Indore	484.00	-	120.47	-
Dr Paid by Bank		615.48		-
Expected Return on Plan Assets	1,215.25	-	312.28	290.39
Contributions by employer	848.12	347.98	328.20	-
Benefits Paid	(744.75)	(1,288.69)	(471.92)	(233.73)
Actuarial Gains / (Loss) on plan Assets	282.65	233.12	1.94	7.89
Closing fair value of plan assets as at 31st March 2011	16,800.10	14,714.83	4,102.25	3,811.28
Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets				
Present Value of Funded obligation at 31st March 2011	33,879.30	21,715.61	5,817.19	3,889.14
Fair Value of Plan assets at 31st March 2011	16,800.10	14,714.83	4,102.25	3,811.28
Deficit/(Surplus)	17,079.20	7,000.78	1,714.94	77.86
Unrecognised Past Service Cost (Vested) Closing Balance	-	-	400.00	-
Unrecognised Transitional Liability Closing Balance	-	-	-	-
Net Liability/(Asset)	17,079.20	7,000.78	1,314.94	77.86
Amount Recognised in the Balance Sheet				
Liabilities	33,879.30	21,715.61	5,817.19	3,889.14

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आस्तियाँ	16,800.10	14,714.83	4,102.25	3,811.28
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	(17,079.20)	7,000.78	(1,714.94)	77.86
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-			-
लेखे में नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष			400.00	
कुल देयताएं	(17,079.20)	7,000.78	(1,314.94)	77.86
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	892.28	869.21	144.38	145.25
ब्याज लागत	1,890.02	1,564.00	303.80	298.82
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1,215.25)	(1,096.81)	(312.28)	(290.39)
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (परिशोधित) इतिशेष	-		25.00	-
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) इतिशेष	-		675.00	
वर्ष के दौरान शामिल निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	906.05	1,009.25	729.38	(107.27)
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 ''कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान'' में शामिल किया गया है.	2,473.10	2,345.65	1,565.28	46.41
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1,215.25	1,096.81	312.28	290.39
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	282.65	233.12	1.94	7.89
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	1,497.90	1,329.93	314.22	298.28
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता / (आस्ति) के अथ और इति शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2010 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	7,000.78	5,618.59	77.86	31.45
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	2,473.10	2,345.65	1,565.28	46.41
पूर्ववर्ती एसबीइंदौर के अभिग्रहण से प्राप्त देयताएं		-	-	-
पूर्ववर्ती एसबीइंदौर के अभिग्रहण से प्राप्त आस्तियाँ		-	-	-
बैंक द्वारा संदत्त मंहगाई सहायता	(780.67)	(615.48)	-	-
अन्य प्रावधानों के नामे	1,306.70	-	-	-
आरक्षिति में मान्य	7,927.41			
कर्मचारियों का अंशदान	(848.12)	(347.98)	(328.20)	-
तुलनपत्र में शामिल की गई निवल देयता / (आस्ति)	17,079.20	7,000.78	1,314.94	77.86

31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए विनिधान निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि योजना आस्तियों का %	ग्रेच्युटी निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	23.46	49.81
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	9.19	--
कारपोरेट बांड	25.35	29.09
बैंक में मियादी जमा रसीद/सावधि जमा रसीद	0	0
बैंक की जमाराशियाँ	0	0
इंशुरे.मैनेजड फंडस	0	19.73
अन्य	42.00	1.37
योग	**100.00**	**100.00**

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन ;

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.50%	8.50%	8.50%	8.00%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
वेतन बढ़ोतरी	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

भावी वेतन बढ़ोतरी का पूर्वानुमान, बीमांकिक मूल्यन का प्रतिफलन, मुद्रास्फीति का समावेशन, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति के आधार पर किया गया है. इस प्रकार के अनुमान बहुत लम्बी अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव /सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि बहुत लम्बी अवधि के दौरान - सतत् उच्च वेतन बढ़ोतरी करते रहना संभव नहीं है लेखापरीक्षकों ने इसे स्वीकार किया है.

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Assets	16,800.10	14,714.83	4,102.25	3,811.28
Net Liability / (Asset) recognised in Balance Sheet	17,079.20	7,000.78	1,714.94	77.86
Unrecognised Past Service Cost (Vested) Closing Balance	-		400.00	-
Unrecognised Transitional Liability Closing Balance	-	-	-	-
Net Liability/(Asset)	17,079.20	7,000.78	1,314.94	77.86
Net Cost recognised in the profit and loss account				
Current Service Cost	892.28	869.21	144.38	145.25
Interest Cost	1,890.02	1,564.00	303.80	298.82
Expected return on plan assets	(1,215.25)	(1,096.81)	(312.28)	(290.39)
Past Service Cost (Amortised) Recognised		-	25.00	-
Past Service Cost (Vested Benefit) Recognised		-	675.00	-
Net actuarial losses (Gain) recognised during the year	906.05	1,009.25	729.38	(107.27)
Total costs of defined benefit plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for employees"	2,473.10	2,345.65	1,565.28	46.41
Reconciliation of expected return and actual return on Plan Assets				
Expected Return on Plan Assets	1,215.25	1,096.81	312.28	290.39
Actuarial Gain/ (loss) on Plan Assets	282.65	233.12	1.94	7.89
Actual Return on Plan Assets	1,497.90	1,329.93	314.22	298.28
Reconciliation of opening and closing net liability/ (asset) recognised in Balance Sheet				
Opening Net Liability as at 1st April 2010	7,000.78	5,618.59	77.86	31.45
Expenses as recognised in profit and loss account	2,473.10	2,345.65	1,565.28	46.41
Liability on account of acquisition of e SBIN	-	-	-	-
Assets on account of acquisition of e SBIN	-	-	-	-
Paid by Bank Directly	(780.67)	(615.48)	-	-
Debited to Other Provision	1,306.70	-	-	-
Recognised in Reserve	7,927.41			
Employer's Contribution	(848.12)	(347.98)	(328.20)	-
Net liability/(Asset) recognised in Balance Sheet	17,079.20	7,000.78	1,314.94	77.86

Investments under Plan Assets of Gratuity Fund & Pension Fund as on 31st March 2011 are as follows:

Category of Assets	Pension Fund % of Plan Assets	Gratuity Fund % of Plan Assets
Central Govt. Securities	23.46	49.81
State Govt. Securities	9.19	-
Corporate Bonds	25.35	29.09
FDR / TDR with Bank	-	-
Bank Deposits	-	-
Insurer Managed Funds	-	19.73
Others	42.00	1.37
Total	**100.00**	**100.00**

Principal actuarial assumptions:

Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Discount Rate	8.50%	8.50%	8.50%	8.00%
Expected Rate of return on Plan Asset	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
Salary Escalation	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible, which has been relied upon by the auditors.

ii. कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक बोर्ड द्वारा (वर्ष 2005 में संशोधित) लेखा मानक - 15 के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, बैंक द्वारा स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि नियत लाभ योजना की परिधि में आएगी क्योंकि बैंक को निर्धारित न्यूनतम प्रतिलाभ को पूरा करना है. वर्ष के अंत में ऐसी कोई कमी नहीं बची थी जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया हो. तदनुसार, भविष्य निधि के संबंध में अन्य संबंधित प्रकटीकरणों का उल्लेख नहीं किया गया है. ₹ 854.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 351.59 करोड़) की राशि को लाभ और हानि खाते में ''कर्मचारियों के भुगतान और उनके लिए प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत शामिल बैंक की भविष्य निधि योजना पर किए गए व्यय के रूप में शामिल किया गया है.

iii. नियत अंशदान

बैंक ने 01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में नियुक्त हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की नई पेंशन योजना में ₹ 11.75 करोड़ (पिछले वर्ष - निरंक) का अंशदान दिया है.

iv. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ

₹ 775.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 151.24 करोड़ की राशि का प्रतिलेखन किया गया) का दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान किया गया है और इसे लाभ और हानि खाते में ''कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है. वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभ योजना के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण :

क्रम सं.	दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण के साथ अर्जित अवकाश (नकदीकरण)	581.80	107.54
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण / उपयोग)	41.96	29.14
3	अस्वस्थता अवकाश	70.09	12.84
4	रजत जंयती अवार्ड	35.03	2.47
5	अधिवर्षिता पर पुनर्निर्धारण व्यय	-8.74	-7.99
6	आकस्मिक अवकाश	11.20	5.06
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	44.40	2.18
	योग	**775.74**	**151.24**

18.8 पेंशन के लिए प्रावधान

नौवें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वेतन संशोधन एवं एसबीआई पेंशन निधि नियमों में प्रस्तावित संशोधनों के कारण 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की पेंशन देयता, जो बाहरी बीमांकिक द्वारा निर्धारित है, कुल ₹ 11,707 करोड़ है. भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या डीबीओडी/बीपी/सं/16165/21.04.018/2010-11 दिनांकित 18 अप्रैल 2011 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई मंजूरी के अनुसार बैंक के वर्तमान ₹ 1,306.70 करोड़ प्रावधानों पर विचार करने के बाद पिछले वर्षों की ₹ 7,927.41 करोड़ की देयताओं के संबंध में अतिरिक्त पेंशन लागत कुल ₹ 7,927.41 करोड़ की राशि आरक्षिती खाते में प्रभारित की गई है। इस वर्ष ₹ 2,473 करोड़ की पेंशन लागत की राशि लाभ और हानि खाते में खर्च के रूप में दिखाई गई है। लेखा मानक 15 कर्मचारी हितलाभ की अपेक्षाओं के अनुसार ₹ 10,400.30 करोड़ की राशि का लाभ और हानि खाते में खर्च के रूप में शामिल किया जाता अपेक्षित है । यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यह मंजूरी प्रदान नहीं की जाती तो लेखा मानक 15 की अपेक्षाओं को पूरा किए जाने के कारण बैंक का लाभ ₹ 7,927.41 करोड़ कम होता।

18.9 **ग्रेच्युटी**

ग्रेच्युटी के भुगतान के तहत देय ग्रेच्युटी की राशि में बढ़ोतरी एव नौवें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वेतन संशोधन के कारण 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की ग्रेच्युटी देयता, जो बाहरी बीमांकिक द्वारा निर्धारित है, कुल ₹ 1965 करोड़ है. वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयताएं एवं वेतन में संशोधन की कुल राशि ₹ 865 करोड़ के कारण देयताओं में वृद्धि एवं ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने के कारण ₹ 700 करोड़ लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है। वर्ष के दौरान शेष राशि ₹ 400 करोड़ जिसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित नहीं किया गया है, उसे आस्थगित कर दिया गया और भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांकित 09.02.2011 के अनुसार आगामी चार वर्षों में उसे परिशोधित कर दिया जाएगा. लेखा मानक 15 कर्मचारी हितलाभ की अपेक्षाओं के अनुसार ₹ 1,965 करोड़ की समस्त राशि का लाभ और हानि खाते में खर्च के रूप में शामिल किया जाना अपेक्षित है । यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यह परिपत्रक जारी नहीं किया जाता तो लेखा मानक 15 की अपेक्षाओं को पूरा करने के कारण बैंक का लाभ ₹ 400 करोड़ कम होता।

18.10 **खंड सूचना**

1. खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड है :-

- कोष
- कारपोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक व्यवस्था नहीं है. तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उसमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल-खंडों को निम्नवत पुनर्समूहित किया गया है :

क) कोष - कोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं. कोष खंड की आय मूलत: व्यापार-परिचालनों के

ii. Employees' Provident Fund

In terms of the guidance on implementing the AS-15 (Revised 2005) issued by the Institute of the Chartered Accountants of India, the Employees Provident Fund set up by the Bank is treated as a defined benefit plan since the Bank has to meet the specified minimum rate of return. As at the year-end, no shortfall remains unprovided for. Accordingly, other related disclosures in respect of Provident Fund have not been made and an amount of ₹ 854.90 crores (Previous Year ₹ 351.59 crores) is recognised as an expense towards the Provident Fund scheme of the Bank included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss Account.

iii. Defined Contributions

The Bank contributed ₹ 11.75 crores (previous year Nil) to the New Pension Scheme for all officers /employees joining the Bank on or after 1st August 2010.

iv. Other Long term Employee Benefits

Amount of ₹ 775.74 crores (Previous Year ₹ 151.24 crores) is provided towards Long Term Employee Benefits and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of Provisions made for various long Term Employee Benefits during the year:

Sr. No.	Long Term Employees' Benefits	Current Year	Prevous Year
1	Privilege Leave (Encashment) incl. leave encashment at the time of retirement	581.80	107.54
2	Leave Travel and Home Travel Concession (Encashment/Availment)	41.96	29.14
3	Sick Leave	70.09	12.84
4	Silver Jubilee Award	35.03	2.47
5	Resettlement Expenses on Superannuation	(8.74)	(7.99)
6	Casual Leave	11.20	5.06
7	Retirement Award	44.40	2.18
	Total	**775.74**	**151.24**

18.8 **Provision for Pension**

Consequent to revision in wages in accordance with the Ninth Bipartite Settlement and the proposed amendment to the SBI Pension Fund Rules, the Pension liability of the bank for the year ended March 31, 2011 as determined by the independent actuary amounted to ₹ 11,707 crores. After considering the existing provision of ₹ 1,306.70 crores, the additional pension cost in respect of the liabilities of earlier years amounting to ₹ 7,927.41 crores has been charged to Reserves in accordance with the dispensation granted by Reserve Bank of India to the Bank vide the letter number DBOD/BP/No./16165/21.04.018/2010-11 dated 18th April 2011. The pension cost for the year amounting to ₹ 2,473 crores has been charged to the Profit and Loss account. As per the requirements of AS 15 – Employee Benefits, the entire amount of ₹ 10,400.30 crores is required to be charged to Profit and Loss Account. Had such dispensation not been allowed by RBI, the profit of the Bank would have been lower by ₹ 7,927.41 crores pursuant to the application of requirements of AS 15.

18.9 **Gratuity**

Consequent to the enhancement in limit of gratuity payable under the Payment of Gratuity Act, 1972 and revision in wages in accordance with the Ninth Bipartite Settlement, the cost on account of Gratuity liability of the Bank as determined by the independent actuary for the year ended March 31, 2011 amounted to ₹ 1,965 crores. The incremental liability for the year and the increase in liability consequent to revision in wages amounting to ₹ 865 crores and an amount of ₹ 700 crores on account of enhancement in the limit of gratuity, has been charged to the Profit and Loss account. The balance amount of ₹ 400 crores, not already charged to Profit and Loss account during the year, has not been recognised and will be amortised over the next four years in accordance with RBI circular no. DBOD.BP.BC.80 /21.04.018/2010-11 dated 9th February 2011. As per the requirements of AS 15 – Employee Benefits , the entire amount of ₹ 1,965 crores is required to be charged to Profit and Loss Account. Had such circular not been issued by RBI, the profit of the Bank would have been lower by ₹ 400 crores pursuant to the application of requirements of AS 15.

18.10 Segment Reporting:

1. Segment Identification

A) Primary (Business Segment)

The following are the primary segments of the Bank:-

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

a) Treasury - The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative

शुल्क और इससे होने वाले लाभ / हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो का ब्याज-आय पर आधारित है.

ख) कारपोरेट / थोक बैंकिंग - कारपोरेट / थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण - गतिविधियाँ सम्मिलित हैं. इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं. इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों के गैर - कोष परिचालन भी शामिल हैं.

ग) खुदरा बैंकिंग - खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं. इन शाखाओं के कार्यकलाप में मुख्यतया राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित - वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं. एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं.

घ) अन्य बैंकिंग व्यवसाय - जो खंड उपर्युक्त (क) से (ग) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हुए हैं उन्हें इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

ख) द्वितीयक **(भौगोलिक खंड)**

i) देशी परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ/ कार्यालय तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ

ग) अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग संसाधन-संग्रहण की प्राथमिक इकाई है. कारपोरेट/थोक बैंकिंग एवं कोष खंड खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त करते हैं. बाजार से सम्बद्ध निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण (एमआरएफटीपी) शुरू किया गया है, जिसके अधीन निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक पृथक् इकाई सृजित की गई है. निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) उन निधियों को आनुमानिक रूप से खरीदता है, जो व्यवसाय इकाइयों में जमाराशियों या उधारराशियों के रूप में उद्भूत होती है और आस्ति सृजन करने में लगी व्यवसाय इकाइयों को इन निधियों का आनुमानिक विक्रय करता है.

घ) **व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन**

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा कोष परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं. सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं.

बैंक के पास ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं जिन्हें किसी खंड के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, अत: इन्हें अनाबंटित श्रेणी में रखा गया है.

contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

b) Corporate / Wholesale Banking - The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Mid Corporate Accounts Group and Stressed Assets Management Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non-treasury operations of foreign offices.

c) Retail Banking - The Retail Banking Segment comprises of branches in National Banking Group, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with branches in the National Banking Group. This segment also includes agency business and ATMs.

d) Other Banking business – Segments not classified under (a) to (c) above are classified under this primary segment.

B) Secondary (Geographical Segment)

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore Banking units having operations in India

C) Pricing of Inter-segmental Transfers

The Retail Banking segment is the primary resource mobilising unit. The Corporate/Wholesale Banking and Treasury segments are recipient of funds from Retail Banking. Market related Funds Transfer Pricing (MRFTP) is followed under which a separate unit called Funding Centre has been created. The Funding Centre notionally buys funds that the business units raise in the form of deposits or borrowings and notionally sell funds to business units engaged in creating assets.

D) Allocation of Expenses, Assets and Liabilities

Expenses incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of number of employees in each segment/ratio of directly attributable expenses.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

2. खंड सूचना / Segment Information

भाग क : प्राथमिक (व्यवसाय खंड) Part A :Primary (Business segments)

व्यवसाय खंड Business Segments	कोष Treasury	कारपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	निरसन Elimination	योग Total
आय # Revenue #	21,665.06 (22,054.89)	32,935.11 (26,196.28)	42,062.69 (37,158.24)			96,662.86 (85,409.41)
अनाबंटित आय # Unallocated Revenue #						556.10 (552.66)
कुल आय Total Revenue						97,218.96 (85,962.07)
परिणाम # Result #	(-)945.27 (4,666.00)	5,496.53 (4,755.35)	12,679.45 (6,491.25)			17,230.71 (15,912.60)
अनाबंटित आय (+)/ व्यय(-) -निवल# Unallocated Income (+) / Expenses(-) - net #						-2,276.48 ((-) 1,986.52)
परिचालन लाभ # Operating Profit #						14,954.23 (13,926.08)
कर # Tax #						6,689.71 (4,760.03)
असाधारण लाभ # Extraordinary Profit #						- -
निवल लाभ # Net Profit #						8,264.52 (9,166.05)
अन्य सूचना : Other Information :						
खंड आस्तियाँ* Segment Assets *	3,10,524.60 (3,12,395.60)	3,81,320.36 (3,05,469.17)	5,22,699.76 (4,28,690.99)			12,14,544.72 (10,46,555.76)
अनाबंटित आस्तियाँ* Unallocated Assets *						9,191.48 (6,857.97)
कुल आस्तियाँ* Total Assets *						12,23,736.20 (10,53,413.73)
खंड देयताएँ* Segment Liabilities *	1,62,149.37 (1,65,998.92)	3,67,495.28 (2,94,696.86)	5,85,015.30 (4,91,939.42)			11,14,659.95 (9,52,635.20)
अनाबंटित देयताएँ* Unallocated Liabilities *						44,090.21 (34,829.33)
कुल देयताएँ * Total Liabilities *						11,58,750.16 (9,87,464.53)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं / Figures in brackets are for Previous Year)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

Part B : Secondary (Geographic Segments)

	देशी Domestic		विदेशी Foreign		योग Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
आय Revenue #	91,642.48	81,244.50	5,576.48	4,717.57	97,218.96	85,962.07
आस्तियाँ Assets *	10,82,387.23	9,30,150.43	1,41,348.97	1,23,263.30	12,23,736.20	10,53,413.73

* 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार
As at 31st March 2011

\# 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
For the year ended 31st March 2011

18.11 **संबंधित पक्ष प्रकटीकरण**

1 संबंधित पक्ष

क. अनुषंगियाँ

i. देशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर (25.08.2010 तक)
4. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
5. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
6. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
7. एसबीआइ कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.

ii. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआइ (मॉरीशस) लि.
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया).
4. कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को
5. पीटी बैंक एसबीआइ इंडोनेशिया
6. नेपाल एसबीआइ बैंक लि.

iii. देशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआइ कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
2. एसबीआइ डीएफएचआइ लिमिटेड
3. एसबीआइ म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
4. एसबीआइ कैप सिक्युरिटीज लि.
5. एसबीआइ कैप्स वैंचर्स लि.
6. एसबीआइ कैप ट्रस्टीज कं. लि.
7. एसबीआइ कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
8. एसबीआइ फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
9. एसबीआइ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
10. एसबीआइ पेंशन फंड प्राइवेट लि.
11. एसबीआइ - एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज प्रा. लि.
12 एसबीआइ ग्लोबल फैक्टर्स लि.
13. एसबीआइ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
14. एसबीआइ पेमेंट सर्विसेज प्रा लि.

iv. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआइ कैप (यूके) लि.
2. एसबीआइ फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.
3. एसबीआइ कैप सिंगापुर लि.

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि
2. सी-एज टेकनोलॉजीज लि.
3. मैक्वैरी एसबीआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.
5. एसबीआइ मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
6. एसबीआइ मैक्वैरी हन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.

18.11 **Related Party Disclosures:**

1. Related Parties

A. SUBSIDIARIES

i. DOMESTIC BANKING SUBSIDIARIES

1. State Bank of Bikaner & Jaipur
2. State Bank of Hyderabad
3. State Bank of Indore (up to 25.08.2010)
4. State Bank of Mysore
5. State Bank of Patiala
6. State Bank of Travancore
7. SBI Commercial and International Bank Ltd.

ii. FOREIGN BANKING SUBSIDIARIES

1. SBI (Mauritius) Ltd.
2. State Bank of India (Canada)
3. State Bank of India (California)
4. Commercial Bank of India LLC, Moscow
5. PT Bank SBI Indonesia
6. Nepal SBI Bank Ltd.

iii. DOMESTIC NON-BANKING SUBSIDIARIES

1. SBI Capital Markets Ltd.
2. SBI DFHI Ltd.
3. SBI Mutual Funds Trustee Company Pvt. Ltd.
4. SBI CAP Securities Ltd.
5. SBI CAPS Ventures Ltd.
6. SBI CAP Trustees Co. Ltd.
7. SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd.
8. SBI Funds Management Pvt. Ltd.
9. SBI Life Insurance Company Ltd.
10. SBI Pension Funds Pvt. Ltd.
11. SBI – SG Global Securities Pvt. Ltd.
12. SBI Global Factors Ltd.
13. SBI General Insurance Company Ltd
14. SBI Payment Services Pvt. Ltd.

iv. FOREIGN NON-BANKING SUBSIDIARIES

1. SBICAP (UK) Ltd.
2. SBI Funds Management (International) Pvt. Ltd.
3. SBICAP Singapore Ltd.

B. JOINTLY CONTROLLED ENTITIES

1. GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd
2. C-Edge Technologies Ltd.
3. Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.
4. Macquarie SBI Infrastructure Trustees Ltd.
5. SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.
6. SBI Macquarie Infrastructure Trustees Pvt. Ltd.

7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1 आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2 अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3 कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक
4 छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक
5 डेक्कन ग्रामीण बैंक
6 इलाकाई देहाती बैंक
7 मेघालय रूरल बैंक (पूर्वनाम - का बैंक नानकिनडांग री खासी जैनटिया)
8 कृष्णा ग्रामीण बैंक
9 लंगपी देहांगी रूरल बैंक
10 मध्य भारत ग्रामीण बैंक
11 मालवा ग्रामीण बैंक
12 मारवाड़ गंगानगर बीकानेर ग्रामीण बैंक
13 मिजोरम रूरल बैंक
14 नागालैंड रूरल बैंक
15 पर्वतीय ग्रामीण बैंक
16 पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17 समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
18 सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
19 उत्कल ग्राम्य बैंक
20 उत्तरांचल ग्रामीण बैंक
21 वनांचल ग्रामीण बैंक
22 विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. एसबीआइ होम फाइनेंस लिमिटेड
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
3. बैंक ऑफ भूटान.
4. एस.एस. वेंचर्स सर्विसेज लि. (15.03.2011) तक

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री ओ.पी. भट्ट, अध्यक्ष (31.03.2011 तक)
2. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक (31.10.2010 तक)
3. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेन-देन किए गए

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार ''सरकार - नियंत्रित उद्यम'' के रूप में संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है. इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है. अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

1. सी-एज टेक्नोलॉजीज लि.
2. जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.
3. मैक्वैरी एसबीआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.
5. एसबीआइ मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
6. एसबीआइ मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.
7. बैंक ऑफ भूटान लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
9. ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
10. एसबीआइ होम फाइनेंस लि.
11. एस.एस. वेंचर्स सर्विसेस लि.(15.03.2011 तक)
12. श्री ओ.पी.भट्ट, अध्यक्ष (31.03.2011 तक)
13. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक (31.10.2010 तक)
14. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक

7. Oman India Joint Investment Fund – Trustee Company Pvt. Ltd.
8. Oman India Joint Investment Fund – Management Company Pvt. Ltd.

C. ASSOCIATES

i. Regional Rural Banks

1. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank
2. Arunachal Pradesh Rural Bank
3. Cauvery Kalpatharu Grameena Bank
4. Chhattisgarh Gramin Bank
5. Deccan Grameena Bank
6. Ellaquai Dehati Bank
7. Meghalaya Rural Bank (Formerly known as Ka Bank Nongkyndong Ri Khasi Jaintia)
8. Krishna Grameena Bank
9. Langpi Dehangi Rural Bank
10. Madhya Bharat Gramin Bank
11. Malwa Gramin Bank
12. Marwar Ganganagar Bikaner Gramin Bank
13. Mizoram Rural Bank
14. Nagaland Rural Bank
15. Parvatiya Gramin Bank
16. Purvanchal Kshetriya Gramin Bank
17. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
18. Saurashtra Gramin Bank
19. Utkal Gramya Bank
20. Uttaranchal Gramin Bank
21. Vananchal Gramin Bank
22. Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank

ii. Others

1. SBI Home Finance Ltd.
2. The Clearing Corporation of India Ltd.
3. Bank of Bhutan Ltd.
4. S. S. Ventures Services Ltd.(up to 15.03.2011)

D. Key Management Personnel of the Bank

1. Shri O. P. Bhatt, Chairman (up to 31.03.2011)
2. Shri S. K. Bhattacharyya, Managing Director (up to 31.10.2010)
3. Shri R. Sridharan, Managing Director

2. Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship are not required to be disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel. Other particulars are as under:

1. C-Edge Technologies Ltd.
2. GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.
3. Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.
4. Macquarie SBI Infrastructure Trustees Ltd.
5. SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.
6. SBI Macquarie Infrastructure Trustees Pvt. Ltd.
7. Bank of Bhutan Ltd.
8. Oman India Joint Investment Fund – Trustee Company Pvt. Ltd.
9. Oman India Joint Investment Fund – Management Company Pvt. Ltd.
10. SBI Home Finance Ltd.
11. S. S. Ventures Services Ltd (up to 15.03.2011)
12. Shri O. P. Bhatt, Chairman (up to 31.03.2011)
13. Shri S. K. Bhattacharyya, Managing Director (up to 31.10.2010)
14. Shri R. Sridharan, Managing Director

3. लेनदेन और शेष राशियाँ :

3. Transactions and Balances :

विवरण Particulars	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम Associates/ Joint Ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी Key Management Personnel & their relatives	योग Total
जमा-राशियाँ / Deposits #	51.95 (112.84)	0.04 (-)	51.99 (112.84)
अन्य देयताएँ Other Liabilities #	- (-)	- (-)	- (-)
विनिधान / Investments #	42.91 (24.88)	- (-)	42.91 (24.88)
अग्रिम # / Advances #	- (-)	- (-)	- (-)
प्राप्त ब्याज * / Interest received*	- (-)	- (-)	- (-)
संदत्त ब्याज / Interest paid*	- (4.00)	- (-)	- (4.00)
लाभांश के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividend*	2.80 (2.88)	- (-)	2.80 (2.88)
अन्य आय Other Income*	- (-)	- (-)	- (-)
अन्य व्यय / Other expenditure*	- (-)	- (-)	- (-)
प्रबंधन संविदाएँ Management contracts *	- (-)	0.60 (0.63)	0.60 (0.63)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं
31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार
* 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

Figures in brackets are for Previous Year
As at 31st March 2011
* For the year ended 31st March 2011

18.12 **पट्टे :**

i) **परिचालन पट्टे***

क. परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसर का ब्योरा नीचे दिया गया है :

विवरण	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष के पश्चात् नहीं	40.43	33.11
1 वर्ष के पश्चात् और 5 वर्षों के पश्चात् नहीं	92.47	69.74
5 वर्षों के पश्चात	25.21	19.47
योग	158.11	122.32
वर्ष के लाभ और हानि खाते में शामिल पट्टा भुगतान की राशि	42.68	35.26

परिचालन पट्टों में पहले कार्यालय परिसर तथा स्टाफ आवास, जिनका बैंक के विकल्पानुसार नवीकरण किया जाना है, शामिल हैं.

* केवल निरस्त न होने वाले पट्टे के संबंध में

18.13 **प्रति शेयर उपार्जन :**

बैंक ने लेखा मानक 20, ''प्रति शेयर उपार्जन'' के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है. वर्ष के दौरान, कर के पश्चात् निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर ''मूल आय'' की गणना की गई है. वर्ष के दौरान कोई भी कम किए गए मूल्य के संभाव्य इक्विटी शेयर बकाया नहीं हैं.

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	63,49,52,049	63,48,80,626
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	63,49,52,049	63,48,80,626
निवल लाभ (₹)	8264.52	9,166.05
प्रति शेयर मूल आय (₹)	130.16	144.37
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	130.16	144.37
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10	10

18.12 **Leases:**

i) Operating Leases*

A. **Premises taken on operating lease are given below:**

Particulars	As at 31 Mar 2011	As at 31 Mar 2010
Not later than 1 year	40.43	33.11
Later than 1 year and not later than 5 years	92.47	69.74
Later than 5 years	25.21	19.47
Total	158.11	122.32
Amount of lease payments recognised in the P&L Account for the year.	42.68	35.26

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.

* In respect of Non-Cancellable leases only.

18.13 **Earnings per Share**

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Particulars	Current Year	Previous Year
Basic and diluted		
Weighted average number of equity shares used in computing basic earning per share	63,49,52,049	63,48,80,626
Weighted average number of shares used in computing diluted earning per share	63,49,52,049	63,48,80,626
Net profit (₹)	8,264.52	9,166.05
Basic earnings per share (₹)	130.16	144.37
Diluted earnings per share (₹)	130.16	144.37
Nominal value per share (₹)	10	10

18.14 **आय पर करों का लेखांकन**

i) चालू वर्ष के लिए कर व्यय पिछले वर्ष के ₹ 207.60 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की प्रतिवर्तित राशि को घटाने के बाद का है.

ii) वर्ष के दौरान, आस्थगित कर समायोजन के द्वारा लाभ और हानि खाते में ₹ 976.82 करोड़ नामे किए गए (पिछले वर्ष ₹ 1407.75 करोड़ जमा किए गए).

iii) बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर आस्ति ₹ 1167.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2512.09 करोड़) है, जिसे अन्य आस्तियों में जोड़ दिया गया है. प्रमुख मदों की आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) और देयताओं का अलग-अलग विवरण निम्नवत है :

विवरण	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	307.90	1545.87
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	1,636.10	1158.61
एक्जिट विकल्प के लिए प्रदत्त अनुग्रह राशि	9.41	51.54
अन्य	35.77	181.71
विदेशी कार्यालयों के कारण निवल आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)	135.71	117.24
योग	2,124.89	3,054.97
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	21.53	23.47
प्रतिभूतियों पर ब्याज	936.08	519.41
योग	**957.61**	**542.88**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	**1,167.28**	**2512.09**

18.15 **संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में विनिधान**

संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों के विनिधानों में ₹ 38.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 19.95 करोड़) का बैंक का हिस्सा शामिल है :

क्रम सं.	कंपनी का नाम	राशि	मुख्यालय	धारिता %
1	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	10.80 (10.80)	भारत	40%
2	सी-एज टेक्नोलॉजीज लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
3	मैक्वैरी एसबीआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पी टी ई लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45%
4	एसबीआइ मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट (प्रा.) लि.	1.857 (1.89)	भारत	45%
5	एसबीआइ मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज (प्रा.) लि.	0.03 (0.01)	भारत	45%
6	मैक्वैरी एसबीआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.#	0.10 (0.10)	बरमुड़ा	45%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेसमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.01 (-)	भारत	50%
8	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेसमेंट फंड- मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.	2.30 (-)	भारत	50%

एसबीआइ मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. के माध्यम से रखे गए शेयर के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी के लिए 100% प्रावधान किया गया.

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं

लेखा मानक 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और वायदों की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

विवरण	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	110.28	79.91
जमाराशियाँ	-	-
उधार-राशियाँ	0.53	0.40
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	68.70	62.92
योग	**179.51**	**143.23**

18.14 **Accounting for Taxes on Income**

i) Current tax expenditure for the year is net of reversal of excess provision for previous year of ₹ 207.60 crores.

ii) During the year, ₹ 976.82 crores [Previous Year ₹ 1,407.75 crores credited] has been debited to Profit and Loss Account by way of adjustment of deferred tax.

iii) The Bank has outstanding net deferred tax asset of ₹ 1,167.28 crores (Previous Year- ₹ 2,512.09 crores), which is included under Other Assets. The breakup of deferred tax assets (DTA) and liabilities into major items is given below:

Particulars	As at 31 Mar 2011	As at 31 Mar 2010
Deferred Tax Assets		
Provision for wage revision	307.90	1,545.87
Provision for long term employee Benefits	1,636.10	1,158.61
Ex-gratia paid under Exit option	9.41	51.54
Others	35.77	181.71
Net DTAs on account of Foreign Offices	135.71	117.24
Total	2,124.89	3,054.97
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on Fixed Assets	21.53	23.47
Interest on securities	936.08	519.41
Total	957.61	542.88
Net Deferred Tax Assets/(Liabilities)	1,167.28	2,512.09

18.15 **Investments in Jointly Controlled Entities**

Investments include ₹ 38.96 crores (Previous Year ₹ 19.95 crores) representing Bank's interest in the following jointly controlled entities

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of Residence	Holding %
1	GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.	10.80 (10.80)	India	40%
2	C - Edge Technologies Ltd.	4.90 (4.90)	India	49%
3	Maquarie SBI Infra Management Pte. Ltd.	2.25 (2.25)	Singapore	45%
4	SBI Macquarie Infra Management (P) Ltd.	18.57 (1.89)	India	45%
5	SBI Macquarie Infra Trustee (P) Ltd.	0.03 (0.01)	India	45%
6	Macquarie SBI Infra Trustee Ltd. #	0.10 (0.10)	Bermuda	45%
7	Oman India Joint Investment Fund –Trustee Company Pvt. Ltd.	0.01 (-)	India	50%
8	Oman India Joint Investment Fund – Management Company Pvt. Ltd.	2.30 (-)	India	50%

Indirect holding through Maquarie SBI Infra Management Pte. Ltd., against which the Company has made 100% provision.

Figures in brackets relate to previous year

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

Particulars	As at 31 Mar 2011	As at 31 Mar 2010
Liabilities		
Capital & Reserves	110.28	79.91
Deposits	-	-
Borrowings	0.53	0.40
Other Liabilities & Provisions	68.70	62.92
Total	179.51	143.23

आस्तियाँ		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	-	0.06
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	50.34	28.77
विनिधान	2.11	1.62
अग्रिम	-	-
अचल आस्तियाँ	11.06	9.92
अन्य आस्तियाँ	116.00	102.86
योग	**179.51**	**143.23**
पूँजी वायदे	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएँ	0.41	-
आय		
अर्जित ब्याज	3.74	3.60
अन्य आय	118.98	78.49
योग	**122.72**	**82.09**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	-	-
परिचालन व्यय	105.97	69.73
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	5.54	6.27
योग	**111.51**	**76.00**
लाभ	**11.21**	**6.09**

18.16 **आस्तियों की अपसामान्यता**

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - 'आस्तियों की अपसामान्यता' लागू होती हो.

18.17 **प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ**

क) प्रावधानों का अलग-अलग विवरण

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कर भुगतान हेतु प्रावधान		
चालू कर	5,709.54	6166.62
आस्थगित कर	976.82	(1407.75)
अन्य कर	3.35	1.16
विनिधानों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	646.75	(987.99)
अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	8,415.44	4,622.33
पुनर्संरचनागत आस्तियों पर प्रावधान	376.65	525.53
मानक आस्तियों पर प्रावधान	976.60	80.06
अन्य प्रावधान	(34.10)	154.90
योग	**17,071.05**	**9154.86**

18.18 **अस्थायी प्रावधान**

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	-	-
जोड़े : पूर्ववती स्टेट बैंक इंदौर से अंतरित	23.00	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	-	-
इति शेष	23.00	-

18.19 **क) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का विवरण**

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं.	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है. बैंक को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्विक प्रतिकूल प्रभाव बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर पड़ेगा.
2	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है. वायदा विनिमय संविदाओं में

Assets		
Cash and Balances with RBI	-	0.06
Balances with Banks and money at call and short notice	50.34	28.77
Investments	2.11	1.62
Advances	-	-
Fixed Assets	11.06	9.92
Other Assets	116.00	102.86
Total	179.51	143.23
Capital Commitments	-	-
Other Contingent Liabilities	0.41	-
Income		
Interest earned	3.74	3.60
Other income	118.98	78.49
Total	122.72	82.09
Expenditure		
Interest expended	-	-
Operating expenses	105.97	69.73
Provisions & contingencies	5.54	6.27
Total	111.51	76.00
Profit	**11.21**	**6.09**

18.16 **Impairment of Assets**

In the opinion of the Bank's Management, there is no impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 – "Impairment of Assets" applies.

18.17 **Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets**

a) Break-up of Provisions

Particulars	Current Year	Previous Year
Provision for Taxation		
-Current Tax	5,709.54	6,166.62
-Deferred Tax	976.82	(1,407.75)
-Other Tax	3.35	1.16
Provision for Depreciation on Investments	646.75	(987.99)
Provision on Non-Performing Assets	8,415.44	4,622.33
Provision on Restructured Assets	376.65	525.53
Provision on Standard Assets	976.60	80.06
Other Provisions	(34.10)	154.90
Total	17,071.05	9,154.86

18.18 **Floating Provisions**

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	-	-
Add: Transferred from e-SBIN	23.00	-
Addition during the year	-	-
Draw down during the year	-	-
Closing Balance	23.00	-

18.19 **a) Description of Contingent Liabilities and Contingent Assets**

Sr. No.	Particulars	Brief Description
1	Claims against the Bank not acknowledged as debts	The Bank is a party to various proceedings in the normal course of business. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
2	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Bank enters into foreign exchange contracts, currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with inter-Bank participants on its own account and for customers. Forward

		विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने का वायदा किया जाता है. मुद्रा विनिमयों का वायदा पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज / मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए है. ब्याज दर विनिमय का वायदा अचल विनिमय एवं अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए है. आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ हैं.
3	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यवाहियों के एक भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है. प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है. गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा.
4	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है.	बैंक विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का एक पक्ष है. बैंक की ओर से इन पर प्रतिवाद किया जा रहा है और इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में शेयरों का अभिदान करने का वायदा किया है.

घ) उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यता, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित है.

ग) **आकस्मिक देयताओं के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव**

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	148.14	85.54
जोड़ें : पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से अंतरित	11.81	0
वर्ष के दौरान वृद्धि	168.57	77.69
वर्ष के दौरान कमी	53.42	15.09
इति शेष	275.10	148.14

18.20 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का समामेलन

भारत सरकार द्वारा जारी ''स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का अधिग्रहण आदेश 2010'' अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 26 अगस्त 2010 (प्रभावी तारीख) से स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, का भारतीय स्टेट बैंक (उक्त बैंक) में विलय कर दिया. वर्त्तमान अवधि के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं, उनमें 26 अगस्त 2010 को हुए विलय के बाद पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की शाखाओं के कार्यचालन परिणाम भी सम्मिलित हैं. इसलिए पिछली अवधि में दिखाए गए आंकड़ों से इसकी पूरी तरह से तुलना नहीं की जा सकती.

स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के भारतीय स्टेट बैंक के साथ समामेलन का लेखांकन लेखा मानक 14 ''समामेलनों का लेखांकन'' के अनुसार ब्याज की एकत्रीकरण पद्धति का उपयोग कर किया गया है. इस आदेश के अनुसार, प्रभावी तिथि से स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की सम्पूर्ण आस्तियों एवं देयताओं का अंतरण भारतीय स्टेट बैंक को कर दिया गया और इस अंतरण को ध्यान में रखते हुए, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के शेयर धारकों को उनके द्वारा धारित ₹ 10 के अंकित मूल्य के प्रत्येक 100 शेयरों के लिए भारतीय स्टेट बैंक के ₹ 10 के अंकित मूल्य के 34 शेयर प्रदान किए गए. इस कार्रवाई में ₹ 10 अंकित मूल्य के 1,14,606 पूर्णत: भुगतान किए गए ईक्विटी शेयर प्रदान किए गए एवं ₹ 27,85,099/- नकद राशि का भुगतान किया गया. प्रभावी तारीख को भारतीय स्टेट बैंक के पास रखी गई स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की 98.05% शेयर पूँजी निरस्त कर दी गई एवं अर्जित निवल पहचान योग्य आस्तियों का मूल्य एवं इस समामेलन के अंतर को जोकि ₹ 0.33 करोड़ था, को सामान्य आरक्षित निधि में जमा कराया गया.

		exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on predetermined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as Contingent Liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts.
3	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial Banking activities, the Bank issues documentary credits and guarantees on behalf of its customers Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Bank. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations.
4	Other items for which the Bank is contingently liable.	The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. These are being contested by the Bank and not provided for. Further, the Bank has made commitments to subscribe to shares in the normal course of business.

b) The Contingent Liabilities mentioned above are dependent upon the outcome of Court/ arbitration/out of Court settlements, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be.

c) Movement of provisions against Contingent Liabilities

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance	148.14	85.54
Add: Transferred from e SBIN	11.81	0
Additions during the year	168.57	77.69
Reductions during the year	53.42	15.09
Closing balance	275.10	148.14

18.20 Amalgamation of State Bank of Indore

Consequent to the notification of the "Acquisition of State Bank of Indore Order, 2010" issued by the Government of India, the undertaking of State Bank of Indore stands transferred to and vests in State Bank of India("the Bank"), with effect from 26th August 2010, the effective date. The results for the year include the result of operations of the erstwhile State Bank of Indore (eSBIN) for the period from 26th August 2010 to the year end and the results of the Bank are not comparable to that extent.

The amalgamation of State Bank of Indore with the Bank has been accounted for under the pooling of interest method as prescribed in Accounting Standard 14 "Accounting for Amalgamations". Pursuant thereto, all assets and liabilities of State Bank of Indore as on the effective date have been transferred and vested in the Bank and in consideration thereof 1,14,606 fully paid equity shares of ₹ 10/- each of the Bank have been issued and allotted and ₹ 27,85,099/- paid in cash towards fractional entitlements to the non transferee bank shareholders in ratio of 34 equity shares for every 100 shares held . The Bank held 98.05% of the share capital of the State Bank of Indore on effective date which stands cancelled and the difference between the value of net identifiable assets acquired and the consideration amounting to ₹ 0.33 crore is credited to General Reserve.

पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से अधिगृहीत आस्तियों एवं देयताओं का विवरण निम्नानुसार है :-

अधिगृहीत आस्तियाँ	राशि
भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई नकदी एवं जमा	1,614.03
बैंकों में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	32.07
विनिधान	8,101.61
अग्रिम	21,180.60
अचल आस्तियां	114.80
अन्य आस्तियां	929.85
लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	894.17
कुल आस्तियां	**32,867.13**
अधिगृहीत देयताएं	
आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	1780.91
जमा-राशियाँ	27,105.17
उधार राशियां	2,210.94
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	1,708.86
कुल देयताएं	**32,805.88**
अधिगृहीत निवल आस्तियाँ	61.25
घटाएं	
एसबीआई की बहियों में पूर्ववर्ती स्टेट बैंक आफ इंदौर के विनिधानों का मूल्य	60.53
₹ 10 अंकित मूल्य के 1,14,606 शेयर	0.11
शेयरों के अंश पात्रता के बदले नकद राशि	0.28
सामान्य आरक्षिति में अंतरित निवल राशि	0.33

18.21 **अंतर कार्यालय खाता**

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है.

18.22 **वेतन करार कार्यान्वयन**

वर्ष के दौरान नौवें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार बकाया वेतन के संवितरण का निर्णय लिया गया. 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में ₹ 974.29 करोड़ जिसका वेतन संशोधन के लिए प्रावधान किया गया था, प्रतिलेखन किए गए. साथ ही इसी अवधि में ₹168.98 करोड की राशि का ''विशेष समतुलन भत्ते'' के लिए प्रावधान किया गया.

18.23 **वसूली नहीं किया गया ब्याज एवं पिछले वर्ष के दौरान वसूल न हो सका ब्याज**

वसूली नहीं की गई ब्याज की राशि के लिए रखे गए शेष/ प्रावधान एवं पिछले वर्ष के दौरान वसूल न हो सके अनर्जक आस्तियों के ब्याज कुल ₹1618.02 करोड़ की राशि को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार ऋणकर्ताओं के व्यक्तिगत खातों में रिवर्स कर दिया गया है. इस तरह 31 मार्च 2011 तक अग्रिम एवं प्रावधान ₹1618.02 करोड़ से कम हो गए.

18.24 **प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण राशि**

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के अनुसार पीसीआर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंक ने 31 दिसम्बर 2010 समाप्त नौ माह के दौरान आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक का प्रावधान किया है. 31 मार्च 2011 को समाप्त तिमाही के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 अप्रैल 2011 के परिपत्र संख्या डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.87/21.04.048/2010-11 का अनुसरण करते हुए बैंक ने 31 मार्च 2011 तक ₹ 3430 करोड़ के बदले ₹ 2330 करोड़ का प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का सृजन किया है. बकाया राशि को 30 सितम्बर 2011 तक पूरा करना बैंक के लिए अनिवार्य है.

18.25 भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से 30 सितम्बर 2010 तक 10 या उससे अधिक वर्षों से ड्राफ्ट भुगतान खाते में बकाया जमा प्रविष्टिओं के अंतर के ₹ 42.90 करोड़ की निवल जमा राशि को बैंक ने लाभ एवं हानि खाते में अंतरित किया है. इस राशि में से ₹ 28.65 करोड़ (करों को छोड़कर) प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात के लिए अतिरिक्त प्रावधान हेतु उपयोग किए गए.

18.26 वर्ष के दौरान बैंक ने एसबीआई सेवानिवृत कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्ट में ₹ 92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 92.00 करोड़) की राशि का अंशदान किया है.

18.27 पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप मिलाने की दृष्टि से उन्हें यथावश्यक, पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है. जिन मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/ लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किया गया है उनके पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं.

The Assets and Liabilities of eSBIN taken over are as under:-

Assets Taken Over	Amount
Cash & Balance with RBI	1,614.03
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	32.07
Investments	8,101.61
Advances	21,180.60
Fixed Assets	114.80
Other Assets	929.85
Debit Balance in Profit and Loss Account	894.17
Total Assets	32,867.13
Liabilities Taken Over	
Reserve & Surplus	1,780.91
Deposits	27,105.17
Borrowings	2,210.94
Other Liabilities and Provisions	1,708.86
Total Liabilities	32,805.88
Net Assets Taken over	61.25
Less:	
Value of Investment of in e-SBIN in books of SBI	60.53
1,14,606 Shares of face value of Rs 10 each	0.11
Cash in lieu of fractional entitlement of shares	0.28
Net Amount Transferred to General Reserve	0.33

18.21 **Inter Office Accounts**

Inter Office Accounts between branches, controlling offices and local head offices and corporate centre establishments are being reconciled on an ongoing basis and no material effect is expected on the profit and loss account of the current year.

18.22 **Wage Agreement Implementation**

During the year, the disbursement of arrears of wages was finalized in accordance with the ninth Bipartite Settlement. An amount of ₹ 974.29 crores was written back to the Profit & Loss account during the year ended 31st March 2011, being excess amount of provision for wage revision and an amount of ₹ 168.98 crores was provided during the year for 'Special Balancing Allowance.'

18.23 **Interest Not Collected and Unrealised Interest of Previous Year**

The balances/provisions held as Interest Not Collected and Unrealised Interest of Previous Year for NPAs aggregating ₹ 1,618.02 crores have been reversed to the individual borrower accounts as stipulated by Reserve bank of India. Consequently, the advances and provisions as at 31st March 2011 are lower by ₹ 1,618.02 crores.

18.24 **Countercyclical Provisioning Buffer**

During the nine month period ended 31st December 2010, the Bank had made higher provision for NPAs over and above the prescribed IRAC norms to achieve the PCR as per RBI dispensation. During the quarter ended 31st March 2011, pursuant to the revised guidelines issued by RBI vide their circular no. DBOD. No. BP.BC.87/21.04.048/2010-11 dated 21st April 2011, the Bank has created countercyclical provisioning buffer of ₹ 2,330.00 crores till 31st March 2011 as against ₹ 3,430 crores, shortfall of which is to be met by 30th September 2011.

18.25 In accordance with RBI approval, the Bank has credited ₹ 42.90 crores to Profit & Loss Account, being the outstanding credit entries in Draft Payable Account which were 10 years or more old as on 30th September 2010, of this amount of ₹ 28.65 crores (net of taxes) has been utilised for additional provision for Provisioning Coverage Ratio.

18.26 During the year, the Bank has contributed ₹ 92.00 crores (previous year ₹ 92.00 crores) to SBI Retired Employees' Medical Benefit Trust.

18.27 Previous period figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to conform to current period classification. In cases where disclosures have been made for the first time in terms of RBI guidelines / Accounting Standards, previous year's figures have not been mentioned.

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA
31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011		31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	
		₹		₹
क. परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह				
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		34282,52,20		(11800,11,71)
ख. विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह				
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		(1245,53,05)		(1761,52,26)
ग. वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह				
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		2057,10,67		(3359,67,05)
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल परिवर्तन NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		35094,09,82		(16921,31,02)
घ. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य				
D. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		86188,71,35		104403,79,86
ङ पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के अभिग्रहण से प्राप्त नकदी				
E. CASH RECEIVED FROM ACQUISITION OF e-SBIN		1646,09,70		—
ङ. विदेशी विनिमय दर में परिवर्तनों का प्रभाव				
F. EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES		(54,76,10)		(1293,77,49)
च. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य				
G. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		122874,14,77		86188,71,35
	₹	₹	₹	₹
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES				
कर पूर्व निवल लाभ / Net Profit before Taxes	14954,23,12		13926,09,61	
समायोजन / Adjustment for :				
मूल्यह्रास शुल्क / Depreciation charges	990,49,52		932,66,37	
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/ हानि (Profit)/ Loss on sale of Fixed Assets	18,51,07		10,45,62	
विनिधानों के विक्रय पर (लाभ) / हानि (Profit)/ Loss on sale of Investments	(925,69,54)		(2116,79,23)	
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (Profit)/ Loss on revalution of Investments	4,67,20		—	
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for NPAs	8792,09,28		5147,85,28	
मानक आस्तियों पर प्रावधान / Provision on Standard Assets	976,59,50		80,05,74	

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011		31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	
	₹	₹	₹	₹
विनिधानों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Investments	646,75,05		(968,59,59)	
अन्य आस्तियों पर प्रावधान / Provision on Other Assets	(60,07,27)		86,55,72	
अन्य प्रावधान / Other Provisions	25,97,26		48,94,44	
अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश (विनिधान कार्यकलाप) Dividends from Subsidiaires (Investing Activities)	(827,73,02)		(573,48,34)	
एसबीआई बांडों पर संदत्त ब्याज (वित्तपोषण कार्यकलाप) Interest paid on SBI Bonds (Financing Activity)	3019,94,33		2538,67,22	
	27615,76,50		19112,42,84	
भुगतान किए गए कर / Taxes Paid	(6519,37,25)		(6914,86,75)	
उप योग / SUB TOTAL		21096,39,25		12197,56,09
समायोजन / Adjustment for :				
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) / Increase/ (Decrease) in Deposits		102711,42,11		62043,09,88
उधार-राशियों में वृद्धि/(कमी) / Increase/ (Decrease) in Borrowings		7867,95,93		17317,56,04
विनिधानों में (वृद्धि)/कमी / (Increase)/ Decrease in Investments		9327,47,96		(15929,02,70)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी / (Increase)/ Decrease in Advances		(112416,78,73)		(94558,80,06)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) Increase/ (Decrease) in Other Liabilities & Provisions		13528,05,74		2440,12,18
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी / (Increase)/ Decrease in Other Assets		(7832,00,06)		4689,36,86
परिचालन कार्यकलाप से प्राप्त / (में उपयोजित) निवल नकदी NET CASH FROM/ (USED IN) OPERATING ACTIVITIES		34282,52,20		(11800,11,71)
ख. विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह				
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों में विनिधान में (वृद्धि) / कमी (Increase) / Decrease in Investments in Subsidiaries & Joint Ventures	(827,49,18)		(816,82,66)	
ऐसे विनिधानों पर अर्जित आय Income earned on such Investments	827,73,02		573,48,34	
समामेलन के कारण पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के शेयर धारकों को आंशिक पात्रता के लिए भुगतान की गई नकद राशि Cash paid to the shareholders of e-SBIN Bank towards fractional entitlements consequent to amalgamation	(27,85)		—	
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी / (Increase)/ Decrease in Fixed Assets	(1245,49,04)		(1518,17,94)	
विनिधान कार्यकलाप से / (में उपयोजित) निवल नकदी प्रवाह NET CASH FROM/ (USED IN) INVESTING ACTIVITIES		(1245,53,05)		(1761,52,26)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011		31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	
	₹	₹	₹	₹
ग. वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह				
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES				
पूंजी के निर्गम से प्राप्त राशि / Proceeds from issue of Shares	27,68		38,50	
गौण ऋणों का निर्गम / Issue of Subordinated Debts	6496,99,60		2000,00,00	
बांडों पर संदत्त ब्याज / Interest paid on Bonds	(3019,94,33)		(2538,67,22)	
लाभांशों पर कर सहित प्रदत्त लाभांश Dividends paid including tax thereon	(1420,22,28)		(2821,38,33)	
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त / (में उपयोजित) निवल नकदी NET CASH FROM/ (USED IN) FINANCING ACTIVITIES		2057,10,67		(3359,67,05)
घ. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य				
D. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR				
हाथ नकदी (विदेशी मुद्रा नोट और स्वर्ण सहित) Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	6841,01,27		4295,51,58	
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ / Balances with Reserve Bank of India	54449,85,25		51250,65,69	
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	24897,84,83		48857,62,59	
योग / TOTAL		86188,71,35		104403,79,86
ङ. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के अभिग्रहण से प्राप्त नकदी और नकदी समतुल्य				
E. CASH AND CASH EQUIVALENTS RECEIVED ON ACCOUNT OF ACQUISITION OF STATE BANK OF INDORE				
हाथ नकदी (विदेशी मुद्रा नोट और स्वर्ण सहित) Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	189,68,67		—	
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Balances with Reserve Bank of India	1424,34,08		—	
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	32,06,95		—	
योग / TOTAL		1646,09,70		—

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011		31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	
	₹	₹	₹	₹
ङ. विनिमय घट-बढ़ नकदी प्रवाह				
F. EXCHANGE FLUCTUATION CASH FLOWS				
गौण बांडों का पुनर्मूल्यांकन / Revaluation of Subordinated Bonds	(18,53,66)		(363,88,83)	
विदेशी मुद्रा रूपांतर आरक्षिति / Foreign Currency Translation Reserve	(36,22,44)		(929,88,66)	
योग / TOTAL		(54,76,10)		(1293,77,49)
च. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य				
G. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR				
हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित है) Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	7476,55,39		6841,01,27	
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Balances with Reserve Bank of India	86918,94,81		54449,85,25	
बैंकों में जमाराशियाँ तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	28478,64,57		24897,84,83	
योग / TOTAL		122874,14,77		86188,71,35

हस्ताक्षरकर्ता:

डॉ. अशोक झुनझुनवाला
श्री दिलीप सी. चौकसी
श्री एस. वेंकटाचलम
श्री डी. सुंदरम
श्री जी. डी. नडाफ
डॉ राजीव कुमार
श्री शशि कांत शर्मा
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
} निदेशक

श्री दिवाकर गुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी

श्री ए. कृष्ण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)

श्री आर. श्रीधरन
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियां)

श्री प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष

कोलकाता
17 मई, 2011

SIGNED BY:

Dr. Ashok Jhunjhunwala
Shri Dileep C. Choksi
Shri S. Venkatachalam
Shri D. Sundaram
Shri G. D. Nadaf
Dr. Rajiv Kumar
Shri Shashi Kant Sharma
Smt. Shyamala Gopinath
} Directors

Diwakar Gupta
Managing Director & Chief Financial Officer

A. Krishna Kumar
Managing Director & Group Executive (National Banking)

Hemant G. Contractor
Managing Director & Group Executive (International Banking)

R. Sridharan
Managing Director & Group Executive (A & S)

Pratip Chaudhuri
Chairman

Kolkata
17th May, 2011

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

भारत की राष्ट्रपति,

1. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 41(1) के अंतर्गत नियुक्त हम, भारतीय स्टेट बैंक के अद्योहस्ताक्षरी लेखापरीक्षक बैंक के तुलनपत्र, लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण के बारे में केंद्र सरकार को एतद्द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

2. हमने भारतीय स्टेट बैंक के 31 मार्च 2011 के संलग्न तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है. उक्त वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के लेखे शामिल हैं:

   i) केन्द्रीय कार्यालय, चौदह स्थानीय प्रधान कार्यालय, कारपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), मध्य-कारपोरेट समूह (केन्द्रीय), तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (केन्द्रीय), और 42 (बयालीस) शाखाओं के, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;

   ii) 11374 भारतीय शाखाओं के, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की;

   iii) विदेश स्थित 47 शाखाओं की लेखापरीक्षा स्थानीय लेखापरीक्षकों ने की; तथा

   iv) 2817 अन्य भारतीय शाखाओं के, जिनकी अलेखापरीक्षित विवरणियाँ शाखा प्रबंधकों द्वारा प्रमाणित की गई हैं. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 0.67%, जमाराशियों में 2.60%, ब्याज आय में 0.86% तथा ब्याज व्यय में 4.16% है।

3. भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं एवं बैंकिंग नियन्त्रण अधिनियम - 1949 के प्रावधानों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम - 1955 तथा मान्यताप्राप्त लेखा-नीतियां एवं परंपराओं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी बैंक-प्रबंधन की हैं । इस जिम्मेदारी के अंतर्गत वित्तीय विवरणियों की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं अभिरक्षण भी शामिल है ताकि ये विवरणियां धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होनी वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी से बचा जा सके।

4. हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर हमारे लेखा के आधार पर अभिमत देने की है। हमने अपनी लेखा परीक्षा

REPORT OF THE AUDITORS

To

The President of India,

1. We, the undersigned Auditors of State Bank of India, appointed under Section 41 (1) of the State Bank of India Act, 1955, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement of the Bank.

2. We have audited the attached Balance Sheet of State Bank of India as at 31st March 2011, the Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement of the Bank for the year ended on that date annexed thereto. Incorporated in the said financial statements are the accounts of:

   i) The Central Office, fourteen Local Head Offices, Corporate Accounts Group (Central), Mid-Corporate Group (Central), Stressed Assets Management Group (Central) and forty two branches audited by us;

   ii) 11374 Indian Branches audited by other auditors;

   iii) 47 Foreign Branches audited by the local auditors; and

   iv) 2817 other Indian Branches and other accounting units, the unaudited returns of which are certified by the Branch Managers. These unaudited branches account for 0.67% of advances, 2.60% of deposits, 0.86% of interest income and 4.16% of interest expenses.

3. The management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the requirements of the Reserve Bank of India, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the State Bank of India Act, 1955 and recognized accounting policies and practices, including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

4. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है । इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें एवं अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषयवस्तु सम्बन्धी कोई गलत विवरण नहीं दिए गए हैं ।

5. लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण आधार पर जांच की जाती है. जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होनी वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है । इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं उनके प्रस्तुति से सम्बंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेता है ताकि इस परिस्थिति के लिए उचित लेखा पद्धति का डिजाइन किया जा सके । लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है ।

6. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखासाक्ष्य हमारे लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है ।

7. अपने अभिमत पर बिना किसी प्रतिबंध के हम आपका ध्यान वित्तीय विवरणी के अनुसूची 18 के नोट 18.8 की ओर आकर्षित करना चाहेंगे :

   क) बैंक के ₹ 400 करोड़ ग्रेच्युटी देयता का आस्थगन एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने दिनांक 9 फरवरी 2011 के परिपत्र संख्या डी बी ओ डी. बी पी. बी सी. 80/ 21.04.018/ 2010-11 के अनुसार लेखा मानदंड 15, कर्मचारी हितलाभ के प्रावधानों के अनुपालन से प्रदान की गई छूट, और

   ख) रिजर्व बैंक द्वारा अपने दिनांक 18 अप्रैल 2011 के पत्र संख्या डीबीओडी/ बीपी / संख्या / 16165 / 21.04.018/2010-11 के माध्यम से प्रदान की गई विधान के अनुरूप किए गए वेतन संशोधन के कारण बढ़ी हुई, अतिरिक्त पेंशन लागत एवं लेखा मानदंड 15, कर्मचारी हितलाभ के प्रावधानों के अनुपालन से प्रदान की गई छूट के लिए आरक्षिति पर प्रभारित ₹ 7,927.41 करोड़ की राशि ।

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

5. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depends on the auditor's judgement, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

6. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

7. Without qualifying our opinion we draw your attention to Note 18.8 of schedule 18 Notes to Accounts to the financial statements regarding

   a) deferment of gratuity liability of the bank to the extent of ₹ 400 crores in accordance with RBI circular no. DBOD.BP.BC.80 / 21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011 and the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Bank from applicability of provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, and

   b) charge of ₹ 7,927.41 crores to Reserves on account of the additional pension cost in respect of earlier years due to wage revision in accordance with the dispensation granted by Reserve Bank of India to the Bank vide their letter number DBOD/BP/No./16165/ 21.04.018/2010-11 dated April 18, 2011 and the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Bank from applicability of provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits.

8. हमारे अभिमत में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए एवं हमारी बेहतरीन जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तुलनपत्र पूर्ण एवं सही हैं, जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह 31 मार्च 2011 को भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के कामकाज का सही और सटीक चित्र दर्शाता है;

ख) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर लाभ एवं हानि खाता भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, चालू वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा

ग) नकदी प्रवाह विवरण, संदर्भाधीन तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह का सही एवं सटीक चित्र प्रस्तुत करता है,

9. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमश: ''क'' और ''ख'' फार्मों में तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं।

10. उपर्युक्त अनुच्छेद 2 से 5 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 /1980 की आवश्यकताओं के अनुरूप एवं तत्सम्बंधी प्रकटन अनिवार्यताओं का पालन करते हुए, हम निम्नानुसार अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, कि :

क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है।

ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं।

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

11. हमारे अभिमत के अनुसार तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

8. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

a) the Balance Sheet, read with the significant accounting policies and notes thereon is a full and fair balance sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2011 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

b) the Profit and Loss Account, read with the significant accounting policies and the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, these give information as required to be given by virtue of the provisions of the State Bank of India Act, 1955, and Regulations there under.

10. Subject to limitations of the audit indicated in paragraph 2 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with applicable accounting standards.

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक

कृते कल्याणीवाला एंड मिस्त्री,
For Kalyaniwalla & Mistry
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

विराफ मेहता
Viraf Mehta
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 32083
पंजी. सं. Firm Regn. No. 104607 W

कृते बी. एम. चतरथ एंड कं.,
For B. M. Chatrath & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

ए. चतरथ
A. Chatrath
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 052975
पंजी. सं. Firm Regn. No. 301011 E

कृते के. के. सोनी एंड कं.,
For K.K. Soni & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

के. के. सोनी
K. K. Soni
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 7737
पंजी. सं. Firm Regn. No. 000947 N

कृते एसवीयार,
For Essveeyar,
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

आर. विजयराघवन
R. Vijayaraghavan
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 022442
पंजी. सं. Firm Regn. No.000808 S

कृते वेणुगोपाल एंड शिनॉय,
For Venugopal & Chenoy
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

डी. वी. जानकीनाथ
D. V. Jankinath
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 029505
पंजी. सं. Firm Regn. No. 004671 S

कृते के. जी. सोमानी एंड कं.,
For K. G. Somani & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

विनोद सोमानी
Vinod Somani
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 085277
पंजी. सं. Firm Regn. No. 006591 N

कृते के. सी. मेहता एंड कं.,
For K. C. Mehta & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

मिलीन मेहता
Milin Mehta
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 038665
पंजी. सं. Firm Regn. No. 106237 W

कोलकाता
17 मई, 2011

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते डागलिया एंड कं.,
For Dagliya & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

पी. मनोहर गुप्ता
P. Manohara Gupta
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 016444
पंजी. सं. Firm Regn. No. 000671 S

कृते एम. वर्मा एंड एसोशिएट्स्,
For M. Verma & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

मोहेन्दर गांधी
Mohender Gandhi
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 088396
पंजी. सं. Firm Regn. No. 501433 C

कृते कृष्णमूर्ति एंड कृष्णमूर्ति,
For Krishnamoorthy & Krishnamoorthy
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

आर. वेणुगोपाल
R. Venugopal
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 202632
पंजी. सं. Firm Regn. No. 001488 S

कृते तोदी तुलस्यान एंड कंपनी,
For Todi Tulsyan & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

सुशील कुमार तुलस्यान
Sushil Kumar Tulsyan
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 075899
पंजी. सं. Firm Regn. No. 002180 C

कृते आर. के. जे. के. खन्ना एंड कंपनी,
For R. K. J. K. Khanna & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

विपीन बाली
Vipin Bali
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 083436
पंजी. सं. Firm Regn. No. 000033 N

कृते राज बोरडिया एंड कंपनी,
For Raj Bordia & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

आर. एस. बोरडिया
R. S. Bordia
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 081200
पंजी. सं. Firm Regn. No. 003293 C

कृते एसबीए एंड कंपनी,
For SBA & Company
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

बी. डी. भट्टर
B. D. Bhatter
भागीदार Partner : स.सं. M.No. 071499
पंजी. सं. Firm Regn. No. 004651 C

Kolkata
17th May, 2011

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाराशियाँ और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE 7 — BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current Year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous Year)
	₹	₹
I. भारत में In India		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ Balances with banks		
(क) चालू खाते में (a) In Current Account	1735,91,93	1471,68,55
(ख) अन्य जमा खातों में (b) In Other Deposit Accounts	3195,84,05	1040,38,16
(ii) मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice		
(क) बैंकों में (a) With banks	2685,53,85	1255,40,03
(ख) अन्य संस्थाओं में (b) With Other Institutions	1754,91,65	1998,70,97
योग TOTAL	**9372,21,48**	**5766,17,71**
II. भारत के बाहर Outside India		
(i) चालू खाते में In Current Account	13018,60,96	17562,08,04
(ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	1480,48,78	949,60,94
(iii) मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice	12106,30,86	5380,42,37
योग TOTAL	**26605,40,60**	**23892,11,35**
कुल योग GRAND TOTAL (I और and II)	**35977,62,08**	**29658,29,06**

अनुसूची 8 — विनिधान
SCHEDULE 8 — INVESTMENTS

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current Year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous Year)
	₹	₹
I. भारत में विनिधान Investments in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	316088,12,01	315092,12,89
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	2587,87,09	2860,25,92
(iii) शेयर Shares	25080,08,32	20069,42,74
(iv) डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	23778,87,12	24423,62,87
(v) सहयोगी Associates	1006,51,18	804,02,43
(vi) अन्य (यूनिटें आदि) Others (Units, etc.)	40289,94,27	40738,18,23
योग TOTAL	**408831,39,99**	**403987,65,08**
II. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियों में (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं) Government Securities (including local authorities)	3630,29,46	3283,43,72
(ii) सहयोगी Associates	51,59,97	40,86,84
(iii) अन्य (शेयर, डिबेंचर आदि) Other Investments (Shares, Debentures, etc.)	6553,15,49	5437,30,43
योग TOTAL	**10235,04,92**	**8761,60,99**
कुल योग GRAND TOTAL (I और and II)	**419066,44,91**	**412749,26,07**
III. भारत में विनिधान Investments in India in		
(i) विनिधानों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	412492,44,56	407027,20,12
(ii) मूल्यह्रास के लिए कुल प्रावधान Aggregate of Provisions / Depreciation	3661,04,57	3039,55,04
(iii) निवल विनिधान (ऊपर I से) Net Investments (vide I above)	**408831,39,99**	**403987,65,08**
IV. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India in		
(i) विनिधानों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	10456,90,92	8962,03,55
(ii) मूल्यह्रास के लिए कुल प्रावधान Aggregate of Provisions / Depreciation	221,86,00	200,42,56
(iii) निवल विनिधान (ऊपर II से) Net Investments (vide II above)	**10235,04,92**	**8761,60,99**
कुल योग GRAND TOTAL (III और and IV)	**419066,44,91**	**412749,26,07**

अनुसूची 9 — अग्रिम
SCHEDULE 9 — ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current Year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous Year)
		₹	₹
क. A.	(I) क्रय किए गए और मितीकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र Bills purchased and discounted	64272,97,11	55186,74,14
	(II) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	435124,33,85	361214,81,72
	(III) सावधि ऋण Term loans	507004,24,17	453100,08,35
	योग TOTAL	**1006401,55,13**	**869501,64,21**
ख. B.	(I) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों से संबंधित अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	706678,51,77	605877,86,90
	(II) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank / Government Guarantees	116331,78,21	91097,92,97
	(III) अप्रतिभूत Unsecured	183391,25,15	172525,84,34
	योग TOTAL	**1006401,55,13**	**869501,64,21**
ग. C.	(I) भारत में अग्रिम Advances in India		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	318873,29,53	250905,19,65
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	64079,72,69	63561,19,76
	(iii) बैंक Banks	1637,26,44	1245,95,20
	(iv) अन्य Others	505405,39,43	450145,44,82
	योग TOTAL	**889995,68,09**	**765857,79,43**
	(II) भारत के बाहर अग्रिम Advances outside India		
	(i) बैंकों से शोध्य Due from banks	22466,08,47	15661,39,86
	(ii) अन्यों से शोध्य Due from others		
	(क) क्रय किए गए और मितीकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र (a) Bills purchased and discounted	14820,36,26	25432,28,35
	(ख) अभिषद उधार (b) Syndicated loans	38633,79,72	28109,68,23
	(ग) अन्य (c) Others	40485,62,59	34440,48,34
	योग TOTAL	**116405,87,04**	**103643,84,78**
	कुल योग GRAND TOTAL (ग C. (I) और and ग C. (II))	**1006401,55,13**	**869501,64,21**

अनुसूची 10 — स्थिर आस्तियाँ
SCHEDULE 10 — FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current Year)		31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous Year)	
		₹	₹	₹	₹
I.	क. परिसर Premises				
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	2260,58,00		2134,12,97	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	227,96,33		137,50,16	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	45,58,84		11,05,13	
	अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date	966,02,72	1476,92,77	892,61,83	1367,96,17
II.	अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	12592,44,87		10838,09,70	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	2426,02,38		1922,16,86	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	812,25,58		167,81,69	
	अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date	9543,09,50	4663,12,17	8432,73,69	4159,71,18
III.	क. पट्टाकृत आस्तियाँ Leased Assets				
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	976,27,83		1091,73,13	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	2,21,92		—	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	84,41,02		115,45,30	
	प्रावधानों सहित अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date including provisions	888,50,50		971,30,75	
		5,58,23		4,97,08	
	घटाएँ: पट्टा समायोजन और प्रावधान Less: Lease adjustment and provisions	4,50,18	1,08,05	4,77,89	19,19
IV.	निर्माणाधीन आस्तियां Assets under Construction		345,70,25		486,02,70
	योग TOTAL		**6486,83,24**		**6013,89,24**

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 — OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current Year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous Year)
		₹	₹
I.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल) Inter Bank adjustments (net)	—	5,93,06
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-Office adjustments (net)	1633,44,96	1784,13,90
III.	प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued	12329,62,38	10647,51,07
IV.	अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	7146,19,41	5907,28,97
V.	लेखन-सामग्री और स्टाम्प Stationery and stamps	126,20,02	158,00,96
VI.	दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	17,67,26	20,43,65
VII.	आस्थगित कर आस्ति (निवल) Deferred tax asset (net)	1559,15,03	3433,72,04
VIII.	अन्य Others #	37803,67,23	28068,26,26
	योग TOTAL	**60615,96,29**	**50025,29,91**

समेकन आधार पर साख ₹ 769,77,74 हजार शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 768,52,56 हजार)
Includes Goodwill on consolidation ₹ 769,77,74 thousand (P. Y. ₹ 768,52,56 thousand)

अनुसूची 12 — समाश्रित दायित्व
SCHEDULE 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current Year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous Year)
		₹	₹
I.	ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए बैंक के विरुद्ध दावे Claims against the bank not acknowledged as debts	1209,74,94	1045,19,90
II.	अंशतः संदत्त विनिधानों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	15,25,22	3,11,88
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts	421259,55,48	352036,36,51
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) भारत में (a) In India	100106,67,96	81165,35,89
	(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	61564,91,59	37244,70,30
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ Acceptances, endorsements and other obligations	165199,53,77	140616,70,35
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी हैं Other items for which the banks are contingently liable	103399,67,18	85183,67,21
	योग TOTAL	**852755,36,14**	**697295,12,04**
	संग्रहण के लिए बिल Bills for collection	**68865,69,84**	**56491,42,87**

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	अनुसूची सं. Schedule No.	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010
		₹	₹
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	113636,44,25	100080,73,19
अन्य आय Other Income	14	34207,47,85	33771,09,50
योग TOTAL		**147843,92,10**	**133851,82,69**
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	68086,40,16	66637,50,87
प्रचालन व्यय Operating expenses	16	46518,00,73	42415,39,44
प्रावधान और आकस्मिक व्यय Provisions and contingencies		22059,57,50	12785,28,54
योग TOTAL		**136663,98,39**	**121838,18,85**
III. लाभ PROFIT			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		11179,93,71	12013,63,84
घटाएं : अल्पांश हित Less: Minority Interest		494,98,78	279,80,61
समूह लाभ Group Profit		10684,94,93	11733,83,23
आगे लाया गया शेष Balance Brought forward		58,58,15	215,99,68
योग TOTAL		**10743,53,08**	**11949,82,91**
विनियोजन APPROPRIATIONS			
कानूनी आरक्षितियों को अंतरण Transfer to Statutory Reserves		3388,50,53	7153,61,49
अन्य आरक्षितियों को अंतरण Transfer to Other Reserves		4573,55,45	2511,47,09
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		1904,99,70	1904,64,79
लाभांश पर कर Tax on Dividend		353,55,11	321,51,39
अतिशेष जो तुलनपत्र में आगे ले जाया गया है Balance carried over to Balance Sheet		522,92,29	58,58,15
योग TOTAL		**10743,53,08**	**11949,82,91**
प्रति शेयर मूल आय / Basic earnings per share		₹ 168.28	₹ 184.82
प्रति शेयर न्यूनीकृत आय / Diluted earnings per share		₹ 168.28	₹ 184.82
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies	17		
लेखा-टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	18		

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज
SCHEDULE 13 — INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

		31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010
		₹	₹
I.	अग्रिमों/विनिमय पत्रों पर ब्याज/मितीकाटा Interest/discount on advances/bills	83797,22,37	72298,73,90
II.	विनिधानों पर आय Income on investments	27679,47,57	24614,07,39
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	698,93,71	1826,54,18
IV.	अन्य Others	1460,80,60	1341,37,72
	योग TOTAL	**113636,44,25**	**100080,73,19**

अनुसूची 14 — अन्य आय
SCHEDULE 14 — OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

		31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010
		₹	₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	13958,94,27	11858,71,93
II.	विनिधानों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on sale of investments (Net)	3091,75,23	4930,43,83
III.	विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on revaluation of investments (Net)	(135,12,21)	3022,98,14
IV.	पट्टाकृत आस्तियों सहित भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on sale of land, buildings and other assets including leased assets (Net)	(20,74,79)	(9,94,81)
V.	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on exchange transactions (Net)	1754,75,77	1866,60,70
VI.	भारत/विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश Dividends from Associates in India/abroad	5,08,74	15,08,77
VII.	वित्तीय पट्टों से आय Income from financial Lease	2,06,83	10,41,72
VIII.	क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क Credit card membership/service fees	227,53,11	191,09,14
IX.	जीवन बीमा प्रीमियम (निवल) Insurance Premium Income (Net)	12851,84,46	9920,39,38
X.	सहयोगियों से आय का हिस्सा Share of earnings from associates	218,17,57	214,43,49
XI.	विविध आय Miscellaneous Income	2253,18,87	1750,87,21
	योग TOTAL	**34207,47,85**	**33771,09,50**

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE 15 — INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

		31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010
		₹	₹
I.	निक्षेपों पर ब्याज Interest on deposits	60749,67,56	61080,61,30
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings	2993,56,30	1405,98,91
III.	अन्य Others	4343,16,30	4150,90,66
	योग TOTAL	**68086,40,16**	**66637,50,87**

अनुसूची 16 — प्रचालन व्यय
SCHEDULE 16 — OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

		31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010
		₹	₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	19979,57,68	16331,06,44
II.	भाटक, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	2436,13,89	2136,15,35
III.	मुद्रण और लेखन-सामग्री Printing and stationery	349,45,33	313,00,59
IV.	विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	432,13,40	337,72,66
V.	पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on Leased Assets	3,965	4,23,71
VI.	बैंक की अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त) Depreciation on Fixed Assets (Other than Leased Assets)	1380,15,51	1317,32,76
VII.	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	6,23,27	8,10,41
VIII.	लेखा-परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees & expenses)	190,58,29	173,78,88
IX.	विधि प्रभार Law charges	207,21,48	129,80,19
X.	डाक महसूल, तार और टेलीफोन आदि Postages, Telegrams, Telephones, etc.	484,98,32	408,54,22
XI.	मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	474,52,05	415,85,45
XII.	बीमा Insurance	1086,09,08	940,66,25
XIII.	आस्थगित आय व्यय का परिशोधन Amortization of deferred revenue expenditure	18,22,03	6,90,26
XIV.	क्रेडिट कार्ड प्रचालन से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses relating to Credit Card operations	360,84,92	231,90,39
XV.	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses relating to Insurance Business	14726,33,60	14171,28,75
XVI.	अन्य व्यय Other expenditure	4385,12,23	5489,03,13
	योग TOTAL	**46518,00,73**	**42415,39,44**

अनुसूची 17
महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ :

क. तैयार करने का आधार :

संलग्न वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, अवधिगत लागत आधार के अनुसार लेखा के उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं और भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी भौतिक पहलुओं के अनुरूप हैं जिनमें प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्ड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक, और भारत में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशियाँ तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और यथोचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. समेकन का आधारः

1. समूह ***(जिसमें 30 अनुषंगियाँ, 8 संयुक्त उद्यम और 26 सहयोगी शामिल हैं)*** के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

   क. भारतीय स्टेट बैंक के लेखा परीक्षित खाते (मूल कंपनी)।

   ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा ''समेकित वित्तीय विवरणों'' के लिए जारी लेखा मानक 21 के अनुसार सभी अंतः समूह भौतिक बकाया/लेनदेन, गैर वसूलीकृत लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है वहां आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमशः अक्षरशः समेकन किया गया है।

   ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन : भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के 'संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना से संबंधित लेखा मानक-27 के अनुसार 'समानुपातिक समेकन' किया गया है।

   घ. 'सहयोगियों' में किए गए निवेश का लेखाकरण 'ईक्विटी-पद्धति' के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण से संबंधित लेखा मानक 23 के अनुसार किया गया है।

2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की ईक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षिती के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत हैः

   क. जिस तिथि को किसी अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की ईक्विटी-राशि, और

   ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के संबंध स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/हानि (ईक्विटी) में अल्पांश-शेयर का उतार-चढ़ाव।

घ. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. **आय निर्धारण**

   1.1 इससे भिन्न किए गए उल्लेख को छोड़कर आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। विदेश स्थित कार्यालयों / इकाइयों के संबंध में आय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है, जिस देश में वे कार्यालय/ इकाइयाँ स्थित हैं।

SCHEDULE 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

A. Basis of Preparation:

The accompanying financial statements have been prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting, unless otherwise stated and conform in all material aspect to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority, Companies Act, 1956, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the prevalent accounting practices in India.

B. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

C. Basis of Consolidation:

1. Consolidated financial statements of the Group **(comprising of 30 subsidiaries, 8 Joint Ventures and 26 Associates)** have been prepared on the basis of:

   a. Audited accounts of State Bank of India (Parent).

   b. Line by line aggregation of each item of asset/liability/income/expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/transactions, unrealised profit/loss, and making necessary adjustments wherever required for non-uniform accounting policies as per AS 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

   c. Consolidation of Joint Ventures – 'Proportionate Consolidation' as per AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" of the ICAI.

   d. Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements " of the ICAI.

2. The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group's portion of the equity of the subsidiaries is recognised in the financial statements as goodwill / capital reserve.

3. Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

   a. The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made, and

   b. The minority share of movements in revenue reserves/loss (equity) since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

D. Significant Accounting Policies

1. Revenue recognition

1.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated. In respect of foreign offices/entities, income is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign offices/entities are located.

1.2 निम्नलिखित को छोड़कर लाभ और हानि खाते में निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है (i) अग्रिमों, पट्टों और विनिधानों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसका निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक / विदेश स्थित कार्यालयों / इकाइयों के मामले में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकरण कहलाएंगे) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) विनिधानों की आवेदन-राशि पर ब्याज, (iii) विनिधानों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iv) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय ''ट्रेडिंग'' के रूप में नामित।

1.3 विनिधानों की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है, तथापि, 'परिपक्वता के लिए रखे गए' श्रेणी के विनिधानों की बिक्री पर होनेवाले लाभ को प्रयोज्य करों और 'पूंजी आरक्षित खाते' में सांविधिक आरक्षित निधि हेतु अंतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को घटाने के बाद समायोजित किया गया है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि के लिए पट्टे की बकाया निवल विनिधान की राशि पर पट्टे की ब्याज दर का उपयोग करके किया गया है । 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल विनिधान के समान राशि के अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है । पट्टा किरायों का मूल राशि और वित्त आय में प्रभाजन वित्त पट्टों से सम्बद्ध बकाया निवल प्रावधानों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती स्वरूप के आधार पर किया गया है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल विनिधान राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 ''परिपक्वता के लिए रखे गए'' श्रेणी में विनिधान पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नानुसार अभिज्ञान में लिया गया है :

i. ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों के संदर्भ में इसे बिक्री / शोधन के समय अभिज्ञान में लिया गया है।

ii. शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध होता है वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन का आकलन गारंटी की पूरी अवधि के लिए किया गया है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया गया है। इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय का निर्धारण वसूली के बाद किया गया है।

1.8 विशेष गृह ऋण योजना (दिसंबर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत भुगतान किया गया एक बारगी बीमा प्रीमियम ऋण की 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में परिशोधित किया गया है।

1.9 गैर-बैंकिंग इकाइयाँ

मर्चेंट बैंकिंग:

क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क को शामिल किया गया है।

ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी नियोजन शुल्क को शामिल किया गया है।

ग. सार्वजनिक निर्गमों से संबंधित हामीदारी-कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आबंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात लेखे में लिया गया है।

घ. सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से संग्रहण और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।

ङ शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टाम्प शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल हैं।

1.2 Interest income is recognised in the Profit and Loss Account as it accrues except (i) income from non-performing assets (NPAs), comprising of advances, leases and investments, which is recognised upon realisation, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators in case of foreign offices/ entities (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities), (ii) interest on application money on investments (iii) overdue interest on investments and bills discounted, (iv) Income on Rupee Derivatives designated as "Trading"

1.3 Profit or Loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account, however the profit on sale of investments in the 'Held to Maturity' category is appropriated net of applicable taxes and amount required to be transferred to statutory reserve to 'Capital Reserve Account'.

1.4 Income from finance leases is calculated by applying the interest rate implicit in the lease to the net investment outstanding in the lease, over the primary lease period. Leases effective from April 1, 2001 are accounted as advances at an amount equal to the net investment in the lease. The lease rentals are apportioned between principal and finance income based on a pattern reflecting a constant periodic return on the net investment outstanding in respect of finance leases. The principal amount is utilized for reduction in balance of net investment in lease and finance income is reported as interest income.

1.5 Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows :

i. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

ii. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

1.6 Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.

1.7 All other commission and fee incomes are recognised on their realisation except for (i) Guarantee commission on deferred payment guarantees, which is spread over the period of the guarantee and (ii) Commission on Government Business, which is recognised as it accrues.

1.8 One time Insurance Premium paid under Special Home Loan Scheme (December 2008 to June 2009) is amortised over average loan period of 15 years.

1.9 **Non-banking entities**

Merchant Banking:

a. Issue management and advisory fees are recognised as per the terms of agreement with the client.

b. Fees for private placement are recognised on completion of assignment.

c. Underwriting commission relating to public issues is accounted for on finalisation of allotment of the public issue.

d. Brokerage income relating to public issues/mutual fund/other securities is accounted for based on mobilisation and intimation received from clients/ intermediaries.

e. Brokerage income in relation to stock broking activity is recognized on the trade date of transactions and includes stamp duty and transaction charges.

आस्ति प्रबंधनः

क. संबंधित योजनाओं में सहमत विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को अभिज्ञान में लिया गया है। इन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है (इसमें जहाँ लागू हो अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को नहीं शामिल किया गया है।) और यह सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

ख. संविदा शर्तो के अनुसार, संविभाग सलाहकारी सेवाओं से प्राप्त आय को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

ग. प्रत्याभूत घाटा-योजनाओं से होने वाली वसूली, जिसे पहले व्यय माना गया था. को प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना गया है।

घ. योजना व्ययः निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

ङ प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

क. सदस्यता ग्रहण शुल्क तथा प्रथम वार्षिक शुल्क को एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है क्योंकि यह ज्यादा सटीक ढंग से उस अवधि को दर्शाती है, जिससे शुल्क संबंधित है।

ख. विनिमय आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ग. सभी अन्य सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग :

अनर्जक परिसंपत्तियों, जहाँ वसूली होने पर आय को हिसाब में लिया जाता है, के मामले को छोड़कर फैक्टरिंग सेवा शुल्कों को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है। कंपनी द्वारा फैक्टरिंग/वित्तीयन सीमाओं की स्वीकृति के बाद प्रक्रिया शुल्क प्रोद्भूत होते है।

जीवन बीमाः

क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, जीवन बीमा प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुनःप्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में एसोसिएटेड इकाइयों के आबंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है।

ख. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई संधि अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ग. मृत्यु से संबंधित जीवन बीमा दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। वर्ष के अंत तक की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है। परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है। वार्षिक लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब वे देय होते हैं। अभ्यर्पणों को अधिसूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। जहाँ प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं। पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

घ. कमीशन जैसे अभिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अभिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

ड. बीमा पालिसियों के लिए देयता : सभी जीवन बीमा पालिसियों की बीमांकिक देयता की गणना- इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चूअरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार -नियुक्त किए गए बीमांकनकर्ता द्वारा की जाती है।

Asset Management:

a. Management fee is recognised at specific rates agreed with the relevant schemes, applied on the average daily net assets of each scheme (excluding inter-scheme investments, where applicable, and investments made by the company in the respective scheme) and are in conformity with the limits specified under SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

b. Portfolio Advisory Service income is recognised on accrual basis as per the terms of the contract.

c. Recovery from guaranteed schemes of deficit earlier recognised as expense is recognised as income in the year of receipt.

d. Scheme Expenses: Expenses of schemes in excess of the stipulated rates are charged to the Profit and Loss Account.

e. Recovery, if any, on realisation of devolved investments of schemes acquired by the company in terms of right of subrogation is accounted on the basis of receipts.

Credit Card Operations:

a. Joining membership fee and first annual fee have been recognised over a period of one year as they more closely reflects the period to which the fee relate to.

b. Interchange income is recognised on accrual basis.

c. All other service fees are recorded at the time of occurrence of the respective transaction.

Factoring:

Factoring service charges are accounted on accrual basis except in the case of non-performing assets, where income is accounted on realisation. Processing charges are accrued upon acceptance of sanction of the factoring/financing limits by the Company.

Life Insurance:

a. Premium (net of service tax) is recognized as income when due from policyholders. Uncollected premium from lapsed policies is not recognised as income until such policies are revived. In respect of linked business, premium income is recognised when the associated units are allotted.

b. Premium ceded on reinsurance is accounted in accordance with the terms of the treaty or in-principle arrangement with the Re-Insurer.

c. Claims by death are accounted when intimated. Intimations upto the end of the year are considered for accounting of such claims. Claims by maturity are accounted on the policy maturity date. Annuity benefits are accounted when due. Surrenders are accounted as and when notified. Claims cost consist of the policy benefit amounts and claims settlement costs, where applicable. Amounts recoverable from re-insurers are accounted for in the same period as the related claims and are reduced from claims.

d. Acquisition costs such as commission; medical fees etc. are costs that are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts and are expensed as and when incurred.

e. Liability for life policies: The actuarial liability of all the life insurance policies has been calculated by the appointed actuary as per the guidelines prescribed by the Institute of Actuaries of India.

साधारण बीमा :

क. प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) का निर्धारण सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में किया गया है। प्रीमियम में होने वाले अन्य अनुवर्ती संशोधन का निर्धारण शेष जोखिम अवधि या संविदा अवधि में किया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होनेवाले समायोजनों का निर्धारण उस अवधि में किया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन का निर्धारण उस अवधि में आय के रूप में किया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, का निर्धारण लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में किया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।

ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम की शुरुआत होने के आधार पर उपचित की गई है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत का निर्धारण देय होने के समय किया गया है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने का निर्धारण उस अवधि में किया गया है जिसमें वह देय होता है।

घ. अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई हैं जिसमें वे उपस्थित हुई हैं।

ङ दावे का निर्धारण नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर किया गया है। तुलन पत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा, अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया गया है।

च. दावा संबंधी देयताएं जो किसी लेखा अवधि के दौरान उपचित हो गई हैं परंतु लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं की गई है (आईबीएनआर) या पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई हैं (अर्थात इस टिप्पणी के साथ सूचित की गई कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है (आईबीएनईआर), से संबंधित प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीए की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता/परामर्शी बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं संबद्ध सेवाएं :

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन :

प्रबंधन शुल्क को कंपनी और एनपीएस न्यासियों के बीच हुए निवेश प्रबंधन करार (आइएमए) के अनुसार तैयार की गई संबद्ध योजनाओं में निर्दिष्ट सहमत दरों पर प्रोद्भूत आधार पर शामिल किया गया है। जहाँ कहीं सेवा कर की वसूली की गई, वहाँ आय में सेवा कर को शामिल नहीं किया गया है।

म्यूचुअल फण्ड न्यासी परिचालन :

न्यासधारिता शुल्कों / प्रबंधन शुल्कों को कंपनियों के बीच हुई संविदा की संबंधित शर्तो के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर शामिल किया गया है।

General Insurance:

a. Premium (net of service tax), including reinstatement premium, on direct business and reinsurance accepted, is recognized as income over the contract period or the period of risk, whichever is appropriate, on gross basis under 1/365 method. Any subsequent revision to premium is recognized over the remaining period of risk or contract period. Adjustments to premium income arising on cancellation of policies are recognised in the period in which it is cancelled.

b. Commission received on reinsurance ceded is recognised as income in the period in which reinsurance risk is ceded. Profit commission under re-insurance treaties, wherever applicable, is recognized as income in the year of final determination of the profits as intimated by Reinsurer and combined with commission on reinsurance ceded.

c. In respect of proportional reinsurance ceded, the cost of reinsurance ceded is accrued at the commencement of risk. Non-proportional reinsurance cost is recognized when due. Any subsequent revision to, refunds or cancellations of premiums is recognized in the period in which they occur.

d. Acquisition costs such as commission, policy issue expenses etc. are costs that are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

e. Claim is recognized as and when a loss occurrence is reported. Provision for claims outstanding payable as on the date of Balance Sheet is net of reinsurance, salvage value and other recoveries as estimated by the management.

f. Provision in respect of claim liabilities that may have been incurred during an accounting period but not reported or claimed (IBNR) or not enough reported (i.e reported with information insufficient for making a reasonable estimate of likely claim amount) (IBNER) before the end of the accounting period, is the amount determined by the Appointed Actuary/Consulting Actuary based on actuarial principles in accordance with the Guidance Notes issued by the Actuarial Society of India with the concurrence of the IRDA and any directions issued by IRDA in this respect.

Custodial & related services:

The revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the company and the revenue can be reliably measured.

Pension Fund Operation:

Management fees is recognized at specified rates agreed with the relevant schemes calculated as per the Investment Management Agreement (IMA) entered into between the Company and NPS Trustees, on accrual basis. Revenue excludes Service Tax, wherever recovered.

Mutual Fund Trustee Operation:

Trusteeship fees / management fees are recognised on an accrual basis in accordance with the respective terms of contract between the Companies.

2. विनिधान

सरकारी प्रतिभूति लेनदेन 31.12.2010 तक 'क्रय-विक्रय की तिथि' को और 01.01.2011 से 'समाधान तिथि' को दर्ज किए गए हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर विनिधान 'क्रय-विक्रय तिथि' को दर्ज किए गए हैं।

2.1 वर्गीकरण

विनिधानों को 3 श्रेणियों यथा – 'परिपक्वता के लिए रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' और 'व्यवसाय के लिए रखे गए' में वर्गीकृत किया गया है।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. उन विनिधानों को 'परिपक्वता के लिए रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखा जाता है।

ii. उन विनिधानों को 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांतत: पुनर्विक्रय हेतु रखा जाता है।

iii. जिन विनिधानों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. प्रत्येक विनिधान को इसके क्रय के समय 'परिपक्वता के लिए रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' या 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परस्पर परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

2.3 मूल्यन :

i. किसी विनिधान की अभिग्रहण लागत का निर्धारण करने में :

क. अभिदानों पर प्राप्त दलाली / कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

ख. विनिधानों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है ।

ग. ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय मद के रूप में माना गया है और इन्हें लागत/बिक्री प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

घ. एएफएस और एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत निवेश की लागत का निर्धारण समूह इकाइयों की भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर और एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की लागत का निर्धारण एसबीआई द्वारा (पहले आए पहले जाए) आधार पर और अन्य समूह इकाइयों द्वारा भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर किया गया है।

ii. उपरोक्त तीन श्रेणियों में प्रतिभूति के अंतरण को अंतरण की तिथि को न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के अनुसार लेखे में लिया गया है, और ऐसे अंतरण पर हुए मूल्यह्रास, यदि हो तो, का प्रावधान किया गया है ।

iii. राजस्व बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यन **अग्रानीत व्यय आधार** पर किया गया है ।

iv. **परिपक्वता के लिए रखे गए श्रेणी :** परिपक्वता के लिए रखे गए श्रेणी के अंतर्गत निवेश जब तक अंकित मूल्य से अधिक न हो, अभिग्रहण लागत आधार पर लिए गए हैं जिसमें प्रीमियम का परिशोधन स्थायी लागत आधार पर शेष परिपक्वता अवधि में किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को 'विनिधानों पर ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति समायोजित किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए विनिधानों का मूल्यन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक-23 के अनुसार ईक्विटी लागत पर किया गया है। अस्थायी निवेशों को छोड़कर प्रत्येक निवेश हेतु पृथक - पृथक रूप से ह्रास के लिए प्रावधान किया गया है।

2. Investments

The transactions in Government Securities are recorded on "Trade Date" upto 31.12.2010 and on "Settlement Date" with effect from 01.01.2011. Investments other than Government Securities are recorded on "Trade Date".

2.1 **Classification**

Investments are classified into three categories, viz. Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Held for Trading (HFT)

2.2 **Basis of classification:**

i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.

ii. Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.

iii. Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.

iv. An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

2.3 **Valuation:**

i. In determining the acquisition cost of an investment:

a. Brokerage/commission received on subscriptions is reduced from the cost.

b. Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

c. Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/ income and is excluded from the cost/sale consideration.

d. Cost of investment under AFS and HFT category is determined at the weighted average cost method by the group entities and cost of investments under HTM category is determined on FIFO basis (first in first out) by SBI and weighted average cost method by other group entities.

ii. The transfer of a security amongst the above three categories is accounted for at the least of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

iii. Treasury Bills and Commercial Papers are valued at **carrying cost**.

iv. **Held to Maturity category:** Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortised over the period remaining maturity on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments". Investments in Regional Rural Banks (RRBs) are valued at equity cost determined in accordance with AS 23 of the ICAI. A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखी गई श्रेणियाँ :** ए एफ एस और एच एफ टी श्रेणियों में रखे गए विनिधानों का पृथक-पृथक रूप से बाजार मूल्य या विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य के आधार पर पुनर्मूल्यन किया गया है, और प्रत्येक श्रेणी के लिए केवल निवल मूल्यह्रास हेतु प्रावधान किया गया है तथा निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान होने पर, बाजार के लिए अलग करने के बाद प्रत्येक प्रतिभूति का मूल्य अपरिवर्तित रहा।

vi. किसी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) लिखतों पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है । तदनुसार, उन मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक ही सीमित है, वहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य, की गणना ऐसे विनिधानों के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर विनिधानों को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के विनिधान निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं :

क. ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और यह 90 दिनों से अधिक अवधि से बकाया है।

ख. ईक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों को रु. 1 प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है – ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक विनिधान माना जाएगा ।

ग. यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक – बही में अनर्जक आस्ति हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में विनिधान को और जारीकर्ता द्वारा विनिधान को अनर्जक विनिधान माना जाएगा ।

घ. उपर्युक्त, शर्त आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन प्रिफरेन्स शेयरों पर भी लागू होगी, जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है ।

ङ ऐसे डिबेंचरों / बांडों में विनिधान जिन्हें अग्रिम की प्रकृति के विनिधान माना जाता है, उन पर अनर्जक विनिधान के वही मानदंड लगेंगे जो विनिधानों पर लागू होते हैं ।

च. विदेशी इकाइयों के अनर्जक विनिधानों के संबंध में प्रावधान-स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक हो, उसके अनुसार किया गया है ।

viii. रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखा प्रणाली (भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत आने वाले लेनदेनों को छोड़कर)

(क) रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची / खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋणान्वयन और उधार देने संबंधी लेनदेन के रूप में लेखे में लिया गया है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्य एकमुश्त विक्रय / क्रय लेनदेन की तरह किया गया है और प्रतिभूतियों के ऐसे संचलन को रेपो / रिवर्स रेपो खातों और प्रति-प्रविष्टि का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है और आय को ब्याज व्यय/आय के रूप में जैसी भी स्थिति हो, लेखे में लिया गया है। रेपो खाते के शेष को अनुसूची-4 (उधार) और रिवर्स रेपो खाते के शेष को अनुसूची-7 (बैंकों में शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य राशि) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

v. **Available for Sale and Held for Trading categories:** Investments held under AFS and HFT categories are individually revalued at the market price or fair value **determined as per Regulatory guidelines,** and only the net depreciation of each group for each category is provided for and net appreciation, is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

vi. Security receipts issued by an asset reconstruction company (ARC) are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the security receipts issued by the ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the ARC, is reckoned for valuation of such investments.

vii. Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices/entities and respective regulators in case of foreign offices/ entities. Investments of domestic offices become non-performing where:

a. Interest/instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

b. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re. 1 per company on account of the non availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.

c. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa.

d. The above would apply mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.

e. The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.

f. In respect of foreign offices/entities, provisions for non performing investments are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.

viii. **Accounting for Repo/ reverse repo transactions (other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI)**

(a) The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo A/c is classified under schedule 4 (Borrowings) and

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय / विक्रय की गई प्रतिभूतियों को विनिधान खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है। उन पर व्यय / अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

3.1 ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन गई हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋणों के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता ''असंगत'' (''आउट ऑफ आर्डर'') रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा /आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या कोई राशि तुलनपत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों के लिए जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में, अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज 2 फसल-ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं;

v. कृषि अग्रिमों के संबंध में, दीर्घावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल -ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक आस्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अव-मानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अव-मानक : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रही है।

ii. संदिग्ध : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अव-मानक श्रेणी में रही है।

iii. हानिप्रद : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि का पता चल गया है किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, पर इसमें निम्नलिखित निर्धारित न्यूनतम प्रावधान मानदंडों को ध्यान में रखा गया है:

अव-मानक आस्तियाँ :	i.	10% का सामान्य प्रावधान
	ii.	उन ऋण जोखिमों के लिए, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य शुरू से ही 10% से अधिक नहीं है)
संदिग्ध आस्तियाँ :		
- प्रतिभूत भाग :	i.	एक वर्ष तक - 20%
	ii.	एक से तीन वर्ष तक - 30%
	iii.	तीन वर्ष से अधिक 100%
- अप्रतिभूत भाग :		100%
हानिप्रद आस्तियाँ :		100%

balance in Reverse Repo A/c is classified under schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).

(b) Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

3. Loans /Advances and Provisions thereon

3.1 Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by RBI. Loan assets become non-performing assets (NPAs) where:

i. In respect of term loans, interest and/or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;

ii. In respect of Overdraft or Cash Credit advances, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance-sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period;

iii. In respect of bills purchased/discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;

iv. In respect of agricultural advances for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons;

v. In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

3.2 NPAs are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

i. Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.

ii. Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.

iii. Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

3.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below :

Substandard Assets:	i.	A general provision of 10%
	ii.	Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio)
Doubtful Assets:		
- Secured portion:	i.	Upto one year - 20%
	ii.	One to three years - 30%
	iii.	More than three years - 100%
- Unsecured portion		100%
Loss Assets:		100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के अनर्जक अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक था, के अनुसार किए गए हैं।

3.5 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है। यदि बिक्री निवल वही मूल्य से कम मूल्य पर की जाती है, तो कम प्राप्त हुई राशि को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है और यदि बिक्री निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर की जाती है, तो अतिरिक्त प्रावधान की राशि को रोककर रखा जाता है और उससे अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर हुई कमी/नुकसान को पूरा किया जाता है। निवल बही मूल्य रखे गए विशिष्ट प्रावधान तथा ईसीजीसी के प्राप्त दावों में से घटाने पर बकाया है।

3.6 अग्रिम कतिपय ऋण हानि प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटाकर दर्शाए गए हैं।

3.7 पुनर्संरचित / पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा -निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने के अलावा, पुनर्संरचना से पूर्व और के बाद ऋण के उचित मूल्य की अंतर राशि के लिए प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त के कारण, उचित मूल्य में हुई कमी और त्याग किए गए ब्याज के प्रावधान को अग्रिमों में से घटाया गया है।

3.8 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है ।

3.9 पूर्ववर्ती वर्षो में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण राजस्व के रूप में किया गया है ।

3.10 अनर्जक आस्तियों पर कतिपय प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची-5 के 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और निवल अनर्जक आस्तियां निकालने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है।

4. अस्थायी प्रावधान

बैंक में अग्रिमों, विनिधानों और सामान्य प्रयोजन के लिए अलग-अलग अस्थायी प्रावधान करने और उनका उपयोग करने की अनुमोदित नीति है। सृजित किए जानेवाले अस्थायी प्रावधानों की राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में निर्धारित की जाती है। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से इस नीति में निर्दिष्ट की गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाली आकस्मिकताओं के लिए ही किया गया है।

5. बैंकिंग इकाइयों के लिए देशवार ऋण-जोखिम संबंधी प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए कतिपय प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं । इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है, तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है । यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में ''अन्य देयताएं एवं प्रावधान-अन्य'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स :

6.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र के बाहर की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा व्यापार प्रयोजनों हेतु विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर विनिमय, मुद्रा विनिमय और परस्पर मुद्रा ब्याज दर विनिमय तथा वायदा दर करार जैसी डेरीवेटिव्स संविदाएं करता है। तुलनपत्र की आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए की गई विनिमय संविदाएं इस ढंग से तैयार की जाती हैं कि वे तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों के साथ प्रतिकूल एवं क्षतिपूर्ति प्रभाव को सहन कर सके । ऐसे डेरीवेटिव्स

3.4 In respect of foreign offices/entities, provisions for non performing advances are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.

3.5 The sale of NPAs is accounted as per guidelines prescribed by RBI. If the sale is at a price below net book value, the shortfall is debited to the profit and loss account, and in case of sale for a value higher than net book value, the excess provision is retained and utilised to meet the shortfall / loss on sale of other financial assets. Net book value is outstanding as reduced by specific provisions held and ECGC claims received.

3.6 Advances are net of specific loan loss provisions, unrealised interest, ECGC claims received and bills rediscounted.

3.7 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for, in addition to provision for NPAs. The provision for diminution in fair value and interest sacrifice, arising out of the above, is reduced from advances.

3.8 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.

3.9 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue.

3.10 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets. These provisions are reflected in Schedule 5 of the balance sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at Net NPAs.

4. Floating Provision

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purpose. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

5. Provision for Country Exposure for Banking Entities

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are held for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit, and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in schedule 5 of the balance sheet under the "Other liabilities & Provisions – Others".

6. Derivatives:

6.1 The Bank enters into derivative contracts, such as foreign currency options, interest rate swaps, currency swaps, and cross currency interest rate swaps and forward rate agreements in order to hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items. The impact of such derivative instruments is correlated with the movement

लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के संचालन के साथ जुड़ा हुआ है और प्रतिरक्षा लेखा सिद्धांतों के अनुसार लेखों में लिया गया है।

6.2 प्रतिरक्षा के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव्स संविदाएं प्रोद्भूत आधार पर दर्ज की गई हैं। जब तक अंतर्निहित आस्तियों / देयताओं को भी बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रतिरक्षा संविदाओं को बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं किया जाता है।

6.3 उपर्युक्त को छोड़कर, अन्य सभी डेरीवेटिव्स संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यत: स्वीकृत प्रथाओं के अनुसार बाजार मूल्य पर बही में शामिल की गई हैं। बाजार मूल्य पर बही में शामिल किए गए डेरीवेटिव्स संविदाओं के संबंध में, बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को परिवर्तन की अवधि से लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है। डेरीवेटिव्स संविदाओं के अधीन प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय होती है, तो उसे लाभ और हानि खाते के जरिए प्रतिवर्तित किया गया है।

6.4 प्रदत्त या प्राप्त विकल्प प्रीमियम को विकल्प की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया है। बेचे गए विकल्पों पर प्राप्त प्रीमियम और खरीदे गए विकल्पों पर प्रदत्त प्रीमियम के शेष को फोरेक्स ओवर दि काउंटर विकल्पों के लिए बाजार मूल्य पर बही में शामिल की जाने वाली राशि निर्धारित करने हेतु ध्यान में रखा गया है।

6.5 एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किए गए विदेशी मुद्रा विनिमय तथा व्यापार के उद्देश्य से किए गए ब्याज दर वायदा सौदों को एक्सचेंज द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित बाजार दरों पर मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

7. अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास

7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास से कम लागत पर अंकन किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागत और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई फीस शामिल हैं। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को/ इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 इस देशी परिचालन के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास दर्शाने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास दर्शाने की पद्धति	मूल्यह्रास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर और एटीएम	सीधी कटौती प्रणाली	33.33% प्रति वर्ष
2	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	ह्रासित मूल्य पद्धति	60%
3	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में न शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		अभिग्रहण वर्ष में 100% मूल्यह्रास
4	31 मार्च 2001 तक वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ	सीधी कटौती प्रणाली	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित दर पर
5	अन्य अचल आस्तियाँ	ह्रासित मूल्य पद्धति	आयकर नियम 1962 के अधीन निर्धारित दर पर

7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास 180 दिनों तक प्रयुक्त आस्तियों पर अर्धवर्ष के लिए तथा 180 दिनों से अधिक प्रयुक्त

of the underlying assets and accounted in accordance with the principles of hedge accounting.

6.2 Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying Assets / Liabilities are also marked to market.

6.3 Except as mentioned above, all other derivative contracts are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry. In respect of derivative contracts that are marked to market, changes in the market value are recognised in the profit and loss account in the period of change. Any receivable under derivatives contracts, which remain overdue for more than 90 days, are reversed through profit and loss account.

6.4 Option premium paid or received is recorded in profit and loss account at the expiry of the option. The Balance in the premium received on options sold and premium paid on options bought have been considered to arrive at Mark to Market value for forex Over the Counter options.

6.5 Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

7. Fixed Assets and Depreciation

7.1 Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation.

7.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

7.3 The rates of depreciation and method of charging depreciation in respect of domestic operations are as under:

Sr. No.	Description of fixed assets	Method of charging depreciation	Depreciation/ amortisation rate
1	Computers & ATM	Straight Line Method	33.33% every year
2	Computer software forming an integral part of hardware	Written Down Value Method	60%
3	Computer Software which does not form an integral part of hardware	—	100%, depreciated in the year of acquisition
4	Assets given on financial lease upto 31st March 2001	Straight Line Method	At the rate prescribed under Companies Act 1956
5	Other fixed assets	Written down value method	At the rate prescribed under Income-tax Rules 1962

7.4 In respect of assets acquired during the year for domestic operations, depreciation is charged for half a year in respect of assets used for upto 180 days and for the full

आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए दर्शाया गया है, जबकि कंप्यूटरों और साफ्टवेयर पर मूल्यह्रास - इस आस्ति का उपयोग करने की अवधि से निरपेक्ष पूरे वर्ष के लिए दर्शाया गया है ।

7.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹ 1,000 से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है ।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराया उसी वर्ष के खर्च के रूप में दर्शाया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है ।

7.8 विदेशी शाखाओं/अनुषंगियों/सहयोगियों द्वारा धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है ।

8. पट्टे

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंडों का उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन वित्तीय पट्टों में भी प्रयोग किया गया है ।

9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की अग्रानीत राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है । धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के अग्रानीत मूल्य की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है । यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के अग्रानीत मूल्य और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है ।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है ।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडई) की अंतिम तत्काल दरों के प्रयोग से दी गई है ।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दर के प्रयोग से दी गई है ।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना फेडई की अंतिम तत्काल दर के प्रयोग से की गई है ।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

year in respect of assets used for more than 180 days, except depreciation on computers and software, which is charged for the full year irrespective of the period for which the asset was put to use.

7.5 Items costing less than ₹ 1,000 each are charged off in the year of purchase.

7.6 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year.

7.7 In respect of assets given on lease by the Bank on or before 31st March 2001, the value of the assets given on lease is disclosed as Leased Assets under fixed assets, and the difference between the annual lease charge (capital recovery) and the depreciation is taken to Lease Equalisation Account.

7.8 In respect of fixed assets held at foreign offices/entities, depreciation is provided as per the regulations /norms of the respective countries.

8. Leases

The asset classification and provisioning norms applicable to advances, as laid down in Para 3 above, are applied to financial leases also.

9. Impairment of Assets

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

10. Effect of changes in the foreign exchange rate

10.1 **Foreign Currency Transactions**

i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii. Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot/forward rates.

iii. Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv. Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v. Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is recognised in the Profit or Loss account.

vi. Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are valued at the closing spot rate. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरें आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, के आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii खुले विकल्प वाले मुद्रा वायदा लेनदेन में विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ / हानि को एक्सचेंज क्लिअरिंग हाउस के साथ दैनिक आधार पर निपटान किया गया है और ऐसे लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं/इकाइयों और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर विनिमय किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों के आय एवं व्यय का तिमाही औसत की अंतिम दर पर विनिमय किया गया है।

iii. निवल विनिधान के निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है।

iv. विदेशी कार्यालयों / अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों की विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई आस्तियों एवं देयताओं का विदेशी कार्यालयों / अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों की स्थानीय मुद्रा के अलावा उस देश के लिए लागू हाजिर दरों को प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में विनिमय किया गया है।

ख. समाकलित परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रानीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के प्रयोग से की गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, आकस्मिक अवकाश आदि की बट्टारहित राशि को, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 नौकरी उपरांत हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. समूह की कंपनियों में अलग अलग भविष्य निधि योजनाएँ लागू हैं, भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। समूह की कंपनियाँ निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करती हैं। इन अंशदान को, इस उद्देश्य

vii. Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii. Gains / Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the profit and loss account.

10.2 **Foreign Operations**

Foreign branches/entities of the Bank and Offshore Banking Units have been classified as Non-integral Operations and Representative Offices have been classified as Integral Operations.

a. Non-integral Operations:

i. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

ii. Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

iii. Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

iv. The Assets and Liabilities of foreign offices/ subsidiaries /joint ventures in foreign currency (other than local currency of the foreign offices/ subsidiaries/joint ventures) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

b. Integral Operations:

i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii. Monetary foreign currency assets and liabilities of integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date and the resulting profit/loss is included in the profit and loss account.

iii. Foreign currency non-monetary items which are carried in terms of historical cost are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

11. Employee Benefits:

11.1 **Short Term Employee Benefits:**

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

11.2 **Post Employment Benefits:**

i. Defined Benefit Plan

a. The group entities operate separate Provident Fund schemes. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Provident Fund scheme. The group entities contribute

के लिए स्थापित न्यास में प्रेषित कर दिया गया है तथा लाभ और हानि खाते में खर्च के रूप मे दिखाया गया है। समूह की कंपनियाँ, वार्षिक अंशदान और ब्याज देने के लिए उत्तरदायी हैं। यह ब्याज दर देय निर्दिष्ट न्यूनतम ब्याज दर के बराबर होती है। कंपनियाँ इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानती हैं।

ख. समूह की कंपनियाँ, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करती हैं।

ग. समूह की कंपनियाँ, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करती हैं। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है । यह राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि, जो सेवा नियमावली में निर्धारित उच्चतम सीमा है, से अधिक नहीं होनी चाहिए । यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है । बैंक इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

घ. समूह की कुछ कंपनियाँ सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती हैं । यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है । यह हितलाभ नियमानुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है । कंपनियाँ इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य वास्तविक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करती हैं।

ङ नियत हितलाभ प्रावधान लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर वास्तविक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है । वास्तविक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. परिभाषित अंशदान योजनाएं

बैंक 1 अगस्त, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) परिचालित करता है, जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, और बैंक की सेवा में आनेवाले ऐसे नए अधिकारी/कर्मचारी को विद्यमान एसबीआई पेंशन योजना के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं बनाया जा रहा है। इस विस्तृत योजना को अंतिम रुप दिए जाने तक, इस योजना के अंतर्गत आनेवाले कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत इस योजना में अंशदान करते हैं और साथ में उतना ही अंशदान बैंक से किया जाता है। ये अंशदान बैंक में जमा के रूप में रखे गए हैं और उसी दर से ब्याज अर्जित करते हैं जो भविष्य निधि शेष के चालू खाते के लिए लागू हैं। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों एवं ब्याज का निर्धारण उसी वर्ष में एक व्यय के रूप में करता है जिससे वे संबंधित होते हैं।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ :

क. समूह का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा – रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है । इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत का वित्तपोषण समूह इकाइयों द्वारा आंतरिक स्तर पर किया गया है।

monthly at a determined rate. These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The group entities are liable for annual contributions and interests, which is payable at minimum specified rate of interest. The entities recognise such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate.

b. The group entities operate separate gratuity and pension schemes, which are defined benefit plans.

c. The group entities provide for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a ceiling in terms of service rules. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

d. Some group entities provide for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The entities make annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

e. The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/ losses are immediately recognised in the statement of profit and loss and are not deferred.

ii. Defined Contribution Plans

The bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st August, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing SBI Pension Scheme. Pending finalisation of the detailed scheme, the employees covered under the scheme contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. These contributions are retained as deposits in the bank and earn interest at the same rate as that of the current account of Provident Fund balance. The bank recognises such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate.

iii. Other Long Term Employee benefits:

a. All eligible employees of the group are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the group entities.

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों में नियोजित कर्मचारियों से संबंधित कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन किया गया है और उसे संबंधित स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार लेखे में लिया गया है।

12. आय पर कर

12.1 वर्तमान कर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ-कर व्यय की कुल राशि आय कर व्यय है। चालू वर्ष के करों का निर्धारण ''आय पर करों संबंधी लेखा'' लेखा मानक 22 और भारत में प्रचलित कर नियमों के अनुसार विदेश स्थित अनुषंगियों के संबंधित देशों के कर नियमों का समायोजन करके किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में उस अवधि के दौरान हुए उतार-चढ़ाव आस्थगित कर समायोजन में समाविष्ट हैं।

12.2 आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन अधिनियमित कर - दरों और कर - कानूनों अथवा तुलनपत्र - तिथि के काफी पूर्व अधिनियमित दरों और कानून के आधार पर किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का अभिज्ञान विवेकपूर्ण आधार पर- आस्तियों और देयताओं के अग्रानीत मूल्य और उनके क्रमश: कर-आधार और अग्रानीत क्षतियों के बीच अवधिगत विभेद को ध्यान में रखकर किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है।

12.3 आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली की निश्चितता होने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, प्रत्येक सूचित तिथि को रेखांकित और पुनर्निर्धारित किया गया है। जब यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया है कि ऐसी आस्थगित - कर - आस्तियों की वसूली भावी लाभ से की जा सकती है, तब आस्थगित-कर - आस्तियों का अभिज्ञान अनवशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों के अग्रेषण पर किया गया है।

12.4 आय कर व्यय उनकी लागू विधियों के अनुसार मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए कर व्यय की कुल राशि है।

13. प्रति शेयर आय

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरांत निवल लाभ (अल्पांश को छोड़कर) को उस वर्ष के लिए शेष ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ'' के अनुसार जारी पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही बैंक प्रावधानों का निर्धारण करता है, यह संभव है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

b. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognised in the statement of profit and loss and is not deferred.

11.3 Employee benefits relating to employees employed at foreign offices/ entities are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

12. Taxes on income

12.1 Income tax expense is the aggregate amount of current tax, deferred tax and fringe benefit tax charge. Current taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign offices/ entities, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.

12.2 Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantially enacted prior to the balance sheet date. Deferred tax assets and liabilities are recognised on a prudent basis for the future tax consequences of timing differences arising between the carrying values of assets and liabilities and their respective tax bases, and carry forward losses. The impact of changes in the deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

12.3 Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realisation is considered reasonably certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

12.4 Income tax expenses are the aggregate of the amounts of tax expense appearing in the separate financial statements of the parent and its subsidiaries/joint ventures, as per their applicable laws.

13. Earning per Share

13.1 The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 -'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic earnings per share are computed by dividing the net profit after tax (other than minority) by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

13.2 Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share is computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

14.1 In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Intitute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का अभिज्ञान नहीं किया गया है।

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी; अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा; अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है. इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. शेयर जारी करने का व्यय

शेयर जारी करने के व्यय को शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाया गया है।

14.2 No provision is recognised for

i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the group entities; or

ii. any present obligation that arises from past events but is not recognised because

a. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or

b a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

14.3 Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

15. Share Issue Expenses

Share issue expenses are charged to the Share Premium Account.

अनुसूची - 18

लेखा-टिप्पणियाँ

(राशि करोड़ रुपये में)

1. उन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं :

1.1 समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय निम्नांकित 30 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यमों और 26 सहयोगियों (मूल संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह में सम्मिलित) को शामिल किया गया है :

क) अनुषंगी

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%)
1.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	भारत	75.07
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	भारत	100.00
3.	स्टेट बैंक आफ इंदौर (25.08.2010 तक)	भारत	98.05
4.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	भारत	92.33
5.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	भारत	100.00
6.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	भारत	75.01
7.	एसबीआई कमर्शियल एण्ड इंटरनेशल बैंक लिमिटेड	भारत	100.00
8.	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	100.00
9.	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	100.00
10.	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	100.00
11.	एसबीआई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड	भारत	100.00
12.	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	71.56
13.	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100.00
14.	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	भारत	86.82
15.	एसबीआई पेंशन फण्ड प्रा. लिमिटेड	भारत	98.15
16.	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लिमिटेड@	भारत	65.00
17.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.@	भारत	74.00
18.	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	100.00
19.	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा)	कनाडा	100.00
20.	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलेफोर्निया)	यूएसए	100.00
21.	एसबीआई (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	93.40
22.	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	76.00
23.	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यूके	100.00
24.	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड@	भारत	60.00
25.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.@	भारत	63.00
26.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.@	भारत	74.00
27.	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को@	रूस	60.00
28.	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.05
29.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.@	मॉरीशस	63.00
30.	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	100.00

** संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित एएस 27 में सीमित संशोधन होने के परिणामस्वरूप इन संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के वित्तीय विवरण. 'वित्तीय विवरणों का समेकन' से संबंधित एएस 21 के अनुसार समेकित किए गए हैं।*

SCHEDULE 18

NOTES TO ACCOUNTS:

(Amount in Rupees in crores)

1. List of Subsidiaries/Joint Ventures/Associates considered for preparation of consolidated financial statements:

1.1 The 30 Subsidiaries, 8 Joint Ventures and 26 Associates (which along with State Bank of India, the parent, constitute the Group), considered in the preparation of the consolidated financial statements, are

A) Subsidiaries

Sr. No	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Group's Stake (%)
1)	State Bank of Bikaner & Jaipur	India	75.07
2)	State Bank of Hyderabad	India	100.00
3)	State Bank of Indore (upto 25.08.2010)	India	98.05
4)	State Bank of Mysore	India	92.33
5)	State Bank of Patiala	India	100.00
6)	State Bank of Travancore	India	75.01
7)	SBI Commercial & International Bank Ltd.	India	100.00
8)	SBI Capital Markets Ltd.	India	100.00
9)	SBICAP Securities Ltd.	India	100.00
10)	SBICAP Trustee Company Ltd.	India	100.00
11)	SBICAPS Ventures Ltd.	India	100.00
12)	SBI DFHI Ltd.	India	71.56
13)	SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt Ltd.	India	100.00
14)	SBI Global Factors Ltd.	India	86.82
15)	SBI Pension Funds Pvt Ltd.	India	98.15
16)	SBI –SG Global Securities Services Pvt. Ltd. @	India	65.00
17)	SBI General Insurance Company Ltd. @	India	74.00
18)	SBI Payment Services Pvt. Ltd.	India	100.00
19)	State Bank of India (Canada)	Canada	100.00
20)	State Bank of India (California)	USA	100.00
21)	SBI (Mauritius) Ltd.	Mauritius	93.40
22)	PT Bank SBI Indonesia	Indonesia	76.00
23)	SBICAP (UK) Ltd.	U.K.	100.00
24)	SBI Cards and Payment Services Pvt Ltd. @	India	60.00
25)	SBI Funds Management Pvt Ltd. @	India	63.00
26)	SBI Life Insurance Company Ltd. @	India	74.00
27)	Commercial Bank of India Llc, Moscow @	Russia	60.00
28)	Nepal SBI Bank Ltd.	Nepal	55.05
29)	SBI Funds Management (International) Private Ltd. @	Mauritius	63.00
30)	SBICAP (Singapore) Ltd.	Singapore	100.00

@ The financial statements of these jointly controlled entities have been consolidated as per AS 21 "Consolidated Financial Statements" consequent to the limited revision to AS 27 on "Financial Reporting of interests in joint ventures".

ख) संयुक्त उद्यम

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%)
1.	सी-एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	भारत	49.00
2.	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	40.00
3.	एसबीआई मैक्वाअरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	भारत	45.00
4.	एसबीआई मैक्वाअरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.	भारत	45.00
5.	मैक्वाअरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	सिंगापुर	45.00
6.	मैक्वाअरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	बेरमुदा	45.00
7.	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00
8.	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00

ग) सहयोगी:

क्र. स.	सहयोगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%)
1.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00
2.	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	35.00
3.	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
4.	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00
5.	मेघालय रूरल बैंक	भारत	35.00
6.	कृष्णा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
7.	लांगपी देहांगी रूरल बैंक	भारत	35.00
8.	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
9.	मिजोरम रूरल बैंक	भारत	35.00
10.	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	35.00
11.	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
12.	पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
13.	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
14.	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
15.	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
16.	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
17.	मारवाड़ गंगानगर बीकानेर ग्रामीण बैंक	भारत	26.27
18.	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
19.	डेक्कन ग्रामीणा बैंक	भारत	35.00

B) Joint Ventures

Sr. No	Name of the Joint Venture	Country of Incorporation	Group's Stake (%)
1)	C - Edge Technologies Ltd.	India	49.00
2)	GE Capital Business Process Management Services Pvt Ltd.	India	40.00
3)	SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.	India	45.00
4)	SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.	India	45.00
5)	Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.	Singapore	45.00
6)	Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.	Bermuda	45.00
7)	Oman India Joint Investment Fund – Trustee Company Pvt. Ltd.	India	50.00
8)	Oman India Joint Investment Fund – Management Company Pvt. Ltd.	India	50.00

C) Associates:

Sr. No	Name of the Associate	Country of Incorporation	Group's Stake (%)
1)	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	India	35.00
2)	Arunachal Pradesh Rural Bank	India	35.00
3)	Chhatisgarh Gramin Bank	India	35.00
4)	Ellaquai Dehati Bank	India	35.00
5)	Meghalaya Rural Bank	India	35.00
6)	Krishna Grameena Bank	India	35.00
7)	Langpi Dehangi Rural Bank	India	35.00
8)	Madhya Bharat Gramin Bank	India	35.00
9)	Mizoram Rural Bank	India	35.00
10)	Nagaland Rural Bank	India	35.00
11)	Parvatiya Gramin Bank	India	35.00
12)	Purvanchal Kshetriya Gramin Bank	India	35.00
13)	Samastipur Kshetriya Gramin Bank	India	35.00
14)	Utkal Gramya Bank	India	35.00
15)	Uttaranchal Gramin Bank	India	35.00
16)	Vananchal Gramin Bank	India	35.00
17)	Marwar Ganganagar Bikaner Gramin Bank	India	26.27
18)	Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank	India	35.00
19)	Deccan Grameena Bank	India	35.00

20.	कावेरी कल्पतरू ग्रामीणा बैंक	भारत	32.32
21.	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
22.	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
23.	दि क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	भारत	29.22
24.	बैंक आफ भूटान लि.	भूटान	20.00
25.	एस. एस. वेंचर्स सर्विसेज लि. (15.03.11 तक)	भारत	50.00
26.	एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड	भारत	25.05

1.2 पिछले वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष के दौरान समेकन-प्रक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं;

क. भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर अधिग्रहण आदेश, 2010 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के उपक्रम को दिनांक 26.08.2010 से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को अंतरित/निहित किया गया है।

ख. एसबीआई ने एशियन विकास बैंक (एडीबी) और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक आफ इंडिया लि. (आईआईबीआई) से एसबीआई डीएफएचआई लि. में लगे हुए उनके क्रमश: 4.69% एवं 0.47% अंश का अधिग्रहण किया है। इसी प्रकार एसबीआई डीएफएचआई लि. ने अपने 25% प्रदत्त शेयरों के लिए पुन:खरीद प्रस्ताव दिया है और पुन:खरीद के बाद समूह का अंश 71.56% है।

ग. एस. एस. वैंचर्स सर्विसेज लि. को दिनांक 01.04.2010 से 15.03.2011 तक की अवधि के लिए एसबीआई समूह की एक सहयोगी के रूप में शामिल किया गया है क्योंकि एसबीआई कैप्स वैंचर्स लि., जो एसबीआई की एक अपचायी (स्टेप डाउन) अनुषंगी है, ने दिनांक 15.03.2011 को अपना सम्पूर्ण अंश, अर्थात 50% बेच दिया है।

घ. पूर्ण स्वामित्ववाली अपचायी (स्टेप डाउन) अनुषंगी एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि., (एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. की अनुषंगी) को दिनांक 10.12.2010 को निगमित किया गया। हालांकि कंपनी ने 31.03.2011 तक अपना व्यवसाय शुरू नहीं किया है।

ङ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए एक सामान्य निधि की स्थापना करने के उद्देश्य से एसबीआई ने सल्तनत ऑफ ओमान के सरकारी सामान्य आरक्षित निधि (एसजीआरएफ), जो उस देश की एक सरकारी निधि है, के साथ एक संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संयुक्त उद्यम करार के अंतर्गत दो कंपनियां निगमित की गई हैं, अर्थात

(1) ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड.

(2) ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड.

च. एसबीआई ने अपनी अनुषंगी एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. के राइट इश्यू में निवेश किया है और राइट इश्यू के बाद एसबीआई का अंश बढ़कर 86.82% तक हो गया।

छ. एसबीआई कस्टोडियल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, जो एसबीआई की एक अनुषंगी है, का नाम दिनांक 5 अप्रैल 2010 से बदलकर एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लिमिटेड कर दिया गया।

20)	Cauvery Kalpatharu Grameena Bank	India	32.32
21)	Malwa Gramin Bank	India	35.00
22)	Saurashtra Gramin Bank	India	35.00
23)	The Clearing Corporation of India Ltd.	India	29.22
24)	Bank of Bhutan Ltd.	Bhutan	20.00
25)	S.S. Ventures Services Ltd. (upto 15.03.11)	India	50.00
26)	SBI Home Finance Ltd.	India	25.05

1.2 The following changes have taken place during the year in the consolidation process as compared to the previous year 2009-10;

a. Consequent to the notification of the "Acquisition of State Bank of Indore Order, 2010" issued by the Govt. of India, the undertaking of State Bank of Indore stands transferred to and vests in State Bank of India ("SBI"), from 26.08.2010, the effective date.

b. SBI has acquired 4.69% & 0.47% stake in SBI DFHI Ltd. from Asian Development Bank (ADB) and Industrial Investment Bank of India Ltd. (IIBI) respectively. Also, SBI DFHI Ltd. has given buy back offer for 25% of it's paid up shares and after buy back group's stake is 71.56%.

c. S. S. Ventures Services Ltd. is considered as an associate of SBI group for the period 01.04.2010 to 15.03.2011 as SBICAPS Ventures Ltd, a step-down subsidiary of SBI has sold out its entire stake i.e. 50% on 15.03.2011.

d. A wholly owned step-down subsidiary, SBICAP (Singapore) Ltd. (subsidiary of SBI Capital Markets Ltd.) was incorporated on 10.12.2010. However the company has not commenced its business till 31.03.2011.

e. SBI has signed a joint venture agreement with State General Reserve Fund (SGRF) of the Sultanate of Oman, a Sovereign Fund of that country with an objective to set up a general fund to invest in various sectors in India. Under this JV agreements two companies have been incorporated namely,

(i) Oman India Joint Investment Fund-Management Company Pvt. Limited

(ii) Oman India Joint Investment Fund- Trustee Company Pvt. Limited

f. SBI has invested the Right issue in its subsidiary, SBI Global Factors Ltd. and after right issue SBI's stake has gone up to 86.82%.

g. The name of SBI Custodial Services Private Limited, a subsidiary of SBI has been changed to SBI-SG Global Securities Services Private Limited w.e.f. 5th April 2010.

1.3 एसबीआई होम फाइनैंस लि., जो एसबीआई की एक सहयोगी है, की समापन याचिका दिनांक 23 सितंबर 2008 को कोलकाता उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। माननीय न्यायालय ने कंपनी के समापन हेतु निर्देश देते हुए 31 मार्च 2009 को एक आदेश पारित किया है।

1.4 बैंक ऑफ भूटान लि., जो एसबीआई का सहयोगी है, पैरेंट बैंक से भिन्न लेखा वर्ष (ग्रेगेरियन कैलेंडर वर्ष) का अनुपालन करता है। तदनुसार, इस सहयोगी के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर 2010 की स्थिति के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. शेयर पूंजी :

2.1 वर्ष के दौरान एसबीआई की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 1,000 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,000 करोड़ हो गई जो प्रति ₹ 10 के पाँच सौ करोड़ पूर्ण प्रदत्त शेयरों में विभाजित है।

2.2 वर्ष के दौरान एसबीआई ने एसबीआई राइट्स इश्यू 2008 के अंतर्गत रोककर रखे गए 85,856 शेयरों में से प्रति शेयर ₹ 10 नकद और ₹ 1,580/- के प्रीमियम के साथ कुल ₹ 27,68,190/- के 1741 ईक्विटी शेयर आबंटित किए। प्राप्त हुए ₹ 27,68,190/- के कुल अंशदान में से, ₹ 17,410/- शेयर पूंजी खाते और ₹ 27,50,780/- शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किए गए। इसके अतिरिक्त, प्रति ₹ 10/- के 1,14,606 शेयर पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के भारतीय स्टेट बैंक में विलय होने के बाद इसके शेयर धारकों को आबंटित किए गए और ₹ 11,46,060/- शेयर पूंजी खाते में अंतरित किए गए।

2.3 एसबीआई ने राइट्स इश्यू के एक भाग के रूप में जारी प्रति ₹ 10/- के 84,115 (पिछले वर्ष 85,856) ईक्विटी शेयरों का आबंटन रोककर रखा है, क्योंकि इनके हक विवाद या न्यायिक प्रक्रियाएँ चल रही हैं।

3. कर्मचारी - हितलाभ:

3.1.1 नियत हितलाभ योजनाएँ

निम्नतालिका में लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) की अपेक्षानुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति प्रदर्शित की गई है:

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2010 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	27015.65	24008.71	5253.54	5068.06
वर्तमान सेवा लागत	1216.08	1087.38	280.78	225.74
ब्याज लागत	2281.45	1922.46	406.54	399.12
पिछली सेवा लागत (परिशोधित)	1241.58	निरंक	757.88	निरंक
पिछली सेवा लागत (आरक्षित निधि में निर्धारित किए गए निहित हित लाभ)	7927.41	निरंक	निरंक	निरंक
पिछली सेवा लागत (निहित हित लाभ)	2224.44	निरंक	783.14	निरंक
बीमांकिक हानियां (लाभ)	1887.15	1537.30	826.28	(134.19)
प्रदत्त हितलाभ	(1184.08)	(1540.20)	(650.88)	(305.19)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(780.67)	निरंक	निरंक	निरंक
31 मार्च 2011 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	**41829.01**	**27015.65**	**7657.28**	**5253.54**

1.3 The winding up petition of SBI Home Finance Ltd., an associate of SBI, was filed with the Kolkata High Court on 23rd September 2008. The Hon'ble Court has passed an order on 31st March 2009 giving direction for winding up of the company.

1.4 Bank of Bhutan Ltd., an associate of SBI follows accounting year (Gregorian Calendar Year) different from that of the parent. Accordingly, the financial statements of the associate are made as of 31st December 2010.

2. Share capital:

2.1 During the year, the authorised share capital of SBI is increased from ₹ 1,000 crores to ₹ 5,000 crores divided into five hundred crores fully paid up shares of ₹ 10/- each.

2.2 During the year, SBI has allotted 1,741 equity shares of ₹ 10/- each for cash at a premium of ₹ 1,580/- per equity share aggregating to ₹ 27,68,190/- out of 85,856 shares kept in abeyance under Right Issue – 2008. Out of the total subscription of ₹ 27,68,190/- received, ₹ 17,410/- was transferred to Share Capital Account and ₹ 27,50,780/- to Share Premium Account. Further, 1,14,606 shares of ₹ 10/- each were allotted to the share holders of erstwhile State Bank of Indore upon its merger with State Bank of India and ₹ 11,46,060/- was transferred to Share Capital Account.

2.3 SBI has kept in abeyance the allotment of 84,115 (Previous Year 85,856) Equity Shares of ₹ 10/- each issued as a part of Rights Issue, since they are subject to title disputes or are subjudice.

3. Employee Benefits

3.1.1 Defined Benefit Plans

The following table sets out the status of the defined benefit Pension Plan and Gratuity Plan as required under AS 15 (Revised 2005).

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	CY	PY	CY	PY
Change in the present value of the defined benefit obligation				
Opening defined benefit obligation at 1st April 2010	27015.65	24008.71	5253.54	5068.06
Current Service Cost	1216.08	1087.38	280.78	225.74
Interest Cost	2281.45	1922.46	406.54	399.12
Past Service Cost (Amortised)	1241.58	Nil	757.88	Nil
Past Service Cost (Vested Benefit recognised in Reserves)	7927.41	Nil	Nil	Nil
Past Service Cost (Vested Benefit)	2224.44	Nil	783.14	Nil
Actuarial losses (gains)	1887.15	1537.30	826.28	(134.19)
Benefits paid	(1184.08)	(1540.20)	(650.88)	(305.19)
Direct Payment by Bank	(780.67)	Nil	Nil	Nil
Closing defined benefit obligation at 31st March 2011	**41829.01**	**27015.65**	**7657.28**	**5253.54**

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2010 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	19347.13	17366.99	5126.77	4880.36
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1552.50	1415.60	417.25	383.87
नियोजक का अंशदान	1815.59	1650.48	508.69	130.28
सदस्यों द्वारा अंशदान	599.25	निरंक	निरंक	निरंक
प्रदत्त हितलाभ	(1184.08)	(1540.20)	(650.80)	(305.19)
बीमांकिक लाभ / (हानि)	759.67	454.26	26.05	37.45
31 मार्च 2011 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**22890.06**	**19347.13**	**5427.96**	**5126.77**
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2011 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	41829.01	27015.65	7657.28	5253.54
31 मार्च 2011 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	22890.06	19347.13	5427.96	5126.77
कमी/ (अधिशेष)	18938.95	7668.52	2229.32	126.77
लेखे मे नहीं ली गई विगत सेवा लागत इतिशेष	985.32	निरंक	628.78	निरंक
निवल देयता / (आस्ति)	**17953.63**	**7668.52**	**1600.54**	**126.77**
तुलनपत्र में ली गई राशि				
देयताएँ	41829.01	27015.65	7657.28	5253.54
आस्तियाँ	22890.06	19347.13	5427.96	5126.77
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता / (आस्ति)	18938.95	7668.52	2229.32	126.77
शामिल नहीं की गई पिछली सेवा लागत (निहित) अंतिम	985.32	निरंक	628.78	निरंक
निवल देयता / आस्ति	**17953.63**	**7668.52**	**1600.54**	**126.77**
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	1216.08	1087.38	280.78	225.74
ब्याज लागत	2281.46	1922.46	406.54	399.12
योजना -आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1552.50)	(1415.60)	(417.25)	(383.87)
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (परिशोधित)	381.00	निरंक	236.94	निरंक
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (निहित हितलाभ)	193.75	निरंक	675.22	निरंक
तिमाही के दौरान शामिल निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	1127.47	1083.04	800.23	(171.64)
नियत हितलाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' में शामिल की गई है.	**3647.26**	**2677.28**	**1982.46**	**69.35**
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1552.50	1415.60	417.25	383.87

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	CY	PY	CY	PY
Change in Plan Assets				
Opening fair value of plan assets at 1st April 2010	19347.13	17366.99	5126.77	4880.36
Expected Return on Plan assets	1552.50	1415.60	417.25	383.87
Contributions by employer	1815.59	1650.48	508.69	130.28
Contribution from members	599.25	Nil	Nil	Nil
Benefits Paid	(1184.08)	(1540.20)	(650.80)	(305.19)
Actuarial Gains / (Losses)	759.67	454.26	26.05	37.45
Closing fair value of plan assets at 31st March 2011	**22890.06**	**19347.13**	**5427.96**	**5126.77**
Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets				
Present Value of Funded obligation at 31st March 2011	41829.01	27015.65	7657.28	5253.54
Fair Value of Plan assets at 31st March 2011	22890.06	19347.13	5427.96	5126.77
Deficit/(Surplus)	18938.95	7668.52	2229.32	126.77
Unrecognised Past Service Cost (Vested) Closing Balance	985.32	Nil	628.78	Nil
Net Liability/(Asset)	**17953.63**	**7668.52**	**1600.54**	**126.77**
Amount Recognised in the Balance Sheet				
Liabilities	41829.01	27015.65	7657.28	5253.54
Assets	22890.06	19347.13	5427.96	5126.77
Net Liability / (Asset) recognised in Balance Sheet	18938.95	7668.52	2229.32	126.77
Unrecognised Past Service Cost (Vested) Closing Balance	985.32	Nil	628.78	Nil
Net Liability/ (Asset)	**17953.63**	**7668.52**	**1600.54**	**126.77**
Net Cost recognised in the profit and loss account				
Current Service Cost	1216.08	1087.38	280.78	225.74
Interest Cost	2281.46	1922.46	406.54	399.12
Expected return on plan assets	(1552.50)	(1415.60)	(417.25)	(383.87)
Past Service Cost (Amortised) Recognised	381.00	Nil	236.94	Nil
Past Service Cost (Vested Benefits) Recognised	193.75	Nil	675.22	Nil
Net actuarial losses (Gain) recognised during the year	1127.47	1083.04	800.23	(171.64)
Total costs of defined benefit plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for employees"	**3647.26**	**2677.28**	**1982.46**	**69.35**
Reconciliation of expected return and actual return on Plan Assets				
Expected Return on Plan Assets	1552.50	1415.60	417.25	383.87

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	759.67	454.26	26.05	37.45
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**2312.17**	**1869.86**	**443.30**	**421.32**
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता / (आस्ति) के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2010 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	7668.52	6641.72	126.77	187.70
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	3647.26	2677.28	1982.46	69.35
अन्य प्रावधान को नामे	1306.70	निरंक	निरंक	निरंक
आरक्षित निधि में शामिल किए गए	7927.41	निरंक	निरंक	निरंक
नियोक्ताओं का अंशदान	2596.26	1650.48	508.69	130.28
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	**17953.63**	**7668.52**	**1600.54**	**126.77**

31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए विनिधान निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	24.05	43.54
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	11.11	2.47
सार्वजनिक क्षेत्र और कारपोरेट बांड	23.47	27.44
बैंक में एफडीआर / टीडीआर	5.28	1.02
बैंक की जमाराशियाँ	2.48	5.34
अन्य	33.61	20.19
योग	**100.00**	**100.00**

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8% से 8.50%	7% से 8.50%	8% से 8.50%	7% से 8.50%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.50% से 8 %	7.50% से 8 %	7.50% से 8 %	7.50% से 8 %
वेतन वृद्धि	2% से 6 %	4% से 6 %	2% से 6 %	4% से 6 %

भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, जिसका बीमांकिक मूल्यांकन घटकों में किया गया है, मुद्रास्फीति वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा नियोजन - बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार के अनुमान अत्यंत दीर्घ अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव /सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि अत्यंत दीर्घ

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	CY	PY	CY	PY
Actuarial Gain/ (loss) on Plan Assets	759.67	454.26	26.05	37.45
Actual Return on Plan Assets	**2312.17**	**1869.86**	**443.30**	**421.32**
Reconciliation of opening and closing net liability/ (asset) recognised in Balance Sheet				
Opening Net Liability as at 1st April 2010	7668.52	6641.72	126.77	187.70
Expenses as recognised in profit and loss account	3647.26	2677.28	1982.46	69.35
Debited to Other Provision	1306.70	Nil	Nil	Nil
Recognised in Reserve	7927.41	Nil	Nil	Nil
Employers Contribution	2596.26	1650.48	508.69	130.28
Net liability/(Asset) recognised in Balance Sheet	**17953.63**	**7668.52**	**1600.54**	**126.77**

Investments under Plan Assets of Gratuity Fund & Pension Fund as on 31st March 2011 are as follows:

Category of Assets	Pension Fund	Gratuity Fund
	% of Plan Assets	% of Plan Assets
Central Govt. Securities	24.05	43.54
State Govt. Securities	11.11	2.47
Public Sector & Corporate Bonds	23.47	27.44
FDR / TDR with Bank	5.28	1.02
Bank Deposits	2.48	5.34
Others	33.61	20.19
Total	**100%**	**100%**

Principal actuarial assumptions;

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	CY	PY	CY	PY
Discount Rate	8% to 8.50%	7% to 8.50%	8% to 8.50%	7% to 8.50%
Expected Rate of return on Plan Asset	7.50% to 8 %	7.50% to 8 %	7.50% to 8 %	7.50% to 8 %
Salary Escalation	2% to 6 %	4% to 6 %	2% to 6 %	4% to 6 %

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future.

अवधि के दौरान - सतत् उच्च वेतनवृद्धि करते रहना संभव नहीं है जिस पर लेखा-परीक्षकों ने भरोसा किया है।

3.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक बोर्ड द्वारा संशोधित लेखा मानक-15 (वर्ष 2005 में संशोधित) के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, समूह द्वारा स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि नियत लाभ योजना की परिधि में आएगा क्योंकि बैंक को निर्धारित न्यूनतम प्रतिलाभ दर को प्राप्त करना है। वर्ष के अंत में ऐसी कोई कमी नहीं बची थी जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया हो। तदनुसार, भविष्य निधि के संबंध में अन्य संबंधित प्रकटीकरणों का उल्लेख नहीं किया गया है। ₹ 931.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 420.19 करोड़) की राशि को लाभ और हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत शामिल बैंक की भविष्य निधि योजना पर किए गए व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

3.1.3 नियत अंशदान

भारतीय स्टेट बैंक ने दिनांक 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना में ₹ 11.75 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) का अंशदान किया और देशीय बैंकिंग अनुषंगियों (इनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर शामिल हैं) ने दिनांक 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए नियत अंशदायी पेंशन योजना में ₹ 1.53 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) का अंशदान किया।

3.1.4 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के संबंध में ₹ 933.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 233.54 करोड़) का प्रावधान किया गया है और उसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभ योजना के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण :

क्रम सं.	दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण के साथ अर्जित अवकाश का नकदीकरण	694.18	162.78
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण / उपयोग)	72.29	39.48
3	रुग्ण अवकाश	81.73	23.22
4	रजत जंयती अवार्ड	35.16	3.38
5	अधिवर्षिता पर पुनर्निपटान व्यय	(8.55)	(6.95)
6	आकस्मिक अवकाश	13.73	5.65
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	44.55	5.98
	योग	**933.09**	**233.54**

Empirical evidence also suggests that in the very long term, consistent high salary growth rates are not possible, which has been relied upon by the auditors.

3.1.2 Employees Provident Fund

In terms of the guidance on implementing the AS-15 (Revised 2005) "Employees Benefits" issued by the ICAI, the Employees Provident Fund set up by the group is treated as a defined benefit plan since the group has to meet the specified minimum rate of return. As at the year end, no shortfall remains unprovided for. Accordingly, other related disclosures in respect of Provident Fund have not been made and an amount of ₹ 931.70 crores (Previous Year ₹ 420.19 crores) is recognised as an expense towards the Provident Fund scheme of the group included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss Account.

3.1.3 Defined Contributions

SBI has contributed ₹ 11.75 crores (previous year Nil) to the New Pension Scheme for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st August 2010 and Domestic Banking Subsidiaries (comprising State Bank of Bikaner & Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala and State Bank of Travancore) has contributed ₹ 1.53 crores (previous year Nil) to the Defined Contributory Pension Scheme for employees joining on or after 1st April 2010.

3.1.4 Other Long term Employee Benefits

Amount of ₹ 933.09 crores (Previous Year ₹ 233.54 crores) is provided towards Long term Employee Benefits and is included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss account.

Details of Provisions made for various long Term Employees' Benefits during the year;

Sl. No.	Long Term Employees' Benefits	Current Year	Previous Year
1	Privilege Leave (Encashment) incl. leave encashment at the time of retirement	694.18	162.78
2	Leave Travel and Home Travel Concession (Encashment/Availment)	72.29	39.48
3	Sick Leave	81.73	23.22
4	Silver Jubilee Award	35.16	3.38
5	Resettlement Expenses on Superannuation	(8.55)	(6.95)
6	Casual Leave	13.73	5.65
7	Retirement Award	44.55	5.98
	Total	**933.09**	**233.54**

3.1.5 पेंशन एवं ग्रेच्युटी

(क)एसबीआई की पेंशन योजना

नौवें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वेतन में किए गए संशोधन और एसबीआई पेंशन निधि नियमों में प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एसबीआई की पेंशन देयता राशि, जिसे स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा निर्धारित किया गया है, ₹ 11,707 करोड़ रही। ₹ 1,306.70 करोड़ के विद्यमान प्रावधान पर विचार करने के बाद, पूर्ववर्ती वर्षों की ₹ 7,927.41 करोड़ की देयताओं से संबंधित अतिरिक्त पेंशन लागत को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पत्र सं. डीबीओडी/बीपी/क्र./16165/21.04.018/2010-11 के अनुसार बैंक को दी गई अनुमति के अनुसार आरक्षित निधि खाते में से खर्च के रूप में दिखाया गया है। उक्त राशि का सांविधिक आरक्षित निधि से समायोजन करने की अनुमति बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से मांगी है, जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस वर्ष की पेंशन लागत ₹ 2,473.00 करोड़ रही जिसे लाभ एवं हानि खाते में खर्च के रूप में शामिल किया गया है।

(ख) एसबीआई के लिए ग्रेच्युटी

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार देय ग्रेच्युटी की सीमा में बढ़ोतरी होने और नौवें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वेतन में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप, एसबीआई की ग्रेच्युटी देयता राशि जिसे 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा निर्धारित किया गया है, ₹ 1,965 करोड़ रही। इस वर्ष के लिए वृद्धिशील देयता और वेतन में संशोधन के परिणामस्वरूप देयता में वृद्धि की राशि ₹ 865 करोड़ और ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि होने के कारण ₹ 700 करोड़ रही, जिसे लाभ एवं हानि खाते में खर्च के रूप में दिखाया गया है। ₹ 400 करोड़ की शेष राशि, जिसे वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में अभी शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं की गई है और इसे भा.रि. बैंक परिपत्र क्रमांक डीबीओडी / बीपी / बीसी / 80 / 21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 के अनुसार अगले चार वर्षों में परिशोधित किया जाएगा।

(ग) देशीय बैंकिंग अनुषंगियों (डीबीएस) के लिए पेंशन एवं ग्रेच्युटी

वर्ष के दौरान डीबीएस ने अपने उन कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प को फिर से खोल दिया है जिन्होंने पूर्ववर्ती पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं दिया था। इसके परिणामस्वरूप, डीबीएस ने ₹ 1,801.80 करोड़ की देयता वहन की। इसके अतिरिक्त, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में संशोधन होने से डीबीएस ने अपने कर्मचारियों को देय होनेवाली ग्रेच्युटी की सीमा को भी बढ़ाया है। परिणामस्वरूप, डीबीएस की ग्रेच्युटी देयता बढ़कर ₹ 559.16 करोड़ हो गई। एएस15 ''कर्मचारी हितलाभ'' की अपेक्षाओं के अनुसार, ₹ 2,360.96 करोड़ की सम्पूर्ण राशि (अर्थात ₹ 1,801.80 करोड़ + ₹ 559.16 करोड़)

3.1.5 Pension and Gratuity

(a) Pension Scheme of SBI

Consequent to revision in wages in accordance with the Ninth Bipartite Settlement and the proposed amendment to the SBI Pension Fund Rules, the Pension liability of the SBI for the year ended March 31, 2011 as determined by the independent actuary amounted to ₹ 11,707 crores. After considering the existing provision of ₹ 1,306.70 crores, the additional pension cost in respect of the liabilities of the earlier years amounting to ₹ 7,927.41 crores has been charged to Reserves in accordance with the dispensation granted by Reserve Bank of India to the Bank vide the letter number DBOD/BP/No./16165/ 21.04.018/2010-11. SBI has sought an approval of the above amount against the statutory reserves from RBI, which is still awaited. The pension cost for the year amounting to ₹ 2,473.00 crores has been charged to the Profit and Loss Account.

(b) Gratuity for SBI

Consequent to the enhancement in limit of gratuity payable under the Payment of Gratuity Act, 1972 and revision in wages in accordance with the Ninth Bipartite Settlement, the cost on account of Gratuity liability of SBI as determined by the independent actuary for the year ended March 31, 2011 amounted to ₹ 1,965 crores. The incremental liability for the year and the increase in liability consequent to revision in wages amounting to ₹ 865 crores and an amount of ₹ 700 crores on account of enhancement in the limit of gratuity, has been charged to the Profit and Loss account. The balance amount of ₹ 400 crores, not already charged to Profit and Loss account during the year, has not been recognised and will be amortised over the next four years in accordance with RBI circular no. DBOD.BP.BC.80 /21.04.018/2010-11 dated 9th February 2011.

(c) Pension and Gratuity for Domestic banking subsidiaries (DBS)

During the year, DBS have reopened the pension option for its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of this, the DBS has incurred a liability of ₹ 1,801.80 crores. Further, the limit of gratuity payable to its employees was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result the gratuity liability of DBS has increased by ₹ 559.16 crores. In terms of the requirements of the AS 15, "Employee Benefits", the entire amount of ₹ 2,360.96 crores (i.e. ₹ 1,801.80 crores + ₹ 559.16 crores) is required to be charged to profit and loss account.

को लाभ एवं हानि खाते में खर्च के रूप में दिखाया जाना है। तथापि, सरकारी क्षेत्र बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प को फिर से खोलने और ग्रेच्युटी सीमाओं में वृद्धि के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र क्रमांक डीबीओडी/बीपी/बीसी/ 80/21.04.018/2010-11-विवेकीय विनियामक उपाय दिनांक 09.02.2011 को जारी किया है। उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार डीबीएस ₹ 2,360.96 करोड़ की राशि का परिशोधन पांच वर्षों की अवधि में करेंगी। तदनुसार ₹ 475.72 करोड़ (बढ़ी हुई देयता का पांचवाँ भाग) लाभ एवं हानि खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं और ₹ 1,885.24 करोड़ की शेष राशि अगले चार वर्षों के लिए आस्थगित की गई है तथा इसमें अलग हुए/सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से संबंधित कोई राशि शामिल नहीं है।

(घ) एएस-15-कर्मचारी हितलाभ की अपेक्षाओं के अनुसार उपर्युक्त (क) में उल्लिखित पेंशन देयता की राशि ₹ 10,400.30 करोड़, उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित ग्रेच्युटी देयता की राशि ₹ 1,965.00 करोड़ और उपर्युक्त (ग) में देशीय बैंकिंग अनुषंगियों की पेंशन/ ग्रेच्युटी देयता की राशि ₹ 2,360.96 करोड़ को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाना है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक उक्त परिपत्र जारी नहीं करता और पेंशन देयता को आरक्षित खाते में शामिल करने की भारतीय रिजर्व बैंक अनुमति नहीं देता, तो एएस15 की अपेक्षा को लागू करने पर समूह के लाभ में ₹ 10,212.65 करोड़ की कमी आई होती।

3.2 खंड सूचना

3.2.1 खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नांकित खंडों का अभिनिर्धारण/पुनर्वर्गीकरण प्राथमिक खंडों के रूप में किया है।

- कोष
- कारपोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- बीमा व्यवसाय
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना पद्धति में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उनमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल - खंडों के आंकड़ों की निम्नवत गणना की गई है:

क) कोष: कोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं। कोष खंड की आय मूलत: व्यापार - परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ / हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो की ब्याज आय पर आधारित है।

ख) कारपोरेट / थोक बैंकिंग: कारपोरेट / थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण - गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इनके द्वारा

However, the RBI has issued a Circular No. DBOD.BP.BC.80 / 21.04.018 / 2010-11) on Re-opening of pension option to employees of Public sector banks and enhancement in gratuity limits- Prudential Regulatory Treatment dated 09.02.2011. In accordance of the provisions of the said Circular, the DBS would amortise the amount of ₹ 2,360.96 crores over a period of five years. Accordingly, ₹ 475.72 crores (representing one-fifth of increased liability) has been charged to Profit and Loss Account and the balance amount of ₹ 1,885.24 crores is deferred for next four years and does not include any employees relating to separated / retired employees.

(d) As per the requirements of AS 15 – Employee Benefits, the pension liability stated in (a) above amounting to ₹ 10,400.30 crores, the gratuity liability of ₹ 1,965 crores in (b) above and the Pension / Gratuity liability of Domestic Banking Subsidiaries of ₹ 2,360.96 crores in (c) above is required to be charged to Profit and Loss account.

Had the said Circular not been issued by RBI and this dispensation for charging the Pension liability to Reserves not allowed by RBI, the profit of the group would have been lower by ₹ 10,212.65 crores pursuant to the application of requirements of AS 15.

3.2 Segment Reporting

3.2.1 Segment Identification

A) Primary (Business Segment)

The following are the Primary Segments of the Group:

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Insurance Business
- Other Banking Business

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the Primary Segments have been computed as under:

a) Treasury: The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

b) Corporate / Wholesale Banking: The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Mid Corporate Accounts Group and Stressed Assets Management Group. These include providing loans and transaction services to

कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के गैर - कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग:** खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं। इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं।

घ) **बीमा व्यवसाय:** बीमा व्यवसाय खण्ड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के परिणाम शामिल है।

ङ) **अन्य बैंकिंग व्यवसाय:** ऐसे खण्ड जो उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत प्राथमिक खण्ड के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें इस प्राथमिक खण्ड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस खण्ड में समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल है।

ख) गौण (भौगोलिक खंड):

i) देशी परिचालन के अंतर्गत - भारत में परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम कार्यालय आते हैं।

ii) विदेशी परिचालन के अंतर्गत - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ आती हैं।

ग) व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन:

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/थोक और रिटेल बैंकिंग परिचालन खंड अथवा कोष परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं। सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं।

3.2.2 खंड रिपोर्टिंग के लिए अपनाई गई लेखा नीतियां निम्नलिखित अतिरिक्त पक्षों के साथ वही हैं जो पैरेंट के वित्तीय विवरण को रिपोर्ट करने के लिए अपनाई गई हैं:

1) गैर-बैंकिंग परिचालन खंडों और अन्य खंडों के बीच अंतर खंड लेनदेन का मूल्य निर्धारण बाजार आधार पर किया गया है। कोष और अन्य बैंकिंग व्यवसाय के बीच लेनदेन के संबंध में निधियों के उपयोग के लिए क्षतिपूर्ति की राशि की गणना ऋण खंड द्वारा वहन किए गए ब्याज और अन्य लागतों के आधार पर की गई है।

2) खंडों की आय और व्यय को खंड की परिचालन गतिविधि से संबंध के आधार पर शामिल किया गया है।

3) समग्र उद्यम से संबंधित ऐसी आय और व्यय जिन्हें किसी खंड को आबंटित करने का तार्किक आधार नहीं है उन्हें ''अनाबंटित व्यय'' के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।

corporate and institutional clients and further include non treasury operations of foreign offices/entities.

c) Retail Banking: The Retail Banking Segment comprises of branches in National Banking Group, which primarily includes personal Banking activities including lending activities to corporate customers having Banking relations with branches in the National Banking Group. This segment also includes agency business and ATMs

d) Insurance Business – The Insurance Business Segment comprises of the results of SBI Life Insurance Co. Ltd. and SBI General Insurance Co. Ltd.

e) Other Banking business – Segments not classified under (a) to (d) above are classified under this primary segment. This segment also includes the operations of all the Non-Banking Subsidiaries/Joint Ventures other than SBI Life Insurance Co. Ltd. and SBI General Insurance Co. Ltd. of the group.

B) Secondary (Geographical Segment):

i) Domestic operations – Branches, Subsidiaries and Joint Ventures having operations in India.

ii) Foreign operations - Branches, Subsidiaries and Joint Ventures having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

C) Allocation of Expenses, Assets and liabilities

Expenses of parent incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of number of employees in each segment/ratio of directly attributable expenses.

3.2.2 The accounting policies adopted for segment reporting are in line with the accounting policies adopted in the parent's financial statements with the following additional features:

1) Pricing of inter-segment transactions between the Non Banking Operations segment and other segments are market led. In respect of transactions between treasury and other banking business, compensation for the use of funds is reckoned based on interest and other costs incurred by the lending segment.

2) Revenue and expenses have been identified to segments based on their relationship to the operating activities of the segment.

3) Revenue and expenses, which relate to the enterprise as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis, have been included under "Unallocated Expenses".

3.2.3 खंडवार सूचना
3.2.3 SEGMENT INFORMATION

भाग क : प्राथमिक (व्यवसाय) खंड
PART A: PRIMARY (BUSINESS) SEGMENTS:

व्यवसाय खण्ड Business Segment	कोष परिचालन Treasury	कारपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	बीमा व्यवसाय Insurance Business	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	परित्याग Elimination	योग TOTAL
आय Revenue	25019.96 (30621.88)	45337.75 (39847.90)	58612.55 (44757.02)	16016.57 (16120.65)	2857.09 (2401.99)	— (—)	147843.92 (133749.44)
परिणाम Result	-1404.68 (4408.86)	8240.18 (7762.42)	15547.80 (9021.20)	330.39 (272.78)	791.53 (-76.75)	— (—)	23505.22 (21388.51)
अनाबंटित (आय) Unallocated (Income)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (102.39)
अनाबंटित (व्यय) Unallocated (Expenses)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	3585.46 (2808.87)
परिचालन लाभ (पीबीटी) Operating Profit (PBT)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	19919.76 (18682.03)
कर Taxes	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	8739.82 (6668.38)
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
निवल लाभ Net Profit	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	11179.94 (12013.65)
अन्य सूचनाएं: **Other Information:**							
खंड अस्तियाँ Segment Assets	416212.50 (420007.04)	535879.58 (449429.89)	637695.87 (535117.22)	39722.33 (27985.44)	7354.53 (8420.28)	— (—)	1636864.81 (1440959.87)
अनाबंटित अस्तियाँ Unallocated Assets	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	11033.44 (9184.10)
कुल अस्तियाँ Total Assets	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	1647898.25 (1450143.97)
खंड देयताएं Segment Liabilities	202393.63 (181831.11)	496020.54 (440814.86)	766973.70 (664634.16)	37517.06 (26080.52)	4477.68 (5458.20)	— (—)	1507382.61 (1318818.85)
अनाबंटित देयताएँ Unallocated Liabilities	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	57044.39 (48189.54)
कुल देयताएँ Total Liabilities	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	1564427.00 (1367008.39)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक) खण्ड
PART B : SECONDARY (GEOGRAPHIC) SEGMENTS:

विवरण Particulars	देशी परिचालन Domestic Operations	विदेशी परिचालन Foreign Operations	योग Total
आय Revenue	1,40,649.70 (1,28,347.46)	7,194.22 (5,504.37)	1,47,843.92 (1,33,851.83)
आस्तियां Assets	14,88,178.32 (13,11,718.84)	1,59,719.93 (1,38,425.13)	16,47,898.25 (14,50,143.97)

i) आय/व्यय पूरे वर्ष हेतु है। आस्तियों/देयताओं का विवरण दिनांक 31 मार्च 2011 को है।
ii) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।
i) Income/Expenses are for the whole year. Assets/Liabilities are as at 31st March 2011.
ii) Figures within brackets are for previous year.

3.3 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण :

3.3.1 समूह से संबंधित पक्ष:

क) संयुक्त उद्यम:

1. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
2. सी एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड.
3. एसबीआइ मैक्वाअरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
4. एसबीआइ मैक्वाअरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.
5. मैक्वाअरी एसबीआइ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
6. मैक्वाअरी एसबीआइ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमन्ट फंड - प्रबंधन कम्पनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमन्ट फंड - ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.

ख) सहयोगी:

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक
4. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक
5. डेक्कन ग्रामीणा बैंक
6. इलाकाई देहाती बैंक
7. मेघालय रूरल बैंक
8. कृष्णा ग्रामीण बैंक
9. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
10. मध्य भारत ग्रामीण बैंक
11. मालवा ग्रामीण बैंक
12. मारवाड़ गंगानगर बीकानेर बैंक
13. मिजोरम रूरल बैंक
14. नागालैंड रूरल बैंक
15. पर्वतीय ग्रामीण बैंक
16. पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
18. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
19. उत्कल ग्राम्य बैंक
20. उत्तरांचल ग्रामीण बैंक
21. वनांचल ग्रामीण बैंक
22. विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ii अन्य

23. दि क्लिअरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
24. बैंक आफ भूटान लि.
25. एस. एस. वैंचर्स सर्विसेज प्रा. लि. (15.03.2011 तक)
26. एस बी आई होम फाइनैंस लि.

ग) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

1. श्री ओ. पी. भट्ट, अध्यक्ष (31.03.2011 तक)
2. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक (31.10.2010 तक)
3. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक

3.3 Related Party Disclosures:

3.3.1 Related Parties to the Group:

A) JOINT VENTURES:

1. GE Capital Business Process Management Services Private Limited.
2. C - Edge Technologies Ltd.
3. SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.
4. SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.
5. Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.
6. Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.
7. Oman India Joint Investment Fund – Management Company Pvt. Ltd.
8. Oman India Joint Investment Fund – Trustee Company Pvt. Ltd.

B) ASSOCIATES:

i) Regional Rural Banks

1. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank
2. Arunachal Pradesh Rural Bank
3. Cauvery Kalpatharu Grameena Bank
4. Chhatisgarh Gramin Bank
5. Deccan Grameena Bank
6. Ellaquai Dehati Bank
7. Meghalaya Rural Bank
8. Krishna Grameena Bank
9. Langpi Dehangi Rural Bank
10. Madhya Bharat Gramin Bank
11. Malwa Gramin Bank
12. Marwar Ganganagar Bikaner Bank
13. Mizoram Rural Bank
14. Nagaland Rural Bank
15. Parvatiya Gramin Bank
16. Purvanchal Kshetriya Gramin Bank
17. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
18. Saurashtra Gramin Bank
19. Utkal Gramya Bank
20. Uttaranchal Gramin Bank
21. Vananchal Gramin Bank
22. Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank

ii) Others

23. The Clearing Corporation of India Ltd.
24. Bank of Bhutan Ltd.
25. S. S. Ventures Services Pvt. Ltd. (upto 15.03.2011)
26. SBI Home Finance Ltd.

C) Key Management Personnel of the Bank:

1. Shri O. P. Bhatt, Chairman (upto 31.03.2011)
2. Shri S. K. Bhattacharyya, Managing Director (upto 31.10.2010)
3. Shri R. Sridharan, Managing Director

3.3.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेनदेन किए गए:

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' के रूप में संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेन का प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। अन्य विवरण निम्नानुसार है :

1. सी-एज टेकनोलॉजीस लि.
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.
3. एसबीआइ मैक्वाअरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. एसबीआइ मैक्वाअरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
5. मैक्वाअरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.
6. मैक्वाअरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेन्ट फंड - प्रबंधन कम्पनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेन्ट फंड - ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.
9. बैंक ऑफ भूटान लि.
10. एस. एस. वैंचर्स सर्विसेज लि. (15.03.2011 तक)
11. एस बी आई होम फाइनैंस लि.
12. श्री ओ. पी. भट्ट, अध्यक्ष (31.03.2011 तक)
13. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक (31.10.2010 तक)
14. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक

3.3.3. लेनदेन और शेष राशियाँ:

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधी	योग
जमा-राशियाँ #	52.09 (112.99)	0.04 (—)	52.13 (112.99)
अन्य देयताएँ #	10.62 (21.94)	— (—)	10.62 (21.94)
विनिधान #	42.91 (26.94)	— (—)	42.91 (26.94)
अग्रिम #	— (—)	— (—)	— (—)
संदत्त ब्याज $	— (4.00)	— (—)	— (4.00)
प्राप्त ब्याज $	— (—)	— (—)	— (—)
लाभांश के रूप में अर्जित आय $	2.80 (5.96)	— (—)	2.80 (5.96)
अन्य आय $	— (0.05)	— (—)	— (0.05)
अन्य व्यय $	150.34 (144.48)	— (—)	150.34 (144.48)
प्रबंध संविदाएँ $	142.33 (146.83)	0.60 (0.63)	142.93 (147.46)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)
31 मार्च की स्थिति के अनुसार शेष
$ वर्ष के लेनदेन

3.3.2 Related Parties with whom transactions were entered into during the year:

No disclosure is required in respect of related parties, which are "state controlled enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel. Other particulars are as under:

1. C - Edge Technologies Ltd.
2. GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.
3. SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.
4. SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.
5. Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.
6. Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.
7. Oman India Joint Investment Fund – Management Company Pvt. Ltd.
8. Oman India Joint Investment Fund – Trustee Company Pvt. Ltd.
9. Bank of Bhutan Ltd.
10. S. S. Ventures Services Ltd. (upto 15.03.2011)
11. SBI Home Finance Ltd.
12. Shri O. P. Bhatt, Chairman (upto 31.03.2011)
13. Shri S. K. Bhattacharyya, Managing Director (upto 31.10.2010)
14. Shri R.Sridharan, Managing Director

3.3.3 Transactions and Balances:

Particulars	Associates/ Joint Ventures	Key Management Personnel & their relatives	Total
Deposit#	52.09 (112.99)	0.04 (—)	52.13 (112.99)
Other Liabilities#	10.62 (21.94)	— (—)	10.62 (21.94)
Investments#	42.91 (26.94)	— (—)	42.91 (26.94)
Advances #	— (—)	— (—)	— (—)
Interest paid $	— (4.00)	— (—)	— (4.00)
Interest received $	— (—)	— (—)	— (—)
Income earned by way of Dividend $	2.80 (5.96)	— (—)	2.80 (5.96)
Other Income $	— (0.05)	— (—)	— (0.05)
Other Expenditure $	150.34 (144.48)	— (—)	150.34 (144.48)
Management Contract $	142.33 (146.83)	0.60 (0.63)	142.93 (147.46)

(Figures in brackets pertain to previous year)
Balances as at 31st March
$ Transactions for the year

3.4 पट्टे :

वित्तीय पट्टे

1 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टों पर दी गई आस्तियाँ : इन वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे दिया गया है।

विवरण	चालू वर्ष
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया	
1 वर्ष से कम	0.43
1 से 5 वर्ष	0.73
5 वर्ष और उससे अधिक	—
कुल	**1.16**
देय ब्याज लागत	
1 वर्ष से कम	0.11
1 से 5 वर्ष	0.10
5 वर्ष और उससे अधिक	—
कुल	**0.21**
देय न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान राशि	
1 वर्ष से कम	0.32
1 से 5 वर्ष	0.63
5 वर्ष और उससे अधिक	—
कुल	**0.95**

परिचालन पट्टा *

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों के विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए है :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 वर्ष तक	126.64	73.67
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	298.43	170.38
5 वर्ष से अधिक	63.62	51.12
कुल	**488.69**	**295.17**
इस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि	145.85	78.25

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं जो समूह इकाइयों के विकल्प के अनुसार नवीकरण योग्य है।

* केवल रद्द नहीं होनेवाले पट्टों के संबंध में

3.5 प्रति शेयर उपार्जन:

बैंक ने लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर उपार्जन' के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर पश्चात् निवल लाभ अल्पांश को छोड़कर बकाया ईक्विटी शेयरों की

3.4 Leases:

Finance Leases

Assets taken on Financial Leases on or after 1st April 2001: The details of financial leases are given below:

Particulars	Current Year
Total Minimum lease payments outstanding	
Less than 1 year	0.43
1 to 5 years	0.73
5 years and above	—
Total	**1.16**
Interest Cost payable	
Less than 1 year	0.11
1 to 5 years	0.10
5 years and above	—
Total	**0.21**
Present value of minimum lease payments payable	
Less than 1 year	0.32
1 to 5 years	0.63
5 years and above	—
Total	**0.95**

Operating Lease*

Premises taken on operating lease are given below:

Particulars	Current Year	Previous Year
Not later than 1 year	126.64	73.67
Later than 1 year and not later than 5 years	298.43	170.38
Later than 5 years	63.62	51.12
Total	**488.69**	**295.17**
Amount of lease payments recognised in the P&L Account for the year.	145.85	78.25

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the group entities.

* In respect of Non-Cancellable leases only.

3.5 Earnings per Share:

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing consolidated net profit after tax

भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर 'मूल आय' की गणना की गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
मूल प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की सं.	63,49,52,049	63,48,80,626
कम की गई प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	63,49,52,049	63,48,80,626
निवल लाभ (अल्पांश को छोड़कर) (करोड़ में)	10684.95	11733.83
प्रति शेयर मूल आय (₹)	168.28	184.82
कम की गई प्रति शेयर आय (₹)	168.28	184.82
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10.00	10.00

3.6 आय पर करों का लेखाकरण

i) वर्ष के दौरान, आस्थगित कर समायोजन के द्वारा ₹ 1398.06 करोड़ [पिछले वर्ष ₹ 1315.71 करोड़ जमा किए गए थे] लाभ और हानि खाते में नामे किए गए।

ii) प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्ति और देयता का मदवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

विवरण	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	118.35	310.73
छोड़ने के विकल्प का उपयोग करने पर अनुग्रह राशि का भुगतान	9.41	52.57
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	308.43	1837.31
दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	1943.24	1462.44
अन्य	552.11	846.56
योग	**2931.54**	**4509.61**
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	31.73	32.46
प्रतिभूतियों पर ब्याज	1034.68	611.65
अन्य	427.60	431.92
योग	**1494.01**	**1076.03**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ/ (देयताएँ)	**1437.53**	**3433.58**

(other than minority) by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Particulars	Current Year	Previous Year
Basic and diluted		
Weighted average number of equity shares used in computing basic earning per share	63,49,52,049	63,48,80,626
Weighted average number of shares used in computing diluted earning per share	63,49,52,049	63,48,80,626
Net profit (Other than minority) (in crores)	10684.95	11733.83
Basic earnings per share (₹)	168.28	184.82
Diluted earnings per share (₹)	168.28	184.82
Nominal value per share (₹)	10.00	10.00

3.6 Accounting for taxes on Income:

i) During the year, ₹ 1398.06 crores has been debited [Previous Year, ₹ 1315.71 crores had been credited] to Profit and Loss Account by way of adjustment of deferred tax.

ii) The break up of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

Particulars	As at 31-Mar 2011	As at 31-Mar 2010
Deferred Tax Assets		
Provision for non performing assets	118.35	310.73
Ex-gratia paid under Exit option	9.41	52.57
Provision for wage revision	308.43	1837.31
Provision for long term employee Benefits	1943.24	1462.44
Others	552.11	846.56
Total	**2931.54**	**4509.61**
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on Fixed Assets	31.73	32.46
Interest on securities	1034.68	611.65
Others	427.60	431.92
Total	**1494.01**	**1076.03**
Net Deferred Tax Assets/ (Liabilities)	**1437.53**	**3433.58**

3.7 आस्तियों की अपसामान्यता:

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - 'आस्तियों की अपसामान्यता' लागू हो।

3.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

क) प्रावधानों का अलग-अलग विवरण:

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) आयकर (वर्तमान कर) के लिए प्रावधान	7341.56	7980.75
ख) आयकर (आस्थगित कर आस्ति) के लिए प्रावधान	1398.06	(1315.71)
ग) अनुषंगी लाभ कर	(9.39)	—
घ) अन्य करों के लिए प्रावधान	9.58	3.34
ङ) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	10870.00	6228.77
च) पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	386.20	825.77
छ) मानक आस्तियों पर प्रावधान	1261.35	152.67
ज) विनिधानों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	766.10	(1355.10)
झ) अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान	36.11	264.80
कुल	**22059.57**	**12785.29**

(कोष्ठक के आंकड़े क्रेडिट दर्शाते हैं।)

ख) अस्थिर प्रावधान:

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अथशेष	645.17	514.64
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	9.15	163.42
ग) वर्ष के दौरान आहरण में कमी	175.11	32.89
घ) अंतिम शेष	**479.21**	**645.17**

3.7 Impairment of assets:

In the opinion of the Management, there is no impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 – "Impairment of Assets" applies.

3.8 Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets:

a) Break up of provisions:

Particulars	Current Year	Previous Year
a) Provision for Income Tax (current tax)	7341.56	7980.75
b) Provision for Income Tax (deferred tax asset)	1398.06	(1315.71)
c) Fringe Benefit Tax	(9.39)	—
d) Provision for other taxes	9.58	3.34
e) Provision for Non-Performing Assets	10870.00	6228.77
f) Provision on Restructured Assets	386.20	825.77
g) Provision on Standard Assets	1261.35	152.67
h) Provision for Depreciation on Investments	766.10	(1355.10)
i) Provision for Other Assets	36.11	264.80
Total	**22059.57**	**12785.29**

(Figures in brackets indicate credit)

b) Floating provisions:

Particulars	Current Year	Previous Year
a) Opening Balance	645.17	514.64
b) Addition during the year	9.15	163.42
c) Draw down during the year	175.11	32.89
d) **Closing balance**	**479.21**	**645.17**

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का विवरण:

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं.	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में मूल कंपनी और उसके घटक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष हैं। समूह को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्विक प्रतिकूल प्रभाव समूह की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाहों पर पड़ेगा।
2	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	समूह अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। वायदा विनिमय संविदाओं की प्रतिबद्धता विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए है। मुद्रा विनिमयों की प्रतिबद्धताएँ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज / मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। ब्याज दर विनिमय की प्रतिबद्धताएँ स्थिर विनिमय एवं अस्थिर ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ है।
3	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपने वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलाप के अंतर्गत समूह अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से समूह के ग्राहकों की ऋण अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
4	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का एक पक्ष है। समूह की ओर से इन पर प्रतिवाद किया जा रहा है और इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पुन: समूह ने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में शेयरों का अभिदान करने के वायदे किए हैं।

घ) उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट के निर्णय / न्यायालय के बाहर समझौतों, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यताएँ, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने जैसी भी स्थिति हो, के दायित्व पर आधारित हैं।

ङ) आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों का उतार-चढ़ाव :

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अथशेष	**493.26**	**303.95**
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	191.14	215.30
ग) वर्ष के दौरान आहरण में कमी	228.35	25.99
घ) अंतिम शेष	**456.05**	**493.26**

4 वेतन करार का कार्यन्वयन

वर्ष के दौरान, नौवें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वेतन की बकाया राशि के संवितरण को अंतिम रूप दिया गया। वेतन संशोधन के लिए किए गए

c) Description of contingent liabilities and contingent assets:

Sr. No	Particulars	Brief Description
1	Claims against the Group not acknowledged as debts	The parent and its constituents are parties to various proceedings in the normal course of business. It does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Group's financial conditions, results of operations or cash flows.
2	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Group enters into foreign exchange contracts, currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with inter-bank participants on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on predetermined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as contingent liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts.
3	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial banking activities, the Group issues documentary credits and guarantees on behalf of its customers. Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Group. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations.
4	Other items for which the Group is contingently liable	The Group is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. These are being contested by the Group and not provided for. Further the Group has made commitments to subscribe to shares in the normal course of business.

d) The contingent liabilities mentioned above are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlements, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be.

e) **Movement of provisions against contingent liabilities:**

		Current Year	Previous Year
a)	**Opening Balance**	**493.26**	**303.95**
b)	Additions during the year	191.14	215.30
c)	Draw down during the year	228.35	25.99
d)	**Closing balance**	**456.05**	**493.26**

4 Wage Agreement Implementation:

During the year, the disbursement of arrears of wages was finalized in accordance with the ninth Bipartite Settlement. An amount of ₹ 1,078.97 crores was written

प्रावधान की राशि के अधिक होने से, 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान समूह के लाभ एवं हानि खाते में ₹ 1078.97 करोड़ की राशि का प्रतिलेखन किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वर्ष के दौरान एसबीआई द्वारा 'विशेष समतुलन भत्ते' के लिए ₹ 168.98 करोड़ की राशि प्रदान की गई।

5. पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के कर्मचारियों को देय भविष्य निधि और पेंशन से संबंधित पिछली सेवा देयता, जिसे विलय के समय स्वीकार किया गया और इसकी राशि ₹ 470.80 करोड़ रही, एक विशेष मद है और इसे समेकित लाभ एवं हानि खाते में ''कर्मचारियों को भुगतान एवं के लिए प्रावधान'' शीर्ष में शामिल किया गया है।

6. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी क्रमांक बीपी.बीसी. 42/21.01.02/2007-08 के निदेशानुसार रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयरों को देयता माना गया है और उन पर भुगतान किए जाने वाले कूपन को ब्याज माना गया है।

7. आइसीएआइ द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए - समेकित वित्तीय विवरण की यथातथ्यता और उपयुक्तता पर कोई प्रभाव न होने के कारण उसमें - मूल कंपनी और अनुषंगियों के अलग वित्तीय विवरणों में उल्लिखित ऐसी सांविधिक सूचनाओं का जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, यहां समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

8. जहां भी आवश्यक था विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुल्य बनाने के लिए पुनर्समूहित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है। ऐसे मामलों में जहां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किए गए हैं - पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

back to the Profit & Loss Account of the group during the year ended on 31st March 2011 being excess amount of provision for wage revision. Further, an amount of ₹ 168.98 crores was provided by SBI during the year for "Special Balancing Allowance".

5 The past service liability in respect of provident fund and pension payable to employees of e-SBIN taken over on merger amounting to ₹ 470.80 crores is an exceptional item and included in the head of "Payment to and provisions for employees" in the consolidated profit and loss account.

6 In accordance with RBI circular DBOD NO.BP.BC.42/21.01.02/2007-08 redeemable preference shares are treated as liabilities and the coupon payable thereon is treated as interest.

7 Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the general clarifications issued by ICAI.

8 Previous year's figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to conform to current period classification. In cases where disclosures have been made for first time in terms of RBI guidelines/Accounting Standards, previous year figures have not been mentioned.

(दिवाकर गुप्ता)
(Diwakar Gupta)
प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी
Managing Director & Chief Financial Officer

(ए. कृष्ण कुमार)
(A. Krishna Kumar)
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)
Managing Director & Group Executive (NB)

(हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर)
(H. G. Contractor)
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)
Managing Director & Group Executive (IB)

(आर. श्रीधरन)
(R. Sridharan)
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियां)
Managing Director & Group Executive (A&S)

(प्रतीप चौधरी)
(Pratip Chaudhuri)
अध्यक्ष
Chairman

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
In terms of our Report of even date
कृते **कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री**
For **Kalyaniwalla & Mistry**
सनदी लेखाकर
Chartered Accountants
(विराफ आर. मेहता)
(Viraf R. Mehta)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक / M.No. 32083
फर्म पंजीकरण सं. / Firm Registration No. 104607 W
कोलकाता, 17 मई, 2011
Kolkata, 17th May 2011

भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) STATE BANK OF INDIA (CONSOLIDATED)

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010
	₹	₹
I. परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	43900,13,17	(8372,38,53)
II. विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(1646,01,95)	(1344,61,47)
III. वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	1251,55,95	(3272,61,32)
IV. विनिमय घट-बढ़ नकदी प्रवाह		
CASH FLOW ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION	(32,08,81)	(418,21,12)
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन		
NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	**43473,58,36**	**(13407,82,44)**
V. नकदी एवं नकदी समतुल्य - वर्ष के आरंभ में		
CASH AND CASH EQUIVALENTS - OPENING	111853,87,12	125261,69,56
VI. नकदी एवं नकदी समतुल्य - वर्ष के अंत में		
CASH AND CASH EQUIVALENTS - CLOSING	155327,45,48	111853,87,12
I. परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before taxes	19424,76,53	18402,21,30
समायोजन ADJUSTMENT FOR:		
मूल्यह्रास शुल्क Depreciation charge	1380,55,16	1321,56,46
स्थिर आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल) (Profit)/Loss on sale of fixed assets (Net)	20,74,79	9,94,81
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for NPAs	11256,20,62	6228,77,13
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for Standard Assets	1261,34,96	152,67,07
भारत में निवेशों पर मूल्यह्रास Depreciation on Investments in India	741,90,27	(1243,27,73)
भारत के बाहर निवेशों पर मूल्यह्रास Depreciation on Investments Outside India	24,19,63	(111,82,57)
विनिधानों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल) (Profit)/Loss on sale of investments (Net)	(3091,75,23)	(4930,43,83)
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि (Profit)/Loss on revaluation of investments	135,12,21	(3022,98,14)
अन्य आस्तियों पर प्रावधान Provision on other assets	2,58,95	129,13,12
अन्य प्रावधान Other Provisions	33,51,48	961,43,45
वर्ष के दौरान अपलिखित आस्थगित आय खर्च Deferred Revenue Expenditure written off during the year	18,22,03	6,90,26
बांडों पर संदत्त ब्याज (वित्तीय कार्यकलाप) Interest paid on Bonds (Financing Activity)	4031,45,63	3520,54,39
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश/अर्जित आय (निवेश कार्यकलाप) Dividend/Earnings from Associates (Investing activity)	(223,26,31)	(229,52,26)
प्रदत्त Taxes Paid	(7672,20,51)	(8444,43,35)
उप योग / SUB TOTAL	**27343,40,21**	**12750,70,11**
समायोजन Adjustment for:		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Deposits	139097,91,98	104476,23,82
उधारराशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Borrowings	13575,75,03	14032,55,34
विनिधानों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Investments	(4131,61,41)	(31757,08,01)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Advances	(148156,11,54)	(125368,02,88)

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions	27849,87,35	14131,77,63
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Other Assets	(11679,08,45)	3361,45,46
परिचालन कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध निवल नकदी (प्रयुक्त) **NET CASH FROM / (USED IN) OPERATING ACTIVITIES**	**43900,13,17**	**(8372,38,53)**
II. विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह **CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
सहयोगियों के विनिधानों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Investments in Associates	4,95,69	547,79,04
ऐसे विनिधानों पर अर्जित आय Income earned on such Investments	223,26,31	229,52,25
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Fixed Assets	(1874,23,95)	(2121,92,76)
विनिधान कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध कराई गई निवल नकदी **NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES**	**(1646,01,95)**	**(1344,61,47)**
III. वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह **CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
पूंजी निर्गम से प्राप्त राशि Proceeds from issue of Capital	27,68	38,50
बांड इश्यू Issue of Bonds	6838,98,00	3437,46,26
गौण बांड प्रतिसंदाय Repayment of Subordinated Bonds	—	(289,00,00)
बांडों पर संदत्त ब्याज Interest Paid on Bonds	(4031,45,63)	(3520,54,39)
संदत्त लाभांश उस पर कर सहित Dividends Paid including tax thereon	(1420,22,28)	(2821,38,33)
अनुषंगियों द्वारा संदत्त लाभांश Dividends tax Paid by subsidiaries	(136,01,82)	(79,53,36)
वित्तीय कार्यकलाप से / (प्रयुक्त) निवल नकदी **NET CASH FROM / (USED IN) FINANCING ACTIVITIES**	**1251,55,95**	**(3272,61,32)**
IV. विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण नकदी प्रवाह **CASH FLOW ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION**		
विदेशी मुद्रा विनिमय रिज़र्व Foreign Currency Translation Reserve	(13,55,15)	(54,32,29)
अन्य-विदेशी मुद्रा बांडों का पुनर्मूल्यन Others-Revaluation of foreign currency bonds	(18,53,66)	(363,88,83)
विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण निवल नकदी प्रवाह **Net Cashflows on A/C of Exchange Fluctuation**	**(32,08,81)**	**(418,21,12)**

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010
V. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य **CASH AND CASH EQUIVALENTS - OPENING**		
हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित है) Cash in hand (including FC notes & gold)	8657,22,06	5462,49,27
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशियाँ Balances with Reserve Bank of India	73538,36,00	68698,57,39
बैंकों में जमा राशियाँ तथा मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियाँ Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	29658,29,06	51100,62,90
योग TOTAL	**111853,87,12**	**125261,69,56**
VI. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य **CASH AND CASH EQUIVALENTS - CLOSING**		
हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित है) Cash in hand (including FC notes & gold)	9148,70,38	8657,22,06
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशियाँ Balances with Reserve Bank of India	110201,13,02	73538,36,00
बैंकों में जमा राशियाँ तथा मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियाँ Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	35977,62,08	29658,29,06
योग TOTAL	**155327,45,48**	**111853,87,12**

(दिवाकर गुप्ता)
(Diwakar Gupta)
प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी
Managing Director & Chief Financial Officer

(ए. कृष्ण कुमार)
(A. Krishna Kumar)
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)
Managing Director & Group Executive (NB)

(हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर)
(H. G. Contractor)
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (आंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)
Managing Director & Group Executive (IB)

(आर. श्रीधरन)
(R. Sridharan)
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियां)
Managing Director & Group Executive (A&S)

(प्रतीप चौधरी)
(Pratip Chaudhuri)
अध्यक्ष
Chairman

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
In terms of our Report of even date

कृते **मेसर्स कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री**
For **Kalyaniwalla & Mistry**
सनदी लेखाकर
Chartered Accountants

(विराफ आर. मेहता)
(Viraf R. Mehta)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक / M.No. 32083
फर्म पंजीकरण सं. / Firm Registration No. 104607 W
कोलकाता, 17 मई, 2011
Kolkata, 17th May 2011

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक बोर्ड को

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक), इसकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों (इस समूह) की 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण का परीक्षण किया है इनमें :

   i. हमारे सहित 14 (चौदह) संयुक्त लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित बैंक के खाते,

   ii. अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 28 (अट्ठाईस) अनुषंगियों, 25 (पच्चीस) सहयोगियों और 8 (आठ) संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षित खाते,

   iii. 2 (दो) अनुषंगियों, और 1 (एक) सहयोगी के अलेखापरीक्षित खाते।

   ये समेकित वित्तीय विवरण बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं और ये अलग अलग वित्तीय विवरणों और समूह की भिन्न इकाइयों से संबंधित अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं। हमारी जिम्मेदारी, अपने लेखा-परीक्षा कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है।

2. हमने अपना लेखा-परीक्षा-कार्य भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के आधार पर किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और उसे इस प्रकार निष्पादित करें, जिससे हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरण हर तरह से निर्धारित रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार तैयार किए गए हैं, इसमें विषय - वस्तु संबंधी कोई गलत विवरण नहीं दिए गए हैं। लेखा-परीक्षा में राशि के समर्थन और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण संबंधी साक्ष्यों की नमूना-परीक्षण आधार पर जाँच सम्मिलित है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता हैं। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा-परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए एक समुचित आधार प्रदान करता हैं।

3. हमने 13 अन्य संयुक्त लेखा परीक्षकों के साथ बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिनके वित्तीय विवरणों में

AUDITOR'S REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

TO THE BOARD OF DIRECTORS,
STATE BANK OF INDIA

1. We have examined the attached Consolidated Balance sheet of State Bank of India (the Bank), its subsidiaries, associates and joint ventures (the Group) as at March 31, 2011, and the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended in which are incorporated the :

   i. Audited accounts of the Bank audited by 14 (fourteen) Joint Auditors including us,

   ii. Audited accounts of 28 (twenty eight) subsidiaries, 25 (twenty five) Associates and 8 (Eight) joint ventures audited by other auditors,

   iii. Unaudited accounts of 2 (two) subsidiaries and 1 (one) associate.

   These Consolidated financial statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information of the different entities in the Group. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared, in all material aspects in accordance with identified reporting framework and free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. We have jointly audited the financial statement of the Bank along with 13 other joint auditors, whose financial statements reflect total assets of

31 मार्च 2011 को ₹ 1,223,736 करोड़ की कुल आस्तियाँ और ₹ 97,219 करोड़ की कुल आय और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 36,685 करोड़ की राशि के निवल नकदी प्रवाह दिखाए गए हैं।

4. हमने इनकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनमें 31 मार्च 2011 को ₹ 4,37,099 करोड़ की कुल आस्तियाँ और ₹ 52,145 करोड़ की कुल आय और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 3,614 करोड़ के निवल नकदी प्रवाह दिखाए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई हैं और जहां तक अन्य इकाइयों के संबंध में शामिल राशियों का सवाल है, उनके बारे में हमारा अभिमत पूर्ण रूप से अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है।

5. हमने 2 (दो) अनुषंगियों, और 1 (एक) सहयोगी के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च 2011 को ₹ 3,378 करोड़ की कुल आस्तियाँ, ₹ 153 करोड़ की कुल आय और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के ₹ (123) करोड़ के निवल नकदी प्रवाह प्रदर्शित किए गए हैं, को भी अपनी लेखा परीक्षा में शामिल किया है।

6. हम रिपोर्ट करते हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों को, बैंक प्रबंधन द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-21- "समेकित वित्तीय विवरण", लेखा मानक-23 "समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश का लेखा" और लेखा मानक-27- ''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्ट'' के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है।

7. अपनी राय को परिवर्तित किए बिना, हम आपका ध्यान समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 - लेखा-टिप्पणियों के टिप्पण 3.1.5 की ओर आकर्षित करते हैं, जो निम्नानुसार हैं;

   क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने पत्र क्रमांक बीडीओडी/बीपी/क्रमांक/16165/21.04.018/2010-11 दिनांक 18 अप्रैल 2011 में दी गई अनुमति के अनुसार वेतन संशोधन के कारण पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में अतिरिक्त पेंशन लागत के कारण ₹ 7,927.41 करोड़ की राशि को आरक्षित खाते से शामिल करना।

   ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 के अनुसार बैंक की ग्रेच्युटी और पेंशन देयता के रूप में ₹ 400 करोड़ की राशि आस्थगित करना।

₹ 1,223,736 crores as at March 31, 2011, and total revenue of ₹ 97,219 crores and net cash outflows amounting to ₹ 36,685 crores for the year then ended.

4. We did not audit the financial statements of its Subsidiaries, Associates and Joint Ventures whose financial statements reflects total assets of ₹ 437,099 crores as at March 31, 2011, and total revenue of ₹ 52,145 crores and net cash flows amounting to ₹ 3,614 crores for the year then ended. These financial statements have been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included in respect of other entities, is based solely on the report of the other auditors.

5. We have also relied on the unaudited financial statements of 2 (two) subsidiaries and 1 (one) associate, whose financial statements reflect total assets of ₹ 3,378 crores as at March 31, 2011, total revenue of ₹ 153 crores and net cash flows amounting to ₹ (123) crores for the year then ended.

6. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank's management in accordance with the requirement of the Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 – "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 27 – "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of Reserve Bank of India.

7. Without qualifying our opinion, we draw your attention to Note 3.1.5 of Schedule 18 Notes to Accounts to the consolidated financial statements regarding :

   a. charge of ₹ 7,927.41 crores to Reserves on account of the additional pension cost in respect of earlier years due to wage revision in accordance with the dispensation granted by Reserve Bank of India to the Bank vide their letter number DBOD/BP/No./16165/21.04.018/2010-11 dated April 18, 2011,

   b. deferment of gratuity liability of the Bank to the extent of ₹ 400 crores in accordance with RBI circular no. DBOD.BP.BC.80 /21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011,

ग. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लेखा मानक (एएस) 15, कर्मचारी हितलाभ के प्रावधान लागू करने से बैंक को दी गई छूट देशीय बैंकिंग अनुषंगियों की ग्रेच्युटी एवं पेंशन देयताओं के रूप में ₹ 1,885.24 करोड़ की राशि आस्थगित करना और

8. अपनी लेखा परीक्षा और भिन्न-भिन्न वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उसके घटकों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने पर तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारा विचार है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण - भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा-परीक्षा सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है:

क. 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए समूह की स्थिति के संबंध में समेकित तुलन पत्र;

ख. इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ और हानि खाते में समेकित लाभ के संबंध में;

ग. इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में।

c. deferment of the gratuity and pension liabilities of Domestic Banking Subsidiaries to the extent of ₹ 1,885.24 crores in accordance with RBI circular no. DBOD.BP.BC.80 /21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011, and the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Bank from applicability of provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits.

8. Based on our audit and on consideration of the reports of other auditors on separate financial statements, the unaudited financial statements and the other financial information of the components and to the best of our information and according to the explanations given to us, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India :

a. In the case of Consolidated Balance Sheet on the state of affairs of the Group as at March 31, 2011;

b. In the case of Consolidated Profit and loss account of the consolidated profit of the Group for the year ended on that date; and

c. In the case of the Consolidated Cash Flow Statement of the Cash Flows of the Group for the year ended on that date.

कृते और की ओर से
कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री
सनदी लेखाकर

विराफ आर. मेहता
भागीदार
सदस्यता सं. : 32083
फर्म पंजीकरण सं. 104607W

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 17 मई 2011

For and on behalf of
KALYANIWALLA & MISTRY
Chartered Accountants

Viraf R. Mehta
Partner
Membership No. : 32083
Firm Registration No. 104607W

Place : Kolkata
Dated : 17th May 2011

स्टेट बैंक समूह
State Bank Group

नई पूँजी पर्याप्तता संरचना
(बेसल - II)
New Capital Adequacy Framework
(Basel - II)

स्तंभ - III (बाजार अनुशासन)
प्रकटीकरण
Pillar - III (Market Discipline)
Disclosures

भारतीय स्टेट बैंक (समेकित), दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार

तालिका डी एफ-1

कार्यान्वयन क्षेत्र

1.गुणात्मक प्रकटीकरण :

1.1 **मूल कंपनी**: भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है, जिस पर यह बेसल-II संरचना लागू होती है.

1.2 **स्टेट बैंक समूह में शामिल कंपनियां**

समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों, जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश, लेखामानक/आइसीएआइ द्वारा जारी मार्गदर्शक टिप्पणियाँ शामिल हैं, के अनुरूप हैं। स्टेट बैंक समूह में निम्नलिखित अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी हैं।

1.2.1 **पूर्णत: समेकित कंपनियां:** निम्नलिखित अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों (जो अनुषंगियाँ भी हैं) को लेखामानक एएस 21 के अनुसार अक्षरश: समेकित किया गया है।

क्रमांक	अनुषंगी का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	75.07
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	100.00
3	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर (25 अगस्त, 2010 तक)	98.05
4	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	92.33
5	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	100.00
6	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	75.01
7	एस बी आई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड	100.00
8	एस बी आई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	100.00
9	एस बी आई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	100.00
10	एस बी आई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	100.00
11	एस बी आई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड	100.00
12	एस बी आई डी एफ एच आई लिमिटेड	71.56
13	एस बी आई म्यूचुअल फण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	100.00
14	एस बी आई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	86.82
15	एस बी आई पेंशन फंड प्रा. लि.	98.15
16	एस बी आई - एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लि. (पूर्ववर्ती नाम एस बी आई कस्टोडियल सर्विसेस प्रा. लि.)	65.00
17	एस बी आइ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	74.00
18	एस बी आइ पैमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	100.00
19	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	100.00
20	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	100.00
21	एस बी आइ (मारीशस) लिमिटेड	93.40
22	पी टी बैंक एस बी आई इंडोनेशिया	76.00
23	एस बी आई कैप (यू के) लि.	100.00
24	एस बी आई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	60.00
25	एस बी आई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	63.00
26	एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	74.00
27	कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी. मास्को	60.00
28	नेपाल एस बी आई बैंक लि.	55.05
29	एस बी आई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.	63.00
30	एस बी आई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	100.00

1.2.2 आनुपातिक समेकित कंपनियाँ : जो कंपनियाँ संयुक्त उद्यम हैं, उनका समेकन लेखा मानक-एएस 27 के अनुसार आनुपातिक आधार पर किया गया है।

क्रमांक	संयुक्त उद्यम का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1	सी ऐज टेक्नोलॉजीस लि.	49.00
2	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	40.00
3	एस बी आई मैक्वैरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	45.00
4	एस बी आई मैक्वैरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	45.00
5	मैक्वैरी एस बी आई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई. लि.	45.00
6	मैक्वैरी एस बी आई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	45.00
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	50.00
8	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी लि.	50.00

STATE BANK OF INDIA (CONSOLIDATED) AS ON 31.03.2011

TABLE DF-1

SCOPE OF APPLICATION

1 Qualitative Disclosures

1.1 **Parent:** State Bank of India is the parent company to which the Basel II Framework applies.

1.2 **Entities constituting State Bank Group**

The consolidated financial statements of the group conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise the statutory provisions, Regulatory/Reserve bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/guidance notes issued by the ICAI. The following subsidiaries/Joint Ventures and Associates constitute the State Bank Group

1.2.1 **Fully Consolidated Entities:** The following Subsidiaries and Joint Ventures (which are also subsidiaries) are fully consolidated on a line by line basis as per Accounting Standard AS 21.

S.No	Name of the Subsidiary	Group's Stake (%)
1)	State Bank of Bikaner & Jaipur	75.07
2)	State Bank of Hyderabad	100.00
3)	State Bank of Indore (upto 25th August, 2010)	98.05
4)	State Bank of Mysore	92.33
5)	State Bank of Patiala	100.00
6)	State Bank of Travancore	75.01
7)	SBI Commercial & International Bank Ltd	100.00
8)	SBI Capital Markets Ltd	100.00
9)	SBICAP Securities Ltd	100.00
10)	SBICAP Trustee Company Ltd	100.00
11)	SBICAPS Ventures Ltd	100.00
12)	SBI DFHI Ltd	71.56
13)	SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt Ltd	100.00
14)	SBI Global Factors Ltd	86.82
15)	SBI Pension Funds Pvt Ltd	98.15
16)	SBI – SG Global Securities Services Pvt. Ltd. (Formerly known as SBI Custodial Services Pvt Ltd)	65.00
17)	SBI General Insurance Company Ltd.	74.00
18)	SBI Payment Services Pvt. Ltd.	100.00
19)	State Bank of India (Canada)	100.00
20)	State Bank of India (California)	100.00
21)	SBI (Mauritius) Ltd	93.40
22)	PT Bank SBI Indonesia	76.00
23)	SBICAP (UK) Ltd	100.00
24)	SBI Cards and Payment Services Pvt. Ltd.	60.00
25)	SBI Funds Management Pvt. Ltd.	63.00
26)	SBI Life Insurance Company Ltd.	74.00
27)	Commercial Bank of India LLC, Moscow	60.00
28)	Nepal SBI Bank Ltd	55.05
29)	SBI Funds Management (International) Pvt. Ltd.	63.00
30)	SBICAP (Singapore) Ltd.	100.00

1.2.2 Pro Rata Consolidated Entities: The entities which are joint Ventures are consolidated pro rata as per Accounting Standard – AS27.

S.No	Name of the Joint Venture	Group's Stake(%)
1)	C Edge Technologies Ltd	49.00
2)	GE Capital Business Process Management Services Pvt Ltd	40.00
3)	SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.	45.00
4)	SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.	45.00
5)	Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.	45.00
6)	Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.	45.00
7)	Oman India Joint Investment Fund-Trustee Company P Ltd	50.00
8)	Oman India Joint Investment Fund-Management Company P Ltd	50.00

1.2.3 स्टेट बैंक की सभी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी बैंकों का समेकन किया गया है। इसलिए ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसे समेकन में शामिल न किया गया हो। उपर्युक्त अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों के अलावा, निम्नलिखित सहयोगियों का समेकन लेखा मानक 23 के अनुसार ईक्विटी लेखाकरण आधार पर किया गया है।

क्रमांक	सहयोगी का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1	आंध्र प्रदेश ग्रामीणा विकास बैंक	35.00
2	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	35.00
3	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	35.00
4	इलाकाई देहाती बैंक	35.00
5	मेघालय ग्रामीण बैंक	35.00
6	कृष्णा ग्रामीणा बैंक	35.00
7	लंग्पी देहांगी रूरल बैंक	35.00
8	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	35.00
9	मिजोरम रूरल बैंक	35.00
10	नागालैंड रूरल बैंक	35.00
11	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	35.00
12	पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35.00
13	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35.00
14	उत्कल ग्राम्य बैंक	35.00
15	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	35.00
16	वनांचल ग्रामीण बैंक	35.00
17	मारवाड़ गंगानगर बीकानेर ग्रामीण बैंक	26.27
18	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35.00
19	डेक्कन ग्रामीणा बैंक	35.00
20	कावेरी कल्पतरू ग्रामीणा बैंक	32.32
21	मालवा ग्रामीण बैंक	35.00
22	सौराष्ट्र ग्रामीणा बैंक	35.00
23	दि क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	29.22
24	बैंक ऑफ भूटान लि.	20.00
25	एस. एस. वेंचर्स सर्विसेस लिमिटेड	50.00
26	एसबीआइ होम फाइनेंस लिमिटेड	25.05

1.3 **लेखाकरण एवं विनियामक प्रयोजनों के लिए समेकन के आधार में अंतर**

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित बैंक, समूह की उन कंपनियों को समेकन से बाहर रख सकता है जो बीमा व्यवसाय एवं ऐसे व्यवसाय से जुड़ी हैं जो वित्तीय सेवाओं से संबंधित नहीं है। इसलिए समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्टिंग प्रयोजनों से निम्नलिखित संस्थाओं में समूह के निवेशों को लागत आधार पर लिया गया है और उसमें से क्षरण को घटाया गया है, यदि कोई थे।

क्रमांक	संयुक्त उद्यम का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1	सी एज टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड	49.00
2	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	40.00
3	एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	74.00
4	एस बी आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	74.00

2. मात्रात्मक प्रकटीकरण :

2.1 सभी अनुषंगियों की पूँजी अभाव की कुल राशि को समेकन में शामिल नहीं किया गया है अर्थात् इन्हें हटा दिया गया है एवं ऐसी अनुषंगियों का नाम (के नाम) : **कोई नहीं**

2.2 बीमा कंपनियों में बैंक के कुल हिस्से की कुल राशियाँ (अर्थात् वर्तमान बही-मूल्य) जो जोखिम भारित हैं, उनके नाम, उनके निगमन या निवास का देश, स्वामित्व हिस्से का अनुपात, और यदि भिन्न हो तो इन संस्थाओं में मताधिकार का अनुपात और इसके अतिरिक्त इस पद्धति की तुलना में कटौती पद्धति का उपयोग करने पर विनियामक पूँजी पर परिमाणात्मक प्रभाव को सूचित करता है:

1) नाम : **एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई**
निगमन देश : **भारत**
स्वामित्व हिस्सा : **₹ 740.00 करोड़ (74%)**

2) नाम : **एस बी आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई**
निगमन देश : **भारत**
स्वामित्व हिस्सा : **₹ 111.00 करोड़ (74%)**

विनियामक पूँजी पर परिमाणात्मक प्रभाव :
समेकन पद्धति के अधीन : **लागू नहीं**

कटौती पद्धति के अधीन : पूँजी पर्याप्तता की गणना के प्रयोजन से बीमा अनुषंगी में किए गए कुल निवेश को बैंक की पूँजी निधियों में से घटाया गया है।

1.2.3 All the subsidiaries, joint ventures and associates of State Bank are consolidated. Hence there is no entity which is excluded from consolidation. In addition to the above mentioned Subsidiaries and Joint Ventures, the following associates are consolidated as per Equity Accounting in terms of AS 23.

S.No	Name of the Associate	Group's Stake (%)
1)	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	35.00
2)	Arunachal Pradesh Rural Bank	35.00
3)	Chhatisgarh Gramin Bank	35.00
4)	Ellaquai Dehati Bank	35.00
5)	Meghalaya Rural Bank	35.00
6)	Krishna Grameena Bank	35.00
7)	Langpi Dehangi Rural Bank	35.00
8)	Madhya Bharat Gramin Bank	35.00
9)	Mizoram Rural Bank	35.00
10)	Nagaland Rural Bank	35.00
11)	Parvatiya Gramin Bank	35.00
12)	Purvanchal Kshetriya Gramin Bank	35.00
13)	Samastipur Kshetriya Gramin Bank	35.00
14)	Utkal Gramya Bank	35.00
15)	Uttaranchal Gramin Bank	35.00
16)	Vananchal Gramin Bank	35.00
17)	Marwar Ganganagar Bikaner Gramin Bank	26.27
18)	Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank	35.00
19)	Deccan Grameena Bank	35.00
20)	Cauvery Kalpatharu Grameena Bank	32.32
21)	Malwa Gramin Bank	35.00
22)	Saurashtra Grameena Bank	35.00
23)	The Clearing Corporation of India Ltd.	29.22
24)	Bank of Bhutan Ltd.	20.00
25)	S.S. Ventures Services Ltd.	50.00
26)	SBI Home Finance Ltd.	25.05

1.3 Differences in basis of consolidation for accounting and regulatory purposes

In terms of Regulatory guidelines, the consolidated bank may exclude from consolidation, group companies which are engaged in insurance business and business not pertaining to financial services. Hence the groups' investments in the under mentioned entities are taken at cost less impairment, if any, for Consolidated Prudential Reporting purposes.

S.No	Name of the Joint Venture	Group's Stake (%)
1)	C Edge Technologies Ltd.	49.00
2)	GE Capital Business Process Management Services Pvt Ltd.	40.00
3)	SBI Life Insurance Company Ltd.	74.00
4)	SBI General Insurance Company Ltd.	74.00

2. Quantitative Disclosures:

2.1 The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the names(s) of such subsidiaries: **Nil**

2.2 The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities in addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction:

1) Name : **SBI Life Insurance Co. Ltd. Mumbai**
Country of Incorporation : **India**
Ownership interest : **₹ 740 crores (74%)**

2) Name : **SBI General Insurance Co. Ltd. Mumbai**
Country of Incorporation : **India**
Ownership interest : **₹ 111 crores (74%)**

Quantitative Impact on the regulatory capital:

Under consolidation method : NA

Under deduction method: Entire investment made in the Insurance subsidiary is reduced from Capital Funds of the Bank, for the purpose of Capital Adequacy calculation.

तालिका डीएफ - 2
पूँजी संरचना : प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकण

(क) सारांश

पूँजी का प्रकार	विशेषताएँ
ईक्विटी (श्रेणी-I)	देशी बैंकिंग अनुषंगियों ने ईक्विटी लिखतों के जरिये ईक्विटी जुटाई है। प्रमुख शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक है, जबकि उनमें से कुछ जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एवं स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर के पास पब्लिक शेयरधारिता भी है। वित्त वर्ष 2010-11 की दूसरी तिमाही के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का अधिग्रहण किया गया। यह अधिग्रहण 26 अगस्त 2010 से प्रभावी हुआ। वर्ष के दौरान स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने राइट इश्यू के द्वारा ₹ 10.80 करोड़ की राशि जुटाई। देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियों ने ईक्विटी लिखतों के माध्यम से ईक्विटी जुटाई है। प्रमुख शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक है तथा अन्य शेयरधारक इस प्रकार हैं- एसजीएएम (एसबीआइ फंड्स - 37%), जीई कैपिटल (एसबीआइ कार्डस-40%), सिडबी (एसबीआइ जीएफएल 5.89%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (एसबीआइ जीएफएल 4.39%), यूबीआई (एसबीआइ जीएफएल 2.95%)। वर्ष 2010-11 के दौरान एस बी आई कार्ड्स में दोनों हित धारकों द्वारा धारित ईक्विटी के अनुपात में ₹ 95 करोड़ का ईक्विटी पूंजी के रूप में निवेश किया गया। एसबीआई डीएफएचआई की शेयर धारिता पैटर्न में परिवर्तन हुआ। ₹ 13.64 करोड़ मूल्य के शेयर एशियाई विकास बैंक से भारतीय स्टेट बैंक को अंतरित हुए। डीएफएचआई द्वारा 25% पुन: खरीद की गई जिसके फलस्वरूप कुल सदत्त शेयरपूंजी ₹ 290.91 करोड़ से घटकर ₹ 218.18 करोड़ रह गई। एसबीआई जीएफएल मार्च 2011 में ₹ 15.625 करोड़ का राइट इश्यू लाया। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई कैलिफोर्निया में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया।
नवोन्मेषी लिखत (श्रेणी-I)	भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2010-11 में नवोन्मेषी परपेचुअल ऋण लिखतों (आईपीडीआई) के जरिये कोई पूंजी नहीं जुटाई। कुछ बैंकिंग अनुषंगियों ने भी आईपीडीआई के जरिये पूंजी जुटाई। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ने ₹ 200 करोड़ की राशि के परपेचुअल बॉन्ड जुटाए। विदेशी अनुषंगी बैंकों ने आज की तारीख में नवोन्मेषी परपेचुअल ऋण लिखतों के जरिये श्रेणी-I की पूँजी नहीं जुटाई।
श्रेणी-II	भारतीय स्टेट बैंक तथा उसकी अनुषंगियों ने उच्चतर तथा न्यूनतर श्रेणी-II की पूँजी जुटाई। बाण्डों के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए गौण ऋण दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय और सममूल्य पर मोचन योग्य हैं। इस ऋण को बैंक की वर्तमान एवं भावी वरिष्ठ ऋणग्रस्तता समझा गया है और यह श्रेणी-II पूंजी के लिए पात्र है। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान खुदरा सहभागिता के द्वारा ₹ 6,497 करोड़ की न्यूनतर श्रेणी II पूंजी जुटाई। पहला इश्यू वित्त वर्ष 2011 की तीसरी तिमाही में ₹ 1,000 करोड़ तथा दूसरा इश्यू वित्त वर्ष 2011 की चौथी तिमाही में ₹ 5,497 करोड़ का था। देशीय अनुषंगियों के मामले में उच्चतर श्रेणी-2 तथा न्यूनतर श्रेणी-2 बांड (एसबीआईसीआई बैंक लिमिटेड को छोड़कर) के जरिये श्रेणी-II की पूंजी जुटाई गई। ये अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांड हैं। ये बिल्कुल सादे बांड है, कोई पुट ऑप्शन अथवा कॉल आप्शन नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना बांड का मोचन नहीं किया जा सकता। कुछ गैर-बैंकिंग अनुषंगियों जैसे एसबीआई कार्ड्स और एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. द्वारा गौण ऋण जुटाए गए। एसबीआई कार्ड्स के पास ₹ 124.80 करोड़ के दीर्घकालिक, अप्रतिभूत, अपरिवर्तनीय डिबेंचर हैं। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान एसबीआई जीएफएल में अप्रतिभूत, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय बांड में ₹ 50 करोड़ का निवेश किया गया। विदेश स्थित अनुषंगियों की श्रेणी - II पूंजी में सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त गौण सावधि ऋण शामिल है। नेपाल एसबीआई बैंक लि. के गौण सावधि ऋण में 16.7.2006 को जारी तथा 15.7.2013 को परिपक्व हो रहे डिबेंचर शामिल हैं। डिबेंचर धारकों के दावे का अधिकार जमाकर्ताओं की अपेक्षा गौण है। एसबीआई कनाडा ने 31 दिसंबर 2010 को 20 मिलियन (कैनेडियन डॉलर) सीएनडी डिबेंचरों के रूप में श्रेणी-II पूंजी जुटाई। ये डिबेंचर 31 दिसंबर 2025 को परिपक्व होंगे।

गुणात्मक प्रकटीकरण :

भारतीय स्टेट बैंक ने देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संमिश्र श्रेणी-I पूँजी तथा उच्चतर एवं न्यूनतर श्रेणी-II गौण ऋण लिया है। नवोन्मेषी, वैविध्यपूर्ण अथवा संमिश्र पूँजी लिखतों के मामले में सभी पूँजीगत लिखतों की प्रमुख विशेषताओं की शर्तों का सार निम्नानुसार है :

पूँजी का प्रकार	प्रमुख विशेषताएँ				
ईक्विटी	₹ 635 करोड़				
नवोन्मेषी बेमीयादी कर्ज लिखत	जारी करने की तारीख	राशि	अवधि (मास)	कूपन (%वार्षिक वार्षिक आधार पर देय)	रेटिंग
	15.02.07	400 मिलियन अमरीकी डॉलर ₹ 1783.94 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष 3 मास अर्थात 15.05.2017 के बाद क्रय का विकल्प (कॉल ऑप्शन) और 100 आधार अंकों की वृद्धि का विकल्प (स्टेप अप ऑप्शन)	6.439%	बीए 2-मूडी बी बी-एस एंड पी
	26.06.07	225 मिलियन अमरीकी डॉलर ₹ 1003.47 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष अर्थात 27.06.2017 के बाद क्रय का विकल्प और 100 आधार अंकों की वृद्धि	7.140%	बीए 2-मूडी बी बी - एस एंड पी
	14.08.09	₹ 1000 करोड़*	बेमीयादी 10 वर्ष अर्थात 14.08.2019 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार अंकों की वृद्धि, यदि क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता	9.10% वार्षिक पहले 10 वर्षों के लिए	एएए - क्रिसिल एएए - केयर
	27.01.10	₹ 1000 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष अर्थात 27.01.2020 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार अंकों की वृद्धि, यदि क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता	9.05%वार्षिक पहले 10 वर्षों के लिए	एएए - क्रिसिल एएए - केयर
	28.09.07	₹ 165 करोड़**	बेमीयादी 10 वर्ष अर्थात 28.09.2017 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार अंकों की वृद्धि, यदि क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता	10.25% वार्षिक पहले 10 वर्षों के लिए	एएए - क्रिसिल एएए - केयर

*अगस्त 2009 में जुटाई गई ₹ 1000 करोड़ की राशि में से ₹ 450 करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार बैंक द्वारा टियर-I पूंजी के रूप में शामिल किए गए हैं

**स्टेट बैंक आफ इंदौर के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के कारण प्राप्त हुई।

भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, भारतीय स्टेट बैंक के निम्नलिखित सहयोगी बैंकों ने ₹ 1745 करोड़ की कुल राशि के नए बेमीयादी कर्ज लिखत जुटाए। इनमें एसबीबीजे का हिस्सा ₹ 200 करोड़, एसबीएच का ₹ 685 करोड़, एस बी एम का ₹ 260 करोड़, एसबीपी का ₹ 300 करोड़ और एसबीटी का ₹ 300 करोड़ था। उपर्युक्त में से एसबीएच ने वित्त वर्ष 2010-11 में बेमीयादी बांडों के द्वारा ₹ 200 करोड़ जुटाए। 20 जनवारी 2011 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा जारी किए जानेवाले नए टियर -I और टियर - II पूंजीगत लिखतों में वृद्धि के विकल्प (स्टेप अफ ऑप्शन) का प्रयोग समाप्त कर दिया है। पर क्रय विकल्प का प्रयोग किया जा सकेगा जिसके लिए लिखत कम से कम 10 वर्ष तक चली होनी चाहिए।

उच्च श्रेणी II गौण ऋण	**लिखत का प्रकार :** अप्रतिभूत, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय, वचन-पत्र जैसे उच्च श्रेणी II गौण बांड। **विशेषताएँ :** i) निवेशकों द्वारा कोई विक्रय विकल्प नहीं। ii) 10 वर्ष बाद बैंक द्वारा क्रय विकल्प। iii) **स्टेप-अप ऑप्शन :** 20 जनवरी 2011 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले नए टियर - I और नए टियर - II पूंजीगत लिखतों में स्टेप-अप ऑप्शन का प्रयोग समाप्त कर दिया है। iv) **लॉक-इन-क्लॉज:** यदि सीएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक सीएआर के नीचे है तो बैंक का मूल राशि पर या तो अवधि ब्याज या अवधि समाप्ति पर मूल राशि के भुगतान का दायित्व नहीं होगा। तथापि, जहाँ तक बैंक न्यूनतम विनियामक सीएआर बनाए रखता है, निश्चित समय पर बैंक आवधिक ब्याज नहीं लगाएगा।

TABLE DF-2
CAPITAL STRUCTURE: DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

(a) Summary

Type of Capital	Features
Equity (Tier–I)	Domestic Banking Subsidiaries have raised equity through Equity Instruments. The majority shareholder is SBI while some of them like SBBJ, SBM and SBT have public shareholding as well. During the 2nd quarter of FY: 2010-11, State Bank of Indore has been acquired by State Bank of India. The acquisition is with effect from 26th August, 2010. During the year, ₹ 10.80 crores was raised through a Rights Issue by SBM. Domestic Non-Banking Subsidiaries have raised equity through Equity Instruments. The majority shareholder is SBI and some others are SGAM (SBI FUNDS-37%), GE Capital (SBI CARDS-40%), SIDBI (SBI GFL- 5.89%), Bank of Maharashtra (SBI GFL-4.39%), UBI (SBI GFL-2.95%). During 2010-11, ₹ 95 crores were infused as Equity Capital in SBI Cards in proportion of equity holding by both the stake holders. There is a change in the share holding pattern of SBI DFHI. Shares worth ₹ 13.64 crores have been transferred from Asian Development Bank to SBI. There was a 25% buy back by DFHI resulting in reduction of total paid up Share Capital from ₹ 290.91 crores to ₹ 218.18 crores SBI GFL made a rights issue of ₹ 15.625 crores in March 2011. During the FY:2010-11, USD 25 Million has been infused by SBI in SBI California.
Innovative Instruments (Tier-I)	SBI has not raised Capital by way of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDIs) in FY:2010-11. Some of the Banking Subsidiaries have also raised capital through IPDIs. During FY: 2010-11, SBH raised Perpetual Bonds amounting to ₹ 200 crores Foreign Subsidiary Banks have not raised Tier I capital by way of IPDIs as of date.
Tier-II	SBI and its Subsidiaries have raised Upper as well as Lower Tier II Capital. The subordinated debts raised through private placement of Bonds are unsecured, long term, non-convertible and are redeemable at par. The debt is subordinated to present and future senior indebtedness of the Bank and qualifies for Tier II capital. SBI has raised Lower Tier II Capital during FY: 2010-11 aggregating ₹ 6497 crores through Retail Participation. The first issue was in Q3 FY:11 for Rs1000 crores and the second issue was in Q4 FY:11 for Rs 5497 crores In case of Domestic Subsidiaries, Tier-II capital has been raised by way of Upper Tier-2 as well as Lower Tier-2 bonds (except SBICI Bank Ltd). The instruments are generally unsecured, redeemable, non- convertible bonds. They are plain vanilla bonds with no embedded put option, or call option without RBI's prior approval. Some of the Non-Banking Subsidiaries like SBI CARDS and SBI Global Factors Ltd. have raised subordinated debt. SBI CARDS has Long Term Unsecured NCD of ₹ 124.80 crores. During FY: 2010-11, ₹ 50 crores were infused as Unsecured Redeemable Non-Convertible Bonds in SBI GFL. Tier II capital of Foreign Subsidiaries comprises of subordinated term debt apart from General provisions. Subordinated Term Debt of Nepal SBI Ltd. consists of Debentures issued on 16.07.2006 and maturing on 15.07.2013. Right of claim of Debenture holders is subordinated to the depositors. SBI Canada raised Tier II Capital as Debentures to the tune of (Canadian Dollar) CND 20 million on 31st December 2010, maturing on 31st December 2025.

Qualitative Disclosures:

State Bank of India has raised Hybrid Tier I Capital and Upper and Lower Tier II Subordinated Debt in the Domestic and International Market. Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of innovative, complex or hybrid capital instruments are as under:

Type of capital	Main features				
Equity	**₹ 635 crores**				
Innovative Perpetual Debt Instruments	**Date of Issue**	**Amount**	**Tenure (months)**	**Coupon (% p.a. payable annually)**	**Rating**
	15.02.07	USD 400 mio ₹ 1783.94 crores	Perpetual with a Call Option after 10 yrs 3 months i.e. on 15.05.17 and step up of 100 bps	6.439%	Ba2 Moody's BB - S & P
	26.06.07	USD 225 mio ₹ 1003.47crs	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 27.06.17 and step-up of 100 bps	7.140%	Ba2 Moody's BB - S & P
	14.08.09	₹ 1000 crores*	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 14.08.19 and step-up of 50 bps, if Call Option is not exercised	9.10% p.a. for the first 10 years	AAA–CRISIL AAA-CARE
	27.01.10	₹ 1000 crores	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 27.01.20 and step-up of 50 bps, if Call Option is not exercised	9.05% p.a. for the first 10 years	AAA–CRISIL AAA-CARE
	28.09.07	₹ 165 crores**	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 28.09.17 and step-up of 50 bps, if Call Option is not exercised	10.25% p.a. for the first 10 years	AAA–CRISIL AAA-CARE
*Out of ₹ 1,000 crores raised in August 2009, only ₹ 450 crores has been reckoned as Tier I Capital by the Bank (as per RBI instructions). **Acquired from State Bank of Indore consequent to its merger with State Bank of India. Apart from SBI, the following Associate Banks of SBI have raised Innovative Perpetual Debt Instruments aggregating ₹ 1,745 crores: SBBJ ₹ 200 crores; SBH ₹ 685 crores; SBM ₹ 260 crores, SBP ₹ 300 crores and SBT ₹ 300 crores. Out of the above, SBH raised ₹ 200 crores by way of perpetual Bonds in FY 2010-11. With effect from 20th January 2011, the RBI has discontinued the Step up Option in case of issue of new Tier I and Tier II Capital Instruments by the Banks. However Call Option may continue to be exercised after the instrument has run for atleast 10 years.					
Upper Tier II Subordinated Debt	**Type of Instrument**: Unsecured, Redeemable Non-convertible, Upper Tier II Subordinated Bonds in the nature of Promissory Notes. **Special features**: i) No Put Option by the Investors. ii) Call Option by the Bank after 10 years. **iii) Step-up Option**: With effect from 20th January 2011, RBI has discontinued the Step up Option in case of issue of new Tier I and Tier II Capital Instruments by the Banks **iv) Lock-in-Clause**: Bank shall not be liable to pay either periodic interest on principal or even principal at maturity, if CAR of the Bank is below the minimum regulatory CAR prescribed by RBI. However, this will not preclude the Bank from making periodical interest, as long as the Bank maintains the minimum Regulatory CAR, at the material time.				

	जारी करने की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि (मास)	कूपन (% वार्षिक रूप से देय)	रेटिंग
	05.06.06	2,328	180	8.80%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
	06.07.06	500	180	9.00%	एएए-क्रिसिल
	12.09.06	600	180	8.96%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
	13.09.06	615	180	8.97%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
	15.09.06	1,500	180	8.98%	एएए-क्रिसिल
	04.10.06	400	180	8.85%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
	16.10.06	1,000	180	8.88%	एएए-क्रिसिल
	17.02.07	1,000	180	9.37%	एएए-क्रिसिल
	07.06.07	2,523	180	10.20%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
	12.09.07	3,500	180	10.10%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
	19.12.08	2,500	180	8.90%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
	02.03.09	2,000	180	9.15%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
	06.03.09	1,000	180	9.15%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
	29.12.06	100*	180	8.95%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
	22.03.07	200*	180	10.25%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
	24.03.09	250*	180	9.17%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर

* स्टेट बैंक आफ इंदौर के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के कारण प्राप्त हुई। भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, भारतीय स्टेट बैंक के निम्नलिखित सहयोगी बैंकों ने ₹ 4,791.60 करोड़ की कुल राशि के उच्च टियर-II बांड जुटाए जिनकी गणना टियर-II पूंजीगत निधियों के रूप में की गई है (इस राशि में एसबीबीजे का हिस्सा ₹ 450 करोड़, एसबीएच का ₹ 1,750 करोड़ एसबीएम का ₹ 640 करोड़ एसबीपी का ₹ 1,451.60 करोड़ और एसबीटी का ₹ 500 करोड़ था।)

न्यूनतर श्रेणी II गौण ऋण

लिखत का प्रकार : अप्रतिभूत, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय, वचन पत्र जैसे न्यूनतर श्रेणी II के गौण बांड।

विशेषताएँ :

I) निवेशकों द्वारा कोई विक्रय विकल्प नही।

II) 20 जनवरी 2011 से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा टियर -I और टियर II के जारी किए गए नए पूंजीगत लिखतों के मामले में स्टेप अप ऑप्शन को समाप्त कर दिया है।

II) यदि लिखत कम से कम 5 वर्ष चली है तो क्रय विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है।

जारी करने की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि (माह)	कूपन (% प्रति वर्ष वार्षिक अवधि में देय)	रेटिंग
05.12.05	3283	113	7.45%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
09.03.06	200	111	8.15%	एलएएए-आइसीआरए, एएए-केयर
28.03.07	1500	111	9.85%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
31.03.07	225	111	9.80%	एलएएए-आइसीआरए, एएए-केयर
29.12.08	1500	114	8.40%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
06.03.09	1000	111	8.95%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
15.02.05	200*	111	7.20%	एएए-क्रिसिल
29.09.05	140*	120	7.45%	एएए-क्रिसिल, एलएएए-आइसीआरए
28.03.06	110*	120	8.70%	एएए-क्रिसिल, एलएएए-आइसीआरए
04.11.10	133.08**	120	9.25%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
04.11.10	866.92**	180	9.50%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	559.40**	120	9.75%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	171.68**	120	9.30%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	3937.59**	180	9.95%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	828.32**	180	9.45%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर

*स्टेट बैंक आफ इंदौर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय होने के कारण प्राप्त हुए।

** एस बी आई द्वारा खुदरा सहभागिता के माध्यम से वित्त वर्ष 2010-11 की तीसरी तिमाही के दौरान जुटाए गए। दिनांक 04.11.10 को जारी बांडों के लिए अवधि-समाप्ति के पिछले पांच वर्षों के दौरान 50 आधार अंकों के साथ स्टेप अप ऑप्शन उपलब्ध है। यह ऑप्शन तभी उपलब्ध होगा यदि बैंक द्वारा क्रमश: 5 तथा 10 वर्षों के बाद क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता । दिनांक 16.03.11 को जारी बांडों पर स्टेप अप ऑप्शन उपलब्ध नहीं है।

एसबीआई से संबंधित उपर्युक्त ₹ 14,655 करोड़ (स्टेट बैंक आफ इंदौर से संबंधित बांडों सहित) के न्यूनतर श्रेणी-II बांडों मे से ₹ 13,828.40 करोड़ की 31.03.2011 को एसबीआई द्वारा न्यूनतर श्रेणी-II पूंजी के रूप में गणना की गई है।

एसबीआई के अलावा, अनुषंगियों ने न्यूनतर श्रेणी-II बांडों के रूप में निम्नानुसार पूंजीगत निधियाँ जुटाई

1) देश में स्थित सहयोगी बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा ₹ 4,085 करोड़ (₹ 3,632 करोड़ की न्यूनतर श्रेणी-II की पूंजीगत निधियां शामिल) की कुल राशि के बांड जुटाए गए: एसबीबीजे ₹ 800 करोड़; एसबीएच ₹ 1,110 करोड़; एसबीएम ₹ 305 करोड़; एसबीपी ₹ 750 करोड़ और एसबीटी ₹ 667 करोड़।

2) देशी गैर बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा ₹ 304.80 करोड़ (₹ 196.32 करोड़ की न्यूनतर श्रेणी-II पूंजीगत निधियाँ शामिल हैं) की कुल राशि के बांड जुटाए गए।)

3) विदेश स्थित अनुषंगियों में नेपाल एसबीआई बैंक लि. द्वारा ₹ 7.14 करोड़ (₹ 5 करोड़ श्रेणी-II पूंजीगत निधियाँ शामिल हैं) की कुल राशि के बांड जुटाए।

मात्रात्मक प्रकटन (₹ करोड़ में)

ख)	श्रेणी-I पूंजी	84,939
	• चुकता शेयर पूंजी	635
	• आरक्षितियाँ (रिजर्व्स)	80,822
	• नवोन्मेषी लिखतें	6,127
	• अन्य पूंजीगत लिखत	0
	• श्रेणी-I पूंजी में से घटाई गई राशि गुडविल और निवेशों सहित	2,645
(ग)	श्रेणी-II पूंजी की कुल राशि (श्रेणी-II पूंजी में से कटौतियाँ घटाने के पश्चात)	44,862
(घ)	उच्च श्रेणी-II पूंजी में शामिल करने योग्य ऋण पूंजी लिखत:	
	• कुल बकाया राशि	24,808
	• वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाए गए	0
	• पूंजीगत निधियों के रुप में शामिल करने योग्य राशि	24,808
(ङ)	न्यूनतर श्रेणी-II में शामिल करने योग्य गौण ऋण	
	• कुल बकाया राशि	19,144
	• वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाए गए	6,639
	• पूंजीगत निधियों के रूप में शामिल करने योग्य	17,753
(च)	पूंजी में से अन्य कटौतियाँ यदि कोई हों	0
(छ)	कुल पात्र पूंजी	1,29,801

Date of Issue	Amount (₹ crores)	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
05.06.06	2,328	180	8.80%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
06.07.06	500	180	9.00%	AAA-CRISIL
12.09.06	600	180	8.96%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
13.09.06	615	180	8.97%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
15.09.06	1,500	180	8.98%	AAA-CRISIL
04.10.06	400	180	8.85%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
16.10.06	1,000	180	8.88%	AAA-CRISIL
17.02.07	1,000	180	9.37%	AAA-CRISIL
07.06.07	2,523	180	10.20%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
12.09.07	3,500	180	10.10%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
19.12.08	2,500	180	8.90%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
02.03.09	2,000	180	9.15%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
06.03.09	1,000	180	9.15%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
29.12.06	100*	180	8.95%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
22.03.07	200*	180	10.25%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
24.03.09	250*	180	9.17%	AAA-CRISIL, AAA-CARE

* Acquired from State Bank of Indore consequent to its merger with State Bank of India.

Apart from SBI, the following Associate Banks of SBI have raised Upper Tier II bonds aggregating to ₹ 4791.60 crores which is reckoned as Tier II Capital Funds: SBBJ ₹ 450 crores; SBH ₹ 1750 crores; SBM ₹ 640 crores; SBP ₹ 1451.60 crores and SBT ₹ 500 crores.

Lower Tier II Sub - Debt

Type of Instrument: Unsecured, Redeemable Non-convertible, Lower Tier II Subordinated Bonds in the nature of Promissory Notes.

Special features:

I) No Put Option by the investors.

II) With effect from 20th January 2011, RBI has discontinued the Step up Option in case of issue of new Tier I and Tier II Capital Instruments by the Banks. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.

III) Call option can be exercised after the instrument has run for atleast 5 years.

Date of Issue	Amount (₹ crores)	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
05.12.05	3283	113	7.45%	AAA-CRISIL, AAA CARE
09.03.06	200	111	8.15%	LAAA-ICRA, AAA CARE
28.03.07	1,500	111	9.85%	AAA-CRISIL, AAA CARE
31.03.07	225	111	9.80%	LAAA-ICRA, AAA CARE
29.12.08	1,500	114	8.40%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
06.03.09	1,000	111	8.95%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
15.02.05	2,00*	111	7.20%	AAA-CRISIL
29.09.05	140*	120	7.45%	AAA-CRISIL, LAAA-ICRA
28.03.06	110*	120	8.70%	AAA-CRISIL, LAAA-ICRA
04.11.10	133.08**	120	9.25%	AAA-CRISIL, AAA CARE
04.11.10	866.92**	180	9.50%	AAA-CRISIL, AAA CARE
16.03.11	559.40**	120	9.75%	AAA-CRISIL, AAA CARE
16.03.11	171.68**	120	9.30%	AAA-CRISIL, AAA CARE
16.03.11	3,937.59 **	180	9.95%	AAA-CRISIL, AAA CARE
16.03.11	828.32**	180	9.45%	AAA-CRISIL, AAA CARE

* Acquired from State Bank of Indore consequent to its merger with State Bank of India.

** Raised by SBI during Q3 FY: 2010-11 through Retail Participation. The bonds issued on 04.11.10 have a step up option of 50 basis points during the last five years of their maturity in case the Bank does not exercise the call option after 5 years and 10 years respectively. The bonds issued on 16.03.11 do not carry Step Up Option on them.

Out of the above ₹ 14,655 crores (including Bonds pertaining to State Bank of Indore) pertaining to SBI in the form of Lower Tier II Bonds, ₹ 13,828.40 crores have been reckoned as Lower Tier II capital by SBI as on 31.03.2011.

Apart from SBI, the following Subsidiaries have raised Capital Funds by way of Lower Tier II :

1) Domestic Associate Banking Subsidiaries have raised bonds aggregating to ₹ 4,085 crores (₹ 3,632 crores is reckoned as Lower Tier II Capital Funds): SBBJ ₹ 800 crores; SBH ₹ 1,110 crores; SBM ₹ 305 crores; SBP ₹ 750 crores and SBT ₹ 667 crores.
2) Domestic Non Banking Subsidiaries have raised bonds aggregating to ₹ 304.80 crores (₹ 196.32 crores is reckoned as Lower Tier II Capital Funds): SBI Global Factors Ltd. ₹ 105.44 crores and SBI Cards ₹ 90.88 crores.
3) Among the Foreign Subsidiaries, Nepal SBI Bank Ltd. has raised bonds aggregating ₹ 7.14 crores (₹ 5 crores are reckoned as Tier II capital funds).

Quantitative Disclosures (₹ in crores)

(b)	Tier-I Capital	84,939
	• Paid-up Share Capital	635
	• Reserves	80,822
	• Innovative Instruments	6,127
	• Other Capital Instruments	0
	• Amt deducted from Tier-I Cap including Goodwill and investments	2,645
(c)	The total amount of Tier-2 Capital (Net of deductions from Tier II Capital)	44,862
(d)	Debt Capital Instruments eligible for inclusion in Upper Tier-2 Capital	
	• Total amount outstanding	24,808
	• Of which raised during Current Year	0
	• Amount eligible to be reckoned as Capital funds	24,808
(e)	Subordinated Debt eligible for inclusion in Lower Tier-2 Capital:	
	• Total amount outstanding	19,144
	• Of which raised during Current Year	6,639
	• Amount eligible to be reckoned as Capital funds	17,753
(f)	Other Deductions from Capital, if any	0
(g)	Total Eligible Capital	1,29,801

तालिका डीएफ-3 :
पूंजी संरचना :

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन	• अग्रिम राशियों, अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश की पूर्वानुमानित वृद्धि तथा बेसल-II आदि के लागू होने से पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और 3 से 5 वर्ष की अवधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप में अथवा आवश्यकता के अनुसार अस्थिरता विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक समूह के लिए अलग अलग किया जाता है। • 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि के दौरान बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) विनियामक द्वारा निर्धारित 9% की पूंजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता पड़ने पर अपने पूंजीगत संसाधन बढ़ाने के लिए बैंक के पास पर्याप्त विकल्प हैं जैसे गौण ऋण नवोन्मेषी बेमायादी कर्ज लिखत जो ईक्विटी के अलावा उपलब्ध हैं। • पांच वर्ष तक पूंजी बढ़ाने के लिए विदेश स्थित अनुषंगियों के पास दीर्घावधि योजना है। इसमें विभिन्न स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं और विवेकपूर्ण मानदंडो की पूर्ति करने के लिए आवश्यक अस्तियों और पूंजी में वृद्धि करने के लिए पूंजी की आवश्यकता का आकलन करना भी शामिल है। पूंजी बढ़ाने की योजना का अनुमोदन मूल बैंक द्वारा प्रत्येक अनुषंगी की श्रेणी-I /श्रेणी-II पूंजी जुटाने की क्षमता के बारे संतुष्टि कर लने के पश्चात ही किया जाता है। यह पूंजी आस्तियों का स्तर बढ़ाने और पूंजी पर्याप्त अनुपात (सीएआर) बनाए रखने में सहायता करने के लिए आवश्यक होती है। • वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान एसबीआई ने ₹ 6,497 करोड़ की कुल राशि खुदरा सहभागिता के माध्यम से न्यूनतर श्रेणी- -II बांड जुटाए। • बैंक ने आईसीएएपी नीति लागू की है जिसकी समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है जिससे सस्ती पूंजी का स्तर बनाए रखा जा सके और इसके द्वारा पूंजी जोखिम को पर्याप्त रुप से कम किया जा सकेगा।
मात्रात्मक प्रकटीकरण (ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता • मानकीकृत पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो • निवेश प्रतिभूतिकरण	➠ ₹ 83,877.64 करोड़ ➠ शून्य **कुल ₹ 83,877.64 करोड़**
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता (* मानकीकृत अवधि पद्धति) • ब्याज दर जोखिम • विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण,सहित) • ईक्विटी जोखिम	➠ ₹ 2,833.47 करोड़ ➠ ₹ 110.55 करोड़ ➠ ₹ 2,241.49 करोड़ **योग ₹ 5,185.51 करोड़**
(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता: • मूल संकेतक पद्धति	➠ ₹ 6,451.90 करोड़ **योग ₹ 6,451.90 करोड़**
(ड) योग और श्रेणी-I पूंजी का अनुपात: • शीर्ष समेकित समूह के लिए, तथा • बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (स्टैंड एलोन)	**दिनांक 31.03.2011 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात**

	श्रेणी I (%)	योग (%)
भारतीय स्टेट बैंक	7.77	11.98
एसबीआइ समूह	8.02	12.26
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	7.92	11.68
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	9.12	14.25
स्टेट बैंक आफ मैसूर	9.78	13.76
स्टेट बैंक आफ पटियाला	8.65	13.41
स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	9.00	12.54
एसबीआइसीआइ बैंक लि.	27.44	28.16
एसबीआइ इंटरनेशनल (मारीशस) लि.	10.61	11.03
स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा)	30.27	37.94
स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	16.81	18.06
कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को	39.21	40.06
पीटी बैंक इंडो मॉनेक्स, इंडोनेशिया	14.34	15.21
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	10.47	11.58

TABLE DF-3 :
CAPITAL STRUCTURE :

Qualitative Disclosures

(a) A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.	• Sensitivity Analysis is conducted annually or more frequently as required, on the movement of Capital Adequacy Ratio (CAR) in the medium horizon of 3 to 5 years, considering the projected growth in Advances, investment in Subsidiaries/Joint Ventures and the impact of Basel II Framework etc. by State Bank of India and its Subsidiaries (Domestic/Foreign).This analysis is done for the SBI and SBI Group separately. • CRAR of the Bank and for the Group as a whole is estimated to be well above the Regulatory CAR of 9% in the medium horizon of 3 to 5 years. However, to maintain adequate capital, the Bank has ample options to augment its capital resources by raising Subordinated Debt and Innovative Perpetual Debt Instruments, besides Equity as and when required. • The Subsidiaries (Foreign) Strategic Plan, for growth extends upto five years and incorporates an assessment of capital requirement for growth of Assets and the Capital required to comply with various local regulatory requirements and prudential norms. The growth plan is approved by the parent bank after satisfying itself about the capacity of the individual subsidiaries to raise Tier I/Tier II Capital to support the increased level of assets and at the same time maintaining the Capital Adequacy Ratio (CAR). • During FY: 2010-11, SBI raised Lower Tier II bonds through Retail Participation aggregating ₹ 6497 crores. • The Bank and its Banking Subsidiaries have put in place the ICAAP Policy and the same is being reviewed on a yearly basis which would enable to maintain Economic Capital, thereby reducing substantial Capital Risk.
Quantitative Disclosures (b) Capital requirements for Credit Risk • Portfolios subject to Standardized Approach • Securitization Exposures	₹ 83,877.64 crores ➠ Nil ..... **Total ₹ 83,877.64 crores**
(c) Capital requirements for Market Risk (* Standardized duration approach) • Interest Rate Risk • Foreign Exchange Risk (including gold) • Equity Risk	➠ ₹ 2,833.47 crores ➠ ₹ 110.55 crores ➠ ₹ 2,241.49 crores ..... **Total ₹ 5,185.51 crores**
(d) Capital requirements for Operational Risk: • Basic Indicator Approach	➠ ₹ 6,451.90 crores ..... **Total ₹ 6,451.90 crores**
(e) Total and Tier I capital ratio: • For the top consolidated group; and • For significant bank subsidiaries (stand alone)	**CAPITAL ADEQUACY RATIO AS ON 31.03.2011**

	Tier I (%)	Total (%)
State Bank of India	7.77	11.98
SBI Group	8.02	12.26
State Bank of Bikaner & Jaipur	7.92	11.68
State Bank of Hyderabad	9.12	14.25
State Bank of Mysore	9.78	13.76
State Bank of Patiala	8.65	13.41
State Bank of Travancore	9.00	12.54
SBICI Bank Ltd.	27.44	28.16
SBI International (Mauritius) Ltd.	10.61	11.03
State Bank of India (Canada)	30.27	37.94
State Bank of India (California)	16.81	18.06
Commercial Bank of India LLC Moscow	39.21	40.06
PT Bank SBI Indonesia	14.34	15.21
Nepal SBI Bank Ltd.	10.47	11.58

तालिका डीएफ - 4 ऋण जोखिम:
सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- **पिछले बकायों और अनर्जक आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)**

समूह की देशीय बैंकिंग इकाइयां लेखा प्रयोजनों हेतु इन श्रेणियों को परिभाषित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान अनुदेशों का पालन करती हैं, जो निम्नानुसार है:

अलाभकारी आस्तियाँ

कोई भी आस्ति ऐसी स्थिति में अलाभकारी आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। ऐसे अग्रिमों को अलाभकारी आस्ति (एनपीए) माना जाता है जहाँ :

(i) किसी भी मीयादी ऋण के ब्याज और अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है:

(ii) किसी ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अनियमित' रहता है:

(iii) खरीदे गए बिल और भुनाए गए बिल के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है:

(iv) अन्य खातों के संबंध में प्राप्त की जाने वाली कोई राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है:

(v) अल्प अवधि फसलों के लिए संस्वीकृत कोई ऋण एनपीए माना जाता है, यदि मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है तथा दीर्घावधि फसलों के लिए तब एनपीए माना जाता है यदि मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है: और

(vi) कोई खाता तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिनों के अंदर अदा नहीं कर दिया जाता।

'अनियमित' श्रेणी

कोई खाता ऐसी स्थिति में 'अनियमित' माना जाना चाहिए जब बकाया शेष निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक रहता है।

ऐसे मामलों में जहाँ मूल परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम है किंतु बैंक के तुलन पत्र की तिथि को निरंतर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की गई है अथवा उस अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा नहीं है तो ऐसे खातों को 'अनियमित' माना जाएगा।

'अतिदेय'

किसी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय कोई राशि 'अतिदेय' मानी जाती है यदि यह बैंक द्वारा निर्धारित की गई तिथि को अदा नहीं की गई है।

अन्य समूह इकाइयां - विदेशी बैंकिंग इकाइयां और गैर बैंकिंग इकाइयां उनके व्यवसाय क्षेत्रों को लागू और उनके संबंधित नियंत्रकों द्वारा नियत परिभाषाओं का उपयोग करती हैं

- **बैंक की ऋण जोखिम-प्रबंधन नीति की चर्चा**

समूह इकाइयों द्वारा मुख्य रूप से अपने ऋणान्वयन और निवेश कार्यकलाप के माध्यम से ऋण जोखिम को प्रकट किया गया है। समूह की सभी बैंकिंग इकाइयों द्वारा अपने ऋण एवं निवेश कार्यकलाप के माध्यम से ऋण जोखिम को प्रकट किया गया है। गैर-बैंकिंग इकाइयों में, फैक्टरिंग और क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में, ऋण जोखिम एक प्रमुख जोखिम है। समूह बैंकिंग इकाइयों ने ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और सम्पार्श्विक प्रबंधन नीति/नीतियां बनाई हैं जिनमें ऋण जोखिम के प्रबंधन के बारे में और एक ऐसी व्यापक जोखिम प्रबंधन रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है जो ऋण जोखिमों का समय से पता लगाकर उनका समय से और सक्षम ढंग से प्रबंध एवं निगरानी कर सके। पिछले वर्षों में, इस संबंध में नीति एवं कार्यनीतियों को सम्बद्ध परिणामी अवधारणाओं और वास्तविक अनुभव के आधार पर परिष्कृत किया गया है। नीति एवं कार्यविधियाँ बासेल-II और भारतीय रिजर्व बैंक दिशा-निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार की गई हैं।

ऋण जोखिम-प्रबंधन प्रक्रियाओं मे ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, जोखिम की निगरानी तथा उसका नियंत्रण शामिल है।

ऋण जोखिम की पहचान और निर्धारण में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :

(i) 'ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडलों का जहां कहीं लागू हो, प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने और ऋण जोखिम प्रबंधन रूपरेखा के विश्लेषण घटकों विशेष रूप से ऋण अनुमोदन प्रक्रिया के मात्रात्मक जोखिम निर्धारण भाग की सहायता करने के लिए, काम में लिया जाता है। श्रेणी निर्धारण प्रक्रिया सुविधा/ऋणी से संबद्ध जोखिम को प्रतिबिम्बित करती है और यह ऋणी की आंतरिक क्षमता का मूल्यांकन है तथा इसकी आवधिक रूप से समीक्षा की गई है।

(ii) भारतीय स्टेट बैंक समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों की सामान्य निगरानी के संबंध में विशेष नीतिगत आदेश और परामर्श जारी करके बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों के संविभाग का प्रबंध करने के लिए मात्रात्मक जोखिम मापदण्डों का निर्धारण करने हेतु उद्योग अनुसंधान भी करता है और परिणामों का समूह की बैंकिंग इकाइयों के बीच आदान-प्रदान करता है।

(iii) ऋण जोखिम का निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के लिए गैर-बैंकिंग इकाइयां क्रेडिट स्कॉरिंग मॉडल्स, आंतरिक श्रेणी-निर्धारण, जनसांख्यिकी विश्लेषणों आदि, का यथा प्रयोज्य उपयोग करती हैं।

देशीय बैंकिंग इकाइयों में ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम घटकों जैसे ऋण चुकौती में चूक की संभावना, ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम की गणना करना शामिल होता है।

समूह इकाइयों में बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के संकेंद्रीकरण से बचने के लिए, व्यक्तिगत ऋणियों, ऋणी समूहों बैंकों, गैर कारपोरेट इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार भू-सम्पदा आदि के संबंध में विवेकीय जोखिम मानदण्डों से संबंधित विनियामक आंतरिक दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। समूह इकाइयों की पृथक-पृथक रूप से और समूह की समेकित रूप से ऋण जोखिम मापन के लिए जोखिमों की निरंतर निगरानी की गई है, जिस प्रकार समूह जोखिम प्रबंधन नीति में निर्दिष्ट किया गया है। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं जिससे जहाँ आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

समूह की प्रत्येक बैंकिंग इकाई में एक ऐसी ऋण नीति लागू है जिसमें ऋण एवं अग्रिमों की संस्वीकृति, प्रबंध और निगरानी करने के संबंध में इकाइयों का दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। इस नीति से ऋण संबंधी बुनियादी बातें, मूल्यांकन निपुणताओं, प्रलेखन मानकीकरण और संस्थात्मक अपेक्षाओं की जागरूकता, तथा कार्यनीतियों से संबंधित दृष्टिकोणों से समानता आती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संविभाग स्तर पर आस्तियों की सम्पूर्ण गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है। आस्तियों का मूल्यांकन, संस्वीकृत, प्रलेखीकरण, निरीक्षण एवं निगरानी, नवीकरण, रखरखाव, पुनर्वास आरै प्रबंधन करने के लिए उचित प्राधिकार के अंतर्गत नवोन्मेष, विचलन और नरमी की पर्याप्त गुंजाइश के साथ विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

ऋण जोखिम का प्रबंध करने के लिए समूह में आंतरिक नियंत्रण एवं प्रक्रियाएं लागू हैं, जो निम्नानुसार हैं,

(i) ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम अभिशासन संरचना ।

(ii) एक श्रेणीबद्ध प्राधिकार संरचना के साथ अग्रिमों एवं संबद्ध मामलों के लिए वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

(iii) ऋण लेखापरीक्षा के भाग के रूप में संस्वीकृति से पूर्व और संस्वीकृति के पश्चात की प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। प्रारंभिक सीमाओं से अधिक की जोखिमों के लिए देशीय इकाइयों में ये लेखा-परीक्षा आयोजित की गई है।

(iv) ऋणों की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए तनावग्रस्त आस्तियों की निकट समीक्षा एवं निगरानी करना।

(v) सभी परिचालन अधिकारियों और लेखा-परीक्षा अधिकारियों को नीतियां, कार्यविधियां और जोखिम सीमाओं की जानकारी परिचालित की जिससे निरंतर आधार पर उनकी जानकारी को अद्यतन रखा जा जा सके।

(vi) सभी अधिकारियों के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रथाओं से संबंधित जानकारी को अद्यतन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास भी शुरू किए गए हैं।

TABLE DF-4 : CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

- **Definitions of past due and impaired assets (for accounting purposes)**

  The Domestic Banking entities in the Group follow the extant RBI instructions for definitions of these categories for accounting purposes, as given below:

Non-performing assets

An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the Bank. A Non-Performing Asset (NPA) is an advance where:

(i) Interest and/or installment of principal remain 'overdue' for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan;

(ii) The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC);

(iii) The bill remains 'overdue' for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted;

(iv) Any amount to be received remains 'overdue' for a period of more than 90 days in respect of other accounts;

(v) A loan granted for short duration crops is treated as NPA, if the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons and a loan granted for long duration crops is treated as NPA, if installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season; and

(vi) An account would be classified as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

'Out of Order' status

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power.

In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Bank's Balance Sheet, or where credits are not enough to cover the interest debited during the same period, such accounts are treated as 'out of order'.

'Overdue'

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

[Other Group entities - Overseas Banking entities and the Non-banking entities - use the definitions as applicable to their lines of businesses and as defined by their respective regulators.]

- **Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy**

Group entities are exposed to Credit Risk mainly through their lending and investment activities. All Banking entities in the Group are exposed to Credit Risk through their loans and investment activities. Among the Non-banking entities, Credit Risk is a major risk in the factoring and credit cards business. Group Banking entities have Credit Risk Management, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy/Policies in place which are an exposition of their approach to the management of Credit Risk and seek to establish a comprehensive risk management framework that allows Credit Risks to be tracked, managed and overseen in a timely and efficient manner. Over the years, the policy and procedures in this regard have been refined as a result of evolving concepts and actual experience. The policy and procedures have been aligned to the approach laid down in Basel II and RBI guidelines, wherever applicable.

Credit Risk Management processes encompass identification, assessment, monitoring and control of the credit exposures. In the process of identification and assessment of Credit Risk, the following functions are undertaken:

(i) Credit Risk Assessment Models/ Scoring Models are used across the entities, wherever applicable, to assess the counterparty risk and to support the analytical elements of the credit risk management framework, particularly the quantitative risk assessment part of the credit approval process. The rating process reflects the risk involved in the facility / borrower and is an evaluation of the borrower's intrinsic strength and is reviewed periodically.

(ii) SBI also conducts industry research to give specific policy prescriptions and setting quantitative exposure parameters for handling portfolio in large / important industries, by issuing advisories on the general outlook for the Industries/Sectors, from time to time and shares the findings amongst the Banking entities in the Group.

(iii) Non-Banking entities use Credit Scoring Models, Internal Ratings, Demographic Analysis, etc., as applicable, for identification and assessment of Credit Risk.

The measurement of Credit Risk in the Domestic Banking entities involves computation of Credit Risk Components viz. Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default [EAD).

For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risk, regulatory / internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual borrowers, borrower groups, banks, non-corporate entities, sensitive sectors such as capital market, real estate, etc., are in place in the Group entities. Ongoing monitoring of exposures is conducted for measurement of Credit Risk of the Group entities individually and for consolidated Group, as specified in the Group Risk Management Policy. Credit Risk Stress Tests are conducted by the entities to identify vulnerable areas for initiating corrective action, where necessary.

Each of the Group Banking entities have a Loan Policy in place which documents the entities' approach to sanctioning, managing and monitoring of loans and advances. The Policy establishes a commonality of approach regarding credit basics, appraisal skills, documentation standards and awareness of institutional concerns and strategies to ensure that there is continued improvement of the overall quality of assets at the portfolio level. Specific norms for Appraising, Sanctioning, Documentation, Inspections and Monitoring, Renewals, Maintenance, Rehabilitation and Management of Assets have been stipulated, with sufficient leg room for innovation, deviations and flexibility under proper authority.

The internal controls and processes in place in the Group for the management of Credit Risk are:

(i) Risk Governance structures for Credit Risk Management.

(ii) Delegation of financial powers for advances and allied matters with a graded authority structure.

(iii) Pre-sanction and post-sanction processes are examined as part of Credit Audit conducted in Domestic Banking entities for exposures above threshold limits. Credit Audit also examines identified risks and suggests risk mitigation measures.

(iv) Close review and monitoring of Stressed Assets to prevent deterioration in quality.

(v) The Policies, Procedures and Risk Limits are circulated amongst all operating functionaries and the audit functionaries to keep them updated on an ongoing basis.

(vi) Various training initiatives are also undertaken for updation of knowledge on Credit Risk Management policies and practices for all functionaries.

तालिका डीएफ-4
ऋण जोखिम - मात्रात्मक प्रकटीकरण
31.03.2011 के आंकड़े

	राशि करोड़ ₹ में		
मात्रात्मक प्रकटीकरण:	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	योग
(क) कुल सकल ऋण जोखिम राशि	1085000.49	392743.81	1477744.30
(ख) ऋण जोखिम राशि का भौगोलिक वितरण: निधि आधारित/गैर निधि आधारित			
विदेशी	113676.75	28048.17	141724.92
देशी	971323.74	364695.64	1336019.38
(ग) ऋण जोखिम राशि का उद्योग के प्रकार अनुसार वितरण निधि आधारित/गैर निधि आधारित अलग अलग	कृपया तालिका 'क' देखे		
(घ) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण	कृपया तालिका 'ख' देखे		
(ङ) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) योग (i से v)	31824.10		
i) अवमानक	14239.21		
ii) संदिग्ध 1	7095.30		
iii) संदिग्ध 2	5772.47		
iv) संदिग्ध 3	1300.76		
v) हानिप्रद	3416.36		
(च) निवल अनर्जक आस्तियां	15733.98		
(छ) अनर्जक आस्ति अनुपात			
i) सकल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियां	3.09%		
ii) निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां	1.56%		
(ज) अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़ (सकल)			
i) अथशेष	24404.85		
ii) परिवर्धन	23384.92		
iii) कटौतियाँ	15965.67		
iv) इतिशेष	31824.10		
(झ) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव			
i) अथशेष	10890.01		
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	13898.52		
iii) बट्टा खाता डालना	5705.09		
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	3040.32		
v) इतिशेष	16043.12		
(ञ) अनर्जक निवेशों की राशि	620.47		
(ट) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि	616.83		
(ठ) निवेशों पर ह्रास के संबंध में प्रावधानों का उतार-चढ़ाव			
i) अथशेष	2263.80		
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	862.71		
iii) बट्टा खाता डालना	31.52		
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	138.99		
v) इतिशेष	2956.00		

तालिका - क
31.03.2011 को उद्योग के प्रकार के अनुसार ऋण जोखिम का वितरण
(राशि करोड़ ₹ में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित [बकाया]			गैर-निधि आधारित [बकाया]
		मानक	अनर्जक आस्ति	कुल	
1	कोयला	1936.08	159.44	2095.52	689.43
2	खनन	5820.06	97.05	5917.11	2398.73
3	लोह एवं इस्पात	51226.97	1954.21	53181.18	22609.63
4	धातु उत्पाद	16221.10	315.30	16536.40	6446.98
5	सभी अभियांत्रिकी	28399.11	859.19	29258.30	31459.21
5.1	इसमें इलेक्ट्रॉनिक संबंधी	7329.17	102.88	7432.05	4253.84
6	बिजली	15432.02	16.25	15448.27	17272.95
7	कपड़ा उद्योग	27720.92	736.27	28457.19	2788.33
8	जूट वस्त्र	373.67	25.15	398.82	53.18
9	अन्य वस्त्र	26617.62	1432.68	28050.30	4509.77
10	शक्कर	7795.14	47.89	7843.03	692.82
11	चाय	1665.87	104.88	1770.75	41.14
12	खाद्य प्रसंस्करण	19847.09	807.82	20654.91	730.18
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	5971.67	310.51	6282.18	2934.44
14	तम्बाकू / तम्बाकू उत्पाद	3641.85	404.44	4046.29	37.01
15	कागज /कागज उत्पाद	3700.83	114.80	3815.63	1187.34
16	रबड़/ रबड़ उत्पाद	3972.80	226.46	4199.26	1113.72
17	रसायन/ रंगाई/ रंग आदि	33955.08	1271.40	35226.48	26243.25
17.1	इसमें उर्वरक	2716.29	75.20	2791.49	1955.67
17.2	इसमें पेट्रोरसायन	7238.62	215.74	7454.36	2427.33
17.3	इसमें दवाइयां एवं औषधियाँ	12028.56	279.88	12308.44	9607.40
18	सीमेंट	8495.58	72.00	8567.58	1407.50
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	2142.38	40.72	2183.10	354.81
20	रत्न एवं आभूषण	12188.62	963.27	13151.89	906.45
21	निर्माण	13379.31	797.70	14177.01	3450.69
22	पेट्रोलियम	22761.20	16.82	22778.02	30435.52
23	आटोमोबाइल एवं ट्रक	8606.73	196.65	8803.38	969.49
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1974.84	926.42	2901.26	50.70
25	इन्फ्रास्ट्रक्चर	96959.79	803.35	97763.14	37325.60
25.1	इसमें बिजली	29353.46	124.00	29477.46	7561.40
25.2	इसमें दूर संचार	23068.33	147.27	23215.60	1381.85
25.3	इसमें सड़क और बंदरगाह	27027.97	358.11	27386.08	7502.50
26	अन्य उद्योग	115476.06	3302.26	118778.32	30500.02
27	एनबीएफसी और ट्रेडिंग	67662.49	3956.34	71618.83	8869.60
28	शेष सकल अग्रिमों में अवशिष्ट अग्रिम	449231.53	11864.82	461096.35	157265.29
	कुल	**1053176.39**	**31824.10**	**1085000.49**	**392743.81**

Table DF-4 :

Credit Risk - Quantitative Disclosures
Data as on 31.03.2011

General Disclosures:		Amount in ₹ crores		
Quantitative Disclosures		Fund Based	Non Fund Based	Total
(a)	Total Gross Credit Risk Exposures	1085000.49	392743.81	1477744.30
(b)	Geographic Distribution of Exposures : FB / NFB			
	Overseas	113676.75	28048.17	141724.92
	Domestic	971323.74	364695.64	1336019.38
(c)	Industry type Distribution of Exposures Fund based / Non Fund Based separately	Please refer to Table "A"		
(d)	Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets	Please refer to Table "B"		
(e)	Amount of NPAs (Gross) i.e. SUM f (i to v)	31824.10		
	i) Substandard	14239.21		
	ii) Doubtful 1	7095.30		
	iii) Doubtful 2	5772.47		
	iv) Doubtful 3	1300.76		
	v) Loss	3416.36		
(f)	Net NPAs	15733.98		
(g)	NPA Ratios			
	i) Gross NPAs to gross advances	3.09%		
	ii) Net NPAs to net advances	1.56%		
(h)	Movement of NPAs (Gross)			
	i) Opening balance	24404.85		
	ii) Additions	23384.92		
	iii) Reductions	15965.67		
	iv) Closing balance	31824.10		
(i)	Movement of Provisions for NPAs			
	i) Opening balance	10890.01		
	ii) Provisions made during the period	13898.52		
	iii) Write-off	5705.09		
	iv) Write-back of excess provisions	3040.32		
	v) Closing balance	16043.12		
(j)	Amount of Non-Performing Investments	620.47		
(k)	Amount of Provisions held for Non-Performing Investments	616.83		
(l)	Movement of Provisions for Depreciation on Investments			
	i) Opening balance	2263.80		
	ii) Provisions made during the period	862.71		
	iii) Write-off	31.52		
	iv) Write-back of excess provisions	138.99		
	v) Closing balance	2956.00		

Table-A

Industry Type Distribution of Exposures as on 31.03.2011

(Amount in ₹ crores)

CODE	INDUSTRY	FUND BASED [Outstandings-(O/s)]			NON-FUND BASED(O/s)
		Standard	NPA	Total	
1	Coal	1936.08	159.44	2095.52	689.43
2	Mining	5820.06	97.05	5917.11	2398.73
3	Iron & Steel	51226.97	1954.21	53181.18	22609.63
4	Metal Products	16221.10	315.30	16536.40	6446.98
5	All Engineering	28399.11	859.19	29258.30	31459.21
5.1	**Of which** Electronics	7329.17	102.88	7432.05	4253.84
6	Electricity	15432.02	16.25	15448.27	17272.95
7	Cotton Textiles	27720.92	736.27	28457.19	2788.33
8	Jute Textiles	373.67	25.15	398.82	53.18
9	Other Textiles	26617.62	1432.68	28050.30	4509.77
10	Sugar	7795.14	47.89	7843.03	692.82
11	Tea	1665.87	104.88	1770.75	41.14
12	Food Processing	19847.09	807.82	20654.91	730.18
13	Vegetable Oils & Vanaspati	5971.67	310.51	6282.18	2934.44
14	Tobacco / Tobacco Products	3641.85	404.44	4046.29	37.01
15	Paper / Paper Products	3700.83	114.80	3815.63	1187.34
16	Rubber / Rubber Products	3972.80	226.46	4199.26	1113.72
17	Chemicals / Dyes / Paints etc.	33955.08	1271.40	35226.48	26243.25
17.1	**Of which** Fertilizers	2716.29	75.20	2791.49	1955.67
17.2	**Of which** Petrochemicals	7238.62	215.74	7454.36	2427.33
17.3	**Of which** Drugs & Pharmaceuticals	12028.56	279.88	12308.44	9607.40
18	Cement	8495.58	72.00	8567.58	1407.50
19	Leather & Leather Products	2142.38	40.72	2183.10	354.81
20	Gems & Jewellery	12188.62	963.27	13151.89	906.45
21	Construction	13379.31	797.70	14177.01	3450.69
22	Petroleum	22761.20	16.82	22778.02	30435.52
23	Automobiles & Trucks	8606.73	196.65	8803.38	969.49
24	Computer Software	1974.84	926.42	2901.26	50.70
25	Infrastructure	96959.79	803.35	97763.14	37325.60
25.1	**Of which** Power	29353.46	124.00	29477.46	7561.40
25.2	**Of which** Telecommunication	23068.33	147.27	23215.60	1381.85
25.3	**Of which** Roads & Ports	27027.97	358.11	27386.08	7502.50
26	Other Industries	115476.06	3302.26	118778.32	30500.02
27	NBFCs & Trading	67662.49	3956.34	71618.83	8869.60
28	Res. Adv to bal. Gross Advances	449231.53	11864.82	461096.35	157265.29
	Total	**1053176.39**	**31824.10**	**1085000.49**	**392743.81**

तालिका-ख

डीएफ-4 (ङ) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) आस्तियों का दिनांक 31.03.2011 को अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विवरण

(₹ करोड़ में)

	1-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक किंतु 6 माह तक	6 माह से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1 नकदी	9139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9139.47
2 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष	39347.86	1365.94	3245.21	4974.88	9590.52	22537.66	13183.05	16559.27	110804.39
3 अन्य बैंकों के पास जमाशेष	30552.93	1615.18	1110.52	656.66	709.06	832.66	99.53	47.04	35623.57
4 निवेश	5497.95	2814.12	13025.72	15435.14	10923.83	68818.30	69263.72	205091.12	390869.90
5 अग्रिम	79536.61	11114.16	65696.80	43298.14	45931.04	471714.07	95683.43	197526.00	1010500.26
6 अचल आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	5.26	6737.19	6742.97
7 अन्य आस्तियां	29230.93	1909.09	4583.35	6139.06	7085.61	2418.59	283.62	6651.50	58301.75
कुल	**193305.75**	**18818.49**	**87661.60**	**70504.40**	**74240.07**	**566321.28**	**178518.61**	**432612.11**	**1621982.30**

तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों हेतु प्रकटन

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

- **प्रयुक्त रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ में परिवर्तनों के कारण भी**

  भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशी और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमश: केयर, क्रिसिल, आइसीआरए एवं फिच इंडिया (देशी ऋण रेटिंग एजेंसियों) एवं फिच, मूडीज एवं एस एंड पी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है जिनकी रेटिंगों का जोखिमभारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया गया। विदेशी बैंकिंग इकाइयां अपने-अपने विनियामकों के अनुमोदन के अनुसार रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग का प्रयोग करती हैं।

- **ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लायी गयी**

  (i) एक वर्ष से कम अथवा समान संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शार्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

  (ii) देशी कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि का विचार किए बिना) के लिए एवं 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु, लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गईं।

- **पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण**

  निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी- ग्राहक / प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एक्स्पोजरों के लिए लांग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वय के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी-ग्राहक / प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गईं:

  - इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक हैं तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे कम हो तो वही जोखिम भार लागू किया गया।
  - उन मामलों में जहां ऋणी- ग्राहक/ प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एक्स्पोजर की परिपक्वता रेटिड डैट की परिपक्वता के बाद की नहीं थी तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के अनरेटिड एक्स्पोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

31-3-2011 को गुणात्मक प्रकटीकरण	**(राशि करोड़ ₹ में)**		
(ख) मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात ऋण जोखिम की राशियों के लिए प्रत्येक जोखिम समूह और कटौती की गई जोखिम राशि में बैंक की बकाया राशियाँ (रेटिंग सहित और रेटिंग रहित)	100% जोखिम भार से नीचे	:	₹ 871283.98
	100% जोखिम भार	:	₹ 434615.66
	100% से अधिक जोखिम भार	:	₹ 153236.10
	कटौती की	:	₹ 18608.56
	योग	:	₹ 1477744.30

Table-B

DF-4 (e) SBI (CONSOLIDATED) Residual contractual maturity breakdown of assets as on 31.03.2011

(₹ in crores)

	1-14 days	15-28 days	29 days & up to 3 months	Over 3 months & upto 6 months	Over 6 months & upto 1 year	Over 1 year & upto 3 years	Over 3 years & upto 5 years	Over 5 years	Total
1 Cash	9139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9139.47
2 Balances with RBI	39347.86	1365.94	3245.21	4974.88	9590.52	22537.66	13183.05	16559.27	110804.39
3 Balances with other Banks	30552.93	1615.18	1110.52	656.66	709.06	832.66	99.53	47.04	35623.57
4 Investments	5497.95	2814.12	13025.72	15435.14	10923.83	68818.30	69263.72	205091.12	390869.90
5 Advances	79536.61	11114.16	65696.80	43298.14	45931.04	471714.07	95683.43	197526.00	1010500.26
6 Fixed Assets	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	5.26	6737.19	6742.97
7 Other Assets	29230.93	1909.09	4583.35	6139.06	7085.61	2418.59	283.62	6651.50	58301.75
TOTAL	**193305.75**	**18818.49**	**87661.60**	**70504.40**	**74240.07**	**566321.28**	**178518.61**	**432612.11**	**1621982.30**

TABLE DF-5 : CREDIT RISK:
DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO STANDARDISED APPROACH

(a) Qualitative Disclosures

- Names of Credit Rating Agencies used, plus reasons for any changes

  As per RBI Guidelines, the Bank has identified CARE, CRISIL, ICRA and FITCH India (Domestic Credit Rating Agencies) and FITCH, Moody's and S&P (International Rating Agencies) as approved Rating Agencies, for the purpose of rating Domestic and Overseas Exposures, respectively, whose ratings are used for the purpose of computing Risk-weighted Assets and Capital Charge. Overseas Banking entities use the ratings of accredited rating agencies as approved by their respective regulators.

- **Types of exposures for which each Agency is used**

  (i) For Exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits), Short-term Ratings given by approved Rating Agencies are used.

  (ii) For Domestic Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits (irrespective of the period) and for Term Loan exposures of over 1 year, Long Term Ratings are used.

- **Description of the process used to transfer Public Issue Ratings onto comparable assets in the Banking Book**

  Long-term Issue Specific Ratings (For the Bank's own exposures or other issuance of debt by the same borrower-constituent/counter-party) or Issuer (borrower-constituents/counter-party) Ratings are applied to other unrated exposures of the same borrower-constituent/ counter-party in the following cases :

  - If the Issue Specific Rating or Issuer Rating maps to Risk Weight equal to or higher than the unrated exposures, any other unrated exposure on the same counter-party is assigned the same Risk Weight, if the exposure ranks pari-passu or junior to the rated exposure in all respects.
  - In cases where the borrower-constituent/counter-party has issued a debt (which is not a borrowing from the Bank), the rating given to that debt is applied to the Bank's unrated exposures, if the Bank's exposure ranks pari-passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of unrated Bank's exposure is not later than the maturity of the rated debt.

Quantitative Disclosures as on 31.03.2011				**(Amount in ₹ crores)**
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the Standardized Approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) in each risk bucket as well as those that are deducted.	Below 100% Risk Weight	:	₹	871283.98
	100% Risk Weight	:	₹	434615.66
	More than 100% Risk Weight	:	₹	153236.10
	Deducted	:	₹	18608.56
	Total	:	₹	1477744.30

तालिका डीएफ-6 ऋण जोखिम
ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के लिए प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- **तुलन पत्र में निवल जोखिम मदों को सम्मिलित करने / न करने की सीमा का निर्धारण करने वाली नीतियां एवं प्रक्रियाएं**
  तुलन पत्र की निवल जोखिम मदें ऐसे ऋणों / अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती हैं जिनके बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है;
  जहां बैंक,
  क. के पास यह निर्णय करने का ठोस कानूनी आधार है, कि वह निवल राशि की वसूली / समायोजन संबंधी करार को प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकता है भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया क्यों न हो;
  ख. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण / अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है;
  ग. निवल आधार पर संबंधित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में ऋणों / अग्रिमों तथा जमाराशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण / अग्रिम को जोखिम के रूप में तथा जमाराशियों को संपार्श्विक के रूप में समझा गया है।
- **संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ**
  देशीय बैंकिंग इकाइयों में ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक नीति निर्धारित की गई है, जिसमें पूंजी - परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है। इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण और मूल्यांकन करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किए जा सकें।
  इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके द्वारा ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सके। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है :
  (i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण
  (ii) स्वीकार्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीक
  (iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया
  (iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन
  (v) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाएं
  (vi) विदेशी रेटिंग
  (vii) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा
  (viii) बीमा
  (ix) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी
  (x) सामान्य दिशा-निर्देश
- **बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ ली गई हैं उनका ब्योरा**
  बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयों में मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है:
  (i) नकदी या नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियाँ/एनएससी/किसान विकास पत्र / एलआईसी पॉलिसी आदि)
  (ii) स्वर्ण
  (iii) केंद्र / राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
  (iv) ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ जिन्हें बीबीबी या बेहतर रेटिंग प्राप्त है / अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए पीआर3/पी3/एफ3/ए3
  (v) सूचीबद्ध इक्विटी तथा परिवर्तनीय बांड
- **मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं उनका ब्योरा और उनकी ऋण - पात्रता**
  बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करती हैं :
  - सरकार, सरकारी संस्थाएँ (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपीय केंद्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुदेशीय विकास बैंक, ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई, सरकारी क्षेत्र के उद्यम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) जिनका प्रतिपक्ष की तुलना में कम जोखिम भार हो।
  - अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी (ऑब्लिगर) से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गारंटियों में भी) हिस्सेदारी है ।
  - कारपोरेट - सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र
  - पर्याप्त एवं स्वीकार्य संपत्ति वाले व्यक्ति तथा अन्य पक्षकार
  - गैर वित्तीय संपार्श्विक के रूप में बही ऋणों / प्राप्यों तथा भू संपत्ति के बंधक को स्वीकार किया जाता है।

जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋणों) के बारे में जानकारी :

बैंकिंग इकाइयों का आस्ति - संविभाग भलीभांति विविधीकृत है जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ प्राप्त की गई हैं, यथा :-

- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय तथा गैर वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ [इकाइयों द्वारा रखी गई अधिकांश वित्तीय संपार्श्विक आस्तियां उनकी अपनी जमाराशियां तथा स्वर्ण के रूप में होती हैं जो आसानी से निर्गमन योग्य हैं तथा इस प्रकार इनके ऋण जोखिम न्यूनीकरण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।]
- सरकारों और अच्छी रेटिंग वाले कारपोरेटों द्वारा गारंटियाँ,

मात्रात्मक प्रकटीकरण	**(राशि ₹ करोड़ में)**
(ख) प्रत्येक पृथक प्रकट ऋण जोखिम पोर्टफोलिओ का कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र में शामिल या शामिल न किए गए ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहाँ लागू हैं) जो कटौतियाँ लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।	2,42,178.53
(ग) प्रत्येक पृथक प्रकट ऋण जोखिम पोर्टफोलिओ का कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र में शामिल या शामिल न किए गए ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहाँ लागू हैं) जो गारंटियों / क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है। (जहाँ कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई है)	69036.31

TABLE DF-6 : CREDIT RISK
Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach

(a) Qualitative Disclosures

- **Policies and Processes for, an indication to the extent to which the Bank makes use of, on-and off-balance sheet netting**

  On-Balance sheet netting is confined to loans/advances and deposits, where the Bank have legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation. The Bank calculates capital requirements on the basis of net credit exposures subject to the following conditions; Where Bank,

  a. has a well-founded legal basis for concluding that the netting or offsetting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;

  b. is able at any time to determine the loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting agreement; and

  c. monitors and controls the relevant exposures on a net basis, it may use the net exposure of loans/advances and deposits as the basis for its capital adequacy calculation. Loans / advances are treated as exposure and deposits as collateral.

- **Policies and Processes for Collateral Valuation and Management**

  Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, addressing the approach towards the credit risk mitigants used for capital calculation has been put in place in Domestic Banking entities. The objective of this Policy is to enable classification and valuation of credit risk mitigants in a manner that allows regulatory capital adjustment to reflect them.

  The Policy adopts the Comprehensive Approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts), wherever applicable, against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral. The following issues are addressed in the Policy :

  (i) Classification of credit risk-mitigants.
  (ii) Acceptable credit risk-mitigants techniques.
  (iii) Documentation and legal process requirements for credit risk-mitigants.
  (iv) Valuation of collateral.
  (v) Margin and haircut requirements.
  (vi) External ratings.
  (vii) Custody of collateral.
  (viii) Insurance.
  (ix) Monitoring of credit risk mitigants.
  (x) General guidelines.

- **Description of the main types of Collateral taken by the Bank**

  The following collaterals are usually recognized as Credit Risk Mitigants under the Standardised Approach by the Domestic Banking entities of the Bank:

  (i) Cash or Cash equivalent (Bank Deposits/NSCs/KVP/LIC Policy, etc.).
  (ii) Gold.
  (iii) Securities issued by Central / State Governments.
  (iv) Debt securities rated BBB- or better/ PR3/P3/F3/A3 for Short-Term Debt Instruments.
  (v) Listed equity and convertible bonds.

- **Main types of Guarantor Counterparty and their creditworthiness**

  The Domestic Banking entities of the Bank accepts the following as eligible guarantors, in line with RBI Guidelines :

  - Sovereign, Sovereign entities [including Bank for International Settlements (BIS), International Monetary Fund (IMF), European Central Bank and European Community as well as Multilateral Development Banks, Export Credit & Guarantee Corporation (ECGC) and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)], Public Sector Enterprises (PSEs), Banks and Primary Dealers with a lower risk weight than the Counterparty.
  - Other guarantors having an external rating of AA or better. In case the guarantor is a parent company, affiliate or subsidiary, they should enjoy a risk weight lower than the obligor for the guarantee to be recognised by the Bank. The rating of the guarantor should be an entity rating which has factored in all the liabilities and commitments (including guarantees) of the entity.
  - Corporates - public and private sector.
  - Individuals and other third parties of adequate and acceptable worth.
  - Book-debts/receivables and mortgage of landed property are accepted as non-financial collateral.

- **Information about (Market or Credit) risk concentrations within the mitigation taken**

  The Banking entities have a well-dispersed portfolio of assets which are secured by various types of collaterals, such as:-

  - Eligible financial and non-financial collaterals listed above. [Majority of financial collaterals held by the entities are by way of own deposits and gold which are easily realisable and as such the risk concentration of credit risk mitigants is low]
  - Guarantees by sovereigns and well-rated corporates.

Quantitative Disclosures:	**(Amount in ₹ crores)**
(b) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	2,42,178.53
(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	69,036.31

तालिका डीएफ-7: प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण

	गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क)	प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा जिसमें उसका विवेचन भी शामिल है, के अनुसार निम्नलिखित विवरण दिया गया है :	
	• प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का क्या लक्ष्य रहा है ? यह भी बताएं कि इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणों में विद्यमान ऋण-जोखिम को कितनी मात्रा में बैंक के बाहर अर्थात अन्य संस्थाओ को अंतरित किया गया है।	निरंक
	• प्रतिभूत आस्तियों में पहले से विद्यमान अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप।	लागू नहीं
	• प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह, किया जाता है (उदाहरणार्थ प्रवर्तक, निवेशक, सेवाप्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, नकदी प्रदाता, विनिमय प्रदाता[@], संरक्षण प्रदाता[#]) और उनमें से प्रत्येक में बैंक की संबद्धता @ संबंधित आस्तियों के ब्याज दर / करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी भी बैंक द्वारा ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में नियामक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर निर्धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। # कोई भी बैंक नियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर गारंटियों, ऋण डेरीवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है।	लागू नहीं
	• प्रतिभूतिकरण निवेशों में ऋण और बाजार जोखिम में होने वाले परिवर्तनों (अर्थात संबंधित आस्तियों के मूल्य मे उतार-चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है। इनके बारे में दिनांक 1 जुलाई 2009 के एनसीएएफ के मास्टर सर्कुलर के पैरा 5.16.1 में उल्लेख है)।	लागू नहीं
	• प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबंधित बैंक की नीति का नीचे वर्णन किया गया है;	लागू नहीं
(ख)	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखाकरण नीतियों का निम्नलिखित सहित सारांश निम्नानुसार है:	
	• क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है;	लागू नहीं
	• प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियाँ और प्रमुख पूर्वानुमान (जानकारियों सहित)	लागू नहीं
	• पिछली अवधि के प्रमुख पूर्वानुमान और लागू की गई पद्धतियों में परिवर्तन तथा उन परिवर्तनों का प्रभाव	लागू नहीं
	• तुलन पत्र में दर्शाई गई देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियाँ जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता हैं	लागू नहीं
(ग)	बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया	लागू नहीं
	गुणात्मक प्रकटीकरण : बैंकिंग बही	
(घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि	निरंक
(ड़)	चालू अवधि के दौरान ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से हुई किन हानियों को बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबंधित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें	निरंक
(च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि	निरंक
(छ)	(च) में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि	लागू नहीं
(ज)	प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के स्वरूप सहित) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियाँ जिन्हें लेखो में शामिल नहीं किया गया है	निरंक
(झ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	• तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग अलग विवरण जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	• तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके स्वरूप के अनुसार अलग अलग विवरण	निरंक
(ञ)	• यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबंधित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग अलग और नियामक द्वारा अलग अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग अलग जोखिम भार	निरंक
	• ऐसे ऋण जोखिम जिन्हें टियर I पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाई गई ऋण-वृद्धियों की राशि तथा कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के स्वरूप के अनुसार अलग अलग)।	लागू नहीं
	गुणात्मक प्रकटीकरण : क्रय-विकय	
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग अलग विवरण।	निरंक
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	• तुलन पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग अलग विवरण जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिनके संबंध में खरीद की गई है	निरंक
	• तुलन पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम। प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके स्वरूप के अनुसार अलग अलग विवरण	निरंक
(ड)	उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि जिन्हें निम्नलिखित के लिए यथावत बनाए रखा गया या जिनके लिए खरीद की गई:	निरंक
	• कतिपय जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोंग के अंतर्गत यथावत बनाए रखे गए या नए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, और	निरंक
	• कतिपय जोखिम को देखते हुए निर्धारित प्रतिभूतिकरण सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विवरण	निरंक

TABLE DF-7 : SECURITISATION - DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

	Qualitative Disclosures	
(a)	The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation including a discussion of:	
	• the Bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the Bank to other entities.	NIL
	• the nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitised assets;	NOT APPLICABLE
	• the various roles played by the Bank in the securitisation process (For example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider@, protection provider#) and an indication of the extent of the Bank's involvement in each of them; @ A Bank may have provided support to a securitisation structure in the form of an interest rate swap or currency swap to mitigate the interest rate/currency risk of the underlying assets, if permitted as per regulatory rules. # A Bank may provide credit protection to a securitisation transaction through guarantees, credit derivatives or any other similar product, if permitted as per regulatory rules.	N.A.
	• a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitisation exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular on NCAF dated July 1, 2009). • a description of the Bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures;	N.A.
(b)	Summary of the Bank's accounting policies for securitization activities, including:	
	• whether the transactions are treated as sales or financings;	NA.
	• methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased	N.A
	• changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;	N.A
	• policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the Bank to provide financial support for securitised assets.	N.A
(c)	In the Banking book, the names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.	N.A
	Qualitative Disclosures: Banking Book	
(d)	The total amount of exposures securitised by the Bank.	NIL
(e)	For exposures securitised losses recognised by the Bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL
(f)	Amount of assets intended to be securitised within a year	NIL
(g)	Of (f), amount of assets originated within a year before securitisation.	N.A.
(h)	The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognised gain or losses on sale by exposure type.	NIL
(i)	Aggregate amount of:	
	• on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and	NIL
	• off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type	NIL
(j)	• Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach	NIL
	• Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	N.A.
	Qualitative Disclosures: Trading Book	
(k)	Aggregate amount of exposures securitised by the Bank for which the Bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	NIL
(I)	Aggregate amount of:	
	• on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	NIL
	• off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type.	NIL
(m)	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased separately for:	NIL
	• securitisation exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and	NIL
	• securitisation exposures subject to the securitisation framework for specific risk broken down into different risk weight bands.	NIL

तालिका डीएफ-7: प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण (जारी)

(ढ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	निरंक			
	• प्रतिभूतिकरण की निर्धारित सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत अपेक्षा	राशि ₹ करोड़ में			
		मद	बही मूल्य	बाजार मूल्य	पूंजी पर्याप्तता
	• टियर I पूंजी में से पूर्णतया घटाए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के स्वरूप के अनुसार अलग अलग)	प्रतिभूति रसीदें	144.74	47.98	23.99*

* भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 23.99 करोड़ (प्रतिभूति - रसीदों में किए गए निवेश के बाजार मूल्य का 50%) टियर I पूंजी में से घटाया गया है। शेष 50% टियर II पूंजी में से घटाया गया है।

तालिका डीएफ-8

व्यापार-बही में बाजार-जोखिम

31.03.2011 की मानकीकृत अवधि पद्धति का उपयोग करते हुए बैंकों के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण : देशी बैंकिंग इकाइयाँ:

1) बाजार जोखिम की गणना के अंतर्गत - मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा निम्नलिखित संविभागों को शामिल किया गया है :

- 'व्यापार के लिए रखी गई' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली प्रतिभूतियाँ ।
- 'व्यापार के लिए रखी गई' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों की प्रतिभूतियों की प्रतिरक्षा के लिए और व्यापार के लिए डेरीवेटिव्स निष्पादित किए गए।

2) जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक और अन्य अनुषंगियों के संबंधित बोर्डों के अनुमोदन के आधार पर बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी)/मध्य कार्यालय खोले गए हैं।

3) बाजार जोखिम इकाइयां कोष परिचालनों में बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं।

4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों सहित बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापार और विनिधान नीतियां लागू की गई हैं।

5) जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और निर्धारित अंतरालों पर स्थिति की सूचना शीर्ष प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है।

6) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार आशोधित अवधि, आधार बिन्दु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम मूल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।

7) जोखिम रूपरेखाओं का विश्लेषण किया जाता है और उनकी प्रभावकारिता की निरंतर आधार पर निगरानी की जाती है।

8) फॉरेक्स ओपन पोजीशन सीमाएं (दिन/रात), हानि नियंत्रित सीमाएं, प्रति मुद्रा व्यापार के संबंध में लाभ/हानि की उचित निगरानी रखी जाती है और अपवादात्मक सूचना पर नियमित ध्यान दिया जाता हैं।

9) **विदेशी बैंकिंग** इकाइयां अपने निवेश-संविभाग की निगरानी उस देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार करती हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रित सीमा और जोखिम सीमाएँ निर्धारित की गई है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार - बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम विनियामक पूँजी अपेक्षा निम्नवत है :

		(₹ करोड़ में)
• ब्याज दर जोखिम (डेरीवेटिव्स सहित)	:	2833.47
• ईक्विटी स्थिति जोखिम	:	2241.49
• विदेशी विनिमय जोखिम	:	110.55
योग	:	**5185.51**

TABLE DF-7 : (CONTD....)

(n)	Aggregate amount of:	NIL			
	• the capital requirements for the securitisation exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands.	Amount ₹ in crores			
		Item	Book Value	Market Value	Capital Adequacy
	• securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	Security Receipts	144.74	47.98	23.99*

* In terms of RBI guidelines, ₹ 23.99 crores (being 50% of the Market Value of investment in Security Receipts) has been deducted from the Tier I capital. The remaining 50% has been deducted from Tier II capital.

TABLE DF- 8

MARKET RISK IN TRADING BOOK

Disclosures for banks using the Standardised Duration Approach

Qualitative disclosures – Domestic Banking entities:

1) The following portfolios are covered by the Standardised Duration Approach for calculation of Market Risk:

- Securities held under the Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) categories.
- Derivatives entered into for hedging HFT & AFS securities and Derivatives entered into for trading.

2) Market Risk Management Department (MRMD)/Mid-Office have been put in place based on the approval accorded by the respective Boards of Banks and other subsidiaries for Risk Management.

3) Market Risk units are responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of Market Risk in Treasury operations.

4) Board approved Trading and Investment policies with defined Market Risk Management parameters for each asset class are in place.

5) Risk monitoring is an ongoing process with the position reported to the Top Management and the Risk Management Committee of the Board at stipulated intervals.

6) Risk Management and Reporting is based on parameters such as Modified Duration, Price Value Basis Point (PVBP), Maximum Permissible Exposures, Net Open Position Limit, Gap Limits, Value at Risk (VaR) etc., in line with the global best practices.

7) Risk Profiles are analysed and their effectiveness is monitored on an ongoing basis.

8) Forex open position limits (Daylight/Overnight), Stop Loss limit, Profit/Loss in respect of Cross Currency trading are properly monitored and exception reporting is regularly carried out.

9) **Overseas Banking subsidiaries** are responsible for risk monitoring of their investment portfolio as per the local regulatory requirements through the Board approved Investment and Market Risk Management policies. Stop loss limit for individual investments and exposure limits for certain portfolios have been prescribed.

Quantitative disclosures:

Minimum Regulatory Capital requirements for market risk as on 31.03.2011 is as under:

(₹ in crores)

• Interest Rate Risk (Including Derivatives)	:	2833.47
• Equity position risk	:	2241.49
• Foreign exchange risk	:	110.55
Total	**:**	**5185.51**

तालिका डीएफ - 9 : परिचालन-जोखिम

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ उसके प्रत्येक सहयोगी बैंक में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करता है।
- अन्य समूह इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों का व्यवसाय मॉडल की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में निपटान किया जा रहा है।

ख. परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां

भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में निम्नलिखित नीतियाँ लागू है :

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, जिसमें परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना शामिल है, बैंक में लागू है।
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बीसीपी) बैंक में लागू है।
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल) उपाय बैंक में लागू हैं।
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है।
- आउटसोर्सिंग नीति

  नये उत्पाद को शुरू करने से पहले उसकी पुनरीक्षा करने के लिए समग्र उत्पाद पुनरीक्षा समिति गठित की गई है।

  देशी गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयाँ

  गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित नीतियाँ लागू हैं। विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीति लागू है। आपदा निराकरण योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति आदि कुछ नीतियाँ बैंक में लागू हैं।

ग. कार्यनीतियाँ और प्रक्रियाएँ :

देशी बैंकिंग इकाइयों में परिचालन जोखिमों के नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

- बैंक द्वारा एक "अनुदेशावली" जारी की गई है, जिसमें बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशानिर्देश और अनुदेश जॉब कार्डों, ई-सर्कुलरों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए गए हैं।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित मैनुअल और परिचालन अनुदेश।
- बैंक द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में सभी कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों की सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) के अंतर्गत लाया गया है।
- जोखिम का प्रबंध बेहतर ढंग से करने के लिए परिचालन जोखिमों के कारण होने वाले नुकसानों का एक व्यापक आंकड़ा आधार तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
- शाखाओं से हानि करीबी मामलों सहित हानि के आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक वैब आधारित टूल तैयार किया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण - परिचालन जोखिम की जानकारी बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केंद्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में शामिल की गई है।
- धोखाधाड़ियों को छोड़कर बैंक द्वारा भावी परिचालन जोखिम वाले अधिकांश मामलों के लिए बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखापरीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कातितय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। वे आकड़ों की वैधता के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- वेब आधारित जोखिम और नियंत्रण स्व मूल्यांकन (आरसीएसए) प्रक्रिया की देशी शाखाओं और केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्रों में शुरुआत की जा रही है, ताकि बैंक में परिचालन जोखिमों की पहचान, आकलन, नियंत्रण और न्यूनीकरण किया जा सके। भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में आरसीएसए प्रक्रिया में आकलित उच्च जोखिम परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक में व्यापक परिचालन जोखिमों का विस्तृत आकलन फोकस ग्रुप द्वारा किया जाता है। इस फोकस ग्रुप में नियंत्रक कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। ये ग्रुप सम्पूर्ण बैंक में कार्यान्वयन करने हेतु नियंत्रण एवं (जोखिम) कम करने के उपाय भी सुझाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक में बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए मंडलों में जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है।

  देशी गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयाँ

  प्रणाली, कार्यविधि और रिपोर्टिंग के माध्यम से पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।

घ. जोखिम रिपोर्ट करने एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति-

- धोखाधड़ी पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली बैंक में लागू है।
- निवारक सतर्कता की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी व्यवसाय इकाइयों में स्थापित की गई है।
- दिनांक 31.03.2011 के लिए, परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15% के पूंजी प्रभार के साथ मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

तालिका डीएफ-10
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक की निवल ब्याज आय तथा उसकी आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव से संबंधित है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल हैं। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। तुलन-पत्र की स्थिति के आधार पर बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरें बैंक को प्रभावित करती हैं। ब्याज दर जोखिम बैंक के तुलन-पत्र की आस्ति एवं देयता दोनों तरफ रहता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति तुलन-पत्र जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अत: आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिमों एवं प्रतिलाभों, निधीयन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमाराशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निर्दिष्ट प्रकार के जोखिमों (उदाहरण के लिए ब्याज दर, चलनिधि आदि) के लिए निवेश के स्वीकृत स्तर निर्धारित कर आस्ति देयता प्रबंधन समिति बाजार जोखिम कार्यनीति भी विकसित करती है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दीनों में ब्याजदर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होनेवाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 अवधि विश्लेषण के जरिए बैंक के निवेशों के अचल आय संविभाग की ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। बैंक, उसकी आस्तियों एवं देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दरों में परिवर्तन के असर का मूल्यांकन करने के लिए तिमाही आधार पर अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है और इस प्रकार ईक्विटी के बाजार मूल्य के परिवर्तन का पता लगाता है। ईक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 1% समान अंतर के बीच परिवर्तन का अनुमान किया जाता है।

1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है :

ब्याज दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूँजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
ईक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	20%

1.4 बाजार जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूँजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूँजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

2. एसबीआई समूह के परिमाणात्मक प्रकटीकरण

जोखिम पर अर्जन

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्ति और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का निवल ब्याज आय पर प्रभाव	3587.47

ईक्विटी का बाजार मूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का ईक्विटी बाजार मूल्य पर प्रभाव	3423.96

TABLE DF–9 : OPERATIONAL RISK

A. The structure and organization of Operational Risk Management function

- The Operational Risk Management Department is functioning in SBI as well as each of the Associate Banks as part of the Integrated Risk Governance Structure under the control of respective Chief Risk Officer.
- The operational risk related issues in other Group entities are being dealt with as per the requirements of the business model under the overall control of Chief Risk Officers of respective entities.

B. Policies for control and mitigation of Operational Risk

The following policies are in place in SBI and Associate Banks:

- Operational Risk Management policy, seeking to establish explicit and consistent Operational Risk Management Framework for systematic and proactive identification, assessment, measurement, monitoring, mitigation and reporting of the Operational Risks.
- Policy on Business Continuity Planning (BCP).
- Policy on Know Your Customer (KYC) Standards and Anti Money Laundering (AML) Measures.
- Policy on Fraud Risk Management.
- Outsourcing Policy.

  In addition, Overall Product Vetting Committee for vetting of new products is in place.

  Domestic Non-Banking and Overseas Banking entities

  Policies as relevant to the business model of non-banking entities and as per the requirements of the overseas regulators in respect of overseas banking entities are in place. A few of the policies in place are - Disaster Recovery Plan/ Business Continuity Plan, Incident Reporting Mechanism, Outsourcing Policy, etc.

C. Strategies and Processes

The following measures are being used to control and mitigate Operational Risks in the Domestic Banking entities:

- "Book of Instructions", which contains detailed procedural guidelines for processing various banking transactions. Amendments and modifications to update these guidelines are being carried out regularly through circulars. Guidelines and instructions are also propagated through Job Cards, E-Circulars, Training Programs, etc.
- Manuals and operating instructions relating to Business Process Reengineering (BPR) units.
- Delegation of Financial powers, which details sanctioning powers of various levels of officials for different types of financial transactions.
- All branches of State Bank and Associate Banks are under Core Banking System (CBS).
- The process of building a comprehensive database of losses due to Operational Risks has been initiated, to facilitate better risk management.
- A web-based tool for collecting loss data, including Near Misses, from Branches has been developed to facilitate better risk management.
- Training of staff - Inputs on Operational Risk is included as a part of Risk Management modules in the training programmes conducted for various categories of staff at Bank's Apex Training Institutes and Staff Learning Centers.
- Insurance cover is obtained for most of the potential operational risks excluding frauds.
- Internal Auditors are responsible for the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the control systems and the functioning of specific control procedures. They also conduct review of the systems established to ensure compliance with legal and regulatory requirements, codes of conduct and the implementation of policies and procedures. They are also responsible for validation of data.
- Web-based Risk and Control Self Assessment (RCSA) process has been rolled out for identification, assessment, control and mitigation of Operational Risks in the Bank. Top risks identified in the RCSA exercises are being reported to Operational Risk Management Committee (ORMC) in SBI and Associate Banks.
- In SBI, detailed assessment of significant Operational Risks is conducted by Focus Groups consisting of senior officials at Controlling Offices. These Groups also suggest control and mitigation measures for implementation across the Bank.
- In SBI, Risk Management Committee has been constituted in the Circles for better Operational Risk Management.

  Domestic Non-Banking and Overseas Banking entities

  Adequate measures by way of systems and procedures and reporting has been put in place.

D. The scope and nature of Risk Reporting and Measurement Systems

- A system of prompt submission of reports on Frauds is in place in all the Group entities.
- A comprehensive system of Preventive Vigilance has been established in all the Group entities.
- For 31.03.2011, Basic Indicator Approach with capital charge of 15% of average gross income for previous 3 years is applied for Operational Risk except Insurance Companies.

TABLE DF-10
INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

1. Qualitative Disclosures

Interest Rate Risk:

Interest rate risk refers to impact in Bank's Net Interest Income and the value of its assets and liabilities arising from fluctuations in interest rate due to internal and external factors. Internal factors include the composition of the Bank's assets and liabilities, quality, maturity, interest rate and re-pricing period of deposits, borrowings, loans and investments. External factors cover general economic conditions. Rising or falling interest rates impact the Bank depending on Balance Sheet positioning. Interest rate risk is prevalent on both the asset as well as the liability sides of the Bank's Balance Sheet.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) is responsible for evolving appropriate systems and procedures for ongoing identification and analysis of Balance Sheet risks and laying down parameters for efficient management of these risks through Asset Liability Management Policy of the Bank. ALCO, therefore, periodically monitors and controls the risks and returns, funding and deployment, setting Bank's lending and deposit rates, and directing the investment activities of the Bank. ALCO also develops the market risk strategy by clearly articulating the acceptable levels of exposure to specific risk types (i.e. interest rate, liquidity etc). The Risk Management Committee of the Board of Directors (RMCB) oversees the implementation of the system for ALM and review its functioning periodically and provide direction. It reviews various decisions taken by Asset - Liability Management Committee (ALCO) for managing market risk.

1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk at monthly intervals through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Repricing Gaps) to be prepared as the last Reporting Friday of each month. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.

1.2 Interest rate risk in the Fixed Income portfolio of Bank's investments is managed through Duration analysis. Bank also carries out Duration Gap analysis (on quarterly basis) to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis by recognizing the changes in the value of assets and liabilities by a given change in the market interest rate. The change in the value of equity (including reserves) with 1% parallel shift in interest rates for both assets and liabilities is estimated.

1.3 The following prudential limits have been fixed for monitoring of various interest risks:

Changes on account of Interest rate volatility	Maximum Impact (as % of Capital and Reserve)
Changes in Net Interest Income (with 1% change in interest rates for both assets and liabilities)	5%
Change in Market value of Equity (with 1% change in interest rates for assets and liabilities)	20%

1.4 The prudential limit aims to restrict the overall adverse impact on account of interest rate risk to the extent of 20% of capital and reserves, while part of the remaining capital and reserves serves as cushion for others.

2. Quantitative Disclosures for SBI Group

Earnings at Risk (EaR)

(₹ in crores)

Particulars	Impact on NII
Impact of 100 bps parallel shift in interest rate on both assets and liabilities on Net Interest Income (NII)	3587.47

Market Value of Equity (MVE)

(₹ in crores)

Particulars	Impact on MVE
Impact on 100 bps parallel shift in interest rate on both assets and liabilities on Market Value of Equity (MVE)	3423.96

डीएफ - समूह जोखिम

समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
समूह की कंपनियों के संबंध में **	
[विदेश में स्थित बैंकिंग कंपनियाँ, देश में स्थित बैंकिंग कंपनियाँ और गैर-बैंकिंग कंपनियाँ]	
सामान्य विवरण	
कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने कारपोरेट गवर्नेंस की श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है।
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने प्रकटीकरण से संबंधित श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है / उनका अनुपालन कर रही हैं।
समूह के भीतर किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में तात्कालिक नीति का पालन	यह प्रमाणित किया जाता है कि स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन तात्कालिक आधार पर निष्पादित किए गए हैं चाहे उनके कारोबारी जोखिम प्रबंधन का मामला हो या प्रतिभूतियों के प्रावधान आदि का मामला हो।
साझा विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि समूह की कंपनियाँ साझे विपणन, ब्रांडिंग में एसबीआई के नाम का अव्यक्त ढंग से उपयोग कर रही हैं।
वित्तीय सहायता का ब्योरा#, यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है / न ही प्राप्त की है।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपनियों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।

\# समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' माने गए है:

क) समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण;

ख) समूह की इकाइयों को जिस तात्कालिक नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना;

ग) समूह के भीतर अलग अलग कंपनियों की ऋण चुकौती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना;

घ) पूंजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना;

ङ) 'प्रति चुकौती में चूक संबंधी शर्तों' को लागू करना जिनके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई किसी वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

**सम्मिलित कंपनियाँ :

बैंकिंग-देश में स्थित	बैंकिग-विदेश में स्थित	गैर-बैंकिग
भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई (कैलिफोर्निया)	एसबीआई डीएफएचआई लि.
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	एसबीआई (कनाडा)	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा.लि.
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	एसबीआई (मारीशस)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	पी टी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.		एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
		एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
		एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटिज सर्विसेस प्रा. लि.

DF - GR

Additional Disclosures on Group Risk

Qualitative Disclosure	
In respect of Group entities **	
[Overseas Banking entities, Domestic Banking entities and Non-Banking entities]	
General Description on	
Corporate Governance Practices Corporate Governance	All Group Entities adhere to good practices.
Disclosure Practices	All Group Entities adhere to / follow good disclosure practices.
Arm's Length Policy in respect of Intra Group Transactions	It is certified that all Intra-Group transactions within the State Bank Group have been effected on Arm's Length basis, both as to their commercial terms and as to matters such as provision of security.
Common marketing, branding and use of SBI's Symbol	No Group Entity has made use of SBI symbol in a manner that may indicate to public that common marketing, branding implies implicit support of SBI to the Group Entity.
Details of Financial Support#, if any	No Group Entity has provided / received Financial Support from any other entity in the Group.
Adherence to all other covenants of Group Risk Management Policy	All covenants of the Group Risk Management Policy have meticulously been complied with by the Group Entities.

\# Intra-group transactions which may lead to the following have been broadly treated as 'Financial Support':

a) inappropriate transfer of capital or income from one entity to the other in the Group;

b) vitiation of the Arm's Length Policy within which the Group entities are expected to operate;

c) adverse impact on the solvency, liquidity and profitability of the individual entities within the Group;

d) evasion of capital or other regulatory requirements;

e) operation of 'Cross Default Clauses' whereby a default by a related entity on an obligation (whether financial or otherwise) is deemed to trigger a default on the Bank in its obligations.

** Entities covered

Banking–Domestic	Banking–Overseas	Non–Banking
State Bank of India	SBI (California)	SBI DFHI Ltd.
State Bank of Bikaner & Jaipur	SBI (Canada)	SBI Pension Funds Pvt. Ltd.
State Bank of Hyderabad	SBI (Mauritius)	SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd.
State Bank of Mysore	Commercial Bank of India LLC, Moscow	SBI Global Factors Ltd.
State Bank of Patiala	Nepal SBI Bank Ltd.	SBI Funds Management Pvt. Ltd.
State Bank of Travancore	PT Bank SBI Indonesia	SBI Life Insurance Co. Ltd.
SBI Commercial & International Bank Ltd.		SBI General Insurance Co. Ltd.
		SBI Capital Markets Ltd.
		SBI SG Global Securities Services Pvt. Ltd.

भारतीय स्टेट बैंक
प्रॉक्सी फार्म

फोलियो क्र.: _____

डी.पी./ग्राहक आई. डी. क्र. _____

मैं / हम , _____

_____ निवासी _____

बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज भारतीय स्टेट बैंक के _____

शेयर / शेयरों का धारक हूँ / शेयरों के धारक हैं और एतद्द्वारा _____

_____ निवासी _____ को (या उसकी

अनुपस्थिति में _____ निवासी _____को)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की _____ में दिनांक _____

को, और उसके किसी स्थगन के बाद होने वाली सभा में मेरे / हमारे लिए और मेरी / हमारी तरफ से मत देने हेतु अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं।

दिनांकित _____के _____दिवस को

15 पैसे रसीदी टिकट

यदि प्रॉक्सी का लिखत एकल शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत उसके मुख्तार (अटर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित या उसके मुख्तार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न हो अथवा किसी कंपनी के मामले में उसकी सामान्य सील के अंतर्गत निष्पादित न किया गया हो अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो, तो वह वैध नहीं होगा।

यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारणवश अपना नाम न लिख सकता हो, तथा यदि उस पर (प्रॉक्सी पत्र) उसका कोई चिह्न है जिसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ द पीस, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस ने अथवा किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय स्टेट बैंक के किसी अधिकारी ने अधिप्रमाणित किया हो, तो प्राक्सी का वह लिखत यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित माना जाएगा।

यदि प्रॉक्सी कंपनी द्वारा नियुक्त न हो, तो वह भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक / स्थानीय बोर्ड का सदस्य/भारतीय स्टेट बैंक का ऐसा शेयरधारक होना चाहिए, जो भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी या कर्मचारी न हो।

यदि प्रॉक्सी पत्र यथाविधि स्टांपित न हो और उसे मुख्यतारनामे या अन्य प्राधिकार पत्र (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा किसी नोटरी पब्लिक अथवा न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित उस अधिकार पत्र अथवा प्राधिकार पत्र की एक प्रति, केन्द्रीय कार्यालय में या इसके स्थान पर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर नामित अन्य कार्यालय में सभा के लिए नियत तिथि के स्पष्टतः 7 दिन पूर्व जमा न किया जाए, तो वह (प्रॉक्सी पत्र) वैध नहीं होगा। (यदि मुख्तारनामा पहले से बैंक के पास पंजीकृत है, तो मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामे के फोलियो क्रमांक और पंजीकरण क्रमांक का भी उल्लेख किया जाए)।

शेयर एवं बाण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, केंन्द्रीय कार्यालय, तीसरी मंजिल, वर्मा चैम्बर्स, 11-होमजी पथ, हार्निमन सर्कल, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को प्रॉक्सी फार्म मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

STATE BANK OF INDIA

PROXY FORM

Folio No.: _____

DP/Client-ID No. _____

I/We _____

_____

resident of _____ being(a) shareholder(s) of the State Bank of India holding (No.) _____ shares on the Register of shareholders at the Central Office of the Bank do hereby appoint _____ resident of _____ (or failing him/her _____ resident of _____) as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at a meeting of the shareholders of the State Bank of India to be held at _____ on the _____ day of _____ and at any adjournment thereof.

Dated this _____ day of _____

15 paise Revenue Stamp

No instrument of proxy shall be valid unless in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholders first named in the Register or his attorney duly authorised in writing, or in the case of a Company, it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorised in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Justice of the Peace, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Government Gazetted Officer or an Officer of the State Bank of India.

A proxy, unless appointed by a Company, should be a Director of the Central Board/Member of the Local Board/Shareholder of the State Bank of India, other than an officer or employee of the State Bank of India.

No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and unless it, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a copy of that power of attorney or authority certified by a Notary Public or a Magistrate, is deposited with the Central Office or other office designated from time to time by the Chairman or Managing Director in this behalf, not less than 7 clear days before the date fixed for the meeting. (In case a power of attorney is already registered with the Bank, the Folio No. and Registration No. of the power of attorney be also mentioned).

The Shares & Bonds Dept., State Bank of India, Central Office, 3rd Floor, Varma Chambers, 11-Homji Street, Horniman Circle, Fort, Mumbai - 400 001 is authorised to accept the proxy form, power of attorney or other authority.

भारतीय स्टेट बैंक

शेयरधारकों की महासभा
उपस्थिति पर्ची

दिनांक : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

फोलियो क्र : ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐

डी.पी / ग्राहक आई. डी. क्र: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

शेयरधारक का पूरा नाम : _____

(शेयर प्रमाणपत्र पर लिखे / डी.पी. के रिकार्ड के अनुसार)

पंजीकृत पता: _____

_____ पिन ☐☐☐☐☐☐

कुल धारित शेयरों की संख्या : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

शेयर प्रमाणपत्र क्रमांक : ☐☐☐☐☐☐☐ से ☐☐☐☐☐☐☐ तक

क्या विनियम 31 (1) एवं (2) के अनुसार मत देने का अधिकार है: हाँ / नहीं

(प्रति 10 रुपये अंकित मूल्य के 50 शेयर हेतु एक मत)

यदि हाँ, तो मतों की संख्या जिनके लिए वह अधिकृत है :

शेयरधारक के तौर पर व्यक्तिगत रूप से							
प्रॉक्सी के रूप में							
विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में							
योग							

हस्ताक्षर अनुप्रमाणित (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

सील / मोहर:

नोट:

i) भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधकों/प्रभाग प्रबंधकों को (जिनके हस्ताक्षर सर्कुलेट किए गए हैं), उस शाखा में खाता रखने वाले शेयरधारकों द्वारा शेयरधारक होने का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, उनके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

ii) यदि शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक का खाताधारी है, तो उसके हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन उस बैंक के शाखा प्रबंधक शाखा की मोहर/स्टाम्प के साथ अनुप्रमाणित कर सकते हैं।

iii) वैकल्पिक रूप में, शेयरधारक अपने हस्ताक्षर नोटरी या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित करवाएं।

iv) शेयरधारकों के हस्ताक्षर सभास्थल पर भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट अधिकारियों से भी अनुप्रमाणित करवाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान का कोई संतोषप्रद प्रमाण जैसे - पासपोर्ट, फोटो वाला ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान कार्ड या इसी प्रकार का अन्य कोई स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

STATE BANK OF INDIA

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ATTENDANCE SLIP

Date : D D M M Y Y Y Y

Folio No:

DP/Client-ID No.:

Full Name of the Shareholder : _____
(as appearing on share certificate/recorded with DP)

Registered address : _____

_____ PIN

Total number of Shares held :

Share Certificate Nos. From To

Whether having voting rights in terms of Regulation 31 (1) and (2): Yes / No
(one vote for every 50 shares of the face value of Rs. 10 each)

If yes number of votes to which he/she is entitled :

In person as a shareholder							
As a proxy							
As a duly authorised representative							
TOTAL							

Signature Attested (Signature of Shareholder)

Name:

Designation:

Seal/Stamp:

Note:

i) The Branch Managers/Managers of Divisions of the branches of the State Bank of India (whose signatures are circulated) are authorised to attest the signature of the shareholders, on production of suitable evidence of his/her shareholding to the branch where the shareholders may be maintaining account.

ii) If the shareholder maintains account with a bank other than State Bank of India, the signature may be attested by the Branch Manager of that Bank, affixing the branch seal/stamp to evidence the attestation.

iii) Alternatively, the shareholder may have his/her signature attested by a Notary or a first class Magistrate.

iv) The signature of shareholders can also be got attested at the venue of the Meeting by the designated officers of the State Bank of India, on production of satisfactory evidence of his/her identification such as Passport/Driving Licence with photograph, Voters Identity Card or such other similar acceptable evidence.

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस)

निर्देश फॉर्म

(क्रेडिट क्लियरिंग प्रणाली के माध्यम से लाभांश का भुगतान प्राप्त करने संबंधी विकल्प देने के लिए निवेशकों हेतु फार्म)

1. **निवेशक का नाम** : _____

   पता : _____

   _____

   टेलिफोन/मोबाइल नंबर : _____

2. लैजर फोलियो संख्या : _____

3. **बैंक खाते का विवरण**

   क. बैंक का नाम : _____

   ख. शाखा का नाम : _____

   ग. बैंक द्वारा जारी एमआइसीआर चेक में प्रदर्शित बैंक और शाखा का 9-अंकों का कोड नंबर : | | | | | | | | | |

   घ. खाते का प्रकार (बचत बैंक, चालू या कैश क्रेडिट) कोड सहित (10/11/13)

   ङ. खाता संख्या (जैसे चेक बुक पर प्रदर्शित है) | | | | | | | | | | | | | | | |

   (ध्यान दें : उपर्युक्त विवरणों का सत्यापन करने हेतु कृपया एक रद्द किया हुआ कोरा चेक या चेक की फोटोकॉपी या बचत बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी संलग्न करें)

मैं घोषित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही और पूर्ण है. यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण लेनदेन में विलंब होता है या पूरा नहीं हो पाता है तो मैं भारतीय स्टेट बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी. इस योजना के अंतर्गत सहभागी के रूप में अपने दायित्व को निभाने के लिए मैं सहमत हूँ.

दिनांक :

स्थान :

(.....)

प्रथम/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

(बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांस्फर एजेंट को भेजा जाए)

National Electronic Clearing Service (NECS)

Mandate Form

(Investor's option to receive dividend payment through Credit Clearing Mechanism)

1. **Investor's name** : _____

   Address : _____

   _____

   Telephone / Mobile No. : _____

2. Ledger folio number : _____

3. **Particulars of Bank account**

   A. Name of the Bank : _____

   B. Name of the Branch : _____

   C . 9-Digit code number of the bank and branch as appearing on the MICR cheque issued by the bank : | | | | | | | | | |

   D. Type of the account (S.B., Current or Cash Credit) with code (10/11/13)

   E. Account number (as appearing on the cheque book) | | | | | | | | | | | | | | | |

   (IMP: Please attach a blank cancelled cheque or photocopy of a cheque or front page of your savings bank passbook issued by your bank for verification of the above particulars)

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold State Bank of India responsible. I agree to discharge the responsibility expected of me as a participant under the scheme.

Date : (.....)

Place: Signature of the first / sole Holder

(To be sent to the Registrar & Transfer Agents of the Bank)

शेयरधारकों के ध्यानाकर्षण हेतु
कागज़ रूप में शेयरधारिता

आपके पास कागज़ रूप में रखे हुए शेयरों को आसानी से कागज़ रहित (डीमैटीरियलाइज) रूप में रखा जा सकता है अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। शेयरों को कागज़ रहित रूप में रखने (डीमैटीरियलाइजेशन) से आपको निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:-

1. प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण;
2. प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं;
3. कागज़ के प्रमाणपत्रों के रूप में रखने के अनेक जोखिम भी होते हैं जैसे गलत हाथों लग जाना, जाली प्रतिभूतियाँ आदि से छुटकारा;
4. प्रतिभूतियों के हस्तांतरण में होनेवाली कागज़ी कार्रवाई में कमी;
5. लेनदेन की लागत में कमी;
6. नामांकन सुविधा;
7. डीपी में अभिलिखित पते में परिवर्तन करने से उन सभी कंपनियों में पते का परिवर्तन इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो जाता है जिन कंपनियों के शेयर शेयरधारक के पास हैं और इस प्रकार उनसे अलग-अलग पत्रव्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहती;
8. प्रतिभूतियों का प्रेषण डीपी द्वारा किया जाता है जिसके कारण कंपनियों से पत्राचार नहीं करना पड़ता;
9. फोलियो/खातों के समेकन की सुविधाजनक पद्धति;
10. ईक्विटी, उधार लिखत और सरकारी प्रतिभूतियों में एक ही खाते में निवेश रखे जा सकते हैं;
11. विभाजन/समेकन/विलय के कारण मिलने वाले शेयर डीमैट खाते में स्वत: जमा हो जाते हैं।

अत: आपसे अनुरोध है कि :

क) डीमेट खाता खोलने के लिए अपनी पसंद की किसी भी डिपाजिटरी पार्टिसिपेन्ट (डीपी) में संपर्क करें.

ख) अपने शेयरों के डीमैटीरियलाइजेशन के लिए डीमैट आवेदन फॉर्म (डीआरएफ) भरकर संबंधित शेयर प्रमाणपत्र अपने डीपी को सौंप दें।

शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित होकर स्वत: आपके डीमैट खाते में जमा हो जाएंगे।

KIND ATTENTION OF SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM

The Shares held by you in physical form can be easily dematerialized i.e converted into electronic form. The various benefits derived out of dematerialization of shares are :-

1. Immediate transfer of securities;
2. No stamp duty on transfer of securities;
3. Elimination of risks associated with physical certificates such as bad delivery, fake securities, etc.;
4. Reduction in paperwork involved in transfer of securities;
5. Reduction in transaction cost;
6. Nomination facility;
7. Change in address recorded with DP gets registered electronically with all companies in which investor holds securities eliminating the need to correspond with each of them separately;
8. Transmission of securities is done by DP eliminating correspondence with companies;
9. Convenient method of consolidation of folios/accounts;
10. Holding investments in equity, debt instruments and Government securities in a single account;
11. Automatic credit into demat account, of shares, arising out of split/consolidation/ merger;

You are therefore requested to:

a) Approach any Depository Participant (DP) of your choice for opening the Demat account.

b) Fill in a Demat Request Form (DRF) and handover the relative shares certificate(s) to your DP for Dematerialisation of your shares.

Shares will get converted into electronic form and automatically credited to your Demat Account.

बैंक की वेबसाइट का पता } www.sbi.co.in
Visit the Bank's website at } www.statebankofindia.com
भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केंद्र, स्टेट बैक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021. विभाग द्वारा जारी
इन्फोमीडिया 18 लि. द्वारा मुद्रित.

Issued by the State Bank of India, Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021.
Printed at Infomedia 18 Ltd.

DREAMING OF SPENDING TIME ON BETTER THINGS?

NOW THERE IS A WAY WITH SBI SAVINGS ACCOUNT TIMESAVERS

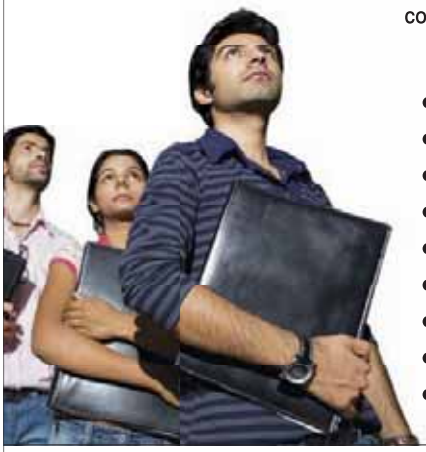

THE FULLY LOADED SBI SAVINGS BANK ACCOUNT comes with a host of value-added benefits that will help you save your time as well as plan your financial future.

- Shopping-cum-ATM Card
- Internet Banking
- Mobile Banking
- Nomination Facility
- Multicity Cheques
- Funds Transfer
- Safe Deposit Lockers
- E-Tax payments online
- ez-Trade
- ASBA - (ApplicationSupported by Blocked Amount) for IPO applications
- Automatic transfer of balance in Savings Account to Fixed Deposit to earn high interest
- Loyalty Rewards Programme
- Shopping and Utility Bill Payments online
- 24 X 7 Contact Centre for Customer Enquiry

EXPERIENCE THE SPEED & EASE OF OPENING OF A SBI SAVINGS ACCOUNT AND THE CONVENIENCE OF ITS BENEFITS.

SBI Savings

FUTURE HO BRIGHT, JAB SAVINGS HO RIGHT

24X7 Helpline: 1800 11 22 11 (Toll free for BSNL / MTNL landlines) or 080 - 26599990 (Other Lines) • www.sbi.co.in • E-mail:contactcentre@sbi.co.in

THE BANKER TO EVERY INDIAN

भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021, भारत

State Bank of India
State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai 400 021, India